

अकृपत

स्वराज्य दान



स्वराज्य दान

लेखक : गुरुदत्त

हिन्दी साहित्य सदन
नई दिल्ली - 05

© भारतीय साहित्य सदन

मूल्य 150.00
प्रकाशक हिन्दी साहित्य सदन
2 बी. डी. चैम्बर्स , 10/54 देश बन्धु गुप्ता रोड,
करोल बाग , नई दिल्ली-110005
email: indiabooks@rediffmail.com
फोन 51545969 , 23553624
फैक्स 011-23553624
संस्करण 2004
मुद्रक त्रिवेणी ऑफसेट, शाहदरा, दिल्ली-110032

स्वराज्य-दान

“भूल जाना मनुष्यता की बात नहीं। मनुष्यों में और अन्य प्राणियों में स्मरण-शक्ति का ही अन्तर है। मनुष्य तो उन्नति कर रहा है किन्तु अन्य प्राणी उन्नति नहीं कर रहे। इसका कारण स्मरण-शक्ति ही है। पूर्व अनुभवों का मनन करके ही विचारों को आगे ले जाया जा सकता है। अन्य प्राणी अपने अनुभवों को भूल जाते हैं, इससे वे अपनी भूलों को सुधार नहीं सकते। मनुष्य अपनी देखी-सुनी, अनुभव अथवा विचार की हुई बातों का स्मरण करके ही उन्नति के मार्ग पर चलता आ रहा है। लिखने की विद्या का आविष्कार भी तो स्मरण-क्रिया को और अधिक स्थायी करने के लिए ही किया गया है।

“यह सब जानते हुए भी आप मुझे क्यों कहते हैं कि जो अन्याय और अत्याचार मुझ पर अथवा मेरे भाई-बन्धुओं पर हुए हैं, मैं उनको भूल जाऊँ? भूल जाऊँगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सकेगी?”

यह वार्तालाप नई दिल्ली में कर्जन रोड पर एक कोठी के ड्राइंग-रूम में, एक गद्देदार आराम-कुर्सी पर बैठे हुए अघेड़ आयु के पुरुष और उसके सामने खड़े हुए एक युवक में हो रहा था। युवक की आयु लगभग पच्चीस वर्ष की प्रतीत होती थी। युवक ने यह बात उस अघेड़ आयु के पुरुष के इस कथन के उत्तर में कही थी—

“नरेन्द्र, देखो, तुम्हारी माता का देहान्त हो चुका है। तुम दो वर्ष के थे जब तुम्हारे पिता मारे गए थे। तब से तुम्हारी माता ने बहुत धैर्य और परिश्रम से तुम्हारा पालन-पोषण कर तुम्हें इतना बड़ा किया है। यह बीस-बाईस वर्ष की तपस्या किसलिए की गई थी? इसलिए ही न कि तुम पढ़-लिखकर बड़े हो जाओ, विवाह करो और अपने पिता का वंश चलाओ। तुम्हारे लिए यही अवसर है कि तुम अपनी माँ की इच्छा पूर्ण कर उसकी पवित्र स्मृति को चिरस्थायी बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूँढ़ी है। वह पढ़ी-लिखी है, सुन्दर है, सुशील है, सुघड़ है और अति मीठा बोलने वाली है। एक बार चलकर लड़की को देख लो। देखो, माँ के परिश्रम का स्वाभाविक फल यही है। वह बेचारी जीती होती तो बहू लाने की बात सुनकर कितना आनन्द अनुभव करती।”

युवक का कहना था, “चाचा जी, आप नहीं जानते कि माताजी ने मुझे पढ़ाया-लिखाया क्यों है। आप समझते हैं कि पिताजी के वंश को चलाना ही उनके इस प्रयास का ध्येय था। यह तो बहुत ही छोटी बात है। वे इस प्रकार के छोटे विचारों की स्त्री नहीं थीं। मैं आपको बताता हूँ। मैंने मैट्रिक पास करने के पश्चात् एक बार उनसे कहा था, ‘माँ, तुम्हें मेरे लिए बहुत गरीबी सहन करनी पड़ रही है; यदि तुम कहो तो मैं कहीं नौकरी कर लूँ। अब कहीं-न-कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी।’

“माता जी ने मेरी बात सुन, माथे पर त्योंरी चढ़ाकर कहा था, ‘देखो, नरेन्द्र, तुम्हारे चाचा जो कुछ भेजते हैं उससे तो तुम्हारी फीस और किताबों का खर्च भी नहीं चलता। घर और तुम्हारी शेष आवश्यकताओं के लिए मुझे कपड़े सीने का काम करना पड़ता है। तुम्हें अखाड़े से कसरत करके आने पर बादाम और दूध देने तथा तुम्हारे कपड़े और अन्य आवश्यक बातों के लिए मैं जो दिन-रात मेहनत कर रही हूँ वह क्या केवल तुम्हें तीस रुपये मासिक का क्लर्क बनाने के लिए है? तुम्हारे खाने, पहनने, पुस्तकों और स्कूल इत्यादि की फीस के लिए, रात-रात-भर बैठकर लोगों के कपड़े सी-सीकर, मैं अपनी आँखें इसलिए खराब नहीं कर रही कि तुम विदेशी सरकार की नौकरी करने के योग्य हो जाओ। देखो, बेटा, मैं तुम्हें सबल और योग्य इसलिए बना रही हूँ कि तुम अपने पिता और मेरे अपमान का बदला ले सको। मैं आज फिर तुम्हें उस अपमान की कहानी सुनाती हूँ।

‘सन् १९१६, अप्रैल मास के दिन थे। महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे और पंजाब सरकार ने उन्हें आने से रोक दिया था। जब उन्होंने आने का हठ किया तो सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया। लोगों ने हडताल कर दी, जो कई दिन तक रही। उस समय तुम दो वर्ष के थे। तुम्हारे पिता हाल बाजार में बिसाती की दूकान करते थे। वे भी दूकान बन्द करके घर आ बैठे।

‘वैशाख की संक्रान्ति थी। उनके मन में आया कि ‘दरबार साहब’ में स्नान तथा दर्शन कर आवें। मैं भी साथ जाती, परन्तु तुम्हारी बहन, राधा, पेट में थी। अतएव मैं और तुम घर पर रहे और वे एक लोटा लेकर दरबार साहब चले गए। उनका विचार था कि अमृतसर के जल का लोटा भरकर मेरे और तुम्हारे लिए लावेंगे।

‘वे गए और फिर नहीं आए। सायंकाल तक मैं प्रतीक्षा करती रही। उनके न आने पर मैं बेचैन हो उठी। मुहल्ले में हल्ला मच गया कि जलियांवाला बाग में लोग जलसा कर रहे थे कि फौज ने गोली चलाकर सहस्रों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरा माथा ठनका। यद्यपि वे कभी ऐसे जलसे-जुलूसों में सम्मिलित नहीं होते थे, फिर भी मुझे विश्वास-सा होने लगा था कि वे वहीं पर मारे गए हैं। मैंने तुम्हें एक पड़ोसन के घर छोड़ा और जलियांवाला बाग को चल पड़ी। मुहल्ले

के लोगों ने मना किया, पर मैं उतावली हो रही थी। वे कहते थे कि संध्या होने वाली है और 'कपर्यू-आर्डर' लगा हुआ है, किसी फौजी ने देख लिया तो वह गोली मार डालेगा। मैं भगवान् के भरोसे पर थी। बाजार सुनसान पड़े थे। कोई पक्षी तक भी फड़क नहीं रहा था। मैं मकानों के साथ-साथ होती हुई चली गई। मेरे मन में मेरे अपने लिए भय नहीं था। मुझे विश्वास-सा हो रहा था कि तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं। जीवित होते तो अवश्य घर लौट आते। इस बात का निश्चय करना मेरे लिए नितान्त आवश्यक था। मैं चलती गई। तब तक प्रकाश पर्याप्त था, मैं वहाँ जा पहुँची।

'जलियाँवाले अहाते में जाने के दो मार्ग हैं। एक बड़ा फाटक-सा है, और दूसरे को तो केवल खिड़की ही कहना चाहिए। मैं फाटक के मार्ग से भीतर गई थी। सामने हाय-हाय मची हुई थी। हजारों लोगों के मुख से आर्तनाद निकल रहा था। कोई-कोई विरला उनमें खड़ा अपने किसी सम्बन्धी को पहचान रहा था। ये, अपने सम्बन्धियों को ढूँढ़ने वाले, कभी-कभी शवों को घसीटकर इधर-उधर करते थे। कभी कोई पानी माँगता तो सुनने वाले सिवाय दुःख अनुभव करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। सूर्यास्त होने में कुछ मिनट ही रह गए थे और ढूँढ़ने वाले अनुभव कर रहे थे कि शीघ्र ही उनको लौट जाना है। सूर्यास्त के पश्चात् शव ले जाना तो एक तरफ रहा, उनका घर पहुँचना भी भय-रहित नहीं रह जावेगा।

'मैं इस भयानक दृश्य को देख हतोत्साह हो गई। मेरा दिल बैठने लगा और मैं अपनी टाँगों पर खड़ी भी न रह सकी। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ समीप ही एक घायल पड़ा था। वह मुझे देखते ही पानी माँगने लगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी जाँघ में गोली लगी थी और वह हिल नहीं सकता था। वहाँ न लोटा था, न कुआँ। पानी लाती भी तो कहाँ से? मेरे आँसू बहने लगे।

'जिन ढूँढ़ने वालों को अपने आदमी मिल जाते थे वे उन्हें उठाकर चले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी मुझे चुपचाप बैठे और रोते देख बोला, 'माई, जल्दी चली जाओ। साढ़े सात बज रहे हैं। 'कपर्यू आर्डर' का समय हो गया है।' इतना कहते-कहते वह रक गया। वह खड़ा हो गया। शायद वह मेरी गर्भावस्था जान गया था और मन में कुछ सोचकर पूछने लगा, 'तुम इसे कहाँ ले जाना चाहती हो?' उसने समीप पड़े घायल को मेरा सम्बन्धी समझ लिया था।

'मैंने कहा, 'इसे थोड़ा पानी पिला दो।' मैं उसे होंठों पर जुवान फेरते देख तुम्हारे पिता के विषय में भूल गई थी। वह आदमी विचार में पड़ गया। बोला, 'बहन, यहाँ पानी नहीं है। चलो, मैं इसे उठाकर ले चलता हूँ। आपको इसे कहाँ ले चलना है?'

'मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। मैंने कहा, 'मैं इसे नहीं जानती, मैं तो

किसी और को ढूँढ़ने आई थी।’

‘वह मिला?’

‘नहीं, अभी नहीं। मुझ में यह सब कुछ ढूँढ़ने की हिम्मत नहीं रही।’

‘वह आपका क्या है?’

‘मेरे पति हैं।’

‘उस भले पुरुष के मुख पर दया की झलक दिखाई दे रही थी। वह बोला, ‘चलो, उसे भी देख लो, बहन! शायद उसे भी पानी की आवश्यकता हो।’

‘उसने मुझे आश्रय दे उठाया और हम ढूँढ़ने लगे। अहाते के एक ओर एक दीवार थी और सबसे अधिक लाशें उसी दीवार के समीप थीं। एक स्थान पर लाशों का ढेर लगा था। मैं ढूँढ़ती हुई वहाँ पहुँची। उफ! कितना भयंकर दृश्य था। अब भी स्मरण आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक-एक शव को पकड़कर मुख देखती थी और पहचानती थी। जब निश्चय हो जाता था कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तो उसे घसीटकर एक तरफ कर देती थी और फिर दूसरों को देखती थी। सभी लोग इस प्रकार कर रहे थे। इस पर भी यह कार्य इतना कठोरतापूर्ण था कि साधारण परिस्थिति में कोई अति कठोर-हृदय भी शायद ही वैसा कर सकता। मुझे यह कुछ न हो सकता, यदि वह भला पुरुष मेरी सहायता न कर रहा होता। आखिर लाशों के एक ढेर के नीचे से उनका शव भी निकला। उनके सिर में गोली लगी थी और खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए थे। उनका मुख पहचाना नहीं जाता था, परन्तु कपड़ों से पहचान गई थी। उनको देख अपनी क्षीण सूत्रवत् आशा, कि शायद वे भी घायल पड़े हों, विलुप्त हुई जान मैं गश खाकर गिर पड़ी।

‘जब मुझे चेतना हुई तो वही भला पुरुष मेरे मुख पर पानी के छींटे लगा रहा था। अँधेरा पर्यप्त हो चुका था इसलिए पहले तो मैं उसको पहचान भी नहीं सकी। इस समय उसके साथ एक आदमी था। वह हाथ में एक गगरा पानी लिये खड़ा था। जब पहचान गई तो मैंने पूछा, ‘उसे पानी पिलाया है, भैया?’

‘बहिन, जब तुम बेहोश हो गई थीं, मैं पानी लेने चला गया। मैंने विचार किया था कि तुम्हें सचेत करने के लिए भी तो पानी चाहिए। बाजार में कुआँ तो था पर गगरा नहीं था। एक मकान का दरवाजा खटखटाया और लोटा और गगरा माँगा। उस घर वालों ने एकदम इन्कार कर दिया। कई स्थानों पर यत्न करते-करते ये सज्जन मिले। घर पर ये अकेले थे। जब मैंने अपना आशय वर्णन किया, तो दाँतों को पीसते हुए गगरा और लोटा ले मेरे साथ चल पड़े। इस सब प्रयत्न में एक घण्टा लग गया है, और इस बीच वह आदमी चल बसा है। अब हम उसकी सहायता नहीं कर सकते।’

‘मैं पगली-सी इन बातों को सुन रही थी। मुझे न तो अपनी जान का भय रह गया था और न ही उनके भय का अनुमान लगाने की मुझमें शक्ति रह गई थी।

गगरा लिये हुए आदमी ने दूसरे घायलों को पानी पिलाना आरम्भ कर दिया। एक गगरे से वहाँ क्या हो सकता था। देखते-देखते पानी समाप्त हो गया। अब वह हमारे समीप आया और बोला, 'माताजी, अब चलना चाहिए। आपको घर पहुँचा दूँ तो इनके लिए और जल का प्रबन्ध करूँ।'

'मैंने अपनी गली का नाम बताया तो उन दोनों ने तुम्हारे पिता का शव कंधे पर उठा लिया और मुझे साथ ले घर पहुँचा गए। उस रात यद्यपि 'कर्फ्यू आर्डर' लगा हुआ था, परन्तु तमाम अमृतसर में एक भी पुलिस तथा फौज का सिपाही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग डर रहे थे कि उनके लिए शहर के भीतर आना मौत का आवाहन करना है। इस झूठे भय के कारण लोगों को रात के समय अपने घायल सम्बन्धी अथवा उनकी लाशें जलियांवाला बाग से ले जाने का अवसर मिल गया। प्रातःकाल तक कुछ लावारिस शवों के अतिरिक्त सहस्रों घायल तथा मृत वहाँ से ले जाए जा चुके थे।

'दूसरे दिन केवल पाँच आदमियों की सहायता से तुम्हारे पिता का दाह-संस्कार किया गया। श्मशान-भूमि तक जाने के लिए भी पाँच से अधिक लोगों का एकत्रित होना रोक दिया गया था।

'जलियांवाला बाग में गोलियाँ चलाने वाला कर्नल डायर था। उस निर्दयी ने निहत्थे लोगों पर, जो शान्तिपूर्वक जलसा कर रहे थे, तब तक गोलियाँ चलाई जब तक कि उसके सिपाहियों के कारतूस समाप्त नहीं हो गए।'

'बात यहीं समाप्त नहीं हुई। हमारी गली के बाहर फौजियों का पहरा बैठ गया। वे आने-जाने वालों को पेट के बल रेंगने पर बाध्य करते थे। हमारी गली वालों ने इस अपमान को न सह सकने के कारण घर से निकलना बन्द कर दिया। दुर्भाग्य से हमारे घर में रसद-पानी समाप्त हो गया। गली में प्रायः सब घरों का ऐसा ही हाल था। मैंने एक पड़ोसी से कुछ ला देने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। मैंने कहा, 'नन्हा भूख से बिलख-बिलखकर रो रहा है।' वह पड़ोसी चुप रहा। उसके मुख पर विवशता की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। तुम्हें कुछ खाये चौबीस घंटे से ऊपर हो चुके थे। एक-दो बार तुम्हें पानी में चीनी घोलकर दिया। उससे तुम्हारी तृप्ति नहीं होती थी और फिर चीनी भी समाप्त हो गई थी। नगर में एक सप्ताह से ऊपर दूकानें बन्द रही थीं, और जब दूकानें खुलीं तो गली के बाहर यह आफत आ बैठी। परिणामस्वरूप उस गली में रहने वाले प्रायः सब फाके कर रहे थे। मैं माँगती भी तो किससे? जब तुम बहुत रोने लगे तो मैंने इस अपमान को सहन करने की ठान ली। मेरे मन में पागलपन समा रहा था। मैं सोचती थी कि मैंने, तुमने और तुम्हारी बहन ने, जो अभी पेट में थी, उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। वे मुझे रेंगने के लिए क्यों कहेंगे? मैंने कपड़े बदल लिये। सलवार, कुर्ता और दुपट्टा ओढ़ और हाथ में सामान के लिए चादर लेकर चल पड़ी।

‘जब गली से बाहर निकली तो गोरे सिपाही मुझे देख खिलखिलाकर हँसे । मैं उनको कहना चाहती थी कि बच्चा भूख से तड़प रहा है, परन्तु उनको हँसता देख मेरा साहस टूट गया । मैं चुप खड़ी रह गई । जब वे हँस चुके तो एक ने कहा, ‘ठैर जाओ, ठैर जाओ ।’ मैं अपने पैरों की ओर देखकर बोली, ‘मुझ पर दया करो । मुझसे लेटकर नहीं जाया जा सकेगा ।’ शायद वे मेरी बात नहीं समझे, या शायद समझ गए थे परन्तु उनके मन में दया नहीं आई । मैं जाने लगी तो एक ने मुझे पकड़कर बलपूर्वक लेटा दिया । मैं लौट जाना चाहती थी, परन्तु तुम्हारा बिलख-बिलखकर रोना स्मरण हो आया और मैं घुटनों और हाथों के बल चलने लगी ।

‘अभी कुछ ही पग गई थी कि किसी ने मेरी पीठ पर ठोकर मारी और कहा, ‘क्रॉल ! क्रॉल !’ (रेंगो) मेरे सिर में चक्कर आने लगा और मैं कुछ क्षण तो अचेत पड़ी रही । फिर ज्यों-त्यों कर वह सब मार्ग रेंगकर पार किया । मेरा मुख आँसुओं से भर रहा था । मेरी कोहनियाँ और घुटने छिलकर लोह-लुहान हो गए थे । इस पर भी उठी और बनिये की दूकान पर जा पहुँची । वहाँ से आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक और मिर्च खरीदी । बनिया मुझे देख समझ गया था, कि मुझे क्या हुआ है । मुझे रोती देख उसकी भी आँखें भर आईं और काँपते हुए हाथों से मुझे सामान देते हुए उसने पूछा, ‘बहन, अब कैसे जाओगी ?’

‘जैसे आई हूँ ।’

‘भगवान् इनका सत्यानाश करे ।’

‘मेरे मुख से एकाएक निकल गया, ‘भगवान् मर गया है ।’

‘नहीं, बहन, वह अब अवश्य अवतार लेगा । दुष्टों को मारने के लिए और साधुओं के कष्ट-निवारण के लिए अब अवश्य आवेगा ।’

‘लौटते समय अधिक कष्ट हुआ । कारण यह कि सामान का बोझ भी साथ था । जब मैं भूमि पर रेंगती हुई लौट रही थी तो मन में सोच रही थी, ‘इस अपमान, अन्याय और दुर्व्यवहार का बदला कैसे लूँगी ?’

कुछ दिनों बाद यथासमय राधा पैदा हुई और उधर तुम्हारे चाचा कां, जो दिल्ली में दूकान करते थे, मेरे कष्ट का पता चला । मार्शल-लाँ हट गया तो वे अमृतसर आये और बीस रुपया मासिक भेजने का वचन देकर चले गए । उनका लाख-लाख धन्यवाद है कि वे अभी तक सहायता भेज रहे हैं । परन्तु मैं तो केवल एक बात के लिए जीती हूँ और वह है अपने अपमान और अन्याय का बदला ।

‘मैं उस दिन का पचास गज रेंगकर जाना और आना भूल नहीं सकती । उस दिन की बात याद कर पूर्ण शरीर का रक्त सिर को चढ़ जाता है, और मैं उतावली हो उठती हूँ । मैं सोचती हूँ कि आखिर क्यों मुझे इतना अपमानित किया गया था ? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था ?

‘बेटा नरेन्द्र, यह अपमान मैंने तुम्हारे लिए सहन किया था और मैं इसका बदला लेने का भार तुम पर ही डालना चाहती हूँ। और तुममें बदला लेने की क्षमता पैदा करने के लिए मैं तुम्हें पढ़ने भेजती हूँ, तुम्हें अखाड़े में कुश्ती, फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए भेजती हूँ। इसके लिए ही मैं दिन-रात परिश्रम करती हूँ।’

“चाचाजी, यह है माँ का मुझे पढ़ाने का प्रयोजन और इसे मुझे पूर्ण करना है।”

नरेन्द्र के चाचा ने कहा था, “देखो, नरेन्द्र, ये बातें भूल जानी चाहिए। रोना-धोना औरतों के लिए है। यह तुम जैसे सुन्दर, जवान आदमी के मुख से शोभा नहीं देता।”

इसके उत्तर में ही नरेन्द्र कुमार ने वह बात कही थी जो हमने आरम्भ में लिखी है।

: २ :

नरेन्द्र के चाचा का नाम हरवंशलाल था और पिता का हरभजनलाल। इनका जन्म स्यालकोट पंजाब का था। अपने पिता के देहान्त के पश्चात् दोनों भाई स्यालकोट छोड़ आये थे। हरभजनलाल ने अमृतसर में बिसाती की दूकान कर ली। जब हरभजनलाल का विवाह हो गया तो हरवंशलाल काम-काज के लिए दिल्ली चला गया। यहाँ उसने बाइसिकलों की मरम्मत की दूकान खोल ली।

हरवंशलाल स्वभाव से मिलनसार और बातें करने में बहुत चतुर था। जिन-जिनके सम्पर्क में वह आया उनसे घनिष्ठता के दर्जे तक पहुँचने में उसे देर नहीं लगी। उसकी दूकान कश्मीरी गेट के अन्दर थी और वहाँ के थानेदार पण्डित रघुवरदयाल से उसका सम्बन्ध बन जाना एक साधारण-सी बात थी। शायद रघुवरदयाल उसके बहुत समीप न आता यदि हरवंशलाल का उसके घर आना-जाना आरम्भ न हो जाता। थानेदार का स्वभाव था कि अपनी बाइसिकल मरम्मत के लिए उसकी दूकान पर छोड़ जाता और कह जाता कि घर पहुँचा देना। हरवंशलाल बाइसिकल मरम्मत कर घर छोड़ने जाता तो पण्डितजी की स्त्री से सामना हो जाता। एक दिन पण्डित रघुवरदयाल की स्त्री ने पूछ ही लिया, “कहाँ के रहने वाले हो तुम ?”

“स्यालकोट के, बहन जी।”

“ओह ! मेरा मायका भी वहीं है। तुमने पण्डित शिवदयाल ज्योतिषी का नाम सुना है ?”

“जी, मेरे पिता के परिचित थे।”

“बे मेरे पिता हैं।”

“ओह ! तब तो आप मेरी वतन की बहन हुईं।”

इसके पश्चात् घर की आवश्यकताओं को लाने का बोझ हरवंशलाल पर पड़ने लगा। पं० रघुवरदयाल धीरे-धीरे उसे समीप का आदमी मानने लगे। थाने की बाइसिकलों का काम उसे मिलने लगा। लोगों ने जब हरवंशलाल और थानेदार की घनिष्ठता बढ़ती हुई देखी तो अपना परिचय पैदा करने के लिए उससे अपना काम और अधिक करवाना आरम्भ कर दिया। हरवंशलाल को कई मामलों में थानेदार से सिफारिश भी करनी पड़ती थी और उसकी सिफारिश का ढंग ऐसा होता था कि पण्डितजी को रियायत करनी ही पड़ जाती थी।

इस सबका परिणाम यह हुआ कि पहले तो चाँदनी चौक और सदर बाजार के थोक बाइसिकल वालों से उनका माल बिकवाने में उसकी कमीशन मुकर्रर हो गई और बाद में वह स्वयं नयी बाइसिकलें बेचने वाला बन गया। एक-दो साल में ही वह कलकत्ते से थोक माल खरीदकर लाने लगा था।

इस उन्नति का रहस्य हरवंशलाल का प्रसन्न-वदन और सत्य व्यवहार था। उसके हृदय और वाणी में अन्तर नहीं होता था। नगर-भर में यह विख्यात होता जा रहा था कि हरवंशलाल की दूकान पर सत्य व्यवहार होता है। लोग निधड़क वहाँ जाते और बिना भाव-ताव किये माल खरीदते थे और उन्हें इसके लिए पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता था।

हरवंशलाल और पं० रघुवरदयाल में मित्रता बढ़ाने वाली एक और घटना घटी। हरवंशलाल बाइसिकलें खरीदने कलकत्ते गया था। वह माल खरीद, रेल-गाड़ी में बुक कर जब वापस आने लगा तो रेल के स्टेशन पर उसने एक लड़की को, घबराये हुए, प्लेटफॉर्म पर घूमते देखा। वह स्वयं कालका-मेल में 'सेकण्ड-क्लास' की सीट रिजर्व करवा के बैठा था। उसने देखा कि वह लड़की प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जल्दी-जल्दी डिब्बों में झाँकती हुई कई चक्कर काट चुकी थी। एक-दो बार उसने उस डिब्बे के बाहर बँधे हुए 'रिजर्वेशन' कार्ड को आकर पढ़ा और फिर प्लेटफॉर्म पर आने के दरवाजे तक चली गई। लड़की बंगालिन थी। लम्बी, गोरी, सुन्दर रूप-रेखा वाली और खहर के कीमती कपड़े पहने हुए होने से हरवंशलाल के अतिरिक्त और लोगों के लिए भी आकर्षण बन रही थी।

गाड़ी चलने में एक मिनट रह गया था। सिगनल हो चुका था। वह लड़की गाड़ी के इंजन की ओर से आई और पुनः 'रिजर्वेशन कार्ड' पढ़ने लगी। इस बार हरवंशलाल से नहीं रहा गया। वह गाड़ी में खिड़की के पास बैठा था। उसने पूछ ही लिया, "आप किसको देख रही हैं?"

"मिस्टर सआदत हुसैन को।"

"हाँ, ये नम्बर तीन और पाँच की सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, मगर वे नहीं आये।"

“यह तो मैं भी देख रही हूँ। उनको अब तक तो आ जाना चाहिए था।”

“किसी काम से रह गए होंगे। मगर आप इतनी बेचैन क्यों हैं?”

“उनका टिकट मेरे पास है।”

“तो फिर क्या हुआ? टिकट वापस हो जायेगा।”

“हाँ। मगर ………।”

इस समय इंजन ने सीटी बजाई। इससे उस लड़की का रंग पीला पड़ गया। हरवंशलाल ने कहा, “मगर…से क्या मतलब?”

ज्यों-ज्यों गाड़ी के चलने का समय होता जाता था उसकी घबराहट बढ़ती जाती थी। रेल की सीटी सुन उसके मुख पर निराशा झलकने लगी थी। हरवंशलाल ने फिर पूछा, “क्या बात है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?”

“आप कहाँ जा रहे हैं?” उस लड़की ने घबराकर पूछा।

“दिल्ली।”

“हमें भी वहीं जाना था।”

“तो चलिये।”

“उनका टिकट?”

“तो न जाइये।” हरवंशलाल की मुस्कराहट निकल रही थी।

गाड़ी चल पड़ी। वह लड़की गाड़ी के हैण्डल को पकड़े साथ-साथ चल पड़ी। हरवंशलाल लड़की के मन में होने वाले द्वन्द्व-युद्ध को उसके व्यवहार में प्रत्यक्ष देख रहा था। “गाड़ी के साथ-साथ इस प्रकार चलना भयरहित नहीं,” हरवंशलाल ने उसको सचेत करने के लिए कहा, “दिल्ली चलना है तो अन्दर आ जाइये।”

वह लपककर गाड़ी पर सवार हो गई और दरवाजा खोल भीतर आकर खिड़की में झाँक पीछे छूटते हुए प्लेटफॉर्म की ओर तृपित नेत्रों से देखने लगी। हरवंशलाल को इस लड़की का व्यवहार आर्देने की भाँति स्पष्ट प्रतीत होता था। उसका अनुमान था कि यह कलकत्ते से जा रही है, शायद भागकर। परन्तु जिसके साथ वह जाना चाहती थी वह नहीं आया। इसके पास टिकट तो है पर और कोई सामान नहीं। शायद रूपये भी नहीं। यह हिन्दू प्रतीत होती है पर साथी का नाम बता रही है मुसलमान। किसी भले घर की प्रतीत होती है पर इसे छोड़ने कोई नहीं आया। मतलब यह कि अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से चोरी-छिपे जा रही है।

गाड़ी स्टेशन से बाहर निकल गई थी और स्टेशन के ‘यार्ड’ में खटखट करती लाइन बदलती चली जा रही थी। इसमें लड़की को कुछ हचिकर प्रतीत नहीं हुआ। वह पीछे हटकर सीट पर बैठ गई। हरवंशलाल ने उसकी ओर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि उसकी आँखें डबडबा आई हैं। इसने हरवंशलाल के मन में

उसके विषय में जानने के लिए और भी सचि उत्पन्न कर दी। उसने कहा, “आप रो रही हैं?”

इससे आँसू रुकने के बजाय बहने लगे। हरवंशलाल चुपचाप देखता रहा। लगभग आधा घण्टे में वह शान्त हुई। तब हरवंशलाल ने पूछा, “दिल्ली में आपके सम्बन्धी हैं?”

लड़की ने केवल एक लम्बा साँस ले लिया। कुछ देर ठहरकर हरवंशलाल ने कहा, “आगे तो बहुत सदी होगी और आपके पास गरम कपड़ा नहीं है।”

लड़की ने अब भी उत्तर नहीं दिया। इस डब्बे में और कोई नहीं था, इससे लड़की संकोच से सिकुड़ रही प्रतीत होती थी। अतएव उसके मन में विश्वास जमाने के लिए हरवंशलाल ने कहा, “आप डर रही हैं मानो मैं कोई हिंसक पशु हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप तकलीफ में हैं, इस पर भी आप नहीं बतातीं, ताकि आपकी कोई सहायता न कर दे।”

“आप क्या सहायता कर सकेंगे?”

“आप बतायें तो सही।”

“आप मिस्टर सआदत हुसैन को जानते हैं? वे भी दिल्ली के रहने वाले हैं।”

“नाम सुना है। बैरिस्टर हैं। कांग्रेस का काम करते हैं। उनकी सुरत भी देखी है, परन्तु परिचय नहीं है।”

“मैं उनके घर जाना चाहती हूँ।”

“बहुत मामूली बात है। आप मेरे साथ चलें। मैं घर का पता पूछकर आपको वहाँ पहुँचा दूँगा।”

“वे तो कलकत्ते में थे। इसी गाड़ी से दिल्ली जाने वाले थे। घर पर न जाने कोई होगा या नहीं।”

“बस! आप किसी परिचित के घर ठहर जाइयेगा और जब वे दिल्ली आ जावें उनके पास चली जाइयेगा।”

“मेरा दिल्ली में कोई परिचित नहीं है।”

“एक तो है। आप भूल कर रही हैं।”

“कौन?”

हरवंशलाल ने मुस्कराते हुए कहा, “मैं।”

“ओह! परन्तु आपसे मैं परिचित हूँ, अभी कैसे कह सकती हूँ?”

“क्यों?”

“मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं?”

“दखिये, एक बात आप जान गई है और वही सब कुछ है। मैंने अभी बताया है कि मैं आपकी सहायता करूँगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह कुछ

अधिक आवश्यक नहीं है। मैं किसका लड़का हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या काम करता हूँ इत्यादि जानकर भी आपको मेरे विषय में कुछ मालूम न होगा। जो बात परिचय में आवश्यक है, वह यह है कि मैं इन्सान हूँ और एक दूसरे इन्सान को तकलीफ़ में देखकर उससे हमदर्दी रखता हूँ।”

वह बंगाली लड़की समझ गई कि बातें करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं। फिर भी उमने कहा, “मान लें कि आपके विषय में मैं इतना मान लेती हूँ, परन्तु आप तो मेरे विषय में कुछ नहीं जानते। परिचय तो दोनों ओर से होना चाहिए न?”

“आपके विषय में मैं कुछ तो जानता हूँ। देखिए, आप एक हिन्दू लड़की हैं। आपके पिता कांग्रेस में काम करते हैं। वे धनी भी हैं। साथ ही आप घर से भाग कर एक मुसलमान के घर दिल्ली जा रही हैं। क्या यह परिचय पर्याप्त नहीं?”

“और इसमें आप सहायता कर रहे हैं?”

“मैं आपकी कठिनाई दूर करने में सहायता कर रहा हूँ। इसको दूर करने के कई ढंग हो सकते हैं।

“तो आप अपने ढंग से मेरी सहायता करेंगे?”

“आपकी अनुमति से। यदि मेरा सहायता करने का ढंग आपको पसन्द न हुआ तो आप मानेंगी थोड़े ही और फिर उससे लाभ ही क्या होगा? कठिनाई तो आपकी मिटानी है, न कि किसी और की?”

इस स्पष्टीकरण से लड़की गम्भीर विचार में पड़ गई। हरवंशलाल नहीं चाहता था कि व्यर्थ में अपने विचार उस पर लाद दे। उसका प्रयत्न यह था कि वह उस पर विश्वास करने लगे और वह समझता था कि इसमें उसे सफलता मिल रही है।

इन्हीं विचारी में बर्दवान आ गया। हरवंशलाल अपने स्थान से उठा, ऊपर की सीट से अपना होलडॉल उतारा और खोलकर उसमें से दो बिस्तर लगा दिये।

“यह दूसरा बिस्तर आप किसके लिए लगा रहे हैं?” उस लड़की ने पूछा।

“आपके लिए,” हरवंशलाल का उत्तर था। स्टेशन पर से दो व्यक्तियों के लिए खाना मँगवा लिया। जब खाना आया तो वह बोला, “खाइये।”

“मुझे भूख नहीं है।”

“वाह-वाह, यह भी कोई बात है। मैं देख तो रहा हूँ कि आप बेसरो-सामान हैं। जब गाड़ी कलकत्ते से चली थी तब तक खाने का समय नहीं हुआ था। क्या भूखे रहने से आपकी समस्या सुलझ जाएगी?”

“कौन-सी समस्या?”

“पहले खाना खा लीजिये तब बात होगी।”

लड़की ने देखा कि यह युवक जबरदस्ती उसके आन्तरिक विचारों तक पहुँचता चला जाता है। विवश वह उठी और खाने के थाल को दूसरी सीट पर रखकर खाने लगी। खाते हुए उसने कहा, “आपको बहुत कष्ट हो रहा है।”

“देखिये, खाना पेट में जाते ही बुद्धि ठिकाने आती प्रतीत होने लगी है। अब पेट भर खाइयेगा तो चिन्ता, निराशा, उत्साहहीनता और भीरुता सब दूर हो जायेंगी। तब ही आप अपनी समस्या को ठीक प्रकार समझकर सुलझा भी सकेंगी।”

“यह आप समस्या की क्या बात कर रहे हैं? मेरी कौन-सी समस्या है?”

“आप नहीं जानतीं? शायद समझती हैं कि मैं समझने की योग्यता नहीं रखता। देखिये, मैं बताता हूँ। मिस्टर सआदत हुसैन दिल्ली के कांग्रेसी नेता हैं। आजकल कलकत्ते में राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है। वे वहाँ अवश्य आये होंगे। आप किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की लड़की हैं। आपसे उनकी भेंट हुई है। आप उनसे प्रेम करने लगी हैं। शायद उनसे आपका गहरा सम्बन्ध हो गया है जिससे आपका अपने सम्बन्धियों से झगड़ा हो गया है। आपने मिस्टर सआदत हुसैन से भाग जाने का राय की है। दोनों ने इसी गाड़ी से जाने के लिए सीटें रिजर्व कराई हैं। आप घर वालों से लड़कर भाग आई हैं, परन्तु वे नहीं आये। आप घर जाने में लज्जा अनुभव कर रही थीं और डूबते को, मेरे रूप में, तिनके का सहारा मिल गया है। क्यों, ठीक है न?”

“तो?”

“तो क्या? यदि यह ठीक है तो प्रश्न जो आपसे सम्मुख होना चाहिए वह यह है कि सआदत हुसैन को ढूँढ़ा जाय और उनको, जो वचन उन्होंने आपसे किये होंगे, पूरा करने पर मजबूर किया जाय। यदि वे मान जायें तो आप उनसे विवाह कर लें और यदि वे न मानें तो फिर क्या किया जाय, यह सोचना पड़ेगा। क्या ये छोटी-मोटी समस्याएँ हैं?”

लड़की ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप खाना खाती रही। जब खाना समाप्त हो गया तो उसने थाल उठाकर एक ओर सीट के नीचे रख दिया ताकि अगले स्टेशन पर रैस्टोरेंट का नौकर आकर उठा ले जाये। हरवंशलाल ने भी वैसा ही किया। इसके पश्चात् हरवंशलाल एक किताब निकाल पढ़ने लगा। लड़की उस बिस्तर पर, जो उसके लिए लगाया गया था, जा बैठी और फिर गम्भीर विचार में पड़ गई। अगले स्टेशन पर नौकर आया, दाम वसूल कर, बर्तन उठा, चला गया। लड़की अभी भी कुछ सोच रही थी। हरवंशलाल ने एक पशमीने की चादर उसे दे रखी थी। उसने कहा, “ज्यों-ज्यों गाड़ी पश्चिम की ओर जायेगी, सर्दी बढ़ती जायेगी। यह चादर है, ओढ़कर सो जाइये।”

इतना कह वह स्वयं अपने बिस्तर की चादर ओढ़कर लेट गया। गाड़ी धड़ा-

घड़ पश्चिम को भागी जा रही थी। हरवंशलाल दिन-भर कलकत्ते में घूमता रहा था। इस कारण उसे नींद आ रही थी। बीच-बीच में जब नींद खुलती थी तो वह देखता था कि लड़की बैठी है, सोई नहीं। सर्दी बढ़ने पर लड़की ने वह पशमीने की चादर अपने शरीर पर लपेट ली थी।

पटना पहुँचकर हरवंश की नींद खुल गई। प्रातःकाल के चार बज गए थे। लड़की अभी भी बैठी थी। हरवंश ने पूछा, “सोई नहीं हैं आप?”

“सोने का यत्न तो किया पर नींद नहीं आई।”

“ऐसा प्रतीत होता है,” हरवंश ने उठकर बैठते हुए कहा, “कि अभी भी आप अपनी समस्या को सुलझा नहीं सकीं।”

“बात यह है कि सआदत हुसैन, जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, राजनीतिक सम्मेलन पर कलकत्ते आये थे। मेरे पिताजी के घर मेहमान के रूप में ठहरे थे। उनकी सेवा का भार मुझ पर ही था। वे तीन दिन हमारे घर रहे और इन तीन दिनों में उन्होंने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं सब प्रकार से उनकी हो गई। कल हमने निश्चय किया था कि इकट्ठे दिल्ली जायेंगे। मैंने दो टिकट खरीदकर सीटें रिजर्व करवा लीं। आज प्रातः वे हमारा घर छोड़कर चले गए। जाते समय नौकर को मेरे नाम की एक चिट्ठी दे गए। मैंने अपने पिताजी से कह दिया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। जब उन्होंने पूछा कि वहाँ क्या है तो मैंने बता दिया कि उनसे विवाह कर लूंगी। इससे वे क्रोध में आ गए। मैंने भी कह दिया कि मैं अब बालिग हूँ और जो चाहूँ कर सकती हूँ। इससे उन्होंने कह दिया कि मैं उनके घर से निकल जाऊँ। मैं निकल आई, परन्तु वे स्टेशन पर नहीं पहुँचे। आप मेरी निराशा और क्रोध का अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या कहूँ। आपका कहना सर्वथा सत्य है कि मुझे अभी तक कुछ भी सुझ नहीं रहा।”

“तो क्या मैं इसमें राय दे सकता हूँ?”

“आपकी इच्छा है।”

“ठीक है, मैं केवल सम्मति ही तो दे रहा हूँ। मानना, न मानना आपका काम है। देखिए, मेरी राय है कि दिल्ली पहुँचकर आप मेरे घर पर ठहरें। वहाँ से आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखें जिसमें उनसे क्षमा मागें और वापस उनके घर जाने की स्वीकृति माँग लें। मुझे पूर्ण आशा है कि वे आपको क्षमा कर देंगे।”

लड़की ने सिर हिलाकर इस तजवीज को अस्वीकार कर दिया। हरवंशलाल ने पूछा, “क्यों?”

“मैं घर से लड़-झगड़कर निकली हूँ। हम चौदह भाई-बहन हैं और सबके सम्मुख मुझे लज्जित किया गया है। मैं अब उनकी आँखों में वह मान नहीं पा सकती जो मुझे पहले प्राप्त था और इस प्रकार का अपमानित जीवन मुझे

पसन्द नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक मेरी इतनी वदनामी हो चुकी होगी कि मैं अब किसी अच्छे परिवार में विवाह की भी आशा नहीं कर सकती।”

“यदि आप कलकत्ता वापस नहीं जाना चाहतीं तब भी मेरी राय है कि आप अपने पिताजी से क्षमा माँग लें।”

“और उनको लिख दूँ कि जिसका भरोसा करके घर से निकली थी वह धोखा दे गया है और अब आवारागर्दी कर रही हूँ?”

“आवारागर्दी क्यों? आप दिल्ली में किसी और से विवाह कर लें। विवाह के लिए ही तो घर से निकली हैं न?”

“बिना प्रेम के ही विवाह कर लूँ? भला, यह भी कोई नौकरी है कि जहाँ मिली कर ली।”

“प्रेम करके देख लिया है न? उनसे तो इतना भी नहीं बन पड़ा कि स्टेशन पर कहला देते कि वे आ नहीं सकते।”

“तो क्या इसलिए ही, कि एक बार धोखा हुआ है, अब अँधेरे में किसी से जाकर लिपट जाऊँ?”

हरवंशलाल की हँसी निकल गई। वह बोला; “आँखें मूँदकर तो आप पहले लिपटी थीं। अब तो आपके पास समय है, धैर्य है और एक सलाहकार भी है। अब, भला, अँधेरे में लिपटने की बात थोड़े ही होगी।”

“तो और क्या होगी? आप मेरे लिए वर ढूँढ़ देंगे और मेरा विवाह कर देंगे। यही तो न?”

“देखिए, श्रीमती जी, जो कुछ आपने पहले किया है वह सर्वथा अंधे कुएँ में ईंट फेंकने की बात थी। आपने एक नवयुवक को देखा और उस पर लट्टू हो गई। आपने उसका क्या देखा था? और अब यदि मैं कोई लड़का ढूँढ़ूँगा तो उसके माता-पिता, भाई-बन्धु, उसका काम, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका अपना चरित्र, उसका स्वास्थ्य, उसके मित्रों का आचार-व्यवहार और फिर उसके अपने विचार, यह सब देखूँगा। आपको बताऊँगा। आप जो कुछ आपत्ति उठावेंगी उसके विषय में सोचूँगा। तब कहीं आपके विवाह की बात पक्की करूँगा। बताइये, यह अँधेरे में कूदना है या जो आपने किया था वह अँधेरे में कूदना है?”

लड़की फिर गम्भीर विचार में पड़ गई। दिन चढ़ने पर गाड़ी मुगलसराय पहुँच गई। वहाँ डिब्बे में कुछ और सवारियाँ आ गईं। इससे बातचीत का सिलसिला और आगे नहीं चल सका। वहाँ से दिल्ली पहुँचने तक हरवंशलाल और उस लड़की में इस विषय पर बातचीत नहीं हो सकी। उनको एकान्त नहीं मिला। गाड़ी रात के नौ बजे दिल्ली स्टेशन पर पहुँची। दोनों गाड़ी से उतर स्टेशन से बाहर निकल आये। बाहर निकलते समय लड़की ने पूछा, “अब?”

“आप मेरे घर चलती हैं न?”

“तो और कहीं जाऊँ? मैं तो घर से एक फूटी कौड़ी लेकर भी नहीं आई।”

“तो चलिये।”

“पर मैं तो आपका नाम तक भी नहीं जानती।”

“मेरे विषय में इतना कुछ जानने के पीछे क्या इसकी भी आवश्यकता है?”

दोनों टांगे में बैठ गए। लड़की ने फिर कहा, “आपने मेरा नाम भी तो नहीं पूछा?”

“इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी।”

“आप विचित्र आदमी हैं! आपका विवाह हुआ है या नहीं?”

“नहीं।”

“घर में कोई माँ-बहन इत्यादि स्त्री तो होंगी?”

“नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। रोटी बनाने को एक नोकर है।”

“तो?”

“तो क्या? आपको मुझसे डर लगता है?”

लड़की ने कहा, “लोग क्या कहेंगे?”

“तो आप, लोगों की सम्मति का, अपने माता-पिता, भाई-बहनों की सम्मति से अधिक विचार करती हैं?”

लड़की समझने लगी थी कि यह आदमी वास्तव में बहुत समझदार और चाले करने में चतुर है।

: :: :

हरवंशलाल इन दिनों दरियागंज में एक मकान में रहता था। यह उस बंगाली लड़की को वहाँ ले गया। मकान में तीन कमरे थे। एक में वह सोना करता था, एक बैठक बना रखी थी और तीसरा पूजा-घाठ के लिए नियत था। घर पर पहुँच उसने लड़की से कहा, “इनमें से जो कमरा पसन्द हो, अपने लिए चुन लें।” उसने पूजा का कमरा पसन्द किया।

इसके पश्चात् तीसरे दिन की बात है। लड़की ने सायंकाल का खाना खाते समय हरवंशलाल से कहा, “मैंने तो आपका नाम जान लिया है।”

“बहुत बहादुरी की बात की है। बधाई।”

“परन्तु आपको मेरा नाम अभी भी पता नहीं है।”

“इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। जरूरत होती तो पूछ लेता।”

हरवंशलाल की इस बेपरवाही से वह ऊब गई थी। उसने कुछ चिढ़कर कहा, “तो आप मेरे विषय में जानना आवश्यक नहीं समझते?”

“जानने की इच्छा तो कई बार हुई है, परन्तु जब तक आप स्वेच्छा से नहीं बतायेंगी, नहीं पूछूँगा।”

“मेरा नाम वीणा है।”

“बहुत सुन्दर नाम है।”

“मैं गाना भी जानती हूँ।”

“ओह ! तब तो अहोभाग्य हैं। कभी सुनने को तो मिलेगा।”

“मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ।”

“आपके होने वाले पति का सौभाग्य है।”

“कौन होगा वह ?”

“आप कहें तो एक नाम तजबीज कहूँ ?”

“पहले उसे दिखाइये। फिर उसके माता-पिता, भाई-बन्धु, रिश्तेदारों का परिचय दीजिये। उसकी आयु, उसका नाम, उसका चरित्र और विचारों का परिचय दीजिये, तभी तो बात होगी।”

“अब तो वीणा रानी समझदार हो गई हैं।”

“आपकी संगति का ही फल तो है।”

“तो सुनिये, उस लड़के के पिता स्यालकोट पंजाब में रहते थे। बहुत भले आदमी थे। उनका देहान्त हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। उस लड़के का एक भाई था। वह जलियांवाला बाग, अमृतसर के हत्याकाण्ड में मारा गया था। उसकी एक विधवा, एक लड़का और एक लड़की अमृतसर में हैं। वह लड़का स्वयं दिल्ली में बाइसिकल मरम्मत करने की दुकान खोलकर बैठा था और तरक्की करता-करता अब बाइसिकलों का सौदागर हो गया है। आगे उसका विचार मोटरकारों की एजेन्सी लेने का है। इस समय उसकी सम्पत्ति काफी है। मैट्रिक तक पढ़ा है, पर समझदार और चरित्रवान् है। आयु चौबीस वर्ष, रंग गोरा, शरीर मजबूत और बाजार में सत्य बोलने वाला मशहूर है। आपने उसे देखा है।”

वीणा हरवंशलाल के मुख पर देख रही थी। जब उसका कथन समाप्त हो चुका तो वह बोली, “उस लड़के का नाम हरवंशलाल है क्या ?”

“हाँ, उसे लोग इसी नाम से पुकारते हैं।”

“तो आप मुझसे विवाह करेंगे ?”

“इसमें हानि ही क्या है ?”

वीणा चुप रह गई। दोनों खाना खा रहे थे। दो-तीन ग्रास जल्दी-जल्दी मुख में ठूसकर वीणा चवाने लगी। हरवंशलाल विवाह का प्रस्ताव कर थाली की ओर देख रहा था। अब उसको साहस नहीं होता था कि वीणा की आँखों में देखे। अन्त में वीणा ने पूछा, “आप मुझ पर दया कर रहे हैं या मजाक ?”

“दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं अब विवाह करने की इच्छा करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं। वे पुलिस में थानेदार हैं। कल उन्होंने आपको मेरे साथ देखा था। आज मिले तो कहने लगे कि मैं आपसे विवाह कर लूँ। उनका अनुमान है कि आप

भले घर की लड़की हैं। धोखे में आकर घर से निकल आई हैं।”

“तो एक थानेदार ने मेरी सिफारिश की है ?”

“हाँ, मगर मैंने कहा था आप मेरी अतिथि हैं, इसलिए मैं यह प्रस्ताव कर अपने आतिथ्य को कलंकित नहीं करना चाहता। जब आपने पूछ ही लिया है तो मैंने बताना उचित समझा। परन्तु आप तो मेरे विषय में बहुत पूछगीछ करती रहती प्रतीत होती हैं।”

“हाँ, यों तो आप प्रत्येक प्रकार से योग्य हैं, इस पर भी मैंने अभी कुछ निर्णय नहीं किया। आपका पड़ोसी और आपका नौकर मुझे आपकी स्त्री ही समझते हैं और उनके ऐसा समझने ने मेरे मन में कई बार यह प्रश्न उत्पन्न किया है कि आखिर आपसे विवाह क्यों नहीं कर सकती, परन्तु मन नहीं माना। क्यों? मैं न जानती हूँ और न ही बता सकती हूँ।”

हरवंशलाल इससे कुछ फीका अवश्य पड़ गया, परन्तु वह इस सम्बन्ध में इतनी सुगमता से सफलता की आशा भी नहीं रखता था। इससे उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा, “ठीक है, मुझमें बहुत-सी त्रुटियाँ हैं। आप स्पष्ट रूप में न कहें यह आपकी कृपा है, परन्तु मैं जानता हूँ। खैर, छोड़िये इस बात को। संसार में विवाह ही एक काम नहीं है। वीसियों और काम हैं जो जीवन में करने को हैं।”

“ठीक, यही मैं सोच रही हूँ।”

बस, उस दिन बात यहीं समाप्त हो गई। पं० रघुवरदयाल की स्त्री वीणा को देखने आई और उसने उसे हरवंश के लिए योग्य पत्नी मान लिया। इसके पश्चात् कई दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। हरवंशलाल ने सआदत हुसैन का पता पूछकर वीणा को बता दिया। वीणा ने उसे एक पत्र लिखा। सआदत हुसैन उसे हरवंशलाल के घर मिलने आया। हरवंशलाल को मालूम नहीं हुआ कि उनमें परस्पर क्या बातचीत हुई, परन्तु इन बातों का परिणाम यह हुआ कि एक रात वीणा ने कह दिया, “मैं समझती हूँ कि मिस्टर सआदत हुसैन से मेरा सम्बन्ध एक भूल थी। मुझे उसका खेद है।”

“अब आपका क्या विचार है ?” हरवंशलाल ने पूछा।

“जब विवाह ही करना है तो आप किसी प्रकार से भी खराब आदमी नहीं हैं, परन्तु मैं तो अब यही विचार करती रहती हूँ कि विवाह कहीं या न करूँ।”

इसमें उत्तर देने को कुछ नहीं था। इस कारण हरवंशलाल चुप रहा। कुछ देर विचार कर वीणा ने कहा, “आपसे यदि विवाह हो जाये तो आप मेरा वह मान नहीं कर सकेंगे जो एक पुरुष को अपनी स्त्री का करना चाहिए।”

“मैं क्या कर सकूँगा या क्या नहीं कर सकूँगा, इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं। मैं तो यह देख रहा हूँ कि आप मेरा सदैव अपमान कर सकती हैं। जब आप

सआदत हुसैन से निराश हो जाती हैं तो यह समझने लगती हैं कि चलो मैं तो हूँ ही। जब भी चाहेंगी मैं विवाह के लिए तैयार हो जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि यह आपका भ्रम है।”

“तो आप नाराज हो गए हैं।”

“नहीं, मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि मेरे विषय में आज अन्तिम बात हो जाये। क्या आप मेरी स्त्री बनकर रह सकेंगी? नहीं, तो मैं आपको अपनी बहन घोषित कर दूँगा। यदि एक बार ऐसा विचार कर लिया तो फिर मेरे साथ विवाह की बात पाप हो जायेगी।”

“आप पुराने विचार के आदमी प्रतीत होते हैं?”

“हाँ, इस विषय में मैं अपनी पुरानी विचारधारा को ठीक समझता हूँ। आज-कल के उन युवकों की भाँति मैं यह नहीं कर सकता कि दिन में एक लड़की को बहन कहूँ और रात को विवाह का प्रस्ताव करूँ।”

“यदि मैं आपको कह दूँ कि मेरा आपसे विवाह नहीं हो सकता तो आप मुझे घर से निकाल देंगे?”

“नहीं, मेरी सहोदर बहन की भाँति आप मेरे घर में रहेंगी।”

“तो मैं आपसे विवाह करूँगी।”

“अच्छी बात है। परन्तु अब आप मेरी बीवी होकर पर-पुरुष के विषय में पति की धारणा नहीं रख सकतीं। ऐसा करना न तो हिन्दू आचार-व्यवहार के अनुकूल है और न ही मुझे पसन्द है। मैं भी वचन देता हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरी सब स्त्रियाँ मेरे लिए माता, बहन तथा लड़की के समान होंगी।”

वीणा मन में सोच रही थी कि कम-से-कम एक दृढ़ चरित्रवाला पति तो मिला है।

: ४ :

अगले दिन से विवाह की तैयारी होने लगी। पं० रघुवरदयाल ने तजवीज की कि वीणा अब उनके घर में चली जाये और विवाह तक वहीं रहे। विवाह की तैयारी शीघ्रता से की जाने लगी। विवाह का दिन निश्चित हो गया। हरवंशलाल ने अपनी भाभी को, जो अमृतसर में थी, चिट्ठी लिख दी। किन्तु एक दिन वीणा एकाएक पं० रघुवरदयाल के घर से चली गई और हरवंशलाल को उसकी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था—

“लाला जी, मुझे क्षमा करें। मुझसे भारी भूल हुई है। मैं अपने मन की बात गलत समझती रही। मैंने निश्चय से जान लिया है कि मेरा आपसे विवाह ठीक नहीं होगा। मैंने कल रात सआदत हुसैन से विवाह कर लिया है और मैं उसके घर चली गई हूँ। सबसे बड़ी बात, जिसने मुझे ऐसा करने को विवश किया है, वह मेरे जीवन का कार्य है, जो आपकी स्त्रियों के अनुकूल नहीं है और सआदत हुसैन

साहब के जीवन-कार्य से सर्वथा मिलता है। मैं राजनीतिक काम को अपना जीवन-कार्य बनाना चाहती हूँ। यह एक दूकानदार की स्त्री को शोभा नहीं देता। क्या मैं अब भी आपसे मेल-मुलाकात और मित्रता रख सकती हूँ? आपने मेरी बहुत सहायता की है, इसके लिए जन्म-भर आपकी अहसानमन्द रहूँगी।

आपकी,
वीणा”

हरवंशलाल को इससे अचम्भा भी हुआ और दुःख भी। इस पर भी उसने इसे अच्छा ही समझा। पं० रघुवरदयाल की स्त्री ने इस स्थिति को बहुत यत्न से सम्भाला। विवाह की निश्चित तिथि को हरवंशलाल का विवाह हो गया और इस अवसर पर हरवंशलाल ने वीणा और सआदत हुसैन को भी निमन्त्रण भेजा। इस निमन्त्रण को पढ़कर वीणा चकित रह गई। सआदत हुसैन ने कहा, “सम्भलना चाहिए। उस भले आदमी से सम्बन्ध रखने में लाभ ही होगा।”

विवाह के पश्चात् जब बहू को लेकर हरवंशलाल घर आया तो वीणा और सआदत हुसैन हरवंशलाल को बधाई देने आये। वीणा ने हरवंशलाल को अलग ले जाकर पूछा, “आप मुझसे नाराज हैं?”

“नहीं, मैं रुष्ट नहीं हूँ। किन्तु क्या आप खुश हैं?”

“नहीं?”

“अब क्या बात है, वीणादेवी जी? आप अपने मन-पसन्द का पति पा गई हैं, फिर नाराजगी की क्या बात है?”

“मैं आपके सम्मुख वर्णन नहीं कर सकती।” इसके पश्चात् वीणा ने बात बदल दी, “क्या मैं आपकी स्त्री को देख सकती हूँ?”

“क्यों नहीं। आपसे अधिक सुन्दर है।”

“आपने देखी है?”

“हाँ। अभी-अभी, पहली बार।”

“तो सुन्दर शरीर को देखकर प्रसन्न हैं?”

“शेष मेरे मित्र पं० रघुवरदयाल की स्त्री ने बताया है कि घर के काम-काज में बहुत चतुर है।”

“तो अच्छा नौकर मिल गया है! बीवी को बीवी और नौकर का नौकर।”

हरवंशलाल हँस पड़ा और कहने लगा, “केवल बीवी और नौकर ही नहीं प्रत्युत सुख-दुःख का साथी भी। इनका परिवार पक्का सनातन धर्मावलम्बी है।”

वीणा अनुभव कर रही थी कि हरवंशलाल उस पर कटाक्ष कर रहा है। वह भीतर चली गई और बहू के पास जा बैठी। लड़की भूषणों से लदी पड़ी थी। किलारी और जरी से जड़े कपड़े पहने थी। हाथों में हाथी-दाँत की चूड़ियाँ थीं और उनके आगे दो मोटे-मोटे सोने के कंगन थे। वीणा को आत्ता देख बहू ने आँखें

नीची कर लीं। वीणा ने ठुड्डी ऊपर उठाकर उसका मुख देखा और उसके मुख से भी निकल गया, “वास्तव में तुम सुन्दर हो।”

बहू का मुख लज्जा से लाल हो गया। वीणा ने कहा, “शरमा गई हो?”

बहू मुस्करा पड़ी। “देखो, मैं उनकी धर्म की बहन हूँ और तुम्हारे लिए भेंट लाई हूँ,” इतना कह वीणा ने अपने हैण्ड-बैग से हाथी-दाँत की अति सुन्दर माला निकालकर उसके गले में डाल दी।

माला को बहू ने देखा। उसे बहुत भली प्रतीत हुई और उसने वीणा को कहा, “धन्यवाद।”

“ओहो! तो तुम पढ़ी भी हो?”

सिर हिलाकर बहू ने स्वीकार कर लिया। वीणा ने पूछ, “कितनी कक्षा तक?”

“हिन्दी प्रभाकर, इंगलिश मैट्रिक।”

“वस?”

“वस।”

: ५ :

इस विवाह की घटना ने रघुवरदयाल और हरवंशलाल को बहुत समीप कर दिया था। दूसरी ओर वीणा का मान-मर्दन हुआ। हरवंशलाल के घर पहली सन्तान हुई और वीणा अभी भी निस्सन्तान थी। दूसरी सन्तान हुई और वीणा ज्यों-की-त्यों निस्सन्तान थी। यद्यपि वीणा और सआदत हुसैन देश के कार्य में व्यस्त रहकर इस सन्तान न होने की लूटि को मन में जमने नहीं देते थे, फिर भी यह कमी तो थी, और जब कभी वे सार्वजनिक कामों से छुट्टी पाकर सोने के समय अपने मकान को बच्चों के शोर-गुल से रहित पाते तो एकाएक गम्भीर हो सोचा भी करते थे।

हरवंशलाल का विवाह सन् १९२३ में हुआ था और जहाँ एक ओर दिन-प्रति-दिन रघुवरदयाल से उसकी मैत्री बढ़ती जा रही थी, वहाँ सआदत हुसैन और उसकी बीवी वीणा भी हरवंशलाल के परिवार के समीप आ रहे थे। एक समझदार पुलिस अफसर होने से रघुवरदयाल राष्ट्रीय संस्था के, जिसके सआदत हुसैन और वीणा एक उच्च कोटि के नेता थे, विषय में बहुत-सी बातें हरवंशलाल के घर से मालूम कर लिया करता था। वीणा बंगाली लड़की होने के कारण अपने पति से अधिक उग्र विचार वाली थी और उसके मस्तिष्क में पड्यन्त्र और चुपकर कार्य करने की बात भी रहती थी। वह धीरे-धीरे अपने विचार के लोगों को अपने आस-पास एकत्रित करती रहती थी। रघुवरदयाल ये सब बातें हरवंशलाल के घर से मालूम करता था और उनको, पुलिस के महकमे में, अपनी स्थिति को उन्नत करने में प्रयोग किया करता था। वह थानेदार से सुपरिण्टेण्डेण्ट-पुलिस और फिर

डिप्टी-इन्स्पेक्टर जनरल इन ही साधनों से बन गया था।

सन् १९४२ के वर्ष का आरम्भ था। नरेन्द्र की माता का देहान्त हुआ तो वह दिल्ली चला आया। अमृतसर में वह हिन्दू-सभा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त था। उसकी बहन राधा का विवाह लाहौर के एक वकील दीनानाथ ढींगरा से हो चुका था। माँ ने मरते समय नरेन्द्र को फिर याद दिलाया था कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसने कहा था, 'बेटा, मेरी कुहनियाँ और घुटनों के घाव अभी भी पीड़ा करते हैं।' नरेन्द्र इसका अर्थ समझता था। उसने उत्तर में कहा था, 'माँ, विश्वास रखो, इस अपमान का बदला लेना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरी सब आवश्यकताएँ इस प्रतिकार से दूसरे दर्जे पर रहेंगी।'।

जब नरेन्द्र दिल्ली में आया तो कॉलेज की नौकरी छोड़कर आया था। यहाँ वह स्वाध्याय और देश की परिस्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने में लग गया। उसका स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और जिस किसी के भी सम्पर्क में वह आता था उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। हरवंशलाल के वक्चों में तो वह बिलकुल हिलमिल गया था। हरवंशलाल की लड़की कमला तो उससे बहुत ही स्नेह करने लगी थी।

रघुवरदयाल इस समय डिप्टी-इन्स्पेक्टर जनरल की पदवी पर नियुक्त था। वह अभी भी हरवंशलाल के घर आता-जाता था। वह भी नरेन्द्र को देख उसकी रूप-रेखा, प्रतिभा और मस्तक पर के ओज से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उसने हरवंशलाल से लड़के का परिचय प्राप्त कर एक दिन कह ही दिया, "भाई हरवंशलाल, यह लड़का मेरा रहा। मनोरमा अब विवाहने योग्य हो गई है, और मैं समझता हूँ कि यह लड़का सब प्रकार से उसके योग्य है।"

हरवंशलाल डिप्टी साहब के विचार मुन बहून प्रमन्न था। डिप्टी साहब के चले जाने के पश्चात् हरवंशलाल ने नरेन्द्र को कोठी के ड्राइंग-रूम में बुलाकर वह बातचीत की थी जो हम प्रथम अध्याय में लिख आये हैं। उस वार्तालाप के अंत में नरेन्द्र ने अपने चाचा से कहा था, 'चाचा जी, मुझे अभी विवाह नहीं करना है।'

दूसरे दिन हरवंशलाल डिप्टी साहब के बंगले पर गया तो नरेन्द्र के विषय में बातचीत आरम्भ हो गई। हरवंशलाल नरेन्द्र की सब बातें बताना नहीं चाहता था, इस कारण उसने केवल यह कह दिया, "नरेन्द्र अभी विवाह नहीं करना चाहता।"

"मैं भी यही चाहता हूँ। मैं अभी उसे पुलिस में भरती करवा दूँगा। वह वहाँ ट्रेनिंग लेकर एक वर्ष में कहीं इन्स्पेक्टर लग जायेगा। तब तक उसकी माता की वर्षी भी हो जायेगी। पश्चात् विवाह हो जायेगा। अभी तो केवल सगाई हो जानी चाहिए।"

"वह तो कहता है कि विवाह करेगा ही नहीं।"

“लाला हरवंशलाल, तुम बहुत ही भोले आदमी हो। लड़के-लड़कियाँ तो सदा ऐसे ही कहा करते हैं।”

“मेरा उस पर दबाव नहीं है।”

“छोड़ो जी। दबाव की क्या आवश्यकता है? तुमको तो हमारी लड़की स्वीकार है न? शेष मैं सब निपट लूँगा।”

“मुझे तो मनोरमा बहुत प्यारी लगती है, और फिर मेरी गोदी में खेली है। परन्तु मानने की बात तो नरेन्द्र की है।”

“भाई, उसे मैं मना लूँगा। देखो, कल मनोरमा और उसकी माँ नरेन्द्र को देखने आवेंगी। विनय की माँ को कहकर परस्पर भेंट करा देना। उसे अभी बताना नहीं कि यह लड़की कौन है। बाद में मैं समझ लूँगा।”

अगले दिन नरेन्द्र अपने कमरे में बैठा किसी पुस्तक से टिप्पणियाँ लिख रहा था। इस समय उसकी चाची, मनोरमा, मनोरमा की माँ और हरवंशलाल की लड़की कमला उसके कमरे में चले आये। नरेन्द्र उनको आया देख कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर नमस्ते कहने लगा। नरेन्द्र की चाची ने कहा, “बैठो, बेटा, ये लोग कोठी देखना चाहते थे। मैंने कहा चलो दिखा लाऊँ। तुम अपना काम करो।”

इतना कहकर उसने मनोरमा की माँ को कहना आरम्भ कर दिया, “यह मेरी जेठानी का लड़का है। बेचारी को सात दिन ही ज्वर आया और चल बसी। नरेन्द्र बहुत ही सीधा लड़का है। सिवाय पढ़ने-लिखने के और कुछ काम ही नहीं। एम० ए० की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया था। नौकरी तो इसे पास करते ही मिल गई थी, परन्तु इने पसन्द ही नहीं आई। छोड़-छाड़ यहाँ चला आया है।”

मनोरमा की माँ ने कहा, “कालिज की नौकरी में डेढ़ सौ ही तो मिला होगा, और फिर ऊपर से कुछ आमदनी नहीं। इतना पढ़ने के बाद तो यह कुछ भी नहीं।”

जब दोनों बातें कर रही थीं, मनोरमा और कमला वह पुस्तक देखने लगीं, जिसमें से नरेन्द्र नोट लिख रहा था। पुस्तक थी ‘रूस की क्रांति’ ट्राट्स्की की लिखी हुई थी। मनोरमा ने भी बी० ए० में इतिहास लिया था। वह पुस्तक को उठाकर रुचि से देखने लगी। नरेन्द्र मनोरमा की ओर देखने लगा। वह सोच रहा था, कि ये लोग यहाँ क्यों आ टपके हैं। उसका समय व्यर्थ जा रहा था।

मनोरमा ने नरेन्द्र को अपनी ओर देखते हुए देख लिया तो उसने बात आरम्भ कर दी, “यह आप कोई शोधपत्र लिख रहे हैं?”

नरेन्द्र को शिष्टाचार के नाते उत्तर देना पड़ा, “नहीं, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। इस पुस्तक का विषय है, सफल क्रांति के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करना।”

“बहुत लम्बा नाम है।” मनोरमा ने कहा।

“यह नाम नहीं, यह तो पुस्तक का विषय है। नाम तो होगा ‘सफल क्रांतियाँ।’”

“आपने विषय बेढब चुना है।”

“यह मेरा प्यारा विषय है।”

“क्रांति के नाम से नर-रक्त की बू आती है।”

“आप क्रांति से डरती क्यों हैं? यह तो प्रकृति का प्रवाह है। इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसे नियम-बद्ध कर सकते हैं जिससे कम-से-कम नर-हत्या हो।”

“क्या क्रांति के स्थान पर विकास अच्छा नहीं?”

“हम लोग जो उन्नति की इच्छा करते हैं विकास का विरोध नहीं करते। विरोध तो वे करते हैं जो उन्नति अर्थात् परिवर्तन नहीं चाहते। क्रांति स्वाभाविक विकास के विरोध का सीधा परिणाम होती है।”

“आपने एम० ए० इतिहास में किया है?”

“जी हाँ।”

“मैंने भी बी० ए० की परीक्षा में इतिहास लिया था।”

“तब तो आप मेरी बात भलीभाँति समझ सकेंगी। मैं इतिहास पढ़ने से इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब कोई व्यक्ति अथवा जाति उस पदवी पर पहुँच जाती है जिसके वह योग्य नहीं थी अथवा नहीं रही और वह व्यक्ति अथवा जाति हठ करके उस पदवी को छोड़ना नहीं चाहती तो क्रांति की आवश्यकता होती है।”

“जिम्मेने जो पदवी योग्यता से प्राप्त की है वह उसके योग्य क्यों नहीं रहती?”

“परिस्थिति, समय और काल के बदलने से अथवा अधिक योग्य व्यक्ति के क्षेत्र में आ जाने से।”

“अपनी पदवी छोड़ने में सबको दुःख होता है।”

“व्यक्तिगत अवस्था में तो मृत्यु क्रांति का स्थान लेती है, परन्तु एक जाति की अवस्था में या तो उसे अपने में पुनर्जीवन का संचार करना होता है और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो क्रांति उसे पदच्युत करने के लिए आ जाती है।”

“आपके विचार युक्तियुक्त तो हैं। क्रांति-सम्बन्धी आपके पास कोई और पुस्तक है?”

“हाँ, आप पढ़ेंगी?”

“यदि आप दें तो।”

नरेन्द्र ने अलमारी खोल उसमें से एक पुस्तक निकालकर कहा, “इसे पढ़िये।” पुस्तक का नाम था ‘मनुष्य के विकास में क्रांति का स्थान’। मनोरमा ने पुस्तक

लेते हुए कहा, “धन्यवाद। कब तक लौटा दूँ?”

“जब पढ़ लो। मेरे पास बहुत रुपये नहीं, अन्यथा यह आपको भेंट कर देता।”

“भेंट की कुछ आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं आकर दे जाऊँगी।”

भेंट करने की बात मनोरमा की माता ने सुन ली। वह हँस पड़ी। इसके पश्चात् नरेन्द्र की चाची मनोरमा इत्यादि को लेकर चली गई।

: ६ :

मनोरमा कई बार पुस्तक लौटाने और कोई दूसरी पुस्तक लेने आई। प्रत्येक बार वह नरेन्द्र से मिलती और उससे बातें करती थी। नरेन्द्र ने उससे कभी भी उसका नाम तथा परिचय नहीं पूछा था। वह तो उसे केवल कमला की एक सहेली-मात्र समझता था।

मनोरमा को विदित था कि उसके पिता नरेन्द्र से उसका विवाह करना चाहते हैं। पहले ही दिन जब वह नरेन्द्र से मिलकर गई थी तो उसकी माँ ने पूछा, “क्या बातें कर रही थीं उससे?”

“वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने उसके विषय में पूछा था।”

माँ ने कह दिया, “तुम्हारे पिता उससे तुम्हारे विवाह का विचार कर रहे हैं। तुम क्या समझती हो?”

मनोरमा का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसकी आँखें नीचे झुक गईं। माँ ने कुछ और विस्तार से कह दिया, “कमला के ताऊ का लड़का है। उसके पिता की मृत्यु जलियांवाले बाग के हत्याकाण्ड में हुई थी। तब वह दो वर्ष का था। उसकी माँ ने भारी परिश्रम से उसे पाल-पोसकर बड़ा किया है और ए० ए० तक पढ़ाया है। उसकी एक बहन भी है, जिसका विवाह लाहौर में हो चुका है। वैसे तो वह गरीब लड़का है, परन्तु तुम्हारे पिता का विचार है कि उसका उन्नत मस्तक देख यह कहना कठिन नहीं कि एक दिन वह उच्च पदवीधारी बनेगा। देखने में भी अच्छा, सुन्दर प्रतीत होता है।”

माँ जब कह चुकी और मनोरमा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी तो वह चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। जब यह वृत्तान्त मनोरमा की माँ ने डिप्टी साहब से कहा तो वे बोले, “इससे तो यही समझ में आता है कि उसे यह सम्बन्ध पसन्द है।”

दूसरे-तीसरे दिन मनोरमा कमला से मिलने आती तो कोई-न-कोई बहाना निकाल नरेन्द्र से मिल लेती। कभी-कभी वे परस्पर घंटों ही बातें करते रहते थे। उनके वार्तालाप का विषय सदैव राजनीतिक होता था। मनोरमा स्वयं कभी अपने विवाह के विषय में कह नहीं सकी और नरेन्द्र को विवाह के विषय में सोचने का अवकाश ही नहीं था। उसे तो जीवन में केवल एक ही कार्य था और वह था अपनी माँ के अपमान का बदला लेना।

जब उसकी माँ ने उसे अपने साथ हुए अन्याय और अपमान की कहानी बताई थी तो वह आयु में अभी सोलह वर्ष का था। उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई थी। वह समझता था कि किसी एक गोरे सिपाही को मार डालने से उसकी माँ का बदला चुक जायेगा। परन्तु आयु बढ़ने से और ज्ञान-वृद्धि से उसे यह समझ में आने लगा था कि वह अपमान न तो किसी एक व्यक्ति ने किया है और न ही किसी एक व्यक्ति पर किया गया है। उसे करने वाली सारी अंग्रेज जाति है और उससे सारे हिन्दुस्तान में बसने वाली स्त्री जाति का अपमान हुआ है। इसका बदला किसी एक-आध अंग्रेज की हत्या से नहीं चुक सकता। इसके लिए तो सारी अंग्रेज जाति दोषी है और सारी जाति को ही दंड मिलना चाहिए।

जब उसने सन् १९१९ के पंजाब में मार्शल-लाँ का इतिहास पढ़ा तो उसकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई। जब उसने यह पढ़ा कि डायर को पेन्शन देकर विलायत भेजने के पश्चात् विलायत के अंग्रेजों ने उसे एक लाख पौण्ड की थैली भेंट की थी तो वह सोचता था कि यह कार्य किस तरह ब्रिटिश सरकार ने सहन किया था। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार ने डायर और मार्शल-लाँ के अफसरों के कारनामों को पसन्द किया था ?

ऐसी अवस्था में वह इस निश्चय पर पहुँचने को विवश हो गया था कि सारी ब्रिटिश जाति उसकी माँ पर किए गए अन्याय के पाप की भागी है। वह अपने को सारी अंग्रेज जाति का शत्रु समझता था।

जब कभी वह राष्ट्रीय संस्था के नेताओं को अथवा दूसरे हिन्दुस्तानियों को कुछ अंग्रेज राजनीतिज्ञों की प्रशंसा करते सुनता था तो उसके मन में उनके लिए भी घृणा उत्पन्न हो जाती थी। वह समझता था कि यह बात सत्य से दूर है।

ऐसे ही भाव वह अपने वार्तालाप में मनोरमा के कानों में डालता रहता था। उसने मनोरमा के एक प्रश्न के उत्तर में अपने जीवन का ध्येय बता दिया। उसने कहा, “इस जाति को इसके इस प्रभुत्व से गिराकर बहुत ही साधारण अवस्था पर पहुँचने के यत्न में जीवन व्यय करना चाहता हूँ।”

“मरुभूमि में वर्षा की एक बूँद की भाँति आपके जीवन का परिणाम होगा। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत विस्तृत है। आप जैसे लाखों के विरोध करने पर भी यह टस से मस नहीं होगा।”

“मैं अपना पूर्ण बल लगा दूँगा।”

“कुछ लाभ नहीं होगा।”

“मुझे इसकी चिन्ता नहीं।”

“आप अपना जीवन व्यर्थ खो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप जैसी प्रतिभा रखने वाले के लिए भविष्य अपने गर्भ में बहुत कुछ रखे हुए है। आप जिस किसी भी महकमे में चले जायें, आपके लिए वहीं मानयुक्त स्थान हो जायेगा।”

“मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी।”

डिप्टी साहब मनोरमा का नरेन्द्र के साथ मेल-मिलाप बढ़ता देख बहुत प्रसन्न थे और अपने मन में नरेन्द्र के लिए काम-धंधा सोच रहे थे। कभी तो उनका विचार होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी दफ्तर में उसे भरती करवा दें। कभी पुलिस में भरती करवाने का विचार भी होता था। जब वे किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँच सके तो उन्होंने अपने अफसर पुलिस-कमिश्नर से राय की। उसने कहा, “एक गरीब आदमी के लिए दुनिया में सबसे पहला काम अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए जेल के दारोगा का काम बहुत बढ़िया है। एक बार पंजाब के एक वज़ीर ने भरी काँसिल में कहा था कि वह जेल के दारोगा के पद के लिए बजारत छोड़ने को तैयार है।”

डिप्टी साहब ने खुशामद का भाव दिखाते हुए कहा, “हुजूर, उसके लिए मेरी सहायता कीजिये।”

“वह लड़का तुम्हारा क्या लगता है?”

“मेरा होने वाला दामाद है।”

“बेरी वैंल ! मैं पूरी कोशिश करूँगा। तुम उससे एक प्रार्थना-पत्र लिखवाकर मुझे देना। यह प्रार्थना-पत्र चीफ सेक्रेटरी, पंजाब गवर्नमेंट के नाम चाहिए।”

उसी रात डिप्टी साहब ने मनोरमा को कहा कि नरेन्द्र से ऐसा प्रार्थना-पत्र लिखवा लाए। मनोरमा का उत्तर था, “पिताजी, मुझसे यह नहीं हो सकेगा।”

“क्यों?”

“वे मुझसे कहते हैं कि नौकरी नहीं करेंगे।”

“तो खाना-पीना कैसे होगा? जेब में रुपया होता तो कोई व्यापार ही करवा देता।”

“वे ऐसी कोई बात करना नहीं चाहते।”

“तो किसी मुकाबले की परीक्षा की तैयारी कर रहा है?”

“नहीं, पिताजी।”

“तो वह क्या करना चाहता है?”

“वे तो देश में क्रांति पैदा करना जीवन का लक्ष्य समझते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।”

“क्रांति?” बहुत ही अचम्भे में डिप्टी साहब ने पूछा। वे आँखें फाड़-फाड़कर लड़की को सिर से पाँव तक देखने लगे, “और तुम उसके साथ इस विषय की बातें करती रहती हो?”

“उनको तो किसी अन्य विषय में रुचि ही नहीं। मैं जब भी किसी विषय पर बात करती हूँ तो घुमा-फिराकर कुछ ही काल में क्रान्ति की बातें होने लगती हैं। उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात का प्रवाह क्रान्ति की ओर ही जाता है।”

डिप्टी साहब इस बात से गम्भीर विचार में पड़ गए।

: ७ :

दूसरे ही दिन डिप्टी साहब स्वयं ही हरवंशलाल की कोठी में नरेन्द्र से बात करने जा पहुँचे। नरेन्द्र से लालाजी ने डिप्टी साहब का परिचय कराया, “आप हैं राय साहब रघुवरदयाल, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप मेरे परम मित्र हैं। यहाँ दिल्ली में इनका भारी रसूख है। सन् १९३०-३२ के आन्दोलन में आपने सरकार की जी-जान से सेवा की थी। इस कारण आपको यह पदवी, जो कभी ही किसी हिन्दुस्तानी को दी जाती है, मिली है। इसके अतिरिक्त जिला मिण्टगुमरी में आपको पाँच मुर्खे भूमि मिली है। बड़े-बड़े अफसरों से आपकी मेल-मुलाकात है।”

इतना लम्बा परिचय कराने में हरवंशलाल का विशेष प्रयोजन था। परन्तु नरेन्द्र पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब हरवंशलाल अपने भतीजे का परिचय कराने लगा तो वह बीच में ही बोल उठा, “मैं स्वयं ही निवेदन कर देता हूँ। मेरा नाम नरेन्द्रकुमार है। मैं आपका भतीजा हूँ। मेरे पिता जलियांवाला बाग में डायर के सिपाहियों की गोलियों से मारे गए लोगों में से एक थे। मेरी माँ को, जब वह पेट में नौ मास का बच्चा लिये हुए थी, अंग्रेज सिपाहियों ने बाजार में रेंगने पर विवश किया था। किन्तु बाद में मेरे पिता के मारे जाने के प्रतिशोध में मेरी माँ को दयालु सरकार ने आठ सौ रुपया देना चाहा था जो मेरी मूर्ख माँ ने अस्वीकार कर दिया।.....”

हरवंशलाल नरेन्द्र को इस प्रकार अपना परिचय देते देख घबरा उठा। वह बीच में ही बात काटकर कहने लगा, “क्या बच्चों की-सी बातें करते हो, नरेन्द्र? जानते हो, किनमें बातें कर रहे हो?”

“चाचा जी, आपने बताया है न कि आपके परम मित्र हैं। इन्हें अपने मन के भाव और भावनायें बताने में क्या हानि है? आप अपने मित्र के भतीजे से दगा थोड़े ही करेंगे? हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरी माँ ने सरकार से अपने पति का दाम आठ सौ स्वीकार नहीं किया। चाचाजी की दयालुता का, वह और मैं, आभारी रहे हैं और हैं। आप अब तक हमारा तीस रुपया मासिक बर्जीफा लगाये हुए हैं। परन्तु आप समझ सकते हैं कि इतने रुपये में घर का खर्च और मेरी एम० ए० तक पढ़ाई हो नहीं सकती थी। इसके लिए माँ को दिन-रात लोगों के कपड़े सीने का काम करना पड़ता था। मैंने कुश्ती लड़नी सीखी है। मैं पहले दर्जे का ‘जिमनास्ट’ हूँ और क्लिज की हार्की और फुटबॉल की ‘फ्रस्ट टीम’ का सदस्य था। मेरे पास इन सब बातों में मानयुक्त भाग लेने के वीरसियों तमगे भी हैं। एक ‘फ्रस्ट-क्लास’ खिलाड़ी के खाने-पीने का, उसकी एम० ए० तक की पढ़ाई और दिन-प्रतिदिन नयी-नयी पुस्तकों के खरीदने का खर्च मुश्किल से चलता था। परिणाम

यह है कि मेरे पाम एक पाई की सम्पत्ति भी नहीं है। अभी भी चाचाजी के वजीफे की आवश्यकता बनी हुई है।”

डिप्टी साहब, जो लड़के के मनोद्गारों को बहुत ध्यान देकर सुन रहे थे, कहने लगे, “बेटा नरेन्द्र, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।”

“आपने बहुत कृपा की है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ।”

“बेटा, आज दुनिया में धन एक बहुत प्रबल शक्ति है। बिना धन के देवता भी गधा बना रहता है और रुपये के बल पर मूर्ख-गँवार भी बुद्धिमान और सम्भ्य माना जाता है। मैं तुम्हें यह राय देने आया हूँ कि माँ बेचारी ने तो इतना परिश्रम कर तुम्हें पढ़ा-लिखाकर योग्य किया है, अब तुम इस योग्यता का उपयोग कर धन पैदा करो और उस देवी का नाम उज्ज्वल करो।”

“आप ठीक कहते हैं। मैं दिन-रात इसी सोच में लगा रहता हूँ कि किस प्रकार लक्ष्मीतुल्य अपनी माँ का नाम उज्ज्वल करूँ। इसके लिए मैं योजना बना रहा हूँ। इस योजना में अभी बहुत न्यूनताएँ हैं और मैं उनको पूरा करने में लगा हुआ हूँ।”

“जरा हमें भी तो बताओ कि वह योजना क्या है? शायद हम भी उसमें सहायता कर सकें।”

“मैं समझता हूँ कि आप उसमें सहायता नहीं कर सकते। यह काम तो मेरे करने का ही है।”

“देखो, नरेन्द्र, एक योजना मैंने भी बनाई है। मैंने कमिश्नर-पुलिस से तुम्हारे विषय में बातचीत की है। उन्होंने अति दया कर मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक प्रार्थना-पत्र लिखवाकर उन्हें दे दूँ। उनका विचार है कि तुम्हारे लिए जेल के दारोगा का स्थान सर्वोत्तम रहेगा। लाखों रुपये कमाने वाली जगह है।”

नरेन्द्र जेल का दारोगा बनने की बात सुन हँस पड़ा और बोला, “यदि किसी ने मुझे यह पद दे दिया तो मेरा पहला काम यह होगा कि जेल का फाटक खोल दूँ और सब कैदियों को स्वतन्त्र कर दूँ।”

“क्यों?”

“मुझे सरकार की कचहरियों में दोषी सिद्ध हुए लोगों के दोषी होने में विश्वास नहीं रहा। इन कचहरियों में अभियुक्त का दोषी अथवा निर्दोष होना सिद्ध नहीं होता, अपितु यह निर्णय होता है कि उनका वकील कितना योग्य और मेहनती है। जिस गरीब के पास किसी अच्छे वकील को खरीदने के लिए धन नहीं उसे अपने को दोषी मान ही लेना पड़ता है और वह दण्ड पाता ही है।”

“यह ठीक है। फिर भी जेलों में नित्यानवे प्रतिशत दोषी होते हैं।”

“यह आपका विचार है न। आप तो लोगों को जेल भेजने वाली संस्था के सदस्य हैं। आपके कथन को पक्षपातरहित नहीं माना जा सकता। जब तक

न्यायालयों में न्याय सस्ता और सुलभ नहीं हो जाता, जब तक पेशेवर वकीलों से इन्हें मुक्त नहीं कर दिया जाता, जब तक मैजिस्ट्रेट महकमा-पुलिस से स्वतन्त्र नहीं हो जाते, जब तक कचहरियों के कर्मचारियों की उन्नति तथा नियुक्ति महकमा-पुलिस की सिफारिश से मुक्त नहीं हो जाती और जब तक खुफिया-पुलिस साधारण पुलिस से पृथक् नहीं कर दी जाती तब तक न्यायालयों में न्याय होता है, ऐसा मानने को जी नहीं चाहता।”

“देखो, नरेन्द्र, मैं तुम्हारे भविष्य में भारी दिलचस्पी रखता हूँ और मैं तुम्हें सच्चे हृदय से कहता हूँ कि ये राजनीति की बातें गरीबों के लिए नहीं हैं। ये धनी लोगों के मनोरंजन की बातें हैं। तुम जैसे गरीबों को तो राजपदवी मिल नहीं सकती। ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें खाने-पहनने को देते हैं। परन्तु यह कब तक होगा? आखिर तुम्हें अपनी टांगों पर खड़ा होना पड़ेगा। इस संसार में बातों से कुछ नहीं बनता। हाथ-पाँव हिलाने ही पड़ेंगे।”

“यह बात तो मैं आपकी मानता हूँ। मैं शीघ्र ही दूसरों पर से अपना बोझ उठाने की चिन्ता में हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह संकेत मैं भूलूँगा नहीं।”

“इसी बात में तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मनोरमा को तो तुम जानते ही हो। वह मेरी लड़की है।”

“मनोरमा आपकी लड़की है!” नरेन्द्र ने विस्मय से कहा। “मुझे उसने कभी बताया नहीं, परन्तु मैंने कभी पूछा भी तो नहीं। हाँ, एक बात है। उसका मेरे सम्पर्क में आना अच्छा नहीं हुआ। एक पुलिस अफसर की लड़की मेरे जैसे विचारों वाले की संगति में कुछ अच्छी नहीं लगती।”

“तुम उसे कैसी समझते हो?”

“मनोरमा को? वह बहुत ही समझदार और चतुर लड़की है।”

“तुम्हें वह पसन्द है?”

“यदि वह लड़की न होकर लड़का होती तो हम दोनों अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह चला सकते। मुझे उस जैसा योग्य साथी कहीं मिल नहीं रहा।”

“लड़की से अब वह लड़का बन नहीं सकती,” डिप्टी साहब ने हँसते हुए कहा, “और फिर लड़की होने से तुम्हारे बहुत ही समीप हो सकती है। तुम्हारी पत्नी बन सकती है। यदि लड़का होती तो तुम्हारे इतने समीप कैसे हो सकती थी?”

“आपका अतीव धन्यवाद है, परन्तु मुझे विवाह नहीं करना है। यदि वह मेरे पास इसलिए आती है कि मुझसे विवाह करेगी, तो वह भूल कर रही है।”

“क्यों?”

“मैं आपका दामाद बनने के योग्य नहीं हूँ। मेरे और आपके विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर है, और फिर मुझे विवाह करना ही नहीं।”

इतना कह नरेन्द्र अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़, नमस्ते कह,

पूछने लगा, “क्या मैं अब जा सकता हूँ?”

डिप्टी रघुवरदयाल और हरवंशलाल अवाक् मुख देखते रह गए। जब उन दोनों ने कुछ नहीं कहा तो वह ड्राइंग-रूम से बाहर निकल अपने कमरे में चला गया।

डिप्टी साहब के मुख पर दुःख और चिन्ता की रेखाएँ दिखाई देने लगी थीं। अपने स्थान से उठते हुए वे कहने लगे, “मैंने अपने जीवन में पहली भूल की है जो इस छोकरे पर मन रिझाया है। लाला हरवंशलाल, मैं आपको भी सचेत कर देना चाहता हूँ कि यह लड़का फाँसी के तख्ते पर लटकेगा। ऐसा न हो कि आपको भी विपत्ति में डाल दे।” इतना कह डिप्टी साहब सिर झुकाये, नमस्कार किये बिना ही, कोठी से बाहर निकल गए, जैसे कोई प्लेग से दूषित स्थान से भाग खड़ा होता है।

: ८ :

डिप्टी साहब और अपने चाचा को ड्राइंग-रूम में छोड़, नरेन्द्र अपने कमरे में चला आया। वह चाचा का आश्रय छोड़ने के विषय में विचार करने लगा था। यद्यपि उसके चाचा ने कुछ नहीं कहा था, परन्तु डिप्टी साहब का कहना, कि उसे चाचा के आश्रय पर अधिक काल तक नहीं रहना चाहिए, उसके मन लगा था। वह इस घर को छोड़ देने पर विचार करने लगा था। सबसे जटिल प्रश्न निर्वाह का था। उसके पास अपना तो एक पैसा भी नहीं था और कार्य, जो उसने अपने सिर पर लिया था, हिमालय पर्वत से भी अधिक भारी था। वह ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों में तेल देने का एक वृहत् प्रयत्न करना चाहता था। माँ के ऋण से उद्धार होने का यही एक उपाय था।

इस समय उसे अपनी पुस्तक स्मरण हो आई। वह अधूरी पड़ी थी। उसने सोचा कि उसे छपवाने का प्रबन्ध करना चाहिए। यदि कोई ईमानदार प्रकाशक मिल जाए तो कुछ काल के लिए तो निर्वाह का झगड़ा टल जाएगा। वह अपने कमरे में पहुँच खाट पर लेटा हुआ यह विचार कर रहा था। जब वह इस निर्णय पर पहुँचा, तो खाट से उठ अलमारी में रखी पुस्तक की पांडुलिपि निकाल मेज की ओर धूमा। वहाँ कुर्सी पर मनोरमा बैठी थी। वह उसे देख चौंक पड़ा। मनोरमा उसे इस प्रकार विस्मित देख हँस पड़ी। नरेन्द्र ने पूछा, “आप कब आई हैं?”

“आपको इधर देखने का अवकाश ही कहाँ है? मैं तो आपके यहाँ आने से पहले ही यहाँ विराजमान थी। आपने इधर देखा तक नहीं।”

“मैं आज एक उलझन में फँस गया हूँ,” इतना कहते-कहते उसे डिप्टी साहब का कहना, कि मनोरमा उनकी लड़की है और उसके साथ उसके विवाह का प्रस्ताव है, स्मरण हो आया। वह एकदम रुक गया और पुनः खाट पर जाकर बैठ गया। उसने हस्तलिखित पांडुलिपि को खाट पर ही एक ओर रख दिया और मनोरमा

को चुपचाप देखने लगा। मनोरमा इस समय तक गम्भीर हो गई थी। उसने पूछा, “क्या वह बात बताने की नहीं?”

“आप ही को तो बताने की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहाँ से आरम्भ करूँ।”

“आरम्भ से ही आरम्भ कीजिये।” मनोरमा का हृदय धक्-धक् कर रहा था। वह समझ रही थी कि उसके विवाह का सम्बन्ध इससे अवश्य है। शायद पिताजी ने नौकरी के विषय में बात की होगी। वह गम्भीर हो अपने भाग्य का निर्णय सुनने के लिए अपने को तैयार कर रही थी।

“तो सुनिये,” नरेन्द्र ने अपने विचारों को संग्रह करते हुए कहा, “एक फकीर था जो अपने भोजन तक के लिए दूसरों पर आश्रित था। वह अमरत्व की खोज में घूम रहा था। घूमता-घूमता राजमहल में पहुँच गया। राजा ने समझा कि कोई पहुँचा हुआ ‘औलिया’ (तत्त्वदर्शी) है। उसने उसे आदर-सत्कार से बैठाया, खिलाय-पिलाया और पूछने लगा, ‘भगवन्, शान्ति कैसे मिल सकती है?’

“इस प्रश्न से फकीर कुछ विस्मित हुआ। वह शान्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। स्वयं उसके मन में अशान्ति भरी पड़ी थी। वह जिस वस्तु की खोज में था, मिल नहीं रही थी। इससे उसकी अशान्ति और भी बढ़ रही थी। परन्तु राजा ने उसका बहुत आदर-सत्कार किया था। अतः उसे भय था कि यदि कुछ अच्छा उत्तर न दिया तो कहीं जूतों से पिटाया न जाय। परन्तु जो बात उसके मन में सबसे ऊपर थी, मुख से निकल गई। उसने कहा, ‘राजन्, अशान्ति में रहने से।’

“राजा इस उत्तर से चकाचौंध रह गया और ‘वाह! वाह!’ बोल उठा। राजा क्या समझा, फकीर को स्वयं समझ नहीं आया। राजा के हाव-भाव से उसे यह तो प्रतीत हुआ कि राजा अपने मन में बहुत कुछ समझ गया है। पूर्व इसके कि राजा कुछ और पूछ बैठे, फकीर उठ खड़ा हुआ और राजा को आशीर्ष दे चलने लगा। राजा ने फकीर के पाँव पकड़ लिये और पूछा, ‘फिर कब दर्शन होंगे?’

‘जब आवश्यकता होगी।’

“राजा ने समझा जब राजा को आवश्यकता होगी। फकीर का अभिप्राय था, जब उसे फिर भोजन करना होगा। दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से, फकीर को नित्य भूख लग आती थी और राजा को नित्य ही कुछ पूछने की धुन सवार हो जाती थी। परिणाम यह हुआ कि दोनों प्रायः नित्य मिलने लगे। राजा जब कोई प्रश्न पूछता तो फकीर जो मन में आता कह देता। राजा उसमें कोई छिपे अर्थ समझ विचार करने लगता और अन्त में फकीर के निरर्थक कथन में कोई गूढ़ रहस्य की बात ढूँढ़ निकालता।

“राजा की रोटियाँ खाते-खाते फकीर अपने उद्देश्य को ही भूल गया। एक दिन वह राजा के महल की ओर आ रहा था कि उसे कुछ लोग एक मनुष्य का शव श्मशान-

भूमि की ओर ले जाते दिखाई दिये। उसके मन में, एकाएक प्रश्न उठा, 'यह क्या? इसको क्या हो गया है?' मन ने उत्तर दिया, 'मर गया है।' फकीर को याद आ गई कि वह भी एक दिन मरेगा। अमरत्व की खोज, जिसमें वह लगा हुआ था, उसे याद आ गई। वह वहीं खड़ा हो गया और राजा के महल को अपनी ओर मृत्यु समान देखते देख भयभीत हो अपनी झोंपड़ी को लौट पड़ा।

"राजा ने जब देखा कि फकीर नहीं आया तो वह स्वयं उससे मिलने गया। फकीर के मस्तिष्क से राजा की रोटियों का नशा उतर चुका था। उसका मन फिर साफ हो गया था और वह अपनी खोज को आरम्भ करने की चिन्ता में था। राजा वहाँ पहुँचा और फकीर से पूछने लगा, 'भगवन्, आज आप आये क्यों नहीं?' फकीर का उत्तर था, 'मैं अपना मार्ग भूल गया था। अब भूल का ज्ञान हो गया है।'

राजा ने प्रसन्न हो कहा, 'तो फिर अब चलिए। आपका भोजन परसा रखा है।'

'आपके भोजन ने ही तो मुझे भूल में डाला था।'

'यह कैसे?'

'मैं तो एक बहुत साधारण-सा मनुष्य हूँ। मैं किसी भी प्रकार की कोई भी विशेषता नहीं रखता। आपकी रोटियाँ खाते ही मेरे मस्तिष्क में यह बात समा जाती थी कि मैं बहुत ऊँचा आदमी हूँ। यथार्थ में, महाराज, मुझे कुछ भी आता-जाता नहीं है। मैं उजड़ मूख हूँ।' इतना कह वह फकीर राजा को झोंपड़ी में बैठे छोड़ जंगल में भाग गया।"

नरेन्द्र यह कथा सुनाकर चुप हो गया। मनोरमा इस कथा का अर्थ लगाने में लीन थी। नरेन्द्र पुनः खाट पर लेट गया और अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगा। कई मिनट तक दोनों अपने-अपने विचारों में लीन रहे। आखिर मनोरमा ने शान्ति भंग की और कहा, "क्या आप मुझे राजा की भाँति बुद्धिमान समझते हैं कि मैं आपकी निरर्थक बातों में भी गूढ़ रहस्य ढूँढ़ निकालूँगी। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई।"

नरेन्द्र फिर उठकर बैठ गया और कहने लगा, "बात स्पष्ट ही है। मैं इतना योग्य आदमी नहीं हूँ जितना कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं। यदि आप मेरी कीमत साधारण मनुष्यों की-सी नहीं लगाते तो मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा।"

"आप लोगों से आपका अभिप्राय किन-किन से है?"

"आपसे, आपके पिताजी से और शायद कुछ अन्य लोगों से भी।"

"दूसरों के विषय में मैं नहीं जानती। मैं तो केवल अपने मन की बात जानती हूँ, और वह यह कि आप देवता हैं।"

"और मैं कहता हूँ कि मैं देवता नहीं हूँ। मैं एक भूखा-नंगा, साधारण मनुष्य हूँ। मुझमें सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष आदि वैसे ही विद्यमान हैं जैसे किसी भी दूसरे

मनुष्य में। मैं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि अवगुणों वाला मानव हूँ।”

“आप अपने विषय में स्वयं ही न्यायकर्ता बन गए हैं। यह तो न्याय-युक्त व्यवहार नहीं। आपके विषय में तो दूसरों की ही सम्मति माननीय होनी चाहिए।”

“मेरे विषय में जितना कुछ मैं जानता हूँ वह दूसरा, भला, क्या जान सकता है?”

“प्रायः लोग अपने विषय में अपने साथ रियायत से व्यवहार करते हैं और आप भी वैसा ही कर रहे हैं।”

“मैं अपने साथ रियायत कर रहा हूँ?”

“हाँ, अपने दुर्गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं।”

“यह अपने साथ रियायत हुई? वाह...”

मनोरमा ने बात बीच में ही काटकर कहा, “इसमें सन्देह ही क्या है? आपने अपनी प्रकृति के एक भाग को बढ़ा-चढ़ाकर कहा है। यथार्थ बात तो मैं जानती हूँ। ये दुर्गुण तो आपमें हैं ही नहीं,” मनोरमा इतना कहकर मुस्करा दी।

“तो आप समझती हैं कि मैं मन में द्वेष-भाव नहीं रखता?”

“यह द्वेष किसी से प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक है। आप अपनी माता से अत्यन्त प्रेम करते हैं।”

नरेन्द्र मनोरमा को राजनीतिक बातों में प्रायः नित्य परास्त किया करता था, परन्तु आज उसे इस विषय में हार माननी पड़ी। इस पर भी वह अपना आशय प्रकट करने के लिए कहने लगा, “मनोरमा जी, मुनिये। आपके पिताजी यह समझते थे कि मैं जीवन में सुख, आराम और भोग-विलास का इच्छुक हूँ। उन्होंने मुझे इन बातों को प्राप्त करने का मार्ग बताया और उस पर चलने में सहायता देने की इच्छा प्रकट की। मैंने उनके भ्रम को आज दूर कर दिया है। इसी प्रकार आप भी मुझे इस ढंग से समझती हैं कि मैं विवाह कर गृहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा रखता हूँ, बाल-बच्चे पैदा करूँगा और फिर उनके लालन-पालन में अपनी प्रत्येक शक्ति का व्यय कर, एक दिन पुत्र-पौत्रों से घिरा हुआ परलोक-गमन करूँगा। यह कितना मिथ्या अनुमान है, मेरी प्रकृति का और मेरी इच्छाओं का।”

“यह आज आपको हो क्या गया है?”

“मुझे उसी फकीर की भाँति आज ज्ञान का प्रकाश हुआ है, और मैं अपनी इस झोंपड़ी को छोड़ जंगल में विलीन होने की सोच रहा हूँ।”

“पर मैं पूछती हूँ क्यों?”

“केवल इसलिए कि आप मुझे गलत समझ रही हैं।”

“मैं? विलकुल नहीं। यह आपको भ्रम हो गया है कि आपसे कोई विवाह करने को कह रहा है। भला, आप जैसे फक्कड़ से कोई विवाह करेगा ही क्यों? नहीं, साहब मैं आपसे विवाह की याचना करने नहीं आती।”

मनोरमा यह सब इतने आवेश में कह रही थी कि उसका पूर्ण शरीर कांप रहा था। उसका मुख ताँबे की भाँति लाल हो उठा था और उसकी मोटी-मोटी आँखों में आँसू भर आये थे। नरेन्द्र उसकी अवस्था देख समझने लगा था कि उसने उसका अपमान कर दिया है। वह खाट से उठ खड़ा हुआ और प्रसन्नता प्रकट कर बोला, “सत्य कहती हैं आप? आपका नित्य यहाँ आना मुझे विवाह-जाल में फँसाने के लिए नहीं था?”

“नहीं! नहीं!! नहीं!!!” मनोरमा ने कुर्सी से उठकर एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ पर ठोकते हुए कहा, “मैं हजार बार कहती हूँ, नहीं।”

“तब ठीक है। मनोरमा जी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके यहाँ आने का आशय गलत समझा था। परन्तु आपके पिताजी ने जो बातें मुझसे की हैं उनसे ही मैं इस परिणाम पर पहुँचा था। वे चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र दे दूँ। वे मुझे जेल का दारोगा बन, हजारों-लाखों घूस लेकर, धनी बना देखना चाहते थे, ताकि मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें और तुम्हारी सन्तान को महलों में रख सकूँ, आभूषणों और मखमल तथा अतलस के कपड़ों से लाद सकूँ। फिर तुम्हारे लड़के-बालों के विवाह किसी ऐसे ही धनी लोगों की सन्तान से कर सकूँ। कितना निरर्थक, निष्प्रयोजन और फीका जीवन व्यतीत करने को वे कहते थे। और यह सब कुछ जानती हो क्या दाम देकर? जेल का दारोगा बनकर? जेल जिसमें देश-भक्त, जाति का दिन-रात हित-चिन्तन करने वाले, बिना मुकदमा किये या कभी झूठमूठ मुकदमे का बहाना कर ठूस दिये जाते हैं। ऐसे किसी जेल का दारोगा बन सदा इन लोगों पर दृष्टि रखूँ कि कहीं ये स्वतन्त्र हो पुनः देश, जाति और समाज का भला न कर सकें।

“यह क्या मेरे साथ, मेरी बुद्धि का और मेरे विचारों का मजाक नहीं था? इससे मुझे भ्रम हो गया था कि शायद आप भी मेरी हँसी उड़ा रही हैं।”

मनोरमा जो बहुत आवेश में थी नरेन्द्र के मनोद्गारों को सुन लज्जा अनुभव करने लगी। उसे नरेन्द्र जैसे आदमी को सरकारी नौकरी के लिए कहना ही उसका भारी अपमान प्रतीत होने लगा। उसे अपने पर भी लज्जा आई क्योंकि नरेन्द्र को उसने डाँटकर कहा था कि वह उससे विवाह करने का विचार नहीं रखती। यथार्थ बात तो यह थी कि जब से उसने उसे देखा था, उससे प्रेम करने लगी थी और उससे विवाह करने का केवल विचार ही नहीं प्रत्युत उत्कट इच्छा रखती थी और अब उसके विचारों को सुन वह दूर नहीं प्रत्युत उसके समीप ही आई थी। ‘नहीं! नहीं!’ तो केवल उत्तर में कहने की बात थी। इससे उसे अपने कहने पर शोक होने लगा और उसके मुख का रंग राख की भाँति फीका पड़ गया।

नरेन्द्र ने जब उसके मुख की विवर्णता को देखा तो पूछने लगा, “मनोरमा, क्यों क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?”

मनोरमा अपने मन में अपने को बहुत छोटा मानने लगी थी। उसके मन में इच्छा हो रही थी कि कहीं एकान्त में बैठकर खूब रोये। वह बिना नरेन्द्र के प्रश्न का उत्तर दिये उसके कमरे से निकल आई और घर को चल पड़ी।

: ६ :

द्वितीय विश्वयुद्ध को जन्म देने में अंग्रेजों का भी भारी हाथ था। रूस से भिड़ जाने के लिए हिटलर और नाज़ी पार्टी को बल पकड़ने का अवसर और सहायता देने में अंग्रेजों ने कोई कसर उठा नहीं रखी थी। जो दूसरों के लिए गड़ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, यह कहावत अंग्रेजों पर सर्वथा लागू हुई। जर्मनी और रूस में युद्ध होने की अपेक्षा जर्मन और अंग्रेजों में युद्ध हो गया।

हिटलर ने एक भूल की। १९४० में इंग्लैंड पर आक्रमण करने के बजाय रूस पर आक्रमण कर दिया और फिर १९४१ में जापान ने अमेरिका के 'पल' हार्वर' पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध रूस और अमेरिका भी इंग्लैंड के सहायक हो गए। फ्रांस तो तब तक नाज़ी फौजों के बूटों के नीचे रौंदा जा चुका था।

जापान का आक्रमण आरम्भ में तो सफल रहा। पहले ही हल्ले में जापान की सेना का इंडोचाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, मलाया, बर्मा इत्यादि देशों पर अधिकार हो गया और १९४२ के अप्रैल मास तक जापानी फौजें आसाम की सीमा पर आ पहुँचीं।

अंग्रेजों की इस हार ने भारतवर्ष में विशेष परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिन्दुस्तान की सरकार घबरा उठी। लोगों में भय समा गया। हिन्दुस्तान के लोग छोटे-बड़े सब यह समझने लगे कि जापान हिन्दुस्तान पर आक्रमण करेगा। हिन्दुस्तान में न तो पर्याप्त फौज थी और न ही फौजी सामान। जापान की विजय निश्चित-सी प्रतीत होने लगी। जहाँ जन-साधारण 'किर्कतव्यविमूढ़' की भाँति अन्यमनस्क से हो रहे थे, वहाँ धनी-मानी लोग अपने जान व माल को लेकर नगरों से देहातों में जाने लगे थे। इसके साथ ही देश के बुद्धिमान लोग जापानियों के हाथ से देश की रक्षा का उपाय सोचने लगे।

भारतीय कांग्रेस के नेता, इससे पूर्व भारत सरकार से रूठ हो, प्रान्तीय काँसिलों से बाहर आ चुके थे। जापान के आक्रमण और सफलता से भयभीत ये नेता लोग भी अपने ढंग से भारत-रक्षा के उपाय सोचने लगे। वे इस परिणाम पर पहुँचे कि देश के लोगों की सहायता के बिना देश की रक्षा असम्भव है। इससे देश के प्रतिनिधियों के हाथ राज्य की बागडोर सौंप दी जाय। कांग्रेस के मनोनीत नेता महात्मा गांधी ने यह माँग उपस्थित की कि भारत में स्वदेशी राज्य स्थापित हो जाय। इस माँग को 'क्विट इंडिया' के रूप में घोषित किया गया। भारत-सरकार ने महात्माजी की इस माँग को स्वीकार नहीं किया। तब महात्माजी ने

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन चलाने की धमकी दी।

सबसे विचित्र बात तो यह थी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने ऐसे आन्दोलन के लिए तैयारी नहीं की थी। ऐसे आन्दोलन की रूप-रेखा वर्षों पहले बन जानी चाहिए थी और साथ ही उसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी। यहाँ तो महात्मा गांधी के मन में इस आन्दोलन का विचार आया और बिना विचार किये कि इसमें लोगों को क्या करना होगा और बिना जाने कि लोग उसको करने के लिए तैयार हैं या नहीं, दुनिया-भर में गुल-गपाड़ा कर दिया गया।

नरेन्द्र, जो कई वर्षों से भारत में क्रांति के विषय में विचार कर रहा था, एकाएक महात्मा गांधी को एक क्रान्तिकारी आन्दोलन खड़ा करते देख चकित रह गया। वह देखता-था कि प्रत्यक्ष में तो इस क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए कोई तैयारी नहीं है। महात्माजी का निर्माण-कार्य किसी भी प्रकार से क्रान्ति करने की तैयारी नहीं कहा जा सकता था।

नरेन्द्र राष्ट्रीय संस्था को बिना तैयारी के देशव्यापी आन्दोलन खड़ा करते देख बेचैन हो उठा था। उसके मन में यह बात पक्की जमती जाती थी कि उसकी पुस्तक, ‘सफल क्रान्तियाँ’ शीघ्र छपकर देश के नेताओं के हाथ में चली जानी चाहिए, जिससे वे समझ सकें कि आन्दोलन चलाने से पूर्व किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है। इससे उसे अपनी पुस्तक समाप्त करने और छपवाने की चिन्ता और भी बढ़ गयी।

मनोरमा के नाराज होकर चले जाने से उसे असन्तोष ही हुआ था। वास्तव में मनोरमा ने उनके हृदय में एक स्थान बना लिया था और यदि डिप्टी साहब नौकरी का प्रश्न न उठाकर केवल विवाह की बात करते तो उसे अरुचिकर न होती। उसे मनोरमा के हूठकर चले जाने से दुःख हुआ था, परन्तु देश की परिस्थिति दिन-प्रति-दिन बदलती देख उसे अपनी पुस्तक की ओर और अधिक ध्यान देना पड़ा, जिससे वह अपने निजी सुख-दुःख की बातों को भूल गया। वह मन में सोचता था कि जब तक क्रान्तिकारी नेता महात्मा गांधी से अधिक प्रभावशाली नहीं बन जाता तब तक देश को काल्पनिक भलमनसाहत के आडम्बर से बाहर करना कठिन है। देश में शुद्ध राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रसार करना आवश्यक है। इसलिए विवाह के विषय में सोचने को उसे अभी अवकाश नहीं था।

: १० :

सआदत हुसैन और वीणा का सम्बन्ध हरवंशलाल के परिवार से अधिक गहरा ही होता गया। वीणा के कोई सन्तान नहीं थी। हरवंशलाल के बच्चों से उसे मोह-ममता हो गई थी और प्रायः वह अपने पति के साथ वहाँ आया-जाया करती थी। इससे नरेन्द्र का इन लोगों के सम्पर्क में आना स्वाभाविक ही था। सआदत हुसैन अभी भी राष्ट्रीय सभा के मुख्य कार्यकर्ताओं में था और वीणा भी उसके साथ-

साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेती रहती थी। सन् १९३० और १९३२ में वह भी जेल-यात्रा कर चुकी थी। इससे लोगों की दृष्टि में उनकी मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी।

महात्माजी ने जब अपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में 'भारत छोड़ो' का विचार छापा तो कांग्रेस-क्षेत्र में बिजली के समान उत्तेजना दौड़ गई थी और सआदत हुसैन तथा उसकी स्त्री भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सन् १९३०-३२ के आन्दोलन के समय हरवंशलाल ने इनको पर्याप्त आर्थिक सहायता दी थी और इस समय भी, यदि आन्दोलन खड़ा हुआ तो, वे हरवंशलाल से भारी आशा रखते थे। अतः जब वे हरवंशलाल की कोठी में खाने पर आये हुए थे तो इस आने वाले आन्दोलन की चर्चा करने लगे। नरेन्द्र भी खाने पर विद्यमान था। वीणा ने महात्माजी की बात कहते हुए कहा, "महात्माजी अब फिर युद्ध करने के विचार में हैं।"

सआदत हुसैन ने सिर हिलाते हुए कहा, "इस बार सरकार को पता चलेगा।"

वीणा का कहना था, "मैं समझती हूँ कि युद्ध की अवस्था होने के कारण सरकार को देश का मर्दन करने का अच्छा अवसर मिल जायेगा।"

"तो क्या ? इससे राष्ट्रीय भावना तो और भी जाग्रत हो उठेगी और अन्त में सरकार को भारत छोड़ना ही पड़ेगा।"

नरेन्द्र ने जिज्ञासु की भावना में पूछा, "आप तो कांग्रेस के मुख्य लोगों में हैं। आपको तो विदित होगा कि युद्ध के समय किसी आन्दोलन को चलाने के लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता है ? कांग्रेस के पास कितने स्वयं-सेवक हैं ?"

"स्वयं-सेवकों का क्या करना है ? यहाँ किसी जलसे व जुलूस का प्रबन्ध थोड़े ही करना है। मैं तो समझता हूँ कि देश में असन्तोष फैला हुआ है। केवल संकेत करने की देरी है और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आग भड़क उठेगी।"

"आप जनता पर बहुत आशा लगाये हुए हैं, परन्तु क्या जनता को आप बता चुके हैं कि संकेत मिलने पर क्या करना चाहिए ?"

"यह तो महात्माजी अपने पिछले तीन आन्दोलनों में बता चुके हैं कि कानून का मानना बन्द कर दें।"

"आपका अभिप्राय सरकारी कानून से है न ? मैं पूछता हूँ कि सरकारी कानून के स्थान पर कौन-सा कानून माना जायेगा अथवा सरकारी अफसरों के स्थान पर किसकी आज्ञा मानी जायेगी ?"

"डिक्टेटर तो मुर्कारर किये ही जायेंगे, परन्तु अभी तक उनका समय नहीं आया। महात्माजी अभी लोगों में 'भारत छोड़ो' की भावना का अर्थ स्पष्ट करेंगे। पश्चात् कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर विचार-विनिमय होगा, पीछे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस पर प्रस्ताव होगा। महात्माजी वाइसराय

को एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें उनसे वे कहेंगे कि 'भारत छोड़ दो'। जब वाइसराय अर्थात् सरकार नहीं मानेगी तब फिर विचार किया जायेगा कि आन्दोलन का क्या रूप हो।"

नरेन्द्र कुछ उद्विग्न हो उठा था। उसने कहा, "क्या आप समझते हैं कि सरकार भी महात्मा गांधी की भाँति अपनी भूलों का सुधार नहीं करेगी? आपको क्या विदित नहीं कि सन् १९३२ का आन्दोलन कुछ ही दिनों में कैसे मिटा दिया गया था। इस बार तो उतना भी अवसर नहीं मिलेगा। यदि कुछ करना है तो हल्ला करने से पूर्व कोई योजना बना लेना ही ठीक होगा।"

"देखो, मिस्टर नरेन्द्र, पिछले सप्ताह मैं बर्धा में था और ठीक यही प्रश्न मैंने महात्माजी से पूछा था। उनका उत्तर था, 'सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखने वाले के लिए लम्बी-चौड़ी योजनाओं की आवश्यकता नहीं। योजना तो वे लोग बनाते हैं जिन्हें अपने पर और परमात्मा के न्याय पर विश्वास नहीं होता। मैं तो शुद्ध मन और भावना से अपने को परमात्मा के अर्पण करने के लिए सदैव तैयार हूँ। मुझे इसमें बहुत-कुछ सोच-विचार करने की आवश्यकता नहीं है।'

"इतना सुनकर महात्मा जी से और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो अपने आपको होम करने की बात है।"

नरेन्द्र महात्माजी की शुद्ध भावना को तो मानता था। यदि महात्माजी का अपना निजी प्रश्न अथवा एक-दो व्यक्तियों की निजी बात होती तब तो कुछ बात नहीं थी, परन्तु पूर्ण देश की बात में एक-आध व्यक्ति की शुद्धता और सचाई क्या कर सकेगी? महात्माजी जैसी श्रद्धा और ईश्वर में निष्ठा कितनों में है, यह वह भली-भाँति जानता था। फिर जिन लोगों को 'भारत छोड़ो' कहना है वे कितने चतुर, स्वार्थी और राजनीतिज्ञ हैं, यह बात भी छिपी नहीं थी। वे 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का किस प्रकार विरोध करेंगे, यह अनुमान करना कठिन नहीं था। नरेन्द्र ने सआदत हुसैन के कहने का केवल एक ही शब्द में उत्तर दिया, "सब जग महात्मा नहीं है।"

जब भोजन हो चुका तो हरवंशलाल और सआदत हुसैन उठकर दूसरे कमरे में चले गए। हरवंशलाल की लड़की कमला वीणा के समीप बैठी थी। कहने लगी, "मौसी, तो क्या अब सब लोग जेल में जायेंगे?"

वीणा ने हँसते हुए कहा, "मैं तो जाना नहीं चाहती, पर क्या करें, महात्मा जी का युद्ध का ढंग ही निराला है। वे कहते हैं कि किसी भी बात में लुकाव-छिपाव नहीं होना चाहिए। वे छिपकर आन्दोलन करना पसन्द नहीं करते। मेरा तो मन कहता है कि शोर मचाने के स्थान पर चुपचाप ऐसा संगठन करना चाहिए ताकि छापा डालकर राज्य अपने हाथ में कर लें।"

नरेन्द्र, जो अभी तक वहीं बैठा था, यह सुनकर भड़क उठा और बोला, "तो:

आप ऐसा संगठन क्यों नहीं करती ?”

“कहने और करने में अन्तर है, नरेन्द्र ! मुझमें इतना बल कहाँ है ? जानते नहीं हो कि सुभाष बोस का ज्यों ही महात्माजी से मतभेद हुआ, क्या परिणाम हुआ था । बोस बाबू को कांग्रेस के प्रधान-पद से त्याग-पत्र देना पड़ा था ।”

“बोस बाबू अब जर्मनी में हैं और उसकी ओर से प्रचार-कार्य कर रहे हैं ।”

“यहाँ हम लोग उनसे मतभेद रखते हैं । हम समझते हैं कि किसी विदेशी राज्य-सत्ता की सहायता से यहाँ स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता ।”

“यह तो ठीक है,” नरेन्द्र का कहना था, “परन्तु एक विदेशी सत्ता को ढीला करने के लिए किसी दूसरे विदेशी राज्य की सहायता क्यों नहीं ले सकते ? ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिहीन करना एक बात है और हिन्दुस्तान में स्वराज्य स्थापित करना दूसरी । बोस बाबू एक कार्य कर रहे हैं, दूसरा कार्य हमें यहाँ भारतवर्ष के अन्दर करना चाहिए । मुझे दुःख तो इस बात का है कि स्वराज्य स्थापित करने के लिए हम भारतवर्ष के भीतर जो यत्न कर रहे हैं वह न तो ठीक मार्ग पर है न ही ठीक मात्रा में ।”

वीणा ने बताया कि कांग्रेस-क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो महात्माजी से सोलह आने सहमत नहीं, किन्तु उनकी सुनवाई नहीं होती तो उन्हें अपना मस्तक नत करना पड़ जाता है ।

इस वार्तालाप से नरेन्द्र की धारणा अपने कार्य में कुछ कम नहीं हुई, प्रत्युत वह सोचता था कि कांग्रेस-क्षेत्र में रहकर तो बात चल नहीं सकेगी । जो लोग कांग्रेस-क्षेत्र में काम करते थे उनमें महात्मा गांधी के लिए इतनी श्रद्धा-भक्ति है कि वे किसी दूसरी बात को सुन भी नहीं सकते । इससे वह यह सोचता था कि कांग्रेस से पृथक्, परन्तु उससे अधिक बलशाली संस्था बनाने की आवश्यकता है । कांग्रेस का विरोध करने से काम नहीं चलेगा । ऐसा करने से हिन्दू महासभा अपनी प्रतिष्ठा खो बैठी है । आदर्श और भावनाएँ वही होनी चाहिएँ परन्तु कार्यक्रम भिन्न होना चाहिए ।

: ११ :

उस दिन से मनोरमा का नरेन्द्र से मिलने के लिए आना बन्द कर दिया गया था । डिप्टी साहब ने घर पहुँचते ही आज्ञा दे दी, “देखो, मनोरमा, नरेन्द्र अच्छा आदमी नहीं है । उससे मेलजोल की मैं स्वीकृति नहीं दे सकता ।”

मनोरमा की इच्छा थी कि एक बार नरेन्द्र से मिलकर अपने मन के भावों की सफाई प्रस्तुत कर दे । इससे उसने पूछा, “क्यों ?”

“वह विवाह करेगा नहीं, इसलिए उसके पास जाकर अपमान के अतिरिक्त और मिलेगा ही क्या ? मैं महका-पुलिस में एक बड़ा अफसर हूँ और नहीं चाहता कि मेरी लड़की किसी ऐसे से सम्पर्क रखे जिसके सिर पर फाँसी की रस्सी लटक

रही है।”

नरेन्द्र ने मनोरमा के न आने को अनुभव नहीं किया। उसे अपनी पुस्तक लिखने से अवकाश ही नहीं था। सोलह-सत्रह घंटे नित्य लिखता और पढ़ता था। जब पुस्तक लिखी गई तो फिर इसके छपवाने की चिन्ता होने लगी।

डिप्टी साहब ने हरवंशलाल को चेतावनी दे दी थी कि नरेन्द्र का उसके घर रहना ठीक नहीं है, परन्तु हरवंशलाल ने उसे घर से नहीं निकाला। डिप्टी साहब एक दिन लालाजी से मिले तो पूछने लगे, “नरेन्द्र चला गया है क्या?”

“नहीं तो।”

“तो बहुत बुरा होगा। वह लड़का क्रान्तिकारी है। उसके विचार ऐसे हैं कि किसी समय भी उसके पकड़े जाने की सम्भावना है और उस समय आपको भी कष्ट होगा।”

हरवंशलाल तो शायद नरेन्द्र को घर से निकाल ही देता पर उसकी स्त्री और उसका लड़का विनय जो इस समय बी० ए० में पढ़ता था, इस बात का विरोध करते थे। हरवंशलाल की स्त्री सरकारी कानून से अधिक लोक-लाज से डरती थी। वह कहती थी, ‘कमला का विवाह करना है या नहीं? लोग क्या कहेंगे कि लड़की के माता-पिता इतने कमीने हैं कि गरीब भाई के लड़के को रोटी तक नहीं खिला सके।’ विनय का विरोध दूसरे कारण से था। उसने पिता से कहा था, ‘पिताजी, अब समय बदल गया है। पुलिस-अफसरों की बातें इस दिल्ली जैसे शहर में कुछ कीमत नहीं रखतीं। नरेन्द्र भैया यदि विवाह करना नहीं चाहते तो डिप्टी साहब उसे घर से बाहर निकालकर कैसे मना लेंगे? हमसे तो यह धमकी सही नहीं जा सकती। आखिर नरेन्द्र कर ही क्या रहा है जो आपत्तिजनक है?’

वास्तविक बात यह थी कि मनोरमा डिप्टी साहब से रूठी हुई थी और डिप्टी साहब का अनुमान था कि यदि नरेन्द्र दिल्ली से बाहर चला जाये तो मनोरमा की नाराजगी मिट जायेगी। तब वे उसे कमला से मिलने के लिए उसके घर भेज देंगे। नरेन्द्र के हरवंशलाल की कोठी में रहते मनोरमा का वहाँ जाना वे उचित नहीं मानते थे।

नरेन्द्र अपने चाचा के घर में ही ठहरा था। मनोरमा बहुत उदास रहती थी। इस बीच डिप्टी साहब ने मनोरमा के लिए एक सम्बन्ध ढूँढ़ निकाला। महकमा-पुलिस में एक हौनहार युवक डिप्टी साहब को इसके लिए मिल गया।

इन्स्पैक्टर नन्दलाल जिला जालन्धर पंजाब का रहने वाला था। लाहौर के डी० ए० बी० कॉलेज से बी० ए० पास कर पुलिस में भरती हुआ था और दो-चार राजनीतिक जुलूसों पर बेदर्री से लाठी चलवाने के उपलक्ष में इन्स्पैक्टर बना दिया गया था। उसकी बदली देहली में हुई तो डिप्टी रघुवरदयाल की दृष्टि उस पर गई। एक दिन कण्ट्रोल से अधिक गेहूँ रखने वाले देहली के एक साहूकार को पकड़वा

कर नन्दलाल अफसरों की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो गया था। उस साहूकार ने मुकदमे से छूटने के लिए पाँच हजार रुपये रिश्वत दी थी और नन्दलाल ने वह धूस का धन अफसरों में बाँट दिया था। इससे दफ्तर में उसकी चतुराई की चर्चा चल पड़ी थी। डिप्टी साहब से उसकी मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि नन्दलाल की पहली बीबी का देहान्त हो गया है। इससे उन्हें मनोरमा की याद आ गई। डिप्टी साहब ने बात की और नन्दलाल ने स्वीकार कर ली।

मनोरमा को जब बताया गया तो उसने नाक चढ़ाकर कहा, “मुझे विवाह नहीं करना।”

मनोरमा के ऐसा कहने पर तो डिप्टी साहब के मन में नरेन्द्र को शहर से भगा देने या उसे किसी मामले में फँसा कैद करा देने की बात और आवश्यक हो गई।

नरेन्द्र अब अपने विचारों का प्रचार करने के लिए सभा-सोसायटियों में जाने लगा था। कांग्रेस का प्लेटफार्म तो उसके लिए था ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी और रूस में युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों की मित्र बन गई थी, और सरकार की ओर से एक कानून के अनुकूल संस्था मान ली गई थी। कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस-नीति का विरोध करते थे इससे नरेन्द्र को इनके प्लेटफार्म पर कांग्रेस के विरुद्ध कहने की स्वीकृति मिल जाती थी, परन्तु नरेन्द्र का कम्युनिस्टों से मेल-मिलाप अधिक काल तक नहीं चल सका। कम्युनिस्ट यह चाहते थे कि रूस की विजय हो जाये चाहे भारतवर्ष के हित की बलि ही चढ़ानी पड़े। नरेन्द्र के मस्तिष्क में यह बात नहीं थी। वह युद्ध के अवसर का प्रयोग भारत में स्वराज्य स्थापित करने के लिए करना चाहता था। कम्युनिस्ट पार्टी समझती थी कि रूस में प्रचलित विचारधारा की जीत होनी चाहिए। नरेन्द्र कहता था कि इस समय भारतवर्ष को अंग्रेजों से स्वतन्त्र होना चाहिए। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतवर्ष स्वयं निर्णय करेगा कि कैसी राज्य-पद्धति उसे चाहिए। इन्हीं बातों पर एक दिन वाद-विवाद हो गया। पहाड़गंज में एक सज्जन के मकान पर तीस-पैंतीस के लगभग कम्युनिस्ट एकत्रित थे और नरेन्द्र उस दिन का वक्ता था। नरेन्द्र ने अपने भाषण में कहा था, “भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापनार्थ जो नीति कांग्रेस अपना रही है वह हमें ध्येय तक ले जाने में सबल नहीं है। हमें इसके लिए एक संगठित दल बनाना चाहिए।” इस संगठन का रूप दिखाते हुए उसने बताया कि छोटे-छोटे दल होने चाहिए। इन दलों में बीस से अधिक सदस्य नहीं चाहिए। इनका एक ‘दल-नेता’ हो और बीस दलों के नेता परस्पर मिलकर एक गुट्ट बनायें। एक नगर के घट-नेता नगर-समिति बनायें। नगरों से जिलों की समितियाँ और उनसे प्रान्त का संगठन और देश की पार्टी तैयार की जाये। सदस्यों का दल के भीतर ही परस्पर सम्पर्क रहे। एक दल के सदस्य दूसरे दल के सदस्यों तथा दल के नेता को न जान सकें। इसी प्रकार घटों के सदस्य नगर-समिति के और समिति के सदस्य जिलों के, और जिलों के सदस्य

प्रान्तीय और देश की पार्टी के सदस्यों से परिचित न हों। प्रत्येक नेता यह कसम खाये कि वह एक समिति की बात दूसरी समिति अथवा घट व दल में नहीं करेगा। इस प्रकार एक पार्टी का संगठन किया जाये। यह संगठन होने पर एक दिन विप्लव का विगुल बजा दिया जाये। हमें तार और डाक का अपना प्रबन्ध करना चाहिए ताकि विप्लव के पूर्व और बीच में हमारे संगठन को कोई भी तोड़ न सके। नरेन्द्र की योजना कम्युनिस्टों को पसन्द थी, परन्तु वे चाहते थे कि युद्ध के समय में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमे जर्मनी अथवा जापान की जीत का अवसर अधिक हो जाये। इसमे एक सज्जन ने पूछा, “आप समाजवादी हैं?”

“हाँ, मैं समाजवाद के सिद्धान्त को ठीक समझता हूँ।”

“आप जानते हैं कि रूस में इस सिद्धान्त के आधार पर राज्य चल रहा है।”

“मुझे वहाँ की बात भलीभाँति विदित नहीं है। जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा है वह मेरे विचारों से ठीक मेल नहीं खाता। फिर भी मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता।”

“आपको अपने कारखानों में यह भी बताना चाहिए कि भारत में समाजवाद से ही मुख और शान्ति स्थापित होगी।”

“मैं इसको मानता हूँ, परन्तु इस समय मैं हिन्दुस्तान के धनी लोगों में झगड़ा करके अपनी शक्ति को बिखेर देना नहीं चाहता। मेरा मुख्य ध्येय इस समय हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के पंजे से मुक्त करना है।”

“वाह ! इन गरीबों का रक्त-गोपण करने वालों से कैसे सहयोग हो सकता है।”

“वैभे ही जैसे अब रूसियों ने अंग्रेजों से सम्बन्ध कर रखा है।”

“तो आप क्या चाहते हैं?”

“मैं चाहता हूँ कि भारत में अभी वर्ग-संघर्ष आरम्भ न किया जाय। पहले सबको मिलकर स्वराज्य स्थापित कर लेना चाहिए, पश्चात् हम स्वतन्त्र रूप से विचार करेगे कि कौन-सी प्रणाली हमारे लिए हितकर होगी।”

“इस प्रकार हम रूस की सहानुभूति खो बैठेंगे।”

“मुझे रूस की सहानुभूति से मतलब नहीं है। मुझे तो हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करना है।”

वाद-विवाद बढ़ गया और कठिनाई से नरेन्द्र वहाँ से जान छोड़ाकर आया।

नरेन्द्र के इन जलसों में सम्मिलित होने के समाचार पुलिस में पहुँचते रहते थे। पुलिस को सरकार से सूचना थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न हो। इससे नरेन्द्र के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। परन्तु जब डिप्टी साहब ने देखा कि मनोरमा नन्दलाल से विवाह करने पर राजी नहीं होती तो उसने नन्दलाल को कहा, “यह नरेन्द्र कम्युनिस्ट नहीं है। यह कांग्रेस ‘फारवर्ड

ब्लॉक' का आदमी है। इसे छोड़ना नहीं चाहिए।”

नन्दलाल इस संकेत को समझता था। उसने यह समझ लिया कि डिप्टी साहब किसी कारण से नरेन्द्र को जेल का मेहमान बनाने का विचार रखते हैं। इस कारण उसने नरेन्द्र का रिकॉर्ड इकट्ठा करवाना आरम्भ कर दिया।

दूसरी ओर डिप्टी साहब ने मनोरमा के कान भरने आरम्भ कर दिये। डिप्टी साहब मनोरमा के सम्मुख अपनी स्त्री से नरेन्द्र के विषय में झूठी-सच्ची बातें बताया करते थे। एक दिन उन्होंने मुख लम्बा कर कहा, “ईश्वर का धन्यवाद है कि नरेन्द्र से सम्बन्ध नहीं हो सका। आज दफ्तर में रिपोर्ट आई है कि नरेन्द्र कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित है। कम्युनिस्टों के आचार-विचार सभ्य समाज के से नहीं हैं। उनमें विवाह को कोई महत्ता नहीं दी जाती। कम्युनिस्ट पार्टी में युवक-युवतियाँ दोनों सदस्य हैं और परस्पर बिना किसी प्रकार के विवाह-संस्कार के भोग-विलास करते हैं। उनमें एक रात-भर सम्बन्ध रहने को राजनीतिक विवाह मानते हैं। कहीं मनोरमा का नरेन्द्र से विवाह हो जाता तो, ईश्वर जाने, बेचारी की क्या दुर्गति होती! इसके अतिरिक्त नरेन्द्र का सम्बन्ध एक बृजबिहारी की बहिन से है, इसका पता चला है।” इसके पश्चात् डिप्टी साहब सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चले गए।

मनोरमा के मन में इन बातों का धीरे-धीरे प्रभाव होता जाता था और उस का मन नरेन्द्र से उचाट होने लगा था।

: १२ :

लाला बनारसीदास देहली में एक बड़े ठेकेदार थे। बारहखम्भा रोड पर एक विशाल दो-मंजिली कोठी में रहते थे। इतनी बड़ी कोठी होने पर उसमें रहने वाले केवल तीन व्यक्ति थे। लालाजी स्वयं, उनका पुत्र इन्द्रजीत और उनकी विधवा बहिन लीलावती। लालाजी की अपनी स्त्री का देहान्त हो चुका था। वे गुजरां-वाला, पंजाब के रहने वाले थे और सन् १९२० से, जब नयी दिल्ली बननी आरम्भ हुई थी, यहाँ आकर बसे थे। अतुल धन के मालिक होते हुए भी लड़के को अति कठोर जीवन व्यतीत करने पर बाध्य कर रहे थे।

लड़के ने सन् पैंतीस में मैट्रिक किया था और हिन्दू कॉलेज में दाखिल होते समय उसने पिता से कहा था, “पिताजी, कॉलेज बहुत दूर है। यदि एक छोटी-सी मोटर ले दें तो पढ़ाई में बहुत सुभीता हो जायगा।”

पिता ने घूरकर इन्द्रजीत के मुख पर देखते हुए कहा, “मोटर के लिए धन कहाँ से आयेगा?”

“धन!” इन्द्रजीत ने विस्मय में कहा। “धन हमारे पास नहीं है क्या? मैं तो समझता हूँ कि बैंक में आपका बीस लाख जमा है।”

पिता ने उसी भाव में पूछा, “यह तुमसे किसने कहा है? बैंक में रुपया और

ये कोठियाँ मेरी नहीं हैं। शायद तुम्हारी बूआ ने तुम्हें बताया है। वह नहीं जानती कि इस धन-दौलत का मालिक मैं नहीं हूँ। मैं तो मालिक के कारोबार की देखभाल के लिए केवल मुन्शी-मात्र हूँ, और तुम मुन्शी के लड़के हो।”

इन्द्रजीत ने पिता को कंजूस समझ लिया। उसने अभी तक किसी मालिक को वहाँ देखा नहीं था। उसने उठते हुए कहा, “आप नहीं ले देना चाहते तो आपकी इच्छा, परन्तु मुझे एक मुन्शी का लड़का तो न कहिये।”

“ओह !” बनारसीदास मुस्कराकर बोला, “मुन्शी का लड़का कहलाये जाने से दुःख हुआ है? परन्तु जानते हो इन्द्र, जो मालिक है वह अपने को मजदूर कहता है तो उसकी सन्तान को अपने को एक मजदूर की सन्तान कहलाने में लज्जा नहीं माननी चाहिए।”

इन्द्रजीत के लिए यह पहली थी। वह कुछ नहीं समझा और कमरे में बाहर चला गया। इन्द्रजीत ने सन् १९४१ में एम० ए० पाम कर लिया। वह अपनी श्रेणी में प्रथम रहा था। वह अपनी परीक्षा पास कर लेने का ममाचार मुनाने के लिए प्रसन्न-वदन पिता के पास पहुँचा और बोला, “पिताजी, मैं पाम हो गया हूँ।”

“फिर?”

इस ‘फिर’ ने इन्द्रजीत को चुप करा दिया। बनारसीदास प्रश्न-भरी दृष्टि से इन्द्रजीत के मुख की ओर देखता रहा। इन्द्रजीत इस दृष्टि का अर्थ नहीं समझा और पूछने लगा, “आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई पिताजी? मैं श्रेणी में प्रथम रहा हूँ।”

“सो तो ठीक है,” पिता ने उत्तर दिया, “परन्तु यह तो आरम्भ है, अन्त नहीं। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो?”

“मैं नहीं जानता।”

“इसी में तो कहता हूँ कि एम० ए० पाम करने का कुछ भी अर्थ नहीं। इतनी शिक्षा ने तो अभी तुम्हें इस योग्य भी नहीं बनाया कि तुम अपने जीवन-मार्ग को कुछ दूर तक भी देख सको। अभी तुम्हें और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।”

“कहाँ? क्या आप मुझे विदेश भेजेंगे?”

“विदेश भेजने के लिए मेरे पास रुपया नहीं है।”

इन्द्रजीत ‘मेरे पास रुपया नहीं’ मुनते-मुनते थक गया था। उसे भलीभाँति विदित था कि उसके पिता की चल-अचल सम्पत्ति मिलाकर, एक करोड़ रुपये से कम नहीं। आज उसने माहस कर कह ही दिया, “पिताजी, अब तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। आयु में भी चौबीस वर्ष का हो चुका हूँ और बेसमझ बालक नहीं कहा जा सकता। क्या अब भी मैं नहीं जान सकता कि मेरे पिता कितने धनी हैं और मुझे अपने कारोबार के लिए कितनी पूँजी मिल सकती है?”

बनारसीदास हँस पड़ा और बोला, “इन्द्र, आज तुमने कुछ समझदारी की बात की है। तुम्हें अपने भविष्य की योजना बनाने की कुछ चिन्ता हुई है; इस कारण तुम्हें बताता हूँ। पूर्व इसके कि तुम यह समझ सको कि यह सब धन किसका है और इसमें मेरा कितना भाग है, मैं तुम्हें अपने व्यापार का इतिहास बताना चाहता हूँ। लो सुनो।” बनारसीदास ने आँख का चश्मा उतार रूमाल से पोंछते हुए कहना जारी रखा, “सन १९१५ में पिताजी का देहान्त हो गया। सन् १९१६ में तुम्हारी बूआ विधवा हो गई और १९१७ में मेरा विवाह हुआ। १९१८ में तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय मैं गुजरांवाला में बहुत छोटी-सी कपड़े की दूकान करता था। कारोबार इतना कम था कि बहुत कठिनाई से निर्वाह होता था।

“सन १९१९ में महात्मा गांधी के पकड़े जाने पर गुजरांवाला में हड़ताल हो गई। उन दिनों तुम्हारी माता बीमार हो गई। यद्यपि तमाम बाजार बन्द था और जलसे तथा जूलूस नित्य होते थे, परन्तु मैं तुम्हारी माता की सेवा-सुश्रूषा में रहने के कारण घर से बाहर नहीं जा सकता था और न ही जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है। मार्शल-लॉ हुआ तो हुकम हो गया कि दूकानें एक घंटे में खुल जायें। मुझे इसका पता नहीं चला। मैं तुम्हारी माता के पास, जिसकी अवस्था दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जाती थी, बैठा रहता था।

“नगर की दूकानें खुल गईं, पर मेरी दूकान नहीं खुली। इस पर मेरे वारंट निकल गए और रात को जब नगर में ‘कर्फ्यू आर्डर’ लगा हुआ था तो ताला तोड़कर मेरी दूकान खोल दी गई। रात-रात में ही सब माल लूट गया और दूकान खाली हो गई। अगले दिन मुझे पकड़कर हवालान में डाल दिया गया। तीन दिन के पश्चात् मुझे मार्शल-लॉ अफसर के सम्मुख पेश किया गया। अफसर ने पूछा, ‘तुमने हमारे हुकम के बाद दूकान क्यों नहीं खोली?’

“मैंने उत्तर दिया, ‘मेरी औरत बीमार है।’

“‘साला, झूठ बोलता है।’

“‘झूठ नहीं बोल रहा, साहब।’

“‘छ: महीने की कैद।’

“मुकदमा हो गया और मैं जेल में ठूस दिया गया। तुम्हारी माता को जब मेरे कैद होने का समाचार मिला तो वह परलोक-गमन कर गई। तुम अपनी बूआ के पास रहे। मेरी अनुपस्थिति में उसने लोगों के बर्तन साफ कर तुम्हारा पालन किया। जब मैं जेल से बाहर आया तो गुजरांवाला में मेरा रहना कठिन हो गया। दूकान का माल, जो लूट गया था, अधिकांश आदतियों से उधार लिया हुआ था और मेरे पास एक पैसा भी अपना नहीं था। एक मित्र से दस रुपये उधार लेकर मैं दिल्ली चला आया।

“उस समय नयी दिल्ली बननी आरम्भ हो चुकी थी। पंजाब से ठेकेदारों को बुला-बुलाकर उन्हें काम दिया जा रहा था। मैंने एक ठेकेदार की मुन्शीगिरी कर ली। बीस रुपया महीना मिलता था। एक मास में ही मुझे पता चल गया था कि इतने में निर्वाह नहीं हो सकता। इतने में तो कठिनाई से रोटी का काम चलता था और गुजरवाला में तुम्हारी बूआ बर्तन मल-मलकर तुम्हें पाल रही थी। मैंने अपने मालिक सरदार बीरासिंह को कहा, ‘सरदार साहब, बीस रुपये में गुजर नहीं होता।’ उनका उत्तर था, ‘तो मैं क्या करूँ? मुझे तो मुन्शी पन्द्रह रुपये में मिलता है।’

“मैं यह जानता था, परन्तु मुन्शी लोग मजदूरों की तन्खाह में से पैस एँठकर ऊपर से आमदनी बना लेते थे। मुझे यह पसन्द नहीं था। फिर ठेकेदार उन मुन्शियों को वेतन अधिक देते थे जो बहाने-बहाने पर मजदूरों की गैरहाजरी लगा देते थे या हाजरी के झूठे रजिस्टर बना ठेकेदारों को लाभ पहुँचाते थे।

“मैंने नौकरी छोड़ दी और मजदूरों को संगठित कर उनको ठेकेदारों के फरेब से बचाने का यत्न करना चाहा। इसमें भी मैं असफल रहा। मुझे स्वयं तो दो पैसे रोज के चने चबाकर रह जाना पड़ा। मुझे यह बात भलीभाँति पता चल गई कि ईमानदारी से रहने पर भूखों मर जाऊँगा। ईमानदारी से पन्द्रह रुपये महीना मिलते थे और बेईमानी करने से हजारों मिलने की आशा थी। मैंने जब यह देखा कि बेईमानी ही करनी है तो यह सोचकर कि किसी दूसरे के लिए क्यों करूँ, मैंने एक साझीदार ढूँढ़ लिया जो पाँच सौ रुपये तक काम में लगा सकता था। अब मैंने एक ओवरसियर और एस० डी० ओ० से मिलकर मिट्टी खोदकर भूमि समतल करने का काम ठेके पर ले लिया। बिल का दस प्रतिशत ओवरसियर तथा एस० डी० ओ० को देना होता था। पैमाइश के समय दो रुपये बेलदार को देने से फीते में तीन-चार इंच का अन्तर हो जाता था। इन तीन-चार इंचों के अधिक माप से मुझे पन्द्रह-बीस रुपये रोज का अनायास लाभ हो जाता था। दो ही मास में मैं साझीदार को छोड़ अपना स्वतन्त्र काम करने लगा। छः मास में मैंने दो मोटर-ट्रक खरीद लिये। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बूआ को यहाँ बुला लिया। अब कुछ बड़े-बड़े ठेके लेने लगा था। सन् १९२२ में मैं प्रथम दर्जे का ठेकेदार मान लिया गया। सन् १९२५ में मैं दस लाख का मालिक था और अब सन् १९४२ में मैं दस करोड़ की सम्पत्ति का स्वामी हूँ। परन्तु, इन्द्रजीत, तुम समझ गए होंगे कि यह सब कुछ कैसे मेरे पास आया है। यह मेरा नहीं है। मैं तो वह मुन्शी हूँ जो नेकनीयती से काम करता तो अब साठ-सत्तर रुपये से अधिक कभी भी पैदा न कर सकता। वास्तव में यह रुपया मजदूरों का है। उनकी मेहनत से पैदा हुआ है। मुझे तो उतना ही लेना चाहिए जितना अपने निर्वाह के लिए चाहिए। शेष मजदूरों को वापस हो जाना चाहिए।”

इन्द्रजीत ने कुछ आवेश में कहा, “यदि वापस करना था तो आपने लिया ही क्यों ?”

“मजदूरों से तो यह छिन ही रहा था। कुछ सरकार छिन रही थी, शेष ठेकेदार। इस लूट-खसोट को रोकने में मैं असफल रहा तो मैंने यह उपाय किया। मैं अब सोच रहा हूँ कि यह उनको कैसे वापस कर दूँ।”

“तो आप एक सदावर्त लगा दें।”

“छी: ! इसी से तो कहता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अभी अधूरी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सदावर्तों में पेशेवर माँगने वाले ही खाने आते हैं। जिनकी कमाई का भाग यहाँ एकत्रित हुआ है, वे मर जायेंगे पर सदावर्त में खाने नहीं आवेंगे।”

“तो फिर आप क्या करियेगा ?”

“मैं एक योजना बना रहा हूँ। वह तुम्हें समय पर मालूम हो जायेगी। रही तुम्हारे काम की बात। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना एक दस हजार का बीमा कराया हुआ है, जो कुछ ही महीनों में मिलने वाला है। वह तुमको दे दूँगा। उसमें तुम कोई काम करने का विचार कर लो।”

: १३ :

बनारसीदास का नियम था कि वह वर्ष में दो या तीन दावतें देहली के अफसरों, रईसों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को दिया करता था। इस बार दावत का मुख्य मेहमान कमाण्डर-इन-चीफ था। दावत में देहली के प्रायः सब प्रसिद्ध आदमी उपस्थित थे। हरवंशलाल भी इनमें था। हरवंशलाल से बनारसीदास का परिचय अभी तक साधारण-सा था। कुछ दिन पूर्व डिप्टी कमिश्नर के दफतर में किसी मामले में दोनों उपस्थित थे। हरवंशलाल ने एक-दो खरी-खरी बातें डिप्टी कमिश्नर को बुनाई तो बनारसीदास का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और पश्चात् परिचय हो गया। जब दावत का समय आया तो हरवंशलाल का नाम भी मेहमानों में लिख दिया गया।

दावत के दिन कोठी की सजावट चकाचौंध करने वाली थी। कोठी के बाहर विशाल लॉन में एक हजार मेहमानों के बैठकर चाय-पान के लिए सामान सजाया गया था। बर्तन चाँदी के थे। प्रत्येक मेज पर फूलदान और इतरदान रखे थे। झंडी, फानूस, तोरण-मालायें ऐसे ढंग से लगाई गई थीं कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। फिर बिजली की रोशनी का विशेष सामान था। बड़े-बड़े रईस अपने लड़कों की शादी पर भी इतना नहीं करते थे, जो बनारसीदास वर्ष में दो-तीन बार निष्प्रयोजन ही कर देता था।

अढाई सौ मेजें लगी थीं। प्रत्येक मेज पर दूध-समान सफेद चादर, उस पर चाँदी का ‘टीसैट’, चाँदी का फूलदान और चाँदी का इतरदान था। दो-दो मेजों पर

तीन-तीन नौकर नियत थे और इनके अतिरिक्त दूसरे नौकर थे जो अन्य प्रबन्धों पर लगे थे।

समय पर प्रायः सब मेहमान उपस्थित हो गए थे। कोठी के फाटक पर बनारसीदास और उसके समीप इन्द्रजीत तथा अन्य कर्मचारी खड़े थे। प्रत्येक मेहमान का स्वागत बनारसीदास स्वयं करता था और फिर अपने किसी कर्मचारी अथवा इन्द्रजीत को उस मेहमान को आदर से बैठाने को कह देता था। लोग एक पृथक् स्थान पर बैठे तथा खड़े बातें करते हुए मुख्य मेहमान कमाण्डर-इन-चीफ की प्रतीक्षा कर रहे थे।

हरवंशलाल कोठी की सजावट देख चकाचौंध रह गया। वह मन में सोचता था कि इस दावत पर कितना रुपया व्यय हो रहा है। कोठी के फाटक पर हरवंशलाल का स्वागत कर बनारसीदास ने अपने लड़के इन्द्रजीत के साथ भीतर भेज दिया। इन्द्रजीत ने हरवंशलाल से हाथ मिलाया और उसको लॉन में ले गया। मार्ग में हरवंशलाल ने पूछा, “आप लालाजी के यहाँ क्या काम करते हैं?”

“खाना-पीना, कपड़े पहनना और सो रहना।”

“आप उनके सम्बन्धी हैं?”

“वे मेरे पिता हैं।”

“तो आप कहीं पढ़ते हैं?”

“मैंने एम० ए० पास कर लिया है।”

“अब क्या करने का विचार है?”

“अभी निश्चय नहीं कर सका।”

“क्या नाम है आपका?”

“इन्द्रजीत।”

इन्द्रजीत का कोई परिचित वहाँ आ गया। वह उससे बातें करने लगा। हरवंशलाल किसी और से बातें करने लगा। वह बोला, “ओह, आप हैं तजावत साहब! कहिये, वीणादेवी नहीं आई क्या?”

“नहीं, मुरादाबाद एक सभा की सभानेत्री बनकर गयी हैं। कल तक लौट आयेंगी।”

“लाला बनारसीदास के जलसों में आने का तो मेरा पहला ही अवसर है। बहुत रुपया खर्च करते हैं।”

“हाँ, दिल के शेर हैं। कमाते हैं और खर्च भी करते हैं। चन्दे भी दिल खोलकर देते हैं। एक-आध लाख तो बातों-ही-बातों में दे डालते हैं।”

“परमात्मा ने दिया है तो देते भी हैं।”

“कांग्रेस वाले तो इनसे माँगते ही रहते हैं। देहली की कोई ही संस्था होगी जहाँ इनका रुपया न जाता हो।”

इस समय कमाण्डर-इन्-चीफ आ गए और सब लोग शामियाने में जा पहुँचे। एक-एक मेज पर चार-चार मेहमान थे। सआदत हुसैन, हरवंशलाल, इन्द्रजीत और इन्द्रजीत के एक मित्र एक मेज पर बैठ गए। उनके बैठते ही एक नौकर ने मेज पर पड़ी जाली उठा दी और दूसरे ने चायदानी लाकर रख दी। और सब सामान वहाँ पहले ही रखा था। लोगों के बैठते ही कोठी के भीतर से किसी गाने वाले की धीमी-धीमी आवाज लाउडस्पीकर से आने लगी थी।

इन्द्रजीत को सआदत हुसैन पहले से जानता था। उसे कहने लगा, “भाई इन्द्रजीत, यह अफसरों की खुशामद तो होती है। हमें भी कभी-कभी याद कर लिया करो न। देखो, कांग्रेस-सेवक-दल के लिए रुपये की जरूरत है। अपने पिता जी से कहना हम आयेंगे।”

“अभी उस दिन पं० महावीरप्रसाद इसी मतलब के लिए एक हजार ले गए हैं।”

“ओह ! परन्तु मैं होता तो दस हजार से कम में न मानता।”

“मुझे भी अफसोस है। लालाजी ने एक हजार दे तो दिया था पर ऐसी खरी-खरी मुनाई थीं कि मेरे विचार में पंडितजी फिर कोठी में कदम नहीं रखेंगे।”

“क्या कहा था ?”

“कहते थे, ‘कांग्रेस-सेवक-दल कहीं दिखाई तो देता नहीं। रुपया माँगने प्रति वर्ष आ जाते हो। भला, बताओ कि सेवक-दल क्या-क्या काम करता है ?’

“पंडित जी ने कहा, ‘कांग्रेस के जलसों में प्रबन्ध करता है।’

“बस इस बात पर तो लालाजी बरस पड़े। बोले, ‘पिछले मास पं० जवाहर-लाल का गांधी ग्राउण्ड में व्याख्यान था। बीस हजार से अधिक लोग नहीं थे। इस पर भी इतनी गड़बड़ मची थी कि सैकड़ों के जूते गुम हो गए। दो औरतें भगा ली गईं। एक बच्चा तो कुचलते-कुचलते बचा। पं० जवाहरलाल कुप्रबन्ध देख स्वयं इतने क्रोधित थे कि कई बार उबल उठे थे। खाक है आपका सेवक-दल। मैं समझता हूँ आप लोगों को संगठन करने का ढंग ही नहीं आता।”

सआदत हुसैन हँस पड़ा और कहने लगा, “तो लालाजी को सेवक-दल का नेता बना देना चाहिए।”

हरवंशलाल ने कहा, “तो फिर रुपया कितने लीजिएगा ?”

इन्द्रजीत ने कहा, “पिताजी समझते हैं कि जब तक आप एक सुसंगठित स्वयं-सेवक-दल नहीं बना सकते आपके राजनीतिक कार्य सफल नहीं हो सकते।”

हरवंशलाल को इन्द्रजीत की बात का ढंग पसन्द आ रहा था। उसने इन्द्रजीत की बात का समर्थन ही किया। इससे सआदत हुसैन आवेश में आ कहने लगे, “हमारे यहाँ तो प्रत्येक सदस्य ही स्वयं-सेवक है। हम लाखों की संख्या में हैं...”

इस समय कमाण्डर-इन-चीफ माइक्रोफोन के सम्मुख खड़े हो अपना वक्तव्य देने लगे। लोग दत्तचित्त सुनने लगे। इस शान्ति में सआदत हुसैन को भी अपना आवेश अपने भीतर ही दबाना पड़ा। कमाण्डर-इन-चीफ ने कहा, “मैं लाला बनारसीदास को इतनी शानदार दावत के लिए धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी मेरे साथ इसमें सम्मिलित होंगे।”

लोगों ने तालियाँ पीट दीं।

“मैं एक और प्रसन्नतासूचक समाचार आपको सुनाता हूँ। लाला बनारसीदास ने एक लाख रुपया वाइसराय के युद्ध-फण्ड में दिया है।”

सारा शामियाना और बाहर का मैदान तालियों से गूँज उठा। कमाण्डर-इन-चीफ ने कहना जारी रखा, “आपने पाँच लाख के ‘डिफेंस बौण्ड’ भी खरीदे हैं।” फिर तालियाँ बजीं।

“मैं लालाजी की देशभक्ति और सरकार के प्रति वफादारी के लिए हृदय से उनकी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देहली के रईस इस उदाहरण का अनुकरण कर ऐसे नाजुक मीके पर अपने देश की सहायता करेंगे।”

कई मिनट तक तालियाँ बजती रहीं। पश्चात् ‘गॉड सेव दि किंग’ का रिकार्ड लाउडस्पीकरों में बजा और दावत समाप्त हुई।

जाने से पूर्व हरवंशलाल धन्यवाद देने के लिए बनारसीदास से मिला। वहाँ फिर इन्द्रजीत से भेंट हुई।

: १४ :

हरवंशलाल ने जब से इन्द्रजीत को देखा था, उसके मन में एक बात चक्कर काट रही थी। दावत से घर आया तो कमला की माँ को बुलाकर पूछने लगा, “कमला की क्या आयु है?”

“सत्रह वर्ष।”

“अब तो विवाह के योग्य हो गई है, क्यों?”

“यह बात मुझसे पूछने की है क्या?”

“अरी, सुनो। मैं आज एक लड़का देखकर आया हूँ। लाला बनारसीदास देहली के एक बहुत बड़े रईस हैं। उनके लड़के ने अभी एम० ए० पास किया है। हमारे नरेन्द्र जितना ही प्रतीत होता है।”

“कुछ बातचीत भी हुई है?”

“बातें तो बहुत हुई हैं पर विवाह के विषय में अभी कुछ नहीं कहा।”

“तो फिर और क्या कहते रहे हो?”

“अरी पगली! एक दिन उन्हें बुलाकर आराम से बातचीत होगी।”

कुछ दिन पश्चात् हरवंशलाल बनारसीदास से मिलने गया। भेंट हुई और कुछ काल तक इधर-उधर की बातों के पश्चात् हरवंशलाल ने कहना आरम्भ

किया, “आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपमे प्रतिस्पर्द्धा करने की मुझमें हिम्मत नहीं है। फिर भी यदि आप बुरा न मानें तो मैं आज अपने आने का प्रयोजन करूँ।”

“हाँ, हाँ,” बनारसीदास ने गम्भीर हो कहा, “आप निस्संकोच कहिये कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?”

“राम ! राम ! आप यह सेवा की बात क्या कहते हैं ? बात यह है कि सेवक की एक लड़की है। वह विवाह के योग्य हो गई है और इन्द्रजीत उसके लिए मंत्रथा योग्य वर प्रतीत होता है। यदि आपको स्वीकार हो तो आगे बात कहूँ?”

“स्वीकृति तो इन्द्रजीत की होगी। मैं तो केवल यह देखने का अधिकार रखता हूँ कि लड़की वालों का परिवार कैसा है। आपके विषय में जो कुछ मैं अभी तक जानता हूँ वह बहुत कम है, इस पर भी असन्तोषजनक नहीं है। और अधिक जानकारी धीरे-धीरे बढ़ सकती है। हाँ, पूर्व इसके कि आप इस सम्बन्ध की धारणा को मन में जमने दें, एक बात समझ लें। यह जो कुछ बाहरी आडम्बर आप देख रहे हैं मेरा वास्तविक रूप नहीं है। यदि आप मुझे, मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे भविष्य के जीवन को समझना चाहते हैं तो आइये मैं आपको दिखाता हूँ।”

इतना कह बनारसीदास अपने स्थान से उठा और हरवंशलाल को साथ आने का संकेत करने लगा। विवश हरवंशलाल, बिना कुछ समझे, उठकर साथ हो लिया। बनारसीदास उसे साथ लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में कुछ भी सजावट का सामान नहीं था। कोई पंखा भी नहीं लगा था। एक ओर एक तख्त-पोश था जिस पर चटाई बिछी थी। बनारसीदास ने कहा, “यह मेरे सोने का स्थान है। आगे आइये।” वह उसे एक दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ फर्श पर एक चटाई बिछी थी। उस पर एक ओर गीता की एक पुस्तक पड़ी थी। बनारसीदास ने बताया, “यह मेरा स्वाध्याय का कमरा है। यहाँ केवल एक ही पुस्तक है और वह है गीता। रहा मेरा अतुल धन। यह मैंने स्वयं कमाया है और मैं अपने लड़के को इसमें से बहुत छोटा भाग, जो किसी प्रकार से दस हजार रुपये मे अधिक नहीं होगा, दूँगा। शेष सब धर्मार्थ जायेगा। मैंने अपने लिए अलमोड़ा में एक छोटी-सी कुटिया बनवा ली है। वहाँ शेष जीवन व्यतीत करने चला जाऊँगा। लड़के को उस दस हजार रुपये से अपना जीवन आरम्भ करना होगा। मैं तो अपनी जेब में केवल पाँच रुपये लेकर दिल्ली आया था।”

हरवंशलाल भौंचक्का हो, मुख देखता रह गया, परन्तु वह इतनी जल्दी परास्त होने वाला आदमी नहीं था। उसने भी एक सौ रुपये की पूँजी से अपना कारोबार आरम्भ किया था और अब उसका दस-बीस लाख का कारोबार हो गया था। इसने कहा, “बनारसीदासजी, मुझे क्षमा करें। मैंने तो इन्द्रजीत को योग्य वर कहा है। उसके पिता की धन-सम्पत्ति को अच्छा-बुरा नहीं कहा। मैं तो

मनुष्य से मनुष्य का सम्बन्ध चाहता हूँ। आप अपने लड़के को क्या और कितना दीजियेगा, यह मेरे जानने की बात नहीं। मैं तो समझता हूँ कि इन्द्रजीत योग्य लड़का है। उसको दामाद बना मैं सुख और सन्तोष की आशा करता हूँ।”

“तब ठीक है,” बनारसीदास ने पुनः दफतर की ओर लौटते हुए कहा, “दोनों परिवारों को मिलने-जुलने का अवसर मिलना चाहिए। शेष ईश्वर के अधीन है।”

हरवंशलाल ने बनारसीदास के परिवार को एक दिन सायं समय अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दे दिया। बनारसीदास और उनके परिवार के लोग आये तो हरवंशलाल ने अपने घर के लोगों का परिचय कराया। वह कहने लगा, “ये हैं मेरी धर्मपत्नी, कमला की माँ। हमारा विवाह सन् १९२३ में हुआ था। इनकी प्रशंसा यदि इनके मुख पर कहीं तो मुझसे झगडा करने लगती हैं। यह है मेरी लड़की, कमला। जन्म सन् १९२५ में हुआ था। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। घर का सब काम स्वयं भी कर सकती है। सीने-पिरोने और संगीत में इसे विशेष रुचि है। यह है विनय। कमला से एक वर्ष बड़ा है। कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ता है। विज्ञान में विशेष रुचि रखता है। यह हाँकी बहुत अच्छी खेलता है और इस खेल में हिन्दुस्तान के एक नम्बर के खिलाड़ियों में माना जाता है। अब लीजिए, ये विजय महाशय हैं। ये हमारे घर सन् १९२६ में पधारे थे। इनको केवल एक शौक है और वह है चित्र बनाने का। ये व्यंग्यात्मक चित्र बनाने में अपने को सिद्धहस्त करना चाहते हैं। मेरी शुभ-कामना इनके साथ है।”

अन्त में हरवंशलाल ने नरेन्द्र का परिचय कराया, “यह मेरा भतीजा नरेन्द्र है। इतिहास में एम० ए० है। इसके पिता का देहान्त मार्शल-लॉ की घटनाओं में हुआ था। माँ बेचारी इसे पढ़ाने में मेहनत करती मर गई। अब यह हमारे यहाँ रहता है।”

भोजनोपरान्त सब लोग कोठी के ड्राइंग-रूम में आये और छोटी-छोटी मण्डलियों में बैठ बातें करने लगे। कमला की माँ और इन्द्रजीत की वृथा एक मोफे पर बैठ गई और कमला के विषय में बातें करने लगीं। एक दूसरे मोफे पर इन्द्रजीत, कमला और विनय बातें करने बैठ गए। विनय हाँकी के विख्यात खेलों में अपने कारनामों का वर्णन करने लगा। इन्द्रजीत अपने कल्लिज-जीवन की मनोरंजक घटनाएँ सुना रहा था। कमला चुपचाप वैंठी दोनों की बातें सुन रही थी। ड्राइंग-रूम के दूसरे कोने में विजय पैमिल में एक कागज के टुकड़े पर इन्द्रजीत की तस्वीर बनाने बैठ गया। नरेन्द्र को विजय का काम बहुत पसन्द आया। वह उसके पास बैठ उसे ड्राइंग करते देखने लगा। हरवंशलाल बनारसीदास को लेकर बाहर बरामदे में जा पहुँचा। वहाँ दोनों आराम-कुर्सी पर बैठ सिगार सुलगा कक्ष लगाने लगे।

नरेन्द्र के पिता के मार्शल-लाॅ की घटनाओं में मारे जाने के समाचार ने बनारसीदास के मन में इस विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुकता उत्पन्न कर दी। वह स्वयं भी उन घटनाओं से घायल था। स्वाभाविक रूप में नरेन्द्र के लिए उसके मन में सहानुभूति उत्पन्न हो गई और वह हरवंशलाल से नरेन्द्र के विषय में अधिक परिचय प्राप्त करने लगा। धीरे-धीरे उसने उसकी पूर्ण कथा जान ली— उसका बचपन, उसकी माँ के विचार, उसकी पढ़ने-लिखने में योग्यता और खेल-कूद में शौक, उसके अपने विचार उसके विवाह के विषय में डिप्टी रघुवरदयाल का प्रस्ताव और उसका इनकार कर देना, इस पर डिप्टी साहब का उससे रूठ जाना। इन सब बातों को बनारसीदास ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके अपने मन के उद्गार भी उसी मार्ग पर जाते थे जिस पर नरेन्द्र के जा रहे थे। इस पर भी अपने मन की बात न बताते हुए उसने पूछा, “आप लड़के के लिए क्या कर रहे हैं?”

“मैं उसके खाने, पहनने और रहने का ही प्रबन्ध कर सकता हूँ, सो मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि वह डिप्टी साहब की लड़की से विवाह स्वीकार कर लेता। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि किसी अच्छे स्थान पर नौकर करवा देंगे।”

हरवंशलाल की इच्छा सुन बनारसीदास को विस्मय हुआ, परन्तु उसने अपने विचार प्रकट नहीं किये और वार्तालाप का विषय बदल दिया। उसने कहा, “जहाँ तक इन्द्रजीत के विवाह का सम्बन्ध है, मैं वही करूँगा जो वह चाहेगा। रहा उसके काम-धन्धे का प्रश्न, सो मैं अपनी धारणा आपको बता चुका हूँ।”

“आपने कहा था न, कि आप लड़के को दस हजार रुपये पूँजी के लिए दे देंगे। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। जैसा आप उचित समझें करें। परन्तु आपको यह तो विचार करना ही होगा कि दस हजार में कोई काम-धन्धा चल भी सकेगा?”

“जो कुछ भी हो, उसे इसी में प्रबन्ध करना होगा।”

“पर आप चन्दों में तो लाखों दे देते हैं।”

“वह तो व्यापार है। एक लाख दिया तो सरकारी ठेकों से दस लाख कमाया भी है।”

हरवंशलाल यह सोचता था कि लालाजी का एक ही तो लड़का है। वे इतने निष्ठुर नहीं हो जायेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर हाथ खींच लेंगे। इससे उसने फिर कहा, “मैंने विवाह का प्रस्ताव आपका धन देखकर नहीं किया। मैंने तो इन्द्रजीत को पसन्द किया है।”

दूर टाउन-हॉल के घड़ियाल में रात के ग्यारह बजने का शब्द हुआ। बनारसी-दास ने उठते हुए कहा, “अब सोने का समय हो गया है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए।”

दोनों ड्राइंग-रूम में चले आये। इस समय कमला और इन्द्रजीत दोनों धूल-

धुलकर बातें कर रहे थे। दूसरी ओर नरेन्द्र और विनय विजय द्वारा बनाये गए इन्द्रजीत के चित्र पर हँस-हँसकर दुहरे हो रहे थे।

हरवंशलाल और बनारसीदास भी तसवीर देखने पहुँच गए। बनारसीदास तसवीर देख खिलखिलाकर हँस पड़ा।

इन्द्रजीत का चित्र बहुत अच्छा बना था। इन्द्रजीत पहचाना जा सकता था। तसवीर में वह स्टूल पर खड़ा हो पेड़ से नारंगी तोड़ता दिखाया गया था। स्टूल पाँव तले से निकल गया था और वह भूमि पर गिरने वाला था। इस गिरने के समय उसके मुख, मस्तक और आँखों की रेखाएँ देखने योग्य थीं। उसके हाथ और पाँव हवा में लटक रहे थे और बहुत ही अद्भुत दिखाई देते थे। चित्र के नीचे लिखा था : उधार लिया हुआ बड़प्पन।

बनारसीदास कभी तसवीर को देखता था, कभी इन्द्रजीत को। इन्द्रजीत अभी भी खड़ा कमला से बातें कर रहा था।

बनारसीदास ने पुत्र को आवाज दी, “साहब बहादुर आइये और अपनी हालत देखिए।”

इन्द्रजीत चौंक उठा। सबको अपने पर हँसते हुए देख, आकर, पिता के हाथ में तसवीर देखने लगा। तसवीर का भाव देख समझ गया और बोला, “बेहूदा।”

पिता ने पुत्र की ओर घूरकर देखा। वह चुप कर गया। बनारसीदास ने विजय की ओर देखकर पूछा, “इस तसवीर का क्या दाम लोगे?”

विजय का उत्तर था, “मैंने अभी दूकान नहीं खोली।”

“बिना दूकान के भी तो माल बिक सकता है।”

“यह बिकाऊ नहीं है। यह आज के आनन्दमय दिवस की स्मृति मेरे एलबम में रहेगी।”

सब हँस पड़े। बनारसीदास हँसने में सबसे आगे था।

जाते समय बनारसीदास ने सबको हाथ जोड़ नमस्ते कही। सबके पश्चात् वह नरेन्द्र से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। कारण यह था कि नरेन्द्र सबसे पीछे खड़ा था। हाथ मिलाने समय बनारसीदास ने नरेन्द्र को धीरे से कहा, “मुझे कल दोपहर के समय आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। खाना मेरे यहाँ खाइयेगा।”

“अच्छी बात,” नरेन्द्र का उत्तर था।

“ठीक एक बजे।”

जब पिता-पुत्र मोटर में सवार हो अपने घर जा रहे थे तो बनारसीदास ने पूछा, “इन्द्र, ये लोग कैसे जँचे हैं?”

“और तो सब ठीक है, केवल वह छोटा लड़का विजय बहुत वदमाश मालूम होता है।”

“क्यों? उस चित्र के कारण कहते हो? वह तो तुम्हारा वास्तविक चरित्र-

चित्रण था। मैं तो उस लड़के की प्रतिभा और कला-कौशल पर मोहित हो गया हूँ।”

“आप इसे मेरा अपमान नहीं समझते ?”

“इसमें अपमान क्या है ! काले को काला कहना अपमान करना नहीं कहाता और फिर कलाकार दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो कुरूप को रंग-रोगन लगाकर सुन्दर बना देते हैं। दूसरे वे जो बाहरी रंग-रूप को उखेड़ भीतर का अस्तित्व उघाड़ प्रत्यक्ष कर देते हैं। विजय की प्रतिभा इसी बात में है कि उसने तुम्हारी असलीयत निकालकर बाहर रख दी है।”

“पर यह तो असत्य है कि मैं निराश्रित-सा होकर घबरा उठा हूँ, या घबरा उठूँगा।”

“सत्य कहते हो, इन्द्र ? अच्छी बात। तुम्हारी परीक्षा ली जायेगी कि तुम बिना मेरे आश्रय के क्या कर सकते हो।”

“सफल होने का यत्न करूँगा।”

: १५ :

अगले दिन ठीक एक बजे नरेन्द्र बनारसीदास की कोठी में पहुँच गया। बनारसीदास कोठी के दरवाजे में खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। नरेन्द्र को देखते ही उसने जेब से घड़ी निकालकर समय देख कहा, “खूब, मैं यही आशा करता था।”

बनारसीदास नरेन्द्र का हाथ पकड़कर खाना खाने के कमरे में ले गया। वहाँ खाना परसा जा रहा था। दो आदमियों के लिए खाना लगाया गया था। नरेन्द्र ने पूछा, “इन्द्रजीत जी नहीं आयेंगे क्या ?”

“नहीं, मैं तुमसे एकान्त में बातचीत करना चाहता हूँ।”

दोनों खाने पर बैठ गए। बैरा कमरे में दीवार के समीप खड़ा था। आवश्यकता पर सामने से तश्तरियाँ बदल रहा था। बैरे की उपस्थिति में कोई विशेष बात नहीं हुई। साधारण ऋतु-सम्बन्धी बातें ही चलती रहीं। खाने के पश्चात् बनारसीदास नरेन्द्र को अपने सोने के कमरे में ले गया। वहाँ स्वयं तक्षपोश पर बैठ और नरेन्द्र को एक कुर्सी पर बैठाकर कहने लगा, “मैंने तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता की मृत्यु का इतिहास सुना है। तुम्हारी माता के साथ जो दुर्व्यवहार अंग्रेज सिपाहियों ने किया था, वह भी मुझे पता चल गया है और फिर उस देवी का जो आदेश था वह भी पता चला है। ऐसी दुर्घटनाएँ उस समय पंजाब में बहुत हुई थीं। उस समय के पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओड्वायर कट्टर ‘टोरी’ थे और उन्हें हिन्दुस्तानियों को अपमानित होते देखकर मजा आता था। मैं स्वयं भी एक ऐसी घटना का शिकार हूँ।”

बनारसीदास ने अपनी दूकान के लूट जाने, अपने कैद किये जाने और स्त्री की मृत्यु का वृत्तान्त सुनाया। पश्चात् अपने दिल्ली में आकर कंगाल से करोड़पति

बनने का इतिहास बताते हुए कहा, “जब मैं दिल्ली में आया था तो मेरे मन में भी सर्वथा वही भाव था जो मैंने आपकी माता के मुने हैं। मेरा रक्त प्रतिकार की भावना से उबल रहा था, परन्तु मैं जानता था कि वह आदमी जिसके पास रोटी खाने तक की सुविधा नहीं, जो अकेला, निस्सहाय और बहुत कम शिक्षित है, कैसे अपने साथ किये गए अन्याय का बदला ले सकता है। मैंने अपने में शक्ति उत्पन्न करने का यत्न किया। इसे उपलब्ध करने में जीवन-भर लगा देना पड़ा है। यद्यपि यह शक्ति काम के विचार से बहुत साधारण है, फिर भी यह मेरे जीवन का निचोड़ है और मैं इसे अपने मन की बात को पूरा करने में लगा देना चाहता हूँ। जब मैंने सुना कि आपकी माता ने भी अपने जीवन-भर की पूर्ण उपज को अपमान का बदला लेने में लगा देने का निश्चय किया हुआ था तो मेरा मन बल्लियों उछलने लगा। मैं अपने ही विचार और अपनी ही सी दृढ़ निष्ठा एक दूसरे व्यक्ति में देख अति प्रसन्न हुआ था। उस देवी ने दिन-रात मेहनत कर तुम्हें बनाया और मैंने खून-पसीना एक कर यह सम्पत्ति एकत्रित की है। दोनों के सम्मुख लक्ष्य एक ही है। तो क्या ये दोनों एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते? आप किस प्रकार अपनी माता के अपमान का बदला लेना चाहते हैं?”

नरेन्द्र बनारसीदास की बातें सुन एक क्षण के लिए अचम्भे में मुग्ध देखता रह गया। वह इस अवसर को ईश्वरप्रदत्त ही मानने लगा। अभी आध घंटा पहले वह अपनी पुस्तक के छपवाने तक के लिए परेशान था। अब यह सज्जन उसे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति अपनी योजना चलाने के लिए देने को कह रहा है। नरेन्द्र का हृदय इस अनायास ही प्राप्त हुई सहायता से धकधक करने लगा। उसने अपने मन के आनन्द को यथाशक्ति छिपाते हुए अपनी योजना बतानी आरम्भ कर दी। उसने कहा, “मैं आपको अपने मन की धारणा सिद्धान्त-रूप में बताना देना चाहता हूँ, ताकि आपको भ्रम न रह जाय।

“मुझे आपके धन से बहुत सहायता मिल सकती है, परन्तु यह सहायता आप सारी बात को जानकर ही दें तो ठीक रहेगा। मैं अपनी माँ का अपमान सम्पूर्ण हिन्दुस्तानी स्त्री-जाति का अपमान समझता हूँ। उस ठोकर मारने वाले गोरे को मेरी माँ अथवा मेरे परिवार से कोई निजी द्वेष नहीं था। वह गोरा मिपाही पूर्ण अंग्रेज जाति का प्रतिनिधि था और मेरी माँ हिन्दुस्तानी स्त्री-जाति की। इस अपमान का बदला किसी एक-आध गोरे अथवा डायर या ओड्वायर को मार देने में भी चुक नहीं सकता। पूर्ण जाति को मारा नहीं जा सकता और वास्तव में जाति अपनी सभ्यता की प्रतीक-मात्र होती है। इस कारण किसी जाति को मार डालने के अर्थ हैं उसकी सभ्यता का नाश कर देना। अंग्रेजों ने जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है वह उस सभ्यता के बल पर ही तो किया है जो उस जाति में प्रचलित है। इस सभ्यता के कारण ही जलियाँवाला बाग का हत्याकांड अथवा

अन्य अत्याचार की घटनार्ये घटित हुई हैं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि अंग्रेजी सभ्यता को संसार से मिटा देना ही हिन्दुस्तान पर किये गए अत्याचारों का बदला होगा। इस सभ्यता के नाश में हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिलवाना एक अंग है। हिन्दुस्तान में यूरोपीय सभ्यता का प्रभुत्व तब तक रहेगा जब तक अंग्रेजी राज्य यहाँ है। इस कारण मैं इस राज्य को बदल देना पहला कार्य समझता हूँ।

“दूसरी बात, जो मैं आपके मन पर अंकित करना चाहता हूँ वह महात्मा गांधी की नीति का थोथापन है। इस समय भारतवर्ष में महात्माजी की नीति की समालोचना करने वाले को कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसा इस कारण नहीं है कि महात्माजी की नीति पर लोगों का विश्वास हो गया है। पं० जवाहरलाल जैसे लोग भी इस पर विश्वास नहीं रखते, परन्तु उनमें एक चलती दूकान के मुकाबले दूसरी दूकान खोलने का साहस नहीं है। जन-साधारण, विशेष रूप में हिन्दू लोग, जप-पूजा, नाम-ध्यान पर अधिक श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और अपनी बुद्धि और बल को प्रयोग में नहीं लाते। यह भारतवर्ष में सदियों से संत-साधुओं की दी हुई शिक्षा के कारण है। सब संत लोग यह कहते रहे हैं कि भगवान् ही निर्बलों का सहारा है—

निर्बल के प्राण पुकार रहे,

जगदीश हरे, जगदीश हरे।

“सदियों की इस शिक्षा का प्रभाव है कि इस समय जवाहरलाल जैसा नेता भी महात्माजी से मतभेद रखता हुआ अपने को अशक्त पाता है। मैं एक छोटा-सा प्राणी हूँ, परन्तु यह मानता हूँ कि महात्माजी की नीति हिन्दुस्तान को न तो स्वतन्त्र कराने में समर्थ है और न ही पाश्चात्य सभ्यता को, जो सब पापों का मूल है, मिटा सकने की शक्ति रखती है। इसके स्थान पर दूसरी नीति का अवलम्बन करना होगा।

“तीसरी बात, कोई कार्य विचार कर योजना बनाये बिना नहीं चल सकता। दिन-रात जलसों में व्याख्यान देने वाले, प्रति पाँच-छः वर्ष के पश्चात् जेल में जाकर प्रगतिशील संसार से पृथक् हो जाने वाले और आन्दोलन के झमेलों में फँसे हुए लोग कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। भारतवर्ष हथियार छिन जाने से अपाहिज हो गया है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इसको सशस्त्र करना है। इस समस्या को कठिन मान और इसको करने के लिए अवसर न होने से नेताओं का यह मान लेना कि बिना ऐसा किये हम स्वतन्त्र हो जायेंगे, इतनी बड़ी भूल है जितना कि यह कह देना कि हिमालय को हम हवा से उड़ा देंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि नीति निश्चय करने वाले वे लोग नहीं हो सकते जिनको कार्य-क्षेत्र से पृथक् हो कभी बैठकर विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। ब्राह्मणों का भ्रष्टिओं से पृथक् होना आवश्यक है। शिक्षकों का कार्यकर्ताओं से पृथक् होना ही

देश के लिए लाभ की बात है। महात्माजी की सन् १९१२ में या इससे भी पूर्व की सोची हुई अहिंसात्मक योजना आज १९४२ में भी चल रही है और उसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। प्रत्येक बार और प्रत्येक स्थान पर जहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है, यह विफल रही है। फिर भी यह उसी रूप में चल रही है। कारण स्पष्ट है कि महात्माजी के पास संसार की नित्य बदलती परिस्थिति के अध्ययन के लिए और फिर उसका मुकाबला करने के उपायों पर विचार करने के लिए अवसर ही कहाँ है। अर्थात् मैं महात्माजी की मुख्य नीति, अहिंसात्मक उपायों से ही स्वराज्य प्राप्त करने में, विश्वास नहीं रखता।

“मैं यह मानता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। अंग्रेजों की सभ्यता भी इसी सभ्यता का एक अंग है। मैं इस सभ्यता का नाश कर देना चाहता हूँ। इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य का नाश करना आवश्यक है। जहाँ-जहाँ यह साम्राज्य गया है, अत्याचार और अन्याय साथ-साथ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि संसार के लोग यह समझने लगे कि अंग्रेज जाति को सभ्यता मिथ्या विचारों पर आश्रित है। उनका प्रभुत्व अन्याय और अत्याचार से बना है। इस अभिमान से भरी जाति को आसमान से खींचकर भूमि पर लाकर पटक देने से ही मेरी माँ का बदला चुक सकता है।”

बनारसीदाम ने कहा, “परन्तु यह कितनी कठिन बात है।”

“धीर और वीर लोग कठिनाई में नहीं डरते।”

“हिन्दुस्तान से अंग्रेजी राज्य और फिर पाश्चात्य सभ्यता अब जा नहीं सकती। अब तो हिन्दुस्तानी स्वयं इसे पसन्द करने लग गए हैं। जब हम स्वयं अंग्रेजी सभ्यता को उच्चकोटि की मानते हैं, अंग्रेजी साहित्य को संसार में प्रथम श्रेणी का समझते हैं और उनके रहन-सहन के तरीकों को अपने में धारण कर रहे हैं तब अंग्रेजी राज्य बाहरी रूप में चला भी जाय पर वास्तविक रूप में तो रहेगा। हमसे अन्याय और अत्याचार तो विराजमान रहेंगे ही।”

“मैं यह समझता हूँ कि अंग्रेजी राज्य, सभ्यता, साहित्य, कला और राजनीतिक तरीकों को केवल उन हिन्दुस्तानियों ने ग्रहण किया है जो दुर्बल, अल्पशिक्षित, निकम्मे और साहसहीन हैं। ऐसे लोगों की तो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए आवश्यकता ही नहीं। जो सहायता करने की शक्ति नहीं रखते, वे विरोध करने की भी क्षमता नहीं रखते। वे स्वयं कुछ नहीं हैं। उनमें यदि कहीं कुछ भी शक्ति का भास होता है तो वह ब्रिटिश शक्ति का प्रतिबिम्बमात्र है। ऐसे हवा के झोंकों में बह जाने वाले लोग, ब्रिटिश शक्ति के क्षीण होते ही, शक्तिहीन और प्रभावहीन रह जायेंगे।”

“मान लिया कि तुम्हारा कहना ठीक है, पर इस समय काम कैसे चल सकता है? एक ओर हिमालय पर्वत की भाँति अविचल ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर है। दूसरी ओर देश में तुम्हारे उपायों पर विश्वास न रखने वाले भरे पड़े हैं। तीसरी बात

पह है कि मुसलमान यहाँ हिन्दुओं को, जिस किस भाँति भी, नीचा दिखाकर प्रसन्न होते हैं। तुमने देखा नहीं कि जब प्रान्तीय सूबों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दिये थे तो मुस्लिम लीग ने इसे मुसलमानों की जीत मानी थी। यह बात तो किसी से छिपी नहीं कि वे इस्तीफे न तो मुसलमानों के प्रयत्न से दिये गए थे और न ही हिन्दुओं के किसी विशेष अधिकार की रक्षा में थे। मुसलमानों को इससे क्या लाभ हुआ था, यह स्पष्ट नहीं है। फिर भी उनका प्रसन्न होना केवल यह प्रकट करता है कि वे हिन्दुस्तान में स्वराज्य नहीं चाहते। उन्हें अंग्रेजों के यहाँ रहने में लाभ है।”

“ये सब बातें मैं समझता हूँ। फिर भी यदि ठीक ढंग पर काम किया जाय तो ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़कर बाहर किया जा सकता है। मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। मैं चाहता हूँ कि उसे छपवाकर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करूँ। पश्चात् यहाँ देश में क्रान्तिकारियों का संगठन किया जाय। क्रान्ति का कार्य भारतवर्ष जैसी परिस्थिति में कैसे चलाया जा सकता है, यह उस पुस्तक में लिखा है। यह पुस्तक मेरी योजना की पहली कड़ी है।”

“क्या मैं इसकी पांडुलिपि पढ़ सकता हूँ?”

“अवश्य। मैं इसे आपको कल दे जाऊँगा।”

“अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आपकी बुद्धि और मेरे धन की शक्ति तब ही एकत्रित हो सकती है जब मैं आपकी पुस्तक पढ़ आपके आशय को भली-भाँति समझ लूँ।”

इसके पश्चात् इधर-उधर की बातें होती रहीं।

अगले दिन नरेन्द्र ने अपनी पुस्तक की पांडुलिपि बनारसीदास को दे दी। वास्तव में उसके लिखने में बहुत परिश्रम और विचार-विनिमय किया गया था। पुस्तक को पढ़ बनारसीदास को यह अनुभव हुआ कि नरेन्द्र की बातें युक्तियुक्त हैं। वह केवल एक बात नहीं समझ सका था कि यदि नरेन्द्र के विचार युक्तियुक्त हैं तो महात्मा गांधी जैसे मान्यगण क्या इसे नहीं जानते? और यदि जानते हैं तो इसे अपनाते क्यों नहीं? नरेन्द्र ने अपनी पुस्तक में अपनी प्रत्येक धारणा के लिए प्रमाण, युक्तियाँ और उदाहरण दिये थे। बनारसीदास के मन में एक बात ने गहरा प्रभाव डाला। वह यह कि महात्माजी की नीति लोगों में जागृति उत्पन्न करने में, सम्भव है, सफल हुई हो, परन्तु उनको संगठित करने में तो किसी प्रकार भी सफल नहीं हुई। समय पर सरकार भले ही झुक भी गई हो, परन्तु बाद में तो वैसे की वैसे ही रही है। इस झुक जाने में सरकार की नीति काम करती है न कि महात्मा जी का आन्दोलन।

वहुत सोच-विचार के पश्चात् बनारसीदास ने नरेन्द्र की पुस्तक छपवाने का निश्चय कर लिया। इससे वह चाहता था कि दूसरे लोगों की राय का पता चल जाये। साथ ही उसकी इच्छा थी कि नरेन्द्र की ध्याति बढ़े।

: १६ :

पुस्तक छपी और बाँटी गई। इमने पढ़े-लिखे लोगों में हलचल मचा दी। यों तो यह पुस्तक क्रान्ति उत्पन्न करने के विचार की प्रबल पोषक थी, परन्तु किसी जाति-विशेष को लक्ष्य रखकर नहीं लिखी गई थी। सरकार का ध्यान इस पुस्तक की ओर न जाता यदि डिप्टी रजिस्ट्रारदयाल की लड़की मनोरमा नन्दलाल से विवाह करने के लिए राजी हो जाती। डिप्टी साहब का विचार था कि नरेन्द्र का काँटा जब तक निकल नहीं जाता तब तक मनोरमा को विवाह के लिए राजी नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने जब सुना कि नरेन्द्र ने कोई पुस्तक लिखी है तो इस बहाने उसको फँसाने के उपाय करने लगे। डिप्टी साहब ने अफसरों से कहकर पुस्तक को जप्त करवा दिया और नरेन्द्र की गिरफ्तारी के वारण्ट निकलवा दिये।

मनोरमा के मन में भारी विचार-संघर्ष चल रहा था। नरेन्द्र के सम्पर्क में आने से पूर्व उसका राष्ट्रीयता की ओर ध्यान नहीं था। संसार उसके लिए खेल-तमाशे का स्थान था। बड़िया खाना, बड़िया पहनना और मखियों में हँसी-मजाक के अतिरिक्त करने को उसके लिए और कुछ नहीं था। वी० ए० में इतिहास उमने इस कारण पढ़ा था कि इसमें परीक्षा पास करनी सुगम थी। जब उसके पिता ने नरेन्द्र को उसका होने वाला पति बताया तो वह उसकी बातों में रुचि दिखाने लगी। वह ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनती और मनन करती। नरेन्द्र ने जब १९१६ के मार्शल-ला की घटनाओं का मविस्तार वर्णन किया तो उसके आँसू उमड़ आये और वह देश की राजनीतिक अवस्था पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगी। राष्ट्रीयता की पुट उसके मस्तिष्क पर पक्की नहीं चढ़ी थी कि नरेन्द्र ने विवाह की बात टूट गई। नरेन्द्र में उसका मेल-मिलाप बन्द हो गया। इसमें वह अपने में कुछ-कुछ वैचैती अनुभव करने लगी। इसी समय डिप्टी साहब अपनी कूटनीति से नरेन्द्र के आचार-व्यवहार की निन्दा करने लगे। अब इन्स्पैक्टर नन्दलाल से उसके विवाह की चर्चा आरम्भ हुई। आरम्भ में तो मनोरमा ने इनकार किया, परन्तु धीरे-धीरे नरेन्द्र की ओर से कोई प्रोत्साहन न पा और अपने पिता के मुख से उसकी निन्दा सुन, वह नरम पड़ गई। इसी समय देहली के एक प्रसिद्ध ठेकेदार बनारसी-दास के लड़के इन्द्रजीत से कमला की सगाई का समाचार छपा। इससे उसके विचार नरेन्द्र के विषय में सर्वथा ढीले पड़ गए।

एक दिन कमला उससे मिलने आई तो मनोरमा ने उसकी सगाई का समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा हुआ दिखाया। कमला का मुख लज्जा से लाल हो गया और वह आँखें नीची किये चुप बैठी रही। मनोरमा ने कहा, “कमला बहन, तुम आगे निकल गई हो न ?”

“नहीं, तुम पीछे रह गई हो, बहन,” कमला ने धीरे से कहा। “तुम्हारे पिता जी ने भी तो तुम्हारे विचार की बात ही है जब तुम मानती ही नहीं तो फिर

क्या हो ?”

“कोई मानने-योग्य बात भी तो हो। भला, बताओ तो, तुमने जीजाजी को देखा है ?”

कमला ने एक बार मनोरमा के मुख की ओर देखा और आँखें नीची कर सिर हिला दिया। मनोरमा ने मुस्कराते हुए पूछा, “भला, बताओ तो, कैसे है ?”

“पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छे हैं।”

“और तुम क्या कहती हो ?”

“पिताजी मुझसे अधिक समझ-बूझ रखते हैं।”

इस उत्तर ने मनोरमा को चुपचाप डिप्टी साहब की राय के सम्मुख सिर झुकाने के लिए तैयार कर दिया।

मनोरमा और कमला दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिनों का ही अन्तर पड़ा था। कमला के विवाह के कुछ दिन पूर्व की बात है कि नरेन्द्र के, विप्लव पैदा करने वाली पुस्तक लिखने के अपराध में, वारण्ट निकल गए।

नरेन्द्र को इस बात का पता चल गया था, इस कारण वह फरार हो गया। इस समाचार को नमक-मिर्च लगाकर मनोरमा को सुनाया गया। मनोरमा की माँ ने सुना तो ईश्वर का धन्यवाद किया कि उनकी लड़की गड्डे में गिरती-गिरती बची। ऐसी स्थिति में मनोरमा का क्या होता, वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मनोरमा को कुछ थोड़ा-सा दुःख हुआ था, परन्तु निकट भविष्य में होने वाले विवाह के कामों में व्यस्त होने के कारण वह इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकी।

इन्द्रजीत और कमला परस्पर बहुत प्रसन्न थे। परन्तु मनोरमा का विवाह ऐसे पति के साथ हुआ था जिसकी पहली स्त्री मर चुकी थी। नन्दलाल मनोरमा की बहुत खातिर और मान करता था। उसके मन में भय समाया हुआ था कि कहीं यह भी उसकी पहली स्त्री की भाँति संसार न छोड़ दे। कहीं मनोरमा को छींक भी आ जाती तो डॉक्टर बुला लिया जाता था। नन्दलाल मनोरमा को प्रसन्न रखने के लिए प्रत्येक यत्न करता रहता था। मनोरमा को नन्दलाल से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। वह मन के उन उद्गारों को जो नरेन्द्र से सम्पर्क के समय में उठा करते थे, शारीरिक सुख में भूलती जाती थी।

बनारसीदास इन्स्पैक्टर नन्दलाल से बहुत अधिक धनवान था, इस पर भी भूषण-वस्त्र मनोरमा के पास अधिक थे। कमला को भूषणों का एक सैट माँ के घर से मिला था और एक बनारसीदास ने बनवा दिया था। इसके विपरीत मनोरमा जब भी कमला से मिलने आती थी, नयी पोषाक और नये भूषण पहनकर आती थी। इससे कमला को कभी-कभी कुछ लज्जा अनुभव होती थी। इसके अतिरिक्त उसे कोई कष्ट नहीं था।

कमला जानती थी कि एक समय नरेन्द्र से मनोरमा के विवाह की चर्चा थी। इस कारण वह नरेन्द्र के विषय में कोई बात मनोरमा के सम्मुख नहीं कहती थी। मनोरमा के मन में नरेन्द्र के विषय में कभी-कभी विचार उठते रहते थे। एक तो देश की परिस्थिति जल्दी-जल्दी बदल रही थी और दूसरे डिप्टी साहब अपने दामाद को नरेन्द्र का सरकार के प्रति वागी होने का परिचय देते रहते थे। मनोरमा ऐसे अवसरों पर सोचती थी कि वह कहाँ होगा, क्या करता होगा। जब नरेन्द्र की पुस्तक 'सफल क्रान्तियाँ' छपी थी तो एक प्रति मनोरमा के पास भी आयी थी। उस समय मनोरमा के मन में नरेन्द्र के प्रति विष भर दिया गया था, इसलिए उसने पुस्तक का पार्सल तक नहीं खोला था। वह ज्यों-का-त्यों उसकी मेज की दराज में रखा था। विवाह के कुछ दिन पूर्व उसे पता चला था कि पुस्तक के लिए उसके वारण्ट निकले हुए हैं। इस समाचार से उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई थी कि वह क्या बात है जिसके लिए सरकार को उसके वारण्ट निकालने पड़े हैं। परन्तु विवाह समीप होने से घर में काम-काज अधिक था और बहुत से सम्बन्धी भी आये हुए थे, इस कारण पुस्तक पढ़ने का अवसर नहीं था। अब विवाह हुए दो मास हो चुके थे। जीवन फिर शान्त हो गया। वह उत्सुकता, उत्कंठा, नये जीवन के अनुमानों और अरमानों से उत्पन्न गुदगुदी मिट-सी गई थी। एकसार, धारा-प्रवाह-सा बहता हुआ जीवन चल पड़ा था।

आज समाचार-पत्र में छपा था कि देहली में चालीस के लगभग नरेन्द्र नाम के व्यक्ति पकड़े गए और पता लगने पर कि उनमें एक भी 'सफल क्रान्तियाँ' पुस्तक का लेखक नहीं था, सब छोड़ दिये गए। इस समाचार ने मनोरमा के मन में नरेन्द्र की पुस्तक पढ़ने की अभिलाषा फिर जाग्रत् कर दी। इन्स्पैक्टर साहब के काम पर जाते ही वह अपने पिता के घर गई और अपनी मेज के दराज से पुस्तक का पार्सल उठा लाई।

पुस्तक अति रोचक थी। विशेष रूप में रूस की सन् १९१७ की क्रान्ति का वर्णन बहुत रोचक था। पुस्तक चार भागों में बँटी हुई थी। एक भाग में, लेखक ने संसार के इतिहास में जितनी भी क्रान्तियों का उल्लेख आया है, गिनाई थीं और उनके होने से पूर्व उन देशों की अवस्था और लोगों की मानसिक प्रवृत्ति का वर्णन किया था। इस भाग में उसने यह भी लिखा था कि क्रान्ति होने के पूर्व कौन-कौन-सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंनी आवश्यक हैं। पुस्तक के दूसरे भाग में उन योजनाओं पर प्रकाश डाला गया था जो भिन्न-भिन्न क्रान्ति चलाने वालों ने चलाई थीं। प्रायः लोग कहते हैं कि किसी क्रान्ति के सफल अथवा असफल होने में ईश्वर का अथवा संयोग का हाथ होता है। नरेन्द्र यह नहीं मानता था। वह प्रत्येक सफलता में चतुराई और प्रत्येक असफलता में भूल देखता था। यह बात उसने घटनाओं के तारतम्य से सिद्ध की थी। तीसरे भाग में उसने क्रान्ति के पश्चात्

सुव्यवस्था स्थापित करने के यत्नों का उल्लेख किया था। लेखक सफल क्रान्ति उसे ही मानता था जिसके परिणामस्वरूप देश अथवा जाति अपने लक्ष्य के समीप पहुँच गई हो। चौथे भाग में उसने भारतवर्ष में राज्य पलट देने के दो-चार प्रयत्नों का उल्लेख किया था और उन सिद्धान्तों के आधार पर, जो उसने पुस्तक के पहले तीन भागों में सिद्ध किये थे, भारतवर्ष की क्रान्तियों की असफलता की समीक्षा की थी। यह सब इतनी रोचक और सरल भाषा में लिखा गया था कि मनोरमा पढ़ने बैठी तो सायङ्काल तक पढ़ती रह गई।

नन्दलाल घर आया तो मनोरमा को एक पुस्तक पढ़ते देख चुपचाप कपड़े उतार चाय पीने के लिए तैयार हो गया। वह मनोरमा के पढ़ने में विघ्न डालना नहीं चाहता था। मनोरमा पुस्तक पढ़ने में इतनी लीन थी कि उसको पति के आने और आकर कपड़े बदलने का पता नहीं चला। नौकर चाय का सामान सम्मुख रख गया। तब भी मनोरमा पढ़ रही थी। अन्त में नन्दलाल को कहना पड़ा, “रानी, चाय का समय हो गया है।”

मनोरमा का ध्यान भंग हुआ। उसने जब पति को देखा कि वह कपड़े आदि बदलकर तैयार बैठा है तो घबराकर पुस्तक एक ओर रखकर बोली, “ओह! मुझे पता नहीं चला। आप कब आये हैं?”

इतना कह उसने चाय बनानी आरम्भ कर दी। नन्दलाल ने पूछा, “यह कौन-सी पुस्तक है? बहुत रुचिकर प्रतीत होती है।”

“जी, नरेन्द्र बाबू की लिखी ‘सफल क्रान्तियाँ’ है। बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है।”

“यह यहाँ कैसे आई? यह तो जन्तशुदा है।”

“जी हाँ। नरेन्द्र बाबू कमला के बड़े भाई हैं न। उन्होंने मुझे भेजी थी।”

“कब?”

“जब छपी ही थी।”

“यह तुम्हें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हम सरकार के विरोधियों की पुस्तकें नहीं रख सकते।”

“यहाँ कोई देखेगा थोड़े ही। आप किसी से नहीं कहियेगा।”

“पर यदि किसी ने देख ली तो मेरी नौकरी छूट जायेगी।”

मनोरमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसके मन में थोड़ी-सी ठेस लगी। वह सोचती थी कि डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल की लड़की और इन्स्पेक्टर-पुलिस की स्त्री होने पर भी वह इतनी स्वतन्त्र नहीं कि एक मित्र की पुस्तक पढ़ सके।

जब चाय समाप्त हो गई तो नन्दलाल ने एक बार पुनः कहा, “इस पुस्तक को कहीं घर से बाहर भेज दो। यहाँ इसका रखना ठीक नहीं है।” मनोरमा ने अब भी उत्तर नहीं दिया। नन्दलाल तो मित्रों-सहित सिनेमा देखने चला गया

और मनोरमा सोचने लगी कि पुस्तक को क्या करे। उसका मन इसे फेंक देने को नहीं चाहता था और उसे अभी पढ़ना भी था। अन्त में उसने यह निश्चय किया कि वह पुस्तक पढ़ेगी जरूर। यदि प्रत्यक्ष में नहीं पढ़ पायेगी तो चोरी-छिपे ही पढ़ेगी।

मनोरमा ने सोचा कि वे सिनेमा देखने गए हैं और रात के दस बजे तक लौटेंगे। तब तक वह पढ़ सकती है। उसने घड़ी को पौने दस बजे का 'अलार्म' लगा दिया और उसे समीप रख पुस्तक पढ़नी आरम्भ कर दी।

: १७ :

पुस्तक ने मनोरमा के मन को पुनः नरेन्द्र की ओर आकर्षित कर दिया। जो विषय उसके पिता ने उसके मन में भर दिया था वह कम होने लगा। ऐसा योग्य विद्वान् क्या सत्य ही चरित्र-भ्रष्ट हो सकता है? वह उसकी गणना वालटेयर और रूमो तथा लेनिन और ट्राट्स्की के साथ करने लगी।

उमे विदित था कि नरेन्द्र यदि डिप्टी साहब का कहना मान लेता तो लाखों रुपये पैदा कर सकता था; परन्तु ज्ञान-वृद्धकर उसने फकीरों का जीवन स्वीकार किया है। अब तो भारत सरकार का खुफिया-पुलिस का महकमा उसको पकड़ने के लिए सिर-तोड़ यत्न कर रहा था। कहीं वह राजा बन सकता था, कहीं अब सिर छिपाने को स्थान ढूँढ़ता होगा। उसके प्रति मनोरमा की सहानुभूति बढ़ने लगी।

एक दिन, दोपहर के दो बजे, कमला उससे मिलने आई। मनोरमा नरेन्द्र के विषय में सोच रही थी। कमला ने उसे चिन्तित देख पूछा, "मनोरमा बहन, आज उदास हो?"

मनोरमा का स्वप्न भंग हुआ। उसने सचेत हो कहा, "ओह कमला, आओ बैठो।"

"क्या बात है, आज मुख मलिन हो रहा है?"

"कुछ विशेष बात नहीं है," मनोरमा ने मुख पर मुस्कराहट लाते हुए कहा, "तुम्हें इस समय अवकाश है? मेरा विचार चित्र देखने जाने का है।"

"कहाँ चलोगी?"

"ओडियन के दो पास आये हुए हैं। चलो चलें।"

"जीजाजी नहीं जा रहे क्या?"

"नहीं, उन्हें कुछ काम हो गया है। वे कहते थे कि अकेली चली जाओ, परन्तु मेरी इच्छा नहीं हुई। अब तुम आ गई हो तो चलो देख आयें।"

"मैं टेलीफोन पर उनसे पूछ लूँ?"

कमला को स्वीकृति मिल गई और जिस मोटर में वह आई थी उसी में सवार होकर दोनों ओडियन जा पहुँचीं। वहाँ पहुँच कमला ने ड्राइवर को छः बजे मोटर

लाने के लिए कह दिया। दोनों मोटर से उतर ओडियन के बरामदे में जा खड़ी हुईं। मनोरमा अपनी 'पर्स' से पास निकाल रही थी और कमला बाहर की ओर देख रही। एकाएक कमला चौंक उठी और मनोरमा को वहीं छोड़ बरामदे से निकल सड़क के किनारे एक तांगे के पास आ खड़ी हुई। उसमें से नरेन्द्र उतर रहा था। जब नरेन्द्र तांगे वाले को भाड़ा दे चुका तो उसने पुकारा, "भैया !"

नरेन्द्र ने घूमकर देखा। कमला को देख पूछने लगा, "यहाँ क्या कर रही हो?"

कमला ने उत्तर देने के स्थान उससे ही पूछ लिया, "भैया, कहाँ रहते हो अब?"

"मैं कलकत्ते गया था।"

"क्यों?"

"पगली, तुम्हारी यह 'क्यों' नहीं गई। सुना है, तुम्हारा विवाह हो गया है।"

कमला ने लज्जा से भूमि की ओर देखते हुए कहा, "किससे सुना है?"

"'इलस्ट्रेटेड वीकली' में छपा देखा था।"

"फिर आशीर्वाद नहीं भेजा?"

"ओह! कमला, क्षमा करना। यथार्थ बात यह थी कि उसी पत्र में किसी और के विवाह का समाचार भी छपा था। उसे पढ़ मुझे दुःख हुआ था। इसी से अपना कर्त्तव्य भूल गया। बहन, सदा सौभाग्यवती रहो। अब किधर जाना है तुम्हें?"

"हम चित्र देखने आई हैं।"

"हम! और कौन है साथ?"

"वह देखो।" कमला ने मनोरमा की ओर, जो अभी भी बरामदे में खड़ी थी, संकेत किया।

"अच्छा, मनोरमा है। उसे मेरी बधाई देना। लो, मैं अब जाता हूँ। चाचा जी और चाचीजी को नमस्ते कहना।"

"घर नहीं चलियेगा?"

"इस समय अवकाश नहीं है। फिर कभी आऊँगा।"

इतना कहते-कहते नरेन्द्र वहाँ से चल दिया। उसने मनोरमा को इधर आते देख लिया था। मनोरमा जब तक कमला के पास पहुँची नरेन्द्र आवाज की पहुँच से दूर हो चुका था। मनोरमा ने पूछा, "तुम्हारे बड़े भैया थे क्या?"

"हाँ, तुम्हें बधाई देते थे।"

"क्या अपने मुख से देते लज्जा लगती थी?"

"कहते थे, जल्दी का काम है। फिर कभी मिलूँगा।"

मनोरमा चुप रही। दोनों हॉल के भीतर एक 'बॉक्स' में बैठ गईं।

मनोरमा ने बात आरम्भ करते हुए कहा, "फिर घर आ गए हैं?"

कमला कुछ सोच रही थी। मनोरमा का प्रश्न उसने समझा नहीं। पूछने लगी, "क्या कहा?"

"वे घर पर ठहरे हैं?"

"नहीं।"

"ठीक है। हो सके तो उनको कहला देना कि पुलिस उनकी खोज में है।"

"यह उन्हें मालूम है। इस पर भी वे कहते थे कि उन्हें डर नहीं लगता।"

कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। चित्र अभी आरम्भ नहीं हुआ था। मनोरमा ने फिर पूछा, "बातें तो बहुत देर तक करती रही हो। कुछ और कहते थे?"

"कहते थे कि हम दोनों के विवाह का समाचार 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में पड़ा था।"

"तो बधाई लिख भेजते।" मनोरमा मन में सोच रही थी कि पत्रका गँवार है।

कमला ने सामने देखते हुए कहा, "मैंने पूछा था। इस पर कहने लगे कि हमारे विवाह के समाचार से मन में दुःख हुआ था। इसमें अपना कर्तव्य भूल गया था। क्षमा मांगते थे।"

"दुःख हुआ था? मेरे विवाह के समाचार से? पूछना था क्यों? उनका मुझसे क्या मतलब था? तुमने कहा नहीं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ?"

"नहीं।"

"क्यों?"

"इससे शायद उन्हें और दुःख होता।"

मनोरमा चुप हो विचार-मग्न हो गई। तस्वीर आरम्भ हो गई। दोनों चुपचाप देखती रहीं। विश्राम के समय मनोरमा ने कहा, "तस्वीर बहुत पसन्द है, कमला?"

"अभी मुख्य चित्र को आरम्भ ही नहीं हुआ।"

"मेरा चित्त नहीं लग रहा। मैं जाना चाहती हूँ।"

"जैसा मन चाहे। चलो चलें।"

कमला यद्यपि आयु में मनोरमा से कम थी तथापि उसके भावों को समझ रही थी। मनोरमा को समीप आते देख नरेन्द्र के भाग खड़े होने से भी उसे अचम्भा हुआ था।

: १८ :

'भारत छोड़ो' के विषय पर संसार-भर में चर्चा थी। अमेरिका इंग्लैंड का युद्ध में सबसे बड़ा सहायक था, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस आन्दोलन के तत्त्व को जानने के लिए कई उपाय किये। जापान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लाखों की संख्या में अमेरिकन सिपाही हिन्दुस्तान को आ रहे थे। इस कारण भी

अमेरिका के राष्ट्रपति को हिन्दुस्तान में शान्ति बनाये रखने की भारी आवश्यकता थी। महात्मा गांधी का कहना था कि जब तक हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य है तब तक जापान के आक्रमण को भलीभाँति रोकना कठिन है। हिन्दुस्तान की जनता जब यह अनुभव करेगी कि हिन्दुस्तान उसका है तब वह हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए सब कुछ स्वाहा करने को तत्पर हो जायेगी। कुछ अमेरिकन लोगों का कहना था कि विदेशी फौजों का हटा लेना जापान को चुपचाप हिन्दुस्तान पर अधिकार जमा लेने का निमन्त्रण देना होगा। महात्मा गांधी का उत्तर यह था कि इंग्लैंड और अमेरिका की फौजों को यहाँ रहने देकर युद्ध-सम्बन्धी तैयारी करने में रुकावट नहीं डाली जायेगी। फिर भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल को 'भारत छोड़ो आन्दोलन' पसन्द नहीं था और उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को सन्तुष्ट करा दिया था कि महात्मा गांधी के आन्दोलन से हिन्दुस्तान की शान्ति भंग नहीं होगी।

कांग्रेस के आन्दोलन को निर्मूल करने के लिए भारत सरकार ने तीन शक्तियों को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर दिया। प्रथम, मुसलमानों को। मुस्लिम लीग और इसके नेता जिन्हा साहब युद्ध के पूर्व बहुत ही साधारण संस्था तथा व्यक्ति माने जाते थे। इनको हिन्दुस्तान में मान और प्रतिष्ठा देकर इन्हें कांग्रेस का विरोधी बना दिया। कांग्रेस को बार-बार कहा गया कि पहले मुस्लिम लीग से समझौता करे तभी उसकी बात सुनी जाएगी। दूसरी ओर मुस्लिम लीग को आश्वासन दिया गया कि जब तक वह मान नहीं जाती भारत को स्वराज्य नहीं मिलेगा। द्वितीय, सरकारी नौकर और धनी-मानी लोग भी कांग्रेस के विरोध में खड़े कर दिए गए। आर्थिक नीति को ऐसे चलाया गया कि धनी लोगों को सरकार का काम करना और युद्ध के लिए सामान बनाना अधिक रोचक प्रतीत होने लगा। तीसरी शक्ति जो सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी की वह कम्यूनिस्ट पार्टी थी। रूस पर जर्मन आक्रमण ने कम्यूनिस्टों को अंग्रेजों का मित्र बना दिया। इस मित्रता से लाभ सरकार ने उठाया। इन लोगों के हाथ में हजारों रुपये महीना इस कारण दिया गया कि वे मजदूरों पर कांग्रेस के आन्दोलन का प्रभाव न होने दें।

इससे कांग्रेस के नेता विचलित नहीं हुए और कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का प्रस्ताव पास कर दिया। इस विषय पर बनारसीदास और नरेन्द्र में भी विचार-विनिमय हुआ। बनारसीदास कांग्रेस के इस आन्दोलन में अपने धन से सहायता देना चाहता था। वीणा बनारसीदास से इस विषय में बातचीत कर चुकी थी। वीणा का कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर अंतिम प्रहार करने जा रही है और स्वराज्य मिल जाना निश्चित है। आन्दोलन में रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। बनारसीदास ने कहा था कि विचार करूँगा। नरेन्द्र ने जब सब बात सुनी तो कह दिया, "रुपया देने से मैं आपको नहीं

रोकता। मुझे आपको इसमें सहायता करते देख खुशी होगी, परन्तु मुझे इस आन्दोलन के सफल होने में आशा नहीं है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करने के लिए न तो कोई योजना है और न ही किसी प्रकार की तैयारी। स्वयं यत्न न करने वालों के लिए मैं भगवान् की सहायता में विश्वास नहीं रखता।”

“यदि तुम्हें इस आन्दोलन के सफल होने में विश्वास नहीं तो मुझे इसके लिए धन देने को क्यों कहते हो?”

“भूल है नेताओं की। वे लोग, किसी प्रकार की योजना बनाए बिना अपन भक्तों की जान जोखिम के काम में लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की न तो भूल है, न दोष। मैं उनके साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा जितनी करूँ कम है और उनके साहस और उत्साह को प्रोत्साहन देने में जो कुछ भी व्यय किया जाय, व्यर्थ नहीं है।”

बनारसीदास ने कहा, “तुम महात्मा गांधी की नीति की मदा आलोचना करने रहते हो। उनमें जाकर एक बार मिल क्यों नहीं लेते? देखो, नरेंद्र, मैंने यह धन देश को स्वतन्त्र कराने में व्यय करना है। यदि तुममें मेरी भेंट न हांती तो शायद यह सब कुछ मैं महात्मा गांधी के चरणों में रख देता। दस हजार रुपया मैं इन्द्रजीत को कारोबार चलाने के लिए देने वाला हूँ। अपनी बहन लीलावती के लिए एक सौ रुपया मासिक का प्रबन्ध कर दिया है। अपने लिए मैंने अल्मोडा में एक कुटिया बनवा ली है। शेष मैं देश के नाम पर दे देना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो गया है कि कांग्रेस की नीति देश में जागृति उत्पन्न करने पर भी ध्येय तक ले जाने के लिए सबल नहीं है। जब मैं तुम्हारी युक्तियों को ठीक समझ लेता हूँ तो तुम्हारी राय के विरुद्ध चलने को जी नहीं चाहता। मेरी राय है कि तुम मेवाग्राम-आश्रम चले जाओ और गांधीजी में मिलकर बातचीत कर लो।”

नरेंद्र ने बताया, “मैंने पुस्तक की एक प्रति महात्माजी की मेवा में भेजी थी। उसके साथ एक पत्र भी लिखा था। पत्र का उत्तर महात्माजी के मंत्री ने भेजा है। उसमें लिखा है कि पुस्तक का लेखक भारतवर्ष की परिस्थिति में अनभिज्ञ प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त महात्माजी के विचार में वह स्वाधीनता वास्तविक स्वाधीनता नहीं होगी जो हिंसा के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाएगी। यदि एक जाति अथवा एक छोटी-सी श्रेणी के राज्य को स्थापित करना होता तब तो बल-प्रयोग अर्थात् हिंसात्मक उपायों की आवश्यकता हो सकती थी। महात्मा जी ऐसा नहीं चाहते। वे तो प्रत्येक नर-नारी के लिए स्वतन्त्रता चाहते हैं जिसकी प्राप्ति केवल अहिंसात्मक उपायों से ही सम्भव है।”

बनारसीदास का कहना था, “इस पर भी मैं समझता हूँ कि महात्माजी से तुम्हारा मिलना और विचार-विनिमय करना लाभकारी ही होगा।”

अतएव नरेन्द्र महात्माजी से मिलने के लिए वर्धा गया। वहाँ महात्माजी से भेंट नहीं हो सकी। वे कलकत्ते रवाना हो गए थे। नरेन्द्र वहाँ से इलाहाबाद और फिर कलकत्ता पहुँच गया। वहाँ पर भी उसे कई दिन तक ठहरना पड़ा। अन्त में महात्माजी से भेंट हुई। नरेन्द्र उसी समय कलकत्ते से लौटा था जब कमला से उसकी ओडियन के सम्मुख भेंट हुई थी। वह स्टेशन से सीधा ताँगे में आ रहा था।

उसी रात नरेन्द्र बनारसीदास से मिलने गया। रात के बारह बजे कोठी के पिछवाड़े की दीवार फाँदकर एक बगल के दरवाजे को अपने पास से ताली लगाकर कोठी में घुस गया। वह सीधा बनारसीदास के सोने के कमरे में पहुँच गया। दरवाजे में ताली लगने का शब्द सुन बनारसीदास उठकर तख्तपोश पर बैठ गया और हाथ में टॉर्च लेकर अन्दर आने वाले को उसके प्रकाश में देखने के लिए तैयार हो गया। ज्यों ही नरेन्द्र ने दरवाजा खोला, बनारसीदास ने टॉर्च से प्रकाश उसके मुख पर डाला और उसे पहचान, टॉर्च बुझा, नरेन्द्र को दरवाजा बन्द करने को कह दिया। दरवाजा बन्द होने पर बनारसीदास ने कमरे में प्रकाश कर दिया और नरेन्द्र को बैठने को कहा। नरेन्द्र तख्तपोश के एक किनारे पर बैठ गया। बनारसीदास ने पूछा, “सुनाओ, भेंट हुई?”

“जी, परन्तु लाभ कुछ नहीं हुआ। वर्धा से मुझे इलाहाबाद और इलाहाबाद से कलकत्ता जाना पड़ा। कई दिन की प्रतीक्षा के पश्चात् अवसर मिला। मैंने अपना परिचय दे पूछा, ‘आपको पुस्तक मिली होगी?’

“मैंने उस पर अपनी सम्मति भेज दी थी। आपको मिली है या नहीं?”

“जी। परन्तु उससे सन्तोष न होने से आपको कष्ट देने चला आया हूँ। मैं यह तो मानता हूँ कि अहिंसा-मार्ग सर्वोत्तम है और अहिंसात्मक ढंग से होने वाली क्रान्ति बहुत ही शुभ होगी। परन्तु क्या यह सम्भव है? मनुष्य में लोभ-मोह की उपस्थिति में ये उपाय कैसे सफल हो सकते हैं?”

“मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि क्या हिन्दुस्तान में हिंसा-मार्ग से सफलता प्राप्त करने की शक्ति है भी? इसके अतिरिक्त मैं तो वह स्वराज्य स्वराज्य ही नहीं समझता जो बल-प्रयोग से प्राप्त हो। स्वेच्छा से जब सब मिलकर राज्य करेंगे वह स्वराज्य होगा। हिंसा-मार्ग से जो सफलता मिली दिखाई देती है, वह वास्तविक सफलता नहीं है। १९१८ की विजय यदि विजय होती तो आज पुनः युद्ध न छिड़ जाता। दूसरों के हृदयों को जीतने से विजय होती है।’

“मैंने फिर निवेदन किया, ‘जहाँ तक विजय का सम्बन्ध है, वह तो १९१८ में हो गई थी, परन्तु वासॉल्स की संधि युद्ध में हिंसा-अहिंसा का परिणाम नहीं थी। वह तो अंग्रेज और फ्रान्सिसियों की लोभी प्रकृति का परिणाम माननी चाहिए। लोभ और क्रोध के वश की गई यह संधि ही वर्तमान युद्ध का बीज कही जा सकती है। पिछले युद्ध के विजेताओं में धोखा, फरेब, कटनीति, लोभ, मोह,

क्रोध इत्यादि दुर्गुण अभी भी विद्यमान थे।’

“इसका अर्थ क्या यह नहीं कि इन दुर्गुणों को दूर करने से ही युद्ध की सम्भावना मिट सकती है? इन दुर्गुणों को मिटाने के लिए ही तो मन की पवित्रता और अहिंसा-मार्ग की आवश्यकता है।’

“मेरा कहना था, ‘इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए, मनुष्य सभ्यता-युग के प्रभात काल से यत्न कर रहा है। संसार-भर के साधु-संत और महात्मा इसको मिटाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, परन्तु मनुष्य अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ गमायण और महाभारत के काल में था। संसार में सुख और शान्ति स्थापित करने के लिए इतने काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। भगवान् राम और कृष्ण ने इसका अनुभव किया था। जब दुष्ट लोग समझाने से नहीं समझते तब बल से उनको मीठे मार्ग पर लाने की आवश्यकता होती है। आप तीन बार अहिंसात्मक आन्दोलन चलाकर ब्रिटिश जाति को अपना कर्तव्यपालन करने के लिए सचेत कर चुके हैं। वह जाति सचेत नहीं हुई। अभिमानवश वह अपना अन्याययुक्त राज्य अभी भी यहाँ रखे हुए है। ऐसी अवस्था में क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक अंग्रेज अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुणों को छोड़कर साधु नहीं बन जाते?’

“महात्मा जी ने कहा, ‘मेरा मन तो स्पष्ट है। यह मैं सर्वसाधारण के सम्मुख रख चुका हूँ। यदि यह आपको स्वीकार नहीं तो आप अपने मार्ग पर जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। मैं इस मार्ग में सहायक नहीं हो सकता।’

“मैंने अंतिम प्रयत्न करते हुए कहा, “आपको भगवान् ने प्रभाव और प्रभुत्व दिया है। अपने पूर्वजन्म के कर्मों से अथवा परमात्मा की अपार कृपा से आपमें वह शक्ति आ गई है जिससे आप क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह शक्ति रखते हुए भी यदि आप उचित मार्ग ग्रहण नहीं करते तो सफलता प्रायः असम्भव है। अच्छे ध्येय के लिए और उचित ढंग से आप इस ईश्वर-प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करें।’

“महात्माजी ने मुस्कराते हुए मुझे विदा करने के लिए हाथ जोड़ दिये।”

: १६ :

नरेन्द्र ने जब महात्माजी से अपनी भेंट का वृत्तान्त सुनाया तो बनारसीदास बहुत ही द्विविधा में पड़ गया। नरेन्द्र ने उसकी अवस्था को देख कहा, “मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। वास्तव में भारतवर्ष के अधिकांश विद्वान् महात्माजी की इस अहिंसात्मक नीति को सर्वथा और सर्वत्र ठीक नहीं मानते। फिर भी जब वे महात्माजी के कार्यों और विचारों का समर्थन करते हैं तो वे अपने को प्रकाश में लाकर ख्याति प्राप्त करने के लोभ-से करते हैं। आपकी समस्या तो यह है न कि आपको ख्याति प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है। इससे बिना महात्मा-

जी के सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप को समझे आप उनको चलाने के लिए रूपया नहीं देना चाहते। बम्बई और कलकत्ता के बीसियों लखपति महात्माजी को धन देते हैं, परन्तु साथ ही सत्य और अहिंसा की हूसी उड़ाते हैं। विदेशी कपड़े का व्यापार करने वाले और कपड़े की मिलों के मालिक स्वयं खद्दर पहनकर महात्माजी के भक्त होने का श्रेय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार रुई और सोना-चाँदी वगैरह में सट्टा कर रूपया कमाने वाले अपने को देश-भक्त और गरीबों का हित-चिन्तक बन घुमने की अभिलाषा रखते हैं। वे और इसी प्रकार के अन्य लोग उधार लिये बड़प्पन से बड़े कहाने की इच्छा रखने वाले अपने विचार और कार्य से महात्माजी के विरुद्ध होते हुए भी उनका विरोध नहीं करते। आपको ऐसा करने की लालसा नहीं इस कारण आप परेशान हैं कि क्या करें।

“लीजिये, मैं आपको अपने कलकत्ते में हुए एक और अनुभव का वर्णन सुनाता हूँ।

“मैं मुगलसराय स्टेशन से कलकत्ते के लिए हावड़ा मेल में सवार हुआ। गाड़ी जब पटना पहुँची तो एक टिकट चैक करने वाला आया। उसके साथ दो लोग और थे। वे सफेदपोश होते हुए भी पुलिस के कर्मचारी प्रतीत होते थे। डिब्बे में मेरे सामने की सीट पर एक बंगाली बैठा था। वह उन लोगों को देख मेरी ओर बहुत ध्यान से देखने लगा। टिकट-चैकर ने पूछा, ‘कहाँ से आ रहे हैं?’

“मैंने बताया, ‘इलाहाबाद से। मुगलसराय पर गाड़ी बदली है।’

“टिकट-चैकर ने मेरा टिकट देखा और प्रश्न-भरी दृष्टि से साथ के एक सफेदपोश की ओर देखा। उसने उत्तर देने के स्थान आँख से डिब्बे से बाहर चलने का संकेत किया। टिकट-चैकर और दोनों सफेदपोश डिब्बे के बाहर हो गए। इसी समय गाड़ी ने सीटी बजाई और चल पड़ी। ज्यों ही गाड़ी हिली कि मैं विस्तर की चादर, जो अपने बर्थ पर बिछाये हुए था, उठाकर पिछली तरफ से गाड़ी से उतर गया। पिछली तरफ एक गाड़ी मुगलसराय जाने वाली खड़ी थी। मैं भागकर उसके एक डिब्बे में सवार हो गया। जब मैं कलकत्ते की गाड़ी से उतरकर मुगलसराय वाली गाड़ी में सवार हो रहा था, तो वह बंगाली, जो डिब्बे में मेरे सामने की सीट पर लेटा हुआ था, उठकर मुझे भागते हुए देख रहा था।

“मैं मुगलसराय पहुँच ट्रंक लाइन से होकर दो दिन देरी से कलकत्ते जा पहुँचा। वहाँ महात्मा गांधी से भेंट के लिए कई दिन ठहरना पड़ा। एक दिन चौरंगी से बालीगंज जाने के लिए ट्राम में सवार हुआ तो वही बंगाली, जो पटना स्टेशन पर मेरे डिब्बे में सवार था, मेरे पास आ बैठा। मुझे देखते ही अचम्भे में बोल उठा, ‘आप?’

“मैं चुपचाप अपनी सीट से उठ, ट्राम से नीचे उतर आया। वह भी मेरे साथ ही उतर पड़ा। मैं पैदल ही एक तरफ को चल पड़ा। वह मेरे पीछे था। जब मैंने

देखा कि बिना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किये उससे छुटकारा नहीं पा सकता तो मैं ठहर गया। वह मेरे समीप आकर बोला, 'मिस्टर, भागो नहीं। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ।'

"मैंने पूछा, 'बताइये।'

"उसने कहा, 'मेरे घर पर चलिये। यहाँ बाजार के किनारे खड़े हो बातचीत नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी उसी मार्ग के यात्री हैं जिसका मैं हूँ?'"

'बिना आपका मार्ग जाने कैसे बता सकता हूँ?'

'चलिये न, मेरे घर। यहाँ समीप ही है। मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पुलिस से सम्बन्ध नहीं रखता।'

"मैंने देखा कि उसके साथ जाये बिना और कोई चारा नहीं। वहाँ बाजार में हल्ला करने से मेरा पकड़ा जाना निर्विवाद था। मैंने सोचा कि यदि उसे मुझे फँसाना ही है तो यहाँ बाजार में भी पकड़वा सकता है। उसे मुझे घर ले जाने की क्या आवश्यकता है। दस कदम पर दो कान्स्टेबल खड़े थे। संकेत-मात्र से पकड़वा सकता था।

"मैं उसके साथ चल पड़ा। हम एक गली में घुस गए। वहाँ एक मकान में जीना चढ़कर पहली मंजिल पर पहुँचे। वहाँ हम एक कमरे में चले गए। कमरे में एक बड़ी-मी चटाई बिछी थी। शेष वहाँ कुछ भी नहीं था। मकान भी चुपचाप प्रतीत होता था, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं है। इस पर भी मकान की सफाई भलीभाँति की हुई थी।

"हम दोनों उस बिछी चटाई पर बैठ गए। बंगाली महाशय ने पूछा, 'चाय पीजियेगा?' मैंने इनकार किया, परन्तु उसने आवाज दे ही दी, 'मोहन, दो प्याला चाय लाओ।'

"मैंने कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप आज्ञा करिये क्या कहना चाहते हैं?'"

"इस पर उसने कहा, 'आप जानना चाहते हैं कि आपके गाड़ी से उतर जाने पर क्या हुआ?'

"क्या हुआ?'"

"जरा चाय पी लें तो धैर्य से बातचीत होगी। बात यह है कि जो कुछ मैंने उस दिन देखा, उससे मेरे मन में विश्वास हो गया कि आप कोई बड़ी मुर्गी हैं, और मैं आपका परिचय पाने के लिए बेताब हो उठा था। आज आपसे भेंट हुई तो मैंने अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। मैं भी एक आवश्यक कार्य से जा रहा था, परन्तु आपसे भेंट तो और भी आवश्यक और मनोरंजक है। अतएव मैंने आपके साथ ही आ जाना आवश्यक समझा। लीजिए, चाय आ गई है।"

“विंश मुझे चाय पीनी पड़ी। उसने चाय की सुरकी लगाते हुए कहा, “जब आप गाड़ी से नीचे उतर गए तो मैं पूर्ण घटना पर सोचने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि टिकट-चैकर के साथ खुफिया-पुलिस के आदमी थे। इसमें यह समझ लेना गलत नहीं था कि आप फरार हैं। मैंने यह भी अनुमान लगाया कि आप चोरी, डाका या किसी ऐसे ही चरित्र-सम्बन्धी दोष के अपराधी नहीं हैं।

“आसनसोल स्टेशन पर पहुँचते ही वही टिकट-चैकर डिब्बे में आया और आपको लापता देख चकित रह गया। मुझमें पूछने लगा, ‘यह किस स्टेशन पर उतर गया है?’

“मैंने कहा, ‘मैं तो सो रहा था। कह नहीं सकता।’

“इसी समय वे दो सफेद-पोश भी आ गए और आपमें गम्भीरतापूर्वक बातें करते हुए नीचे उतर आये। हावड़ा स्टेशन पर तो पुलिस वालों की पलटन खड़ी थी, और एक-एक को देखकर बाहर जाने देते थे। मुझे विश्वास हो गया कि वे सब आपका स्वागत करने के लिए खड़े थे। आखिर आपके स्वागत का इतना समारोह क्यों था और आप इस समारोह में गरमाकर कहाँ गए थे?’

“मैं कुछ देर तक मन में मनन करता रहा और उत्तर देने का निश्चय नहीं कर सका। इस पर उस महाशय ने फिर कहा, ‘आप डरते हैं कि मैं आपको कहीं फँसा न दूँ। ठीक है न? परन्तु यह तो मैं बिना आपके इतिहास जाने भी कर सकता था और फिर इसके लिए घर पर लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। यदि मेरा अनुमान ठीक है कि आप किसी राजनीतिक कार्य में सम्बन्ध रखते हैं तो मैं और कुछ नहीं पूछूँगा। आपसे सम्बन्ध पैदा करना मेरा और मेरे माथियों का कर्पव्य होगा। आपके मन में विश्वास दिलाना हमारा काम है, न कि आपका।’

“इस पर मैंने केवल इतना परिचय दिया, ‘मैंने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम ‘सफल क्रान्तियाँ’ है। वस, यही मेरा अपराध है।’

“इस परिचय में वह बंगाली महाशय फटक उठे और तुरन्त मोहन को बुला कर ब्रैगला में कुछ कहने लगे। मैं तो केवल ‘सफल क्रान्तियाँ’ गवद ही समझ सका। मोहन, जो पहले चाय दे गया था, अब खाली प्याले उठाकर चला गया और एक मिनट के भीतर ही मेरी पुस्तक की एक प्रति उठाकर ले आया।

“समीप बैठे बंगाली महाशय ने मोहन के हाथ में पुस्तक पकड़ते हुए कहा, ‘इस पुस्तक के लेखक आप हैं? मैं इसको तीन बार पढ़ चुका हूँ और अब चौथी बार पढ़ रहा हूँ। आप इस पुस्तक के लिखने में हमारी पूजा के योग्य हो गए हैं। मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि आपके मन में विश्वास पैदा करना अब हमारा काम हो गया है। अच्छा, चलिए मैं आपको गली के बाहर तक छोड़ आऊँ। जब हमारा परस्पर विश्वास हो जाएगा तो हम इस पुस्तक में लिखी वीमियों समस्याओं

पर वार्तालाप कर सकेंगे।’

“इतना कह वह बंगाली महाशय उठ खड़े हुए। मैं भी उठ पड़ा। वे मुझे गली के बाहर ला ट्राम में चढ़ाकर चौरंगी तक छोड़ गए। मैं इस घटना से चिन्ता में पड़ गया। मैं नहीं जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा।

“इसके पश्चात् मैं आठ दिन तक कलकत्ते में रहा और उन महाशय और उनके साथियों ने इतना मुझे अपने समीप कर लिया है कि मैं अब अपने को उनमें से एक समझता हूँ। कई बार मैं उनसे मिला हूँ और अपनी योजना पर उनसे वार्तालाप कर चुका हूँ। उन्होंने भी अपनी योजना बताई है और कुछ बातों को छोड़कर हम परस्पर सहमत हैं। जब मैंने उनको बताया कि मैं महात्मा गांधी से मिलने आया हूँ तो उन्होंने कहा, ‘महात्माजी का जातीय उत्थान में अपना स्थान है। उनके आन्दोलन से भारतवासियों में स्वदेश में रुचि उत्पन्न हुई है। परन्तु यह देश को स्वाधीनता तक ले जाने में पहला और एक काम है। हमें इससे आगे चलना है। महात्माजी को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारा उनसे विरोध नहीं है। फिर भी हम आगे चलने से रुक नहीं सकते। न ही हम आशा करते हैं कि अस्सी वर्ष का वृद्ध हमारे साथ-साथ चल सकेगा।’

“मैंने कहा, ‘उनका प्रभाव जनता पर इतना है कि कोई दूसरा कार्यक्रम चल नहीं सकता।’

“वह बंगाली महाशय, जिसे उनके साथी गुरुजी कहकर पुकारते थे, बोले, ‘इसमें कारण कार्यकर्ताओं के मन का भ्रम है। क्रान्ति के उपासक यह समझते हैं कि महात्माजी का कहना उनके विरोध में है। हम इस बात को गलत समझते हैं। जब महात्माजी कहते हैं कि हिंसात्मक उपायों के लिए भारतवर्ष तैयार नहीं तो वे ठीक ही तो कहते हैं। जब वे कहते हैं कि मैं तो हिंसात्मक उपायों को ठीक नहीं समझता, तब भी वे ठीक ही कहते हैं। आखिर उनसे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे अब ऐसा पाठ पढ़ाने लगेंगे जिसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हमें देश को अहिंसा-मार्ग और हिंसा-मार्ग दोनों के लिए तैयार करना चाहिए। जन-साधारण अहिंसा-मार्ग के हामी होंगे। उनके नेता महात्मा गांधी रहेंगे। हिंसा-मार्ग के लिए तो कुछ लाख लोग ही चाहिए। दोनों ओर से यत्न जारी रहना चाहिए और शत्रु को इन दोनों आन्दोलनों में कुचल डालना चाहिए। अन्त में शान्ति स्थापित करने वाले तो अहिंसा-मार्ग वाले होंगे। सेना को उनके अधीन हो जाना पड़ेगा।’

“इस पार्टी में एक सेठ कुंजबिहारी भी सम्मिलित हैं। इस समय एक अरब रुपये से ऊपर की सम्पत्ति के मालिक हैं। उन्होंने अपनी पूर्ण सम्पत्ति पार्टी के हाथ में दे रखी है। मेरी सेठ साहब से भेंट हुई है। इतना धन-सम्पत्ति रखते हुए भी वे कहने लगे, ‘मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूँ। रूस की अर्थ-प्रणाली

सर्वोत्तम है, परन्तु हिन्दुस्तान में तो उसके दोषों को भी दूर करना होगा।'

"मैंने पूछा, 'यहाँ हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम समस्या की उपस्थिति में सर्व-साधारण का राज्य कैसे हो सकता है?'

"इस पर वे बोले, 'सर्व-सम्मति में तो कभी भी कोई बात नहीं होती। हिन्दुस्तान जैसे देश में किसी भी विषय पर एक-मत होना असम्भव है। हाँ, बहुमत हो सकता है और बहुमत में राज्य-प्रवन्ध होना चाहिए।'

"मैंने उनको आपका परिचय नहीं दिया और न ही अभी यह बताया है कि उनकी भाँति कोई और मज्जन भी हैं जो अपनी पूर्ण सम्पत्ति स्वराज्य-कार्य के लिए देने का विचार रखते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप अपनी शक्ति उनके साथ मिला सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए आप एक बार कलकत्ते चलिए या मेठ साहब को यहाँ बुलाया जाय तो बात ठीक तरह से हो सकेगी।"

[२०]

ऑडियन मिनेमा में कमला और मनोरमा ताँगे में सवार हो बाबर रोड पर जा पहुँचीं। वहाँ मनोरमा को छोड़ कमला अपने घर चली गई।

मनोरमा चादर ओढ़ खाट पर लेट गई। उसका हृदय धकधक कर रहा था। वह स्वयं चकित थी कि क्यों ! क्या उसके मन में नरेन्द्र के लिए अभी भी प्रेम का कुछ अंश शेष है, इस विचार के आते ही वह 'नहीं ! नहीं !' जोर से बोल उठी। यदि प्रेम नहीं तो क्या वह उससे डर गई है ? डरने का कोई कारण नहीं था। वह मन में बार-बार पूछ रही थी कि उसे हो क्या गया है। इस प्रश्न का उत्तर उसे सूझ नहीं रहा था।

नन्दलाल घर पर आया तो स्त्री को लेटे देख चिन्तातुर हो उठा। समीप बैठ पूछने लगा, "क्या है रानी ! लेट क्यों रही हो ?"

"चित्र देखने गई थी। त्रियन खराब हो गई है, इसलिए घर लौट आयी हूँ।"

नन्दलाल ने टेलीफोन में डॉक्टर बहादुर को बुला लिया। डॉक्टर साहब आये। नाड़ी देखी, स्ट्रेथस्कॉप में दिल देखा, पेट देखा, पश्चात् हकीकत पूछी—टट्टी आती है, मिर-दर्द होता है, पेट में दर्द होता है इत्यादि ?

"नहीं," मनोरमा ने कहा।

"तो फिर क्या है ?" डॉक्टर साहब ने पूछा।

"मेरा दिल धड़कता है।"

"'आई सी'। दिल कमजोर है। खाने को 'ग्लूकोज वाटर,' 'फ्रूट जूस,' 'वारले वाटर'।"

इतना कह डॉक्टर साहब ने जेब से कागज निकाला और बहुत सुन्दर फाउण्टेन पेन से नुस्खा लिख दिया। इसे नन्दलाल के हाथ में देते हुए कहा, "तीन-तीन घण्टे

के बाद दीजिए। पश्चात् कल खबर देना।”

इतना कह डॉक्टर साहब जाने के लिए तैयार हो गए। नन्दलाल ने दस रुपए फीस देते हुए पूछा, “डॉक्टर साहब, क्या है?”

“कोई चिन्ता की बात नहीं। ‘गेस्ट्रिक ट्रबल’ है। कल तक ठीक हो जाएगी।”

नन्दलाल ने नौकर को भेजकर कैमिस्ट की दूकान से दवाई मँगवा ली और पिलाने के लिए मनोरमा के पास ले आया।

“लाइए, मैं पी लेती हूँ,” इतना कह वह उठी। दवाई एक काँच के गिलास में डाल गुसलखाने में चली गई। यहाँ दवाई नाबदान में उड़ेल, दो घूंट पानी पी, अपने कमरे में चली आई। मनोरमा को डॉक्टर साहब के निदान पर हँसी आ रही थी। नन्दलाल ने समझा कि आराम हो रहा है।

नौकर दवाई की दूकान से ‘ग्लूकोज’ और फल वाले की दूकान से सेब, अगूर, मौसमी, मीठे नीबू इत्यादि बहुत फल लाया था।

“मनोरमा, कुछ फल ले लेना,” नन्दलाल ने कहा।

दूसरे दिन प्रातःकाल डिप्टी साहब को मनोरमा के बीमार होने का सन्देश मिला। रात-भर उसे नींद नहीं आई थी, इससे नन्दलाल की चिन्ता कुछ बढ़ ही रही थी। डिप्टी साहब को सूचना मिली तो सपत्नीक नन्दलाल के घर पहुँच गए। मनोरमा को खाट पर लेटा देख पूछने लगे, “क्या है मनोरमा?”

“ऐसे ही तबियत खराब हो गई थी, डॉक्टर साहब आये थे। दवाई दे गए हैं। पी रही हूँ। आशा है, ठीक हो जाऊँगी।”

डिप्टी साहब ने माथे पर हाथ लगाकर देखा और कहा, “बहुत ठण्डा है।”

मनोरमा चुप रही। डिप्टी साहब ने नन्दलाल से, जो समीप ही खड़ा था, कहा, “कोई दिल को ताकत की दवाई देनी चाहिए। यदि दोपहर तक ठीक न हो तो दफ्तर में टेलीफोन करना। मैं डॉक्टर सेन को बुला दूँगा। रात-भर मुझे दफ्तर में जागते रहना पड़ा है। वह नरेन्द्र का बच्चा फिर दिल्ली आ गया है। कल तीसरे पहर हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस से उतरा तो हमारे आदमियों ने पहचान लिया। उन्होंने पीछा किया परन्तु ओडियन सिनेमा के समीप दृष्टि से ओझल हो गया। पीछा करने वाले का कहना है कि दो लड़कियों के साथ सिनेमा देखने गया था; परन्तु वे लड़कियाँ आधे समय के अवकाश के समय बाहर अकेली निकलीं। वह साथ नहीं था। खेल समाप्त होने पर सारा हॉल देखा गया। उसका पता नहीं चला। कोतवाली में पता मिलते ही पुलिस पकड़ने के लिए भागी, परन्तु तब तक वह गायब हो चुका था। दिल्ली-भर की पुलिस उसे ढूँढ़ती रही है। पूर्ण नगर ढूँढ़ डाला है। स्थान-स्थान पर पहरे लगा दिए हैं। मैं उसके पकड़े जाने की सूचना की हर समय आशा कर रहा हूँ। प्रबन्ध तो ऐसा किया है कि अब बचकर नहीं जा सकता।”

मनोरमा बिना किसी प्रकार की उत्सुकता प्रकट किए सब वृत्तान्त सुन रही थी। ज्यों-ज्यों बात समाप्त होती जाती थी, उसके मुख का रंग फीका पड़ता जाता था। जब डिप्टी साहब ने कहा कि अब वह बचकर नहीं जा सकता तो उसके मुख से 'हाय' का शब्द निकल गया।

नन्दलाल ने धूमकर मनोरमा की ओर देखा। उसके मुख का रंग उड़ा देख कर पूछने लगा, "क्यों, मनोरमा, क्या बात है?"

डिप्टी साहब भी समीप आ गए और चिन्तातुर हो उसका मुख देखने लगे।

मनोरमा ने मुख खोलकर सांस लेते हुए कहा, "दम घुट रहा है।"

नन्दलाल भागकर टेलीफोन पर गया और डॉक्टर साहब को शीघ्र आने के लिए कहने लगा। मनोरमा के माथे पर पसीने की बूंदें देख उसकी माँ उसके हाथ मसलने लगी। नन्दलाल ने आकर बताया, "डॉक्टर बहादुर को बुलाया है।"

डिप्टी साहब का डॉक्टर बहादुर पर विश्वास नहीं था। इस कारण टेलीफोन पर डॉक्टर सेन को बुला लिया। इस समय नन्दलाल अपने कमरे में से यूडी-कोलोन लाकर मनोरमा को सुँघाने लगा। इससे मनोरमा की अवस्था कुछ सुधर गई। मनोरमा ने कमला से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसे टेलीफोन पर सूचना दे दी गई।

डॉक्टरों ने पहुँच रोगी को देखा। परस्पर राय कर एक 'इन्जेक्शन' कर दिया और एक ताँझा नुस्खा लिख, फीस ले विदा हो गए।

कुछ देर में मनोरमा को नींद आ गई और डिप्टी साहब आराम करने अपने घर चले गए। मनोरमा की माँ वहीं रही। कमला भी आ गई थी।

मनोरमा कई दिन तक बीमार रही। कमला हर रोज उसके पास आती थी और घण्टा, आध घण्टा बातें कर चली जाती। कमला के मन में सन्देह था कि मनोरमा की बीमारी का कारण, ओडियन सिनेमा के सामने, नरेन्द्र का कठोर व्यवहार है। इस कारण वह अपना कर्तव्य समझती थी कि मनोरमा के मन से नरेन्द्र के प्रति क्रोध दूर करे।

मनोरमा नित्य हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार देखा करती थी। ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होने जाते थे और नरेन्द्र के पकड़े जाने का समाचार नहीं होता था, वह स्वास्थ्य लाभ करती जाती थी। मनोरमा को इससे सन्तोष होता था, परन्तु वह इसका कारण नहीं समझ सकी थी। वह सोचती थी कि नरेन्द्र के पकड़े जाने की सम्भावना से उसका दिल क्यों बैठने लगा था और उस सम्भावना के मिट जाने से वह स्वस्थ क्यों हो रही है। यह सब क्यों है, इसके समझने में वह लगी रहती थी।

वह अपने पति से प्रत्येक प्रकार से प्रसन्न और सन्तुष्ट थी। उसे उससे लेश-मात्र भी शिकायत नहीं थी। तो फिर नरेन्द्र के विषय में उसे इतनी चिन्ता क्यों है? क्या उसके अन्तःकरण में अब भी उसके लिए प्रेम विद्यमान है? प्रत्यक्ष में तो

इस प्रेम के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता था। तो भी नरेन्द्र के पकड़े जाने की सम्भावना मात्र से उसका 'हार्ट फेल' होने लगा था; और अब ज्यों-ज्यों उसके पकड़े जाने की सम्भावना कम होती जा रही थी, उसका स्वास्थ्य सुधरता जाता था। इस अवस्था से वह बहुत चकित थी।

एक दिन उसने दिल कड़ा कर कमला से पूछ ही लिया, "कमला, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे पिताजी से मिलने आये थे या नहीं?"

"आये थे उसी रात, जिस दिन वे हमें ओडियन के सामने मिले थे। रात के एक बजे जब सब सो रहे थे, वे वहाँ पहुँच गए। पिताजी, विनय, विजय और माता जी सब जाग उठे। मुझे तो दूसरे दिन विजय ने आकर बताया था। रात-भर बातें होती रहीं—मेरे विवाह के विषय में, तुम्हारे जीजाजी के विषय में। दिन निकलने से पूर्व वे चले गए थे। जाते समय कह गए थे कि शायद अब दिल्ली नहीं आवेंगे।"

मनोरमा यह वृत्तान्त बहुत दिल लगाकर सुन रही थी। कमला ने कहना जारी रखा, "पिताजी को भैया के चले जाने का बहुत दुःख है। परन्तु क्या हो सकता है? दिल्ली के पुलिस वाले शिकारी कुत्तों की भाँति उनके पीछे पड़े हैं। उस दिन तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि यदि भैया पिताजी की कोठी पर पकड़े गए तो पिताजी को भी पाँच वर्ष की कैद का दण्ड हो सकता है।"

मनोरमा ने पूछा, "दिल्ली से किधर जाने को कह रहे थे?"

"किसी ने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं।"

इस समाचार से मनोरमा को शान्ति मिली। आज कई दिन के पश्चात् वह खाट से उठी। नन्दलाल को यह देखकर अति प्रसन्नता हुई। घर-भर में आनन्द और प्रकाश-सा प्रतीत होने लगा।

दमन-चक्र

कांग्रेस के नेता शायद यह समझते थे कि केवल कहने-मात्र से ब्रिटिश पार्लिया-
मेंट भारतवर्ष को स्वतन्त्र कर देगी। ऐसा न समझकर यदि यह समझा होता कि
भारतवर्ष में एक-एक अधिकार प्राप्त करने के लिए नर-रक्त की नदियाँ बह जाने
की सम्भावना है जिसमें बहुत ही बहादुरी, धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा
तो महात्मा गांधी और उनके अनुयायी भारत से अंग्रेजों को निकाल देने के लिए
भली प्रकार विचार की हुई योजना बनाये बिना 'क्विट इंडिया' का प्रस्ताव पास
न करते। बिना किसी प्रकार के साधन और उन साधनों को प्रयोग करने वाले हाथों
को तैयार किये, अंग्रेज जैसी चतुर, बलवान् और स्वार्थरत जाति को यह कह देना
कि वह भारतवर्ष जैसे देश का राज्य छोड़ यहाँ से चली जाय, केवल बचपना था।

फिर भी आन्दोलन हुआ। महात्मा गांधी का 'क्विट इंडिया' का प्रस्ताव ऑल
इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास कर दिया। इधर यह प्रस्ताव पास हुआ, उधर
कांग्रेस-नेताओं को पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया। सरकार इस काम के लिए
तैयार थी। देश-भर में सब जिलों में उन लोगों की सूचियाँ तैयार थीं जिनका देश-
वासियों पर कुछ भी प्रभाव था।

जहाँ तक कांग्रेस-आन्दोलन का सम्बन्ध था या महात्मा गांधी के मन में जिस
आन्दोलन के चलाने का प्रश्न था वह कुछ नहीं हो सका। परन्तु 'क्विट इंडिया'
के प्रस्ताव और चर्चा ने भिन्न-भिन्न लोगों के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार की
योजनाएँ भर रखी थीं। प्रत्येक आदमी सोचता था कि महात्माजी उसके मन की
योजना चलायेंगे और वह स्वयं उस योजना में सम्मिलित होने की सोच चुका था।

जब देश में महात्मा गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों वगैरह
के पकड़े जाने के समाचार फैले तो लोग क्रोध से उतावले हो उठे। इसमें तो सन्देह
नहीं था कि अभी तक केवल भारत छोड़ो कहने के अतिरिक्त कांग्रेस ने कोई बात
मन, वचन अथवा कर्म से कानून के विरुद्ध नहीं की थी। इससे कानून के विचार
से तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं का पकड़ा जाना अन्याय था। लोग
यही समझते थे। इससे उन्हें क्रोध आ जाना स्वाभाविक था। ऐसे क्रोध से उतावले
होने वाले लोगों ने जलसे किए, जुलूस निकाले और सरकारी इमारतों और जाय-
दादों को हानि पहुँचाई।

यही अवस्था दिल्ली के लोगों की थी। ६ अगस्त, १९४२ को नेताओं के पकड़े जाने के समाचार से लोग क्रोध से उबल उठे। एक बड़ा भारी जुलूस निकल गया और 'महात्मा गांधी की जय,' 'भारत छोड़ो' इत्यादि नारों से आकाश-पाताल एक हो गया।

दो दिन तक हड़ताल रही। जुलूस निकलते रहे। कोई-कोई बिरला पकड़ा भी जाता रहा, परन्तु कोई विशेष बात नहीं हुई। १२ अगस्त को सरकार ने समझा कि लोगों को अपना जोश नारों और जुलूसों इत्यादि में निकाल देने को काफी अवसर दे दिया गया है और अब इनको ब्रिटिश साम्राज्य के 'अहिंसी शिकंजे' का भी अनुभव कराना चाहिए।

दिल्ली के किसी स्थानीय नेता को पकड़ा गया था। लोगों की भीड़ कोतवाली के सामने वाले मैदान में खड़ी नारे लगा रही थी। एकाएक कोतवाली की ऊपर की मंजिल पर बंदूकची पुलिस के लोग खड़े हो गए। लोगों ने जब उनको देखा तो उनका जोश और भी बढ़ गया। नारे और भी जोर से लगाए जाने लगे। बंदूकची पुलिस ने बंदूकें सीधी कीं और फायर कर दिया। फिर एक और 'राउण्ड' चलाया गया। लोग भाग खड़े हुए।

नरेन्द्र इस भीड़ में कोतवाली के सामने की इमारत के नीचे बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसी स्थान पर कुछ कॉलेज की लड़कियाँ भी खड़ी थीं। दूसरी बौछार के समय एक गोली एक लड़की को भी लगी। वह हाय कर वहीं लेट गई।

भीड़ तितर-बितर हो गई। लोग स्टेशन की ओर और गांधी-ग्राउण्ड की ओर भाग खड़े हुए। नरेन्द्र भी सीढ़ियों से नीचे उतरा और गांधी ग्राउण्ड की ओर चल पड़ा। उसका दिल बैठता जाता था। वह सोच रहा था कि यह समय है क्रांति के श्रीगणेश करने का। इस समय यदि दिल्ली में दस सहस्र युवक संगठित होते और जीवन की आहुति देने के लिए तैयार होते तो राज्य का तख्ता पलटा जा सकता था।

इसी प्रकार के विचारों में वह गांधी-ग्राउण्ड से घंटाघर की ओर घूम गया। उसे टाउनहॉल के अगली ओर बहुत हल्ला सुनाई दिया। इच्छा न रखते हुए भी वह उस ओर घूमा। अभी दस पग भी नहीं बढ़ा था कि टाउनहॉल की इमारत से धुआँ उठता दिखाई दिया। नरेन्द्र खड़ा हो सोचने लगा कि अवश्य कोई निश्चित योजना है। एक बार उसका मन जोश से भर आया। उसने टाउनहॉल के सामने की ओर जाकर देखने का निश्चय किया। वह देखना चाहता था कि वह कौन आदमी है जो भारतवर्ष में नवीन युग की नींव डाल रहा है अर्थात् क्रांति का श्रीगणेश कर रहा है। वह भागा और टाउनहॉल के बाहर जा पहुँचा।

हजारों की भीड़ थी। सब उतावलों की भाँति या तो नारे लगा रहे थे या मलिका के बुत पर पत्थर फेंक रहे थे। घंटाघर और टाउनहॉल को आग लग चुकी

थी। वह देखना चाहता था कि किसके नेतृत्व में यह हो रहा है। उसे कोई ऐसा आदमी प्रतीत नहीं हुआ। एकाएक लोग वहाँ से भागे। नरेन्द्र ने समझा कि ये भागने वाले अवश्य उस दिन की हलचल के कर्ताधर्ता होंगे। नरेन्द्र भी उनके साथ भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने एक से पूछा, “किधर जा रहे हो?”

“रेलवे एकाउंट्स क्लियरिंग ऑफिस को।”

“क्यों?”

“वहाँ हड़ताल करवाने।”

“रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं?”

“वहाँ पुलिस का प्रबन्ध है।”

नरेन्द्र खड़ा हो गया। वह समझ गया कि कोई योजना नहीं है। उसके खड़े हो जाने से कुछ और लोग भी खड़े हो गए। उसने अपने समीप खड़े लोगों को कहा, “चलो, रेल के स्टेशन को आग लगा दें।”

कोई बोला, “वहाँ पुलिस का प्रबन्ध बहुत पक्का है।”

नरेन्द्र ने उत्तर देने वाले को डाँटते हुए कहा, “तुमने देखा है?”

इस पर कोई और बोला, “चलो जी, कोई खुफिया पुलिस का मालूम होता है।”

लोग उसे वहीं छोड़ भीड़ के पीछे चल पड़े। नरेन्द्र ने एक और यत्न किया। उसने जोर से कहा, “इधर नहीं, रेल के स्टेशन को।”

पीछे से भीड़ का एक जत्था और आया और उसमें से एक ने एक घूसा नरेन्द्र की गर्दन पर लगाते हुए कहा, “पुलिस का बच्चा।”

नरेन्द्र समझ गया कि यदि उसके खुफिया-पुलिस का एजेण्ट होने की बात भीड़ में फैल गई तो उसे तो वहीं अपनी जान देनी पड़ जाएगी। इस कारण वह एक ओर होकर खड़ा हो गया। ज्यों ही भीड़ जरा कम हुई तो वह फतहपुरी से तंगे में सवार हो नयी दिल्ली पहुँच गया।

: २ :

उस दिन दिल्ली के लोगों ने जी भरकर क्रोध निकाला। रेलवे एकाउंट्स क्लियरिंग ऑफिस जलकर राख हो गया। टाउनहॉल आधा जल गया। घंटाघर की सीढ़ियाँ जल गईं। इन्कमटैक्स का दफ्तर जला दिया गया। दो आग बुझाने के इंजिन बेकार कर दिए गए। नयी दिल्ली की सड़कों के अधिकांश लैम्प तोड़ डाले गए।

अगले दिन नगर में फौज का पहरा लग गया। लोग दिन और रात की भाग-दौड़ से थक गए थे। जब इतना कुछ हो चुका तो कांग्रेस के बचे-खुचे कुछ लोगों ने समझा कि बहुत अच्छा अवसर हाथ से निकला जा रहा है इससे लाभ उठाना चाहिए, परन्तु वे नहीं जानते थे कि किस प्रकार लाभ उठाया जाय। इस कारण

वे एक रात नयी दिल्ली में एक सज्जन के घर इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन को जुटाने वाली वीणादेवी थी।

वीणादेवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग पर बम्बई गई हुई थी। वहाँ वह अपने पति से पृथक् एक मकान पर ठहरी हुई थी। पति तो ९ अगस्त को अन्य नेताओं के साथ पकड़ लिया गया; परन्तु वह वहाँ नहीं थी, इस कारण पुलिस के हाथ नहीं आई। प्रातः उठ जब वीणादेवी को पता चला कि पकड़-धकड़ हो गई है और वह पुलिस के हाथ नहीं आई तो उसे नरेंद्र से अपना कहना कि वह जेल जाना नहीं चाहती, याद आ गया। उसने तुरन्त निश्चय कर लिया कि छिपकर आन्दोलन चलाने का यत्न करेगी, परन्तु क्या करेगी, वह नहीं जानती थी। कांग्रेस कमेटी में, सभा की कार्यवाही से पूर्व, बातचीत करते हुए, कुछ लोगों ने कहा था कि इस बार युद्ध की तैयारी में बाधा डालने का कार्यक्रम होना चाहिए, परन्तु बहुमत इसके विरुद्ध था। बहुमत का कहना था कि यह सब अहिंसा-मार्ग के प्रतिकूल होगा।

वीणादेवी को आज तक हिंसा-अहिंसा का झगड़ा समझ में नहीं आया। इससे उसने यही समझा कि युद्ध के कामों में बाधा डालने से ही 'क्विट इंडिया' आन्दोलन सफल हो सकता है। इस विचार को लेकर वीणा बम्बई में ही छिप गई। जब तक पुलिस को उसके निवास-स्थान का पता लगा तब तक वह उस स्थान को छोड़ दिल्ली को चल पड़ी थी। उसने अपना भेष बदल लिया। एक साधारण पंजाबी स्त्री की पोशाक सलवार, कुर्ता और दुपट्टा पहन और तीसरे दर्जे का टिकट ले बिना विघ्न-बाधा के दिल्ली आ पहुँची।

सआदत हुसैन के दिल्ली के मकान पर पुलिस ने अधिकार कर लिया था। इस कारण वहाँ जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। नयी दिल्ली में उसके पति का एक मित्र दुर्लभसिंह रहता था। वह ठेकेदारी करता था। वह उसके घर जा पहुँची। यहाँ रहती हुई वह दिल्ली की अवस्था को जान कांग्रेस के बचे-खुचे लोगों को संगठित करने लगी। इसी सम्बन्ध में उसने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नरेंद्र भी उपस्थित था। वास्तव में नरेंद्र उसी मकान में ठहरा हुआ था जहाँ यह मीटिंग हुई थी। वीणा नरेंद्र को वहाँ देख अति प्रसन्न हुई। उसे विदित था कि छिपकर आन्दोलन चलाने के विषय में नरेंद्र के विचार कैसे हैं। सभा में एक बार वीणा के पूछने पर नरेंद्र ने भी अपने विचार प्रकट किए। नरेंद्र ने बताया, "क्रांति में मुकाबिले की सरकार स्थापित करना पहला काम है। यह मुकाबिले की सरकार जितनी बलशाली होगी उतनी ही सफलता की सम्भावना अधिक होगी। बल अर्थात् शक्ति के तीन स्तम्भ हैं—एक, जनता की सहानुभूति, दूसरा, फौज और फौजी सामान; तीसरा, बाहर के किसी अब्बल दर्जे के देश से राजनीतिक सम्बन्ध।

"चूँकि ये चीजें अब तक कांग्रेस ने उत्पन्न नहीं कीं इस कारण यह क्रांति

सफल नहीं हो सकती। इन तीनों क्षेत्रों में केवल पहले में, अर्थात् जनता की सहानुभूति प्राप्त करने में, कुछ कार्य हुआ है। शेष दो बातों का तो अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ।”

“तो क्या इस समय कुछ नहीं करना चाहिए?”

“यह मैंने नहीं कहा। मैंने तो यह कहा है कि महात्मा गांधी के पहले आन्दोलनों की भाँति यह आन्दोलन भी देश को ध्येय तक ले जाने में सफल नहीं होगा। इस परिस्थिति में यदि कुछ हो सकता है तो वह यह है कि युद्ध-कार्य में विघ्न डाला जाय। वह तार के खम्भे उखाड़ने, रेल की पटरी बिगाड़ने, सड़कों में गड्ढे खोद देने अथवा फौजी सामान बनाने वाले कारखानों को बारूद से उड़ा देने से हो सकता है। परन्तु इन सब बातों के होने पर भी, यह बात समझ लेनी चाहिए कि, स्वराज्य के समीप हम एक इंच भर भी नहीं पहुँच सकते। इन बातों से हम जापान के विजयी होने में सहायक होंगे। उसकी विजय हिन्दुस्तान में होगी या किसी और देश में, कहना कठिन है।”

एक सज्जन ने पूछा, “तो आप क्या करने को कहते हैं?”

“देश में एकदम स्वराज्य स्थापित करने के लिए क्रान्ति की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो की बात कही तो वे भारत में क्रान्ति चाहते थे, परन्तु इस क्रान्ति को सम्पन्न करने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि क्रान्ति में हमें एक मुकाबिले की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता है और इसके लिए बल की आवश्यकता है। बल धन, जन और बुद्धि पर निर्भर है। मेरी योजना तो यह है कि हमें स्वयं-सेवकों का एक संघ बनाना चाहिए। इसमें कम-से-कम तीस लाख स्वयं-सेवक भरती हों और फिर उनके लिए हमें उचित अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने के साधन बनाने चाहिए। यह तो केवल किमी बाहरी राज्य के सम्बन्ध स्थापित करने से ही हो सकेगा।

“आप कहेंगे कि यह अब नहीं हो सकता। इसके लिए समय नहीं है। मैं मानता हूँ, वास्तव में जो कुछ आज हुआ है उसकी तैयारी सन् १९२० में वासॉल्स की संधि के समय से आरम्भ करनी चाहिए थी। अब जब पानी नाक तक आ गया है तब तैयारी नहीं हो सकती।

“देखिए, आज से पंद्रह-बीस वर्ष पश्चात्, शायद इससे भी पहले ही, विश्व-व्यापी तीसरा युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में तो इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की विजय होगी, परन्तु उस युद्ध में रूस एक पक्ष होता और इंग्लैंड दूसरा पक्ष। अमेरिका और दूसरे देश एक या दूसरे पक्ष में होंगे। उस युद्ध में हमें हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र करने की बाजी लगानी होगी। उस समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इस युद्ध में जो अवसर था सो तो गया। कहीं ऐसा न हो कि अगले युद्ध के समय आने वाला अवसर भी खो जाय। यह कहना कठिन है कि हिन्दुस्तान की

संगठित शक्ति अंग्रेजों के पक्ष में होगी अथवा रूस के। हाँ, यह कहा जा सकता है कि बिना शक्ति को संगठित किए हम किसी भी पक्ष को न तो सहायता दे सकेंगे और न ही किसी पक्ष से हम सहायता की आशा कर सकेंगे।

“इस तैयारी को करने के लिए हमें नये नेताओं का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे नेता जो अपने मस्तिष्क में स्पष्ट योजना रखेंगे कि उनके पास कितनी शक्ति संचित है और उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने कहाँ, किस समय और किस ढंग से करना है। महात्मा गांधी सरीखे नेता स्वराज्य-प्राप्ति की योजना को नहीं चला सकते। वे दस दिन आगे की बात भी विचार कर निश्चय नहीं कर सकते।

“इस कारण, आइये, हम एक नयी संस्था की नींव डालें। इस संस्था में वे लोग हों जो प्रतिदिन एक बार मिलकर अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को उन्नत करने का यत्न करें, जो वर्ष में कम-से-कम दो मास कैम्प का जीवन व्यतीत कर सकें। वहाँ हम युद्ध-विद्या सीखेंगे। इस संस्था में ऐसे लोग हों जो विदेशों में जाकर विदेशी सरकारों से अपना सम्बन्ध जोड़ सकें और वहाँ से युद्ध-सामग्री के बनाने के उपक्रम सीख सकें। समय आने पर हम इतने शक्तिशाली हों कि हमारा सहयोग प्राप्त करने के लिए रूस और इंग्लैंड दोनों इच्छुक हों और हम सत्य-असत्य की जाँच कर अपना पक्ष निश्चय करने में स्वतन्त्र हो सकें।”

वीणा ने कहा, “मिस्टर नरेन्द्र, यह काम तो इस समय आरम्भ नहीं हो सकता। इस समय तो हमारे हाथ सम्मिलित हो जाइये और यदि इस युद्ध के पश्चात् हम जीवित रहे तो फिर आपकी योजना पर विचार कर लेंगे।”

“मैंने तो अभी ही इस प्रकार की एक संस्था की नींव डाल दी है और उममें काम कर रहा हूँ। हम अभी कोई कार्य करना नहीं चाहते। हम एक वृहत् कार्य अर्थात् पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक वृहत् प्रयत्न की तैयारी करने में लगे हैं। इस तैयारी में कम-से-कम दस वर्ष लगेँगे। यदि हम यह तैयारी करने में सफल हुए तो क्रान्ति की दुंदुभि बजा दी जायगी। मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप उस संस्था में सम्मिलित हो जायें।”

वीणा जो छिपकर काम करने के लिए व्याकुल हो रही थी, नरेन्द्र के विचारों से सहमत नहीं थी। उसने कुछ उत्तेजित होकर कहा, “मैं ऐसा नहीं समझती। राजनीति में बातें कम और कार्य अधिक करना होता है। नरेन्द्र जी की योजना को अभी दस वर्ष लगेँगे; परन्तु मैं तो समझती हूँ कि सुअवसर तो हमारे समीप आ गया है और केवल हाथ पसारने की देरी है। आओ, हम एक बार मिलकर जोर लगायें। हमें यह सिद्ध कर देना चाहिए कि भारत के नेताओं को जेल में डाल कर भारत में युद्ध-कार्य नहीं चल सकता। यदि हम शासकों के मन में यह अंकित कर सके तो नेता छूट जाएँगे और स्वराज्य मिल जाएगा। महात्माजी ने इस बार कहा था कि अब वे छोटी-मोटी हिंसा के कार्य को देख आन्दोलन बन्द नहीं करेंगे।

इससे हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी सम्मति हमारे पक्ष में ही है। हमें युद्ध-कार्य में विघ्न डालने का पूर्ण यत्न करना चाहिए।”

वीणा की बात को पसन्द करने वाले अधिक थे। इस कारण नरेन्द्र का एक नयी संस्था में सम्मिलित होने का निमन्त्रण विफल गया। इसके पश्चात् तीन आदमियों की एक सम्मति बनाई गई। उसका काम था दिल्ली में ‘सैबोटेज’ अर्थात् युद्ध-कार्यों में विघ्न डालने की योजना बनाना। धन एकत्रित करने के लिए एक पृथक् उप-समिति बनाई गई।

नरेन्द्र को यह सब आग लगने पर कुआँ खोदने का-सा प्रतीत हुआ। सब लोग उठ खड़े हुए। सभा विसर्जित हुई। जब लोग एक-एक दो-दो कर जा रहे थे तो एक व्यक्ति मोटे खहर का कुर्ता-टोपी पहने हुए नरेन्द्र के पास आकर बोला, “मुझे आपकी योजना बहुत पसन्द है और इस विषय में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ।”

“तो आइये, मैं तो अभी तैयार हूँ।”

“इस समय रात हो गई है। दो बजने वाले हैं।”

“कुछ हर्जा नहीं। यह काम तो रात को करने का ही है।”

“मुझे दूर जाना है। आप बतायें कि मैं आपको कल प्रातःकाल कहाँ मिल सकता हूँ?”

नरेन्द्र ने कुछ सोचकर कहा, “मैं रात को यहीं रहूँगा। वैसे आप मुझे ३२ नम्बर कूचा नटवाँ में कल दस बजे मिल सकते हैं।”

वह व्यक्ति हाथ जोड़ नमस्ते कर चला गया। सब लोगों के चले जाने पर नरेन्द्र भी जाने को तैयार हो गया। मित्र ने, जिसके घर वह ठहरा हुआ था, नरेन्द्र को जाते देख पूछा, “आप कहाँ जा रहे हैं?”

“मैं समझता हूँ कि यह आदमी जो अभी मुझसे बातें कर रहा था खुफिया-पुलिस में है। मेरी भूल भी हो सकती है। इस पर भी मैं सचेत रहना चाहता हूँ और आपको भी चेतावनी देता हूँ कि शायद कल दिन निकलने से पूर्व आपके घर की तलाशी हो जाय।”

इतना कह नरेन्द्र मकान के नीचे उतर गया और मकानदार ने तुरन्त कुछ कागज ढूँढ़कर निकाले और उनको एक लोहे की बाल्टी में रख आग लगा दी।

: ३ :

नन्दलाल को शहर का इनचार्ज-अफसर बना दिया गया। डिप्टी साहब की लड़की से विवाह हो जाने पर उसके पद में उन्नति हो रही थी। नगर का इनचार्ज बन जाने से उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया था, विशेष रूप में जब दिल्ली में हलचल मच रही थी। नयी दिल्ली में सड़कों के प्रायः सब लैम्प तोड़ डाले गए थे। दिल्ली में हालत और भी भयानक होती जाती थी और नन्दलाल इस उपद्रव को

रोकने के लिए पूरी ताकत का प्रयोग करना चाहता था। इस कारण वह थाने में और शहर की गश्त लगाने में अधिक समय व्यय कर रहा था। कई दिन से दो-तीन घंटे रात सोने के अतिरिक्त वह घर पर नहीं रहता था।

१३ अगस्त की रात को वह एक बजे घर पहुँचा था, और कपड़े उतार अभी पलंग पर लेटा ही था कि उसे एक विचार आया। वह उठकर बैठ गया। मनोरमा ने हैरान हो पूछा, “क्या है ?”

नन्दलाल ने पूछा, “आजकल कमला नहीं आती क्या ?”

“परसों आई थी” मनोरमा ने अचम्भे में पति का मुख देखते हुए कहा, “मुझे तो उसके घर जाने का अवसर ही नहीं मिलता।”

“फिर कब मिलोगी ?”

“क्यों, क्या बात है ?”

“मेरा विचार है कि कल ही जाओ। बातों-बातों में पता करना कि नरेन्द्र उसे मिलने आता है या नहीं और रात कहाँ ठहरता है।”

मनोरमा नरेन्द्र का नाम सुन सन्न रह गई। उसने दिल कड़ाकर पूछा, “क्या वह आजकल दिल्ली में है ?”

“सूचना मिली है कि कल भीड़ में खड़ा था। जब तक पुलिस उसे हिरासत में लेने के लिए उसके पास पहुँची, वह भीड़ में गायब हो गया।”

मनोरमा का दिल कुछ ठीक हुआ। उसने पूछा, “आप उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं ? उस दिन पिताजी भी कुछ इसी विषय में कह रहे थे।”

“उसने पुस्तक जो लिखी है। उसी के सम्बन्ध में उसके वारण्ट हैं।”

“यह तो आपने उस दिन भी बताया था, परन्तु मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि आप विशेष चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? वह नहीं पकड़ा गया तो न सही।”

“एक तो मैं दिल्ली का इनचार्ज हूँ और दूसरे उसको पकड़कर मुझे मान-प्रतिष्ठा और तरक्की मिलने की आशा है। मनोरमा, मैं सरकारी नौकर हूँ।”

“अच्छी बात है।”

“तो तुम पता करोगी ?” नन्दलाल ने उत्सुकता से पूछा।

“नहीं, मैं सरकारी नौकरी नहीं करती।”

“मेरी तरक्की होने से तुम्हें भी तो लाभ होगा।”

“मुझे उस लाभ की इच्छा नहीं।”

“देखो, मनोरमा, यह एक मौके का अपराधी है। अफसर इसे पकड़ने के लिए बहुत हैरान हो रहे हैं। यदि मैं पकड़ने में सफल हो गया तो बहुत नेकनामी होगी।”

मनोरमा कुछ देर तक गम्भीरतापूर्वक सोचती रही। अपने पति को अपनी ओर उत्सुकता से देखते हुए बोली, “मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा।”

नन्दलाल ने अचम्भा प्रकट करते हुए पूछा, “क्यों?”

“मैं नहीं चाहती कि वह पकड़ा जाए।”

“क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ?”

“पहली बात तो यह कि वह मेरी सहेली का भाई है और फिर मैं हिन्दुस्तानी स्त्री हूँ।”

“देखो, मनोरमा, एक हिन्दू स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सहायता करे। मैं पुलिस-अफसर हूँ और उसके पकड़ने के लिए नियुक्त हूँ।”

मनोरमा के मन में अपने आप पर ग्लानि होने लगी थी। वह समझती थी कि उसे अपनी आत्मा का हनन करने को कहा जा रहा है। वह अपने मन में दृढ़ निश्चय कर रही थी कि एक पुलिस-अफसर की बीवी होने पर भी वह खुफिया-पुलिस का काम नहीं करेगी। उसने अब अधिक दृढ़ता से कहा, “मैं चाहती हूँ कि यह काम आप दिल्ली में किसी अन्य अफसर को सौंप दें। मुझे आपका यह काम पसन्द नहीं।”

“आज से पहले तो तुमने कभी किसी काम से नहीं रोका था।”

“आपने भी मुझे कभी अपने काम में सहायता देने को नहीं कहा था।”

“अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि तुम अपनी सहेली से बहुत प्रेम करती हो। मुझसे, मेरी तरक्की और खुशी से भी अधिक।”

मनोरमा चुप रही। नन्दलाल को मनोरमा की बातचीत से क्रोध चढ़ आया था, परन्तु वह अपने आपमें ही पी गया। वास्तव में उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि मनोरमा को डाँटे। मनोरमा को अचम्भा हो रहा था कि उसके पति ने क्यों उसे भेदिये का काम करने को कहा है। कैसे उसने समझ लिया कि वह अपनी सखी से दगा करेगी।

दोनों अपने विचार में लीन थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। नन्दलाल उठकर बाहर ड्राइंग-रूम में टेलीफोन के समीप पहुँच गया। टेलीफोन उठाकर पूछने लगा, “कौन बोल रहा है? दफ्तर से? हाँ...क्या कहा?...नरेन्द्र?...कहाँ कनाॅट सरकस नम्बर...अच्छी बात...बहुत अच्छा...।”

टेलीफोन बन्द हो गया। अब नन्दलाल ने टेलीफोन का डायल घुमाया और नयी दिल्ली के थाने से मिलाया। “कौन...करीम?...देखो, भई, लिखो...नन्दलाल बोल रहा हूँ...प्रातः पाँच बजे दो दर्जन कान्स्टेबल ले कनाॅट सरकस नम्बर बीस को घेर लो। मैं वहीं मिलूंगा। नरेन्द्र वहाँ सो रहा है।”

अब उसने दिल्ली शहर के थाने से टेलीफोन मिलाया।

“शेरसिंह? अच्छा सुनो, कूचा नटवाँ नम्बर बत्तीस पर दो सफेदपोश मकान की देख-भाल के लिए भेज दो। कल ठीक दस बजे वहाँ तलाशी होगी। दस कान्स्टेबल ठीक दस बजे वहाँ पहुँच जाएँ। मैं वहीं मिलूंगा।”

टेलीफोन बन्द कर नन्दलाल ने घूमकर दीवार में लगी घड़ी में समय देखा । तीन बज रहे थे । घड़ी के नीचे मनोरमा खड़ी पति को टेलीफोन करते सुन रही थी । नन्दलाल ने देख पूछा, “तुम यहाँ क्या कर रही हो ?”

मनोरमा कुछ झेंप गई, परन्तु शीघ्र ही सम्भलकर बोली, “मैंने समझा शायद आपको बुलावा आया है ।”

दोनों कमरे में चले आये । नन्दलाल गम्भीर विचार में पड़ा था । मनोरमा को टेलीफोन आते ही सन्देह हुआ था कि कहीं नरेन्द्र के विषय में कुछ न हो । जब उसने टेलीफोन पर बातचीत में नरेन्द्र का नाम सुना तो उसका सन्देह पक्का हो गया । उसका हृदय धक-धक कर रहा था । वह समझ गई कि नरेन्द्र के निवास-स्थान का पता मिल गया है और उसे पकड़ने का प्रबन्ध हो रहा है । इससे उसकी बेचैनी बढ़ती जाती थी । इसे छिपाने के लिए उसने अपने पति से पूछा, “आप अभी सोइएगा या नहीं ?”

“नहीं, मुझे वर्दी पहनकर काम पर जाना है । तुम सो जाओ ।”

मनोरमा का हृदय वेग से चलने लगा था । वह पति का कहना मानने पर विवश हो गई और लेट गई । मुख पर चादर ओढ़ ली । नन्दलाल कुछ देर अपने मन में विचार करता रहा । फिर रसोइये को उठाकर एक प्याला चाय बनाने के लिए कह अपनी वर्दी पहनने लगा ।

मनोरमा को नींद नहीं आ रही थी । इस पर भी वह मुख पर कपड़ा ओढ़ लेती रही । वह मन में नरेन्द्र के न पकड़े जाने के लिए भगवान् से प्रार्थना करने लगी थी । इससे उसके हृदय की धड़कन कम होती जाती थी ।

नन्दलाल की मोटर-साइकल के चलने के शब्द से उसे पता लग गया कि वह चला गया है । अब वह उठी और मुख धो, कुल्ला कर, नियमपूर्वक आसन लगा भगवान् की आराधना करने लगी । टेनीसन का कथन कि ‘many things are wrought by prayer than this world dreams of’ (प्रार्थना से आशातीत लाभ होता है) उसे स्मरण हो आया था ।

साढ़े छः बजे के लगभग मोटर-साइकल के आने का शब्द हुआ । मनोरमा ने समझ लिया कि इन्स्पैक्टर लौट आया है । वह आसन से उठी और कमरे से बाहर आ पति के मुख से नरेन्द्र के विषय में कोई संकेत सुनने अथवा जानने का यत्न करने लगी ।

नन्दलाल का मुख पीला पड़ गया था । मनोरमा ने इसका कारण रात को न सो सकना समझा था । मनोरमा सदैव की भाँति उसको कपड़े उतारने में सहायता देने लगी । कपड़े उतारते समय मनोरमा ने कहा, “बहुत अधिक थक गए प्रतीत होते हैं । आपको कुछ आराम कर लेना चाहिए ।”

“नहीं, थकावट नहीं है । वह बदमाश का बच्चा फिर चकमा दे गया है ।”

मनोरमा की आँखें चमक उठीं। उसके मुख से एकाएक निकल गया, “गुड गाँड।”

“हाँ, भगवान् की उस पर कृपा है परन्तु हम पर नहीं।”

“आपको उसके पकड़े जाने से क्या लाभ होगा? आप तो मशीन की भाँति किसी दूसरे का काम कर रहे हैं न? हो गया तब भी ठीक है और न हुआ तब भी ठीक ही है।”

“यही तो बात है। मेरी हानि हुई है। मैं इस हलचल में तरक्की पाने की आशा में हूँ और यदि मुझे ऐसी ही सफलता मिलती रही जैसी नरेन्द्र के बच्चे ने कर रखी है तो तरक्की तो दूर रही किसी रद्दी जिले में भेज दिया जाऊँगा।”

“आप उसे गाली क्यों देते हैं?”

“और तुम्हें इससे चिढ़ क्यों होती है? तुम्हारे मामा का लड़का है क्या?”

“अब मुझे भी गाली देने लगे। आखिर आज आपको हो क्या गया है?”

जब से विवाह हुआ था आज पहला दिन था कि जब पति-पत्नी में परस्पर विवाद हो गया था। मनोरमा समझती थी कि वह बता चुकी है कि नरेन्द्र उसकी सहेली का भाई है, इससे उसका अपमान करना, विशेषकर उसके मुख पर, उचित नहीं था। इसे वह अपने भावों का अनादर समझती थी। दूसरी ओर नन्दलाल यह समझता था कि एक पुलिस-अफसर को गालियाँ देने का अधिकार है। इस अधिकार में कोई, विशेष रूप से जो उसके अधीन है, आपत्ति नहीं कर सकता। इस पर भी मनोरमा उसकी दूसरी बीबी थी और वह उसे नाराज करना नहीं चाहता था, इस कारण उसने बात समाप्त करने के लिए कह दिया, “अच्छी बात। वह तुम्हारे मामा का लड़का न सही, सहेली का भाई तो है। पर वह सरकार का अपराधी है। उसने अपराध किया है। हम जो चाहें उसको कह सकते हैं।”

मनोरमा ने भी बात को और बढ़ाने के स्थान पर वहीं बन्द कर देना उचित समझा। वह बोली, “आप जो चाहें कहें। मैंने तो केवल शिष्टाचार के नाते कहा था।”

नन्दलाल कपड़े उतार चुका था। वह पलंग पर लेटा और मो गया।

: ४ :

ज्यों-ज्यों नेताओं के पकड़े जाने के समाचार देश में फैले, लोग क्रोध से उतावले हो उठे। आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, चिटगांव, ढाका, पूना, बम्बई, बेंगलौर, मद्रास, अशती, चिमूर और सैकड़ों अन्य स्थानों पर लोग बागी हो गए। कई स्थानों पर तो लोगों ने स्थानीय अफसरों को पकड़कर अपना राज्य स्थापित करने का यत्न भी किया, परन्तु अधिकतर तो अनियमित बलवे हुए। कहीं-कहीं कोई पुलिस-अफसर मारा गया, या कहीं रेल का स्टेशन जला दिया गया या रेल की पटरी उखाड़ दी गई। यह सब कुछ तीन-चार दिन के

भीतर हो गया और पीछे धीरे-धीरे शान्ति स्थापित हो गई। बलिया, आजमगढ़ और चटगाँव में देशभक्तों का राज्य एक सप्ताह से अधिक नहीं रह सका। उन राज्यों के स्थापित करने वाले बहुत ही साधारण स्थिति के लोग थे।

वीणादेवी ने दिल्ली में युद्ध-कार्यों में बिघ्न डालने का कार्य आरम्भ कर दिया था। दिल्ली की कपड़ा मिलों की हड़ताल तो नौ अगस्त को ही हो गई थी। इसे जारी रखने के लिए मजूरों के नेताओं से सम्पर्क बनाया गया। कुछ किराये के लोग इकट्ठे किये गए जो दिल्ली प्रान्त में रेल की पटरियाँ उखाड़ दिया करें। इसी प्रकार कॉलेजों और स्कूलों में हड़ताल जारी रखने के लिए यत्न किया जाने लगा। कुछ काल तक तो यह कार्य चलता रहा, परन्तु लोगों को दिखाई देने लगा कि युद्ध-कार्य तो रुकेगा नहीं, हाँ उनका कार्य पढ़ाई अथवा नौकरी रुक गई है। इससे कुछ ही काल में स्कूल तथा कॉलेज खुल गए और कारखाने चालू हो गए। एक-आध रेलगाड़ी को पटरी से गिरा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सका। रेल के पटरी से उतरने पर हानि साधारण जनता को अधिक हुई।

क्रान्ति की सबसे मुख्य बात, कि उच्च पदाधिकारी हटाकर उनके स्थान पर नये पदाधिकारी नियत किये जायें, नहीं हो सकी। कारण स्पष्ट था कि ऐसा करने के लिए फौज और पुलिस की शक्ति हाथ में होनी चाहिए थी जो यहाँ नहीं थी। पुलिस और फौज स्वयं-सेवकों की भी हो सकती थी अथवा सरकारी पुलिस तथा फौज में भी विद्रोह उत्पन्न किया जा सकता था। राज्य की स्थापना शहरों में है इस कारण राज्य बदलने के लिए शहरों में क्रान्ति करने की आवश्यकता थी, न कि बलिया या गोरखपुर जैसे छोटे स्थानों में।

वीणादेवी अधिक काल तक दिल्ली नहीं रह सकी। उसे यहाँ से भागना पड़ा। वीणादेवी अकेली ही छिपकर काम करने वाली नहीं थी। उसके साथ और भी लोग थे। एक वैद्यनाथन था। वह मद्रास प्रान्त में मदुरा का रहने वाला था। उसने कानपुर में कारखानों को बन्द कराने का यत्न किया। आरम्भ में तो सफलता मिली, परन्तु कुछ दिनों में हड़तालें खुलने लगीं।

कपड़े की मिलों के कर्मचारियों की यूनियन का नेता अवस्थी आरम्भ से ही हड़ताल का विरोधी था। नौ अगस्त को जब हड़ताल आरम्भ हुई तो लोगों में क्रोध और जोश इतना था कि अवस्थी अपना विरोध प्रकट न कर सका। चार दिन की हड़ताल के पश्चात् अवस्थी ने अपना कार्य आरम्भ किया। एक कारखाने के मजदूरों को वह समझा रहा था, "जापान हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने वाला है। यदि हम लोग फौज के लिए सामान बनाकर नहीं देंगे तो जापान के मुकाबले में हमारे फौजी ठहर नहीं सकेंगे। परिणाम में जापानियों की जीत होगी और हम उनके गुलाम बन जायेंगे।"

एक मजदूर रामाधीन ने कहा, "पर, बाबूजी, हम तो अब भी गुलाम ही

हैं। अंग्रेजों से जापानी कुछ अच्छे ही होंगे।”

“न भाई,” अवस्थी का कहना था, “जापानी बड़े दुष्ट हैं। वे बहुत निर्दयी और निर्लज्ज हैं। उनके लिए स्त्रियाँ केवल व्यभिचार करने के लिए बनी हैं। जापानी सभ्यता में सतीत्व की कुछ भी महिमा नहीं।”

“पर बाबू, अंग्रेजों ने महात्माजी को पकड़ लिया है। यह हम कैसे सहन कर सकते हैं?”

“ओ हो! महात्माजी को हम बुरा नहीं कहते, पर महात्मा गांधी राजनीति तो जानते नहीं। सर्वथा महात्मा ही तो हैं। उन्होंने बिना जाने कि संसार में क्या हो रहा है युद्ध-कार्य में विघ्न खड़ा कर दिया है। इस युद्ध से सारी मनुष्य जाति की किस्मत का निर्णय हो रहा है। यदि जर्मनी और जापान की जीत हो गई तो रूस, जो मजदूरों का एकमात्र-सहायक है, नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। फिर सदियों तक मजदूरों की सुनने वाला कोई न रहेगा।”

“छोड़ो, अवस्थी बाबू, इन बातों को। रूस ने भी तो अंग्रेजों से मित्रता कर ली है। दुष्टों का मित्र, भला कैसे सज्जन हो सकता है?”

अवस्थी का दाव नहीं चला। उधर वैद्यनाथन कारखाने के कर्मचारियों को हड़ताल पर डटे रहने के लिए कहने लगा। वैद्यनाथन को वीणादेवी ने इस काम पर नियुक्त किया था। कारखानों में हड़ताल हुए एक मास से ऊपर हो चुका था। कर्मचारी भूखों मरने लगे। उनके पास रुपया-पैसा समाप्त हो चुका था। वैद्यनाथन अब मजदूरों को उत्साहित करने नहीं जा सकता था। कारण यह कि मजदूर उससे खाने-पीने के लिए सहायता चाहते थे। अब अवस्थी का जोर चलने लगा था। वैद्यनाथन ने पाँव तले से मिट्टी खिसकती देख वीणा को लिखा। वीणा स्वयं कानपुर में आ पहुँची। कारखानों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाई गई। वीणा ने उसमें व्याख्यान देते हुए कहा, “हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों का राज्य चाहते हैं। इस समय अंग्रेजों को आप लोगों की जरूरत है। हम कहते हैं कि हमारे नेताओं को छोड़ दो और हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र कर दो तो हम तुम्हारे युद्ध-कार्य में सहायता करेंगे। इसमें भला क्या गलत बात है? वे हमारे देश को स्वतन्त्र कर दें। हम उनके देश पर आक्रमण करने वालों को भगा देने में उनकी सहायता करेंगे। मजदूर भाइयो, यह समय है जब हम अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं। इस समय यदि आप ढीले पड़ गए तो फिर सदियों तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप लोगों को कष्ट तो बहुत हो रहा है, परन्तु बिना कष्ट उठाये भी भला कोई काम बन सकता है। इस समय उत्साह और साहस से काम लो।”

इन प्रतिनिधियों में अधिकांश लोग भूख से परेशान थे। एक ने उठकर कहा, “बहनजी, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। कहो तो कारखानों को फूँककर स्वाहा कर दें, परन्तु बात तो यह है कि मेरे पास कल के लिए घर में अन्न भी नहीं

है। बच्चे बिलख-बिलखकर रोयेंगे। बताइए, मैं क्या कहूँ ?”

“अपने गाँव में चले जाओ,” वैद्यनाथन का कहना था।

“परन्तु तीन बच्चे और बीबी के पालने के लिए तो वहाँ भी कुछ नहीं है। भाई खेती-बाड़ी करता है। उसके अपने खाने-पहनने को भी काफी नहीं होता। प्रतिवर्ष लगान तो मैं भेजा करता हूँ। अब यदि मैं भी खाने वाला वहाँ पहुँच गया तो स्वयं तो भूखा मरूँगा ही, साथ ही भाई को भी भूखों मारूँगा।”

इसका उत्तर बीणा के पास नहीं था। फिर भी उसने कहा, “अच्छी बात है, कल तक मैं आप लोगों के खाने के लिए लंगर लगवा दूँगी।”

कहने को तो बीणादेवी ने कह दिया, परन्तु वह भलीभाँति समझती थी कि लंगर के लिए खर्चा कहाँ से आयेगा। अगले दिन उसने नगर के कई धनी आदमियों से हड़ताल जारी रखने के लिए मजदूरों के लिए लंगर लगवाने को कहा। सफलता आशानुकूल नहीं हुई। बीणा के लिए कोई चारा नहीं था। वह अगले दिन चुपचाप कानपुर छोड़ चली गई।

बीणा के असफल प्रयत्न की सूचना मिल-मालिकों की समिति के मंत्री को मिल गई। उसने तुरन्त अवस्थी को बुलवाया। अवस्थी को अपने समीप बिठा मंत्री कहने लगा, “अवस्थी जी, अब समय है कि आप अपना कार्य करें। कांग्रेस के लोग हड़ताल जारी रखने के लिए यत्न करने में असफल हुए हैं। कारीगरों के पास रुपया चुक गया है। यह समय है जब आप यत्न करें तो आपकी बात भी पूरी हो सकेगी और हमारी भी।”

“आपकी क्या बात है ?” अवस्थी ने पूछा, “आप तो सदैव महात्मा गांधी और कांग्रेस के भक्त रहे हैं।”

“वह सब ठीक है। मैं अपने निजी विचार से तो चाहता था कि देश को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अंग्रेजों को विवश किया जा सके। परन्तु हमारी मिल-मालिकों की समिति ने सामूहिक रूप में यह निश्चय किया है कि अब कारखाने जारी हो ही जाने चाहिए। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान में जापानी फौजें धुस आयें। हमारे करोड़ों रुपये जो मिलों में लगे हैं मिट्टी हो जायेंगे। साथ ही युद्ध के समय रुपया पैदा किया जा सकता है। अन्यथा यह अवसर बीसियों वर्षों तक नहीं मिलेगा।”

“तो यह बात है ? आपके मुनाफा कमाने के दिन हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, परन्तु जब आप प्रत्येक बात को रुपये-पैसे के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें भी तो उसी ढंग से सोचना चाहिए। बताइये, आप मजदूरों के लिए क्या करना चाहते हैं और फिर हमारे लिए क्या ?”

“हमारे लिए से क्या मतलब है आपका ? जरा साफ कहिए।”

“मतलब साफ है। मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरा भी ख्याल रखा जाए।”

मंत्री यही तो चाहता था। बोला, "मैं आपको किसी एक कारखाने में 'लेबर ऑर्गेनाइजर' नियत करवा दूंगा। एक सहस्र वेतन होगा और काम आपकी रुचि के अनुकूल, अर्थात् मजदूरों की भलाई के उपाय सोचना।"

अवस्थी ने नियुक्ति की चिट्ठी माँगी। उसका बचन दे दिया गया।

उसी दिन अवस्थी मजदूरों की बस्ती में जा पहुँचा और लोगों को घर-घर मिलकर समझाने लगा कि उनको काम आरम्भ कर देना चाहिए। यह उपाय, लोगों के एकत्रित कर समझाने से अधिक सफल रहा। एक कारखाने में तो अगले दिन ही कार्य आरम्भ हो गया और कानपुर के सब कारखाने एक सप्ताह में ही काम करने लगे।

: ५ :

ज्यों-ज्यों सरकार हलचल को शांत कराने में सफल होती गई, त्यों-त्यों सरकार का व्यवहार बदलना गया। धड़ाधड़ 'आर्डिनैन्स' पर 'आर्डिनैन्स' जारी होने लगे। इन 'आर्डिनैन्स' का परिणाम यह हुआ कि उन तमाम लोगों की, जिन्होंने सरकार की इस हलचल में सहायता की थी, पाँचों उँगलियाँ धी में होने लगीं। कारखानेदारों की आमदनी हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो गई। व्यापारी और सट्टेबाज तो सोना-चाँदी में लोटपोट होने लगे। देहातों के जमींदार, जिन्हें मोटा सूती कपड़ा नसीब नहीं होता था, चोरबाजार में मखमल और अतलस खरीदने लगे। कम्प्यूनिस्ट, जिनकी गन्ध से सरकारी अफसरों को सिर-दर्द होने लगता था, सरकारी खजानों से हजारों रुपये मासिक सहायता पाने लगे। अभिप्राय यह कि देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया गया जिससे लोगों की रुचि राजनीति और अपनी दासता दूर करने की ओर से हटकर रुपया कमाने की ओर लग गई।

मुसलमानों ने भी इस अवसर से लाभ उठाया। निजी लाभ के अतिरिक्त मुसलमानों ने सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की माँग बढ़ा दी। अब त्रे पाकिस्तान चाहने लगे थे। पाकिस्तान का अर्थ था—एक, सिंध, बिलोचिस्तान, पंजाब, सरहद्दी सूबा और सरहद्द की कुछ रियासतें; दूसरा, बंगाल और आसाम; तीसरा, पंजाब को बंगाल से जोड़ने के लिए पूर्ण यू० पी० और बिहार में से होती हुई सौ मील चौड़ी पेट्टी; मध्य-भारत में हैदराबाद रियासत के लिए समुद्र का किनारा और मालाबार का दक्षिण-पश्चिम किनारा जहाँ १९२१ में मोपला उपद्रव हुआ था। सरकार ने मुसलमानों की इन माँगों की सराहना की और मुस्लिम-नेता मिस्टर मुहम्मद अली जिन्हा ने कह दिया कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य होने से पूर्व इतना देश पाकिस्तान अर्थात् मुसलमानों का पृथक् देश बना दिया जाए अन्यथा वे स्वराज्य लेने नहीं देंगे।

सरकार ने ये सब शक्तियाँ राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करने के लिए संचित

कर लीं और इनकी प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय नेता जेलों में सड़ रहे थे और देश में पैसा कमाने वाले घड़ाघड़ रुपया एकत्रित कर रहे थे। वीणा और उसके साथ काम करने वाले धीरे-धीरे पकड़े जा रहे थे और छिपकर युद्ध-कार्य में विघ्न डालने का काम सन् तेतालीस के मध्य तक प्रायः समाप्त हो गया। वीणा अपने प्रत्येक प्रयत्न को विफल होता देख निरुत्साह हो बंगाल के एक गाँव दिनाजपुर में जाकर रहने लगी।

सरकार ने हलचल के दबाने के लिए जहाँ नीति से कुछ जनता को अपनी ओर कर लिया वहाँ शेष के लिए पुलिस को भारी अधिकार दे दिए। पुलिस वालों ने भी खूब अपने हाथ दिखाये और राष्ट्रीय विचारों को कुचलने के बहाने अपने रंग-महल खड़े कर लिये। कान्स्टेबल, जो अठारह रुपये महीना वेतन और तीस रुपया महँगाई का भत्ता पाते थे, ताँगे और मोटरों के मालिक हो गए। नन्दलाल और डिप्टी रघुवरदयाल भी इस समय की लूट से बाहर नहीं रह सके। घर पर नोटों और सोने के भूषणों के अम्बार लगने लगे।

: ६ :

जिस दिन से मनोरमा का अपने पति से नरेन्द्र के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था, उस दिन से ही उसके मस्तिष्क में हलचल मच रही थी। उसने भी गोरे सिपाहियों का दिल्ली के एक मोहल्ले में घरों में घुसकर लोगों पर गोलियाँ चलाने का समाचार पढ़ा था। इससे उसका रक्त उबलने लगा था। उसे नरेन्द्र द्वारा सुनाई हुई मार्शल लॉ के दिनों की कहानी याद आ गई थी।

यह समाचार छपने के पश्चात् समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हलचल के समाचार इस मतलब के लिए नियुक्त सरकारी अफसर की मर्दाकृति के बिना, न छापे जावें। इससे प्रायः सब हिन्दुस्तानी समाचार-पत्र या तो हलचल के समाचार छापते ही न थे, या सर्वथा छपने बन्द हो गए। इन समाचार-पत्रों का स्थान चोरी-चोरी छपी और बाँटी हुई 'बुलेटिनो' ने ले लिया।

ये बुलेटिन मनोरमा तक भी पहुँचने लगी थीं। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व कोई इनको कोठी के बाहर लगे डाक के डिब्बे में डाल जाता था। मनोरमा को जब से पता चला था, वह बहुत सुबह उठ डिब्बे से इनको निकाल लेती थी और फिर टट्टी या गुसलखाने में छिपकर पढ़ा करती थी। इन पत्रकों में समाचार बहुत संक्षेप में, परन्तु बहुत आकर्षक और चमत्कारक होते थे। पढ़ने वाले के मनोद्गार भड़के बिना इनसे नहीं रह सकते थे। कभी बलिया में देसी राज्य स्थापित होने का समाचार था, तो कभी चिटगांव में राष्ट्रीय सेना के निर्माण का। कभी पंजाब मेल के उलट जाने का समाचार होता था तो कभी किसी रेल के स्टेशन के जलाकर भस्म कर देने का। रेल की पटरी को उखाड़ किसी दरिया में फेंक देने के तो बहुत समाचार होते थे। ये सब समाचार कितने ठीक होते थे और कितने मिथ्या, कोई कह

नहीं सकता था। खुले और सरकार से 'रजिस्टर्ड' समाचार-पत्रों के अभाव में ये चोर बुलेटिनें चलती थीं और किसी के वश में नहीं था कि सत्य और झूठ को पृथक्-पृथक् कर सके।

कभी-कभी दिल्ली के समाचार भी छपते थे। एक दिन समाचार छपा कि चाँदनी-चौक में रात के समय एक मारवाड़ी-परिवार की सब स्त्रियों को पकड़कर अपमानित किया गया। इस प्रकार के समाचारों से मनोरमा का हृदय धड़कने लगता था। वह यह अनुभव कर रही थी कि इन दमन के कार्यों में उसके पति का भी हाथ है।

एक दिन यह समाचार था, 'लाला हरवंशलाल रईस, नयी दिल्ली, के सुपुत्र विनय को पकड़कर चूतड़ों पर बेंत लगाए गए। लड़का मुआमिला हाईकोर्ट में ले जाने की धमकी पर नहीं छूटा, जैसी कि अफवाह है, बल्कि उसको छुड़ाने के लिए लालाजी ने दो हजार रुपया घूस में दिया है।'

इस समाचार से मनोरमा के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके पिता दिल्ली के बड़े अफसर हैं और विनय के पिता उनके परम मित्र हैं। इस पर भी यदि विनय पर यह अत्याचार हो गया है तो दूसरे लोगों की, जिनकी पुलिस में कुछ भी सुनवाई नहीं, क्या हालत होती होगी। फिर उसके मन में संदेह उठा कि यह बात गलत भी हो सकती है। पहले भी इन बुलेटिनों की बातों पर उसे कई बार संदेह हो चुका था, परन्तु आज के समाचार की सत्यता का तो वह पता कर सकती थी।

आज की बुलेटिन पढ़ने से उसे बहुत दुःख हुआ था। वह स्नानादि कर, कुछ शांत मन हो सोचने लगी कि इस प्रकार के समाचार, जिनके भेजने वाले का पता नहीं, जिनके छापने वाले का नाम नहीं और जिनके बाँटने वाले अपना मुख नहीं बता सकते, कैसे सत्य माने जा सकते हैं। इस विचार से शांत-मन हो वह पति के सोने के कमरे में गई तो नन्दलाल शौचादि के लिए गुसलखाने में गया हुआ था। वह नौकर को बुला बिस्तर ठीक करवाने लगी तो उसने देखा कि तकिए के नीचे सौ-सौ रुपये के दस नोट रखे हुए हैं। यह कोई विचित्र बात नहीं थी। पहले भी तकिए के नीचे रुपये रखे रहते थे, परन्तु इतनी बड़ी रकम का वहाँ होना यह प्रकट किया करता था कि कहीं से घूस की रकम आई है। मन में यह समझते हुए भी कि यह रुपया पाप का है वह इसे नित्य प्रति की बात समझ चुप रहा करती थी। परन्तु आज एक सहस्र रुपया एकदम देख उसे बुलेटिन में छपे समाचार की याद आ गई। वहाँ लिखा था कि वास्तव में लाला हरवंशलाल ने दो हजार घूस देकर लड़के को छुड़ाया था। मनोरमा के मन में तुरन्त यह विचार उठा कि यह रुपया उसी घूस का एक अंश हो सकता है। यद्यपि इसमें कोई प्रमाण नहीं था इस पर भी यह बात उसके मन में बैठ गई। वह अपने मन से बात हटाती थी, परन्तु वह निकलती नहीं थी।

नौकर से बिस्तर ठीक करवा, नोट उसी प्रकार तकिये के नीचे रखवा, बिस्तर को चादर से ढाँप दिया। नौकर सफाई कर चला गया था जब नन्दलाल स्नान कर कपड़े पहनने के लिए कमरे में आया। सदा की भाँति मनोरमा उसको कपड़े पहनाने में सहायता देने लगी। इस समय वह अपने मन की बात छिपाकर रख नहीं सकी और पूछने लगी, “क्या विनय कल पकड़ा गया था?”

“कौन विनय?” नन्दलाल ने चौंकर पूछा।

“कमला का भाई विनय। आप उसे जानते तो हैं न।”

“अच्छा! लाला हरवंशलाल का लड़का जो किसी कॉलेज में पढ़ता है?”

“हाँ, वही। सुना है उसे बेंत लगाये गए हैं।”

“मुझे मालूम नहीं था। बात यह हुई कि कल सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज के दरवाजे पर दो विद्यार्थी पकड़े गए थे।”

“क्यों?”

“वे लड़कों को कॉलेज में जाने से रोकते थे।”

“कैसे? डंडे मारकर अथवा गोली मार देने का भय दिखाकर?”

“नहीं, दरवाजे पर खड़े होकर लड़कों को कहते थे कि हड़ताल कर दो। कॉलेज के प्रिन्सिपल ने रिपोर्ट की। इससे पुलिस वहाँ गई और इन लड़कों को पकड़ लाई।”

“तो फिर इस दोष में इनको बेंत लगाये गए?”

इस समय तक नन्दलाल कपड़े पहन तैयार हो चुका था और बोला, “मनोरमा, तुम इन बातों में दखल मत दिया करो। ये हमारे दफ्तर की बातें हैं।”

“आपको मालूम है कि कमला मेरी सहेली है। विनय उसका भाई है। मेरा कोई सहोदर न होने से उसे ही टीका किया करती हूँ।”

“सत्य पूछो तो मुझे मालूम नहीं था कि वह लड़का कमला का भाई है। मैंने जब उससे पूछा, ‘धरना क्यों दे रहे थे?’ तो कहने लगा, ‘धरना देने का अर्थ मैं नहीं समझता। हम तो लड़कों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि हड़ताल कर दें। लड़के हमारी प्रार्थना मान जाते थे।’

“इस पर मैंने कहा, ‘यह तुम्हारा काम कानून के विपरीत है।’

“तो वह कहने लगा, ‘कानून के खिलाफ है तो मुकदमा चला दो। मजिस्ट्रेट जो करेगा देखा जायेगा। आप तो मजिस्ट्रेट नहीं हैं।’

“मुझे क्रोध चढ़ आया। मैंने कहा, ‘मजिस्ट्रेट के बच्चे! देखूँ तो तुम्हारा मजिस्ट्रेट क्या करता है?’ मैंने एक सिपाही को आज्ञा दे दी कि उसे एक दर्जन बेंत लगा दे। बेंत लगे तो फिर रोने लगा। मैंने कहा, ‘क्यों, बच्चा जी अब रोने लगे हो। देखा, हम मजिस्ट्रेट के भी बाप हैं।’

“उसने कहा, ‘जल्लाद के बच्चे...’ वह कुछ और भी कहना चाहता था,

परन्तु मैंने एक चाँटा उसके मुख पर दे मारा। उसके हाथ में हथकड़ी थी, नहीं तो वह मुझ पर जरूर हाथ उठाता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि लड़का बड़ा गुस्ताख है और फिर मुझे नहीं मालूम था कि कमला का भाई है। यह तो मुझे तब मालूम हुआ जब लाला हरवंशलाल उसको छुड़ाने आए। मैंने लालाजी से अफसोस प्रकट किया और वे लड़के को घर ले गए।”

मनोरमा की आँखों में आँसू झलक रहे थे। उसकी नाक क्रोध के श्वासों और निःश्वासों से फूल रही थी। उसने कहा, “और आपके अफसोस प्रकट करने से लाला जी गद्गद होकर आपको दो हजार रुपया इनाम दे गए। ठीक है न...?”

इसके आगे वह कुछ नहीं कह सकी। उसका गला आँसुओं से रुँध गया।

नन्दलाल ने अचम्भा प्रकट करते हुए कहा, “किसने कहा है तुम्हें?”

मनोरमा ने बिस्तर की चादर और तकिया उठाकर नोट दिखाते हुए कहा, “ये कह रहे हैं।”

एक क्षण के लिए नन्दलाल स्तब्ध खड़ा रह गया। वह नहीं समझ सका कि घूस की रकम का ठीक पता मनोरमा को कैसे लगा है। फिर कुछ सोचकर बोला, “नहीं, मनोरमा, मैंने नहीं माँगा था। वह तो लाला जी अपने आप ही दे गए हैं। बात यह थी कि मैं तो इनकार कर ही रहा था, पर महकमे के दूसरे लोग जो हैं। एक हजार तो वहीं कोतवाली में बँट गया। पाँच सौ अभी और बँटना है। मेरे पास तो केवल पाँच सौ ही रहेगा। तुम कहती हो तो अपने हिस्से का पाँच सौ लाला जी को वापस भेज देता हूँ।”

“लाला जी आप जैसे कंगले नहीं कि इस पाँच सौ को लेंगे। यह रुपए की बात नहीं, यह तो सम्बन्ध की बात है।”

मनोरमा अभी भी हिचकियाँ भर रही थी। नन्दलाल अपने को कंगला कहा सुनकर दंग रह गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कहीं हवा में निराधार खड़ा है। उसने अपना हण्टर जोर से पकड़ लिया, मानो इस निराधार आकाश में यह हण्टर ही उसका एकमात्र आश्रय है। मनोरमा ने उसे हण्टर जोर से पकड़ते देख लिया था। वह समझी कि वह उसे पीटने वाला है। बोली, “पीटो ! पीट डालो !! भाई को पीटकर मन ठण्डा नहीं हुआ तो अब बहन को भी पीट दो। करो न बहादुरी।”

नन्दलाल और नहीं सुन सका। चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया।

: ७ :

नन्दलाल के घर से जाते ही मनोरमा घर से निकल टाँगा कर कमला के घर पहुँची। वह वहाँ नहीं थी। बनारसीदास कोठी के बरामदे में खड़ा था। मनोरमा को आया देख मुख फेरकर खड़ा हो गया। मनोरमा उसके सामने हो पूछने लगी, “चाचा जी, कमला बहन भीतर हैं?”

“नहीं।” इतना कह वह कोठी के भीतर चला गया। मनोरमा समझ गई कि उसके पति के दोष से वह भी दोषी मानी गई है। वहाँ से निकल वह हरवंशलाल की कोठी पर पहुँची। कोठी के बाहर कोई नहीं था। एक माली लॉन के किनारे लगे पेड़ों की काट-छाँट कर रहा था। मनोरमा टांगे से उतर कोठी में चली गई। बरामदा और ड्राइंग-रूम खाली थे। सब लोग विनय के कमरे में इकट्ठे हो रहे थे। मनोरमा ने समझा कि परिवार इकट्ठा हो कुछ विचार कर रहा है। उसे बनारसीदास का व्यवहार स्मरण हो आया। ‘क्या ये लोग भी मुझसे घृणा करेंगे? अवश्य करनी चाहिए।’ वह मन में तो सोचती थी कि कमीने लोगों से सम्बन्ध जोड़ने पर घृणा का पात्र बन जाने में अचम्भा नहीं होना चाहिए। अब तो वह यह सोच रही थी कि इस परिवार के लोगों से मिले अथवा न मिले। यदि वे कोई परामर्श कर रहे होंगे तो अवश्य उसे देखकर चुप हो जाएँगे। वह वहाँ जाकर, उनकी बातों में विघ्न डालकर और अधिक घृणा की पात्र बन जाएगी। तो वह लौट जाय? वह वापस लौटने ही वाली थी कि उसे विनय के कमरे से नरेन्द्र की आवाज सुनाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई, फिर खिचकर कमरे के बाहर जा पहुँची और दीवार के साथ लगकर सुनने लगी।

हरवंशलाल कह रहा था, “मुझे रुपयों का शोक नहीं। दो हजार रुपया देने से मैं निर्धन नहीं हो गया। मुझे तो शोक है डिण्टी साहब से मित्रता रखने का। जब मैंने उनसे कहा कि उनके दामाद ने लड़के को बेंतों से पिटवा दिया है तो बोले, ‘भाई, तुम मेरे पास आते तो मैं लड़के को बिना पैसे के छुड़वा देता। नन्दलाल अभी बच्चा है। जवानी के जोश में यदि कुछ कर बैठा है तो मैं क्या कर सकता हूँ?’”

“बस, बात टाल दी,” नरेन्द्र ने कहा, “और यह नहीं बताया कि आपके दो हजार में से पाँच सौ उसे भी मिले हैं।”

“यह तुम्हें किसने बताया है? मुझे इसका विश्वास नहीं होता।”

“यह बात बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ और आपको भी पता चल जाएगा। धोखा बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता।”

हरवंशलाल चुप था। विनय ने इसके उत्तर में कहा, “पिताजी, आप डिण्टी साहब से मेल-जोल बन्द कर दें।”

हरवंशलाल अभी भी चुप था। विनय की माँ ने बात बदल दी और कमला से पूछा, “तुम्हें इसका कैसे पता चला है?”

“मालूम नहीं लाला जी को किसने बताया है। हमारे जागते ही उन्होंने सूचना दी। हमें विश्वास नहीं होता था। समाचार पाते ही कपड़े पहन यहाँ चले आए हैं।”

इन्द्रजीत ने कहा, “माताजी, अब इन बातों से क्या हो सकता है? यह एक

विनय का प्रश्न तो है नहीं, देश-भर का प्रश्न है। विनय हमारे समीप है, इससे हमें पता चल गया है। अनेक हैं जो नित्य विनय की भाँति मारे और पीटे जाते हैं। जब देश स्वतन्त्र हो जाएगा तो न ऐसे कानून रहेंगे जो पुलिस को इतना अत्याचार करने की स्वतन्त्रता देते हैं और न इस प्रकार के पुलिस वाले रहेंगे जो कुछ रुपए ऐंठने के लिए निरपराधों को कष्ट देने लगते हैं।”

हरवंशलाल को नरेन्द्र के विषय में चिन्ता लग रही थी। उसने कहा, “अब दिन में तुम कैसे जाओगे ?”

“आप मेरी चिन्ता न करें। मुझे डर नहीं लगता। मैं भाग्य के भरोसे रहता हूँ।”

मनोरमा ये बातें बाहर खड़ी सुन रही थी। उसके मन में रह-रहकर आता था कि कमरे के भीतर चली जाय, पर उसका मन भीतर-ही-भीतर बैठता जाता था और उसे अपना मुख इन लोगों को दिखाने में लज्जा लगती थी। अभी तक तो साधारण रूप में बातें हो रही थीं, परन्तु उसके भीतर चले जाने से सबके हृदय में छिपा ज्वालामुखी फूट पड़ेगा और क्या जाने उस ज्वालामुखी की लपटों को सहन करने की शक्ति उसमें न हो। इस विचार से उसकी टाँगें थरथराने लगीं और सिर में चक्कर आने लगा। वह वापस लौट पड़ी और बाहर ड्राइंग-रूम में चली आई। इससे आगे जाने की शक्ति उसमें नहीं रही। वह वहीं एक सोफे पर बैठ गई।

इस कोठी में उसने अपने जीवन की कुछ अति आनन्दमय घड़ियाँ व्यतीत की थीं। वे उसको स्मरण हो आईं। कमला, विनय, विजय सब उससे बहन का-सा व्यवहार करते थे। विनय की माँ भी उससे बहुत स्नेह रखती थीं। कमला तो अभी दो दिन हुए मिली थी। उसकी बातों में सदा की भाँति बहुत स्नेह भरा हुआ था। क्या अब भी वे उसे अपने पति से भिन्न व्यक्ति मानेंगे और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे ? वह सोच रही थी कि इन लोगों के बाहर आने से पूर्व ही वहाँ से चली जाय तो अच्छा हो। अभी इनसे मिलना ठीक नहीं। घाव ताजा है। जरा सा छिड़ जाने से बहने लगेगा। परन्तु उसकी टाँगें जवाब दे चुकी थीं। वे चलने से इन्कार कर रही थीं। यदि नौकर समीप होता तो पानी मँगवा लेती और पीकर चली जाती। ऊँची आवाज देकर बुलाने से तो घर के लोगों के आ जाने का भय था।

इन्हीं विचारों में एक बार उसके मन में उत्साह भर आया और सोचने लगी, ‘मैंने इन लोगों का कोई बुरा नहीं किया। मैं अपने पति के कामों की उत्तरदायी नहीं हो सकती। पर इस सचाई को जानने के लिए किसके पाप अवकाश है। दूसरे लोग तो मेरे विचारों का अनुमान मेरे कामों से ही लगाएँगे। जब तक मैं अपने पति के घर में रहती हूँ, उसका दिया अन्न खाती हूँ और उससे लाए गए कपड़े पहनती हूँ तब तक कोई कैसे कह सकता है कि मैं उससे भिन्न व्यक्तित्व रखती हूँ।’

इस समय उसका मन पुनः दुर्बलता अनुभव कर रहा था। वह सोचने लगी, 'मैं विनय वगैरह के लिए क्यों अपने पति और पिता को छोड़ दूँ? वे बहुत अच्छे लोग हैं, इस पर भी वे मेरे लिए मेरे पति और पिता से बढ़कर तो नहीं हो सकते। इस पर प्रश्न उठा कि क्या विचार-समानता अधिक घनिष्ठता नहीं बनाती और जन्म-सम्बन्ध केवल एक घटनामात्र नहीं है? क्या नरेन्द्र जिसके अनुकूल मेरे विचार हैं, मेरे अधिक समीप नहीं? क्या नन्दलाल से मेरा सम्बन्ध केवल एक इत्तफाक नहीं? क्या वह जिससे मेरे विचार नहीं मिलते मुझसे दूर नहीं है?'

वह इसी प्रकार के विचारों में लीन वहाँ बैठी थी कि इन्द्रजीत किसी काम से बाहर आया। वह मनोरमा को चुपचाप वहाँ बैठा देख वापस विनय के कमरे में चला गया और संकेत कर कमला को बाहर बुला लाया। कमला ने मनोरमा को बैठे देखा तो उसके पास आकर बैठ गई और गले में बाँह डालकर बोली, "तुम आ गई हो मनोरमा?"

मनोरमा कमला के पूछने से चौंक उठी। कुछ देर तक वह कमला के प्रश्न का अभिप्राय समझने के लिए उसके मुख की ओर देखती रही। एकाएक इसका अर्थ समझ उसने विस्मय से पूछा, "तो तुम लोग मेरे आने की आशा कर रहे थे?"

"तो तुम्हें नहीं मालूम...?" कमला कहते-कहते रुक गई।

मनोरमा ने वाक्य पूरा कर दिया, "कि विनय को बेंत लगे हैं।"

"तो तुम्हें मालूम हो गया है?"

"और आप लोग समझते थे कि मैं खबर लेने आऊँगी।"

"हाँ, विनय तुम्हारा भाई नहीं है क्या?"

"हाँ," मनोरमा ने लम्बा साँस खींचते हुए कहा, "परन्तु पीटने वाला भी मेरा कोई है।"

"परन्तु तुम इस काम को नापसन्द तो करती हो न?"

"इसे कौन पसन्द करेगा? परन्तु, बहन, मैं भीतर जाकर विनय भैया के मम्मुख आँखें नहीं कर सकती, इसलिए यहीं बैठी रह गई। मुझे अपने पर घृणा और लज्जा लगने लगी है।"

कमला ने कहा, "जीजा जी को नौकरी छोड़ने को क्यों नहीं कह देती? क्या पुलिस का महकमा ही है जहाँ काम किया जा सकता है?"

"झगड़ा तो उनसे हुआ है, परन्तु समझती हूँ कि वे कहीं और काम करने के योग्य भी नहीं हैं।" मनोरमा के मन में था कि उसकी अपनी प्रकृति ही खराब है, परन्तु वह दूसरों के मुख पर अपने पति की निन्दा नहीं कर सकी।

"छोड़ो इन बातों को," इन्द्रजीत ने कहा, "मनोरमा बहन, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। समाचार पाते ही तुम चली आई हो, क्या यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता प्रकट नहीं करता? चलो न भीतर। विनय को

तुम्हें देखकर शान्ति मिलेगी।”

“माताजी नाराज तो न होंगी?”

“नाराज तुमसे? भला क्यों? चलो तो वहाँ तुम्हें ले चलूँ।” कमला मनोरमा की बाँह पकड़कर विनय के कमरे की ओर ले गई। मनोरमा वहाँ पहुँची तो नरेन्द्र वहाँ से जा चुका था।

: ८ :

‘डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट’ ऐसा बनाया गया था कि पुलिस वाले मनमानी कर सकते थे। दो मास तक तो किसी को भी पकड़कर हवालात में रख देते थे। पश्चात् पुलिस की रिपोर्ट पर बड़े अफसर आज्ञा दे सकते थे कि पकड़ा हुआ आदमी अनिश्चित समय के लिए जेल में बन्द कर दिया जाय। वह बड़ा अफसर, प्रायः ‘सेक्रेटरी टू दि गवर्नर’ होता था और वह गवर्नर के नाम पर यह आज्ञा देता था।

परन्तु जो तत्त्व की बात थी वह यह थी कि सेक्रेटरी या गवर्नर, जो कोई भी हो, उसे पुलिस की रिपोर्ट पर ही विश्वास करना पड़ता था। उसके पास सचाई जानने का पुलिस के महकमे से स्वतन्त्र कोई साधन नहीं था।

जब से देश में राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई है लोग मजिस्ट्रेटों को हुकूमत करने वाले अफसरों से स्वतन्त्र करने की माँग उपस्थित किए हुए हैं। साधारण काल में भी पुलिस मजिस्ट्रेटों पर भारी दबाव डाल सकती है, परन्तु ‘डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट’ के अनुसार तो किसी को जेल में ठूस देने के लिए मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता ही नहीं रही थी। मजिस्ट्रेट के सम्मुख मामला जाने से अभियोगी को अपनी सफाई उपस्थित करने का अवसर तो मिल ही जाता था। वह मानी जाय चाहे न मानी जाय, यह बात दूसरी थी; परन्तु अब तो पुलिस ने जिस किसी को भी चाहा, सन्देह में पकड़ लिया। दो मास तक उसके विरुद्ध मुकदमा तैयार किया और वह ‘सेक्रेटरी टू दि गवर्नर’ को भेज दिया। उसके पास पुलिस के लाँछनों की जाँच करने के साधन नहीं हैं। विवश उसे उन्हें ठीक मानना पड़ता है। बस, फिर क्या था। यदि पुलिस ने रिपोर्ट ठीक बनाकर लिखी तो बिना अभियोगी को बताए कि उसका क्या दोष है उसे जेल भेज दिया गया।

यह अवस्था जहाँ पर हो वहाँ पुलिस को हाथ रँगने का अवसर मिल जाना स्वाभाविक ही है। यह अन्धेरगर्दी देश के अन्य भागों की भाँति दिल्ली में भी चल रही थी।

एक रात इन्द्रजीत सिनेमा देखने गया तो घर नहीं लौटा। रात के एक बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद कमला ने अपने श्वसुर को जा जगाया। बनारसीदास उठकर पूछने लगा, “क्या है?”

“वे घर नहीं आए।”

“कहाँ गया था?”

“सिनेमा देखने। रात के दस बजे आने को कह गए थे।”

“अभी तक नहीं आया? अब तो (घड़ी में देखकर) एक बज गया है।”

“जी।”

“फिर मैं क्या करूँ? इस वक्त सो जाओ, सुबह देखा जाएगा।”

“दिल डर रहा है।”

“क्यों?”

“ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।”

“हाँ, कुछ बात तो हुई है। परन्तु अब क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ दूँढ़ने जाऊँ?”

“जरा कोतवाली में टेलीफोन कर पूछिए।”

“अच्छी बात,” इतना कह बनारसीदास गोल कमरे में आ कोतवाली से टेलीफोन मिला कहने लगा, “शहर कोतवाली? मैं नयी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा लड़का मॅजेस्टिक सिनेमा में ‘पिक्चर’ देखने गया था। उसे दस बजे तक लौट आना था। नहीं आया।

“मैं इस कारण पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई सूचना हो...क्या कहा...? रण्डी के यहाँ चला गया होगा? नहीं, वह ऐसा नहीं है...आप नहीं जानते?... अच्छा, देखिए। उसका नाम है...क्या कहा?...तुम किसी के बाबा के नौकर नहीं...नहीं?...मैंने आपको कब नौकर कहा है? साहब, आप तो शहर के मालिक हैं। तभी तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लड़के का नाम इन्द्रजीत है। आयु तेईस वर्ष। रंग गन्दमी। कद पाँच फीट छः इंच। छाती चौड़ी। कुर्ता-धोती पहने है। पाँवों में सैण्डल हैं।

“आप सुन रहे हैं न?...आपने लिख लिया?...आप बोल नहीं रहे?...हैलो...हैलो...है...लो...।”

बनारसीदास ने टेलीफोन लटकाकर कमला से कहा, “टेलीफोन ‘हैंगर’ से उतार, नीचे रख आदमी सो गया प्रतीत होता है।” कमला को बहुत निराशा हुई। वह अपने कमरे में आ मन मसोस कर बैठी रही। दो बजे—तीन बजे—चार—पाँच और छः बज गए, परन्तु इन्द्रजीत घर नहीं आया। वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका श्वसुर कपड़े पहन तैयार खड़ा है। कमला की फूली आँखें देख उसने कहा, “मैं पता करने जा रहा हूँ।”

कमला को कुछ धैर्य हुआ और वह चुपचाप भूमि की ओर देखती हुई खड़ी रही।

बनारसीदास कोठी से निकल, मोटर में सवार हो सीधा नयी दिल्ली थाने में पहुँचा। वहाँ पर कुछ पता न चलने पर दिल्ली कोतवाली में जा पहुँचा। वहाँ पर एक सब-इन्स्पेक्टर उपस्थित था। उसने बनारसीदास से पूछा, “क्या काम है?”

“मेरा लड़का रात से गायब है। उसकी कोई खबर थाने में हो तो पूछने आया है।”

सब-इन्स्पेक्टर ने एक खाली कागज का टुकड़ा ले रिपोर्ट लिखने के लिए कलम हाथ में ले ली। उसने पूछा, “लडके का नाम क्या है?”

“इन्द्रजीत।”

“आपका नाम?”

“बनारसीदास।”

“आपके बाप का नाम?”

“लाला मोहनलाल।”

“कहाँ रहते हैं?”

“बारहखम्भा रोड पर।”

“पहले कहाँ के रहने वाले हैं?”

“गुजरांवाला का।”

सब-इन्स्पेक्टर लिख रहा था, “बनारसीदास, बल्द मोहनलाल, साकिन गुजरांवाला, साकिन हाल नयी दिल्ली बारहखम्भा रोड, बंगावत से भरे बुलेटिन बाँटता हुआ पकड़ा गया। पकड़ने के बाद बुलेटिन जमीन पर फेंक दिए। हिरासत में करने वाला कान्स्टेबल बमुश्किल उसे पकड़ कोतवाली लाया। उसे ‘डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट’ के रूल २९ के मुताबिक हिरासत में लिया जाता है।”

सब-इन्स्पेक्टर ने दो कान्स्टेबलों को बुलाकर कहा, “लालाजी को हवालात में कर दो।”

बनारसीदास के कान खड़े हो गए। पूछने लगा, “क्यों साहब, मैंने क्या किया है?”

“जब कोतवाल साहब आएँगे तो पूछ लेना।”

बनारसीदास चुपचाप कान्स्टेबलों के साथ चल पड़ा। आशा थी कि एक-आध घण्टे में ही छूट जाएगा।

नन्दलाल, जो शहर कोतवाली का इन्चार्ज था, बारह बजे वहाँ पहुँचा। उस समय पकड़े हुए लोगों की भीड़ लग रही थी। कांग्रेस आन्दोलन को दबाने के लिए पकड़-धकड़ खूब जोरों से हो रही थी। पुलिस ने जब देखा कि कांग्रेसी अनियमित-पत्रक बाँटने बन्द नहीं हो रहे तो इसे रोकने के लिए बिना किसी प्रकार के नियम के लोगों को पकड़ना आरम्भ कर दिया। कोतवाली में पूछ-गीछकर यदि किसी पर सन्देह होता तो रोक लिया जाता था, अन्यथा छोड़ दिया जाता था। इतना करने-मात्र से ही पुलिस के हाथ रँग जा रहे थे।

नन्दलाल यह भलीभाँति जानता था कि पकड़े जाने वालों में बहुत लोग निर-पराध होते हैं, परन्तु जिस काम से अफसर प्रसन्न हों और जब गरम हो उसको

करने में वह हानि नहीं मानता था। अफसर चाहते थे कि पुलिस का लोगों के मन में इतना आतंक बैठ जाय कि फिर किसी को उनकी इच्छा के विपरीत कोई बात करने का साहस ही न हो सके। इस कारण वे पुलिस की शिकायतों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। वास्तव से विदेशी राज्य के रक्षक पुलिस और फौज ही हैं और अपने रक्षकों से कौन रियायत नहीं करता।

नन्दलाल अपनी कुर्सी पर बैठता तो पकड़े हुए लोग उसके सामने उपस्थित किए जाने लगे। एक से नन्दलाल ने पूछा, “क्या नाम है?”

“अब्दुलगनी।”

“ओह, मुसलमान हो! तुम जा सकते हो।”

सरकार की नीति थी कि मुसलमानों को कम-से-कम पकड़ा जाय।

अगले आदमी से पूछा, “क्या नाम है?”

“रामनिरंजन।”

“क्या काम करते हो?”

“एक करियाने की दूकान पर नौकर हूँ।”

“क्या तन्खाह पाते हो?”

“चालीस रुपया माहवार।”

“अच्छी बात, उस कमरे में चले जाओ।”

रामनिरंजन बताए हुए कमरे में गया तो वहाँ एक हैड-कान्स्टेबल को बैठा देखा। वह उसे देखते ही बोला, “बताओ, लाला, हवालात में जाना चाहते हो?”

“क्यों जाऊँगा, साहब? मैंने कुछ नहीं किया।”

“तो ठीक है, दस रुपए निकालो।”

“हुजूर, जब मैं तो हूँ नहीं।”

“कितने हैं?”

लाला ने अन्दर की जेब में हाथ डालकर सब रेजगारी निकाल गिनी। पाँच रुपए साढ़े सात आने थे। मेज पर ढेर कर रख दिए। हैड-कान्स्टेबल ने आवाज दी, “नत्थे खाँ।”

एक आदमी सफेद-पोश भीतर आया। हैड-कान्स्टेबल ने कहा, “यह उठा लो,” और रामनिरंजन की ओर घूरकर देखते हुए कहा, “जाओ, लाला, फिर ऐसा न करना।”

“क्या न करना, हुजूर?”

“यही, नाली में पेशाब न करना।”

“मैं पेशाब नहीं कर रहा था, हुजूर। मैं नल पर पानी पी रहा था।”

“अबे! मत कहो पानी पी रहा था। कहो पेशाब कर रहा था। समझे! जाओ।”

रामनिरंजन सिर पर पाँव रखकर भागा। इस समय एक और युवक कोतवाल साहब का भेजा हुआ आया। हैड-कान्स्टेबल ने पूछा, “क्या नाम है?”

“हरिश्चन्द्र।”

“क्या करते हो?”

“हिन्दू कॉलेज में पढ़ता हूँ।”

“बाप को लिखो, आकर जमानत देकर छोड़ा ले जाए।”

“क्यों?”

“लिख दो बाबू साहब। नहीं तो रात-भर यहाँ हवालात में रहना पड़ेगा।”

लड़के ने एक खाली कागज के टुकड़े पर पिता के नाम दो पंक्तियाँ लिख दीं और हैड-कान्स्टेबल को पता बता दिया।

इस प्रकार काम चल रहा था। एकाएक सब-इन्स्पेक्टर को याद आया कि एक लड़का रात का पकड़ा हुआ है और सुबह से उसका पिता भी हवालात में है। वह अपनी जगह से उठा, कोतवाल के पास पहुँचा और कान में कुछ कहने लगा। नन्दलाल ने अचम्भे में पूछा, “कौन? बनारसीदास और उसका लड़का? गजब कर दिया है तुमने! जाओ, उन्हें जल्दी छोड़ दो।”

“क्यों?”

“बे बहुत बड़े आदमी हैं और सरकार को लाखों चन्दा देने वालों में हैं।”

“तो, हुजूर, हम तो लाखों नहीं माँगते। हमें कुछ दे देने से तो इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं।”

“जिस किस तरह भी हो उन्हें छोड़ दो। और देखो, मेरे पास मत लाना।”

सब-इन्स्पेक्टर हवालात में जा पहुँचा। वहाँ बनारसीदास और इन्द्रजीत दोनों फर्श पर बैठे थे। सब-इन्स्पेक्टर उन्हें देख कहने लगा, “सख्त अफसोस है कि मैं पहले आपसे मिल नहीं सका। आजकल आप लोगों की ही मेहरबानियों से काम बहुत हो गया है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?”

“मुझे और मेरे लड़के को छोड़ दीजिए।”

“क्यों?”

“यह तो मुझे पूछना चाहिए कि हमें क्यों पकड़ा गया है।”

“देखिए, लालाजी, कानून तो यह है कि आपको कुछ न बताया जाय और चुपचाप हवालात में दो महीने तक रखा जाय ताकि आपके विरुद्ध मुकदमा तैयार हो सके। मगर मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ।”

बनारसीदास ने कुछ सोचकर कहा, “तो आप इस खिदमत के लिए दाम माँगते हैं?”

“आप स्वयं समझ सकते हैं।”

“कितना चाहते हो?”

“देखिए, साहब, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे मातहत और मेरे ऊपर सबका पेट है। अगर आप दस हजार का इन्तजाम कर दें तो सब बात पन्द्रह मिनट में तय हो जायगी।”

बनारसीदास ने निश्चय करने में एक क्षण ही लगाया। बोला, “इतनी बड़ी रकम तो मैं साथ लेकर नहीं आया। मुझे टेलीफोन करने की स्वीकृति दें तो प्रबन्ध हो सकता है।”

“अच्छी बात, आइए,” कह सब-इन्स्पेक्टर बनारसीदास और इन्द्रजीत को साथ लेकर बाहर टेलीफोन के समीप आ गया। लालाजी से टेलीफोन का नम्बर पूछ, टेलीफोन मिला पूछने लगा, “कहाँ से बोलते हो? लाला बनारसीदास की कोठी से?...” अब बनारसीदास की ओर देखकर बोला, “आपका नौकर बोल रहा है। कहिए, जो कहना चाहते हैं?”

बनारसीदास ने टेलीफोन कान से लगाकर पूछा, “कौन बोल रहा है?..... मैं बनारसीदास.....कुछ घबराने की बात नहीं.....वहूँ को टेलीफोन पर बुलाओ।”

कुछ काल के पश्चात् बनारसीदास ने टेलीफोन पर कहा, “कौन, कमला?.... देखो, बेटा, मेरे तकिए के नीचे सेफ की चाबी है। उसको खोलकर सौ-सौ रुपए के एक सौ नोट लेकर दूसरी मोटर निकलवा लो और यहाँ फव्वारे के मैदान में कोतवाली के बाहर आ जाओ। जल्दी करो। देरी मत करना...हाँ, बेटा...सब ठीक है...चिन्ता की कोई बात नहीं।”

सब-इन्स्पेक्टर सारी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और सन्तोष अनुभव कर रहा था। अब बनारसीदास, इन्द्रजीत और सब-इन्स्पेक्टर बाहर उस कमरे में आ गए जहाँ हैड-कान्स्टेबल घूम एकत्रित कर रहा था। पन्द्रह मिनट वहाँ प्रतीक्षा कर तीनों कोतवाली के बाहर चले आए। कमला मोटर में आई। लालाजी ने आगे बढ़ कमला के हाथ से नोटों का बण्डल लेकर जेब में रख लिया। वहाँ से वे हैड-कान्स्टेबल के कमरे में चले आए। कमला मोटर में ही बैठी रही।

वहाँ बनारसीदास ने नोटों का बण्डल सब-इन्स्पेक्टर के हाथ में दे दिया। सब-इन्स्पेक्टर ने नोटों को जेब में रखते हुए कहा, “शुक्रिया, दृजूर को बहुत तकलीफ हुई है। कभी किसी वक्त जरूरत हो तो खिदमतगार को याद फरमाइयेगा।”

बनारसीदास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इन्द्रजीत को लेकर बाहर चला आया। वह गाड़ी भी जिसमें सुबह बनारसीदास आया था वहीं खड़ी थी। ड्राइवर स्वयं बहुत परेशान था। वह नहीं जानता था कि लाला जी किधर गए हैं।

इस गाड़ी को विदाकर, बनारसीदास स्वयं और इन्द्रजीत कमला वाली गाड़ी में सवार हो गए। जब गाड़ी चल पड़ी तो कमला ने पूछा “पिताजी, रुपया घूरा देने के लिए था क्या?”

“हाँ, बेटा, पर चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कुत्ते हैं। इनको टुकड़े डालकर चुप रखना ही उचित है।”

“पर, पिताजी, यह कितने अपमान की बात है कि आप जैसे रईस से, जिनकी दी गई दावतों पर कमाण्डर-इन-चीफ भी आते हैं, इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। भला, गरीबों का क्या होता होगा?”

“पर हम कर ही क्या सकते हैं? अब तो कानून ही ऐसा बना है। यहाँ तक कि आप लोगों को हमारा पता तक भी न चलता कि हम कहाँ हैं। दो मास तक यह बात रहती; पश्चात् एक और धारा है जिससे, बिना हमें बताए कि हमने क्या अपराध किया है, हमें अनिश्चित समय तक बंदी बनाकर रख सकते थे।”

“बहुत अन्याय है, पर मैंने एक बात की है। प्रत्येक नोट के पीछे अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर कर दिये हैं। यदि आप चाहें तो सिटी-मैजिस्ट्रेट से कहकर इनकी तलाशी करवा सकते हैं।”

बनारसीदास की आँखें खुल गईं। उसे अब पता चला कि कमला में भी कुछ बुद्धि है। कहने लगे “शाबाश, मेरी बेटी, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी चतुर हो। इस पर भी मुझे संशय ही है कि कुछ हो सकेगा। फिर भी यत्न तो करना ही हूँ।”

बनारसीदास ने मोटर सिटी-मैजिस्ट्रेट के बंगले की ओर घुमा दी। इस समय सायंकाल के चार बज चुके थे। सिटी-मैजिस्ट्रेट कचहरी से लौटा ही था कि बनारसीदास जा पहुँचा। दोनों का पूर्व परिचय भी था। अतएव मिलने में कठिनाई नहीं हुई। कमला और इन्द्रजीत मोटर में बैठे रहे। आधे घंटे के पश्चात् बनारसीदास कोठी से बाहर आया। निराशा उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब मोटर में बैठ गया और मोटर चल पड़ी तो कमला ने उत्सुकता से पूछा, “क्या हुआ है, पिताजी?”

“मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हारे हस्ताक्षर प्रमाण नहीं माने जा सकते। किसी मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुत बातें हुई हैं, पर पाताल से आकाश तक सब एक ही साँचे में ढले हुए हैं।”

: ६ :

बनारसीदास सन् १९१६ में भी पकड़ा गया था। तब उसे मार्शल-लाॅ के अफसर ने छः मास की सजा दी थी। अब तो मार्शल-लाॅ अफसर की आवश्यकता नहीं पड़ी और दस हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा। उसको इससे क्या मतलब था कि रुपया सरकारी कोष में गया है या किसी छोटे-मोटे अफसर की जेब में। सन् १९१६ में बनारसीदास एक अज्ञात व्यक्ति था। गुजरांवाला जैसे छोटे-से नगर में भी उसे बहुत कम लोग ही जानते थे। अब वह दिल्ली क्या उत्तरी भारत में एक विख्यात व्यक्ति था। लाखों रुपए युद्ध के लिए सरकार को दान दे चुका था।

१९१६ में लोग और प्रायः कांग्रेस वाले कहते थे कि हमारी पराधीनता की बेड़ियाँ मुदूढ़ थीं। अब १९४२ तक कांग्रेस के तीन आन्दोलन चल चुकने पर कांग्रेसियों का यह कहना कि भारत स्वतन्त्रता के बहुत समीप पहुँच चुका है, कितना मिथ्या और भ्रममूलक प्रतीत हो रहा था। १९१६ में तो मार्शल-लाँ अफसर को उसे बुलाकर यह तो बताना पड़ा था कि उसकी दूकान अफसर की आज्ञा के विरुद्ध बन्द रही थी। अब तो वह, बिना बताए कि उसने क्या अपराध किया है, दो मास तक और झूठा लांछन लगाकर युद्ध-काल तक के लिए कैद रखा जा सकता था। इससे बचने के लिए ही उसने दस हजार दण्ड समझकर दे दिया था।

अभी कुछ दिन पूर्व ही बीणादेवी उससे पाँच हजार रुपया विद्रोह को छिपकर चलाने के लिए ले गई थी। उस समय बनारसीदास ने कहा था कि उसे कांग्रेस के कार्यक्रम में सफलता की आशा प्रतीत नहीं होती। बीणा का उत्तर था कि महात्मा जी के आन्दोलनों से वे स्वतन्त्रता के पथ पर कोसों आगे बढ़ चुके हैं। आज उसे अनुभव हुआ था कि बीणा के कहने में सार नहीं है। उसे नरेन्द्र के कथन की सत्यता प्रतीत हो गई थी। नरेन्द्र का कहना था कि सत्याग्रह-आन्दोलन लोगों में जागृति उत्पन्न करने में तो बहुत सफल हुए हैं, परन्तु स्वाधीनता का मार्ग और अधिक कंटकाकीर्ण हो गया है और नित्यप्रति होता जा रहा है। मार्ग की इन कठिनाइयों का उत्तरदायित्व महात्मा जी की नीति है या नहीं, कहना कठिन है। हाँ, इतना तो कहा जा सकता है कि जहाँ शासक अपनी प्रत्येक बात में वेग से उन्नति कर रहे हैं वहाँ महात्मा जी की नीति हमें वहाँ ही रोके हुए है जहाँ हम १९१६ में थे।

बनारसीदास ने यद्यपि नरेन्द्र के कलकत्ते वाले मित्रा से सम्पर्क बना लिया था और उनको धन में तथा अन्य प्रकार से सहायता देने का वचन दे दिया था तो भी कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को सहायता दे दिया करता था। आज की अपमानजनक घटना के पश्चात् उसके मन को इतना धक्का पहुँचा था कि कांग्रेस के कार्यक्रम से उसका रहा-सहा विश्वास भी मिट गया था। वह मन में सोचता था कि कांग्रेस के बाईस वर्ष के आन्दोलन के पश्चात् भी देश उतना ही निःसहाय है जितना पहले था।

उसी दिन घर पहुँचकर बनारसीदास से इन्द्रजीत से कहा, "देखो बेटा, हम कितने निःसहाय हैं। मैं सरकार की दृष्टि में भारी मान-प्रतिष्ठा रखता हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वह तुमने देख लिया है। मैं समझता हूँ कि देश को इस प्रकार नपुंसक अवस्था से निकालना बहुत आवश्यक है। मैंने इसी के लिए अपनी पूर्ण सम्पत्ति लगा देने का निश्चय कर लिया है। तुम्हारे लिए, जैसा मैंने कहा था, दस सहस्र का मेरा बीमा अगले मास आने वाला है। वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम अपने योग्य कारोबार का बन्दोबस्त कर लो।"

"पिताजी, मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम आपके इस कार्य में

सहायता नहीं कर सकते?" इन्द्रजीत का मन भी विषाद से भरा हुआ था। वह रात-भर हवालात के गन्दे कमरे में रहने की याद कर दाँत पीस रहा था।

"किस काम में?" बनारसीदास ने अचम्भे में पूछा।

"जिस काम में आप इतना रुपयां लगाएँगे? रात-भर के हवालात के निवास ने मेरे मन से अमीरी का स्वाद मिटा दिया है।"

"ओह! परन्तु उस काम में सहायता लेनी मेरे अधीन नहीं है। मैं स्वयं किसी और के अधीन हूँ।"

"वह कौन है?"

"उसका नाम बताना मेरे अधिकार से बाहर की बात है।"

"तो मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ?"

"समय पर मिलाप हो जाएगा। परन्तु इन्द्रजीत, यह अति कठिन और दुस्तर मार्ग है। बाईस वर्ष की तपस्या ने ही मुझे इस भट्टी में कूदने के योग्य बनाया है। तुम्हें तो कठोर परीक्षा देनी पड़ेगी।"

कमला समीप बैठी पिता-पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने कह दिया, "नरेन्द्र भैया भी पिताजी से यही कहते थे। जब विनय को बेंत लगे तो पिताजी ने कहा था, 'नरेन्द्र, जी चाहता है कि सब कुछ छोड़-छाड़कर तुम्हारी माँ की धारणा पूर्ण करने में तुम्हारी भाँति मैं भी लग जाऊँ।' इस पर नरेन्द्र भैया ने कहा था, 'चाचा जी, यह मार्ग बहुत कठिन है। मुझे तो माताजी ने इस मार्ग पर चलने के लिए भारी तपस्या कराई है और आप नरम गद्दों पर बैठने के आदी हैं। आपसे यह बात नहीं हो सकेगी।'"

बनारसीदास यह सुनकर हँस पड़ा, परन्तु इन्द्रजीत ने पूछा, "तो नरेन्द्र जी हैं आपको मार्ग दिखाने वाले।"

बनारसीदास चुप रहा। इन्द्रजीत ने इसे अपने प्रश्न का उत्तर हँस में मान कहा, "मैं नरेन्द्र से मिलूँगा और कहूँगा।"

"परन्तु तुम्हारा विवाह हो चुका है। 'इसे', कमला की ओर देखकर बोले, "कहाँ फेंक दोगे?"

"पिताजी, क्या मुझमें जान नहीं है? मैं भी आज सेस्तपस्या करनी आरम्भ कर दूँगी ताकि किसी समय नरेन्द्र भैया यह न कह दें कि मैं बहुत कोमल हूँ और मैंने तपस्या नहीं की।"

बनारसीदास और इन्द्रजीत दोनों हँस पड़े। बनारसीदास ने कहा, "परन्तु तपस्या कैसे करोगी?"

"जैसे आप करते रहे हैं। आज से ही कमरे से पलंग उठवा तख्तपोश पर सोने लगूँगी। भूषण और श्रृंगार के सामान को उतार, सादे कपड़े और सादा भोजन करने लगूँगी। और...और...शेष आप बता दीजियेगा।"

बनारसीदास ने गम्भीरतापूर्वक इन्द्रजीत और कमला को उनकी आर्थिक परिस्थिति समझाने के लिए बात आरम्भ की थी, परन्तु कमला की बातों ने सब बातों को हँसी में उड़ा दिया। बनारसीदास उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके मन में विष भर रहा था।

कमला और इन्द्रजीत के मन को भी भारी धक्का लगा था। पिताजी के चले जाने के पश्चात् इन्द्रजीत ने कहा, “मन चाहता है कि इस अन्याय और अत्याचार की जड़ों में तेल दे दूँ, परन्तु जानता नहीं कि कैसे। ये कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि चर्खा काता कर्हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे होगा।”

“नरेन्द्र भैया भी यही कहते थे। एक बार मनोरमा और उनमें वाद-विवाद छिड़ गया था। भैया कहने लगे, ‘माँगने से कोई कुछ नहीं देता। लेने से लिया जाता है। लेने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति का अर्थ है धन, जन और बल का प्राप्त करना।’

“धन तो पिताजी के पास है,” इन्द्रजीत ने कहा, “जन और बल ही तो शेष रह गए न।”

“जन के विषय में भैया कहते थे कि लाखों लोगों की, जो मन, वचन और कर्म से अपने को दे देंगे, आवश्यकता है। बल का अर्थ वे शारीरिक बल और साधन बताते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को वज्र का शरीर बना लेना चाहिए। साथ ही उस शारीरिक शक्ति को कई गुणा अधिक करने के लिए साधन भी होने चाहिए। आज मशीनों के युग में केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं चल सकता। जैसे शब्द को ‘एम्पलीफायर’ से कई गुणा अधिक किया जा सकता है वैसे ही शारीरिक शक्ति को मशीनों द्वारा कई गुणा बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक शक्ति को अधिक-से-अधिक करने के लिए मशीनों की आवश्यकता है। लोगों के पास ऐसे साधन होने चाहिए।”

इन्द्रजीत इन बातों पर विचार कर रहा था और नरेन्द्र से मिलने के लिए मन में सोच रहा था। उसके मुख से निकल गया, “नरेन्द्र भैया कहाँ होंगे?”

: १० :

जब से मनोरमा का अपने पति से विनय के विषय पर झगड़ा हुआ था उसने भूषण उतार पेटी में रख दिए थे। एक काँच की चूड़ी हाथ में और मस्तक पर सिन्दूर की बिन्दी के अतिरिक्त अन्य कोई शृंगार नहीं रह गया था। सफेद साड़ी, सफेद जम्पर, उसकी पोशाक रह गई थी।

नन्दलाल ने एक-आध बार उससे कहा भी था कि, ‘कैकई कोप-भवन में क्यों है?’ पर मनोरमा ने कभी उत्तर नहीं दिया था। उसे अब अपने पति के घर से दिलचस्पी नहीं रही थी। सब काम जो वह करती थी एक मशीन की भाँति होते थे। प्रातः उठना, पति के उठने से पूर्व ही शौचादि से छुट्टी पा कोई पुस्तक इत्यादि

पढ़ने लगना, पति के दफ्तर जाने के समय उसे कपड़े पहिनाना, फिर सादा भोजन रोटी-दाल इत्यादि, करना। दोपहर को सो रहना, सायंकाल जब पति आवे तो उसको कपड़े उतारने में सहायता देना, जब पति सो जावे तो सो जाना। उसकी आत्मा ऐसे हो गई थी मानो उसका दीपक बुझ गया है। बातों में भी केवल हाँ या न से अधिक नहीं करती थी। नन्दलाल पूछता, “तबियत तो ठीक है?”

“हाँ।”

“खाना खाया है?”

“हाँ।”

“कहीं घूमने गई थी?”

“नहीं?”

“दिन-भर क्या करती रही हो?”

“कुछ नहीं।”

“अब सोना है?”

“जी हाँ।”

नन्दलाल मासिक वेतन लाकर मनोरमा के हाथ में दे देता था। इस मास की पहली को भी रुपए लाकर उसने दिए थे। मनोरमा ने पूछा, “क्या करूँ?”

“इस मास कपड़े खरीद लो।”

“ट्रंक लदे पड़े हैं।”

“तो और ट्रंक खरीद लो।”

“क्या जरूरत है? आपको कपड़े और चाहिए?”

“मुझे क्या मालूम?”

“कपड़ों की जरूरत मालूम नहीं होती।”

“तो भूषण खरीद लो।”

“मैं पहनती तो हूँ नहीं। पहले ही कितने रखे हैं।”

“तो इन्हें आग लगा दो,” नन्दलाल ने क्रोध में कहा। उसने नोट मनोरमा के मुख पर दे मारे और बाहर चला गया। मनोरमा ने नोट बटोरकर आलमारी के एक कोने में रख दिए।

जब भी वेतन के अथवा फालतू रुपए आते तो नन्दलाल चुपचाप मनोरमा के समीप रख जाता और वह उन्हें उठा आलमारी में रख देती। एक दिन मनोरमा ने कह दिया, “बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। बैंक में जमा करा दीजिए।”

“खर्चा नहीं किए?”

“जरूरत नहीं पड़ी।”

“कितने होंगे?”

“गिने नहीं हैं।”

“गिने नहीं ? और यदि नौकर चुरा ले तो ?”

मनोरमा चुप रही। नन्दलाल ने कहा, “जरा गिन डालो तो।”

मनोरमा ने नोट निकाल पति के सम्मुख रख दिए। नन्दलाल ने गिने। तीन हजार चार सौ बीस थे। ये दो मास में एकत्रित हुए थे।

उसने कहा, “ठीक ही मालूम होते हैं। ये बैंक में जमा नहीं हो सकते।”

“क्यों ?”

“मेरे वेतन से बहुत ज्यादा हैं।”

“तो फिर ?”

“विचार करके बताऊँगा।”

मनोरमा ने रुपए उठाकर आलमारी में रख दिए। इसी प्रकार काम चलता जा रहा था। वह भगवान् से प्रार्थना करती रहती थी कि इस कीचड़ के तालाब में वह कमल-रूप हो सके।

एक दिन नन्दलाल घर आया तो उसने दो हजार के नोट मनोरमा को देकर कहा, “इन्हें रखो। मैं अभी ठहरकर आऊँगा।”

मनोरमा ने कहा, “चाय पी लीजिए।”

“मुझे सिटी-मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाना है। चाय वहीं होगी।”

मनोरमा को विश्वास था कि यह रुपया भी घूस का है। जब कभी भी वह ऐसी रकम को हाथ में ले लिया करती थी तो उसके शरीर में कँपकँपी हो जाया करती थी। नन्दलाल रुपए देकर गया और वह काँपते हाथों से रुपयों को आलमारी में रखने के लिए उठ कमरे में चली। अकस्मात् नोट उसके काँपते हाथों से नीचे गिर कर फर्श पर फैल गए। वह वहीं बैठ उनको उठा इकट्ठे करने लगी। उसकी दृष्टि एक नोट की पीठ पर एक कोने पर हिन्दी में लिखे ‘कमल’ शब्द पर पड़ी। वह हस्ताक्षर पहिचान गई। उसने उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। उसे सन्देह नहीं रहा। ये हस्ताक्षर उसकी सहेली कमला के थे। कमला अपने नाम का ‘क’ विशेष ढंग से लिखा करती थी जिसके पहिचानने में भ्रम नहीं हो सकता था। उसने दूसरे नोट भी देखे। उनकी पीठ पर भी हस्ताक्षर विद्यमान थे। कुल नोट दो हजार के थे। इसका अभिप्राय यह था कि इतनी बड़ी रकम बनारसीदास के घर से उसके पति के पास आई है। यह कैसे ? क्यों ? वह यह जानने के लिए व्याकुल हो उठी। उसे विनय को बँत लगने और हरवंशलाल से घूस लेने की बात स्मरण हो आई। वह उठी और बनारसीदास के घर टेलीफोन मिलाने लगी। टेलीफोन मिलने पर पूछने लगी, “कौन बोल रहा है ? ... मैं हूँ मनोरमा ... चाचा जी, कमला को बुला दीजिए ... कमला ? मैं हूँ ... मनोरमा ... नमस्ते मैं कई दिनों से मिल नहीं सकी ... नहीं ... नहीं ... ऐसी कोई बात नहीं ... देखो, चाचाजी सामने बैठे हैं, बात करते लज्जा नहीं लगती ? ... वे चले गए हैं ? ... तभी यह तुम अपनी

वात कह रही हो या मेरी ?...सुस्ती ?...क्या सुस्ती बस इसी बात से होती है ?
...नहीं। छिपाती नहीं...मुझे माँ बनने से डर लगता है...हाँ...हाँ...सब ठीक
है...भला यह तो वताओ कि आजकल दान-पुण्य बहुत होता है क्या ?...मालूम
हुआ है कि सौ-सौ रुपए के नोट पर 'कमल' हस्ताक्षर कर खुले हाथ बाँट रही
हो..."

कुछ काल तक उत्तर नहीं आया। मनोरमा ने कई बार, 'हैलो...हैलो...' कर पुकारा। मनोरमा को अचम्भा हो रहा था कि कमला चुप क्यों हो गई है। शायद वह बताना नहीं चाहती। एक बार अन्तिम प्रयत्न करने के लिए मनोरमा ने कहा, "तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती...बन्द कर दूँ ?...अच्छा क्षमा करना, बहन..." इस समय फिर आवाज आई—“हाँ तो कहाँ चली गई थी ?...क्या कहा बताने को जी नहीं चाहता था ?...ठीक है। अब मैं पराई हो गई हूँ न। बहन, क्षमा...हाँ...हाँ बात यह है कि इस समय मेरे हाथ में सौ-सौ रुपए के बीस नोट हैं। इनकी पीठ पर मेरी सहेली कमला की अपनी लिखावट में 'कमल' लिखा है।...हाँ सत्य बात जानना चाहती हूँ...क्या कहूँगी ?...जो कुछ कहूँगी तुम्हें बताकर कहूँगी...हाँ...है ?...जीजाजी तोबा...फिर...आज सुबह...क्या...शाबाण...त्रिटिण इन्साफ की जय हो...अब...अब चाचा जी क्या करना चाहते हैं ? कुछ नहीं...ठीक है। इम राज्य में पुलिस के खिलाफ रहकर इन्साफ पाने की आशा नहीं। पर बहन...अच्छा फिर मिलूँगी...यही एक-आध दिन में।” मनोरमा ने टेलीफोन बन्द कर दिया। उसके सिर में चक्कर आने लगा था। वह उठी और लड़खड़ते कदमों से अपने कमरे में जा रुपयों को आलमारी में बन्द कर, वहीं समीप ही आरामकुर्सी पर बैठ, सिर को हाथों में पकड़, गम्भीर विचार में पड़ गई। वह सोच रही थी, 'बस हो गया। अब तो इस घर में अन्न खाना भी पाप हो गया है।' कपड़े-भूषण तो वह पहले ही त्याग चुकी थी। दो साड़ियाँ जो माँ के घर की थीं, बार-बार धोकर पहनती थी। सूखी रोटी और दाल खायी करती थी। अब वह सोच रही थी कि यह भी छोड़ दे। घर को ही छोड़ दे। परन्तु कैसे ? कहाँ चली जाय और किस प्रकार निर्वाह करे ? ये प्रश्न थे जिन पर वह गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही थी।

: ११ :

नन्दलाल घर लौटा तो दस बज चुके थे। मनोरमा अभी तक कुर्सी पर बैठी विचारों के निविड कानन में भटक रही थी। नन्दलाल ने नौकरानी से पूछा,
“बीबी जी सो गई क्या ?”

“सरकार जागती हैं।”

“खाना खा लिया ?”

“नहीं ! कहती हैं भूख नहीं।”

वह कमरे में आया तो कमरे का लैम्प बुझा हुआ था। उसने स्विच दबाया और रोशनी में देखा तो मनोरमा को कुर्सी पर बैठा पाया। रोशनी होने से वह उठ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखने लगी। उसके मन में वह ज्वाला नहीं थी जो विनय को बेंत लगने के समाचार से उठी थी। आज मन शान्त था। वह मन में संकल्प कर चुकी थी और अब उससे विचलित होने का विचार नहीं रखती थी। वह उदास मन पति का मुख देखती रही। नन्दलाल ने पूछा, “मनोरमा रानी ! क्या है ?”

“कुछ नहीं।”

“खाना क्यों नहीं खाया ?”

“आपका दिया हुआ बहुत खाया है। अब पेट भर गया है।”

“मैं मतलब नहीं समझा।”

“समय आने पर सब बातें स्वयं सुलझ जाती हैं। आपने भोजन किया है या नहीं ?”

“कर लिया है। सिटी-मैजिस्ट्रेट के यहाँ देर हो गई थी। खाना वहीं खा लिया है।”

“ठीक है। अब सो जाइए। दिन-भर काम करने से थकावट हो जाती है।”

जब से विनय वाली बात हुई थी, तब से मनोरमा की जवान में कड़वापन आ गया था। परन्तु आज वह अति नम्रता और शान्ति से बातें कर रही थी। नन्दलाल ने समझा कि मनोरमा आज अधिक प्रेममयी है। इस कारण जो कुछ वह सिटी मैजिस्ट्रेट के घर से सुनकर आया था और मनोरमा को बताना चाहता था उसे न बताना ही ठीक समझने लगा। उसे भय था कि उसकी आद्रता कहीं लोप न हो जाय। वह चाहता था कि रात-भर तो यह कोमलता रह जाय। इसी विचार से नन्दलाल ने मनोरमा का हाथ पकड़कर अपने समीप पलंग पर बैठाने के लिए धीरे से खींचा।

इसने मनोरमा को स्वप्न-जगत् से निकाल वास्तविकता में ला बैठाया। उसने झटका दे अपना हाथ छुड़ा लिया और बिजली-सी चमकती आँखों से देखने लगी। नन्दलाल को यह चण्डी का रूप देख अचम्भा हुआ। एक क्षण में ही वह क्रोध से लाल हो गई थी; परन्तु दूसरे ही क्षण मनोरमा ने फिर शान्त हो कहा, “आप सो जाइए न।”

“तो तुम नहीं सोओगी ?”

“नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आई।”

“मैंने तो समझा था कि आज कामदेव की विजय हुई है, पर रम्भा अजेय प्रतीत होती है।”

मनोरमा वैसी ही शान्त रही और पति को वहीं छोड़ बाहर बैठक में जा

कुर्सी पर बैठ विचार करने लगी। नन्दलाल को कुछ क्रोध चढ़ आया। वह भी उसके पीछे गोल कमरे में चला आया और खड़े-खड़े ही पूछने लगा, “मनोरमा, यह बरफ कभी पिघलेगी या नहीं?”

मनोरमा ने अपने मन की बात कह देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परन्तु वह यह बात सुबह कहना चाहती थी। नन्दलाल ने अपने व्यवहार से उसे सब बात अभी कहने पर विवश कर दिया। इससे उसने उत्तर में कहा, “आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो आपकी अत्यन्त कृपा मानूंगी। मैं समझती हूँ कि मेरा आपके साथ विवाह एक भूल थी।”

“क्यों?”

“इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको विदित न हो। आप जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय विचार रखती हूँ और आप राष्ट्र-विरोधी संस्था के नौकर हैं। यदि मैं गहने-कपड़े पहनने व स्वादिष्ट भोजन करने की लालसा रखने वाली एक साधारण लड़की होती तो आपसे अति प्रसन्न रहती। आप अपनी स्त्री को यह सब कुछ दे सकते हैं। कठिनाई यह है कि मैं इससे कुछ अधिक चाहती हूँ। मेरी आत्मा, दिन-रात, मुझे पुकार-पुकार कर कहती है कि देश दासता के बन्धनों में बँधा है और उन बन्धनों की एक कड़ी आप भी हैं। मैं जो देश को स्वतन्त्र देखने के लिए व्याकुल हूँ उसके बन्धनों की एक कड़ी दिन-रात अपनी आँखों के सम्मुख कैसे देख सकती हूँ।”

नन्दलाल को ऐसा प्रतीत हुआ कि मनोरमा का मस्तिष्क फिर गया है। उसने उसे डाँटकर कहा, “मनोरमा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहा। ब्रिटिश साम्राज्य फौलाद की दीवार है। इसका विरोध करना ऐसी दीवार से माथा टकराना है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस और उससे सहानुभूति रखने वाले मलियामेट कर दिये जायेंगे। यदि तुमने भी उनका अनुकरण किया तो तुम स्वयं तो मिटोगी ही, साथ ही मुझे और अपने पिता को भी ले डूबोगी।”

“मैं अपने मिटने से नहीं डरती। मैं तो उस दिन ही मिट गई थी जिस दिन आपसे मेरा विवाह हुआ। हाँ, आपके और पिताजी के मिट जाने की सम्भावना अवश्य है। इस कारण आपको सुरक्षित करने के लिए मैं आपसे पृथक् हो जाना चाहती हूँ।”

“क्या कहा?” नन्दलाल ने धूरकर देखते हुए कहा, “तुम मुझसे पृथक् हो जाना चाहती हो?”

“हाँ! मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। आपके घर का वायुमण्डल ही मुझे पागल बना रहा है। मैं यहाँ आपके पास नहीं रहना चाहती।”

नन्दलाल क्रोध से थरथर काँप रहा था। कहने लगा, “मनोरमा, मुझे दिक मत करो। मैं बहुत निर्दयी आदमी हूँ। गोली मारकर तुम्हें भी मार डालूंगा और

आप भी मर जाऊँगा।”

मनोरमा ने मुस्कराते हुए कहा, “परिणाम वही होगा, जो मैं चाहती हूँ। मुझे मार डालियेगा तब भी मैं आपसे पृथक् हो जाऊँगी। मैं तो चाहती हूँ कि आपके सिर मेरी हत्या का दोष न लगे और मैं स्वयं ही आपको छोड़ दूँ। रहा आपका गोली खाकर मर जाना, यह भी निष्फल होगा। विश्वास रखिये कि मरने के पश्चात् आप और मैं पुनः कभी भी मिल नहीं सकेंगे। वहाँ पिताजी तो होंगे नहीं जो मुझे पुनः आपके साथ बाँध देंगे। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए। चाहे जीते जी, चाहे मारकर। मैं न तो इस संसार में न अगले जन्म में आपके साथ रह सकती हूँ।”

“कहाँ जाओगी?”

“यदि आपको आपत्ति न हो तो दिल्ली में ही कहीं नौकरी कर लूँगी, और हाँ, यदि आप समझते हैं कि मेरे यहाँ रहने से आपके मान में हानि होती है तो किसी दूसरे नगर में चली जाऊँगी।”

“इस तरह रहने से क्या होगा?”

“मेरे मन को शान्ति मिलेगी।”

“मनोरमा!” नन्दलाल ने मिन्नत से कहा, “क्या अब किसी भी तरह हम इकट्ठे नहीं रह सकते?”

“मेरा अधिकार नहीं कि मैं आपको मार्ग दिखाऊँ। आप स्वयं समझदार हैं।”

“तुम्हारा मतलब है कि पुलिस की नौकरी छोड़ दूँ?”

“इससे क्या होगा, यह तो मन बदलने से ही सम्भव हो सकता है। क्या महकमा पुलिस में रहकर आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते?”

“यह घूस लेने की बात करती हो क्या?”

“हाँ, और इससे भी अधिक। आज सरकार ने दमन-नीति का अवलम्बन किया है। यह नीति गलत है। सरकार भारतवर्ष की आत्मा को कुचल देना चाहती है। यह घोर पाप है। जो इस नीति का निर्माण करने वाले हैं और जो इसको चलाने वाले हैं, सब घोर नरक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप इन सब बातों को छोड़ दें।”

“तुम मुझे नरकगामी समझती हो? तुम एक हिन्दू स्त्री होकर अपने पति के लिए ऐसे कुत्सित विचार रखती हो?”

“मैं तो कह चुकी हूँ कि आपसे मेरा विवाह भूल थी। मैं आपको अपना पति नहीं समझती। केवल चार वेद-मन्त्र पढ़ लेने से विवाह नहीं हो जाता। मेरा स्वभाव, मेरे विचार, मेरे कर्म आपसे न मिलते हैं, न मिलेंगे।”

नन्दलाल अभी तक कुर्सी पर बैठी मनोरमा के सामने खड़ा था। मनोरमा को विद्रोह करती देख बोला, “देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और नहीं चाहता कि तुम

मुझे छोड़कर भाग जाओ। मैं तुम्हें गोली भी नहीं मार सकता। तुमने मुझे ठीक समय पर सुझा दिया है कि मरने के पश्चात् हमारा मिलना निश्चित नहीं। अब तो समाज और राज-नियम से तुम मेरी स्त्री हो। मैं तुम्हें बलपूर्वक अपने पास रख सकता हूँ और तुम्हारा उपभोग कर सकता हूँ। ऐसी अवस्था में मैं कहे देता हूँ कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा। हँसते-हँसते रहो अथवा रो-रोकर।”

इतना कह नन्दलाल ने मनोरमा की बांह पकड़कर खींचा और कमरे के भीतर घसीटकर ले गया। दरवाजा भीतर से बन्द कर लिया।

: १२ :

नन्दलाल जब प्रातःकाल उठा तो मनोरमा अभी भी पलंग के एक कोने पर बैठी रो रही थी। वह एक नजर भर उसे देख मुस्कराते हुए कमरा खोल बाहर आ गया। शौचादि से निवृत्त होकर वापस आया तो मनोरमा वहीं बैठी थी।

“उठो, स्नानादि कर लो,” नन्दलाल ने कहा।

“कर लेती हूँ।”

“भूख अभी लगी है या नहीं?”

“लग जाएगी।”

“देखो शरीफ औरतों की भाँति रहो। फिर देखो मैं तुम्हारा कितना मान करता हूँ। तुम्हें घर की बातों के विषय में ही सोचना और सलाह देनी चाहिए। राजनीति तुम नहीं समझ सकती। देखो मैं तुम्हें एक-गुर की बात कहता हूँ। संसार के मनुष्य दो श्रेणियों में बँटे हुए हैं। एक श्रेणी के लोग मेहनत करते हैं और दूसरे उस मेहनत के फल का उपभोग करते हैं। यह बात अच्छी है या बुरी, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि आदि-सृष्टि से ऐसा होता चला आया है और प्रलय काल तक ऐसा ही होता रहेगा। अब प्रश्न यह है कि मैं किस श्रेणी में रहूँ। मेहनत करने वालों में अथवा उपभोग करने वालों में? मैंने अपने आपको उपभोग करने वालों की श्रेणी में रखना उचित समझा है। अंग्रेज सिपाहियों और राजनीतिज्ञों ने मेहनत की और हिन्दुस्तान को विजय किया, परन्तु हिन्दुस्तान की विभूति का उपभोग करने वाले हैं इंग्लैण्ड के ‘लॉर्ड्स’ और पूंजीपति। हम लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, वास्तव में उस श्रेणी में सम्मिलित हो गए हैं, जो इस देश का उपभोग कर रही है। जब यहाँ स्वराज्य होगा, तब भी हम ही उपभोग करने वालों की श्रेणी में होंगे। कारण स्पष्ट है कि हम ही हैं जो राज्य करने के ढंग को जानते हैं। मुझे भगवान् ने भोक्ता बनाया है, भोग्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो।”

मनोरमा चुपचाप इस ‘मैक्विलयन’ सिद्धान्त को सुन रही थी। जब मनोरमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो नन्दलाल ने समझा कि उसकी बुद्धि में बात आ गई है। अतएव उसने कपड़े पहने, भोजन किया और दफ्तर चला गया।

उसके चले जाने के पश्चात् मनोरमा उठी। शौचादि से छुट्टी पा, उसने सादे सूती कपड़े पहन लिये। पश्चात् कलम निकाल एक कागज पर लिखने लगी :

श्रीमान बाबू नन्दलाल जी,

मैं आपको पति के नाम से सम्बोधित नहीं कर रही। क्योंकि मैं अब आपको अपना पति नहीं समझती। हमारा विवाह जरूर हुआ है। कानून आपको मेरा पति मानता है। परन्तु मैं यह पत्र किसी कानूनी कचहरी में नहीं भेज रही हूँ। मैं साधारण भाषा में अपने मन की बात आपको लिख रही हूँ। हमारा विवाह किसी भी विचार से विवाह नहीं माना जा सकता। एक स्त्री का पशु से विवाह कैसे हो सकता है? रात को जो व्यवहार आपने मेरे साथ किया वह एक पशु के व्यवहार से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं। आपने समझा होगा कि मुझमें कामेच्छा उत्पन्न कर आप मेरे मन में फिर से अपने लिए आदर उत्पन्न कर लेंगे। प्रायः स्त्रियाँ सम्भोग-मुख में मन के अन्य उद्गारों को डुबो देती हैं। परन्तु आपने मुझे उन स्त्रियों के समान समझकर भूल की है। मनुष्य में पशुपन परम्परा से चला आता है और प्रायः स्त्रियाँ इसी पशुपन के प्रभाव में आकर अपना मनुष्यत्व खो बैठती हैं। मैं अपने को दूसरी स्त्रियों से भिन्न पाती हूँ। जिस समय आप यह समझ रहे थे कि आपने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं अपने मन में अपने को अजेय होने में सफल समझ रही थी। मुझे आपका व्यवहार विषुद्ध पशुपन प्रतीत हो रहा था। मैं अपने को पशु नहीं मानती। मुझमें ऐसी भावनाएँ और उद्गार हैं, जो एक उच्च कोटि के मनुष्य में होने चाहिए।

आप अपने को मनुष्यों की भोक्ता श्रेणी के समझते हैं। ऐसे ही रूस का जार, जर्मनी का कैसर और अनेक अन्य मदान्ध कामी-क्रोधी समझते थे। आपको भी उनके जैसे अन्त के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान् आपकी रक्षा करे।

पर मैं ब्रिटिश साम्राज्य के भोगने वालों की श्रेणी में रहना नहीं चाहती। मुझे अपनी मेहनत से कमाई रूखी-सूखी पसन्द है। मैं उससे सन्तुष्ट रहूँगी। देखिए आपकी कमाई का नब्बे प्रतिशत आपका नहीं होता। दूसरों से छीनी गई, चुराई हुई रकम के भोग करने से ही आपकी मति भ्रष्ट हो रही है। जिससे आपको घृणा होनी चाहिए उसी में आप अपना मान समझते हैं।

मैं आपकी इस कमाई का भोग नहीं कर सकती। मेरे पिताजी के घर भी ऐसी कमाई आती है, इस कारण मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगी। जब मुझे ज्ञान नहीं था तब की बात दूसरी है। अब मैं जान गई हूँ तो वहाँ जाने को दिल नहीं चाहता।

सबसे बुरी बात तो आपकी प्रकृति है। आपके हाथों में 'डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट' आने से आपकी दुष्टता बेहद बढ़ गई है। यदि आप साधु प्रकृति के होते तो 'डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट' होते हुए भी आप लोगों की भलाई कर सकते थे। कम-से-कम आप लोगों पर अन्याय और अत्याचार करने को विवश नहीं हैं। बताइए, हवालात

में किसी को बकवाने के लिए उसके हाथ पर जलता हुआ अंगारा रख देना किस कानून की किताब में लिखा है; या किसी से मनमानी कहलवाने के लिए उसकी गुदा में मिर्च भर देने के लिए कौन-सा 'आर्डिनेन्स' है? मैं समझती हूँ कि आपकी प्रकृति ही दुष्ट है जो किंचित्-मात्र अधिकार पाकर नीचता की ओर ही जाती है।

और फिर जो व्यवहार आपने मेरे साथ रात को किया है, मैं उसे किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं समझती। मैं आपकी खरीदी हुई लौंडी नहीं हूँ। आपने मेरे मन के उद्गारों का विचार किए बिना मेरा उपभोग कर मनुष्यता का अपमान किया है। यह पशुपन से भी गिरी हुई बात है। मेरा आपके साथ निर्वाह नहीं हो सकता।

मैं जा रही हूँ और आपको बताना नहीं चाहती कि कहाँ। कारण यह है कि आप पुलिस-अफसर हैं। आप गैर-कानूनी उपाय से मुझे अपने घर में कैद करने का यत्न करेंगे। आज हिन्दुस्तान में कानून नहीं रह। यों तो कानून की महिमा इस देश में पहले भी कुछ अधिक नहीं थी। जहाँ मुकदमा चलाने वाला ही न्यायाधीश हो वहाँ न्याय की आशा कैसे हो सकती है? और अब तो 'अन्धेर नगरी गबरगण्ड राजा' की कहावत चरितार्थ हो रही है। हजारों लोग नित्य पकड़े जा रहे हैं और बिना बताए कि उनका क्या दोष है, बन्दी बनाए जाते हैं। पकड़ने वाले, बन्दी के अपराध की परीक्षा करने वाले और फिर उसे दण्ड देने वाले, आपके महकमे के अफसर ही हैं न। उनकी काली करतूतों का प्रमाण घूस के रूप में हजारों रुपए मेरे हाथ में आते रहते हैं।

अतएव, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं छिपकर और नाम बदलकर रहूँगी। यह धोखा और चोरी तो है, परन्तु आपके साथ धोखा करना किसी भी प्रकार अपराध नहीं माना जाएगा।

मैं बालिग हूँ। जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। वास्तव में आपका अधिकार नहीं कि मुझे बाँधकर अपने घर रख सकें। परन्तु आप न्याय और नियम का पालन तो करना जानते ही नहीं। इस कारण मैं छिपकर रहूँगी। —मनोरमा

मनोरमा ने चिट्ठी एक लिफाफे में बन्द कर नन्दलाल की ड्रेसिंग टेबल पर रख ऊपर उसका 'शेब्रिंग ब्रश' रख दिया। पश्चात् बाहर आ, नौकर को भेज उसने ताँगा मँगवा लिया। नौकरानी ने पूछा, "सरकार, खाना लाऊँ?"

"आकर खाऊँगी।"

रुपयों और भूषणों की अलमारी की चाबी भी चिट्ठी के पास रख दी। एक बार अपना मुख शीशे में देख घर छोड़ने को तैयार हो गई। बाहर आते हुए उसने नौकरानी से कहा, "शायद बाबूजी आज शीघ्र ही आ जाएँगे। यदि मेरे पीछे आवें तो कह देना कि शीघ्र ही लौट आने को कह गई हूँ।"

: १३ :

मनोरमा कमला के घर पहुँची। बनारसीदास और इन्द्रजीत दफ्तर में थे।

अतएव उनकी जानकारी के तर्ग ही कोठी के भीतर पहुँच गई।

कमला ने मनोरमा को बैसे सादे कपड़े पहने कभी नहीं देखा था। सफेद सलवार, कुर्ता और दुपट्टा था। हाथ में चूड़ी तक नहीं थी। न तो माथे पर सिन्दूर था न ही नाक में लोंग। कमला एक क्षण तक तो उसे पहचान ही न सकी। जब पहचाना तो माथे पर सिन्दूर न देख भयभीत हो पूछने लगी, “मनोरमा बहन, क्या हुआ है?”

मनोरमा ने कहा, “कमला, एक रुपया देना तांगे वाले को देना है।”

कमला अपने कमरे में जा एक रुपया ले आई और नौकर को बुला तांगे वाले को विदा करने को कह दिया। पश्चात् कमला अपनी सहेली को अपने कमरे में ले गई। वहाँ बैठने के पश्चात् मनोरमा ने पूछा, “जीजाजी कहाँ हैं?”

“पिताजी काम छोड़ हरिद्वार आदि जाना चाहते हैं। इसलिए वे उनसे काम समझ रहे हैं।”

मनोरमा समझती थी कि यह वैराग्य पिछले दिन पकड़े जाने से उत्पन्न हुआ है। इससे वह लज्जा से आँखें नीचे किए मन में ग्लानि अनुभव कर रही थी। अब पूछने की बारी कमला की थी। उसने पूछा, “यह कैसी पोशाक पहनी है आज?”

मनोरमा ने बैसे ही आँखें नीचे किए हुए कहा, “मैं तुमसे एक वस्तु माँगने आई हूँ। मन में विचार तो आता है कि कभी लौटा भी दूंगी, परन्तु विश्वास से नहीं कह सकती। इसलिए वापस पाने की आशा से मत देना। बताओ दोगी?”

“मनोरमा बहन, कैसी बातें कर रही हो आज? जो कुछ मेरा है वह सब अपना नहीं समझती तुम? बताओ क्या बात है और क्या चाहती हो?”

कमला ने मनोरमा की आँखों में तरलता देखी तो चौंक उठी। उसने मनोरमा का हाथ पकड़कर पूछा, “क्या बात है बहन, बताती क्यों नहीं?”

मनोरमा ने कहा, “मुझे पाँच सौ रुपए अभी तुरन्त चाहिए।”

कमला ने एक भी शब्द कहे बिना, कमरे के कोने में रखी आलमारी खोली और उसमें से दस-दस रुपये के पचास नोट निकाल मनोरमा के हाथ पर रख दिए। मनोरमा ने नोट अपने कुर्ते के अन्दर की जेब में रखकर कहा, “कमला बहुत धन्यवाद। मैं अपना घर छोड़ दिल्ली से बाहर जा रही हूँ। अब लौटकर आने का विचार नहीं रखती और घर से एक पाई भी ले जाना नहीं चाहती। इसी से तुमसे माँगने पड़े हैं।”

“घर से जा रही हो? क्यों?”

“अब उस घर में रहने को जी नहीं चाहता। नित्य प्रति की बातें देख मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी कमाई खाकर मैं दिन-प्रतिदिन नीचे ही गिरती जाती हूँ। जब तुमने कल जीजाजी और चाचाजी के पकड़े जाने का समाचार सुनाया और चाचाजी द्वारा दिये हुए घूस के रुपए मैंने अपने हाथों में देखे तो मेरा

रकत खोल उठा। मैं अधिक सहन नहीं कर सकी। मेरी समझ में यही आता है कि इस नरक-कुण्ड से निकल कहीं भाग जाऊँ। कल से वहाँ का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं उतरा।”

कमला अवाक् मनोरमा का मुख देखती रह गई। मनोरमा उसे चुप देख बोली, “तो बहन, अब मैं जाती हूँ। सम्भव हुआ तो लिखूंगी।”

मनोरमा उठ खड़ी हुई। कमला उसे जाते देख घबरा गई। बोली, “ठहरो बहन, कुछ खा लो।”

उसने मनोरमा को पकड़ मिन्नत से बैठाया। नौकर को आवाज दे बुलाया और तुरन्त खाना लाने के लिए कहा। मनोरमा को भूख तो लगी थी और इसी कारण कुछ शिथिलता अनुभव कर रही थी। वह खाने बैठ गई। कमला के मन में आया कि मनोरमा के विषय में अपने पति से राय कर ले। उसने मनोरमा से पूछा, “कहाँ जाओगी?”

“लाहौर जाकर किसी स्कूल-कॉलेज में काम करने का विचार है।”

“वहाँ किसके पास ठहरोगी?”

“कुछ निश्चय नहीं किया।”

“यदि कहो तो तुम्हारे जीजाजी से राय कहूँ?”

मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, “जैसी इच्छा।”

कमला ने नौकर भेज दफ्तर से इन्द्रजीत को बुला लिया। उसने कहा, “पिता जी से राय करनी उचित है।”

मनोरमा, यद्यपि लालाजी के सामने कुछ कहने से डरती थी, तो भी इन्द्रजीत और कमला के आशवासन देने से मान गई। लालाजी आए तो इन्द्रजीत ने पूर्ण वृत्तान्त, जैसे कमला ने उसे सुनाया था, बताकर कहा, “पिताजी, अब ये चाहती हैं कि उनसे चोरी जाकर लाहौर रहें।”

बनारसीदास ने कई मिनट तक विचार कर पूछा, “मनोरमा बेटी, सुलह नहीं हो सकती क्या?”

“चाचाजी, सुलह तो तब हो, जब लड़ाई हुई हो। लड़ाई नहीं हुई। मैं घर जाकर रह सकती हूँ, परन्तु उनकी सूरत देखने से मुझे घृणा होती है। उस घर का एक दाना भी मेरे हलक के नीचे नहीं उतरता। मेरी आत्मा में वहाँ की प्रत्येक वस्तु के लिए ग्लानि भर रही है।”

“तो फिर कहाँ जाओगी? अकेली लाहौर में कहाँ रहोगी?”

“सब भगवान् के आश्रय है।”

बनारसीदास मनोरमा के दृढ़ निश्चय को देख चुप रह गया। कुछ काल तक सब चुपचाप इस समस्या को सुलझाने के लिए विचार करते रहे। अन्त में बनारसीदास ने शान्ति भंग की। वह बोला, “अच्छी बात है, मैं प्रबन्ध करता हूँ।”

सुव्यवस्थित आयोजन

नेपालगंज से काठमांडू जाने के मार्ग पर, चारों ओर पहाड़ों से घिरी एक घाटी में, एक छोटा-सा गाँव है शंकरगढ़। गाँव इतना छोटा है कि इसकी समस्त जनसंख्या दो सौ प्राणियों से अधिक कभी नहीं हुई। यहाँ बच्चे पैदा तो होते हैं और यहाँ का जलवायु भी बहुत स्वास्थ्यप्रद है, फिर भी जनसंख्या बढ़ती नहीं। इसका कारण यह है कि लड़कियाँ गाँव के बाहर विवाह दी जाती हैं और लड़के प्रायः नेपाल-सरकार की सेना में भरती हो जाते हैं।

गाँव के वृद्ध, जब कभी भी अवसर पाते हैं, गाँव के लड़कों को एकत्रित कर भिन्न-भिन्न युद्धों में अपने कारनामे सुनाकर गौरव अनुभव करते हैं। होली, दीवाली और दशहरे के अवसरों पर प्रायः प्राचीन वीरगाथाएँ सुनाने की प्रथा है और जाड़ों की लम्बी रातों में जब आसपास का वातावरण बरफ से श्वेत होता है, यहाँ के स्त्री-मुख्य वीरगाथाएँ गाया करते हैं। क्षत्रियों का गाँव है, अतएव मनोरंजनार्थ वीरों की स्मृति को हरा-भरा कर, ये लोग अपना समय व्यतीत किया करते हैं।

चावल-बाजरे के अतिरिक्त जंगल में जड़ी-बूटियों की भरमार है। इन जड़ी-बूटियों की विक्री से गाँव के बहुत से लोगों का पेट भरता है। लोग जड़ी-बूटियाँ उखाड़कर एकत्रित करते रहते हैं और फिर नेपालगंज के बाजार में बेचा करते हैं। नेपाल-राज्य की ओर से इन जड़ी-बूटियों के बाहर जाने पर चुंगी लगाई गई थी। यद्यपि यह चुंगी बहुत कम और नाममात्र की थी तो भी कई लोगों के पास इतना देने को भी नहीं होता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए लोगों ने शंकरगढ़ से नेपालगंज तक का एक चोर-मार्ग, ढूँढ़ रखा था। चोर-मार्ग साधारण मार्ग से छोटा था, परन्तु कुछ कठिन था। इस चोर-मार्ग से गाँव के मनचले दस-बीस सेर बोझा उठाकर, बिना चुंगी की चौकी के दर्शन किये, नेपालगंज में जा घुसते थे। वहाँ अपना माल बेच, बहुत मजे में गाते-बजाते घर लौट आते थे।

नेपालगंज से शंकरगढ़ राज-मार्ग से चालीस मील पड़ता है और गुप्त मार्ग से केवल पन्द्रह मील। कठिनाई इस मार्ग में यह है कि यह जंगल में से जाता है, पग-डंडी कोई नहीं है और अधिक ढालू होने से माल भी अधिक नहीं उठाया जा सकता।

यह मार्ग शंकरगढ़ पर ही मुख्य मार्ग से अलग होता है। इस कारण यदि इस गाँव वालों को इस मार्ग का रखवाला कहा जाय तो अनुचित न होगा। इन गाँव वालों के अतिरिक्त दूसरे लोग इस मार्ग को नहीं जानते थे। गाँव वाले किसी को बताते भी नहीं थे। उन्हें सदा यह भय लगा रहता है कि यदि यह भेद सरकारी कर्मचारियों को पता चल गया तो उस मार्ग पर चुंगी बैठ जाएगी।

कई पुस्तों से शंकरगढ़ के लोगों को यह मार्ग विदित है। उनकी दृष्टि में इस मार्ग की कीमत कुछ पैसे चुंगी बचाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उन्हें नहीं मालूम था कि भारतवर्ष की काया पलटने में यह मार्ग विशेष महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

मार्ग अंग्रेजी राज्य में आरम्भ होता है और शंकरगढ़ के समीप नेपाल राज्य में जाकर काठमांडू के मार्ग से मिल जाता है। दोनों स्थानों पर, जहाँ यह आरम्भ होता है और जहाँ यह समाप्त होता है, मार्ग क्या पगडंडी भी नहीं है। नेपालगंज से तीसरे मील के इधर ही पत्थर के पास से इस मार्ग का राही सड़क से उतर खेतों में हो जाता है। वहाँ से दूर एक छोटा-सा झरना दिखाई देता है। उस झरने तक पहुँचना होता है। सड़क से झरने तक कोई निश्चित मार्ग अथवा पगडंडी नहीं है। खेतों के किनारे-किनारे जाना होता है, जो प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात् बदल जाते हैं।

सड़क से झरना तीन मील दूर है। यह दूरी खेतों की मेड़ों पर से कूदते-फाँदते पार करनी होती है। इस कारण इसे मार्ग नहीं कह सकते। झरने पर पहुँच कर एक चट्टान के पीछे से एक पगडंडी आरम्भ होती है। इस पर चलने वाले को झरने के समीप खड़ा मनुष्य भी नहीं देख सकता।

यहाँ एक सीधी चट्टान खड़ी है और एक नाला उस चट्टान की चोटी से गिरकर झरने का रूप धारण कर लेता है। झरने के पीछे से जो पगडंडी पहाड़ के ऊपर को जाती है वह बहुत सीधी और ढालू है। केवल पहाड़ों पर चलने का अभ्यास रखने वाले ही चढ़ सकते हैं। पाँच मील कठिन चढ़ाई चढ़कर मार्ग उतराई पर आ जाता है। यह उतराई अति घने जंगल में से है। चट्टानों के आकार से मार्ग ढूँढा जाता है। लोग परम्परा से जानते हैं कि जहाँ बिच्छू के आकार की चट्टान है वहाँ से पश्चिम को जाना है और फिर भालू की पीठ के आकार की चट्टान से उत्तर को घूम जाना है। इस प्रकार मार्ग स्मरण रखा जाता है। इस जंगल में रीछ और बाघ रहते हैं।

शंकरगढ़ में कठिनाई से साठ-सत्तर मकान हैं। इन में कई खाली रहते हैं। इन घरों के पुरुष सेना में भरती हो विदेश चले गए हैं। उनकी स्त्रियाँ या तो इनके साथ हैं या हैं ही नहीं। वे वर्ष में कभी एक-आध मास घर आते हैं तो घर खुल जाते हैं। यदि आदमी कमाकर लाया और विवाह कर लिया तो काम पर जाने

के समय तक घर आबाद रहा, बाद में बीवी को साथ ले जाने पर फिर बन्द हो जाता है।

तीन-चार वर्ष से एक ब्राह्मण इस गाँव में आकर बस गया है। वह ब्राह्मण गाँव के एक बृद्ध के नाम एक गोरखा सिपाही का पत्र लाया था। वह गोरखा सिपाही इसी गाँव का रहने वाला था। नौकरी पर जाते समय वह अपनी बृद्ध माता को छोड़ गया था। वह बेचारी पुत्र की अनुपस्थिति में ही मर गई। सिपाही ने अपनी रेजिमेण्ट के, जो अंग्रेजी सरकार ने नेपाल सरकार से माँगी हुई थी, एक रिसालदार की लड़की से विवाह कर लिया। अब उसके लिए गाँव में कोई आकर्षण नहीं रहा। उसने गाँव के एक बृद्ध को लिख दिया, “यह ब्राह्मण और इसकी स्त्री बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। जब तक ये हमारे गाँव में रहें, इनको मेरे मकान में रहने देना। ब्राह्मण बहुत चतुर वैद्य है। गाँव के लोगों को जड़ी-बूटियों के पहचानने में और उनके गुण बताने में बहुत सहायता देगा।”

ब्राह्मण पूर्णिमा के दिन मन्दिर में कथा करता था, जिसे सुन गाँव के लोग दृग्द हो जाते थे। ब्राह्मण की स्त्री गाँव की स्त्रियों की सेवाशुभ्रपा तथा चिकित्सा करती थी। अतएव दोनों गाँवों में आदर और मान से देखे जाते थे। किसी को गाँव में कोई भी कष्ट होता तो वह निस्संकोच उनके पास आता और यथाशक्ति उसकी सहायता की जाती।

ब्राह्मण का नाम था शंकर और स्त्री का नाम गौरी। सब जानते थे कि ब्राह्मण किसी प्रिय जन की मृत्यु के शोक के कारण एकान्त में आकर बस गया है। वर्ष में एक-दो बार वह अपनी स्त्री सहित एक-आध मास के लिए लापता हो जाया करता था और फिर लौट आया करता था।

एक बार उसने मकान की मरम्मत करवाई। मरम्मत करने के लिए कारीगर अंग्रेजी इलाके से आये थे। कई मास तक मरम्मत होती रही। तब दो आदमी और आकर वहाँ रहने लगे थे।

जब सन् १९३६ में यूरोप का युद्ध आरम्भ हुआ तो गाँव के युवक स्वभाववश भरती होने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए शंकर पंडित उनकी सराहना करता था। आस-पड़ोस के गाँवों के लोग भी शंकर पंडित से राय करने आते थे और वह लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रोत्साहन देता था। कई लोगों को तो उसने इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी।

शंकर पंडित कहता था, “क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर युद्ध-कला सीखना तुम्हारा धर्म है। नेपाल-सरकार तुम्हें युद्ध की वे बातें नहीं सिखा सकती जो तुम विदेशों में जाकर सीख सकोगे। क्या जाने किसी समय तुम्हें अपने देश के लिए लड़ने का अवसर आ जाय, तब क्या करोगे?”

कुछ लोग, जो यूरोप के पहले युद्ध में लड़ने गए थे, कहते थे, “हम पिछले युद्ध

में लड़ने गए थे। उससे देश व जाति को क्या लाभ हुआ ?”

शंकर पंडित का कहना था, “इसमें युद्ध पर जाने वालों का दोष नहीं। दोष है देश में ब्राह्मणों के अभाव का। मैं देश के नेताओं को ब्राह्मण मानता हूँ। दुर्भाग्य से ब्राह्मणों को नहीं सुझ पड़ा कि देश के कार्य में क्षत्रियों को कैसे लगाया जाय। शायद उस समय देश को स्वतन्त्र कर लेना सुगम था। इस युद्ध के पश्चात् शायद इतना सुगम नहीं होगा। इससे तो यह सिद्ध होता है कि हमें और भी अधिक योग्य बनने का यत्न करना चाहिए। भगवान् की कृपा हुई तो इस बार नेता अधिक अनुभवी होंगे।”

“भरती हो जाओ,” यह घोषणा थी शंकर पंडित की, जो धीरे-धीरे नेपाल के ग्रामों में फैलने लगी।

इस भरती की मुहिम का नेपाल-सरकार ने स्वागत किया, और शंकर पंडित को नेपाल में भ्रमण करने का अवसर मिल गया।

: २ :

नवम्बर का मास था। जाड़ा अधिक पड़ रहा था। एक युवक झरने वाली पग-डंडी पर चढ़ रहा था। इस मार्ग पर चलते हुए उसे कई बार पौधों और घास-फूस को पकड़कर रींगना पड़ा था। जब वह चोटी पर पहुँचा तो उसके हाथ घायल हो चुके थे। कपड़े फट गए थे। वह सिर से पाँव तक पसीने से भीग गया था। चढ़ाई में तीन घंटे से अधिक समय लग गया था।

पहाड़ की चोटी पर पहुँच वह यात्री आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ काल-पर्यन्त आराम कर उसने जेब से कागज निकाला और उसे एक सपाट पत्थर पर बिछा देखने लगा। यह एक नक्शा था। उस नक्शे में एक स्थान पर उँगली रखकर बोला, “यहाँ तक तो ठीक है। अब उत्तर की ओर दो फर्लांग जाना चाहिए। देवदार का जंगल है। हलकी-हलकी उतराई। वहाँ हाथी के पीठ के समान एक चट्टान है।”

इतना नक्शे में देख और समझ उसने एक कम्पास जेब से निकाल नक्शे के ऊपर रख दी। उत्तर दिशा की ओर देख पेड़ और झाड़ियों को दूर तक पहचान लिया। पश्चात् नक्शे को लपेट जेब में रख, कम्पास को समय-समय पर देखने के लिए हाथ में ही रख उत्तर की ओर चल पड़ा। हाथी की पीठ के आकार की चट्टान के समीप पहुँच कम्पास में पूर्व दिशा देख घूम गया। दो मील इसी दिशा में जाकर-उसे जंगल में ही एक विच्छू के आकार की चट्टान मिली। यहाँ से वह सीधा उत्तर की ओर चल पड़ा। वहाँ जंगल और भी घना हो गया था। पगडंडी कहीं नहीं थी। केवल कम्पास के सहारे ही वह उत्तर दिशा को जा रहा था। अब उतराई आरम्भ हो गई थी, परन्तु ढलान अधिक नहीं थी। इसी प्रकार झाड़ियों में से गुजरता हुआ गिरे-पेड़ों के तनों पर से कूदता-फाँदता, घाटी की तलहटी में

पहुँच गया। यहाँ उसे एक नाले का कलकल करने का शब्द सुनाई दिया। वह उसके किनारे जा पहुँचा। वहाँ नाले के बीचोंबीच एक चट्टान ध्वजा की भाँति खड़ी थी। यह स्थान था जहाँ गुप्त-मार्ग शंकरगढ़ की ओर आकर समाप्त होता था।

अब वह युवक नाले के किनारे-किनारे नाले के बहाव की ओर चल पड़ा। सूर्यास्त होने में अभी समय था। उसे गाँव की झोंपड़ियाँ और उनकी पत्थर की छतें दिखाई देने लगीं। इस स्थान पर उसने फिर नक्शा निकाला और गाँव के मकानों की स्थिति देख शंकर पंडित के मकान का अनुमान लगाया। नक्शे को लपेट जेब में रख, कम्पास को दूसरी जेब में डाल, नाले में हाथ-मुँह धोने के लिए किनारे पर उतर गया। हाथों के छिल जाने से अभी भी रक्त के निशान थे। उसने हाथों को धोकर साफ कर लिया और जेब से रुमाल निकाल पोछ डाला। इस प्रकार तैयार हो गाँव की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने शंकर पंडित के मकान को पहचान लिया। मकान के दरवाजे पर त्रिशूल का चिह्न बना था।

दरवाजे के बाहर एक पहाड़ी स्त्री बैठी, एक अढ़ाई-तीन वर्ष के लड़के को खेला रही थी। लड़का औरत के कंधे पर चढ़कर कह रहा था, 'तल तल रे घोड़े दौड़ लगा।'

लड़का इस युवक को देख चुप हो गया। युवक ने औरत से पूछा, "पंडित जी भीतर हैं?"

औरत ने संकेत से बताया "हैं।"

युवक ने हाथ से दरवाजा खटखटाया। एक अति सुन्दर स्त्री ने, जो पहाड़ी प्रतीत नहीं होती थी, दरवाजा खोला और युवक को सिर से पाँव तक देख पूछा, "बोलिए?"

"गजांकुश," नवयुवक का उत्तर था।

"आइये," कह स्त्री ने एक ओर हटकर मार्ग दे दिया।

नवयुवक के भीतर जाने पर स्त्री ने दरवाजा बन्द कर दिया। युवक आगे-आगे था और स्त्री पीछे। मकान के दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही सामने एक विशाल आँगन दिखाई दिया। आँगन के सामने की ओर चार बड़े कमरे थे। कमरों के आगे एक बरामदा था। आँगन के दाएँ और बायें भी कमरे थे। ये कुछ छोटे-छोटे थे। इनके आगे भी बरामदे थे। दरवाजे की ओर रसोई, गुसल-खाना इत्यादि थे। मकान भीतर से अति स्वच्छ, परन्तु बिना सजावट के था। आँगन का फर्श सीमेंट का बना था।

शंकर पंडित सामने बरामदे में एक चौकी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। चौकी के समीप एक चटाई बिछी थी जिस पर शायद वह औरत दरवाजा खोलने के लिए जाने से पहले बैठी थी। शंकर पंडित, एक नवयुवक को औरत के आगे-आगे आता

देख, उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, “आओ भाई, आओ।”

पंडित स्वयं चौकी से नीचे हो गया और मेहमान को चौकी पर बैठने का निमन्त्रण देने लगा। युवक ने इन्कार करते हुए पंडित से चौकी पर बैठने का आग्रह किया। इतने में गौरी ने एक और आसन लाकर बिछा दिया। युवक उस पर बैठ गया और पंडित को चौकी पर बैठने के लिए कहने लगा। पंडित चौकी पर बैठा तो गौरी ने अपनी चटाई को खिसकाकर समीप कर लिया। पंडित ने पहला प्रश्न किया, “भोजन?”

“अभी सुबह का भी नहीं किया।”

पंडित ने आवाज दी, “भगवती ! भगवती !!”

वही औरत जो बच्चे को लिये दरवाजे पर बैठी थी, लड़के को उँगली पकड़ा चलते हुए भीतर आ गई। पंडित ने कहा, “भोजन शीघ्र बनेगा।”

औरत लड़के को गौरी के पास छोड़ रसोईघर में चली गई। लड़का नव-युवक की ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। पंडित ने नवयुवक से पूछा, “कहाँ से आना हुआ है?”

“कलकत्ते से।” इतना कह उसने कुर्ते की भीतर की जेब से चिट्ठी निकाल पंडित के हाथ में दे दी। चिट्ठी में केवल दो पंक्तियाँ लिखी थीं। न तो इस पर पाने वाले का नाम था, न उसका जिसकी ओर से चिट्ठी आई थी। चिट्ठी को ध्यानपूर्वक देख पंडित ने एक ओर रख दिया और पूछा, “नाम क्या है?”

“नरेन्द्र।”

“कहाँ के रहने वाले हैं आप?”

“जन्म अमृतसर का है। माता-पिता नहीं हैं। चाचा दिल्ली में ठेकेदार हैं।”

“चिट्ठी में लिखा है, आप ‘सफल क्रांतियाँ’ पुस्तक के लेखक हैं।”

“ठीक लिखा है। आपने पुस्तक पढ़ी है?”

“हाँ, और बहुत ध्यान से। हमने भी एक योजना बनाई है और आपको उस योजना पर सम्मति देने के लिए यहाँ भेजा गया है।”

“अच्छा?” नरेन्द्र ने अचम्भे में पूछा।

“हाँ, हमें आपके आने की सूचना मिल चुकी है और हम कल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, आज तो आप थके हुए हैं। भोजन के पश्चात् आराम करियेगा। कल विस्तार से विचार आरम्भ होगा।”

: ३ :

शंकर पंडित के पास दो आदमी और रहते थे। एक का नाम भानुमित्र और दूसरे का रमेशचन्द्र था। ये दोनों लगभग एक वर्ष से यहाँ आये हुए थे। अब नरेन्द्र तीसरा व्यक्ति यहाँ आ पहुँचा था। शंकर, गौरी और ये मिलकर पाँच हो गए थे। इनके अतिरिक्त भगवती और उसका पति नौकर के रूप में रहते थे। पंडित के

लड़के का नाम अजेय था ।

भगवती घर का काम सम्भाले हुए थी । भगवती का पति खड्गबहादुर बाहर का काम करता था । भानुमित्र और रमेश प्रायः अपना समय अध्ययन में व्यतीत करते थे । सायंकाल ये पंडित से विचार-विनिमय किया करते थे । कभी-कभी इनमें से कोई गुप्त मार्ग से अंग्रेजी इलाके में भी जाया करता था ।

जब से नरेन्द्र आया था सायंकाल के विचार-विनिमय अधिक गम्भीरता से होने लगे थे । इन विचार-विनिमयों का विषय प्रायः वे समस्याएँ होती थीं जो नरेन्द्र की पुस्तक 'सफल क्रान्तियाँ' में दी गई थीं । सबसे मुख्य विषय यह था कि क्या भारतवर्ष कभी सशस्त्र क्रान्ति के योग्य हो सकेगा । पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ होती थीं । नरेन्द्र कह रहा था, "यदि विकास करने के लिए स्थान हो तो क्रान्ति की आवश्यकता नहीं रहती । और यदि शान्तिमय क्रान्ति सम्भव हो तो सशस्त्र क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होती । भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि दिन-प्रतिदिन अंग्रेज अपना अधिकार, इस देश पर सुदृढ़ करते जाते हैं । इस अधिकार के सुदृढ़ होने से यहाँ की जनता को लाभ की अपेक्षा हानि हो रही है । ऐसी अवस्था में विकास से उन्नति की आशा नहीं रही ।

"यह ठीक है कि अंग्रेज अपनी चतुराई से लोगों को ऐसा भास कराते रहते हैं, जिससे पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी यह समझने लगे हैं कि वे उन्नति के पथ पर हैं । कांग्रेस अपने जन्म से लेकर सन् १९१९ तक विकास-मार्ग द्वारा ही अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील थी । जलियाँवाला बाग और पंजाब में मार्शल-लों की घटना ने लोगों के मन पर यह अंकित कर दिया कि इस देश में विकास द्वारा अभीष्ट सिद्धि होनी असम्भव है । महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने शान्तिमय क्रान्ति के लिए चार प्रयत्न किये । पहला १९२१ में, दूसरा १९३० में, तीसरा १९३२ में और चौथा १९४२ में । चारों के चारों प्रयत्न असफल रहे । इसके अतिरिक्त युद्ध-काल में जो कुछ अत्याचार, अन्याय और अव्यवस्था देश में हो रही है उससे तो यह स्पष्ट है कि शान्तिमय उपाय क्रान्ति के लिए असफल रहे हैं । क्रान्ति तो दूर रही, हम स्वाधीनता के लक्ष्य से अधिकाधिक दूर धकेले जा रहे हैं । सरकार को अपनी विपैली भेद-नीति को चलाने का अवसर और अधिक मिल रहा है । अब भी सरकार ने इस देश में ऐसी गड़बड़ मचाई है कि सिवाय इसके कि देश में शीघ्र ही घरेलू युद्ध छिड़ जाए और कोई मार्ग ही नहीं सूझता । घरेलू युद्ध अंग्रेज सरकार की उपस्थिति में अंग्रेजों की जड़ों को सुदृढ़ करने वाला होगा । सन् १९४२ की घटनाओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि शान्तिमय क्रान्ति नहीं हो सकेगी । देश को सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी करनी चाहिए ।"

शंकर पंडित का प्रश्न था, "क्या इच्छा करने से योग्यता आ जाती है ?"

"हाँ !" नरेन्द्र का दृढ़ मत था ।

शंकर पंडित ने अपनी संस्था के विषय में बताया, “हम भारतवर्ष में राजनीतिक क्रान्ति कराने का यत्न कर रहे हैं। हम समझते हैं कि क्रान्ति पूर्णतया शान्तिमय कभी नहीं हो सकती। हाँ, शशस्त्र होगी अथवा बिना शस्त्रों के होगी, यह कहना कठिन है। हमारी संस्था का यह प्रयत्न है कि क्रान्ति निःशस्त्र अर्थात् बिना रक्तपात के हो।”

“यह प्रयत्न सराहनीय है, परन्तु एक पक्ष के चाहने अथवा कहने से तो कुछ हो नहीं जाता। महात्मा जी ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन से यही चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज भारत से अपना राज्य उठा लें और एकदम यहाँ निःशस्त्र क्रान्ति हो जाए। परन्तु अंग्रेज भारत छोड़ने पर उद्यत तो हुए नहीं साथ ही उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र के बल से निःशस्त्र लोगों को, न केवल क्रान्ति करने से रोका प्रत्युत उन्हें कुचल डालने का भी यत्न किया। मैं कहता हूँ कि शान्तिमय अथवा निःशस्त्र क्रान्ति तब ही हो सकती है जब दोनों पक्ष शस्त्र-प्रयोग करने से इनकार कर दें। ऐसा नहीं हुआ और न ही हो सकता है। एक पक्ष के निःशस्त्र रहने के अर्थ हैं कि उस पक्ष का ही रक्तपात हो। वह वांछनीय नहीं है।”

बातों के सिलसिले में शंकर पंडित ने एक दिन अपनी पार्टी के कार्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। वह कहने लगा, “मैं अपनी पार्टी को ऐसी संस्था बनाने का यत्न कर रहा हूँ जिसमें चारों वर्णों के लोग हों। वर्णों से मेरा अभिप्राय हिन्दुओं में प्रचलित जात-पात से नहीं है। मेरा अभिप्राय चारों प्रकार के काम करने वाले लोगों से है। अपने दल में मैं पढ़े-लिखे विद्वान् लोगों का एक समूह चाहता हूँ। ये लोग विचारकर और अपनी शक्ति का अनुमान लगाकर योजनाएँ बनायें। यह हमारे दल का ब्राह्मण-विभाग होगा। मैं अपने दल में क्षत्रिय भी चाहता हूँ। ये लोग युद्ध-कला में प्रवीण होने चाहिए और जान-जोखम के काम करना इनका स्वभाव बन जाना चाहिए। मैं व्यापारी और मजदूर भी चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि दल के चारों वर्ण अपनी-अपनी योजनाएँ बनाएँ, परन्तु चारों वर्णों की योजनाओं को एक संगठन में लाने के लिए अंतिम स्वीकृति ब्राह्मण लोगों की होनी चाहिए। यदि मैं ऐसा दल बनाने में सफल हो गया तो निस्सन्देह भारतवर्ष में स्वराज्य होगा और दृढ़ आधार पर होगा।”

नरेन्द्र का कहना था, “परन्तु ऐसी संस्था इस शंकरगढ़ में बनाकर हम सदियों में भी सफलता की आशा नहीं कर सकते।”

“शंकरगढ़ में तो संस्था का मस्तिष्क है। इस संस्था की आँखें और कान दिल्ली में हैं। इसके पाँव कानपुर, टाटानगर, अहमदाबाद में हैं। इसका पेट कलकत्ता-बम्बई में है। इसके हाथ भी हैं। वे अभी पर्याप्त सुदृढ़ नहीं हुए। फिर भी वे दुनिया-भर के देशों में फैले हुए हैं। इस विभाग के लोग भिन्न-भिन्न देशों में काम सीख रहे हैं, अथवा सेना में भरती होकर भिन्न-भिन्न देशों में युद्ध में भाग

ले रहे हैं।

“संस्था अभी शैशवावस्था में है। इसका शैशव निकल जाने दो और फिर देखना कि यह संस्था संसार में सबसे बड़े साम्राज्य के लिए यमराज का रूप धारण कर लेगी।”

नरेन्द्र को शंकर पंडित ने घर के नीचे तहखाने में अपना पुस्तकालय भी दिखाया। यह तहखाना शंकर पंडित ने स्वयं इस मकान में पहुँचकर बनवाया था। इस पुस्तकालय में दुनिया-भर के मुख्य-मुख्य देशों के भूगोल, इतिहास और नक्शे थे। संसार की मुख्य मुख्य-भाषाओं के सीखने का प्रबन्ध और संकेतों में संस्था की परिस्थिति और शक्ति का वर्णन भी था।

शंकरगढ़ का आश्रम संस्था का मस्तिष्क और हृदय था। संस्था की सुरक्षा के लिए और इस कार्य को जीवित रखने के लिए इसके मस्तिष्क को सुरक्षित रखना आवश्यक था। इसी कारण यत्न से ऐसे वीरान स्थान को ढूँढ़ा गया था और फिर इसको छिपाकर रखने के लिए प्रत्येक यत्न किया जाता था। गाँव वालों को सिवाय इस बात के कि शंकर पंडित एक धनी विद्वान् आदमी है और संसार से दुखी हो यहाँ आकर बस गया है, और कुछ मालूम नहीं था। पुस्तकालय की बात तो सिवाय शंकर और उसके साथियों के, जो घर में रहते थे, और किसी को मालूम नहीं थी। भगवती और खड्गबहादुर संस्था के परीक्षित व्यक्ति थे। वास्तव में वे नेपाल के रहने वाले होते हुए भी बहुत काल तक भारतवर्ष में रह चुके थे। खड्गबहादुर काम तो चपरासी या नौकर का करता था, परन्तु वह पढ़ा-लिखा आदमी था। भगवती पति के विचारों से पूर्णरूप से सहमत थी। इस प्रकार शंकर पंडित क्या है और क्यों वहाँ पड़ा है, एक सुरक्षित रहस्य था।

खड्गबहादुर का यह भी काम था कि वह सप्ताह में एक बार यहाँ की डाक लेकर जाए और अंग्रेजी इलाके से डाक लेकर आवे। इस काम के लिए वह सदैव गुप्त-मार्ग से नेपालगंज जाता था और इसी मार्ग से वापस शंकरगढ़ लौट आता था। नेपालगंज में अखिलकुमार घोष एक जड़ी-बूटी का सौदागर था। शंकरगढ़ केन्द्र की डाक उसकी दूकान पर एकत्रित रहती थी। वहाँ से ही बँटा करती थी। डाक भेजने का प्रबन्ध संस्था का अपना था। प्रत्येक स्थान के लिए संस्था के सदस्य नियुक्त थे। ये लोग जड़ी-बूटी के सौदागर बनकर नेपालगंज आते थे और डाक दे और ले जाते थे।

: ४ :

नरेन्द्र को जब संस्था के कार्य और कार्य करने के ढंग का ज्ञान हो गया तो वह अपनी विशेष प्रतिभा के कारण संस्था के काम पर अपनी छाप लगाने लगा। वह स्वयं दिन में आठ घण्टे तक स्वाध्याय करता था, पश्चात् शंकर पण्डित के साथ बैठकर डाक का उत्तर देता था और इसके अतिरिक्त अजेय के साथ खेला करता था।

अजेय भी नरेन्द्र से बहुत हिल-मिल गया था। अब वह भगवती के साथ खेलना पसन्द नहीं करता था। नरेन्द्र के साथ ही वह नदी तक घूमने के लिए जाता था। बात यह थी कि अजेय को बातें बनाने का बड़ा शौक था। भगवती उसकी बातों में रुचि नहीं दिखाती थी, परन्तु नरेन्द्र उसकी बातों को सुनता था।

सायंकाल नरेन्द्र जब उसे साथ लेकर नदी के किनारे घूमने जाता तो वह उसे अपनी अस्पष्ट स्मृति में रही हुई बातें विकृत रूप में और टूटी-फूटी भाषा में बताकर गौरव अनुभव करता था। नरेन्द्र उसे ऐसी बातें करने में प्रोत्साहन देता था जिससे वह भगवती को छोड़ नरेन्द्र के पास आनन्द अनुभव करता था।

अजेय पण्डित को बाबा और गौरी को माँ पुकारता था। पहली कथा जो उसने नरेन्द्र को सुनाई वह इस प्रकार थी, “कल माँ ने लड्डू बनाए। बहुत स्वादिष्ट थे। बाबा ने कहा, ‘अजेय खाओगे?’ मैंने कहा, ‘माँ नहीं देती’, बाबा ने मटकी की ओर, जिसमें लड्डू थे, संकेत कर दिया। मेरा जी लड्डू खाने को करता था। मैंने एक पत्थर मारा। मटकी टूट गई। लड्डू नीचे गिर पड़े। मैंने दो खाए। बाकी भगवती ने उठा लिये।”

तीन वर्ष के बालक को तोतली भाषा में ऐसी कथाएँ सुनाते देख नरेन्द्र का मन आनन्द से पुलकित हो उठता था। गौरी और शंकर में भारी अन्तर था। गौरी पालतू बकरी की भाँति मृदुल थी। प्रत्येक के साथ हिल-मिल जाना उसका स्वभाव था। शंकर पण्डित दूसरे के मन पर अपनी प्रभुता का प्रभाव जमा लेता था। उसके आस-पास रहने वाले इस प्रकार उससे दबते थे मानो वह कोई उच्चकोटि का व्यक्ति है। गौरी को साथी कहा जा सकता था, परन्तु शंकर को तो प्रभु कहना ही उचित जान पड़ता था। यह प्रभाव पण्डित की प्रतिभा, योग्यता और विशाल ज्ञान के कारण था।

नरेन्द्र का स्वभाव था कि सायंकाल चार बजे के लगभग अजेय को साथ लेकर नदी के किनारे चला जाता और वहाँ उससे अथवा उसी के समान चंचल, पत्थरों से टकराती हुई और उनके ऊपर से अठखेलियाँ करती हुई नदी से मन बहलाया करता था।

आज वहाँ गया तो गौरी वहीं बैठी थी। अजेय को नरेन्द्र के साथ आते देख गौरी ने उसे बुलाया, “अजेय !”

“माँ, मैं तुम्हें घर ढूँढता था।”

इस समय अजेय माँ के समीप आकर एक पत्थर पर बैठ गया और नरेन्द्र दोनों के पीछे खड़ा रहा। माँ ने पूछा, “क्यों ढूँढते थे?”

“चाचा कहते थे लड्डू खाएँगे।” चाचा से उसका अभिप्राय नरेन्द्र से था।

“चल झूठा। चाचा को तो पता ही नहीं कि लड्डू बनाए हैं।”

“मैंने जो बताया था।”

“तुम्हें किसने बताया था ?”

“बाबा ने ।”

“तो फिर ?”

“मुझे भी खाने हैं ।”

“तुम्हें तो प्रातःकाल दिए थे ।”

“एक और ।”

गौरी और नरेन्द्र दोनों हैंस पड़े । नरेन्द्र एक ओर हटकर पत्थर पर बैठ गया । गौरी, जब से नरेन्द्र आया था, यह अनुभव कर रही थी कि नरेन्द्र उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा करता है और जब देखता है तो देखता ही रह जाता है । आज भी वह यही अनुभव कर रही थी । अजेय माँ से तोतली भाषा में बातें कर रहा था और नरेन्द्र अवाक् मुख गौरी की ओर देख रहा था । गौरी ने एक-आध बार उसकी ओर देखा तो उसे किसी विचार में लीन अपनी ओर देखते हुए पाया । नरेन्द्र की आँखों में तरलता भी थी । इससे वह आज पूछने से रुक नहीं सकी । उसने पूछ ही लिया, “नरेन्द्र भैया, एक बात पूछूँ ? नाराज तो न होंगे ?”

“नहीं, आपसे कोई क्यों नाराज होगा ?”

“तो बताओ जब तुम मेरे मुख पर देखते हो तो फिर देखते ही क्यों रह जाते हो ? तुम्हारे मन में क्या बात है ? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं सकते ।”

“आपका अनुभव सर्वथा सत्य है । मैं जब आपकी आँखों को देखता हूँ तो मुझे एक और की आँखें स्मरण हो आती हैं । मुझे भास होने लगता है कि शायद आप वही हो । मेरी माँ की आँखें सदैव ऐसी ही सरस होती थीं । बचपन से मुझे उनके देखने का स्वभाव है । मुझे माँ के रूप में यदि कोई चीज ठीक-ठीक याद है तो वह उसकी आँखें हैं । और यदि मैं भूल नहीं करता तो वही आँखें आपमें मुझे दिखाई देती हैं । कम-से-कम एक बात में तो समानता स्पष्ट है । माँ की आँखों में एक अति कठोर दुःख छिपा था । इसी से वे चौबीस घण्टे तरल रहती थीं । वही मैं आपकी आँखों में भी देखता हूँ ।”

गौरी ने एक लम्बी साँस ली और चुपचाप सामने नदी की ओर देखने लगी । यथार्थ में वह अपने आँसू रोकने का यत्न कर रही थी । नरेन्द्र की आँखें तो पहने ही भीग चुकी थीं । जब गौरी से नहीं रहा गया तो उसने साड़ी के आँचल से आँखें पोछनी आरम्भ कर दीं । नरेन्द्र ने धीरे से कहा, “तो सत्य है, वहन, तुम्हारे मन में भी कोई घोर दुःख छिपा है ।”

इसके पश्चात् नरेन्द्र ने अपने पिता के मारे जाने और माँ के अपमानित किए जाने की पूर्ण कथा सुनाई । गौरी ने यह कथा सुनी तो और भी रो पड़ी । जब नरेन्द्र सुना चुका तो गौरी ने आँखें नीचे किए हुए कहा, “सत्य ही मेरे हृदय में भी एक

वेदना छिपी है और इस वेदना का मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ है कि मैं इसे मरणपर्यन्त भूल नहीं सकती।” उसने आँसू पोंछते हुए कहना जारी रखा, “एक धनी पिता की दो संतानें थीं—एक लड़का और एक लड़की। पिता हिन्दुस्तान में मुसलमानी राज्य स्थापित करने की योजनाएँ बनाता था, परन्तु लड़का और लड़की हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी राज्य चाहते थे। पिता को अपने बच्चों के विचार और काम पसन्द नहीं थे। इस पर एक बात और हुई कि लड़की एक हिन्दू ब्राह्मण-कुमार से प्रेम करने लगी। इससे पिता के क्रोध का पारावार नहीं रहा। पिता ने लड़की का विवाह मुसलमान रईस से करना चाहा। लड़की घर से भाग गई। भाई को पिता का व्यवहार पसन्द नहीं आया और वह भी पिता का घर छोड़ बहन के पास जा पहुँचा। हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सबल बनाने के लिए, भाई-बहन और ब्राह्मण-कुमार, जिससे लड़की प्रेम करती थी, सिर-तोड़ यत्न कर रहे थे। पिता को उनके ठहरने का स्थान और काम का पता चल गया। वह लड़की को समझाने के लिए वहाँ पहुँचा, परन्तु लड़की न तो अपने राजनीतिक विचार बदल सकी और न ही उस ब्राह्मण-कुमार से प्रेम तोड़ सकी। पिता ने एक हत्यारे को लड़की के प्रेमी की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया। हत्यारे ने भूल से लड़की के प्रेमी के स्थान पर लड़की के भाई की हत्या कर दी। पिता को अपने काम के अनिच्छित परिणाम से रंज हुआ और लड़की का अपने प्रेमी से विवाह कर लेने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। पिता के बहुत शोकातुर होने पर भी बाप और बेटी में इतना अन्तर हो गया कि लड़की ने बिना पिता को बताए उससे विवाह कर लिया। पिता को इतना गहरा सदमा पहुँचा कि शीघ्र ही वह परलोक गमन कर गया। लड़की की माँ जीवित है, परन्तु उसने लड़की को अपने व्यवहार के लिए अभी भी क्षमा नहीं किया। यह दुबान्त नाटक कहाँ समाप्त होगा, कह नहीं सकती।”

गौरी की आत्म-कथा को सुनकर नरेन्द्र अवाक् मुख देखता रह गया। ज्यों-ज्यों वह गौरी और शंकर के समीप होता जाता था, वह उनके आकर्षण में आता जाता था। क्या कोई इस आकर्षण से बच सकता है, नरेन्द्र यह सोचा करता था।

: ५ :

मनोरमा को बनारसीदास ने कहा था, “मैं तुम्हारा प्रबन्ध करता हूँ” और एक व्यापारी की भाँति पाँच मिनट में ही एक योजना बना मनोरमा से कहने लगा, “तुम्हारा लाहौर में कोई भी परिचित है?”

“कॉलेज की एक सहपाठिनी है जिसका विवाह ‘मॉडल टाउन’ के पण्डित केवलकृष्ण से हुआ है। मैं कभी-कभी उसे पत्र लिखा करती हूँ।”

“तो ठीक है। तुम इन्द्रजीत और कमला के साथ मोटर में यहाँ से सहारनपुर चली जाओ। वहाँ पर तुम रात को ही ‘फ्रण्टियर मेल’ में सवार हो लाहौर चली

जाना। वहाँ अपनी सहेली के घर जाकर कुछ दिन रहने का प्रबन्ध कर लो। मैं यहाँ की स्थिति का ध्यान रखूँगा और मेरा एक मित्र छिपकर वहाँ तुम्हारा ध्यान रखेगा। डरना नहीं। ईश्वर ने चाहा तो तुम सुरक्षा से वहाँ रह सकोगी और समय पर मैं तुम्हारे वहाँ से यहाँ बुलाने या कहीं और भेजने का प्रबन्ध कर दूँगा।”

इसके पश्चात् बनारसीदास ने इन्द्रजीत और कमला से कहा, “दस मिनट के भीतर हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने कपड़ों के अतिरिक्त एक सूट-केस और बिस्तर मनोरमा के लिए भी तैयार करा दो। और देखो, मनोरमा के बिस्तर में जो भी सामान हो उस पर तुम्हारा नाम या यहाँ का कोई चिह्न न हो। मनोरमा को साथ ले जाकर सहारनपुर स्टेशन पर फ्रंटियर मेल में चढ़ा देना। सेकण्ड क्लास का टिकट ले देना। और हाँ, मनोरमा, तुम अपनी सहेली का पता यहाँ लिखा दो। मैं अपने मित्र को लिख दूँगा। हमें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं। कारण यह कि तुम्हारे विषय में मेरा वह मित्र मुझे लिखता रहेगा और मैं भी तुम्हें उसीके द्वारा यहाँ का समाचार भेजा करूँगा।”

“परन्तु चाचाजी”, मनोरमा का कहना था, “इतनी बातों के करने की क्या आवश्यकता है? आपको बहुत कष्ट होगा।”

“तुम अभी अनुभवहीन हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो सुखी रहोगी। यह मत समझो कि कानून तुम्हारी किली भी भाँति सहायता कर सकेगा। वह किताबों में लिखे रखने के लिए बना है। कानून से केवल वही लाभ उठा सकते हैं जो सबल हैं और तुम्हारा पति तुमसे अधिक सबल है।”

दस मिनट में ही इन्द्रजीत, कमला और मनोरमा मोटर पर सवार होकर दिल्ली से चल पड़े। मनोरमा निर्विघ्न लाहौर पहुँच गई। स्टेशन से बाहर निकल टाँगा कर ‘मॉडल टाउन’ अपनी सहेली रोहिणी के बंगले पर जा पहुँची। दिन के ग्यारह बज चुके थे। रोहिणी का पति प्रातः का खाना खा काम पर जा चुका था। वह अनारकली बाजार में पुस्तकों की दूकान करता था। रोहिणी खाना खाकर कुल्ला कर रही थी कि नौकर ने आकर कहा, “बीबीजी, बाहर एक बीबीजी आई हैं।”

रोहिणी भागी हुई बाहर आई और मनोरमा को ट्रंक-बिस्तर टाँगे में लाये, खड़े देख विस्मय में खड़ी रह गई। फिर भागकर आई और मनोरमा से गले मिलने लगी। जब स्नेह-प्रदर्शन हो चुका तो उसने नौकर को आवाज दी, “मंगल, मंगल !”

वही नौकर, जिसने मनोरमा के आने की सूचना रोहिणी को दी थी, आ गया और रोहिणी के कहने पर मनोरमा का सामान उठाकर भीतर ले गया।

टाँगे वाले को भाड़ा दे मनोरमा रोहिणी के साथ कोठी में आई। दोनों जब आराम से बैठ गईं तो मनोरमा ने बताया, “रोहिणी बहन, मैं घर से लड़कर चली

आई हूँ। मेरा विचार लाहौर में किसी स्कूल-कॉलेज में या स्वयं ही पढ़ाने का काम करने का है। मेरा लाहौर में कोई परिचित नहीं। इस कारण कुछ दिन के लिए तुम्हें कष्ट देने चली आई हूँ।”

रोहिणी इस समाचार से भारी दुविधा में पड़ गई। वह नहीं समझ सकती थी कि मनोरमा को रखने का क्या परिणाम निकलेगा। मनोरमा ने रोहिणी को चुप देख बहुत निराशा प्रकट करते हुए कहा, “अच्छी बात, तो मैं किसी और स्थान पर रहने का प्रबन्ध कर लूंगी।” इतना कह मनोरमा जाने के लिए उठ खड़ी हुई।

रोहिणी ने उसे जाने के लिए तैयार देख कहा, “नहीं, इस प्रकार नहीं। न ही मेरा अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहती। मैं तो यह सोच रही हूँ कि बिना उनसे पूछे मैं तुम्हें कितनी आशा दूँ। वास्तव में मैं तुम्हारे जीजाजी के बिना तुम्हें रहने की स्वीकृति नहीं दे सकती। तो भी मैं समझती हूँ कि वे स्वीकृति क्यों नहीं देंगे। मनोरमा बहन, तुम आज तो यहीं रहो। रात जब वे आएँगे तो सोच लिया जायगा।”

मनोरमा के पास और कोई प्रबन्ध नहीं था और साथ ही बनारसीदास को वह यहाँ का पता देकर आई थी। अतएव, वह जहाँ तक हो सके यहाँ पर रहना चाहती थी। इसलिए रोहिणी के कहने को ठीक मान फिर बैठ गई।

रात को जब केवलकृष्ण घर आया तो रोहिणी ने मनोरमा का परिचय कराया और कहा कि कुछ दिन के लिए वह उनके यहाँ रहेगी। उस समय वे लोग खाना खाने के लिए मेज पर बैठे थे। मनोरमा केवलकृष्ण के सामने बैठी थी। परिचय करते समय उसने मन भरकर मनोरमा को देखा था और उसके सौन्दर्य को देख उस पर मुग्ध हो गया था। यद्यपि रोहिणी ने स्पष्ट और बलयुक्त शब्दों में बताया था कि मनोरमा का पिता और पति दोनों पुलिस के बड़े अफसर हैं और वह घर से भागकर आई है, इस पर भी केवलकृष्ण ने तुरन्त कह दिया, “हाँ, हाँ, जब तक इनका मन करे हमारे यहाँ रहें। इसे अपना ही घर समझें और मैं इनके काम में पूरी सहायता करूँगा।”

खाना खाते-खाते मनोरमा के लिए किसी स्कूल-कॉलेज की नौकरी की आशा पर विचार होता रहा। केवलकृष्ण ने बताया, “ऐसी नौकरी मिलनी कठिन है। हाँ, ‘मॉडल टाउन’ में लड़कियों की पढ़ाई का कुछ अच्छा प्रबन्ध नहीं। यदि मनोरमा चाहे तो एक ‘प्राइवेट स्कूल’ खोला जा सकता है। मैं इस स्कूल के चलाने में पूरी सहायता दूँगा।”

केवलकृष्ण ने अपनी कोठी के पीछे दो ‘मोटर ग्राज’ इस मतलब के लिए मनोरमा को देने की बात बताई। अगले दिन उन्हें देख मनोरमा ने ‘मैट्रिक’ की लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया और दो दिन में ही स्कूल के लिए वहाँ उचित सामान एकत्रित हो गया। केवलकृष्ण ने केवल इतना

ही नहीं किया, प्रत्युत उसने मॉडल टाउन में लोगों से मिलकर स्कूल में पढ़ने के लिए बीस-इक्कीस लड़कियाँ भी इकट्ठी कर दीं। एक सप्ताह में ही मनोरमा का स्कूल चल निकला और वह पूर्ण यत्न से इसे सफल बनाने में लग गई।

: ६ :

नन्दलाल घर लौटा तो सायंकाल हो चुकी थी। आते ही मनोरमा का समा-
धार लेने भीतर गया। कमरे को ताला लगा था। नन्दलाल इस ताले का अर्थ सोच
ही रहा था कि नौकरानी आई और ताली देते हुए बोली, “सरकार, आपके जाने
के बाद ही बीबीजी चली गई थीं, अभी तक नहीं लौटीं।”

“कहाँ गई थीं?”

“यहाँ से ताँगा कमला बहन के घर तक किया था।”

नन्दलाल का माथा ठनका, परन्तु अभी निराशा नहीं हुई। टेलीफोन पर
बनारसीदास से बातें करने लगा, “लाला बनारसीदास…… मैं हूँ नन्दलाल……
मनोरमा आपके घर आई थी?… अब कहाँ है?… नहीं?… तो वहाँ से कहाँ गई
है?… आप नहीं जानते…… कमला घर पर है?… नहीं? कहाँ गई है?… क्या
कहा?… हरिद्वार?… कब गई है?… दो बजे…… दो बजे तो कोई गाड़ी नहीं जाती
…… ओह! मोटर से गई है…… साथ मनोरमा भी गई हैं?… हैं?… क्या कहा?…
मनोरमा नहीं थीं।…… देखिए, लालाजी……” नन्दलाल अब क्रोध में कह रहा था,
“आप ठीक-ठीक बताइए। एक औरत के भगा ले जाने की बात है, कहीं ऐसा न हो
कि जेल की हवा खानी पड़े।”

नन्दलाल की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि बनारसीदास ने टेलीफोन
बन्द कर दिया। इससे नन्दलाल को क्रोध चढ़ आया। उसने समझा कि घर से जेवर
रूपया इत्यादि सब ले गई होगी। इससे उसके मस्तिष्क में थाने में रिपोर्ट लिखवाने
का विचार पैदा हुआ। ऐसा करने के लिए उसने गुमशुदा माल की सूची बनाने के
लिए कमरा खोला।

ड्रेसिंग टेबल पर चिट्ठी और आलमारी की चाबी देख उसने चाबी से अल-
मारी खोली। उसमें रुपए और भूषण ठीक-ठीक पा, विस्मय और शान्ति अनुभव
करते हुए चिट्ठी उठा पढ़ने लगा। चिट्ठी से बात स्पष्ट हो गई कि वह देहली
छोड़ कहीं चली गई है। इस पर उसे विचार आया कि उसे पकड़ना चाहिए। वह
सोचने लगा कि कहाँ गई होगी। इस समय उसे डिप्टी साहब की याद आई। उसने
उठकर उनको टेलीफोन किया। डिप्टी साहब ने सब बात सुनकर कहा, “कमला
का हरिद्वार जाना मनोरमा के गायब होने के साथ सम्बन्ध रखता है। उसका पीछा
करना चाहिए। मैं मोटर से हरिद्वार जाता हूँ। तुम देहली स्टेशन पर देखभाल के
लिए आदमी नियुक्त कर दो। जाने से पूर्व मैं बनारसीदास से पुनः मिल लेता
हूँ।”

डिप्टी रघुवरदयाल बनारसीदास से मिलने गए। बनारसीदास खाना खा रहा था। डिप्टी साहब ने कहला भेजा कि बहुत जल्दी का काम है। इस पर बनारसीदास ने उन्हें भीतर ही बुला लिया।

बनारसीदास एक चौकी पर आसन बिछाकर बैठा हुआ था। डिप्टी साहब के लिए समीप एक कुर्सी लगवा दी गई। डिप्टी साहब ने बैठते ही पूछा, “आपने नन्दलाल से टेलीफोन पर बात बन्द क्यों कर दी थी?”

“मैं उसकी गाली सुनना पसन्द नहीं करता था।”

“आखिर मामला तो संगीन है ही। मनोरमा बिना पति की इच्छा के घर से चली गई है।”

“मुझे इसका बहुत शोक है। परन्तु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। यदि मैं उसे अपने घर में यहाँ रख लेता तो आप क्या कर सकते थे? यही न कि मुझ पर और उस पर नाजायज दबाव डालते। कानून तो उसे बलपूर्वक कहीं भी रखने पर आप की सहायता नहीं कर सकता।”

“परन्तु मनोरमा यहाँ आई तो थी?”

“हाँ। मैं उस समय दफ्तर में था। लगभग एक घण्टा यहाँ ठहर वह चली गई थी। पश्चात् दो बजे के लगभग इन्द्रजीत और कमला हरिद्वार के लिए चले गए।”

“तो बात तो साफ है। मनोरमा कोठी से निकल बाहर सड़क पर कहीं प्रतीक्षा करती रहीं होगी और ये लोग उसे मोटर में बैठाकर ले गए हैं।”

“यह आपका अनुमान है न। इसका प्रमाण तो कुछ भी नहीं।”

“मैं प्रमाण पँदा करने जा रहा हूँ।”

“ठीक है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है।”

डिप्टी रघुवरदयाल ने इन्द्रजीत को रँग हाथ पकड़ने का विचार कर हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर दिया।

नन्दलाल अपनी स्त्री के भाग जाने से क्रोध में पागल हो रहा था। वह इस दुर्घटना का कारण इन्द्रजीत और कमला को समझता था और उन पर अपना क्रोध निकालना चाहता था, परन्तु डिप्टी साहब के उनके पीछे जाने के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। अगले दिन उसे डिप्टी साहब का तार मिला कि मनोरमा इन्द्रजीत के साथ नहीं है और उसी समय में नन्दलाल इन्द्रजीत पर क्रोध निकालने की योजना बना रहा था।

तीसरे दिन इन्द्रजीत और कमला हरिद्वार से लौटे। मोटर अभी आकर कोठी में खड़ी ही हुई थी कि नन्दलाल एक ‘पुलिस-बैन’ लेकर आया और इन्द्रजीत को पकड़कर ले गया। कमला और बनारसीदास मुँह देखते रह गए। कमला बहुत देर तक कोठी के बरामदे में ही खड़ी रही और उधर देखती रही जिस ओर पुलिस-बैन

गई थी। पश्चात् भीतर आ अपने कमरे में जा हताश पलंग पर लेट गई। बनारसी-दास कमला का मुख देखकर उसकी निराशा और दुःख का अनुमान लगा रहा था। जब वह अपने कमरे में गई तो बनारसीदास उसके पीछे वहाँ जा पहुँचा। उसके पलंग के समीप खड़ा हो कमला को देखने लगा। चार दिन हुए इन्द्रजीत जब रात को नहीं आया था तो कमला की आँखें रो-रोकर फूल उठी थीं, परन्तु आज उसकी आँखों में आँसू नहीं थे। वह अपने मन में कुछ अति भयंकर बात सोच रही थी।

बनारसीदास ने इस अवस्था को भययुक्त मान, उसे सान्त्वना देने के लिए कहा, “बेटी कमला, घबराओ नहीं। मैं अभी उसे छोड़ा लाता हूँ। यदि एक लाख भी धूम देना पड़े तो कुछ चिन्ता नहीं।”

कमला लालाजी की यह बात सुन चौंककर उठ बैठी और लालाजी को कमरे से बाहर जाते देख बोली, “नहीं पिताजी, अब एक कौड़ी भी खर्च नहीं करिएगा। पहले तो मुझे सन्देह ही है कि रिश्वत लेकर भी वह छोड़ेगा। देखा नहीं आपने कसाई का मुख बदले की भावना से भर रहा था और फिर यह ढंग कब तक चल सकेगा?”

बनारसीदास सिर झुकाए खड़ा हो गया। कमला पलंग से उतरकर खड़ी हो गई थी। बनारसीदास ने कहा, “बेटी, तुम रुपए की चिन्ता न करो। ईश्वर की कृपा से बहुत है। इन कुत्तों का पेट भर कर भी मैं धनी बना रहूँगा।”

“परन्तु !” कमला ने दृढ़ता से कहा, “आपने तो कहा था कि आप स्वराज्य-स्थापनार्थ सब कुछ दे चुके हैं। उसमें से तो इन लोगों को एक पाई भी नहीं देनी चाहिए। एक पाई भी जो इनको दी जायगी वह बीमारी के कारण को दूर न कर उसे बढ़ाने में काम आएगी।”

बनारसीदास अनिश्चित मन से खड़ा रहा। एक बार उसने कहा, “देखो, बेटी कमला, इनको देने के बाद भी स्वराज्य-स्थापनार्थ बहुत कुछ बचा रहेगा।”

कमला ने जब लालाजी को हठ करते देखा तो उसे इन्द्रजीत को छोड़ने में एक और दृष्टिकोण समझ में आया। वह समझी कि इन्द्रजीत बनारसीदास का लड़का भी है। वह अपने पति की आहुती दे सकती है, किसी के पुत्र की नहीं। इससे वह कहने लगी, “ओह ! मुझसे भूल हुई है पिताजी। मैं अपने मन के उद्गारों में भूल ही गई थी कि आप अपने पुत्र को छोड़ने के लिए उत्सुक होंगे।”

“क्यों, तुम अपने पति को छोड़वाना नहीं चाहती ?”

“नहीं, घूस देकर नहीं। यह पत्तों को पानी देने के समान है। पहले दस हजार देने से क्या हुआ है ? वे पुनः पकड़ लिये गए हैं। अब एक लाख भी दें तो भी तो पुनः पकड़े जाने की सम्भावना बनी ही रहेगी।”

बनारसीदास ने मुख का साँस लेते हुए कहा, “ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम में समझ है। मुझे भय था कि कहीं तुम या तुम्हारे पिता यह न कहें कि रुपए के लोभ

में मैं तुम्हारे सुख की चिन्ता नहीं करता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम भी वैसा ही सोचती हो जैसा मैं सोचता हूँ।”

इस बार इन्द्रजीत को छुड़ाने का यत्न नहीं किया गया। जैसा कि बनारसीदास का विचार था, हरवंशलाल बनारसीदास को कंजूस ही समझता था। एक दिन क्रोध में वह बनारसीदास से मिलने आया। उसका विचार था कि वह बनारसीदास को प्रेरणा देने में सफल होगा कि वह हाईकोर्ट में बन्दी-प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दे। बनारसीदास घर पर नहीं था। हरवंशलाल कमला से मिला और उससे कहने लगा, “कमला, तुम्हारी माँ को इन्द्रजीत के कैद हो जाने का इतना दुःख है कि उसने रात का खाना बन्द कर दिया है और दिन-भर परमात्मा का नाम स्मरण करती रहती है।”

“क्यों ? इससे क्या होगा पिताजी ?”

“यह तो वही जाने।”

“व्यर्थ है। माँ से कह दीजिएगा कि धैर्य और संतोष से सब काम ठीक हो जाते हैं।”

“यह बात औरतों के लिए ठीक है और तुम्हारी माँ भी अपने मन में धैर्य और संतोष उत्पन्न करने के लिए ही यह सब अनुष्ठान कर रही है। परन्तु मैं तो यह पूछने आया हूँ कि क्या तुम्हारा ससुर भी धैर्य और संतोष का पाठ पढ़ रहा है ? पुरुषों को ये बातें शोभा नहीं देती। उनको तो हाथ-पाँव हिलाने ही चाहिए।”

“परन्तु जब हाथ-पाँव हिलाने से भी कुछ परिणाम न निकले तो फिर क्या किया जाय ?”

“तो वे यत्न कर रहे हैं ?”

“किस बात के लिए ?”

“किस बात के लिए ?” हरवंशलाल ने अचम्भे में पूछा, “क्या तुम नहीं समझती कि मैं क्या कह रहा हूँ ? इन्द्रजीत को छुड़ाने के लिए।”

“जी ! परन्तु इस बार वे रिश्वत देकर अथवा मुकदमा करके छुड़ाने का यत्न नहीं कर रहे।”

“तो किस प्रकार कर रहे हैं ?”

“यह मैं नहीं जानती। वे स्वयं आ गए हैं। आप ही पूछ लीजिए।”

बनारसीदास की मोटर के शब्द को पहचान कर कमला ने उनके आने की बात कही थी। बनारसीदास से मिलने के लिए हरवंशलाल कमरे से निकल आया। दोनों बरामदे में ही बेंच की कुर्सियों पर बैठ गए। साधारण शिष्टाचार की बात हो जाने के पश्चात् हरवंशलाल ने पूछा, “इन्द्रजीत के विषय में क्या हो रहा है ?”

“कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् ही वह छूट सकेगा।”

“कमला तो कहती है कि आप उसके छुड़ाने का यत्न कर रहे हैं।”

“हाँ, परन्तु मुझे विश्वास है कि उससे वह छूट नहीं सकता। इस प्रयत्न का फल तो कुछ और ही होगा।”

“क्या ?”

“मैं समझता हूँ कि नन्दलाल जैसे पुलिस-अफसरों का दिमाग सीधा हो जाये।”

“कैसे ?”

“यदि सफलता मिली तो देख लीजिएगा।”

“परन्तु आप हाईकोर्ट में एक प्रार्थना-पत्र क्यों नहीं दे देते ?”

“इससे लाभ ? हाईकोर्ट आजकल इन मामलों में दखल नहीं दे सकता।”

हरवंशलाल को बनारसीदास से बहुत निराशा हुई और उसने स्वयं ही एक बैरिस्टर कर प्रार्थना-पत्र दे दिया। परिणाम यह हुआ कि हरवंशलाल के दस हजार रुपए खर्च हो गए, परन्तु सफलता कुछ न मिली। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्त-क्षेप करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी।

नन्दलाल ने इन्द्रजीत को कैद तो करा दिया, परन्तु उसका आशय पूर्ण नहीं हुआ। न तो इन्द्रजीत ने बताया कि मनोरमा कहाँ है, न ही किसी और साधन से पता मिल सका।

बनारसीदास अपने पुत्र के पकड़े जाने से नन्दलाल का घोर शत्रु हो गया। उसने अपनी और मनोरमा की पूर्ण कथा ‘स्वराज्य संस्थापन समिति’ के नेता को बताई। नेता ने मनोरमा की रक्षा का भार अपने पर लेने का वचन दिया। बनारसीदास ने इस विषय में सारा खर्च स्वयं देने का वचन दिया।

परिणामस्वरूप देहली में समिति के प्रतिनिधि को नन्दलाल, डिप्टी साहब और लाहौर मॉडल टाउन में केवलकृष्ण और मनोरमा पर दृष्टि रखने का आदेश मिल गया।

एक दिन नन्दलाल का रसोइया नन्दलाल के पास पहुँचा और बोला, “हुजूर, घर से चिट्ठी आई है कि माँ बहुत बीमार है। मैं अब तुरन्त घर लौट जाना चाहता हूँ।”

“तो हमारा खाना कौन बनायेगा ?”

“आप कोई और नौकर ढूँढ लें।” इतना कहकर नौकर अपना विस्तर बाँधने चला गया।

सौभाग्य से इसके पश्चात् शीघ्र ही रसोई बनाने का कार्य जानने वाला एक नौकर नौकरी की तलाश में वहाँ पहुँच भी गया। उसने कई लोगों के प्रमाण-पत्र भी दिखाये। वेतन पूछने पर बोला, “बेकार हूँ। जो कुछ भी खुश हो दीजियेगा, मंजूर कर लूँगा।”

“तीस रुपया और खाना । मंजूर है ?”

“मंजूर है ।”

नन्दलाल ने देखा कि नौकर बहुत ही चतुर और समझदार है और बहुत ही कम वेतन पर मिल गया है । इसके एक-दो दिन के भीतर ही डिप्टी साहब का घर का काम-काज करने वाला नौकर भी भाग गया और उन्होंने सूखे चालीस पर एक नया नौकर रख लिया । डिप्टी साहब भी बहुत होशियार नौकर पाकर प्रसन्न थे ।

ये दोनों नौकर अपने को अनपढ़ बताते थे, परन्तु डिप्टी साहब की डाक की पड़ताल किया करते थे । वे सब पत्र, जो लाहौर से अथवा अन्य स्थानों से व्यक्तिगत पत्रों पर आते थे, गायब हो जाते थे । ये पत्र समिति के नेता के पास पहुँच जाते थे । वहाँ इन्हें पढ़कर पुनः डिप्टी साहब की डाक में छोड़ दिया जाता था । इसके अतिरिक्त ये दोनों नौकर नन्दलाल और डिप्टी साहब के घर के हालचाल लिखकर समिति के नेता के पास पहुँचाते थे ।

केवल इतना ही नहीं, प्रत्युत मनोरमा की देखभाल के लिए जो आदमी नियुक्त हुआ था वह केवलकृष्ण का तो मित्र ही बन गया था और प्रायः नित्य उनके घर आने-जाने लगा था ।

: ७ :

रोहिणी केवलकृष्ण को मनोरमा के काम में एकदम इतने उत्साह से लगा देख ईर्ष्या करने लगी थी । यदि केवल इतना ही होता तो कुछ न था, परन्तु केवलकृष्ण मनोरमा को अपनी मोटर में बैठा नगर में ले जाता था और उसके स्कूल के लिए सामान खरीदने में सहायता भी देता था । एक-आध बार रोहिणी ने मनोरमा के साथ शहर जाने का विचार भी प्रकट किया, परन्तु केवलकृष्ण ने किसी बहाने से उसका साथ जाना टाल दिया ।

एक दिन केवलकृष्ण सायंकाल घर आया तो अपने साथ बहुत-सी पुस्तकें लाया । वे पुस्तकें उसने मनोरमा को रात का खाना खाने के बाद उसके कमरे में जाकर दीं और फिर वहाँ मनोरमा से जब बातें होने लगीं तो कई घंटे व्यतीत हो गए । रोहिणी अपने कमरे में प्रतीक्षा करती-करती सो गई । जब उसकी नींद खुली तो एक बज रहा था । उसने देखा कि उसका पति अभी तक मनोरमा के पास में नहीं आया । यह जानकर वह आग-बबूला हो गई । वह क्रोध में उठी और लपक कर मनोरमा के कमरे की ओर गई; परन्तु केवलकृष्ण मनोरमा के कमरे से बाहर आ रहा था । रोहिणी क्रोध से उतावली हो रही थी और वहीं कड़ककर बोली, “मालूम है कितने बज गए हैं ?”

केवलकृष्ण ने उत्तर नहीं दिया और अपने कमरे में चला आया और सोने की तैयारी करने लगा । रोहिणी जो उसके पीछे-पीछे वहाँ आई थी, पूछने लगी, “इतनी देर तक क्या कर रहे थे आप वहाँ ?”

केवलकृष्ण ने कहा, “बातें।”

“बातें ? बहुत मजा आता था उससे बातें करने में ?”

“हाँ।”

“तो उसी से विवाह कर लो न।”

“क्या कहा ?” केवलकृष्ण ने घूमकर रोहिणी की ओर देखते हुए कहा।

“हाँ...हाँ ! मैं कहती हूँ कि अगर उससे बातें करने में आनन्द आता है तो मुझे छोड़ उसी से विवाह कर लो न।”

“यदि ऐसा हो सकता तो...?”

“अच्छा ! यह बात है ? तो मैंने अपने आप ही घर लाकर साँप पाला है। एक महीने में ही लुढ़क गए उस और।”

“देखो, रोहिणी,” केवलकृष्ण ने अपने पलंग पर बैठते हुए कहा, “वह तुमसे अधिक सुन्दर, चतुर और अच्छे विचार वाली है। आज उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई है और मैं इस परिणाम पर पहुँच हूँ कि यदि मैं उसका पति होत तो बेचारी के भाग्य बदल जाते।”

“उसके भाग्य बदल जाते या आपके ? आप अति नीच विचार के आदमी हैं। पहली ही परीक्षा में फेल हो गए।”

“हाँ, यदि मैं उसका पति होता तो निस्सन्देह मैं भी अपने को भाग्यशाली मानता और मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि क्यों न मानता ? किस बात में वह तुमसे बढ़कर नहीं है ?”

एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि स्त्री के सौन्दर्य और चरित्र के विषय में उसके मुख पर प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहिए, अन्यथा घर की शांति और सुख से हाथ धो बैठना होगा। सो यही बात केवलकृष्ण की हुई। रोहिणी ने समझा कि आज तो उसका पति मनोरमा की प्रशंसा करता है, कल उसके पास जाकर रहने लगेगा। उसे मनोरमा को घर रखने पर पश्चात्ताप होने लगा। रात-भर वह इस बला से छुट्टी पाने के उपायों पर सोचती रही।

अगले दिन उसने दो पत्र लिखे। दोनों में एक ही बात लिखी। लिखा था, “श्रीमान जी, मनोरमा लगभग एक मास से हमारे यहाँ ठहरी हुई है। मैंने बहुत विचारोपरान्त यह समझा है कि उसका अपने घर चला जाना ही अच्छा है। सो आपसे निवेदन है कि शीघ्र आकर प्रेमपूर्वक उसे घर ले जाएँ।”

इनमें से एक पत्र डिप्टी रघुवरदयाल के पते पर और दूसरा नन्दलाल के घर के पते पर भेज दिया।

: ८ :

चिट्ठियाँ डालने के चौथे दिन की बात है। मनोरमा स्कूल में पढ़ा रही थी कि एक खहरधारी व्यक्ति आया और स्कूल के बाहर पहुँचकर पूछने लगा,

“मनोरमा देवी कौन हैं ?”

मनोरमा लड़कियों को छोड़ ‘ग्राज’ के बाहर आ गई और उस खट्टरधारी से पूछने लगी, “क्या काम है आपको ?”

वह इधर-उधर देखने लगा। मनोरमा ने कुछ चिन्ता अनुभव कर पूछा, “क्या बात है ?”

“जरा एकान्त में बात करना चाहता हूँ।”

“क्यों ? आप कौन हैं ?”

“आप मुझे नहीं जानती, परन्तु लाला बनारसीदास जी को तो जानती हैं ?”

“हाँ।”

“तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। जरा शीघ्रता कीजिए। समय कम है।”

मनोरमा उस खट्टरधारी के साथ कोठी के फाटक की ओर चल पड़ी। वहाँ एक मोटर खड़ी थी। खट्टरधारी ने कहा, “मुझे आज्ञा हुई है कि मैं आपसे पूछूँ कि आप अपने पति के घर जाना चाहती हैं या नहीं ?”

“क्या बात है ? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते ?”

“समय नहीं। आप अपने मन की बात बताएँ तो मैं आगे की बात निवेदन करूँगा।”

“मैं उनके घर जाना नहीं चाहती।”

“तब ठीक है। आप इस गाड़ी में (खड़ी मोटर की ओर संकेत कर) बैठ जाएँ। देर करने से बच निकलने का समय नहीं रहेगा।”

मनोरमा ‘किर्तव्यविमूढ़’ की भाँति खड़ी रह गई। वह निश्चय नहीं कर सकी थी कि क्या करे। उस खट्टरधारी ने कहा, “बनारसीदास जी ने कहा है कि उन पर भरोसा रखो और जैसा मैं कहता हूँ करो। कमला भाभी ने यह अँगूठी पहचान के लिए दी है।”

मनोरमा ने एक बार उस खट्टरधारी के मुख पर और एक बार अँगूठी की ओर देखा और निश्चिन्त हो लपककर मोटर में बैठ गई। खट्टरधारी ने और कुछ न बताते हुए, मोटर में ड्राइवर की जगह पर बैठ, मोटर चला दी।

मोटर भागी हुई फिरोजपुर रोड पर चली जा रही थी। इस समय मनोरमा ने, जो उस खट्टरधारी के साथ की जगह पर बैठी थी, पूछा, “मैं इन सबका अभिप्राय नहीं समझी।”

“नन्दलाल और डिप्टी साहब आपको लेने आ रहे हैं। सौभाग्य से उन्हें मॉडल टाउन की कोठी का पता नहीं है। वे अनारकली में केवलकृष्ण की दूकान पर गए हैं।”

“परन्तु उनको मेरा पता मिला किससे ?”

“रोहिणी से।”

“क्या?”

“केवलकृष्ण की स्त्री रोहिणी ने तुम्हारे पिता और पति को पत्र लिखे हैं। सौभाग्य से उसने मॉडल टाउन का पता नहीं लिखा। जिस फार्म पर, चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, उस पर अनारकली की दूकान का पता छपा है। वे दोनों चिट्ठियाँ पाते ही लाहौर को चल पड़े। हमें भी पता चल गया और मुझे आपको बचाने के लिए भेजा गया है।”

मनोरमा इस सब बात को सुन विस्मय में चुप रही। मोटर ‘माल’ पर पहुँच कर नहर की ओर घूम गई। मनोरमा ने फिर साहस कर पूछा, “आपको यह सब बात कैसे पता लगी है?”

“हमारे भेदिया डिप्टी साहब और नन्दलाल की कोठी पर चौबीसों घण्टे रहते हैं। उनकी डाक पहले हमारे पास ही आती है।”

“ओह!” मनोरमा उस खदरधारी युवक को अचम्म में देखने लगी। वह गौरवर्ण भारी परन्तु चुस्त और गठित शरीर वाला था। विनाल मस्तक, टेढ़ी भौंहें, कुछ गोल नाक और कुछ आगे को बढ़ी हुई ठोड़ी थी। वह मोटर बहुत तेज भगा रहा था। यद्यपि कपड़ों और बोल-चाल के ढंग से पेशेवर ड्राइवर प्रतीत नहीं होता था तो भी मोटर चलाने में पूर्ण रूप से सिद्धहस्त था। वह पचास मील प्रति घण्टे की गति से मोटर चला रहा था और किञ्चित्-मात्र घबराया हुआ प्रतीत नहीं होता था। मोटर नहर के किनारे-किनारे पटरी पर चल रही थी। मनोरमा ने फिर पूछा, “आपने नन्दलाल तथा डिप्टी साहब को कहाँ देखा है?”

“हम सब एक ही गाड़ी से यहाँ पहुँचे थे। मुझे आपके घर का पता मालूम था इस कारण मैं टैक्सी लेकर सीधे आपके पास चला आया और डिप्टी साहब ने अनारकली के लिए टैक्सी ली।”

“तो यह टैक्सी है?” मनोरमा ने अचम्भे से पूछा।

उसने आगे देखते हुए उत्तर दिया, “नहीं, वह तो मैंने छोड़ दी थी। यह गाड़ी बनारसीदास जी के एक मित्र की है जो मॉडल टाउन में रहते हैं और आप पर देख-भाल के लिए नियुक्त थे।”

“कौन?”

“नाम बताने की स्वीकृति नहीं है।”

“आपका क्या नाम है?”

“बताने की न तो आवश्यकता है, न ही स्वीकृति।”

“किसकी स्वीकृति?”

“बनारसीदास जी की ही समझ लीजिए।”

“समझ लीजिए!” यह गोलमोल बात करने से क्या मतलब?”

“ऐसे ही।”

मनोरमा फिर गम्भीर विचार में पड़ गई। पीन घण्टे में मोटर अमृतसर के समीप से गुजर रही थी। मनोरमा ने कहा, “कुछ खाइएगा नहीं? मुझे तो भूख लगी है।”

“आज महाचण्डिका का व्रत है।”

“तो आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?”

“अभी दिल्ली। हम रात के आठ बजे तक दिल्ली पहुँच जाएँगे।”

“पर मुझे तो भूख लगी है।”

“आपके लिए खाना अभी तैयार नहीं है। भगवान् ने आपके लिए आज उपवास करना ही लिखा है।”

मनोरमा समझ गई कि समय व्यर्थ गँवाना उचित नहीं समझा जा रहा। गाड़ी चलाने वाला अति चतुर आदमी प्रतीत होता था। कभी-कभी तो मोटर सत्तर मील की गति से दौड़ती थी। फिर भी वह ऐसी शान्ति से गाड़ी चला रहा था मानो मामूली ताँगा हो। मार्ग में ब्रैल-गाड़ियाँ आती थीं और मोटर बहुत सफाई के साथ सर्र करती हुई निकल जाती थी। अमृतसर के पश्चात् जालन्धर, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला, करनाल और फिर देहली। मोटर ठीक आठ बजने में पाँच मिनट पर लालकिले के बाजू में जा पहुँची। मनोरमा भूख और थकावट से व्याकुल हो रही थी। उसने ड्राइवर को कहा, “हम आ गए हैं।”

ड्राइवर ने कलाई पर बँधी घड़ी देखकर कहा, “अभी पाँच मिनट हैं। हम कुछ जल्दी आ गए हैं।”

उसने गाड़ी शमशान-भूमि की ओर घुमा दी। वहाँ एक मोटर पहले ही खड़ी थी। यह गाड़ी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। इसके पहुँचते ही पहले से खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से बनारसीदास और कमला निकले। मनोरमा उनको पहचानते ही बाहर आ गई। वह कमला से गले मिली। मनोरमा की गाड़ी का ड्राइवर भी बाहर आ गया। बनारसीदास ने मनोरमा को आशीर्वाद दे कहा, “परमात्मा का धन्यवाद है कि तुम सही-सलामत यहाँ पहुँच गई हो। अब तुम बताओ कि क्या चाहती हो?”

“मुझे क्या मालूम? आपने जब इतना कुछ किया है तो आगे भी आप ही प्रबन्ध करिए।”

“अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। पीछे की सीट पर बैठना; जिससे कि सो भी सको। इसमें जल-भरी सुराही, खाने को पूरी, तरकारी, फल-मिठाई आदि सब कुछ रखा है। मार्ग में खा लेना। सुबह चार बजे कानपुर पहुँच जाओगी। वहाँ एक और गाड़ी तैयार मिलेगी जो तुम्हें सोन के पुल तक ले जाएगी। वहाँ से फिर गाड़ी बदलकर तुम कल रात कलकत्ते पहुँच जाओगी।

वहाँ तुम्हारे रहने का प्रबन्ध है। जल्दी करो।”

मनोरमा कमला वाली गाड़ी पर सवार हो गई। इस गाड़ी को चलाने वाला एक और आदमी था। वेश-भूषा से तो वह भी ड्राइवर मालूम नहीं होता था। मनोरमा के गाड़ी में बैठते ही वह गाड़ी जमुना के पुल की ओर चल पड़ी।

: ६ :

कलकत्ते में गुरुजी के मकान पर सभा हो रही थी। इसमें नौ व्यक्ति उपस्थित थे—शंकर पण्डित, नरेन्द्र, नरोत्तम प्रसाद, सेठ कुंजबिहारी, लाला बनारसीदास, शेखरानन्द, नरहरिराव, कैप्टन नाहरसिंह और गुरुजी। सर्वसाधारण में तो गुरुजी का नाम कोई नहीं जानता था परन्तु इस सभा में सब जानते थे कि वह पुराने क्रान्तिकारी दल के पुराने कार्यकर्ता श्री धीरेन्द्र हैं।

धीरेन्द्र के विचारों में यूरोप और रूस के भ्रमण ने भारी अन्तर उत्पन्न कर दिया था। जहाँ उसका अनुभव और भी विस्तृत हो गया था वहाँ उसकी कार्य-प्रणाली में भी बड़ा अन्तर आ गया था। एक समय था जब वह प्रत्येक विषय पर दूसरों से राय करना अपना कर्तव्य समझता था। किन्तु अब वह अपनी आयोजना ऐसी बनाना चाहता था कि कम-से-कम लोग इसके रहस्य को जान सकें। उसने अपनी संस्था का नाम 'भारत स्वराज्य संस्थापन समिति' रखा था। इसके चार विभाग बनाए गए थे। शंकर पण्डित के मतानुसार ये चारों विभाग एक आदमी के आधीन काम करते थे। उसका नाम नेता रखा गया था। अभी यह पद धीरेन्द्र ने स्वयं ग्रहण कर लिया था। नेता का काम था, चारों विभागों में संगठन रखना और सुचारु रूप से सम्पर्क स्थापित करना। प्रत्येक विभाग में दो-दो सहायक नेता थे। अपने-अपने विभाग का पूर्ण कार्य सहायक नेताओं के द्वारा होता था। वे अपने विभाग की आवश्यकताएँ नेता के पास भेजते थे और फिर नेता की आज्ञानुसार कार्य चलता था। भारतवर्ष को दो भागों में बाँटा गया था और प्रत्येक भाग में संस्था के सब विभागों का एक-एक सहायक नेता काम करता था। एक विभाग के लोग दूसरे विभाग के लोगों को नहीं जानते थे। कई बार तो प्रायः एक ही नगर में अथवा एक ही मुहल्ले में दोनों विभाग काम कर रहे होते थे। इस पर भी विभागों का कार्य-क्षेत्र पृथक्-पृथक् होने से उनका एक-दूसरे से सम्पर्क नहीं था। अनुशासन बहुत कड़ा था और प्रत्येक सदस्य को अपने अध्यक्ष का कहना मानना होता था। इस प्रकार सहायक नेता के आधीन प्रान्तीय नेता होते थे। समिति के ब्राह्मण तथा वैश्य विभागों को छोड़कर शेष दोनों विभागों के अपने-अपने प्रान्तीय नेता थे और उन का अपने केन्द्रीय सहायक नेता से भी सम्बन्ध था। इस प्रकार दो प्रान्तीय नेता परस्पर कोई सम्पर्क न रखते हुए भी एक संगठन के आधीन थे। प्रान्तीय नेताओं के आधीन जिला अध्यक्ष और उसके आधीन नगर तथा तहसील अगुआ और फिर इनके आधीन मण्डलीक थे। प्रत्येक मण्डलीक एक-एक मण्डली का प्रबन्ध करता

था। एक मण्डली में बीस से अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे। इस प्रकार तीनों विभागों की अपने-अपने स्थान पर मण्डलियाँ बन रही थीं।

नेता स्वयं सहायक नेताओं के साथ एक केन्द्रीय समिति बनाए हुए था। शंकर पण्डित और नरेन्द्र ब्राह्मण वर्ग के सहायक नेता थे। ये लोग अपने विचार-विनिमय के लिए अपने साथ भारतवर्ष के कई विद्वानों को रखे हुए थे। इनमें यूनिवर्सिटियों के कई प्रोफेसर और अन्य विद्वान् थे। इन लोगों की मण्डली का नाम विद्वत्-मण्डली था। शंकर पण्डित तथा नरेन्द्र इस मण्डली की सभा कभी बनारस, कभी लखनऊ अथवा कलकत्ते में किया करते थे और समिति के सम्मुख उपस्थित समस्याओं पर विचार किया करते थे। इन सभाओं के निर्णयों पर पुनः विचारकर केन्द्रीय समिति में उपस्थित करते थे।

अत्रिय वर्ग के सहायक नेता कैप्टन नाहरसिंह थे। कैप्टन नाहरसिंह अंग्रेजी सरकार की फौज के पेंशनर थे। सन् १९१४-१९ के युद्ध में विकटोरिया क्रॉस प्राप्त कर चुके थे। अब वे स्वराज्य संस्थापन समिति का कार्य करते थे। वे फौज में और फौज के बाहर देहातों तथा नगरों में फौजी शिक्षा की मण्डलियाँ बना रहे थे। इस वर्ग के दूसरे सहायक नेता थे नरोत्तमप्रसाद। ये समिति-शाखाएँ विदेशों में खोल रहे थे। विदेशों में जो हिन्दुस्तानी गए हुए थे उनको संगठित कर उनको युद्ध-विद्या सीखने में सहायता दे रहे थे। चीन, रूस, ईरान, मिस्र, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में ऐसी ही मण्डलियाँ बनाई जा रही थीं जैसे हिन्दुस्तान में। ये लोग बारूद बनाने का काम भी सीख रहे थे। वैश्य वर्ग के भी दो सहायक नेता थे। एक सेठ कुंजविहारीलाल और दूसरे लाला बनारसीदास। इन दोनों में मण्डलियाँ नहीं बनाई जा रही थीं। ब्राह्मण वर्ग की भाँति इने-गिने लोग ही इसमें थे। इस वर्ग में केवल वही सम्मिलित हो सकते थे जो अपने कारोवार में लगे हुए थे, परन्तु अपनी पूर्ण सम्पत्ति और आय समिति के हवाले कर चुके थे। स्वयं वे केवल कर्मचारी के रूप में काम करते थे। छोटी-छोटी चन्द्रे की रकमों से काम नहीं चलता था। इस वर्ग में पूर्ण भारतवर्ष के लगभग दस सदस्य थे। इस पर भी समिति के पास अरबों रूपए थे जिनका प्रयोग वह कर सकती थी।

चौथा वर्ग था कर्मचारी वर्ग। इस वर्ग के सहायक नेता थे शेखरानन्द और नरहरिराव। ये दोनों कारखानों में मजदूरों और अन्य कारीगरों का संगठन कर रहे थे।

यह सब योजना शंकर पण्डित की बनाई हुई थी और धीरेन्द्र इसके अनुकूल समिति का संगठन कर रहा था। प्रति तीन मास में एक बार इस केन्द्रीय समिति का, जिसका नाम शंकर पण्डित ने नवरत्न-मण्डल रख दिया था, एक अधिवेशन होता था। इस अधिवेशन में पिछले तीन माह के कार्य का वृत्तान्त बताया जाता था। नयी कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार होता था और फिर अगले महीनों

में उस पर कार्य होता था ।

नवरत्न-मण्डल का अधिवेशन आरम्भ हुआ । धीरेन्द्र ने पिछले तीन मास का वृत्तान्त बताते हुए कहा, "जब से यह नवरत्न-मण्डल पूर्ण हुआ है तब से काम अति वेग से हो रहा है । ब्राह्मण वर्ग की एक बैठक काशी में प्रोफेसर निखिलेश्वर एम० ए० के मकान पर हुई । ब्राह्मण मण्डली का यह विचार है कि बिना विदेशी सहायता के भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता । जिस ढंग से हमारा निशस्त्रीकरण हुआ है उससे यह मण्डली इस परिणाम पर पहुँची है कि शस्त्र-अस्त्रों के कारखाने अंग्रेजी इलाकों में नहीं खुल सकते । इस कारण हमें विदेशों में जाकर अस्त्र-शस्त्रों के बनाने और प्रयोग करने का ढंग सीखना है । मैंने इस काम को नरोत्तमजी के हाथ सौंप दिया है । नरोत्तमप्रसाद ने इस विषय में चिट्ठी-पत्ती आरम्भ कर दी है । रूस, चीन, ईरान, टर्की, मिस्र और अमेरिका में जो केन्द्र हमने खोले हुए हैं उनके द्वारा ही हम इस काम को आगे ले जाना चाहते हैं ।

"क्षत्रिय वर्ग के सहायक नेता की रिपोर्ट है कि इस समय देश में पाँच सहस्र के लगभग मण्डलियाँ बन चुकी हैं । इनकी संख्या हमें एक लाख तक करनी है । काम वेग से चल रहा है । ये मण्डलियाँ फौज से बाहर भी बनाई जा रही हैं । वास्तव में बाहर की मण्डलियों की संख्या अधिक है । इन मण्डलियों के मण्डलीक और अगुआ तथा प्रान्तीय अध्यक्ष सब-के-सब फौजी शिक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं । लोगों को इन पदवियों के योग्य बनाने के लिए शिक्षा के केन्द्र भी खोले जा रहे हैं । ऐसे एक केन्द्र में भी बीस से अधिक शिक्षार्थी एकत्रित नहीं होने दिए जाते । शिक्षा के पश्चात् इनकी परीक्षा होती है और अच्छे लड़कों को अगुआ और दूसरे दर्जे में उत्तीर्ण होने वालों को मण्डलीक बनाकर नयी मण्डलियाँ खोलने के लिए नये-नये स्थानों पर भेजा जा रहा है ।

"नरोत्तमप्रसाद जी इसी वर्ग के सहायक नेता हैं और विदेशों में काम कर रहे हैं । वे कहते हैं कि युद्ध के कारण विदेशों से सम्पर्क कठिन-से-कठिन होता जा रहा है । यदि कोई मार्ग ऐसा मिल जाय कि जिससे चुंगी और खुफिया-पुलिस की देख-भाल के बिना विदेश आया-जाया जा सके तो हमारा कार्य बहुत सीमा तक सफल हो सकता है । शंकर पण्डित इस विषय में खोज कर रहे हैं और उनका विचार है कि यह समस्या कठिन होती हुई भी असम्भव नहीं है ।

"वैश्य वर्ग के सहायक नेताओं का कहना है कि इन तीन मास में दो स०जन और इस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं । उनकी सम्पत्ति चालीस करोड़ के लगभग है और वार्षिक आय तीन करोड़ रुपए के लगभग है । इस प्रकार इस वर्ग की तो वार्षिक आय भी हम अभी व्यय नहीं कर रहे । हम चाहते हैं कि क्षत्रिय वर्ग के संगठन के लिए और कर्मचारी वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक धन की स्वीकृति दी जाय ।

“कर्मचारी वर्ग में भी एक लाख के लगभग लोग आ चुके हैं। इस वर्ग में भी काम बेग से ही रहा है। यह वर्ग ही वास्तव में कुछ कार्य कर रहा है।

“हमारा यह निश्चय है कि मण्डलियों के सदस्य परस्पर मिलते रहें और एक दूसरे के सुख-दुःख के भागी हों। मण्डली के किसी भी सदस्य की कठिनाई अथवा कष्ट को दूर करना मण्डली के दूसरे सदस्यों का कर्तव्य है। यदि किसी पर ऐसी मुसीबत पड़ जाय कि उसका दुःख दूर करना मण्डली के अन्य सदस्यों की शक्ति से बाहर हो तो वे अपने मण्डलीक को कहें। मण्डलीक अगुआ से कहे। अगुआ यदि ऐसा अनुभव करे कि वह कठिनाई उसके अथवा उसके आधीन मण्डलीकों के बस की नहीं तो वह प्रान्तीय अध्यक्ष से कहे और प्रान्तीय अध्यक्ष सहायक नेता से कहे। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण समिति की शक्ति उस कठिनाई को दूर करने के लिए लगाई जा सकती है।

प्रत्येक सदस्य की वास्तविक कठिनाई में पूरी सहायता करना समिति का कर्तव्य है। जब भी कोई नया व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बने तो उसे अनुभव होना चाहिए कि वह एक अति बलशाली, धनवान् और देश-भर में फैले हुए परिवार का सदस्य बन गया है। वह अनुभव ही इस संस्था की उन्नति का कारण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी जोखिम के काम में किसी सदस्य को जाना पड़े तो उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके पीछे उसके परिवार की देखभाल वैसी ही होगी जैसी वह स्वयं कर सकता है।

“हम सदस्यों की बफादारी और उनमें अनुशासन की भी परीक्षा किया करते हैं। कई बार कुछ मण्डलियों को आज्ञा हो जाती है कि अपना काम छोड़कर घर से बाहर दूसरे नगर में जाकर काम-काज करें। कई बार हम स्वयं बताते हैं कि वे लोग अमुक काम करें। इस प्रकार हमने सहस्रों युवकों को पुलिस में भरती करवाया है। फौज में हमारे कहने से भरती होने वालों की संख्या तो तीस सहस्र से अधिक हो गई है।”

धीरेन्द्र की यह रिपोर्ट थी जिसको सुनने के पश्चात् उपस्थित सज्जनों ने शंका-समाधान आरम्भ कर दिया। एक ने पूछा, “कितना रुपया मासिक व्यय होता है?”

“कोई निश्चित राशि नहीं। हाँ, पिछले तीन मास में पाँच लाख के लगभग व्यय हुआ है, इसमें से अधिकतर विदेश में गए हुए लोगों के परिवारों के पालन-पोषण का खर्च है। विदेशों में प्रायः काम मिल जाता है। कुछ लोगों को वहाँ किसी प्रकार का व्यवसाय करने का अवकाश नहीं है। उन लोगों को भी हम यहाँ से खर्च भेजते हैं।”

“पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति पर कितना धन व्यय होगा?”

“यह तो अभी नहीं बताया जा सकता। हाँ चालू खर्च शीघ्र ही एक करोड़

वार्षिक हो जाने की सम्भावना है।”

एक और ने पूछा, “शंकर पण्डित ने विदेशों को जाने के लिए गुप्त मार्ग पाने की जो सम्भावना बताई है वह क्या है? क्या कोई विशेष बात का पता मिला है?”

“हाँ”, धीरेन्द्र का उत्तर था, “शंकर पण्डित को एक विश्वस्त सूत्र से विदित हुआ है कि पाटन से, जो नेपाल की प्राचीन राजधानी थी, तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक एक ऐसा मार्ग है जो बारहमास खुला रह सकता है। किसी काल में यह मार्ग चालू था, परन्तु भारत से और नेपाल से बौद्धों का राज्य मिट जाने से तिब्बत राज्य ने यह मार्ग बन्द करवा दिया था। शंकर पण्डित ने इस विषय में साहित्य की खोज करवाई है और उन्हें एक पुस्तक मिल गई है जिसमें इस मार्ग का सविस्तार वर्णन है।”

एक ने पूछा, “स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए यदि अस्त्र-शस्त्र प्राप्त नहीं हो सकते तो महात्मा गांधी की नीति के अनुसार शान्तिमय उपायों का प्रयोग क्यों न किया जाय?”

“शान्तिमय उपायों को हम युक्ति का नाम देते हैं और हम स्वराज्य-प्राप्ति के लिए युक्ति, बल अथवा छल, जिसकी भी आवश्यकता हो, प्रयोग में लाने का विचार करते हैं। एक बात जो कांग्रेस ने नहीं समझी और जो हम भली-भाँति विश्वास से मानते हैं वह है अपने बलशाली बनने की। युक्ति अर्थात् शान्तिमय उपायों की सफलता की आशा भी तब ही हो सकती है जब सदस्य और संस्था बलशाली हों। निर्बलों की युक्ति प्रभावहीन होती है। बल में शारीरिक बल, धन और साधन तीनों ही मानने चाहिए। केवल जनसंख्या अधिक हो जाने से बल नहीं आता।”

एक ने पूछा, “मुसलमानों के विरोध की उपस्थिति में हिंसात्मक उपायों के सफल होने की क्या आशा हो सकती है?”

“बात तो इससे उलटी है। अहिंसात्मक उपायों की सफलता तब ही हो सकती है जब लोग युक्तियुक्त बात को मानने के लिए तैयार हों। तब भी किसी एक श्रेणी का विचार और व्यवहार अयुक्तिसंगत हो जाए तब केवल हिंसात्मक उपाय ही बात को ठीक कर सकते हैं।”

“आधुनिक विज्ञान की उन्नति की ओर ध्यान देते हुए क्या आप भारतवर्ष में बल-प्रयोग से सफलता की आशा करते हैं?”

“यदि शान्तिमय उपायों से स्वराज्य न मिल सके तो फिर दूसरा मार्ग अर्थात् अशान्तिमय उपायों का प्रयोग करना होगा। यदि हम में योग्यता नहीं है तो योग्यता प्राप्त करनी ही होगी। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं देखता जिसे करने के लिए हिन्दुस्तानी असमर्थ हों अथवा सदैव असमर्थ रहेंगे।”

“आप महान् भारत की एकता चाहते हैं। इससे आपका क्या अभिप्राय है?”

“यह बात दूसरे दर्जे पर है। वास्तव में स्वराज्य-प्राप्ति से इस विचार का सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको वह बात बताता हूँ जो मैं स्वप्नों में देखा करता हूँ। भारतवर्ष में संघीय राज्य प्रणाली हो। भारतवर्ष की सीमा खैबर से लेकर चिटगाँव तक और कश्मीर से रामेश्वर तक है! नेपाल-भूटान भारतवर्ष की सीमा में होंगे। विशाल भारत से मेरा मतलब है हिन्दुकुश से लेकर सुमात्रा, जावा तथा फिलीपाइन तक और मँडागास्कर से लेकर बर्मा तक। परन्तु इस विशाल भारत को मैं एक राज्य-सूत्र में नहीं बाँधना चाहता। फिर भी हमारा इन देशों के साथ फौजी समझौता होना परमावश्यक है। जहाँ तक विदेशियों अर्थात् गोरे लोगों का सम्बन्ध है, हम सब मिलकर उनका विरोध करेंगे। ये सब देश मिलकर ही अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार समझौता करेंगे।”

इसके पश्चात् कुछ प्रश्न और पूछे गए और फिर उस दिन का कार्य समाप्त हुआ। नवरत्न-मंडल की बैठक तीन दिन तक रही और इसमें योजना की प्रत्येक बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विनिमय हुआ। इस विचार-विनिमय में नरेन्द्र का मुख्य भाग था। नरेन्द्र का कहना था कि हिन्दुस्तान जैसे देश में एकदम सब स्थानों पर विद्रोह खड़ा नहीं किया जा सकता। हमें विद्रोह के समय अपनी पूर्ण शक्ति एक सीमित इलाके में एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ आवश्यक स्थानों पर भी विद्रोह की तैयारी होनी आवश्यक है। एक समय पर ही इन सब स्थानों पर विद्रोह होना चाहिए और शक्ति के केन्द्रों को अपने हाथ में कर लेना चाहिए। पश्चात् शेष देश को विजय करना होगा।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या के विषय में नरेन्द्र का मत था कि किसी काल में हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य था। उसकी परछाईं मात्र ही अब विद्यमान है। उस समय हिन्दू मुसलमानों के हाथ का छुवा नहीं खाते थे। हिन्दू मुसलमानों से विवाह-सम्बन्ध नहीं करना चाहते थे। साथ ही अन्य मेल-मिलाप के अवसर नहीं थे। परन्तु देश की परिस्थिति वेग से बदल रही है। नगरों में तो हिन्दू-मुसलमानों में भेदभाव प्रायः विलीन हो गया है। गाँवों में भी यह वेग से मिट रहा है। परन्तु हिन्दू-मुस्लिम झगड़े के नाम पर अब राजनीतिक झगड़ा चल रहा है। मुस्लिम लीग राजनीतिक अधिकारों के लिए झगड़ा करती है। मुस्लिम लीग ने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें कुरान पढ़ने की स्वीकृति दी जाय अथवा नमाज पढ़ने के समय दपतर बन्द कर दिये जायें, या इसी प्रकार की सुविधाएँ दी जायें। उनकी माँगें तो राजनीतिक अधिकारों के विषय में हैं। वे अपना एक पृथक् देश चाहते हैं। वे अपने लिए अधिक वोट (सम्मतियाँ) माँगते हैं। वे अपने लिए नौकरियाँ चाहते हैं। इससे मुस्लिम लीग को मजहबी श्रेणी नहीं कहा जा सकता। इसे राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों के पाने के लिए कार्यरत संस्था मानना चाहिए। इस कारण इस संस्था को

मजहूबी संस्था न मानकर राजनीतिक संस्था मानना चाहिए और इसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। राजनीतिक संस्था जो न्याय और युक्तिसंगत व्यवहार तथा विचार नहीं रखती, जो इतनी स्वार्थान्ध है कि केवल अपने ही लाभ की बात सोच सकती है, राजनीति उसकी मति को ठीक करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद के उपाय बताती है। इनका प्रयोग होना चाहिए। परन्तु इन उपायों को प्रयोग में लाने के लिए बल की आवश्यकता है। इस कारण जब तक राष्ट्रीयता के विचार रखने वाले लोग बलशाली नहीं हो जाते तब तक राजनीति के उपाय प्रयोग में नहीं लाये जा सकते। एक बात, जो नरेन्द्र जोर के साथ कहता था, वह यह थी कि यदि कोई चिल्लाकर कहे कि मैं बलशाली हूँ तो उसका विश्वास नहीं किया जाता। बलशाली होने की घोषणा नहीं की जाती, प्रत्युत व्यवहार से और कार्य से यह बात दूसरों के मन पर अंकित की जाती है। अपने अधिकारों की सुचारु रूप से रक्षा कर सकने को बलशाली होना कहते हैं।

: १० :

नरेन्द्र और शंकर पंडित कलकत्ता में नरोत्तम के मेहमान थे। नरोत्तमप्रसाद सेठ एण्ड कम्पनी का जनरल मैनेजर था। इस कम्पनी के आधीन बीसियों कारखाने चल रहे थे और सैकड़ों सरकारी कामों के ठेके थे। बंगाल और आसाम में छावनियों, हवाई अड्डों और फौजी कैम्पों पर कैंपटीनों के प्रायः ठेके सेठ एण्ड कम्पनी के पास थे। इन कैंपटीनों के द्वारा फौजी सिपाहियों से स्वराज्य स्थापन समिति के कार्यकर्ताओं का सम्पर्क होता था और प्रारम्भिक मंडलियाँ घड़ाघड़ बन रही थीं।

सेठ एण्ड कम्पनी के मालिक सेठ कुंजबिहारी थे। सेठ एण्ड कम्पनी के कार्यालयों में कोई ऐसा नौकर नहीं था जो स्वराज्य स्थापन समिति से सम्बन्ध न रखता हो। इस प्रकार क्रान्ति का कार्य अति वेग से चल रहा था।

शंकर पंडित को नरोत्तम और उसकी स्त्री तपस्विनी दादा कहकर संबोधित करते थे। शंकर पंडित के आने पर पहला ही प्रश्न जो तपस्विनी ने किया वह गौरी के सम्बन्ध में था।

“दादा, भाभी को साथ नहीं लाये?”

“वह विकास-कार्य में लगी हुई है।”

“विकास? क्या क्रान्ति-कार्य छोड़ दिया है? कब से?”

“तीन मास हो गए हैं। खाट पर लेटे-लेटे कार्य किया करती है।”

“ओह!” तपस्विनी को विकास-कार्य के अर्थ समझ में आ गए, “दादा, आपकी दशा तो दयनीय होगी। क्रान्तिकारी की स्त्री जब विकास के सिद्धान्त को अपना ले तो दोनों में निभ सकनी कठिन ही है। एक पश्चिम की ओर मुख करता है, तो दूसरा पूर्व की ओर।”

“देखो, बहन तपस्विनी, एक बात तुम भूल रही हो। क्रान्तिकारी और

विकासवादी का मुख एक ही ओर भी हो सकता है। ये शब्द तो गति में अन्तर बताते हैं, लक्ष्य और साधनों में नहीं। और सब से मुख्य बात तो यह है कि क्रान्ति-कारी भी बीच-बीच में विकासवादी बनते रहते हैं। कोई भी क्रान्ति का कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी तैयारी विकास के नियमों के अनुकूल न हो। किसी देश अथवा जाति में विकास तो सदैव चलता रहता है, पर क्रान्ति की तो कभी-कभी ही आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में विकास जब द्रुत-गति से चलता है तो क्रान्ति कहलाता है।”

डाक्टर घोष ने जब गौरी की अवस्था का वर्णन सुना तो कहा, “तो उसे यहाँ लाकर छोड़ जाना चाहिए। वहाँ उसकी कौन देखभाल करेगा ?”

“अजेय के समय भी तो वह वहीं रही थी।”

“और सुना है कि उसे कष्ट भी बहुत हुआ था।”

“परन्तु वह स्वयं कहती है कि शंकरगढ़ में कलकत्ते से अधिक आराम रहेगा।”

इस पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या किसी अन्य स्त्री का गौरी के पास रहना आवश्यक है। इस प्रश्न की महत्ता और भी अधिक हो गई जब यह निश्चिन्त हुआ कि शंकर पंडित शीघ्र से शीघ्र पाटन से लहासा के मार्ग की खोज के लिए जायें। धीरेन्द्र किसी ऐसी स्त्री को वहाँ भेजने के हक में नहीं था जो विश्वस्त और समिति की सदस्या न हो। तपस्विनी, कल्याणी और मिलिन्द सबका नाम बारी-बारी से आया, परन्तु धीरेन्द्र का निर्णय था एक पंजाबी स्त्री। वह कुछ महीनों से डाक्टर घोष के अस्पताल में ‘नर्सिंग और मिडविफरी’ का काम सीख रही थी।

जब सभा समाप्त हुई और शंकर पंडित जाने लगा तो उसे धीरेन्द्र ने बता दिया कि जिस डिब्बे में वह सफर करेगा उसी में एक नर्स रेवतीदेवी भी सफर करेगी। नेपालगंज तक वह इसी प्रकार उसके साथ जायेगी और पश्चात् वह उसे शंकरगढ़ ले जाये। वह गौरी के पास रहेगी।

समिति का यह नियम था कि उसके सदस्य एक स्थान से इकट्ठे जाने पर वे प्रायः रेल के भिन्न-भिन्न डिब्बों में बैठते थे और यदि एक डिब्बे में बैठें तो परस्पर ऐसा व्यवहार रखते थे जैसे परिचित नहीं हैं। शंकर पंडित के लिए और उसके साथ जाने वाली नर्स के लिए एक ही डिब्बे में जगह रिजर्व की गई थी। नरेन्द्र के लिए एक दूसरे डिब्बे में स्थान था और बनारसीदास के लिए, जो उसी गाड़ी से दिल्ली जा रहा था, एक तीसरे डिब्बे में।

नरेन्द्र जब स्टेशन पर आया तो वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नियमानुकूल उसे पंडित से अपना परिचय प्रकट नहीं करना था। गाड़ी के चलते ही वह बिस्तर लगाकर सो गया।

इलाहाबाद स्टेशन पर जब नरेन्द्र गाड़ी बदलने लगा तो उसकी दृष्टि एक

औरत पर पड़ी, जिसे वह पहचानता था। वह अपना संक्षिप्त-सा बिस्तर कुली से उठवाये हुए एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जा रहा था। उस स्त्री को देखते ही उसने पहचान लिया। एक क्षण के लिए वह रुका, परन्तु तुरन्त ही उसे अपने को छिपाये रखने की आवश्यकता स्मरण हो आई और वह मुख दूसरी ओर कर निकल गया। वह औरत मनोरमा थी। नरेन्द्र को भय था कि कहीं अपने पति के साथ हुई तो आफत ही आ जाएगी। अतएव लम्बे-लम्बे पग उठाता हुआ वह छोटी लाइन के प्लेटफार्म पर चला गया। वहाँ जाकर उसने पीछे झाँककर देखा तो मनोरमा उसे उधर ही आती हुई दिखाई दी। नरेन्द्र इससे बहुत घबराया और तुरन्त सैकण्ड बलास के डिब्बे में घुस गया और कुली को बिस्तर वहाँ लाने के लिए कहने लगा। जब मनोरमा उस डिब्बे के सामने से गुजरने लगी तो वह डिब्बे के अन्दर प्लेटफार्म की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। मनोरमा डिब्बे के समीप खड़ी हो गई और कुली से बोली, “बिस्तर इस डिब्बे में रख दो।” नरेन्द्र का हृदय धकधक करने लगा। वह समझा कि आफत आई। इसी समय उसने कुली की आवाज सुनी, “सरकार, साहब आगे बुला रहे हैं।”

मनोरमा एक क्षण तक ठहर आगे चली गई। नरेन्द्र ने भगवान् का लाख-लाख धन्यवाद किया। जब गाड़ी चली तो उसके मन में शान्ति हुई। यद्यपि वह समझता था कि इस समय उसके वारण्ट तैयार नहीं होंगे और वह थोड़ी-सी सावधानी से बच सकता है, फिर भी जब तक नेपालगंज आ नहीं गया, वह डिब्बे से बाहर नहीं निकला और प्रत्येक स्टेशन पर प्लेटफार्म से दूसरी ओर मुख कर लेट जाता था। वह जेल जाने में लाभ नहीं समझता था।

नेपालगंज स्टेशन पर वह प्लेटफार्म की ओर गाड़ी से निकलने की अपेक्षा दूसरी ओर उतर गया। उसके डिब्बे में दूसरी कोई सवारी नहीं थी, नहीं तो उसकी इस कार्रवाही पर सन्देह हो जाता। जब तक मुसाफिर गाड़ी से उतर प्लेटफार्म पर आएँ नरेन्द्र अपना बिस्तर बगल में दबाएँ स्टेशन से बाहर हो गया था। निश्चयानुसार उसे झरने के पीछे पण्डितजी की प्रतीक्षा करनी थी। इस कारण बिना किसी प्रकार समय व्यर्थ खोये वह झरने की ओर चल पड़ा। वह सीधे मार्ग से नहीं गया, प्रत्युत नियत स्थान से इधर ही सड़क के नीचे खेतों में उतर गया और झरने पर जा पहुँचा।

नरेन्द्र को वहाँ एक घण्टे से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह झरने की चट्टान के पीछे बैठ प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे नदी के पानी में छप-छप कर चलने का शब्द सुनाई दिया तो उसने समझा कि पण्डित जी आ गए हैं। नाला लाँघकर ही चट्टान के पीछे जाया जा सकता था। नरेन्द्र कान लगाकर पानी में चलने का शब्द सुन रहा था। अब उसे किसी स्त्री के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने समझा कि यह पण्डित जी नहीं, कोई और लोग हैं। औरत ने कहा था, ‘बहुत

भयानक स्थान है।' इसके उत्तर में पुरुष ने केवल 'हूँ' कहा था। औरत ने फिर कहा, 'आगे मार्ग तो दिखाई नहीं देता।'

नरेन्द्र ने आवांज पहचान ली। यह मनोरमा थी। इस समय नरेन्द्र भयभीत नहीं हुआ। वह समझता था कि वहाँ से उसे पकड़कर ले जाने का साहस किसी में नहीं है। अतः सचेत हो वह चट्टान के कोने की ओर देखने लगा, जहाँ से घूमकर, आने वाले चट्टान के पीछे आ सकते थे। इसमें एक-दो क्षण ही बीते कि शंकर पण्डित मनोरमा का हाथ पकड़े चट्टान के पीछे आ पहुँचा। नरेन्द्र इन दोनों को आता देख अवाक् मुख खड़ा रह गया। शंकर पण्डित जब पानी से बाहर निकला तो नरेन्द्र को, जो अभी तक हैरानी में चुप खड़ा था, कहने लगा, "नरेन्द्र, हमारे आश्रम में यह..." इतना कह शंकर पण्डित मनोरमा की ओर देखने लगा, परन्तु वह पीछे रह गई थी और पानी में ही खड़ी थी। वह नरेन्द्र को किनारे पर खड़ा देख हैरान हो रही थी। नरेन्द्र भी पण्डित की ओर न देख मनोरमा की ओर देख रहा था। शंकर पण्डित दोनों को विस्मय में एक-दूसरे की ओर देखते देख हँस पड़ा। पहले मनोरमा सँभली और वह जल्दी-जल्दी पानी से बाहर आकर हाथ जोड़ नरेन्द्र को नमस्ते कह पूछने लगी, "आप यहाँ...?"

नरेन्द्र प्रश्नभरी दृष्टि में शंकर पण्डित की ओर देखने लगा। पण्डित ने बताया "गुरुजी ने गौरी के पास रहने के लिए भेजा है, परन्तु आप तो एक-दूसरे को पहले ही जानते प्रतीत होते हैं।"

नरेन्द्र ने कहा, "मनोरमा, इसका अभिप्राय मैं नहीं समझा।"

मनोरमा ने मुस्कराते हुए कहा, "मनोरमा मर गई है। यह तो आपके सम्मुख रेवती खड़ी है।"

शंकर पण्डित ने कहा, "नरेन्द्र भैया, चलना चाहिए; मंजिल लम्बी है और स्त्री का साथ है।"

नरेन्द्र बिना कुछ और पूछे आगे चल पड़ा। उसके पीछे रेवती थी और अन्त में शंकर पण्डित। नरेन्द्र अभी दस-पन्द्रह पग ही गया था कि रेवती ने कहा, "मैं बन्दर तो हूँ नहीं, जो इस दीवार जैसी सीधी चट्टान पर चढ़ सकूँ।" नरेन्द्र ने घूमकर देखा। रेवती लगभग पेट के बल भूमि पर लेटी हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऊपर चढ़ने के प्रत्येक यत्न पर वह नीचे की ओर खिसक रही थी। शंकर चढ़ाई में बहुत ही सिद्ध-हस्त था, परन्तु वह अभी तक चट्टान के नीचे ही खड़ा देख रहा था और रेवती फिसलकर नीचे की ओर आ रही थी। रेवती ने अपने नीचे खिसकने को रोकने के लिए हाथ पसारा तो वह एकदम लुढ़ककर भूमि पर शंकर पण्डित के समीप आ खड़ी हुई। वह लज्जित हो कभी नरेन्द्र और कभी शंकर पण्डित का मुख देखने लगी। शंकर पण्डित ने हँसते हुए कहा, "रेवती देवी, यदि इसी प्रकार चलते गए तो शीघ्र ही स्टेशन पर वापस पहुँच जाएँगे।"

“तो क्या कहूँ ? मेरे पाँव में गोंद तो लगी नहीं जो दीवार के साथ चिपक जाँएँ।”

नरेन्द्र भी नीचे उतर आया। शंकर ने हँसना बन्द कर कहा, “ये पहले बीस गज कठिन हैं। आगे फिर इतना ढलान नहीं है।”

“भुल्लसे यह नहीं चढ़ा जाएगा। आप जाइए। मैं कलकते लौट जाती हूँ।”

“घबराओ नहीं। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गौरी को कई बार ऐसे ही लेकर गया हूँ।”

रेवती पण्डित को इतना कष्ट नहीं देना चाहती थी। बोली, “नहीं, मैं घोड़े की सवारी करने से डरती हूँ। मैंने पहले कभी नहीं की।”

नरेन्द्र ने एक और तरकीब निकाली। उसने अपना बिस्तर खोल दिया और उसमें से चादर निकाल एक सिरा अपनी कमर से बाँध लिया और दूसरा रेवती को दिखाकर बोला, “तुम इसे पकड़कर मेरे पीछे चली आओ।”

रेवती को यह सुगम प्रतीत हुआ। उसने कहा, “यत्न करती हूँ।”

शंकर पण्डित ने इस योजना में सुधार प्रस्तुत कर दिया। वह बोला, “नहीं, चादर का दूसरा सिरा रेवती देवी अपनी कमर में बाँध लें। कहीं हाथ से चादर निकल गई तो बस फिर सफाई है।”

यह विधि स्वीकार हुई। बिस्तर में एक और चादर थी। वह भी निकाल ली गई। इसका एक सिरा रेवती देवी ने अपनी कमर से बाँध लिया और दूसरा सिरा नरेन्द्र की कमर से बाँधी चादर के खुले सिरे से बाँध दिया। नरेन्द्र के बिस्तर में शेष एक तकिया और दरी रह गई थी। वे शंकर पण्डित ने लेकर बगल में दबा लिये।

शंकर पण्डित और रेवती अपना सामान नेपालगंज में मिस्टर घोष की दूकान पर छोड़ आए थे। इस कारण हाथ खाली थे। वास्तव में नरेन्द्र को भी अपना बिस्तर वहीं छोड़ आना चाहिए था, परन्तु मनोरमा को देख वह तो डरकर भाग आया था। इस समय वह बिस्तर काम आया।

नरेन्द्र ने चट्टान पर चढ़ना आरम्भ कर दिया। रेवती ने भी चढ़ने का यत्न किया। परन्तु वास्तव में वह नरेन्द्र द्वारा चट्टान पर घसीटी जा रही थी। नरेन्द्र ‘जैमनास्ट’ था और बहुत ताकतवर था। उसे रेवती का बोझा कुछ अधिक प्रतीत नहीं हुआ और फिर पीछे शंकर पण्डित आश्रय देता जाता था।

तीनों, ज्यों-त्यों कर, पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे। नरेन्द्र कुछ अधिक थक गया था। शंकर पण्डित ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ बादाम और पिस्ता निकाला और तीनों बाँटकर खाने लगे।

रेवती थककर चूर हो गई थी। वह भी बैठकर सुस्ताने लगी। कुछ देर आराम कर नरेन्द्र उठकर आगे चलने को तैयार हो गया। शंकर पण्डित ने कहा, “अब इस गाँठ को तो खोल लो।”

“तो बस ?” रेवती ने पूछा । उसका आशय था कि और आगे चढ़ाई नहीं है ? शंकर पण्डित ने मुस्कराते हुए कहा, “तो क्या जन्म-भर की गाँठ है यह ?”

नरेन्द्र हँस पड़ा । रेवती का मुख तबि की भाँति लाल हो गया । वह काँपते हुए हाथों से गाँठ खोलते हुए बोली, “न, बाबा, यह भी भला कोई बात है ।”

गाँठ खुल नहीं रही थी । वह भिन्न गई थी । शंकर पण्डित ने कहा, “क्यों जबरदस्ती करती हो ?”

रेवती हताश हो गई और गाँठ खोलने का यत्न छोड़कर बैठ गई । परन्तु नरेन्द्र ने चादर को अपनी कमर से खोलकर कहा, “लो, बाबा, हम तो छूट गए हैं ।”

“इससे क्या होता है ?” शंकर पण्डित ने कहा, “इन्हें भी तो स्वतन्त्र करते जाओ ।”

नरेन्द्र ने रेवती की कमर से चादर खोलनी आरम्भ कर दी । रेवती अपने मन में नरेन्द्र से विवाह की चर्चा और फिर नन्दलाल से विवाह की बात स्मरण कर अधीर हो उठी थी । चादर खोलते समय नरेन्द्र ने उसकी सजल आँखों को देख घीरे से कहा, “मनोरमा, क्या है ?”

“कुछ नहीं । केवल मन की दुर्बलता थी,” रेवती ने उत्तर दिया ।

चादर खुल गई और सब लोग आगे चल पड़े ।

: ११ :

नरेन्द्र मनोरमा के वहाँ आने का वृत्तांत जानने के लिए व्याकुल हो रहा था । वह स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकता था कि वह उनकी समिति की सदस्या है । साथ ही उसे सन्देह हो रहा था कि कहीं उसके पिता ने उसे जासूस बनाकर न भेजा हो । उसे उस दिन की बात याद आ रही थी जब अन्तिम बार मनोरमा उससे लाला हरवंशलाल की कोठी में मिली थी । उसने बहुत दावे से कहा था कि उसका उससे विवाह का विचार नहीं है । शायद उस समय भी वह उस पर जासूसी करती थी और अब तो उसका विवाह एक पुलिस-अफसर से हो चुका है । एक-दो बार जब वह कमला से मिला था, तब तक मनोरमा घर से भागी नहीं थी और कमला ने उससे कभी नहीं कहा था कि मनोरमा अपने विवाह से असन्तुष्ट है । विनय के थाने में पीटे जाने के पश्चात् वह देहली नहीं गया था और उसे वहाँ की परिस्थिति का ज्ञान नहीं था ।

अतएव घर पहुँचते ही नरेन्द्र ने शंकर पण्डित को पृथक् ले जाकर पूछा, “यह आपको कहाँ मिल गई है ?”

“इसको गुरुजी ने यहाँ भेजा है ।”

“आप इसका पूर्व इतिहास जानते हैं ?”

“मैं नहीं जानता । यह मेरा काम भी नहीं है । गुरुजी ने अवश्य जाँच-पड़ताल

करके भेजा होगा।”

“यह दिल्ली के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस की लड़की है और एक इन्सपेक्टर पुलिस की स्त्री है। मुझे सन्देह है कि एक समय यह मुझ पर जासूसी करती थी।”

शंकर पण्डित गम्भीर विचार में पड़ गया। बहुत काल तक दोनों अपने-अपने विचार में लीन रहे। अन्त में पण्डित ने कहा, “यह बहुत अच्छा हुआ है कि आपने मुझे इसका पूर्व परिचय दे दिया है। मैं गुरुजी को लिखूंगा। यों तो उन पर मुझे पूर्ण भरोसा है। फिर भी प्रत्येक बात हम उनको बता देना अपना कर्तव्य समझते हैं। जब तक ठीक-ठीक निश्चय न हो जाए इसे यहाँ की बातों की जानकारी नहीं करानी चाहिए। मैं गौरी को भी सचेत कर दूँगा।”

गौरी एक और स्त्री को अपना साथी पा अति प्रसन्न हुई। ये लोग सायंकाल घर पहुँचे थे और बहुत थके हुए थे। उस दिन खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन गौरी और रेवती जब बातें करने लगीं तो घण्टों ही बातें करती रही। रेवती ने अपना पूर्ण परिचय दिया। उसने अपने विचारों में परिवर्तन और इस परिवर्तन कराने में नरेन्द्र का भाग भी बताया। उसने अपने स्वराज्य-संस्थापन-समिति में सम्मिलित होने की कथा भी सुनाई। अन्त में उसने कलकत्ते से यहाँ भेजे जाने की बात बताते हुए कहा, “मुझे नहीं मालूम था कि नरेन्द्रजी यहाँ रहते हैं। जब मैंने शरणों की चट्टान के पीछे उनको खड़े देखा तो मेरे मस्तिष्क में चक्कर आने लगा। मैं समझी कि स्वप्न देख रही हूँ, अथवा मेरा मन हिल गया है। परन्तु पण्डितजी को अपनी ओर देखते हुए देख मुझे सुध हो आई और मैं आगे बढ़ी।”

“मिलिन्द और कल्याणी मिली थीं?”

“डॉक्टर साहब की लड़कियाँ? हाँ, दोनों का विवाह हो गया है।”

“कब?”

“दो मास के लगभग हुए हैं। मैं कलकत्ते में ही थी। मिलिन्द के पति वकील हैं और कल्याणी के डॉक्टर। दोनों बहुत प्रसन्न प्रतीत होती हैं।”

नरेन्द्र, रेवती से एकान्त में मिलने में संकोच करता था। वह सदैव ऐसे ढंग से रहता था कि वह कभी भी रेवती से एकान्त में न मिल पाए। पण्डित और गौरी दोनों में से कोई-न-कोई वहाँ अवश्य होता था। इस प्रकार पिछली बातें करने का अवसर ही नहीं होता था। लगभग एक मास इस प्रकार निकल गया। गौरी नरेन्द्र के इस व्यवहार को देख रही थी। वह इसका कारण भी जानती थी, परन्तु जब गुरुजी के पत्र से रेवती के विषय में सब संशय दूर हो गए तो उसने दोनों को मिल कर मनोमालिन्य दूर करने का अवसर पैदा कर दिया।

: १२ :

नरेन्द्र, रेवती के आने से पूर्व, नदी के किनारे घूमने जाया करता था। और

अब रेवती और गौरी नदी की ओर जाती थीं, इस कारण नरेन्द्र जंगल की ओर चला जाता था। इस प्रकार वह रेवती को घर से बाहर कभी नहीं मिलता था। घर में वह संस्था के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे बातचीत करने की फुरसत ही नहीं थी।

एक दिन मध्याह्न पश्चात् नरेन्द्र जंगल में घूमने चला तो रेवती भी जाने को तैयार खड़ी थी। गौरी आज घूमने नहीं जा रही थी। नरेन्द्र ने पूछा, “किधर जाएँगी आप?”

“नदी की ओर चलेंगे।”

“मैं तो जंगल की ओर जा रहा हूँ।”

“उधर जाने में कुछ आनन्द नहीं आता।”

“मुझे उधर अधिक आनन्द आता है।”

“अच्छी बात है, मैं भी उधर ही चली चलूँगी।”

“तो क्या आप मेरे साथ चल रही हैं?”

“और क्या। गौरी बहन आज नहीं जा रही।”

नरेन्द्र कुछ विचार में पड़ गया। कुछ काल तक सोचकर बोला, “गौरी बहन बीमार हैं तो क्या अच्छा न होगा कि हम भी न जाएँ और उनके पास बैठें।”

“उन्होंने ही तो कहा है कि आपके साथ चली जाऊँ।”

“अब मैंने तो जाने का विचार छोड़ दिया है।”

“क्या मैं साथ जा रही हूँ इसलिए?”

“देखो, रेवती देवी, जहाँ तक संस्था का प्रश्न है मैं आपसे पूर्ण सहयोग करने के लिए सदैव तैयार हूँ, परन्तु अपनी निजी बातों में यदि हम सर्वथा पृथक्-पृथक् रहें तो ठीक रहेगा।”

“ऐसा क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ।”

“मैं अपने भावों का कारण न तो जानता हूँ और न बता ही सकता हूँ।”

“दूसरे शब्दों में आपके कहने का अर्थ मैं यह समझूँ कि आप मुझसे घृणा करते हैं और इसका कारण या तो जानते नहीं या बताना नहीं चाहते।”

“घृणा? सो तो मैंने नहीं कहा। मेरे मन में आपके लिए घृणा का भाव तो नहीं है।”

इस समय गौरी कमरे से बाहर आ गई थी। वे दोनों बातचीत कर रहे थे। उसने दोनों की ओर देखकर कहा, “भैया, क्या तकरार हो रही है?”

इसका उत्तर रेवती ने दिया, “आप मुझसे घृणा करते हैं, इस कारण मुझसे दूर रहना चाहते हैं।”

“मैंने यह नहीं कहा,” नरेन्द्र ने कुछ लज्जित हो कहा।

“परन्तु आपके कहने का अर्थ तो यही निकलता है,” रेवती का उत्तर था।

“कैसी बच्चों की-सी बातें करते हो,” गौरी ने कहा, “नरेन्द्र भैया, क्या बात है?”

“बहन, मेरे मन में कुछ बात है जो मैं स्वयं नहीं समझ सकता। रेवती देवी मेरे साथ जंगल में घूमने जाना चाहती थीं। मुझे यह कुछ अस्वाभाविक प्रतीत हुआ। पर क्यों, यह मैं नहीं जानता। यही मैंने कहा है। ये इसका अर्थ लगाती है कि मैं इनसे घृणा करता हूँ।”

गौरी ने नरेन्द्र की आँखों में देखते हुए कहा, “सो तो मैं भी देख रही हूँ। आप के मन में रेवती के विषय में कुछ बात है अवश्य। नरेन्द्र भैया, एक ही घर में रहते हुए यह व्यवहार ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप परस्पर मिलकर स्वयं ही इस उलझन को सुलझा सकते हैं। इसमें आपको परस्पर मिलने और बातचीत करने से दूर नहीं हटना चाहिए।”

नरेन्द्र ने पूछा, “बहन, मैं क्या करूँ? आप ही बता दें न?”

“एक-दूसरे को जानने का यत्न करो। यह तनातनी ठीक नहीं है। यदि यही बात रही तो आपको या रेवती देवी को दोनों में से किसी एक को वापस बुलाने के लिए गुरुजी को लिखना पड़ेगा।”

“क्या मेरा व्यवहार इतना कठोर है?” नरेन्द्र ने द्रवित हो पूछा।

“नहीं तो और क्या है? मनुष्य अपने समीप रहने वालों से मेल-जोल रखना चाहते हैं। मैंने आपमें इसी का अभाव देखा है। यदि आपके मन में इनके लिए कोई गाँठ पड़ गई है जो खुल नहीं सकती, तो आप दोनों के लिए पृथक्-पृथक् हो जाना ही ठीक है।”

नरेन्द्र इस समय रेवती का गौरी के समीप होना आवश्यक समझता था। गौरी चौथे मास में जा रही थी। शंकर पण्डित हिमालय पार कर चीन और तिब्बत में जाना चाहता था। वहाँ से वह शायद एक-दो वर्ष तक न लौट सके। ऐसी परिस्थिति में किसी एक स्त्री का गौरी के समीप रहना ही ठीक था। रेवती को गुरुजी ने इस प्रयोजन के लिए भेजा था। इसमें किसी प्रकार का विघ्न डालना उचित न समझ नरेन्द्र ने मन में तुरन्त निश्चय कर लिया कि, चाहे बाहर से ही हो, रेवती से झगड़े की झलक तक भी गौरी के सम्मुख नहीं आने देगा। उसने कहा, “बहन, मैं समझता हूँ कि यह मेरी भूल है। वास्तव में मेरे मन में इनके विपरीत कोई बात नहीं और कोई कारण नहीं कि इनसे मेलजोल न रखूँ। मुझे क्षमा करिएगा। रेवती देवी, आइए चलें और एक-दूसरे को समझने का यत्न करें।”

“हाँ,” गौरी ने कहा, “और यदि आप दोनों हिलमिल कर रह नहीं सकते तो दो मिट्टी के ढंलों के समान समीप-समीप खड़े रहने से क्या लाभ?”

नरेन्द्र ने गौरी को उत्तर न दे रेवती को कहा, “चलो न। अब भूल के लिए क्षमा कर दो।”

: १३ :

रेवती चल पड़ी। नरेन्द्र आज जंगल की ओर जाने के बजाय नदी की ओर चल पड़ा। जंगल में तो रेवती से छिपने के लिए ही जाता था। जब दोनों घर से बाहर निकल आए तो रेवती ने बात आरम्भ करते हुए कहा, “आप गौरी बहन से बहुत स्नेह करते हैं न ?”

“हाँ, आपने ठीक समझा है। मैं उनको अपनी बड़ी बहन कहिए, अथवा माँ कहिए, के तुल्य समझता हूँ। मैं इनकी बात टाल नहीं सकता। आप शायद जानती नहीं कि अपने सिद्धान्तों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है इन्होंने।”

“गौरी बहन की आप-बीती मैं नहीं जानती। पर, मैं और कई लोगों के विषय में जानती हूँ और उन्होंने भी देश के लिए भारी त्याग किया है। यदि मैं आपकी माता का ही उदाहरण उपस्थित करूँ तो क्या उपयुक्त नहीं होगा। मैं उस माँ पर बलिहारी हूँ, जिसने अपने हृदय के अंश को, जीवन-भर मेहनत कर, पालन-पोषण कर, देश पर बलिदान होने के लिए तैयार किया है। अपने पति के लिए स्त्रियाँ बहन-भाई तथा माता-पिता को छोड़ती तो देखी गई हैं, पर देश के लिए अपने पुत्र को जलती आग में डालती बिरली माँ ही देखी गई हैं।”

“कुछ भी हो, गौरी बहन में मुझे वही आत्मत्याग की झलक दिखाई देती है जो मैं अपनी माँ में देखा करता था।”

“और इसीलिए आप मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं ?”

“मैं समझता हूँ कि इसको यदि मैं इस प्रकार कहूँ तो अधिक ठीक होगा। मैं भूल कर रहा था। गौरी बहन ने मुझे मार्ग सुझा दिया है। और चूँकि मेरी श्रद्धा उनमें बहुत है, इस कारण मैं अपनी भूल समझने और सुधारने के लिए तुरन्त तैयार हो गया हूँ।”

रेवती नरेन्द्र के अपनी भूल मान जाने से संतुष्ट थी। इस समय वे नदी के किनारे पर पहुँच गए थे। अति सुन्दर दृश्य था। नदी के पार से ही ऊँचे-ऊँचे पहाड़ आकाश को छूने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतीत होते थे। पहाड़ों की चोटियों पर अभी भी कहीं-कहीं बरफ दिखाई देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि नीलवर्ण आकाश पर श्वेत बादलों की बिछी चादर इन गगन-भेदी चोटियों से अटककर फट गई है और चिथड़े हो गई है और उन चिथड़ों में से कुछ चोटियों से उलझे रह गए हैं। नीचे नील वर्ण, विल्लीर की भाँति साफ जल पत्थरों से ठोकरें मारता वेग से बहता जाता था।

किनारे पर दो सपाट पत्थरों पर बैठ, ये दोनों प्रकृति के इस सौन्दर्य को आँखों द्वारा पी रहे प्रतीत होते थे। उनके चुपचाप इस दृश्य को देखते रहने से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उनकी तृप्ति नहीं हो रही। रेवती कभी-कभी नरेन्द्र के मुख पर भी देख रही थी। नरेन्द्र को पहले तो यह विदित नहीं हुआ,

परन्तु जब उसे इस बात का पता चला तो उसे कुछ संकोच अनुभव हुआ। अब उसने भी रेवती की ओर देखा। जब दोनों की आँखें मिलीं तो लज्जा से रेवती की आँखें नीचे झुक गईं और उसके गालों पर लज्जा की सुर्खी स्पष्ट दिखाई देने लगी। नरेन्द्र ने इसका कारण जानने के लिए पूछा, “क्या है, रेवती? तुम प्रकृति के उस अनुपम सौन्दर्य को देखना छोड़ एक सीधे-सादे मनुष्य के मुख को देखने लगी हो और वह भी चोरी-चोरी।”

रेवती ने नदी के वेग से बहते जल की ओर देखते हुए कहा, “बात यह है कि मुझे आप भी प्रकृति का एक अंश ही प्रतीत होते हैं। वही सौन्दर्य आपके मुख पर भी दिखाई दे रहा था। मैं यह जानने का यत्न कर रही थी कि आपके मुख पर सौन्दर्य वास्तविक है अथवा दर्पण में केवल प्रतिबिम्ब-मात्र।”

“तो क्या समझ में आया?” नरेन्द्र ने कौतुहलपूर्वक पूछा।

“अभी भली-भाँति समझ नहीं पाई थी कि आपने मना कर दिया है।”

“मैंने? नहीं तो। मैंने कब मना किया है?”

“किया तो है। तभी तो मुझे विवश हो नदी की ओर दृष्टि झुकानी पड़ी है?” इतना कह रेवती हँस पड़ी।

“तो बहुत अपराध हुआ है?” यह कह नरेन्द्र भी हँसने लगा।

अब फिर कुछ काल तक दोनों अपने-अपने विचारों में मग्न हो गए। एकाएक रेवती ने गम्भीर हो कहा, “जब से मैं यहाँ आई हूँ, आपके मुख पर वह शोभा कभी दिखाई नहीं दी थी, जो मैंने आज देखी है। इसी से सन्देह हो गया था कि यह केवल प्रतिबिम्ब-मात्र है।”

नरेन्द्र ने नदी से आँखें फेरकर रेवती की ओर देखते हुए कहा, “आज की शोभा वास्तव में प्रतिबिम्ब-मात्र ही है। परन्तु यह प्रतिबिम्ब इस नदी के दृश्य का नहीं है, प्रत्युत मेरे मन की वास्तविक अवस्था का है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ।”

“सत्य? भला क्यों? आपको तो मेरे साथ आने के लिए विवश किया गया है।”

“इसे विवशता नहीं कहते, रेवती। इसे भ्रमरहित होना कहते हैं। जब गौरी बहन कहती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ मेल-जोल बढ़ाना चाहिए, तो इससे मेरे मन के शंकाओं के बादल छिन्न-भिन्न हो गए हैं। मुझे तुमभर सन्देह था, परन्तु गौरी बहन ने समाधान कर लिया होगा तभी मुझे यह आदेश दिया है।”

“क्या सन्देह था आपको मुझ पर?”

“कि तुम मुझ पर जासूसी करने यहाँ आई हो।”

रेवती के मुख से निकल गया, “लाल भुजबकड़।”

नरेन्द्र गम्भीर हो गया था और बोला, “मेरा तुमसे परिचय ऐसे ढंग से आरम्भ हुआ था और फिर एकाएक ऐसे ढंग से बंद हुआ था कि मेरे मन में यह

सन्देह तब ही उत्पन्न हो गया था। पश्चात् पुलिस का मेरी पुस्तक को जब्त करना और मेरे वारण्ट निकालना और इन सब बातों में तुम्हारे पिता का पूरे बल से यत्न करना, ये सब बातें मेरे संदेह को पुष्ट करने वाली सिद्ध हुईं। तुम्हारा मेरे साथ बैठकर महीनों देश को स्वतन्त्र करने की योजनाएँ बनाना और फिर एक पुलिस-अफसर से विवाह कर आनन्दमय जीवन व्यतीत करना यह सिद्ध करता था कि तुम सब कुछ कर सकती हो। मेरा पता ढूँढ़कर तुम्हारा यहाँ चले आना तो सन्देह को विश्वास में बदलने वाला सिद्ध हुआ। गौरी बहन और पंडित जी को मैंने अपना सन्देह बता दिया था और मैं नहीं जानता कि किस प्रकार उन्होंने अपने सन्देह का निवारण कर लिया है, जो मेरे साथ तुम्हें भेजने पर राजी हो गई हैं।”

रेवती देवी इस वर्णन से क्रुद्ध नहीं हुईं। कारण यह था कि गौरी उसे सब कुछ बता चुकी थी। गौरी ने कहा था कि जहाँ तक संस्था का सम्बन्ध है, वे रेवती को पूर्णरूप में विश्वस्त समझते हैं, परन्तु जहाँ तक नरेन्द्र और रेवती की निज की बातें हैं, वे स्वयं निवृत्त हैं। इसी कारण उसने आज दोनों को मेलजोल का अवसर दिया। रेवती ने मुस्कराते हुए कहा, “आपका सन्देह मिथ्या था और पंडित जी तथा गौरी बहन ने जाँच कर ली है। आप लाला बनारसीदास, कमला के ससुर, को तो जानते हैं न। उन्होंने मुझे इस समिति से परिचित कराया है।”

“बनारसीदास जी ने? परन्तु उन्होंने मुझे तो बताया नहीं। ठीक है, बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। उनको मालूम नहीं कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ।”

रेवती ने अपने घर से भागने का वृत्तांत सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर नरेन्द्र चकित रह गया। वह रेवती से इतनी आशा नहीं करता था। नवरत्न-मंडल की एक बैठक में धीरेन्द्र ने एक लड़की के पुलिस वालों से भगा लाने की कथा बताई थी। उसमें उसने नाम नहीं बताया था। अब वह सब बात नरेन्द्र के सम्मुख स्पष्ट हो गई। रेवती ने अन्त में कहा, “गौरी बहन का विचार है कि इस जासूसी की बात के अतिरिक्त भी मेरे विषय में आपके मन में कुछ है। मैं उसको जानने के लिए उत्सुक थी और उसके लिए ही गौरी बहन ने मुझे आपके साथ भेजा है। उनका विचार है कि हृदय की बातें घर के सीमित स्थान पर ठीक प्रकार से निश्चित नहीं की जा सकतीं। बाहर, ऐसे विशाल, प्रकृति की शोभा से भरपूर स्थान पर ही मन छोटी-मोटी संकुचित बातों से ऊपर उठ उदारता की ओर जा सकता है।”

नरेन्द्र उस दिन की घटना पर, जब मनोरमा ने कहा था कि वह उससे विवाह करने का विचार नहीं रखती, विचार कर रहा था। वह सोचता था कि उसने स्वयं ही मनोरमा को ऐसा कहने पर विवश किया था। आज सत्य ही वह अपने को बहुत छोटा अनुभव कर रहा था। उसने कहा, “मुझसे भारी भूल हो गई थी।”

“किस बात में?”

“तुम्हें यह कहने में कि तुम मुझे विवाह-बन्धन में फँसाने आती हो। आज मैं देखता हूँ कि मेरा यह कहना तुम्हारा अपमान करना था और उस अपमान से सट-पटाकर ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे विवाह करना नहीं चाहती। वास्तव में तुम्हारा यह अभिप्राय नहीं था। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा ?”

“हाँ, आपका कहना ठीक है; परन्तु जो कुछ होना था सो तो होकर ही रहा। वास्तव में मेरा विवाह भूल थी और मुझे इसकी चेतावनी भी थी। उस समय तो मैं इसे हँसी समझती थी, परन्तु अब जब उस पर विचार करती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपने आप ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। बात यों हुई कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो पिताजी के घर नेपाल राज्य का एक ज्योतिषी आकर ठहरा था। सबने अपने-अपने विषय में प्रश्न पूछे। पिताजी के मित्रों ने तो ज्योतिषी को ऐसे घेर रखा था जैसे गुड़ को मक्खियाँ। प्रायः सब ज्योतिषी की प्रशंसा करते थे। मुझे वे सब मूर्ख प्रतीत होते थे। मैं ज्योतिषी से अपने विषय में कोई भी बात पूछने के लिए राजी नहीं हुई। इस प्रकार ज्योतिषी लगभग एक मास तक हमारे घर में रहा, परन्तु मैंने उससे कभी कुछ नहीं पूछा। उसके जाने का दिन आ गया। ज्योतिषी सामान ताँगे में रखवाकर भीतर माताजी को नमस्ते कहने आया। मैं उस समय माताजी के पास खड़ी थी। ज्योतिषी ने माताजी को नमस्ते कही और पश्चात् मुझे नमस्ते कही। मैंने इच्छा न रहते भी शिष्टाचार के नाते नमस्ते कह दी। नमस्ते करते समय मैंने हाथ जोड़कर उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर बहुत ध्यान से देख रहा था। इस प्रकार दो-तीन क्षण से अधिक वह नहीं देख सका होगा क्योंकि मेरे उमकी ओर देखते ही उमने अपनी दृष्टि मेरी ओर से फेरकर माताजी की ओर कर ली। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी दृष्टि में असन्तोष था। पुनः माताजी को नमस्ते कह, गर्दन झुकाये वह बाहर की ओर घूम पड़ा। अभी वह दरवाजे तक नहीं पहुँचा था कि घूमकर, वहीं खड़े-खड़े, माताजी से पूछने लगा, ‘माताजी, यह आपकी क्या है?’

“मुझे उसके इस प्रश्न पर क्रोध चढ़ आया और मैं उसे दो-चार सुनाने वाली थी कि माताजी बोल उठीं, ‘तो आप नहीं जानते? यह मेरी लड़की है। मनोरमा नाम है। हमारी एक ही सन्तान है और वह यह है।’

‘आपने इनके विषय में कभी नहीं पूछा।’

‘इसे आपकी विद्या पर विश्वास नहीं है। यह बी० ए० में पढ़ती है।’

“ज्योतिषी हँस पड़ा और घूमकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने और माताजी ने समझा कि चला गया है। मैं माताजी को वहीं छोड़ अपने कमरे में चली गई। पहले तो, ज्योतिषी का मेरी ओर ध्यान से देखना मुझे पसन्द नहीं आया। दूसरे, उसका कहना कि मेरे विषय में उससे पूछा क्यों नहीं गया, मुझे उसकी अशिष्टता प्रतीत हुई। और फिर अंत में उसका माताजी के कहने पर, कि

मुझे उसकी विद्या पर विश्वास नहीं, हँसना मुझे शुद्ध गँवारपन प्रतीत हुआ।

“मेरे अचम्भे और क्रोध का पारावार नहीं रहा जब मेरे लिए मेरे कमरे में नौकर एक बन्द लिफाफा लाया और मेरे पूछने पर, कि किसने दिया है, बोला कि ‘ज्योतिषी जी ने दिया है,’ तो मैं अपने क्रोध को, नौकर सम्मुख होने के कारण, भीतर-ही-भीतर पी गई। केवल घृणा के भाव में मैं बोली, ‘मेज पर रख दो।’

“मैं क्रोध से इतनी उतावली हो रही थी कि चिट्ठी पढ़ने से पहले ज्योतिषी को उसकी असभ्यता पर डाँटने के लिए कमरे से निकल कोठी के बाहर वहाँ जा पहुँची, जहाँ तांगे, मोटरें बगैरा आकर खड़ी होती थीं। मेरा विचार था कि चिट्ठी ज्योतिषी ने कोठी के ड्राइंग-रूम में बैठकर लिखी होगी और वहाँ से जब वह तांगे में बैठने आवेगा तो उसके मुख पर एक चाँटा लगाकर मन की तड़प को ठंडा कर सकूंगी। परन्तु वह तांगे में सवार हो कोठी के बाहर निकल चुका था और तांगा वेग से भागा जा रहा था। मेरा क्रोध मन में ही रह गया और मैं निराश, भीतर अपने कमरे में आ अपने पलंग पर लेट गई। मैं मन में कह रही थी, ‘ये संस्कृत पढ़े लोग कितने असभ्य होते हैं। शिष्टाचार तो इनको छू तक नहीं गया। देखो न, एक युवा लड़की को पत्र लिख दिया है और फिर नौकर के हाथ भेजा है।’

“इस प्रकार के विचारों में मेरे मन में आया कि उसका पत्र पढ़ूँ और यदि कुछ भी अनुचित बात लिखी मिले तो पिताजी से कहकर उसे स्टेशन से पकड़, वापस बुलवा, जूतों से पिटवा दूँ। इस विचार के मन में आते ही मैं पलंग से उठ, मेज पर रखी चिट्ठी को उठा, लिफाफा खोल पढ़ने लगी। लिखा था :—

मन की बात करोगी जो तुम
तब सुख-मुहाग सदा पावोगी।
पर योजना विप घोलोगी
विदीर्ण मन को भटकावेगी।
सजग रहो मनोरमा बेटी
आये हैं घिर बादल काले।
अति निर्दयी, निर्मोही हैं ये
उज्ज्वल भाग मिटाने वाले।
टुक पग मिथ्या हो जाने से
मिट जायेगी भाग्य की रेखा।
विपदा सब पर छा जायेगी
यह तब मस्तक पर है देखा।

“उस समय ज्योतिष विद्या की सच्चाई पर मुझे संदेह था, ज्योतिषी की अशिष्टता पर मुझे क्रोध था और फिर उसे दो-चार खरी न गुना सकने का मुझे क्षोभ था। इस कारण ज्योतिषी के पत्र को फर्श पर फेंक पाँवों से रौंद डाला।

“जब मैं यह कर रही थी तो नौकर ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, ‘छोटी बीबीजी, माताजी बुलाती हैं।’”

“मैं चिट्ठी को वहीं छोड़ बाहर चली आई। पिताजी तथा माताजी सिनेमा देखने जाने के लिए तैयार खड़े थे। मैं उनके साथ चली गई। जब रात को लौटी तो चिट्ठी वहाँ नहीं थी। मैंने समझा कि पाँव की ठोकर से इधर-उधर हो गई होगी।

“इसके लगभग दो वर्ष बाद की बात है। मेरा विवाह हो चुका था और मैं प्रत्येक प्रकार से सुखी थी, कि ज्योतिषी का वह पत्र मेरी एक पुस्तक में पड़ा मिला। यह वहाँ कैसे पहुँच गया, मैं नहीं जानती। केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि नौकर ने बुहारने के समय उठाकर मेरी किताबों की आलमारी में रख दिया होगा और फिर वह उस पुस्तक में बन्द हो गया होगा।

“विवाह के पश्चात् मैं अपनी कुछ पुस्तकें ससुराल ले गई थी। उनमें यह पुस्तक भी थी। जब मुझे ज्योतिषी की भविष्यवाणी पुस्तक में मिली तो मैं खिल-खिलाकर हँस पड़ी। ज्योतिषी की असभ्यता और अज्ञानता पर अब मुझे हँसी आई थी। मैं उसकी भविष्यवाणी को मिथ्या सिद्ध हुआ समझी थी। कई बार मैंने उसे पढ़ा और उसमें कोई छिपा अर्थ न पा ज्योतिष-विद्या के विषय में मेरे अविश्वासी विचार और भी दृढ़ हो गए।

“परन्तु इसके एक मास पश्चात् ही पासा पलटा। मैं अपने पति से आपके और विनय के विषय में झगड़ पड़ी और फिर कमला के पति और ससुर से दुर्व्यवहार की कथा सुन तो घर से भाग खड़ी हुई। अब मैं सोचती हूँ कि ज्योतिषी को मेरे मस्तक पर क्या दिखाई दिया था कि ऐसी सच्ची-सच्ची बात बता गया था।”

नरेन्द्र ने गम्भीर हो पूछा, “परन्तु क्या इन्स्पेक्टर साहब से विवाह करने में तुमने अपने मन के विपरीत किया था?”

“हाँ, उस समय मैं ईर्ष्या और रोष से अंधी हो रही थी।”

“ईर्ष्या और रोष ! किस से ?”

“ईर्ष्या कमला बहन से और रोष आप पर।”

“मुझ पर रोष था ! भला क्यों ?”

“आपने मुझे अपनी उत्कट इच्छा के विपरीत कहने पर विवश किया था।”

“मैंने विवश किया था ?”

“हाँ, आपने यह कहकर कि मैं आपको विवाह के लिए कहने आती हूँ। यदि मैं मान जाती तो मुझे जीवन-भर आपसे लज्जित होना पड़ता। कोई स्त्री अपने मुख से नहीं कह सकती कि वह विवाह के लिए किसी पुरुष के पीछे-पीछे भाग रही है।”

रेवती ने जब अपना हृदय इस प्रकार खोलकर रख दिया तो नरेन्द्र की आँखें

पश्चात्ताप से नीचे झुक गई। इसके पश्चात् कितनी ही देर तक वे वहाँ बैठे रहे, परन्तु अब एक को दूसरे से कुछ कहने के स्थान अपने ही मन में मनन करने को बहुत-कुछ था। अँधेरा होने पर दोनों चुपचाप वापस मकान को लौट आये।

: १४ :

इसके पश्चात् नरेन्द्र का व्यवहार रेवती से और अधिक घनिष्टता का होता गया। रेवती देवी को भी अपनी योग्यता और विचारों को प्रकट करने का अवसर और अधिक मिलने लगा।

नरेन्द्र को यह धुन सवार थी कि क्रान्ति की योजना उसके जीवनकाल में सफलता तक पहुँच जाय। इसी के कारण उसने विवाह करने का विचार छोड़ा हुआ था। परन्तु शंकर पंडित को गौरी से सहायता मिलती देख और उन दोनों की भाँति अपने से रेवती की विचार-साम्यता का विश्वास होने पर, विवाह के विषय में उसके विचार बदल गए थे। परन्तु वह अपने पथ में रेवती का नन्दलाल से विवाह एक ऊँची भीत की भाँति बाधा देख रहा था। मन में कई बार वह इस विषय पर मनन कर चुका था और रेवती की बातों से भी उसे यह विश्वास हो चुका था कि रेवती उससे प्रेम करती है। इस पर भी उसमें रेवती से इस विषय पर बातचीत करने का साहस नहीं होता था।

जब से नरेन्द्र और रेवती एक दूसरे को स्पष्टीकरण दे चुके तब से नरेन्द्र के मन में आनन्द और काम करने में उत्साह बढ़ता जाता था और इसे शंकर पण्डित और गौरी दोनों देख और समझ रहे थे। गौरी अब बाहर नहीं जा सकती थी, इससे नरेन्द्र और रेवती घूमने के समय प्रायः अकेले होते थे। गाँव के लोग भी उनको नदी के किनारे अकेले बैठे घंटों बातें करने देखते थे और इसका उनके मन पर स्वाभाविक प्रभाव ही पड़ता था। वे समझते थे कि नरेन्द्र और रेवती पति-पत्नी हैं।

गौरी और शंकर जानते थे कि दोनों में परस्पर प्रेम है और वे आशा करते थे कि एक दिन वे दोनों उनके सम्मुख आयेंगे और पति-पत्नी के रूप में रहने की सूचना दे देंगे। इतना जानते और समझते हुए भी उन्होंने न तो इनको इस निर्णय पर पहुँचने में सहायता दी और न ही बाधा डाली। वे उनके सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप में परिपक्व होने देना चाहते थे।

एक दिन सायंकाल नित्य प्रति की भाँति नरेन्द्र और रेवती घूमने नदी के किनारे गए हुए थे। अजेय भी उनके साथ था। दोनों किनारे पर बैठे, प्रकृति की शोभा देख, मन ही मन आनन्द अनुभव कर रहे थे। अजेय छोटे-छोटे कंकड़ उठा नदी में फेंक रहा था। सहसा रेवती खिलखिलाकर हँस पड़ी। इससे नरेन्द्र अपने स्वप्न-जगत् से जाग अबम्भे में रेवती की ओर देखने लगा। रेवती अजेय की ओर देख हँस रही थी। नरेन्द्र ने भी अजेय की ओर देखा, परन्तु कुछ विशेष बात न देख

पूछा, “क्या है रेवती ?”

इससे रेवती और भी जोर से हँसने लगी। नरेन्द्र ने फिर पूछा, “आखिर कुछ बताओगी भी या नहीं? अकेले-अकेले हँसने में भला क्या आनन्द है?”

रेवती ने अपनी हँसी को रोकते हुए कहा, “आपको बताने के विचार पर ही तो हँसी आती है। बात यह है कि गाँव की प्रायः सब स्त्रियाँ मुझे आपकी विवाहिता मानती हैं। आज प्रातः जब मैं अजेय को स्नान करा रही थी तो भगवती गौरी को कह रही थी, ‘बीबी जी, बहू के भी बच्चा होने वाला है।’

“गौरी बहन ने कुछ डाँटकर कहा, ‘चुप, पगली-सी।’

“इस पर भगवती ने फिर कहा, ‘नहीं, बीबी जी, विश्वास जानो कि आपके पाँच मास पश्चात् यह प्रसवेंगी।’

“‘भगवती, चुप रहो,’ बहन जी ने डाँटकर कहा। परन्तु भगवती कब मानने वाली थी। वह मुझे सम्बोधन कर कहने लगी, ‘बहू, सौगन्ध है तुम्हें नरेन्द्र बाबू की। सत्य कहना, मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं।’

“मुझे उसे नहीं कह देना चाहिए था, परन्तु उस समय मुझे कुछ ऐसी झेंप आयी कि मैं कुछ कह नहीं सकी। अजेय को नहला चुकी थी और बदन पोंछ रही थी। इससे जब भगवती को मुझे सौगन्ध देकर पूछते देखा तो न जाने इसके मन में क्या आया कि यह मेरे गले से लिपट गया। मैंने भी इसे जोर से गले लगाकर इसका मुख चूम लिया। इससे गौरी बहन हँसने लगी। मुझे विश्वास है कि वह भी यह समझने लगी है कि मेरे बच्चा होगा ही। आज जब हम घूमने के लिए आने लगे थे तो वह कहने लगी कि मुझे बहुत कूदना-फाँदना नहीं चाहिए।”

नरेन्द्र इस बात को सुन हँसने लगा। इनको हँसते देख अजेय भागकर इनके पास चला आया और रेवती से गले मिलने लगा। रेवती ने उसका मुख चूमकर कहा, “अजेय, खेल क्यों छोड़ दिया?”

“मैं भी हँसूँगा।”

रेवती ने उसकी कुक्षियों में गुदगुदी की तो वह हँसता हुआ फिर खेलने चला गया। नरेन्द्र ने रेवती से पूछा, “बहुत प्यारा लगता है तुम्हें?”

“हाँ।”

“तो एक ऐसा ही बच्चा अपना हो जाय तो कैसा रहे?” नरेन्द्र आज अपने मन की बात कहने से रुक नहीं सका। रेवती गम्भीर हो गई और नदी के पार आकाश को देखने लगी। नरेन्द्र बहुत ध्यान से उसका मुख देखते हुए अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। जब कुछ उत्तर नहीं मिला तो पूछने लगा, “क्यों, क्या बात है?”

“यह असम्भव है।”

“असम्भव क्यों है?”

“इस जीवन में यह सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा।”

“उस ज्योतिषी ने बताया था, इसलिए न ? परन्तु उसने यह भी तो बताया है कि ‘मन की बात करोगी जो तुम, तब सुख-सुहाग सदा पावोगी।’ देखो, रेवती, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्या हम इस प्रेम को इसके स्वाभाविक अन्त तक नहीं ले जा सकते ?”

“मुझमें इसके लिए साहस नहीं है।”

“तुम किससे डरती हो ?”

“मैं युक्ति से तो आपको समझा नहीं सकती। हाँ, मेरे संस्कार मुझे पहले पति के जीते जी दूसरे से सहवास करने से मना करते हैं।”

नरेन्द्र ने पूछा, “सहवास मुख्य बात है या प्रेम ?”

“विवाह का सम्बन्ध सहवास से है। प्रेम तो केवल अन्तरात्मा की बात है।”

“क्या सहवास अपने अधिकार की बात नहीं है ?”

“कोई भी अधिकार बिना किसी-न-किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के नहीं रहता। जब भी अधिकार प्राप्त किये जाते हैं तो उनको सीमान्तर में रखने के नियम भी साथ ही बन जाते हैं। प्रकृति और मनुष्य-समाज में ऐसा ही नियम है।”

“परन्तु जो प्रतिबन्ध तुम अपने पर लगा रही हो, क्या वह स्वाभाविक और प्राकृतिक है ?”

“मनुष्य-समाज प्रकृति से ऊपर उठने का यत्न कर रहा है। पशु-पक्षी तो प्रकृति का नियम पालन करते हैं, परन्तु मनुष्य अपने विकास के लिए उन नियमों को पर्याप्त नहीं समझता। उसने कुछ नियम और भी बनाये हैं जिनका पालन करना वह उचित समझता है।”

“हमारी परिस्थिति में तो ये प्रतिबन्ध कठोर अन्याय बन गए हैं।”

“व्यक्तिगत सुविधा को सामूहिक भलाई पर न्योछावर करना ही होता है। समाज की उन्नति से जो लाभ व्यक्ति को पहुँचता है वही लाभ वास्तविक मानना चाहिए। समाज की भलाई की अवज्ञा कर जो व्यक्तिगत भलाई की आयोजना है वह क्षणभंगुर और मिथ्या है।”

“क्या समाज व्यक्तियों से नहीं बना और व्यक्तियों के सुखी होने से क्या समाज सुखी हुआ नहीं माना जाएगा ?”

“जहाँ एक व्यक्ति का सुख समाज के दूसरे अंगों को दुःख पहुँचाने वाला हो अथवा सुख में बाधा डालने वाला हो, वहाँ व्यक्तिगत सुख कैसे समाज का सुख माना जा सकता है ? समाज के नियम ऐसे होने चाहिएँ कि जिनसे अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुँचे। अल्पसंख्यक लोगों को, जिनको उन नियमों से सुख नहीं मिलता, अपना व्यक्तिगत सुख छोड़ना ही होगा।”

नरेन्द्र को आज पता चला था कि रेवती कितनी दृढ़निष्ठा रखने वाली है। वह

यह भी समझता था कि उसकी युक्ति निर्दोष है। इसलिए उसने कहा, “सिद्धान्त रूप में तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ; परन्तु, रेवती, ये सिद्धान्त हमारे विषय में कहाँ लागू होते हैं? हम तो समाज से बाहर बैठे हैं?”

“मैं ऐसा नहीं मानती। हिन्दू समाज में विवाह-सम्बन्ध अटूट है। यहाँ तलाक नहीं होता, अर्थात् विवाह जब हो गया तो पति के जीवन में पुनः दूसरा विवाह नहीं हो सकता। मैं यदि आपसे विवाह कर लूँ तो समाज के इस नियम को तोड़ती हूँ। इस नियम के टूटने से, अर्थात् विवाह-सम्बन्ध विच्छेद हो जाने से, समाज में भारी गड़बड़ मच जाने की सम्भावना है। मैं अपने सुख और आराम के लिए यह नहीं करना चाहती।”

“तो तुम यह समझती हो कि हिन्दू समाज का विवाह का अटूट नियम किसी भी परिस्थिति में हटना बांछनीय नहीं।”

“क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, यह मेरे और आपके निर्णय करने की बात नहीं है। समाज के विद्वान् लोग, स्वतंत्र देश के वातावरण में रहते हुए, जैसा निर्णय करेंगे, हम लोगों को स्वीकार होना चाहिए। इस विषय में हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।”

नरेन्द्र युक्ति से रेवती को समझाना चाहता था, परन्तु सफल नहीं हुआ। वह स्वयं हार गया था। इससे उसकी आँखों में और मुख पर निराशा की मुद्रा बन गई। रेवती उसे नहीं देख रही थी। इस सब वार्तालाप के समय उसकी आँखें नदी के बहते पानी की ओर लग रही थीं।

नरेन्द्र ने लम्बी साँस खींचकर कहा, “तो रेवती देवी, आशा करने को कोई स्थान नहीं है?”

“मैं तो समझती हूँ,” रेवती देवी ने कहा, “निराश होने की कोई बात ही नहीं। हमारा प्रेम अमर है। यह कितने आनन्द की बात है।”

नरेन्द्र निराश-मुद्रा में, नदी पार, बिना किसी विशेष वस्तु को देखते हुए भी, देखता रहा। रेवती समझती थी कि नरेन्द्र निरुत्तर हो गया है। इससे उसके मन में शरारत सूझी। उसकी आँखें चमक उठीं और नरेन्द्र के मुख की ओर देखकर बोली, “मैं एक बात कहूँ?”

“क्या?”

“आप विवाह कर लें। यदि कहें तो मैं कमला बहन को लिखूँ कि आपके लिए कोई लड़की ढूँढ़ी जाए।”

“छीः, तुम मुझे क्या समझती हो, रेवती! मैं पशु हूँ क्या?”

रेवती की हँसी निकलने लगी थी। उसने यत्न से रोकते हुए कहा, “यह तो मैं नहीं कह रही। देखिए, आपके प्रेम के विनियम में मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं केवल आपकी वासना की तृप्ति नहीं कर सकती न। उसके लिए आप विवाह कर

सकते हैं।”

“बस, बस, रेवती ! तुम नहीं समझ सकतीं। परन्तु मैं इससे सुगम एक और उपाय जानता हूँ। उस उपाय से न तो तुम्हारे समाज को नियम टूटेगा और न ही मुझे विवाह के लिए कमला को लड़की ढूँढ़ने का कष्ट देना पड़ेगा।”

“तब तो ठीक है। क्या है वह उपाय ? क्या मैं सुन सकती हूँ ?”

“नन्दलाल ही बाधा है न। मैं उसे मार्ग से दूर कर दूँगा।”

“तो आप हत्या करेंगे ?”

“क्यों, यह ठीक नहीं होगा ?”

रेवती की हँसी भीतर-ही-भीतर ठण्डी पड़ गई।

: १५ :

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने बल-प्रयोग तो किया ही था, साथ ही कूटनीति का अवलम्बन भी किया। इस नीति के कई अंग थे। एक था कम्युनिस्टों को धन से सहायता देकर कांग्रेस-विरोधी प्रचार कराना। इसका प्रभाव यह हुआ कि कारखानों में मजदूर मन लगाकर काम करने लगे। कारखाने-दारों का मुनाफा बढ़ गया। फिर इस नीति में वस्तुओं के भाव पर प्रतिबन्ध लगा दिया, परन्तु वस्तुओं के बिकने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि चोर-बाजार खुल गए। यहाँ तक कि बंगाल में अकाल पड़ गया। लाखों भूख से मर गए, परन्तु चोर-बाजार में अन्न बिकता रहा। इस कूटनीति का एक रूप यह भी हो गया कि कागज के नोट धड़ाधड़ छापकर लोगों की जेबों में भरने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए और लोग रुपया कमाने में लग गए।

ये बातें, प्रत्यक्ष में तो, केवल आर्थिक व्यवहार की प्रतीत होती थीं, परन्तु वास्तव में देश की राजनीति पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। लोग दिन-प्रति-दिन चरित्रहीन होते गए। बड़े-से-बड़े अफसर से लेकर चपरासी तक घूस लेने लगे। जीवन-निर्वाह महुँगा होने से जन-साधारण जिन्हें घूस देनी पड़ती थी, चोर-बाजार में माल बेचने लगे। चोर-बाजार में बेचने और खरीदने वाले जहाँ चरित्रहीन हो रहे थे वहाँ उनके अनियमित जीवन में और भी अधिक विषमता आने लगी।

इन सबका परिणाम यह हो रहा था कि, स्वराज्य मिले अथवा न मिले, किन्तु सदा के लिए नहीं हो तो बीसों वर्षों के लिए लोगों में धोखा-धड़ी, विषय-लोलुपता और स्वार्थपरता आ गई।

कुछ लोग यह भली-भाँति समझते थे कि देश के लोगों में चरित्रहीनता का परिणाम स्थाई दासता होगा। इसमें वे जिस किसी उपाय से भी हो, शीघ्रातिशीघ्र स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। सुभाषचन्द्र बोस इसी विचार के थे, परन्तु महात्मा गांधी उनके विचार को पसन्द नहीं करते थे। इससे जनता भी उनके

विचारों की समर्थक नहीं हुई। परिणामस्वरूप उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वे जर्मनी में जा हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगे :

दूसरी ओर सिंगापुर और मलाया के युद्धों में जापान से पकड़े गए हिन्दुस्तानी कैंदियों को जनरल मोहनसिंह और रासबिहारी बोस ने संगठित करना आरम्भ किया, परन्तु जापानियों को मोहनसिंह पर विश्वास नहीं रहा। इससे उन्होंने उसे पकड़ लिया। तब सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से एक पनडुब्बी में सिंगापुर पहुँच गए और उन्होंने मोहनसिंह के कार्य को आगे चलाने का यत्न किया। आजाद हिन्द फौज का निर्माण किया गया। जापानियों ने इस सेना को हथियार, हवाई जहाज और लड़ने का अन्य सामान देने का वचन दिया। यह सेना, जो थोड़ा-बहुत सामान प्राप्त कर सकी, उसे लेकर भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए आसाम की सीमा की ओर चल पड़ी।

इस समय तक भारतवर्ष की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। राष्ट्रीय विचारों के सब नेता जेलखाने में डाल दिए गए। फौजी चाल के अनुसार भारतवर्ष के बाहर से आक्रमण के साथ-साथ ही भारतवर्ष के अन्दर भी विद्रोह खड़ा होना चाहिए था। किन्तु भारत के नेता उस आक्रमण का विरोध कर रहे थे।

भारतवर्ष पर आक्रमण की तैयारी का समाचार सर्व-साधारण को तो बहुत काल तक मिला ही नहीं। केवल वे लोग, जो रात को सैगाँव के रेडियो के ब्राँडकास्ट सुना करते थे, कहते थे कि सुभाष बाबू फौज लेकर आसाम की ओर आ रहे हैं। परन्तु देश में ऐसा कोई नेता नहीं था जो यहाँ विप्लव खड़ा कर सकता। हिन्दुस्तान में जो लोग जेल से बाहर थे वे रुपया कमाने में लीन थे।

: १६ :

धीरेन्द्र ने जब यह सुना कि वास्तव में भारत को स्वतन्त्र करने के लिए राष्ट्रीय सेना आक्रमण की तैयारी कर रही है, तो उसने तुरन्त ही नवरत्न-मंडल की बैठक बुलाई। यह बैठक इलाहाबाद में सेठ कुंजबिहारी के मकान पर हुई। नवरत्न-मंडल के सब सदस्य उपस्थित थे। धीरेन्द्र का प्रस्ताव था कि बर्मा से आक्रमण करने वाली राष्ट्रीय सेना की सहायता के लिए देश में विप्लव खड़ा कर दिया जाए। शंकर पण्डित और नरेन्द्र इसका विरोध करते थे। नरेन्द्र का कहना था, "हमारे पास एक-दो लाख आदमी तो हैं, परन्तु उनके पास साधन नहीं हैं। हमें वही भूल नहीं करनी चाहिए जो महात्मा गांधी ने की है। बिना सन्तोषजनक तैयारी के आंदोलन खड़ा करना मूर्खता है। हमारा डायनामाइट का कारखाना अभी मंगोलिया में बन रहा है। कम-से-कम हमारी समिति के स्वयं-सेवकों के पास हाथ से फेंकने के बम्ब तो होने चाहिए। इस समय हमारी शक्ति कम है और वह भी दुनिया के कई देशों में बिखरी हुई है। इसके एकत्रित करने में छः मास से कम नहीं लगेंगे। ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते।"

शंकर पण्डित ने भी नरेन्द्र के कहने का समर्थन किया और कहा, “इस समय लोगों को विद्रोह के लिए कहना उन्हें जलती भट्टी में झोंकने के समान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश-भर के लोग युद्ध-सम्बन्धी सामग्री तथा कार्यों से मालामाल हो रहे हैं। उनको अंग्रेजों का राज्य रहने से लाभ प्रतीत होने लगा है। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वे या तो बैंकों में हैं या नोटों के रूप में उनके घर में रखे हैं। दोनों स्थानों पर रखा धन केवल अंग्रेजी राज्य में ही धन के रूप में है अन्यथा वह कुछ भी नहीं। इस कारण साधारण जनता हमारा पक्ष नहीं लेगी।”

लाला बनारसीदास का कहना था, “यह सुअवसर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हमें इस सुअवसर से लाभ उठाना चाहिए।”

नरेन्द्र का उत्तर था, “यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो नेता विदेश में जाकर इतना भारी प्रबन्ध करने में सफल हुआ है उसे देश के भीतर रहकर कुछ भी करने नहीं दिया गया। जिन लोगों ने उसका विरोध किया था वे स्वयं तो जेल जाने तक यह कहते रहे थे कि भारत पर देशी फौज के आक्रमण पर भी वे उस आक्रमण के विरोध में कट-कटकर मर जाएँगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देश और विदेश के हिन्दुस्तानी एक सूत्र में बँधे नहीं हैं।”

“तो क्या बोस बाबू का बृहत् प्रयत्न विफल जाएगा ?”

“इस प्रयत्न की सफलता जापानियों की सहायता पर निर्भर है। हम नहीं जानते कि बोस बाबू के पास अपनी कितनी फौज है और जापान इनकी सहायता के लिए कितनी फौज दे सकता है।”

नरेन्द्र कहता गया, “देश का यह दुर्भाग्य है कि बोस बाबू देश में किसी ऐसी संस्था से सम्बन्ध नहीं रखते जो उनसे सहयोग कर सके। हम नहीं जानते कि कब और क्या करें कि उनके आक्रमण में सहायक हो सकें। इस कारण सिवाय प्रतीक्षा करने के और कुछ नहीं कर सकते। यदि आक्रमणकारी सेना ऐसी स्थिति में हो गई कि हम उससे मिलकर उनकी योजना को समझ सकें तो फिर हमारे लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि हम उनके कहने के अनुसार इसमें कूद पड़ें।”

धीरेन्द्र के विचार भी बदल गए। वह चाहता था कि हिन्दुस्तान में रेल की पटरियाँ उखाड़कर युद्ध-कार्य में बाधा डाली जाए, परन्तु शंकर पण्डित का यह कहना, कि अधूरी तैयारी के साथ अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना बुद्धिमत्ता नहीं, उसकी समझ में आने लगा।

नवरत्न-मंडल में सब लोग उत्साह में भरे हुए आए थे, परन्तु नरेन्द्र, शंकर पण्डित और धीरेन्द्र के एक पक्ष में हो जाने से निराश हो गए। शंकर पण्डित ने अपनी योजना समझाई। वह बोला, “यदि हम तैयार होते तो विद्रोह करने का यह बहुत अच्छा अवसर था। हमारी तैयारी इस समय न होने के बराबर है। एक लाख

मे कुछ अधिक नवयुवक तो हैं, परन्तु उनके पास लाठियाँ भी नहीं। साथ ही इस समय अंग्रेजी सेना बीस लाख के लगभग है जो पूरी तरह सशस्त्र है। इसके अतिरिक्त पाँच लाख के लगभग अमेरिका के सिपाही भी यहाँ मौजूद हैं। हजारों हवाई जहाज इन फौजों की सहायता के लिए हैं। समुद्री जहाज भी हैं। ऐसी अवस्था में केवल पटरियाँ उखाड़ देने से कुछ नहीं हो सकेगा। हमें इससे बहुत अधिक करना पड़ेगा।

“मैं तो समझता हूँ कि विप्लव खड़ा करने का समय वह होगा जब ब्रिटिश सिंह युद्ध से थककर मुस्ताने की तैयारी करने लगेगा। उस समय हिन्दुस्तान में अंग्रेजी फौज केवल नाम मात्र की रह जाएगी। हिन्दुस्तानी सिपाही प्रायः सब फौज को छोड़ हल जोतने चले जाएँगे। अमेरिका के सिपाही अमेरिका वापस पहुँच चुके होंगे। वह समय होगा जब हम अपना आक्रमण करना उचित पाएँगे। उस समय के आने से पूर्व हमें विदेश में और देश में अपनी समिति को मुदृढ़ करना होगा।

“जब्र समय आवेगा हम एक प्रान्त में अपनी शक्ति को संचित कर लेंगे। हमारी सेना के कम-से-कम दस लाख आदमी उस प्रान्त में एकत्रित हो जाएँगे। उसी प्रान्त के मुख्य-मुख्य केन्द्रों में हम अपने शस्त्र भण्डार बनाएँगे। इसी समय किसी समीप स्थान पर, भारत की सीमा के बाहर, हमारे हवाई जहाज एकत्रित रहेंगे। ठीक निश्चित समय पर हमारे स्वयं-सेवक तार-घर, टेलीफोन-घर, डाक-घर, पुलिस और फौज के केन्द्रों पर विप्लव खड़ा कर देंगे। हम गवर्नर और कमिश्नरों को अपने अधिकार में ले लेंगे। उस प्रान्त की फौज में जो हमारे मण्डल हैं वे भी साथ ही यह विद्रोह करेंगे और अपने अफसरों को अपने अधीन कर लेंगे।

“मैं समझता हूँ कि यदि हमारे लोग अनुशासन-प्रिय हुए तो एक प्रान्त में यह विप्लव दो घण्टे में समाप्त हो जाएगा। साथ ही हमारे पास दस लाख सेना होगी जिसको हम एक-दो दिन में सशस्त्र कर सकेंगे। समीप विदेश में स्थित हवाई-जहाज हमारी सहायता के लिए उस प्रान्त में आ जाएँगे।

“इसी समय शेष दस लाख स्वयं-सेवकों से हम दिल्ली, बम्बई, कराँची, कलकत्ता, मद्रास, सिगापुर और अदन में विद्रोह खड़ा कर देंगे। इन स्थानों पर भी हमारे कार्य का ढंग वही होगा जो उक्त प्रान्त में होगा। हम छापा डालकर प्रायः सब बड़े अफसरों को अपने अधिकार में कर लेंगे।

“इतना हो जाने के पश्चात् भारतवर्ष के वे भाग जो हमारे अधीन होंगे पसन्द नहीं करेंगे, विजय किए जावेंगे। बुरी-से-बुरी परिस्थिति में भी हम चार-पाँच मास में पूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर सकेंगे।

“संक्षेप में, हमारी योजना यह है। हमने वह प्रान्त चुन लिया है जहाँ पर विद्रोह खड़ा किया जायगा। उस प्रान्त की सीमा वह नहीं जो ब्रिटिश राज्य द्वारा निर्धारित किसी भी प्रान्त की है। प्रत्युत हमने संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिले, पूर्ण बिहार प्रान्त, साथ ही कुछ जिले उड़ीसा प्रान्त के इस विद्रोह करने वाले प्रान्त में

सम्मिलित किए हैं। यह प्रान्त उत्तर में नेपाल के साथ लगा होगा। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाएगा। पश्चिम में सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, जबलपुर, बिलासपुर तथा कटक सीमा होगी। और पूर्व में कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, मालदा, भागलपुर, पूर्णिया, जलपाईगुरी और दार्जिलिंग इसकी सीमा होगी।

“हमने प्रत्येक आवश्यक स्थान का और पूर्ण प्रान्त का मानचित्र बनवाया है। पग-पग भूमि यहाँ की देख ली गई है और जितने भी राजनीतिक और सैनिक विचार से आवश्यक स्थान हैं, सबकी सूचना बना ली गई है। वहाँ पर हमारे सैनिक कब और कैसे पहुँचेंगे, यह विचार कर लिया गया है। वे सब लोग कैसे और कहाँ रहेंगे, फिर इनके खाने-पीने का प्रबन्ध और उनके लिए उचित शस्त्र कहाँ एकत्रित होंगे, अभिप्राय यह कि जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि काम कर सकती है, सब विषयों और परिस्थितियों पर विचार कर लिया गया है। हम यत्न कर रहे हैं कि जिन केन्द्रों पर हम विद्रोह खड़ा करना चाहते हैं वहीँ पर अधिक मण्डलियाँ बनाएँ।

“योजना के अनुसार पूर्ण तैयारी होने पर भी भारी जोखिम का काम होगा और इस सबके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है।

“मैं समझता हूँ कि बोस बाबू को यदि भारत के भीतर से सहायता न मिली तो सफलता की आशा कम है। परन्तु हम बेसरोसामान होने पर उचित सहायता कर भी तो नहीं सकते। बोस बाबू की राष्ट्रीय सेना ने अपनी शक्ति पर भरोसा कर ही तो तैयारी आरम्भ की है। यदि उनकी सेना आसाम से उतरकर बंगाल के मैदानों में आ गई तो हमें अस्त्र-शस्त्र प्राप्त होने लगेंगे। तब तो हम अपनी सीमित शक्ति से भी उस सेना की सहायता करने को तैयार हो जाएँगे। अन्यथा वर्तमान परिस्थिति में तो अपने हजारों स्वयं-सेवकों को मरवा डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।”

नवरत्न-मण्डल के लोग शंकर पण्डित और नरेन्द्र के इस समय विद्रोह करने से इनकार करने पर निराश हुए थे, परन्तु शंकर पण्डित की योजना सुन पुनः उत्साह से भर गए। वे योजना की पूर्ति के लिए अब और भी अधिक वेग से कार्य करने का संकल्प करने लगे। बनारसीदास ने पूछा, “योजना चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी?”

नरेन्द्र ने गिनती की थी। उसने बताया, “योजना को तीन भागों में बाँटा है। पहला, तैयारी। यह तो अब चल रही है और पूर्ण तैयारी होने तक तीस से चालीस करोड़ रुपया लगेगा। दूसरा भाग है, आक्रमण। इसके लिए एक अरब के लगभग चाहिए। और अन्तिम भाग है, विजय का, अर्थात् भारतवर्ष के उन भागों को जीतने का जहाँ विद्रोह नहीं हो सकेगा। एक अरब रुपये के लगभग ही उसके लिए भी चाहिएगा। योजना के इस अन्तिम भाग में तो रुपया हमें अपने अधीन स्थान से

भी मिल जाएगा। पहले दो भागों को पूर्ण करने के लिए तो हमें अपनी समिति के धनी लोगों पर ही निर्भर करना होगा। साथ ही इतना धन सरकारी नोटों में नहीं चाहिए। यह सब सोना-चाँदी में चाहिए। लगभग अढ़ाई अरब रुपये का चाँदी-सोना खरीदकर अपने केन्द्र-स्थानों में संचित करना पड़ेगा।”

“कितने स्वयं-सेवकों की आवश्यकता होगी?”

“लगभग बीस लाख।”

“कर्मचारी-सदस्य कितने चाहिए?”

“लगभग पाँच लाख।”

“इन लोगों को क्या करना होगा?”

“अगले वर्ष से इन कर्मचारी-सदस्यों को हम अपने निष्चित इलाके में और अन्य विद्रोह के केन्द्रों में कारखानों और व्यापार के कामों में लगाना आरम्भ कर देंगे, ताकि विद्रोह होते ही दस्तकारी और व्यापार पूर्णरूप में हमारे हाथ में हों सके।”

अनेक अन्य प्रश्नों के उत्तरों में नवरत्न-मण्डल के सदस्य उत्साह से भरे पुनः कार्य करने के लिए अपने स्थान पर वापस चले गए।

: १७ :

शंकरगढ़ में आकर रहने से पूर्व शंकर पण्डित और गौरी कौलास-यात्रा पर गए थे। मार्ग में एक शिष्ट नेपाली परिवार के एक यात्री से उनकी भेंट हो गई। उस नेपाली सज्जन ने शंकर पण्डित को बताया था कि सीसोदिया वंश के राजपूतों के नेपाल पर अधिकार जमाने से पूर्व यह देश तिब्बत के लामा के अधीन था और नेपाल की प्राचीन राजधानी पाटन से लेकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक एक मार्ग था जो वर्ष में बारहों मास खुला रहता था। जब नेपाल में राजपूतों का अधिकार हो गया तो तिब्बत के लामा की आज्ञा से यह मार्ग बन्द कर दिया गया था। सीसोदिया वंश के राजपूतों ने कभी तिब्बत तक जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की और धीरे-धीरे लोग इस मार्ग के जाने को ही भूल गए हैं।

शंकर पण्डित इस मार्ग का वृत्तान्त सुन फड़क उठा और उसने उस नेपाली सज्जन से पूछा कि वह इस मार्ग के विषय में कैसे जानता है। उसने बताया, “हमारे परिवार के पूर्वज तिब्बत राज्य के मुख्य कर्मचारी थे। सीसोदियों के आने पर हमने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की और अपनी जमींदारी पर आकर बसने लगे। हमारे परिवार का एक पुस्तकालय है जिसमें बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ रखे हैं और उन ग्रन्थों में एक इस मार्ग के विवरण पर भी है।”

कौलास-यात्रा से लौटकर शंकर पण्डित ने इस परिवार से सम्पर्क पैदा किया और एक बार उनके निवास-स्थान पर जाकर, जो पाटन से दक्षिण बीस मील के अन्तर पर था, उनके पुस्तकालय की देखभाल की और पाटन-ल्हासा मार्ग पर पाली

भाषा की पुस्तक ढूँढ़ निकाली। परिवार के मुखिया एक बृद्ध सज्जन थे। वह इस पुस्तक को देने के लिए उद्यत नहीं हुए तब शंकर पण्डित ने, शंकरगढ़ में रहने का प्रबन्ध करने के पश्चात्, पुनः इस पुस्तक को प्राप्त करने का यत्न किया। धन के लालच से अथवा प्रार्थना करने से भी जब वह नहीं मिली तो फिर चोरी करके यह पुस्तक प्राप्त की गई। इसके पश्चात् इस पुस्तक का पाली के विद्वानों से अनुवाद कराया गया और फिर नेपाल के भूगोल विशेषज्ञों से इस मार्ग का मानचित्र तैयार करवाया गया।

इस पुस्तक के अन्त में लिखा था, 'जब भारतवर्ष में यवनों का राज्य स्थापित हो गया तो भगवान् लामा की आज्ञा से तिब्बत की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए इस मार्ग को बन्द करवा दिया गया।' कहीं से और कैसे इस मार्ग को बन्द करवाया गया, यह नहीं लिखा था।

: १८ :

अब इतना कुछ हो जाने के पश्चात् इस मार्ग की खोज के लिए जाना आवश्यक था। गुरुजी का पत्र प्राप्त हुआ था। लिखा था कि शंकर पण्डित शीघ्राति-शीघ्र इस मार्ग को खोजने के लिए जाएँ। साथ उनके जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने में निपुण, प्रत्येक प्रकार की आवश्यक सामग्री के साथ नेपाली युवक पाटन भेज दिए गए हैं। वहाँ धर्मशाला में वे मिल जाएँगे।

इस आज्ञा के पश्चात् शंकर पण्डित जाने के लिए तैयार हो गया। गौरी इस समय सातवें मास में जा रही थी। फिर भी शंकर पण्डित जाने को उद्यत हो गया। यह खोज भयरहित नहीं थी। गौरी को इसकी कठिनाइयों को कम करके ही बताया गया। शंकर पण्डित ने नरेन्द्र और गौरी को कहा, "मैं आशा करता हूँ कि गौरी के प्रसव-काल से पूर्व ही लौट आऊँगा। यदि गौरी स्वस्थ होती तो मैं उसे भी साथ ले जाता, पर अब विवश हूँ।"

पृथक् में शंकर पण्डित ने गौरी से कहा, "देखो, गौरी, अब मेरे लिए इस मार्ग की खोज के लिए जाने में ढील करने का कोई कारण नहीं रहा। मैं चाहता था कि इस समय तुम्हारे पास रहूँ, परन्तु..."।"

गौरी जो खाट पर लेटी हुई थी, उठकर बैठ गई और बोली, "क्या हो गया है आपको आज? यह मोह-ममता-वश कर्तव्य को छोड़ना आपने कब से आरम्भ कर दिया है? आपको यह किसी प्रकार भी शोभा नहीं देता।"

"कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं है, गौरी। यह तो एक कर्तव्य और दूसरे कर्तव्य की आवश्यकता में तुलना करने की बात है। अभी तक तो मैं तुम्हारे समीप ठहरने को अधिक आवश्यक समझता था, परन्तु परिस्थितियाँ जल्दी-जल्दी बदल रही हैं और गुरुजी की भी यही सम्मति है कि मार्ग ढूँढ़ने में अब ढील करनी ठीक नहीं।"

“मुझे आपके इस परिणाम पर पहुँचने से प्रसन्नता हुई है। आप कब जा रहे हैं?”

“सब प्रबन्ध हो चुका है। मेरे साथ जाने वाले साथी पाटन पहुँच गए हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यह सोच रहा हूँ कि यदि कहीं देरी हो गई तो कैसे होगा?”

“फिर वही बात। सब ठीक ही होगा। आप इस बात की चिन्ता क्यों करते हैं? यहाँ गाँव की रहने वाली स्त्रियों के भी तो बच्चे किसी तरह होते ही हैं।” -

“मैं समझता हूँ कि यदि तुम कलकत्ते चली जाओ तो ठीक न होगा?”

“मेरी चिन्ता आप छोड़िए। मैं अगले मास में अपने लिए उचित प्रबन्ध कर लूँगी। आप अपने विषय में बताइए। आपकी तैयारी के लिए क्या किया जाए?”

“रेवती देवी और नरेन्द्र वह सब कर रहे हैं। तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।”

उसी रात शंकर पण्डित ने नरेन्द्र से पृथक् में कहा था, “नरेन्द्र भैया, काम अति कठिन है और यदि कोई ऐसी-वैसी बात हो गई तो गौरी को तुम्हारे हाथ में दिए जा रहा हूँ। मैं उससे अगाध प्रेम करता हूँ और उसे सुखी देख मुझे आनन्द होता है।”

नरेन्द्र ने गौरी को सुखी रखने का पूरा-पूरा आश्वासन दिया और अगले दिन शंकर पण्डित पाटन को चल पड़ा।

: १६ :

पाटन से उत्तर-पूर्व की ओर लगभग दस मील के अन्तर पर एक गुफा है। यह गुफा पाटन से काठमांडू को जाने वाले मार्ग से हटकर एक बादी में है। कोई-कोई पाटन के बूढ़े इस गुफा के विषय में जानते हैं और इसे भुक्त-गृह के नाम से सम्बोधन करते हैं। उनका कहना है कि इस गुफा में प्रेतात्मा निवास करती हैं। यद्यपि कभी किसी ने वहाँ जाकर किसी प्रेतात्मा को देखा नहीं था तथापि वहाँ जाने का मार्ग सीधा और सरल न होने के कारण किसी को वहाँ जाने का उत्साह नहीं होता था। एक और भी कथा प्रचलित है, कि उस गुफा की रक्षा के लिए द्वार पर तक्षक नाम का साँप रहता है। उसकी फुंकार बीस गज के अन्तर पर आने वाले को मृत्यु के घाट उतार देती है। इन बातों के विख्यात होने के कारण उस गुफा के समीप कोई नहीं जाता।

शंकर पण्डित ने पाटन पहुँचकर जब ये किवदन्तियाँ सुनीं तो उसे विश्वास हो गया कि वही मार्ग-द्वार है। इस मार्ग के विवरण में लिखा था कि पाटन से एक पगडण्डी उत्तर-पूर्व को जाती है। यह पगडण्डी इतनी चौड़ी है कि इस पर तीन घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। यह पगडण्डी पाँच कोस जाकर एक गुफा के द्वार के सम्मुख समाप्त होती है। यह द्वार पर्वत को काटकर बनाया गया है। यही

मार्ग-द्वार है।

शंकर पण्डित ने पाटन में रहते हुए गुफा पर जाकर इसकी देखभाल की। इससे उसे अपनी धारणा पर और भी विश्वास हो गया। गुफा का मुख पर्याप्त चौड़ा और ऊँचा था, परन्तु द्वार पर बाँस और झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि गुफा के भीतर जाया नहीं जा सकता था। शंकर पण्डित ने अपने साथी पहाड़ियों से इन को काटकर मार्ग साफ करवाया और एक दिन रात के दो बजे, जब पाटन गहरी नींद सो रहा था, चार खच्चरों पर माल लाद, स्वयं अपने साथियों के साथ इस गुफा में जा पहुँचा। गुफा के एक बाजू में एक दरार थी। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी समय भूचाल से पर्वत में दरार पड़ गई थी। यह दरार इतनी चौड़ी थी कि इसमें एक बैलगाड़ी सुगमता से घुस सकती थी।

इस स्थान से पाटन और लहासा के मार्ग का विवरण, जो प्राचीन पाली की पुस्तक में लिखा था, मिलता था। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही ये लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ शौचादि से निवृत्त हो वे गुफा में घुस गए। इस समय बाहर प्रभात का प्रकाश फैल रहा था, परन्तु गुफा में अभी अँधेरा था और बिजली के टार्च जलाकर मार्ग देखा जा रहा था। जब वे लोग दरार में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि यह दरार पर्वत की चोटी तक गई हुई है। नीलवर्ण आकाश दरार के ऊपर दिखाई देता था। दरार की भूमि बहुत चिकनी और फिसलनी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उस पर कोई जम गई है। लगभग पाँच सौ गज जाने पर दरार की भूमि में ढलान आरम्भ हो गई। मार्ग अब और भी चौड़ा हो गया। लगभग तीस फीट चौड़ा प्रतीत होता था। दरार की दीवारें एकदम सीधी खड़ी थीं जिससे यह अनुमान और भी पक्का हो गया था कि यह दरार भूकम्प से बनी थी। हाँ, भूमि छीलकर समतल की गई थी। दरार की दीवारें इतनी ऊँची थीं कि आकाश बहुत दूर दिखाई देता था।

लगभग दो मील तक ढालू मार्ग पर चलकर ये लोग दरार के अन्त तक पहुँच गए। यहाँ एक भीत के समान चट्टान खड़ी थी जिससे प्रतीत होता था कि दरार समाप्त हो गई है। इस चट्टान में बाईं ओर एक सुरंग थी। उसे देख यह अनुभव होता था कि किसी पहाड़ के अथवा नाले के नीचे से जाती है। इन लोगों ने टार्च जलाई और इसमें घुस गए।

सुरंग की भूमि को समतल देख यह अनुमान लगाता कठिन नहीं था कि यह खोदकर बनाई गई है। दरार तो, जो अब पीछे रह गई थी, प्राकृतिक प्रतीत होती थी और मनुष्य ने उसका प्रयोग कर लिया था। सुरंग की छत और दीवारें बहुत साफ बनी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे भीतर से पलस्तर की हुई हैं। शंकर पण्डित अपनी टार्च के प्रकाश में यह देख रहा था। वह चकित था कि सुरंग की बायु स्वच्छ है। इसमें सन्देह नहीं था कि सदियों से इस मार्ग पर कोई नहीं गया

था, इस पर भी वायु की स्वच्छता से यह कोई बन्द मार्ग प्रतीत नहीं होता था।

कुछ दूर जाने पर 'शर-शर' जल-प्रपात का शब्द सुनाई दिया। किसी नाले का पानी सुरंग में गिरता प्रतीत होता था। पण्डित ने समझा कि कहीं से छत टूट गई है और शायद आने-जाने का मार्ग भी नहीं होगा। परन्तु पानी के समीप जाने पर उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि सुरंग के एक ओर से पानी गिर रहा है और वह पानी सारी सुरंग के मार्ग को रोक देने के बजाय एक कुण्ड में पड़ता है और उसी में समाता जाता है। उसने अनुमान लगाया कि सुरंग बनाते समय यह कोई चश्मा मार्ग में आ गया है और उसको बहुत ही चतुराई से ठीक ढंग पर प्रयोग में लाया गया है। वह स्वयं और उसके साथी कुछ प्यास अनुभव कर रहे थे। खच्चरों तो पानी को देखते ही कुण्ड में से पानी पीने लगी थीं।

कुण्ड के समीप बैठ कुछ काल तक आराम कर पण्डित ने जेब से घड़ी निकाल समय देखा। साढ़े दस बजे थे। यह न जानते हुए कि सुरंग कितनी दूर तक है, पण्डित ने समय खोना उचित न समझा। सब चल पड़े। तीन घण्टे तक वे सुरंग में ही चलते गए। सुरंग बिलकुल अच्छी अवस्था में थी और किसी स्थान पर भी दम घुटने का अनुभव नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि दो-दो मील के अन्तर पर पानी के झरने बने थे, जो सुरंग की एक अथवा दूसरी दीवार से गिरते थे और झरनों के नीचे बने कुण्डों में समा जाते थे। झरनों के पानी के साथ स्वच्छ वायु सुरंग में आ जाती थी।

इन लोगों ने सुरंग के भीतर ही एक झरने के समीप बैठकर खाना खाया। लगभग एक बजे दोपहर के ये फिर चल पड़े। जब से ये सुरंग में आए थे अपनी बिजली की टॉर्चों से प्रकाश कर रहे थे। सुरंग में प्रकाश आने का कोई प्रबन्ध नहीं था। तीन बजे के लगभग ये सुरंग के दूसरे द्वार पर पहुँचे। यहाँ भी मार्ग पेड़ और झाड़ियों से सर्वथा रुका हुआ था। झाड़ियाँ काटकर खच्चरों के निकलने के योग्य मार्ग बनाकर ये लोग सुरंग के बाहर निकले तो इन्होंने अपने को एक अति सुन्दर घाटी में पाया।

घाटी के चारों ओर गगनभेदी पहाड़ों की चोटियाँ थीं और सब-की-सब बर्फ से ढकी हुई थीं। घाटी की तह पर हरियाली थी। यहाँ छोटी-छोटी झाड़ियों का जंगल था, जिन पर छोटे-छोटे लाल रंग के फल लगे थे।

इस स्थान पर पहुँच शंकर पण्डित ने मानचित्र निकाला और उसमें अपना स्थान निश्चय कर आगे चलने के लिए तैयार हो गया। उसे वहाँ से पूर्व की ओर चलना था, परन्तु उस ओर कोई मार्ग नहीं था। सुरंग तो वायु और आँधी के थपेड़ों से बची थी, परन्तु खुला मार्ग तो इनके प्रभाव से बच नहीं सका। सैकड़ों वर्षों से मरम्मत न होने के कारण, गाड़ी और घोड़ों के चलने योग्य मार्ग छोड़, यह तो पगडण्डी भी नहीं रहा था। इस प्रकार कोई निश्चित मार्ग न देख, पण्डित

हाथ में कम्पास लिये, जहाँ तक सम्भव था, पूर्व की ओर चल पड़ा। झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि उनसे गुजरना कठिन था। पग-पग पर खच्चर अटक जाते थे और उनके लिए झाड़ियों की शाखाएँ काटकर मार्ग बनाना पड़ता था। घाटी के तल पर अति स्वच्छ और बर्फ-समान ठण्डे जल की छोटी-सी नदी बह रही थी। यह जल वेग से बहता हुआ घोर नाद कर रहा था और यह नाद चारों ओर खड़े पर्वतों से टकरा कर प्रतिध्वनित हो रहा था। सूर्य-किरणों वेग से उछलते-कूदते जल की तरंगों पर पड़कर सहस्रों इन्द्रधनुष बना रही थीं। यह स्थान शंकर पण्डित को अति लुभायमान प्रतीत हुआ और उसने इसी नदी के किनारे रात-भर के लिए डेरा डालने का निश्चय कर लिया। पहाड़ी सामान खच्चरों से उतार खेमा लगाने लगे और शंकर पण्डित नदी किनारे बैठ जब से मानचित्र निकाल प्राचीन पुस्तक का अनुवाद पढ़ने लगा। साथ-साथ मानचित्र भी देखता जाता था।

घण्टे-भर से अधिक पुस्तक और मानचित्र के अध्ययन से उसे [विश्वास हो गया कि वे ठीक मार्ग पर हैं और इस घाटी से दूसरी सुरंग आरम्भ होती है।

: २० :

पहाड़ी खेमे गाढ़कर खाना पकाने का प्रबन्ध कर रहे थे। शंकर पण्डित प्रकृति का सौन्दर्य देखने में लीन था। सूर्य अस्तांचल की ओर चल पड़ा था। घाटी चारों ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से घिरी होने के कारण शीघ्र ही अँधेरे में छिपती जाती थी। इस घाटी में न तो कोई पक्षी दिखाई देता था और न ही कोई जंगली जानवर। नदी के गरजने के शब्द के सिवाय और सब प्रकार से शान्ति थी।

एकाएक शंकर पण्डित को बहुत-से लोगों का भारी स्वर में कुछ गाने का शब्द सुनाई देने लगा। शब्द कुछ दूर से आता हुआ प्रतीत होता था। शंकर पण्डित के कान खड़े हो गए और वह पहाड़ी लोगों की ओर देखने लगा। वे भी अपना काम छोड़ उधर ही देख रहे थे जिधर से शब्द आता प्रतीत होता था। इसमें तो सन्देह नहीं रहा था कि यह मनुष्य की अर्थात् बहुत-से मनुष्यों के मिलकर गाने की आवाज थी। सबको अचम्भा इस कारण हो रहा था कि उनको वहाँ किसी के रहने की आशा नहीं थी।

शंकर पण्डित को जब यह विश्वास हो गया कि वहाँ उस बादी में मनुष्य का निवास है तो वह हाथ में पिस्तौल और टॉर्च ले उन्हें देखने को उद्यत हो गया। एक पहाड़ी ने कहा, “वे लोग कहीं जंगली न हों।”

“कुछ भी हो। देख लेना और समझ लेना ठीक है। रात होने पर फिर क्या होगा। शायद हमें दो-तीन दिन यहाँ रहना पड़े।”

दो पहाड़ियों को साथ ले वह उस ओर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक पगडण्डी मिली। इससे उसे और भी विश्वास हो गया कि वहाँ मनुष्य रहते हैं। वह पगडण्डी एक पर्वत से नाले की ओर जाती थी।

शब्द पर्वत की ओर से आ रहा था ।

उस पगडण्डी पर चलते हुए शंकर पण्डित और उसके साथी पर्वत तक पहुँचे । वह पगडण्डी एक गुफा के द्वार तक थी । शब्द गुफा के भीतर से आ रहा था । गुफा का द्वार साफ और उसके बाहर की भूमि समतल और साफ थी । द्वार बहुत चौड़ा और ऊँचा था । ऐसा प्रतीत होता था कि उस द्वार को मनुष्य के हाथों ने खोदकर बनाया था । कन्दरा बाहर से देखने पर बहुत गहरी प्रतीत नहीं होती थी, सामने से यह बन्द थी, परन्तु दोनों पहलुओं की ओर खुली थी । दाहिनी ओर से यह शब्द आ रहा था । शंकर पण्डित इसी ओर घूम गया । वास्तव में गुफा ड्योढ़ी मात्र ही थी । इस ड्योढ़ी से बरामदे की भाँति दोनों ओर मार्ग गया था । शंकर पण्डित जहाँ जा रहा था वह एक सुरंग-सी प्रतीत होती थी जो अँधेरी थी । उसने अपनी टॉर्च जला ली और एक हाथ रिवाल्वर पर रख लिया । सुरंग सीधी नहीं थी, प्रत्युत घूमती जाती थी । लगभग एक सौ पग चले जाने पर सुरंग का यह मार्ग खुला हो गया, अर्थात् सुरंग एक बड़े से कमरे में बदल गई । यहाँ का दृश्य देख तीनों अचम्भे में खड़े रह गए ।

इस स्थान के मध्य में एक कुण्ड में अग्नि जल रही थी । उस अग्नि के चारों ओर लगभग सौ-सवा सौ आदमी पालथी मारे बैठे थे । वे लोग सिर से पाँव तक नंगे थे । सिर पर बर्फ-समान श्वेत जटाएँ, मुख पर दाढ़ी-मूँछें बहुत लम्बी-लम्बी थीं । कईयों की पीठ पर भी घने बाल थे । मुखों पर झुरियाँ नहीं थीं और न ही शरीर किसी प्रकार से जीर्ण प्रतीत होते थे । सब-के-सब एक स्वर से कुछ उच्चारण कर रहे थे । जब शंकर पण्डित ने ध्यान देकर शब्दों को समझने का यत्न किया तो वह समझ गया कि वे वेद-मन्त्र बोल रहे थे । वात स्पष्ट हो गई कि वे लोग हवन कर रहे थे । गुफा में हवन की अग्नि का ही प्रकाश था और इससे ही वहाँ पर बैठे लोगों का मुख और आकृति दिखाई देती थी । पण्डित ने अपनी टॉर्च बुझा दी और उस स्थान और वहाँ बैठे लोगों का अध्ययन करने लगा । सब लोग शान्तिपूर्वक बैठे उच्चारण में लीन थे । अग्नि के समीप सबसे आगे एक भव्य मूर्ति, आसपास बैठे हुआँ में तीन-चार इंच ऊँचा, सिर उठाए, बैठा था । या तो अग्नि के प्रकाश से या उसके अपने ओज से उसका मुख औरों से अधिक दैदीप्यमान था । उसे देखते ही शंकर पण्डित समझने लगा कि अवश्य वह ही सबका नेता है ।

इतने में सब लोग बोले, 'ओ३म् स्वाहा ।' और साथ ही बैठे हुआँ ने अग्नि में कुछ डाला । शंकर पण्डित ने समझा कि यह अन्तिम आहुति दी गई है । इसके पश्चात् वे सब-के-सब उठ खड़े हुए और शान्ति-पाठ पढ़ने लगे ।

जब शान्ति-पाठ हो चुका तो सब पुनः अपने-अपने स्थान पर बैठ गए । वह भव्य मूर्ति नहीं बैठा, प्रत्युत अपने स्थान से चलकर वहाँ पहुँचा जहाँ शंकर पण्डित और पहाड़ी अँधेरे में खड़े थे । शंकर पण्डित इस भव्य मूर्ति को ध्यान से देख रहा

था। वह समीप आ पूछने लगा, “कोऽसि (कौन हो) ?”

शंकर पण्डित ने भी संस्कृत भाषा में उत्तर दिया, “अहम् शंकर पण्डितऽस्मि (मैं शंकर पण्डित हूँ)।”

वार्तालाप संस्कृत भाषा में आरम्भ हो गया। भव्य मूर्ति ने पूछा, “किस देश के रहने वाले हो ?”

“भारतवर्ष में नेपाल राज्य का रहने वाला हूँ।”

“किस प्रयोजन से आए हो ?”

“नेपाल से तिब्बत का मार्ग ढूँढ़ने के लिए।”

“इसमें क्या प्रयोजन है ? भारतवर्ष में मलेच्छ राज्य है। वे लोग हमारे आश्रम में आकर विघ्न डालेंगे।”

शंकर पण्डित ने अचम्भा प्रकट करते हुए पूछा, “मलेच्छ से आपका क्या अभिप्राय है ?”

“आर्य सभ्यता को न मानने वाला।”

शंकर पण्डित ने फिर पूछा, “आर्य सभ्यता क्या है ?”

“आर्य सभ्यता कर्म-प्रधान है, अर्थात् कर्म-फल को अनिवार्य मानने वाली। इसके विपरीत जो यह समझते हैं कि चतुराई से अथवा सिफारिश से, बुरे कर्मों का फल टल सकता है, वे मलेच्छ हैं।”

“तो आप यहाँ कब से रहते हैं ?”

“चार सहस्र वर्ष से यह आश्रम है। तुम कौन हो ?”

“मैं आर्य हूँ। आपके कथनानुसार कर्म-फल को अनिवार्य मानता हूँ।”

वह भव्य मूर्ति मुस्कराया और हाथ से साथ आने का संकेत कर पूछने लगा, “नेपाल राज्य में क्या कार्य करते हो ?”

शंकर पण्डित कुछ काल तक चुप रहकर यह विचार करता रहा कि वह इन लोगों को क्या और कितना बताए। फिर उस भव्य मूर्ति के अलौकिक प्रभाव के कारण अथवा अपनी कथा बिना छिपाए बताने में हानि न मान कहने लगा, “मैं नेपाल राज्य का कर्मचारी नहीं हूँ। मैं वास्तव में भारतवर्ष का रहने वाला हूँ और एक ऐसी समिति का सदस्य हूँ जो भारतवर्ष से विदेशी राज्य हटाने की योजना बना रही है। भारतवर्ष पर सात सहस्र मील दूर से आए हुए अंग्रेज लोग राज्य कर रहे हैं। इस राज्य से भारतवासियों की आर्थिक हानि तो हो ही रही है; साथ ही चरित्र का पतन भी हो रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म इन विदेशियों के प्रभाव से नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं।

“यों तो भारतवर्ष पर लगभग आठ-नौ सौ वर्ष से विदेशी राज्य कर रहे हैं, परन्तु अंग्रेजों का राज्य तो अत्यन्त हानिकर सिद्ध हो रहा है। हम भी इस राज्य को हटाने के लिए सिर-तोड़ यत्न कर रहे हैं।”

शंकर पंडित की यह बात भव्य मूर्ति को अप्रिय नहीं लगी। प्रत्युत उसने उत्सुकता से पूछा, “क्या-क्या प्रयत्न किये हैं आपने?”

“अंग्रेजों का राज्य जब भली-भाँति स्थापित भी नहीं हुआ था कि मरहट्टों, मुसलमानों और आगरा व अबध के रहने वाले कुछ राजा-रईसों ने इन्हें निकाल देने का यत्न किया। यह सन् १८५७ की बात है। स्वतन्त्रता का यह युद्ध सफल नहीं हुआ। फिर भारतवर्ष में हिन्दू-राज्य स्थापित करने का विचार गुरु रामसिंह कूका तथा स्वामी दयानन्द ने उपस्थित किया। परन्तु यह विचारमात्र ही रह गया। पश्चात् १९०७ में भारत में हिन्दू-मुसलमानों का सांझा राज्य अर्थात् स्व-राज्य स्थापित करने का विचार श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, श्री बाल गंगाधर तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल प्रभृति महापुरुषों ने उपस्थित किया और इस विचार की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न किये गए। १९०७ का बंगाल में ‘बॉम्ब कल्ट’ अर्थात् बम्बबाजी से अंग्रेजों को डराकर भगाना, फिर १९११ में दिल्ली षड्यंत्र, १९१३ का गदर-पार्टी का आयोजन, १९१७ में होम-रूल लीग की स्थापना और फिर १९२१, १९३०, १९३१ और १९४२ में गांधीजी का सत्याग्रह-आन्दोलन—इस प्रकार कई आन्दोलन किये गए हैं, परन्तु सफल नहीं हुए।”

“और आपने क्या किया है?”

“हमारी संस्था स्वराज्य-संस्थापन-समिति के नाम से है। हमारे कार्यक्रम में और इससे पहले वाले कार्यक्रमों में अन्तर है। हम जनसाधारण में आन्दोलन को इतना महत्त्व नहीं देते जितना एक सीमित संख्या में लोगों को उचित शिक्षा देकर उन्हें संगठित करने में। इस दिशा में मैंने एक शिक्षा-आन्दोलन चलाया था। सहस्रों विद्यार्थियों को एक प्रकार की शिक्षा देने का ढंग सिखाकर, एक मास के लिए देश-भर में लोगों को गुलामी की शृंखलाओं को तोड़ फेंकने के लिए तैयार करने को भेज दिया। विचार था कि कुछ वर्षों तक वर्ष में एक मास यही किया जाएगा, परन्तु यह भी चल नहीं सका। उस योजना में जो दोष था उसे समझकर और दूर कर अब यह समिति बनाई है। इसमें मेरे साथ सहयोग करने वाले कई और धनी-मानी और अनुभवी विद्वान् भी हैं। हम लगभग बीस लाख ऐसे युवक तैयार करना चाहते हैं जो देश के स्वाधीनता के युद्ध में प्रत्येक प्रकार से कार्य करने के लिए शिक्षित हों।”

उस भव्य मूर्ति ने बताया, “मैं लगभग छः सौ वर्ष से समाधिस्थ था। यह समाधि मैंने लगभग एक पक्ष हुआ, तोड़ी है। इससे बहुत-सी बातों का मुझे ज्ञान नहीं है।”

शंकर पंडित का विस्मय उसकी प्रत्येक बात से बढ़ता जाता था। वह छः सौ वर्ष की समाधि की बात सुन तो अवाक् रह गया। छः सौ वर्ष की समाधि का अर्थ तो था इतने काल तक बिना भोजन के रहना। फिर भी उसका शरीर उसे किसी

प्रकार से भी क्षीण नहीं दिखाई दिया। वह कठपुतली की भाँति उसके पीछे-पीछे चल उसके समीप जा बैठा, जहाँ वह भव्य मूर्ति पहले बैठा था। वह भव्य मूर्ति शंकर पंडित का विस्मय निवारण करने के लिए कहने लगा, "मेरी आयु दो सहस्र पांच सौ चौबीस वर्ष है।"

"सत्य ? आपका नाम क्या है ?"

"मेरा नाम चुमुण्ड था, परन्तु अब मुझे व्यास कहते हैं। इस आश्रम के गुरु की पदवी व्यास के नाम से विख्यात है। मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पर एक और व्यास अर्थात् गुरु थे। उनका नाम अविर्कीर्ण था। वह मेरे आने से पूर्व दो सहस्र वर्ष से अधिक यहाँ रह चुके थे। उनको देह छोड़े हुए सात सौ वर्ष के लगभग हो चुके हैं। तब से मैं यहाँ का गुरु नियत हुआ हूँ।"

"आपके ये साथी आपसे आयु में छोटे हैं या बड़े ?"

"कई लोग मुझसे बड़े हैं," एक की ओर संकेत कर गुरु ने कहा, "यह कर्मिष्ठ हैं। इनकी आयु तीन सहस्र वर्ष से ऊपर है। हममें से कोई भी एक सहस्र वर्ष से कम आयु का नहीं। जब से यह मार्ग बन्द हुआ है, आश्रम में कोई नया रहने वाला नहीं आया।"

"आप लोग इस घाटी से बाहर भी जाते हैं या नहीं ?"

"जाया करते थे, परन्तु जब से भारतवर्ष में यवनों का राज्य हुआ है तब से हमारा बाहरी संसार में आना-जाना नहीं रहा।"

"आपके आश्रम में लोग इतनी लम्बी आयु तक जीवित कैसे रहते हैं ?"

"काया-कल्प-विधान और समाधि के द्वारा जीवन लम्बा किया जा सकता है।"

"जीवन अधिक से अधिक कितना लम्बा किया जा सकता है ?"

"इस समय सबसे दीर्घ आयु वाले कर्मिष्ठ ही हैं।"

"इतनी लम्बी आयु से क्या लाभ होता है ?"

"ज्ञान और आत्म-शक्ति में वृद्धि।"

"उस वृद्धि से क्या लाभ जब आप उसका प्रयोग ही नहीं करते ?"

"भगवान् विकीर्ण व्यास और मुझ में इस बात पर मत-भेद हो गया था। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत और सुमेरु पर्वत पर ऐसे कई आश्रम थे। इन आश्रमों में मनन और ध्यान से ज्ञान-वृद्धि का प्रयत्न होता था। जीवन और जगत् के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता था। देश-देशान्तरों के विद्वान् यहाँ आते थे और सहस्रों वर्षों के मनन से प्राप्त ज्ञान से लाभ उठाते थे। जो भीमांसा जीवन की अथवा आत्मा-परमात्मा की इन आश्रमों में होती थी, उससे लोगों का मतभेद होने लगा। विपक्षियों को अपना मत मनाने के लिए बल-प्रयोग होने लगा। बलवान् का मत प्रबल होने लगा। तब इन आश्रम वालों में संसार से तटस्थ रहने का विचार उत्पन्न हो गया। जो धैर्य से अपने विपक्षी का मत नहीं

सुन सकता उसे सुनाने में लाभ न मान आश्रम वालों ने अपने को संसार से उदासीन बना लिया। परिणाम यह हुआ कि लोग आश्रमों की उपस्थिति ही भूल गए। हमें भी अपनी उपयोगिता में संदेह होने लगा।

“सात सौ वर्ष के लगभग हुए हैं जब विकीर्णदेव नेपाल मार्ग से भारतवर्ष में गए थे, तब यवन अधिपति गौरी-वंशज मुहम्मद ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। इन्द्रप्रस्थ के राजा पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचन्द्र की लड़की का स्वयंवर में उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध अपहरण किया था। इससे जयचन्द्र यवन-राजा की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। गुरु विकीर्ण व्यास ने जयचन्द्र को समझाया कि निज की बात को समाज के सामूहिक लाभ में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। वह पृथ्वीराज की सहायता को तैयार हो गया, परन्तु युद्ध के पूर्व ही उसने अपनी सेना को अपने दामाद के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यवन-अधिपति कई बार पृथ्वीराज से हार खा चुका था, परन्तु जयचन्द्र की सहायता पर विजयी हो गया।

“इस पराजय के पश्चात् भगवान् विकीर्ण व्यास ने भारतीय राजाओं-महाराजाओं को संगठित कर पुनः यवन-राज से भिड़ा देने का यत्न किया, परन्तु उनमें आर्यत्व लोप हो चुका था। उनमें अधिकांश स्वार्थरत थे और कुछ परलोक सुधारने में लीन थे। परिणाम यह हुआ कि देश में यवनों का राज्य स्थापित हो गया। भगवान् विकीर्ण व्यास असफल हो आश्रम में लौट आये। इस घटना के पश्चात् उन्होंने अपने जीवन और अपने संचित ज्ञान को व्यर्थ समझ देह छोड़ दी।

“मैं उनसे मतभेद रखता था। मैं समझता था कि जीवित रहकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपयुक्त समय पर आर्य लोगों को हमारे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और हमें उन लोगों को सुखी रखने के लिए इस अद्वितीय ज्ञान और शक्ति को संचित रखना चाहिए। हिमालय के अधिकांश आश्रमों के निवासी भगवान् विकीर्ण व्यास के मत के थे और एक के पश्चात् दूसरा देहावसान करता गया। वे आश्रम बंद हो गए और उनके सदस्य जो मेरे विचार के थे इस आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय यहाँ एक सौ दस महानुभाव निवास करते हैं।

“जब दिल्ली में अलाउद्दीन राज्य करता था और लोगों में बल, छल, लोभ, लालच से इस्लाम का प्रचार कर रहा था, लोग त्राहि-त्राहि कर उठे थे। इसे सुअवसर जान मैं भारतवर्ष में गया और मैंने हिन्दू राजा-रईसों का एक सम्मेलन बुलाया। मैं चाहता था कि उनको संगठित कर इस्लाम के विरोध के योग्य कर दूँ। सब मेरी बात को मानते थे परन्तु अपना नेता और भारत का सम्राट् चुनने में सहमत न हो सके। परिणाम यह हुआ कि दो मास तक गोरखपुर में वाद-विवाद करने के पश्चात्, बिना किसी निश्चय पर पहुँचे, सब लोग अपने-अपने घर लौट गए। वास्तव में उनमें कोई भी नेता बनने के योग्य नहीं था। जैन तथा वैष्णव मतों ने

भारतवासियों में समाजत्व का लोप कर दिया था। देश में मान-प्रतिष्ठा उसकी होने लगी थी जो संसार का त्याग करे, न कि जो संसार का नेता बने। ऐसे लोगों से सम्पर्क त्याग देने के लिए मैं समाधिस्थ हो गया। यह समाधि एक पक्ष हुआ, टूटी है।

“जब से समाधि टूटी है मैं संसार की बातों को जानने का यत्न कर रहा हूँ।”

“संसार की बातों को ? कैसे ? आप तो बाहर आते-आते नहीं हैं।”

“ठीक है। परन्तु हमारे पास साधन हैं कि हम पृथ्वी पर होने वाली किसी भी बात को सुन सकते हैं और किसी भी घटना को देख सकते हैं।”

“बहुत ही अचम्भे की बात है।”

“इसमें विस्मयजनक बात कुछ भी नहीं। विस्मय तो इस बात का है कि हम कभी-कभी भविष्य में होने वाली बातें भी जान जाते हैं।”

“कैसे ?”

“यह वान बताने की नहीं है, देखने और दिखाने की है।”

इम सब वृत्तान्त को सुन शंकर पंडित चकित रह गया। वह मन में सोचता था कि ये लोग सब प्रकार से संसार से पृथक् होने पर भी संसार की बातों में रुचि रखते हैं। भारतवर्ष से इनका अधिक स्नेह है और वहाँ के लोगों को ये आर्य कहते और समझते हैं। वह मन-ही-मन इन्द्र, नारद, विश्वामित्र, शिव, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं का हिमालय और सुमेरु पर रहना और उनका कार्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप स्मरण कर रहा था।

: २१ :

जब शंकर पंडित व्यासदेव से वार्तालाप कर रहा था तो आश्रम के प्रायः सब लोग घूमने बाहर चले गए थे। व्यासदेव भी उठा और शंकर पंडित को साथ ले गुफा से बाहर निकल आया। दोनों नदी की ओर चल पड़े। सायंकाल हो गया था और शंकर पंडित के खेमों से अग्नि का धुआँ उठता दिखाई दे रहा था। वहाँ खाना पक रहा था। व्यासदेव ने पूछा, “यह क्या हो रहा है ?”

“यह हमारा डेरा है और भोजन तैयार हो रहा है।”

“यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं। आप सबको खाने को मिल जाएगा।”

“क्या खाते हैं आप ?”

“हम लोग तो सप्ताह में एक अथवा दो बार ये फल खाते हैं,” इतना कह उसने झाड़ियों पर लगे हुए लाल रंग के फलों की ओर संकेत किया।

“आप हमें क्या खाने को देंगे ?”

“आप लोग ये फल पचा नहीं सकेंगे। इस कारण आपको दूसरे फल केला, अमरुद इत्यादि देंगे। हमने एक बगीचा इन फलों का लगा रखा है। जब हममें से कोई व्रत रखता है तो उसे वे फल खाने को मिलते हैं।”

शंकर पण्डित सोच रहा था कि क्या वह सत्य कह रहा है। वह उसकी प्रत्येक बात पर उसका मुख देखने लगता था और केशों से वृद्धता और शरीर से यौवन देख चकित रह जाता था। इस समय वे उस स्थान पर पहुँच गए थे जहाँ शंकर पण्डित के साथी डेरा डाले पड़े थे। शंकर पण्डित ने देखा कि आग जल रही थी, परन्तु खाना नहीं बन रहा था। वहाँ कई प्रकार के पके हुए फल एक ढेर में रखे हुए थे। एक पहाड़ी ने व्यासदेव की ओर संकेत कर बताया, 'ये इन लोगों ने भेजे हैं।'

व्यासदेव ने कहा, "मैं अब लौट जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ आइए। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ।"

शंकर पण्डित वापस लौट पड़ा। व्यासदेव ने पूछा, "आप इस गुप्त मार्ग को जानकर क्या करेंगे?"

शंकर पण्डित के मन में शरारत सूझी। वह मुस्कराकर बोला, "आप तो भविष्य को जान जाते हैं न? आप ही बता दीजिए।"

"मैं त्रिकालज्ञ नहीं हूँ। मैंने तो कहा था कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी कभी-कभी जान जाते हैं। हमारे पास इनको जानने के साधन हैं। आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ।"

"अच्छी बात है।"

व्यासदेव ने फिर बात आरम्भ कर दी, "जब मैंने समाधि ली थी तो दिल्ली में अलाउद्दीन राज्य करता था। लगभग छः सौ वर्ष के पश्चात् अब मैंने समाधि तोड़ी है। बहुत-सी बातें मैंने आश्रम-निवासियों से जान ली हैं। शेष मैं जानना चाहता हूँ। हमारे पास जो यंत्र हैं हम उनसे लोगों के उन विचारों को ही जान सकते हैं जो वे बातों में कहते हैं। जो बातें और घटनाएँ भूतकाल में हो चुकी हैं उनका चित्र धीरे-धीरे धुँधला होता जाता है। उनको देखने में कठिनाई होती है। उन्हें हमें लिखित पुस्तकों में देखना पड़ता है।"

"कहाँ का चित्र धुँधला पड़ता जाता है?"

"जो कोई घटना इस पृथ्वी पर घटती है अथवा जो कुछ कोई मनुष्य कहता है वह सब द्युलोक में अंकित हो जाता है। जिन बातों और घटनाओं का प्रभाव गहरा होता है उनका चित्रण स्पष्ट होता है और अधिक काल तक रहता है। इस पर भी कालान्तर से धीरे-धीरे मिटता जाता है। हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो द्युलोक के इन चित्रों को हमारी आँखों के सम्मुख चित्रित कर देते हैं।"

शंकर पण्डित बातों के अर्थ तो समझ रहा था, परन्तु वह यह नहीं समझ सका था कि इन लोगों के पास वे यंत्र कहाँ हैं, और फिर द्युलोक कहाँ है और वहाँ कैसे चित्र बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन लोगों के पास पहनने को कपड़ा तक तो था नहीं और इतने अद्भुत यंत्रों की बात ये कर रहे थे। व्यासदेव

शंकर पण्डित के मुख को देख यह जान गया था कि उसके कहने का विश्वास नहीं हो रहा। इससे वह कहने लगा, “आपको इन बातों का विश्वास नहीं होता न। देखिए, आप ही के विषय में मैं कुछ बातें बताता हूँ। आज से पाँच दिन पूर्व पाटन से दस मील इधर इस मार्ग के द्वार पर की झाड़ियाँ आप लोग काट रहे थे। इस काम में आपको तीन दिन लगे। फिर एक दिन आपने कुछ नहीं किया और उसमे अगली रात आप रात को ही खच्चरों पर माल लादकर इस मार्ग के द्वार पर आ पहुँचे और आज प्रातःकाल से आप चलते हुए मध्याह्न पश्चात् यहाँ पहुँचे थे। जब आप खेमा लगा रहे थे तब हमारी उपासना का समय हो गया और हम आपको छोड़ हवन पर आ बैठे।”

“तो आपको यह भी विदित हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से इधर आ रहे हैं?”

“हाँ, वे सब बातें जो आप परस्पर करते रहे हैं हम अब भी बता सकते हैं। परन्तु आपके इस मार्ग के ढूँढ़ने का मुख्य प्रयोजन उन बातों में नहीं आया। इसमे हम नहीं जानते।”

इस समय वे गुफा के द्वार पर पहुँच गए। शंकर पण्डित को व्यासदेव अब वाई ओर ले गया। हवन करने का स्थान दाहिनी ओर था। गुफा में पूर्ण अन्धकार था। कुछ दूर तक तो पण्डित बाहर के धुँधले प्रकाश में मार्ग देख चलता गया। पश्चात् उसे दिखाई देना बन्द हो गया और वह पाँवों से टटोल-टटोलकर चलने लगा। इस समय व्यासदेव ने कहा, “अँधेरा प्रतीत होता है क्या?”

“जी!”

“अच्छी बात। अपने स्थान पर खड़े रहो। मैं प्रकाश करता हूँ।”

शंकर पण्डित वहीं खड़ा हो गया। एक-आध मिनट तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर धीरे-धीरे अँधेरा लुप्त होता गया और प्रकाश बढ़ता प्रतीत होने लगा। उसने ऊपर, नीचे और चारों ओर देखा, परन्तु वह नहीं जान सका कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुफा की छत और दीवारें प्रकाशमय हो गई हैं। प्रकाश दीवारों और छत से ही निकलता प्रतीत होता था। एक और मिनट में इतना प्रकाश हो गया कि शंकर पण्डित अपने हाथ की बारीक-मे-बारीक रेखा भी देख सकता था। व्यासदेव उसके समीप खड़ा था। शंकर पण्डित ने पूछा, “यह आपने कैसे किया है?”

इसका उत्तर देने की अपेक्षा व्यासदेव ने कहा, “अब चले आओ।”

दोनों आगे बढ़े। इस सुरंग में कुछ दूर जाने पर वैसा ही एक बड़ा कमरा आया जैसाकि सामने की सुरंग में था। यह भी पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो रहा था। इस कमरे के एक कोने में आश्रम के कुछ लोग खड़े किसी वस्तु को ध्यान से देख रहे थे। व्यासदेव ने बताया, “यह हमारी यंत्रशाला है। यहाँ हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार

के यंत्र रखे हैं जिससे हम बाह्य संसार से सम्पर्क रखते हैं। आइए, आपको दिखाऊँ। देखिए, ये लोग यूरोप के युद्ध की घटनाओं को देख रहे हैं।”

“यूरोप का युद्ध !” यह शंकर पण्डित के विस्मय को पराकाष्ठा तक ले जाने वाला सिद्ध हुआ। वह उन लोगों के समीप जा खड़ा हुआ। वे लोग एक कुंड के चारों ओर खड़े थे। कुंड में बिल्लौर की भाँति एक सपाट और स्वच्छ वस्तु रखी थी। उसमें ये लोग देख रहे थे।

एक नगर का चित्र था। मकानों, दूकानों और बाजारों के दृश्य थे। स्थान-स्थान पर फौजी मोर्चा डाले खड़े थे। मकानों की छतों और दूकानों के भीतर से लोग उन मोर्चा डालने वाले सिपाहियों पर गोलियाँ चला रहे थे। वे भी मशीन-गनों से मकानों की छतों और सामने की दूकानों पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। एक मकान के सामने तो घमासान लड़ाई मच रही थी। आक्रमण करने वालों में से भी लोग धड़ाधड़ घायल हो रहे थे और मर रहे थे। मकान के नीचे दूकान थी और दूकान के बाहर साइनबोर्ड लगा था। साइनबोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ शंकर पण्डित ने कहा, “यह तो ओडिस्सा है।”

“हाँ,” व्यासदेव ने कहा, “आप यहाँ की भाषा जानते हैं ?”

“मैंने इसे पढ़ा है। ये बाजारों में मोर्चा बाँधे रूसी प्रतीत होते हैं।”

“हाँ, रूसी जर्मन वालों से यह नगर वापस छीन रहे हैं और जर्मन या यों कहो कि जर्मनों के अधीन रमानियन सिपाही नगर छोड़कर भाग रहे हैं।”

कुंड के समीप एक कीली लगी थी। एक आश्रम-निवासी ने उसे घुमाया। इसमें कुंड में की तस्वीर बदलने लगी। एक बाजार के पश्चात् दूसरा दिखाई देने लगा। इस प्रकार बदलते-बदलते बन्दरगाह का दृश्य सम्मुख आ गया। वहाँ पर जहाजों में घायल और स्वस्थ सिपाही चढ़ रहे थे। टैंक, हवाई जहाज, तोपें और अन्य लड़ाई का सामान भी लादा जा रहा था।

व्यासदेव ने कहा, “यह ‘ब्लैक सी’ का दृश्य है। यहाँ भगदड़ मच गई है।” व्यासदेव के कहने पर कीली और घुमाई गई और कुंड में दृश्य बदलने लगे। इस बार कीली को नीचे दबाकर घुमाया गया और दृश्य जल्दी-जल्दी बदल रहे थे। एक स्थान पर पहुँचकर व्यासदेव के कहने पर कीली पुनः ऊपर उठा ली गई और अब घुमाने पर दृश्य स्पष्ट और समीप दिखाई देने लगा।

व्यासदेव ने कहा, “यह बुखारेस्ट है। रूसी हवाई जहाज यहाँ आक्रमण कर रहे हैं।”

हवाई जहाजों से मच रही तबाही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब पुनः कीली को दबाकर घुमाया गया। इस बार रूस के एक नगर का दृश्य था। यहाँ पहुँचकर फिर कीली को उभार लिया गया और दृश्य समीप होने से देखा गया कि यह यूराल पर्वत का दृश्य है। बर्फ से लदी चोटियाँ और मैदान थे। दृश्य बदलते-बदलते

एक बहुत भारी कारखानों के केन्द्र पर पहुँच गया। एक कारखाने के सम्मुख पहुँच कर कीली का घुमाना रोक दिया गया। कारखाने के फाटक से टैंक बन-बनकर निकल रहे थे। प्रत्येक दो मिनट में एक टैंक निकलता था। इस प्रकार टैंकों का एक प्रवाह-सा निकल रहा था। व्यासदेव ने कहा, “यह जाति कभी हार नहीं सकती। अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ कि इस कारखाने की नींव रखी गई थी और अब दो मास हो गए हैं कि यहाँ से इन टैंकों की नदी-सी बहती चली जा रही है। इसी प्रकार अन्य कारखाने हैं। कहीं पर तोपें, कहीं बन्दूकें और कहीं गोला-बारूद इसी वेग से बन रहा है। इन कारखानों के चालू होने से युद्ध के मैदानों में इस प्रकार की वस्तुओं का एक ज्वार-भाटा-सा आ गया है।”

इसके पश्चात् कारखानों के भीतर-बाहर के बहुत-से दृश्य देखे गए। इस बीच में शंकर पण्डित ने भारतवर्ष के किसी स्थान के दृश्य को देखने की इच्छा प्रकट की। इससे कीली घुमाने वाले ने पुनः कीली को नीचे दबाया और घुमाना आरम्भ कर दिया। देहली का दृश्य सामने आ गया। दृश्य के समीप करने पर कनाट सरकारस और वहाँ से पालियामेण्ट स्ट्रीट और ऑल इण्डिया रेडियो का मकान दिखाई दिया। इस समय व्यासदेव ने पूछा, “आप कुछ सुनना भी चाहेंगे शायद ?”

“हाँ, यदि सम्भव हो तो।”

व्यासदेव ने कीली घुमाने वाले की ओर घूमकर देखा। उसने उस जुण्ड के समीप एक ओर लगी हुई कीली को घुमाया। शीघ्र ही किसी के हिन्दुस्तानी में बोलने की स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगी। फिर पहली कीली को घुमाने से दृश्य ब्राँडकार्स्टिंग हाउस के भीतर आ गया। एक हिन्दुस्तानी, माइक्रोफोन के सम्मुख बैठा, एक कागज हाथ में लिये पढ़ रहा था। पढ़ने वाला कह रहा था, “मिस्टर एमरी, ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया’ ने पालियामेण्ट में मिस्टर सुरेन्सन के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘बंगाल में अकाल की भयानक अवस्था कुछ हिन्दुस्तान के समाचार-पत्रों ने लिखी है वह सत्य नहीं है। कुछ भिखमंगे जल्द मर रहे हैं। वैसे आम लोगों की अवस्था अच्छी है।’ इस वक्तव्य के पश्चात् अब किसी को यह कहने की अथवा लिखने की आवश्यकता नहीं रही कि ‘हिज मैजिस्टी’ की सरकार को हिन्दुस्तान के लोगों के खाने-पीने का फिकर नहीं है। भारत सरकार के मह-कमा-खुराक ने पंजाब से बंगाल के लिए गेहूँ खरीदने का प्रबन्ध कर दिया है। फूड मेम्बर साहब अपनी ओर से सिर-तोड़ यत्न कर रहे हैं कि जल्दी-से-जल्दी अन्न-अनाज बंगाल में पहुँच जाए।

“कठिनाई यह है कि हिन्दुस्तान में दस वर्ष में लगभग पाँच करोड़ की आबादी बढ़ गई है। हिन्दुस्तान में इन सबके लिए अन्न उत्पन्न नहीं होता, इस कारण कुछ लोगों को भूखों मरना ही पड़ेगा। इस समय दुनिया की हालत ऐसी है कि विदेशों से हिन्दुस्तान में अन्न-अनाज लाना कठिन है। फूड मेम्बर ने ‘ग्रो मोर फूड’

(अधिक अनाज पैदा करो) की नीति का प्रचार आरम्भ कर दिया है और आशा की जाती है कि भूख से मरने वालों की संख्या शीघ्र ही कम हो जाएगी।”

व्यासदेव शंकर पण्डित को इसी कमरे के एक दूसरे कोने में ले गया। वहाँ ले जाकर उसने कन्दरा की दीवार में एक चौकोर पत्थर को दिखाया और कहा, “इस पत्थर के पीछे वह यन्त्र लगा है जिसके द्वारा हम प्रकृति की अतुल शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में भारी परिमाण में शक्ति रहती है। इस यन्त्र से हम उस शक्ति का उपार्जन करते हैं। यूरोप के लोग, जो अपने को विज्ञान के भारी पण्डित मानते हैं, अभी इसे प्राप्त करने का ढंग नहीं जान सके। अमेरिका में एक बड़ा कारखाना जो मीलों तक फैला हुआ है, इसी काम के लिए लगा हुआ है। जो कुछ वहाँ किया जा सका है वह एक बहुत कम मात्रा में मिलने वाले पदार्थ के परमाणुओं की सहायता से एक दूसरा पदार्थ बनाया गया है और उस दूसरे पदार्थ के परमाणुओं को तोड़कर उनसे शक्ति प्राप्त करने का उपाय किया गया है। अभी तक तो वे लोग उस शक्ति से विनाशकारी कार्य ही कर सके हैं। इसके विपरीत हम एक ऐसी धातु से, जो दुनिया में काफी मात्रा में मिलती है, इस शक्ति को एक धारा-प्रवाह के रूप में प्राप्त कर सकने में सफल हो चुके हैं। धातु सीसा है। सीसा पहले एक क्रिया से सजग अर्थात् उत्तेजित किया जाता है। फिर इसे हम ऐसे ढंग पर इस यन्त्र में लगाते हैं कि उस सीसे के टुकड़े की परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति एक धारा के रूप में निकलने लगती है।

“इस शक्ति के प्रवाह को हम क्रियात्मक और विनाशात्मक कामों में लगा सकते हैं। आपने देखा है कि मैंने पूर्ण कन्दरा को प्रकाशमय कर दिया है। यह इसी शक्ति से किया है। हमारी सार्वभौमिक दिव्य दृष्टि तथा दिव्य श्रवण-शक्ति इसी के आश्रय बनी है और चलती है, और अनेक अन्य काम हम इसी शक्ति के आश्रय कर सकते हैं और यदि चाहें तो पूर्ण भारतवर्ष के कामों को फोकट में चला सकते हैं। इस शक्ति को परमाणुओं से मुक्त करना एक काम है और इसको किसी कार्य में लगाना दूसरा काम है।”

शंकर पण्डित के मन में एक बात बार-बार उठ रही थी। वह अब इसे पूछे बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, “परन्तु भगवन्, यदि आप इतने विशाल ज्ञान को रखते हैं तो क्या आप अपने लिए बस्त्र नहीं बना सकते? आप नंगे हैं। आपके केश अनियमित रूप से बड़े हुए हैं। आप भोजन पकाकर खाने के स्थान पर केवल फल खाते हैं। ये सब बातें तो विज्ञानविहीन लोगों की-सी पतीत होती हैं।”

व्यासदेव हँस पड़ा। फिर शंकर पण्डित की ओर घूमकर कहने लगा, “आप हमारे पास आकर रहें तो दस वर्ष के भीतर ही आप कपड़ों का पहनना अथवा अन्न का पका हुआ खाना पसन्द करना छोड़ देंगे। जब बाहर के संसार से कभी कोई नया व्यक्ति यहाँ रहने आता है तो वह कुछ वर्ष तक तो कपड़े पहनना, केश

सँवारना, पका भोजन करना पसन्द करता रहता है; पश्चात् अपने आप ही, बिना हमारे कहने अथवा प्रेरणा करने के, इन व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। हमारी पूर्ण शक्ति और रुचि तो ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान से प्राप्त आनन्द के भोग करने में लग जाती है। हमें कपड़े इत्यादि व्यर्थ की बातों में रुचि ही नहीं रहती।”

इसी प्रकार बातें करते-करते वे और कुछ और लोग यज्ञशाला अर्थात् उसी कमरे में चले आए जहाँ हवन हो रहा था। वहाँ कुछ लोग बैठे वही बेर के समान लाल रंग के फल खा रहे थे। शंकर पण्डित ने पूछा, “सब लोग नहीं खाते क्या?”

“नहीं। सप्ताह में एक या दो बार खाने की आवश्यकता रहती है। यह फल गरिष्ठ और शक्तिकारक है। एक बार खाने से कई दिन तक आधार रहता है। जिस दिन जिसको भूख लगती है यहाँ भोजन के समय आ जाता है और फल खाता है।”

“तो आपने भोजन करना है आज?”

“हाँ, मुझे आज भूख लग रही है।”

: २२ :

व्यासदेव और शंकर पण्डित खाने के लिए बैठ गए। शंकर पण्डित केले और अमरूद खा रहा था और व्यासदेव वही लाल फल। दोनों परस्पर बातें भी करते जाते थे। व्यासदेव ने कहा, “हिन्दुस्तान में अपने राजा से कितने लोग सन्तुष्ट हैं और कितने असन्तुष्ट?”

“यों तो कोई नहीं चाहता कि अंग्रेज राज्य करें, परन्तु फिर भी लोगों में अंग्रेजी राज्य हटा देने के विषय में भिन्न-भिन्न विचार हैं। जनता का एक भाग है जो उन्हें तुरन्त निकाल बाहर करना चाहता है और ऐसे लोग भी हैं जो यह चाहते हैं कि धीरे-धीरे राज्य अंग्रेजों से हिन्दुस्तानियों के हाथ में आवे। उनका अभिप्राय यह है कि जनता में जो स्थिति उनकी बन गई है वह बनी रहे। क्रान्ति में, अर्थात् एकदम राज्य बदलने से, उनके अपनी स्थिति से च्युत हो जाने की सम्भावना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि राज्य अंग्रेजों के हाथ से निकलकर उनके सम्प्रदाय वालों के हाथ में आए, दूसरे मत वाले राज्य-कार्य न सँभाल लें। इस प्रकार के मतभेदों से अंग्रेज अपनी राज्य सत्ता जमाए हुए हैं।”

“देखिए, पण्डितजी, हम लोग जो सैकड़ों वर्ष तक संसार से पृथक् रहकर भी अपना निर्वाह शान्तिपूर्वक कर सकते हैं, भारतवर्ष के सांसारिक मामलों में क्यों रुचि रखते हैं, यह एक प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ तो ठीक होगा। संसार में सुख और शान्ति स्थापित रहने से हमें भी सुख और शान्ति मिलती है। लोगों को कीड़े-मकोड़ों की भाँति मरते देख हमें दुःख होता है। ये लोग क्यों परस्पर लड़कर मरते हैं, हम इसमें विचारों की अशुद्धता ही कारण

मानते हैं। भारतवर्ष में एक ऐसी विचारधारा प्रचलित है जो संसार में सुख-शान्ति स्थापित करने और मानव-समाज को उन्नत करने की शक्ति रखती है। वह विचारधारा है पुनर्जन्म का सिद्धान्त और कर्मों का फल मिलने में अनिवार्यता; जहाँ राजा से लेकर चाण्डाल तक यह समझता हो कि यद्यपि उससे किए गए अच्छे और बुरे कामों का फल दिखाई नहीं देता, तो भी फल अवश्य मिलेगा और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, वहाँ यह एक प्रकार का मनुष्य की उच्छृंखलता पर प्रतिबन्ध है। अन्य किसी भी जाति की विचारधारा में यह बात इस प्रकार धँसी हुई नहीं है जैसी भारतीय सभ्यता में है। हमने निश्चय किया है कि जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं उनकी विजय होनी चाहिए, जिससे वह जाति संसार में सुख और शान्ति स्थापित कर सके।”

“आप ठीक कह रहे हैं,” शंकर पण्डित ने उत्तर दिया, “परन्तु कई कारणों से अधिकांश भारतवासी ऐसी विचारधारा रखते हुए भी काम-काज में इसके अनुकूल आचरण नहीं करते। इस समय युद्ध चल रहा है। अनेक लोग युद्ध के लिए सामग्री बनाने में लगे हुए हैं और यह तो हम लोग जानते हैं कि कितनी धोखाधड़ी, बेईमानी और रिश्वत चल रही है। देखते-देखते लोग भिखारी से राजा हो गए। वे स्वयं और उनको देखने वाले भी जानते हैं कि उनकी कमाई अधर्म की है, फिर भी लोग समझते हैं कि वे पूर्वजन्म के पुण्य-कर्मों से धनी हुए हैं।”

“यह ठीक है और यही कारण है कि भारतवर्ष परतन्त्र है, परन्तु जो अच्छाई बीज रूप में, भारतीय सभ्यता में विद्यमान है वह अपना रँग लाये बिना नहीं रह सकती। हमारा तो यह मत है कि किसी अच्छे सिद्धान्त को मानते हुए यदि दूषित परिस्थिति के कारण लोग बिगड़े हुए हैं तो वे सुगमता से सुधर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोगों के हाथ में राज्य-सत्ता सदैव, हितकर ही सिद्ध होगी। पाश्चात्य सभ्यता में यही दोष है कि वे लोग मनुष्य का वर्तमान जीवन ही सब कुछ मानते हैं, अर्थात् न इसके पूर्व कुछ और था और न पीछे कुछ रहेगा। अतएव जब यह देखा जाता है कि एक मनुष्य धोखा-फरेब से जन्म-भर सुख और आनन्द प्राप्त कर लेता है तो लोगों का ईमानदारी और न्याय में विश्वास ही उठ जाता है। इससे दिन-प्रतिदिन समाज पतन की ओर ही जाता है। यही कारण है कि भौतिक वैभव प्राप्त करने पर भी यूरोप घोर पतिततावस्था में है। लोग कीट-पतंग की भाँति पैदा होते हैं, क्षण-भंगुर सुख-वैभव में चकाचींध रहकर मर जाते हैं।”

“फिर भी वे संसार पर राज्य करते हैं।”

“उनके संसार पर राज्य करने की हमें चिन्ता नहीं। हमें चिन्ता है आर्य धर्म के मानने वालों पर उनके राज्य करने की। मुसलमानों और अंग्रेजों का राज्य भारतीयों पर उचित नहीं। फिर भी वे शासक हैं और इसका कारण है भारतीयों के हाथ में अनमोल रत्न रहते हुए उसके मूल्य को न जानना।”

शंकर पण्डित ने अपने नेपाल-तिब्बत मार्ग को ढूँढ़ने का कारण बताते हुए कहा, “हम भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उस योजना में हमें भारतवर्ष से बाहर रहकर कुछ तैयारी करनी है। इससे हम चाहते हैं कि विदेशों से सम्पर्क रखने के लिए भारत की सीमा को पार करने का कोई गुप्त मार्ग मिल जाय। चालू मार्गों पर अंग्रेजों की देखरेख रहती है।”

“स्वराज्य का क्या रूप होगा ?”

“प्रजातन्त्र राज्य-पद्धति प्रचलित होगी। परन्तु यह बात तो बाद में विचार करने की है। हमारी संस्था तो अभी विदेशी राज्य को हटाने का यत्न कर रही है।”

“राजा कौन होगा ?”

“प्रजातन्त्र राज्य-पद्धति में राजा को राष्ट्रपति कहते हैं जो समय-समय पर लोगों की सम्मति से बदला जा सकता है।”

“राजा के पद के इच्छुक लोगों के लिए कोई न्यून-से-न्यून योग्यता निश्चित होगी या नहीं।”

“होनी ही चाहिए, परन्तु यह योग्यता क्या होगी, अभी कहना सम्भव नहीं। प्रजा के विद्वान् लोग ही इस बात को निश्चित करेंगे। राजा कौन हो, किस योग्यता का हो और कितने काल के लिए हो, प्रजा से निर्मित विधान-समिति ही निश्चय करेगी।”

“यदि लोग एकमत न होंगे तो ?”

“तो बहुमत मान्य होगा। अल्पमत को बहुमत के सम्मुख सिर झुकाना पड़ेगा।”

“यदि बहुमत के लोग निर्बल हों, अल्पमत के लोग शक्तिशाली, तो अल्पमत बहुमत को अपने अधीन कर लेगा।”

“यह बात ठीक है। इस समय यही तो हो रहा है। अंग्रेजों की संख्या भारत-वासियों से बहुत कम है। इस पर भी शक्तिशाली होने से वे भारतवर्ष पर, यहाँ के रहने वालों की इच्छा के प्रतिकूल अपना राज्य रखे हुए हैं। जब तक भारतवासी भारतवर्ष में अंग्रेजों से अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाते तब तक राज्य अंग्रेजों के हाथ से छीना नहीं जा सकता।”

“परन्तु मैं तो यह कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में भी दो पक्ष हो सकते हैं और अल्पमत अधिक शक्तिशाली हो सकता है।”

“हाँ, इस समय भारतवर्ष में मुसलमान मत के लोग भी हैं। उनका व्यवहार हिन्दुओं से भिन्न है और वे राजनीतिक विषयों पर उनसे मतभेद रखते हैं। मुसलमानों की शक्ति इस समय हिन्दुओं से अधिक है, यद्यपि संख्या में वे कम हैं। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को पिछले चालीस वर्ष से अधिकाधिक

शक्तिशाली बनाने का यत्न करती रही है। ब्रिटिश सरकार की अपनी शक्ति भी मुसलमानों के पक्ष में रहती है। फिर भी हमारी संस्था इन बातों से नहीं डरती। हमारा मत है कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की सहायता के बिना भी स्वराज्य हो सकेगा। मुसलमानों के विरोध से कुछ कठिनाई अवश्य होगी, परन्तु स्वराज्य की स्थापना असम्भव नहीं है। रहा स्वराज्य प्राप्त करने के पश्चात् मुसलमानों अथवा किसी और अल्पमत का विरोध। उसके लिए भी हम नहीं डरते। जब सब को बराबर का अधिकार और सबके लिए उन्नति करने का बराबर का अवसर होगा तो अल्पमत किसी प्रकार भी बहुमत से प्रबल नहीं हो सकेगा।”

“मुसलमान और उनके नेता जिन्ना क्या चाहते हैं?”

“वे समझते हैं कि हिन्दू बहु-संख्या में हैं। प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो जाने पर हिन्दू बहुमत रखते हुए उनकी सभ्यता का विरोध करेंगे। इस कारण वे हिन्दुस्तान के कुछ भागों में अपना राज्य चाहते हैं।”

“यदि मुसलमानों का एक पृथक् राज्य हो भी गया तो क्या हिन्दू राज्य में मुसलमानों की सभ्यता सुरक्षित हो जाएगी?”

“वास्तव में अधिकांश मुसलमान यह समझते हैं कि अंग्रेजी राज्य के पश्चात् हिन्दुस्तान में मुसलमानों का राज्य होना चाहिए और जब वे देखते हैं कि हिन्दू लोग ऐसा होने नहीं देंगे तब वे हिन्दुओं का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य तब ही जाय जब मुसलमान राज्य लेने के योग्य हो जाएँ और हिन्दू अयोग्य।”

“कांग्रेस और मुस्लिम लीग का परस्पर क्या विवाद है?”

“अधिकांश हिन्दू यह चाहते हैं कि देश में देश के रहने वालों का राज्य हो। हिन्दू-मुसलमान का भेद-भाव न रहे। कांग्रेस में प्रायः हिन्दू हैं। मुस्लिम लीग वाले यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान में यदि प्रजातंत्र राज्य हो गया तो वास्तव में हिन्दुओं का राज्य हो जाएगा। इस कारण वे चाहते हैं कि पहले तो हिन्दुस्तान का एक भाग पूर्ण रूप से मुसलमानों के हाथ में हो जाए, पश्चात् या तो धमकी देकर हिन्दू भाग को डराकर मुसलमानों के अधीन रखेंगे, नहीं तो हिन्दू भाग को विजय कर लेंगे। हिन्दू और हिन्दुस्तान में बसने वाले दूसरे लोग हिन्दुस्तान के टुकड़े नहीं चाहते और न ही किसी एक सम्प्रदाय का राज्य चाहते हैं। इन लोगों के प्रतिनिधि महात्मा गांधी हैं।”

“मुसलमानों के मन में यह विश्वास क्यों नहीं बैठा दिया जाता कि उनके धर्म अथवा सभ्यता पर कोई आघात नहीं किया जाएगा?”

“विश्वास बातों से नहीं बैठाया जा सकता और न ही पक्षपात से पूर्ण मन में विश्वास जम सकता है। जब स्वराज्य होगा तब ही तो मुसलमानों को अपनी सभ्यता और धर्म की स्वतन्त्रता का भास हो सकता है। पहले तो केवल बताने की

ही बात है। यथार्थ में बात विश्वास दिलाने की नहीं है, प्रत्युत विश्वास के विषय की है। उदाहरण के रूप में मुसलमान चाहते हैं कि किसी मुसलमान को यदि वह चाहे भी तो हिन्दू सभ्यता और धर्म स्वीकार करने की स्वीकृति न हो और हिन्दू को मुसलमान मत स्वीकार करने में बाधा न हो। मुसलमान चाहते हैं कि मसजिदें तो सर्वत्र बन सकें, परन्तु दूसरे मतावलम्बी भजन-कीर्तन अथवा बाजा भी उनके सम्मुख न बजा सकें। मुसलमान चाहते हैं कि मसजिदों के समीप यदि कोई मन्दिर हो तो उसमें आरती-कीर्तन न हो सके। यहाँ तक कि यदि कोई मर भी जाए तो उसके सम्बन्धी भी, यदि वे किसी मसजिद के समीप हों, तो राम-नाम नहीं जप सकते। केवल इतना ही नहीं, प्रत्युत वे चाहते हैं कि योग्यता-अयोग्यता का विचार छोड़कर मुसलमानों को एक निश्चित संख्या में नौकरियाँ मिल जाएँ।

“हिन्दू समझते हैं कि इस प्रकार काम नहीं चल सकता और वे ऐसी किसी बात का आश्वासन देना नहीं चाहते। अधिक-से-अधिक जो कुछ हो सकता है वह राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक मामले में समानाधिकार देने की बात है।”

“क्या आपकी संस्था, जो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यत्न कर रही है, महात्मा गांधी की अनुयायी है?”

“पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण हिन्दू जाति महात्मा गांधी का मान और प्रतिष्ठा करती है। हम लोग भी उनके प्रशंसकों में हैं, परन्तु राजनीति के विषय में हम कई मामलों में उनसे मतभेद रखते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि अधिकार प्राप्त करने के लिए आत्मिक, शारीरिक, मानसिक शक्ति और साधनों की शक्ति होनी चाहिए। बिना इस शक्ति को उपलब्ध किए जो अधिकार माँगने अथवा प्राप्त करने जाता है वह सफल नहीं हो सकता। हम पूर्व इसके कि अंग्रेजों को यह कहें कि वे भारत छोड़ दें अपने में इतनी शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं कि दो बार इस बात के कहने की आवश्यकता न रहे। दूसरी बात जो हमें महात्मा गांधीजी की पसन्द नहीं, वह है दुष्ट को दुष्टता करने का अवसर देना। हम उनकी भाँति यह विश्वास नहीं रखते कि दुष्ट की आत्मा ही दुष्ट को ठीक मार्ग पर आने की प्रेरणा करेगी। दुष्ट की दुष्टता मिटाने का उपाय है, उसे ठीक मार्ग पर चलने का अभ्यास डलवाना। यह अभ्यास मीठी-मीठी बातों से नहीं पड़ता। इसके लिए बल-प्रयोग की आवश्यकता है। यह ठीक है कि बल-प्रयोग के साथ-साथ शिक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिए, परन्तु केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता। नेताओं को राज्य के नेतृ, शान्तिप्रिय और ईमानदार लोगों का अधिक ध्यान रखना होगा। दुष्टों को शिक्षा ईमानदारों को कष्ट देकर नहीं दी जा सकती।”

व्यासदेव का कहना था, “यह सब ठीक है, परन्तु महात्मा गांधी तथा उनके अनुयायी कैसे दुष्ट को दुष्टता करने का अवसर देते हैं?”

“उनकी अहिंसात्मक नीति का यही अभिप्राय और परिणाम है। वे लोगों को

यह बताते हैं कि कभी भी किसी को किसी पर भी बल-प्रयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह तो ठीक है कि महात्माजी के अनुयायियों के हाथ में अभी राज्य-सत्ता नहीं है, परन्तु यह नीति न तो स्वराज्य-प्राप्ति में और न ही स्वराज्य-रक्षा में सफल हो सकती है।”

“छोड़िए इन झगड़ों को। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं और फिर सफल होने पर क्या करना चाहते हैं?”

“हमारा विचार यह है कि हमारी संस्था दस वर्ष में उतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि हम अंग्रेजों से राज्य छीनने में सफल हो जाएँगे। उस समय हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह कह देंगे कि हिन्दुस्तान पर उनको राज्य करने की आवश्यकता नहीं है। वे उस सम्मति को मानेंगे अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। यदि उस समय ‘कंजर्वेटिव पार्टी’ प्रभुत्व में हुई तो फिर हमें विप्लव खड़ा करना पड़ेगा और यदि मजदूर दल का प्रभुत्व हुआ तो हमारी इंग्लैण्ड से किसी प्रकार की सन्धि हो जाएगी जिसमें भारत की स्वतन्त्रता निहित होगी। और यदि विप्लव खड़ा करना ही पड़ा तो हम उसके लिए पहले ही तैयार होंगे। यह विप्लव केवल हिन्दुस्तान के भीतर ही नहीं होगा, प्रत्युत विदेशों में रहने वाले हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तान से सहानुभूति रखने वाले विदेशी भी हमारा साथ देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ अंग्रेज इतनी मूर्खता नहीं करेंगे कि संसार-भर के लोगों से झगड़ा कर लें।

“जब स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा या जब अंग्रेज अपना अधिकार हिन्दुस्तान से उठा लेंगे तब अस्थायी राज्य तो हमारी संस्था ही करेगी और स्थायी राज्य के विधान को भारतवर्ष की जनता के प्रतिनिधि निश्चय करेंगे। एक अवधि निश्चित कर दी जाएगी जिसके भीतर विधान तैयार कर देना होगा। फिर राज्य उस विधान के अनुसार चलेगा। प्रत्येक बीस अथवा तीस वर्ष के पश्चात् नयी विधान समिति बुलाई जाया करेगी जो पुराने विधान में संशोधन किया करेगी।”

: २३ :

अगले दिन शंकर पंडित अभी उठा ही था कि व्यासदेव और अन्य आश्रम-निवासी नदी पर स्नान करने पहुँचे हुए थे। शंकर पंडित शौचादि से निवृत्त हो नदी-किनारे पहुँच गया। उसका विचार स्नान करने का नहीं था। बर्फ से तुरन्त पिघला हुआ जल नदी में बह रहा था। इस जल में हाथ डालने से हाथ सुन्न हो जाता था, परन्तु आश्रम-निवासी कमर तक जल में खड़े हो मंत्र-पाठ कर रहे थे। व्यासदेव भी नदी में खड़ा था। शंकर पंडित हाथ-पाँव भी संकोच से धो रहा था। व्यासदेव की दृष्टि उस ओर गई तो हँस पड़ा। व्यासदेव पाठ समाप्त कर चुका था और बिना बदन पाँछे शंकर पंडित के समीप आ कहने लगा, “आप इस जल की शीतलता सहन नहीं कर सकेंगे।”

“आप इतने वृद्ध होकर भी इसमें कितने ही काल से खड़े हैं!”

“हमारी बात दूसरी है। हमने योगाभ्यास से अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन कर रखा है। ऊष्णता तथा शीतलता अनुभव करने के लिए स्पर्श इन्द्रिय बनी है। यह हमारे अधीन है। जैसे किसी मकान का मालिक अपनी इच्छा से दरवाजा खोल या बन्द कर सकता है वैसे ही हम अपने शरीर के मालिक हैं।”

शंकर पंडित के मन में पिछली रात से एक प्रश्न चक्कर काट रहा था। अब सुअवसर जान उसने पूछ लिया, “इस योगाभ्यास से आपको क्या मिलता है?”

“आनन्द।”

“आनन्द की क्या रूप-रेखा है?”

“मन इन्द्रियों का राजा है। यह इन्द्रियों के द्वारा सांसारिक बातों का आनन्द अथवा सुख अनुभव करता रहता है। इन्द्रियाँ ऐसा यंत्र हैं कि वे शीघ्र थक जाती हैं। इस कारण जो सुख अथवा आनन्द एक सांसारिक जीव अनुभव करता है वह क्षणिक होता है। वह इन्द्रियों के थक जाने से लुप्त हो जाता है। यदि हमारे मन में यह शक्ति हो कि इन्द्रियों की सहायता के बिना भी सुख तथा आनन्द भोग कर सकें तो वह आनन्द अधिक काल तक भोग किया जा सकेगा। वह चिरस्थायी होगा। तब हम इसे आनन्द कहते हैं। योगाभ्यास से सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की शक्ति इन्द्रियों की सहायता के बिना भी प्राप्त हो जाती है।”

“तो आप भी सुखों के अभिलाषा हैं?”

“हाँ, क्यों नहीं। प्रत्युत हमने तो अपने में अनन्त काल तक सुख प्राप्त करने की शक्ति पैदा कर ली है। जब इन इन्द्रियों के सुख एकदम प्राप्त होते हैं तो हम इसे परमानन्द कहते हैं।”

शंकर पंडित को ये बातें विचित्र प्रतीत हो रही थीं। वह सुख, आनन्द और महानता के कुछ और लक्षण समझता था। भारतवर्ष में प्रचलित विचारों के अनुसार लोग साधु और महात्मा उन्हें समझते हैं जो सांसारिक सुखों का त्याग कर दें। यहाँ ये साधु उन सुखों को छोड़ने के स्थान पर उनको और अधिक काल तक पाने में यत्नशील हैं, और फिर पाँचों इन्द्रियों के सुख को एकदम प्राप्त करने को अपने यत्न की चरम सफलता मानते हैं। उसने विस्मय में पूछा, “भारतवर्ष में तो तपस्या अर्थात् सुखों के त्याग को जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है।”

“हम सहस्रों वर्षों के अनुभव से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सुखों को छोड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत सुख को इन्द्रियों की सहायता के बिना प्राप्त करने से शरीर में शिथिलता नहीं आती और मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को सुगमता से और भरपूर मात्रा में पाता है। इसे परमानन्द की अवस्था अथवा मोक्ष-सिद्धि कहते हैं। ऐसी अवस्था में यह स्थूल शरीर रहे या न रहे कुछ अन्तर नहीं पड़ता।”

इस समय तक शंकर पंडित हाथ-मुख धोकर, तौलिए से हाथ-पाँव सुखा, कपड़े पहन, व्यासदेव के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। साथ चलते-चलते शंकर

पंडित ने अपनी यात्रा का प्रयोजन पुनः वर्णन किया और उसमें सहायता मांगी। व्यासदेव ने उत्तर दिया, “मैंने रात-भर आपकी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और इस परिणाम पहुँचा हूँ कि हम अभी आपको सहायता देने का वचन नहीं दे सकते।”

रात की बातों से शंकर पंडित को बहुत आशा हो गई थी कि इन साधु-वैज्ञानिकों से भारतवर्ष की स्वतन्त्रता की योजना में भारी सहायता मिलेगी। परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति का चमत्कार वह रात देख चुका था और व्यासदेव की बातों से वह समझने लगा था कि उस शक्ति का प्रयोग भारतवर्ष को स्वतंत्र करने में हो सकेगा। परन्तु अब व्यासदेव के सहायता करने से इनकार करने पर उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। उसने बहुत नम्रता से पूछा, “क्यों?”

“मैं अभी आपके विषय में यह नहीं जान सका कि परमाणु-अन्तर्गत-दिव्य-शक्ति पाने के आप अधिकारी हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष स्वतंत्र हो, परन्तु हम इस अतुल विनाशकारी शक्ति को अयोग्य और अनधिकारी लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। क्या आप नहीं जानते कि अर्जुन को इसी दिव्य शक्ति के प्राप्त करने के लिए इन्द्रदेव की कितनी तपस्या करनी पड़ी थी? इन्द्रदेव ने जब तक अर्जुन की परीक्षा कर उसके अधिकारी होने का निश्चय नहीं कर लिया था तब तक उसे दिव्य शक्ति नहीं दी थी। यह शक्ति जहाँ उपकार करने का साधन बन सकती है वहाँ किसी अनधिकारी के हाथ में जाने से भारी अनिष्ट भी कर सकती है। आपकी संस्था क्या है, मैं नहीं जानता। आप देश के राज्य को कैसे चलाएँगे, मुझे विदित नहीं। आपके रात के कथन से तो मैं केवल यही जान सका हूँ कि बहु-संख्यक लोगों में राजनीति, धर्म, आचार-व्यवहार और देश-प्रेम मिथ्या मार्ग पर चल रहा है। हम यह शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दे सकते।”

शंकर पंडित ने अपनी संस्था के संगठन के ढंग का वर्णन किया और यह दर्शाने का यत्न किया कि वे सदैव धर्म और न्याय के अनुसार आचरण को ही स्वीकार करेंगे।

व्यासदेव ने शंकर पंडित की बात को स्वीकार करते हुए कहा, “मैं आपकी बात अस्वीकार नहीं करता, परन्तु हम आश्रमवासी विना पूर्ण बात की परीक्षा किये इस प्रबल शक्ति को आपके हाथ में नहीं दे सकते। कल रात मैंने आपको ‘ओडीस्सा’ में युद्ध का चित्र दिखाया था। वहाँ की लड़ाई इस परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति से युद्ध के सम्मुख बच्चों का खेल रह जाती है। इस शक्ति से आक्रमण तथा संरक्षण दोनों ऐसी पूर्णता से हो सकते हैं कि आजकल के अस्त्र-शस्त्र उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि हम समुद्र-तट पर इससे विद्युत्-तरंगें समुद्र की ओर भेजें तो तट से दो सौ मील तक किसी समुद्री अथवा हवाई जहाज का सही-सलामत रहना असम्भव है। हमारे कर्मिष्ठ जी शस्त्र-शास्त्री हैं और उन्होंने अलाउद्दीन के

काल में हिन्दू राजाओं-महाराजाओं के सम्मुख इन शस्त्रों की शक्ति का प्रदर्शन किया था। उस समय भारतवर्ष से मुसलमानों को निकाल देना सुगम था, परन्तु उस समय के राजाओं-महाराजाओं में एक भी अर्जुन के समान अधिकारी नहीं पाया गया जिसे ये अस्त्र-शस्त्र चलाने के लिए दिए जा सकते।

“गोरखपुर में भारतवर्ष के मुख्य हिन्दू राजाओं-महाराजाओं की सभा की गई थी। दो मास तक यह सभा चलती रही। इन दो महीनों में वे यह भी निर्णय नहीं कर सके थे कि उनका नेता कौन होगा। मैंने एक-एक की परीक्षा की और देखा। उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसे भारतवर्ष का सम्राट् बनाया जा सकता। प्रत्येक नेता बनने का इच्छुक मेरे पास आता था और मुझे धन, भूषण, वस्तु और स्त्रियों का प्रलोभन देकर मुझसे अपने नेता बनने में सहायता चाहता था। वे राजा लोग मुझे अपने घर ले जाते थे, अपनी स्त्रियों और लॉडियों को मेरे पास भेजकर मुझे अपने पक्ष में करने का यत्न करते थे। अन्त में मैं उनकी इन बातों से निराश और क्रुद्ध हो उनकी सभा छोड़ चला आया। एक समय तो उन्होंने समझा कि कर्मिष्ठ को कैद कर, उसके अस्त्र-शस्त्रों पर अधिकार कर भारत में अपनी राज्य-सत्ता स्थापित कर लेंगे। परन्तु वे कर्मिष्ठ की बुद्धि और चतुराई का गलत अनुमान लगाने से अपने प्रयत्न में विफल हो गए। कर्मिष्ठ उनके निवास-स्थानों को भस्म कर वापस यहाँ चला आया।

“हमने सहस्रों वर्षों के प्रयत्न से जो आविष्कार किए हैं वे उनके हाथ में नहीं दे सकते जो उनसे अपना ही सर्वनाश कर बैठें अथवा उनसे दुष्ट-दमन के स्थान आर्य लोगों का दमन ही आरम्भ कर दें।”

शंकर पंडित ने विनम्र स्वर में कहा, “यदि यह शक्ति का भण्डार इंग्लैण्ड, अमेरिका अथवा जर्मनी वालों के हाथ आ गया तो वे तो आर्य-अनार्य का विचार किए बिना इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मनी तो इस शक्ति के रहस्य को जानने के बहुत समीप पहुँच चुका है।”

“हम सब कुछ जानते हैं। जर्मनी से अमेरिका इस रहस्य के अधिक समीप पहुँच चुका है, परन्तु अमेरिका वाले इस आविष्कार से शीघ्र ही अपने को भस्म कर लेंगे। हम आप लोगों के विषय में विश्वास किये बिना आपको स्वयं भस्म हो जाने के लिए इस यन्त्र को आपको नहीं देंगे।”

“परन्तु हम तो भारत में भारतीयों का राज्य स्थापित करने के लिए ही आप से ये अस्त्र माँगते हैं।”

“आप कितना राज्य चाहते हैं और कैसा राज्य चाहते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं।”

“यह आप कैसे जान सकेंगे?”

“मैं बता ही चुका हूँ कि अलाउद्दीन के काल में हिन्दू राजाओं अथवा महा-

राजाओं को स्वार्थी, निर्दयी, चरित्रहीन और मूर्ख देखकर मैं आश्रम में आकर समाधिस्थ हो गया था और अभी-अभी समाधि से उठा हूँ और संसार की अवस्था से परिचित होना चाहता हूँ। मैं भारतवर्ष जाऊँगा और वहाँ के लोगों से मिलूँगा। आपकी स्वराज्य-संस्थापन-समिति से भी परिचय प्राप्त करूँगा। यदि मैं समझ सका कि हमें आपकी सहायता करनी चाहिए तो फिर एक मास के भीतर ही हम राज्य पलट देंगे।”

शंकर पंडित ने फिर आशा बाँधकर कहा, “हमें आपको भारत में ले जाने में अति प्रसन्नता होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी स्वराज्य-संस्थापन-समिति को इन अस्त्र-शस्त्रों के पाने का अधिकारी मानेंगे। मैं आपके साथ जाने के लिए एक पहाड़ी भेज सकता हूँ। मुझे तो पाटन-ल्हासा के मार्ग का पता करना है। हमारी बहुत-सी योजनाएँ इस मार्ग के पा जाने पर अवलम्बित हैं।”

इस समय तक शंकर पंडित और गुरु व्यासदेव कन्दरा में जा पहुँचे थे। वहाँ कई आश्रमवासी पहले ही पहुँच चुके थे। वे अपने पूजा-पाठ अर्थात् आत्मा-परमात्मा तथा संसार की अन्य बातों के मनन में लगे हुए थे। शंकर पंडित को भूमि पर बैठे व्यासदेव ने कहा, “इस मार्ग को मैं दूसरों के ज्ञान में नहीं आने दूँगा। हम नहीं चाहते कि लोग यहाँ आकर हमारी सुख-शान्ति में बाधा डालें।”

“परन्तु, गुरुदेव,” शंकर पंडित का कहना था, “हम तो इस मार्ग की खोज के लिए ही घर से निकले हैं और बिना इसको पाए घर नहीं लौटेंगे।”

व्यासदेव हँस पड़ा। उसने शंकर पंडित की निष्ठा की सराहना करते हुए कहा, “परन्तु यह हठ करने की बात नहीं है। मैंने इस मार्ग को बन्द करवाया था और मैं जानता हूँ कि यह कहाँ से बन्द है। एक पर्वत का पर्वत ही इस मार्ग को रोके हुए है। वह पर्वत केवल परमाणु शक्ति के प्रयोग से हटाया जा सकता है और उस पर्वत द्वारा इस मार्ग को बन्द करने के लिए इस शक्ति से ही काम लिया गया था।”

“माना,” शंकर पंडित का आग्रह था, “कि आप अपने अस्त्र-शस्त्रों को हमें नहीं देना चाहते, परन्तु इस मार्ग के प्रयोग की हमें स्वीकृति क्यों नहीं देते?”

“केवल इसलिए कि हम अपने आश्रम को और अपने आपको लोगों के लिए एक तमाशा बनाना नहीं चाहते।”

“परन्तु भारतवर्ष में स्वराज्य-स्थापन क्या इतना आवश्यक नहीं कि आप अपने आश्रम की यह थोड़ी-सी सुविधा का भी त्याग नहीं कर सकते?”

“इसमें आश्रम की सुविधा-असुविधा का प्रश्न नहीं। इसमें तो भारतवर्ष और अन्य लोगों की, जिनके लिए यह मार्ग खुल जाएगा, मानसिक प्रवृत्ति का प्रश्न है। आर्य लोगों के प्रभुत्व काल में तो यह मार्ग खुला था, परन्तु उस समय जन-साधारण श्रद्धा-भक्ति से और कुछ सीखने के लिए हमारे पास आते थे और अब

तो लोग हमें एक मनोरंजन की वस्तु समझ यहाँ आवेंगे।”

“भगवन्, क्या हमारा आशवासन, कि आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, पर्याप्त नहीं है?”

“आपके आशवासन की कीमत देखने के लिए तो मैं भारतवर्ष जाना चाहता हूँ।”

: २४ :

शंकर पंडित की निराशा का ठिकाना नहीं रहा था। वह अपने डेरे में आकर दिन-भर इस नयी परिस्थिति पर विचार करता रहा। उसको परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति से बने अस्त्र-शस्त्रों के न मिलने का तो इतना दुःख नहीं था, जितना मार्ग के सुलभ न होने का। इन अस्त्र-शस्त्रों का तो उसके मन में विचार तक भी नहीं था। उसने अभी तक इनके काम को देखा नहीं था। केवल व्यासदेव के कहने से, कि वे अत्यन्त उपयुक्त वस्तुएँ हैं, वह मन में उनका चित्र चित्रित नहीं कर सका था। यदि वे मिल जाते तो ठीक था। अब नहीं मिले तब भी कुछ हानि प्रतीत नहीं होती थी। कारण यह कि स्वराज्य-संस्थापन-समिति की योजना इनके आश्रित नहीं थी, परन्तु पाटन-ल्हासा मार्ग की बात दूसरी थी। यह उनकी योजना का एक अंग बन चुकी थी। गुरु व्यासदेव से विदा होने के समय उसने मार्ग की खोज छोड़ देने का वचन नहीं दिया था। यह ठीक था कि व्यासदेव के यह कहने से कि इस मार्ग को एक पर्वत रोके खड़ा है उसके मन पर भारी बोझ डाल दिया था, परन्तु वह इसकी परीक्षा किए बिना अपना विचार बदलना नहीं चाहता था।

दिन-भर वह उस मानचित्र का, जो उसने भूगोल के विद्वानों की सहायता से तैयार कराया था, अध्ययन करता रहा। उसे इतना तो समझ में आता था कि इस घाटी से मार्ग नदी पार करके मिलना चाहिए। उसने बहुत विचारोपरान्त यह निश्चय कर लिया था कि वह इस मार्ग के लिए अभी इस वादी में ठहरेगा और अगली सुरंग का द्वार ढूँढ़ने का यत्न करेगा। अगले दिन प्रातःकाल ही वह डेरे को वहीं रख, दो आदमियों को साथ ले, नदी पार कर, पर्वत की देखभाल के लिए चला गया। दिन-भर घूमने के पश्चात् जब डेरे पर लौटा तो अत्यन्त थका होने के कारण सो गया। अगले दिन उसी पर्वत के दूसरे भाग की जाँच-पड़ताल के लिए चला गया। इसी प्रकार शंकर पंडित को इस काम में कई दिन लग गए। दिन-प्रतिदिन निराशा बढ़ती जाती थी। कारण यह था कि मार्ग के विवरण के अनुसार इस घाटी से एक और सुरंग को आरम्भ होना चाहिए था और उस सुरंग का मुख अथवा मुख का कोई चिह्न भी दिखाई नहीं दे रहा था।

पाँच-छः दिन की खोज के पश्चात् शंकर पंडित हताश अपने डेरे में बैठा था कि आश्रम के दो निवासी उसके पास पहुँचे। इनमें एक कर्मिष्ठ था। शंकर पण्डित ने उसको आदर से बैठाया और आने का कारण पूछा। कर्मिष्ठ ने कहा, “गुरुदेव की आज्ञानुसार आपके भलीभाँति होने का समाचार लेने आए हैं।”

शंकर पंडित ने कहा, “हम सब बहुत मजे में हैं। गुरुदेव को मेरा नमस्कार कह दीजिएगा।”

कर्मिष्ठ ने मुस्कराते हुए कहा, “आप कब तक लौटने का विचार रखते हैं?”

“अभी मेरा विचार कुछ दिन और यहाँ ठहरने का है।”

“यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बताइएगा। यथासम्भव सेवा करने का यत्न किया जाएगा।”

अब मुस्कराने और व्यंग्य का भाव दिखाने की बारी शंकर पंडित की थी। उसने कहा, “आप यहाँ जंगल में बैठे क्या सेवा अथवा सहायता कर सकते हैं? जो कुछ कर सकते थे सो तो आपने किया नहीं। आप इस मार्ग को खोल देते तो हम पर बहुत कृपा होती।”

कर्मिष्ठ ने हँसकर कहा, “आप तो हमारी सहायता के बिना ही इस मार्ग को ढूँढ़ने जा रहे हैं।”

“जब आप सहायता देते ही नहीं तो क्या किया जाय?”

“हम सब आश्रमवासी इसमें एकमत हैं कि इस मार्ग को खोलने की न तो आवश्यकता है और न ही इसके लिए उचित अवसर।”

“तो फिर आप और क्या कर सकते हैं?”

“गुरुदेव ने कहला भेजा है यदि आप बर्मा और मलाया के समाचार जानना चाहते हैं तो आश्रम में आइए। वहाँ एक नवीन आन्दोलन खड़ा हो रहा है।”

“सुभाष बाबू का न?”

“जी, आज सुभाष बोस दिल्ली के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह के नये मकबरे के खोलने की रस्म मना रहे हैं।”

शंकर पंडित इस समाचार से फड़क उठा। उसके मन में बर्मा में भारतवासियों के भारत को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों के विषय में जानने की लालसा जाग उठी। वह अपने डेरे से व्यासदेव के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में कर्मिष्ठ और उसके साथियों द्वारा भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के विषय में बहुत बातचीत हुई। कर्मिष्ठ व्यासदेव से भी अधिक उग्र प्रवृत्ति वाला था। उसका मत था, “हम भारतवर्ष से अधिक प्रेम वहाँ के रहने वालों की मानसिक प्रवृत्ति के कारण ही रखते हैं। भारतवासी अन्य लोगों से अधिक मनुष्यता के समीप थे। अन्य लोगों ने इस विषय में कुछ उन्नति की है, परन्तु भारतवासियों में तो पतन ही आया है। इस पतन के कारण हमारी सहानुभूति उनसे कम हो गई है। हम किसी अन्य देश केवासियों की सहायता कर उन्हें विश्व-विजयी बना देते, परन्तु वे तो विश्व-विजयी होने से पूर्व ही निर्दयी, अन्यायी और आततायी बन रहे हैं।”

शंकर पंडित बोला, “यदि यह सत्य है कि आप परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति से ऐसे अस्त्र-शस्त्र बना सकते हैं कि जिनसे विश्व-विजय किया जा सकता है तो

आप स्वयं ही न्याय और धर्म की पताका संसार-भर में क्यों नहीं फहरा देते ?”

कर्मिष्ठ ने उत्तर दिया, “इसकी सत्यता तो गुरुदेव आपको कभी दर्शाएँगे। वह मुझे अपने अस्त्र-शस्त्रों सहित अपने साथ भारतवर्ष में चलने को कह रहे हैं। इस पर भी हम राज्य करना नहीं चाहते। आर्यावर्त के ब्राह्मण पूर्ण शक्तिमान होते हुए भी कभी राज्य-सत्ता के अभिलाषी नहीं रहे। राज्य करना क्षत्रियों का काम है, मंत्रणा देना ब्राह्मणों का परन्तु ब्राह्मणों की मंत्रणा न मानने वाले क्षत्रियों को वे सहायता देने से इनकार ही तो कर सकते हैं।”

“आ। ऐसा क्यों नहीं करते कि जो कम अधर्मी हैं, कम निर्दयी हैं, अथवा जो कम आततायी हैं उनकी सहायता करें ?”

“हमने एक मापदंड निश्चित किया है। उस मापदंड से उत्तीर्ण होने वाले ही हमारी सहायता के अधिकारी हो सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विचार में इस समय कोई भी जाति उस मापदंड से उत्तीर्ण नहीं हो रही।”

व्यासदेव शंकर पंडित को कर्मिष्ठ के साथ आते देख हँस पड़ा। जब शंकर पंडित ने हाथ जोड़ नमस्कार कहा तो कहने लगा, “आप आ गए सो ठीक हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप बर्मा में जो घटनाएँ घट रही हैं उनको जान लें ताकि हमारे भारतवर्ष के स्वराज्य-आन्दोलन से तटस्थ रहने का कारण समझ सकें।”

शंकर पंडित इस कथन के भाव को नहीं समझ सका था। इस पर भी वह बिना कुछ पूछे अथवा कहे व्यासदेव के पीछे-पीछे यंत्रशाला में चला गया। वहाँ पहले ही कई लोग चित्र-कुंड के समीप खड़े थे। इनको देखने और सुनने का स्थान मिल गया।

एक सर्वथा श्वेत रंग की इमारत के सम्मुख बहुत-से लोग फौजी वर्दी पहने पंक्तियों में खड़े थे। दूसरी ओर लाखों की भीड़ थी। भीड़ में हिन्दुस्तानी और बर्मी लोग थे। माइक्रोफोन उस इमारत के चबूतरे पर लगा था जो भूमि से दस फीट ऊँचा इमारत के चारों ओर बना था। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए पचास फीट चौड़ी सीढ़ियाँ थीं जिन पर और चबूतरे पर लाल रंग की दरियाँ बिछी थीं। माइक्रोफोन के सम्मुख जनता के पूज्य और भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस खड़े व्याख्यान दे रहे थे। श्री बोस बाबू कह रहे थे—

“भारत के अन्तिम सम्राट् जहाँपनाह बहादुरशाह के अन्तिम निवास-स्थान पर इस नये मकबरे के उद्घाटन की रस्म अदा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। १८५७ में शाह ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जंगे-अजीम किया था। दुर्भाग्य से जंग में हिन्दुस्तान की हार हुई और विदेशियों का देश पर अधिकार हो गया। शाह कैद कर लिये गए और रंगून में उनका स्वर्गवास हुआ।

“यह किस्मत का खेल है कि हिन्दुस्तान के अन्तिम सम्राट् का अन्तिम निवास-स्थान बर्मा में बना और बर्मा के अन्तिम राजा का मकबरा हिन्दुस्तान में। अंग्रेजी

राज्य की एक के आश्रय दूसरे को मारने-धमकाने की नीति का यह एक पक्का प्रमाण है। इस पवित्र स्मारक के सम्मुख हम अपना वज्र निश्चय फिर से दुहराते हैं। हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता के युद्ध के इस अमर सैनिक का हम अभिनन्दन करते हैं। वह आदमियों में बादशाह था और बादशाहों में आदमी।

“आज हमने अपनी आजादी की लड़ाई आरम्भ कर दी है। हम मौत के इस घर के सामने खड़े होकर शपथ लेते हैं कि मौत भी हमें अपने मार्ग से हटा न सकेगी। बर्मा और भारत के निवासी सशस्त्र विद्रोह से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर मानवता के प्रसार के लिए कदम-से-कदम मिलाकर चलेंगे।

“यह एक गम्भीर अवसर है और मैं इस समय अपने बहादुर सिपाहियों को यह बतला देना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई केवल शरीर की नहीं, प्रत्युत आत्मा की है। मरने से यह समाप्त नहीं होगी। शाह का यह शेर हमें यही बताता है—

गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।

तख्ते लन्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की ॥”

इस वक्तृता के पश्चात् मकबरे की इमारत खोली गई। लोगों में इतना उत्साह था कि बोंस बाबू को फूलों और मालाओं से लाद दिया गया। लाखों लोगों के बोंस बाबू के साथ एक स्वर में जय-घोष से आकाश फटने लगा।

व्यासदेव कुंड से पीछे हट गया। शंकर पंडित की आँखें, इस जोश और उत्साह को देख, चमक उठी थीं। उससे नहीं रहा गया और उसने व्यासदेव को सम्बोधन कर कहा, “स्वाधीनता की अभिलाषा जब इतनी प्रबल है तो उसको कौन रोक सकता है?”

व्यासदेव ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्करा दिया। यह शंकर पंडित को भला प्रतीत नहीं हुआ। उसने पूछा, “आपको इनकी सफलता में सन्देह है क्या?”

“नहीं,” व्यासदेव ने खड़े हो शंकर पंडित की ओर देखते हुए कहा, “मैं समझता हूँ कि जो कुछ वे चाहते हैं अवश्य प्राप्त कर लेंगे, परन्तु यह वह नहीं होगा जिसे हम आर्य राज्य कहते हैं।”

“मैं नहीं समझा,” शंकर पंडित ने अचम्भे में मुख उठाकर पूछा। व्यासदेव छः फीट चार इंच ऊँचा था और शंकर पंडित को उसकी आँखों में देखने के लिए मुख उठाना पड़ता था।

व्यासदेव ने कहा, “भारतवर्ष में भाँति-भाँति के पक्षी बसेरा किए हुए हैं। कुछ तो भारतवर्ष में बसते हुए भी अपने को इससे पृथक् समझते हैं। अधिकांश मुसलमान इसी श्रेणी में आते हैं। मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब और हजारों दूसरे शाह, बादशाह, नवाब, जमींदार सब-के-सब भारतवर्ष के खेतों में दाना चुगकर उड़ जाने वाले पक्षी हैं। बहादुरशाह इनसे

विलक्षण था, इसका कोई प्रमाण नहीं। कुछ मरहट्टों और पूर्वी प्रान्त के लोगों ने सांझी मुसीबत में इसे अपना नेता बनाया, इससे यह देशभक्त हो गया हो, कैसे मान लें ? ऐसे संदिग्ध देशभक्तों को आदर्श मानकर बौम बाबू कितनी दूर पहुँच सकेंगे ? यदि जापानियों की सहायता भरसक प्राप्त हुई तो भारतवर्ष में मदारी के थैले जैसा राज्य स्थापित हो जाएगा। इसे स्वराज्य अथवा आर्य राज्य नहीं कहा जा सकता।”

“तो आपका अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष के मुसलमानों को देश के राज्य में भाग नहीं मिलेगा।”

“निस्सन्देह। जैसा व्यवहार मुसलमानों ने देश के रहने वाले हिन्दुओं से किया है उससे तो उनका इस देश पर राज्य करने का अधिकार नहीं रह जाता।”

“परन्तु उनकी संख्या देश में दस करोड़ के लगभग है। उनको देश के नागरिक अधिकारों से वंचित कैसे किया जा सकता है ?”

व्यासदेव ने गर्दन सीधी कर और आज्ञा देने के भाव में कहा, “उनकी संख्या संसार में साठ करोड़ है। इससे क्या होता है ? संसार में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या दैवी प्रवृत्ति वालों से कई गुना अधिक है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि राक्षसी मनोवृत्ति वालों को राज्य करने का अधिकार दे दिया जाए। देखिए, शंकर पंडित, मैं आपको एक तत्त्व की बात बताता हूँ। इस समय संसार में सबसे भारी अनर्थ जो हो रहा है वह है ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों का जन-साधारण के अधीन हो जाना। देखते नहीं हो कि वैज्ञानिक लोग जीवन-भर परिश्रम कर आविष्कार करते हैं और मूर्खों के गुरु (जन-साधारण से चुने गए नेता) उन आविष्कारों का दुरुपयोग करते हैं और ब्राह्मण इसे नापसन्द करते हुए भी उन्हें मना नहीं कर सकते।

“इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य-जन्म में आने के नाते किसी का अधिकार यह तो हो जाता है कि उसे भोजन, वस्त्र, मकान तथा शिक्षा मिले, परन्तु राज्य करना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। राज्य करना योग्य और चरित्रवान् लोगों का अधिकार है। मुसलमानों को जीवन और सुखमय जीवन का अधिकार तो हो सकता है, परन्तु राज्य करने का अधिकार तो अधिकारी सिद्ध होने पर ही होगा।

“मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य करना और नागरिक अधिकार रखने में भारी अन्तर है। उनको नागरिक अधिकार मिल सकते हैं, परन्तु राज्य करने का अधिकार नहीं जा सकता।”

शंकर पंडित इस बात को नहीं समझ सका, परन्तु यह विचार कर कि व्यासदेव आज से सौदियों पहले की विचारधारा में पला हुआ होने से आधुनिक जगत् की बातें समझ नहीं सकता, चुप रहा।

शंकर पंडित अभी भी पाटन-ल्हासा के मार्ग की खोज छोड़ना नहीं चाहता था।

भूल

वहादुरशाह के मकबरे के उद्घाटन की रस्म को धीरेन्द्र ने भी रेडियो पर सुना था। यद्यपि वह उद्घाटन के समय के दृश्य को, जैसा कि शंकर पंडित ने व्यासदेव के हिमालय के आश्रम में दिव्यदृष्टि-यन्त्र द्वारा देखा था, वैसा नहीं देख सका था; फिर भी बोस बाबू की वक्तृता तथा रंगून रेडियो वालों की इस रस्म पर समालोचना इतनी प्रभावशाली और मनोद्गारों को उभारने वाली थी कि धीरेन्द्र के आँसू निकल आए। नवरत्न-मंडल का बोस बाबू से अभी सहयोग न करने का निश्चय होने पर भी धीरेन्द्र बोस बाबू से सम्पर्क उत्पन्न करने का विचार करने लगा।

उसने नाहरसिंह को बुलाया और उससे राय कर बोस बाबू से सम्पर्क उत्पन्न करने की योजना बना डाली। कुछ ही दिनों में नाहरसिंह अपने १९१४ के युद्ध में प्राप्त पदक अपनी नयी बनाई बर्दी पर लगा आसाम में जा पहुँचा। सीभाग्य से सरहद पर काँटेदार तार की रखवाली पर कुछ गोरखा सिपाही लगे हुए थे जो स्वराज्य-संस्थापन-समिति के सदस्य थे। इन्होंने उसे हदबंदी के पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

आसाम में, मनीपुर के इलाके में, इम्फाल से लगभग दस मील पूर्व की ओर, एक घाटी में, पाँच सौ के लगभग फौजी एक नाले के किनारे डेरा डाले पड़े थे। इनकी बर्दी तो अंग्रेजी सिपाहियों की-सी प्रतीत होती थी, परन्तु उस पर बैजों में आई० एन०ए०, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय सेना, लिखा था।

ये लोग छोटे-छोटे झुण्डों में बैठे बातें कर रहे थे। एक झुण्ड में कुछ लोग भूमि पर बैठे, अपने सम्मुख एक मानचित्र बिछाए, गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार कर रहे थे। एक आदमी, जो उस टुकड़ी का नेता प्रतीत होता था, मानचित्र में एक स्थान पर उँगली रखकर कह रहा था, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यह मार्ग इम्फाल को जाता है। दस मील और दो फर्लांग का लगभग अन्तर है। इम्फाल के दो मील इधर गोरखा सिपाहियों की चौकी है। उस चौकी के इस ओर मीलों तक उत्तर से दक्षिण की ओर लोहे की काँटेदार तार लगी है। उस तार के पीछे प्रत्येक सौ गज के अन्तर पर पहरेदार बैठे हैं।

“इतना कुछ विदित हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अब और अधिक समय व्यर्थ न खोकर, रात को हमें उस चौकी पर अधिकार कर लेना चाहिए। प्रातःकाल दिन चढ़ने से पूर्व हवाई अड्डे को हमें अपने अधीन करना है। अतः...”

वह आदमी अभी बातें ही कर रहा था कि नाले के पार अर्थात् ब्रिटिश चौकी की ओर से पाँच आदमी झाड़ियों के पीछे से आते दिखाई दिए। नाले में पानी बहुत नहीं था, फिर भी नाले की चौड़ाई बहुत अधिक थी। इस ओर से, जहाँ ये पाँच सौ आदमी छोटी-छोटी मण्डलियों में बैठे थे, पार के आदमियों को पहचानना कठिन था। विशेष रूप में, जब अंग्रेज सिपाहियों और राष्ट्रीय सेना के लोगों की वर्दी एक जैसी ही थी। नेता के पास जापानी बनी दूरबीन थी। उसने कमर से लटकते डिब्बे में से निकाल, आँखों से लगा, पार के लोगों को देखा। उन्हें पहचान बोला, “ये केहरसिंह इत्यादि हैं, परन्तु...” वह देखते हुए कुछ सोचने लगा, “पाँच गए थे और छः आ रहे हैं। एक इनमें अपरिचित है। वर्दी तो अंग्रेजी है। किसी अंग्रेज सिपाही को पकड़कर लाए प्रतीत होते हैं। ठीक हुआ। पहले इनकी रिपोर्ट सुननी चाहिए।”

उन लोगों को नाला पार करने में आधा घण्टा लग गया। नाला प्रायः सूखा था। कहीं-कहीं पानी था। कूदते-फाँदते, पानी में से गुजरते हुए वे लोग टुकड़ी के नेता के पास आ पहुँचे। छठा आदमी जो उनके साथ था, गोरखा सिपाही की वर्दी पहने था और कोई वृद्ध पैन्शनरी प्रतीत होता था। उसके हाथ रस्सी से बँधे थे जो राष्ट्रीय सेना के सिपाही ने अपनी कमर से बाँधी हुई थी, कि कहीं वह भाग न जाए। टुकड़ी के नेता ने प्रश्न-भरी दृष्टि से केहरसिंह की ओर देखा। केहरसिंह देखभाल के लिए गई उस पार्टी का नेता था। केहरसिंह ने राष्ट्रीय सेना के ढंग से फौजी सलाम कर जयहिन्द कहा। उसके चार साथी और उनमें वह वृद्ध गोरखा कँदी उसके पीछे खड़े थे। टुकड़ी के नेता ने पूछा, “यह कौन है?”

केहरसिंह ने सावधान अवस्था में खड़े रहकर कहा, “कहता है, ‘मैं नेताजी से मिलने आया हूँ। मैं फौजी नहीं हूँ, यह वर्दी अंग्रेजी सिपाहियों को धोखा देने के लिए पहनी है। मैं शहरी हूँ और भारतवर्ष की एक क्रान्तिकारी पार्टी का सदस्य हूँ।”

“ओह !” टुकड़ी के नेता ने घूरकर उस वृद्ध को देखा। पश्चात् कुछ सोचकर अपने साथियों से कहा, “तुम लोग जरा दूर चले जाओ।”

जो वहाँ बैठे थे वे सब लोग और केहरसिंह के साथी वहाँ से दूर हट गए। वृद्ध गोरखा के हाथों पर बँधी रस्सी, केहरसिंह के साथी ने अपनी कमर से खोल, नेता के हाथ में दे दी और स्वयं दूर चला गया।

नेता ने उस वृद्ध को अपने पास बैठने को कहा। वह उसके सामने बैठ गया। उसके हाथ अभी भी बँधे थे। नेता ने पूछा, “क्या नाम है?”

“नाहरसिंह।”

“कहाँ के रहने वाले हो?”

“नेपाल के।”

“किस मतलब से यहाँ आए हो?”

“नेताजी मुभाष बोस से मिलने और अपने नेता का सँदेशा उन्हें पहुँचाने, तथा यहाँ की तैयारी और शक्ति का अनुमान लगाकर अपने नेता तक पहुँचाने।”

“तुम्हारे नेता का क्या नाम है?”

“गुरु धीरेन्द्र।”

“यहाँ की शक्ति जानकर क्या करोगे?”

“हम भारतवर्ष में क्रान्ति उत्पन्न करने की योजना कर रहे हैं। हमारी तैयारी अभी अधूरी है। फिर भी मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि मैं स्वयं यहाँ पहुँचकर अनुमान लगाऊँ कि आपके जीत जाने की क्या सम्भावना है। यदि आप मैदानी इलाके तक आने की शक्ति रखते हैं तो हम बंगाल में अपने स्वयंसेवक एकत्रित कर विप्लव खड़ा कर सकते हैं।”

“आपके पास कितने आदमी हैं?”

“दो लाख बिलकुल तैयार हैं। धन हमारे पास है, परन्तु हथियार अभी नहीं हैं। हमने युद्ध में न सम्मिलित होने वाले संसार-भर के देशों को छान डाला है, परन्तु कहीं से भी मदद नहीं मिल सकी। बिना हथियारों के हमारे नेता कार्यवाही करना नहीं चाहते।”

“दो लाख लोग तो वैसे भी हमारी सहायता कर सकते हैं। सड़कें उखाड़ दें, तारों के खम्भे तोड़ दें, रेल के स्टेशनों को फूँक दें, पुलों को उड़ा दें और जहाँ भी कोई अंग्रेज मिले उसे मार दें।”

“यह सब ठीक है। महात्मा गांधी के पकड़े जाने पर ऐसा हुआ था। यह सफल नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि इस काम के साथ-साथ देश के भीतर या बाहर फौजी कार्यवाही होनी चाहिए थी। यदि आपकी सेना आसाम की पहाड़ियाँ पार कर बंगाल के मैदानों में आ सके, तब हम अंग्रेजी फौजों के पीछे ‘गुरेला’ युद्ध आरम्भ कर सकते हैं। उस समय आपके इलाके से बन्दूकें और कारसूस तो मिल ही सकेंगे। अभी हमारे लोगों के पास लाठी भी नहीं।”

टुकड़ी का नेता चुपचाप नाहरसिंह की बात सुन रहा था। जब बात समाप्त हो गई तो उसने कहा, “तुम खुफिया पुलिस के आदमी प्रतीत होते हो। तुम हमारा भेद लेने आए हो। इसके लिए मैं तुम्हें मौत का दण्ड देता हूँ।”

नाहरसिंह कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वहाँ बैठा रहा। नेता कुछ देर तक उसका मुख-ध्यान से देखता रहा। जब नाहरसिंह कुछ नहीं बोला तो उसने कहा, “तुम क्या कहना चाहते हो?”

“कुछ नहीं। मैं मरने से नहीं डरता। फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि भेदिये का काम करने वाले इतनी स्पष्ट बातें नहीं किया करते। यदि मैं भेदिया होता तो आपको कहता, मैं फौजी हूँ। भागकर आपके साथ मिलकर, मातृभूमि को स्वतन्त्र करने के लिए अपना रक्त बहाने आया हूँ। मुझसे हिन्दुस्तान की दासता

अब अधिक नहीं सही जाती। '...इत्यादि...इत्यादि...' मैं फिर आपका विश्वास प्राप्त कर यहाँ की सब बातें देखकर, जैसे उधर से इधर खिसक आया हूँ, इसी भाँति आपको छोड़ वापस चला जाता।"

"इसका तो केवल यह अर्थ है कि तुम दूसरे जासूसों से अधिक चतुर हो।"

"आप मुझे नेताजी के पास भेज दें। मैं अपनी सफाई वहाँ दे लूँगा।"

"मेरे पास तुम्हारे साथ भेजने को फालतू आदमी नहीं है।"

"तो फिर जो मन में आए करें।"

टुकड़ी के नेता ने तार की हदबन्दी से निकल आने के विषय में पूछा। नाहर सिंह ने सब विवरण स्पष्ट बता दिया और अपने राष्ट्रीय सैनिकों द्वारा पकड़े जाने का वृत्तान्त भी बताया।

"अच्छी बात है," टुकड़ी के नेता ने कहा, "मैं तुम्हें अपने अफसर के पास भेज देता हूँ। वह यहाँ से दस मील के अन्तर पर डेरा डाले हुए है।"

इसके पश्चात् नाहरसिंह को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके पाँव भी बाँध दिए गए और टुकड़ी का नेता अपने साथियों से रात को किए जाने वाले आक्रमण के विषय में विचार करने लगा।

इस समय अंग्रेजी हवाई जहाजों की एक टोली इम्फाल की ओर से उड़ती हुई आई। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग झाड़ियों में छिप कर बैठ गए। हवाई जहाज आगे निकल गए।

: २ :

रात पड़ते ही सब-के-सब राष्ट्रीय सैनिक आक्रमण के लिए इम्फाल की ओर चल पड़े। प्रत्येक सिपाही के पास एक-एक साधारण बन्दूक और कुछ कारतूस थे। इनके साथ न तो घायलों के लिए कोई एम्बुलेंस थी और न ही खाने-पीने का कोई सामान था।

जाते समय टुकड़ी का नेता, जिसका नाम कैप्टन अजीज था, नाहरसिंह के पास आया और बोला, "मुझे आज्ञा हुई है कि मैं सामने के पहाड़ पर चढ़ अंग्रेजी किला-बन्दी पर आक्रमण कर दूँ। इस समय मैं एक भी आदमी तुम्हारी देखभाल के लिए पीछे नहीं छोड़ सकता। पहले ही मेरे पास कम आदमी हैं। मैं तुम्हें मुक्त भी नहीं कर सकता। तुम भागकर शत्रु को समाचार दे सकते हो। अतएव मैं तुम्हें यहाँ बँधा हुआ छोड़ रहा हूँ। यदि हमारा आक्रमण सफल हुआ तो मैं किसी को कल प्रातः तुम्हारे पास भेज दूँगा, जो तुम्हें बड़े अफसर के पास ले जाएगा।"

इतना कह वह अपने लोगों को साथ ले इम्फाल की ओर चला गया। वास्तव में इम्फाल पर कई ओर से आक्रमण किया जा रहा था। कैप्टन अजीज अपनी टुकड़ी के साथ ठीक एक बजे हदबन्दी के तार के समीप जा पहुँचा। तार काटने के लिए दस आदमी एक पंक्ति में रेंगते हुए आगे बढ़े। तारों के समीप पहुँचने

कतीरों से तार काटने लगे। इस समय एक स्थान पर खड़ाक का शब्द हुआ। उस आवाज की ओर एक गोली दाग दी गई। इससे सब तार काटने वाले दस मिनट तक चुपचाप लेटें रहे। इसके पश्चात् पुनः कार्य आरम्भ किया गया। इस बार काम निर्विघ्न समाप्त हो गया। तार काटने वालों ने दस फीट चौड़ा मार्ग साफ कर दिया। अब पीछे आने वालों को संकेत किया गया। देखते-देखते पाँच सौ सैनिक इस मार्ग में से हृदबन्दी में घुस गए। ये लोग तीर की भाँति भागते हुए हवाई जहाजों के अड्डे की ओर लपके। हवाई अड्डे पर फिर काँटेदार तार की हृदबन्दी थी। वहाँ पहुँचने पर इनको पता चला कि उनके साथी दूसरी दिशाओं से वहाँ पहुँच गए हैं और हवाई अड्डा इनके घेरे में आ गया है। इन लोगों ने पहुँचते ही तार काटनी आरम्भ कर दी और दूसरी ओर से दरवाजे पर खड़े गार्ड पर आक्रमण कर दिया गया। दोनों ओर से गोलियाँ चलने लगीं।

वास्तव में अंग्रेजी फौज यहाँ किसी आक्रमण की आशा नहीं करती थी। उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार एक आक्रमण करने वाली सेना को पीछे से सहायता पहुँचाने के लिए सड़कों का प्रबन्ध होना चाहिए। बर्मा से आसाम की इस सरहद तक ऐसी सड़कें अभी नहीं बनी थीं जो फौजी सामान और टैंकों इत्यादि के लाने योग्य होतीं। इससे इस मोर्चे पर कोई भारी आक्रमण की आशा नहीं थी। परन्तु वे नहीं जानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय सैनिक जोश से भरे हुए इन सब कठिनाइयों की चिन्ता न करते हुए, बिना सरोसामान के मोर्चे पर आ कूदेंगे।

हवाई अड्डे को लेने में दो घण्टे से अधिक नहीं लगे। दिन निकलने तक पाँच हजार सैनिक हवाई अड्डे में घुस गए थे। जो भी काम में आने योग्य हवाई जहाज वहाँ थे, उड़कर अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुँच चुके थे। शेष टूटे-फूटे हवाई जहाज और एयरोड्रम की इमारत के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी यह भारी और अपूर्व जीत थी।

इम्फाल नगर को घेरा डाल दिया गया, परन्तु घेरा डालने वालों को शीघ्र ही यह समझ में आ गया कि घेरा डालने से काम नहीं चलेगा। उन्हें यह पता लग गया था कि नगर में घिरी हुई फौज के पास खाने का इतना सामान है कि छः मास तक भी वह कष्ट अनुभव नहीं करेगी। इसके विपरीत घेरा डालने वाले बेसरोसामान थे और शीघ्र ही उनके भूखों मरने की सम्भावना थी। इस कारण घेरा प्रबल करने की अपेक्षा आक्रमण करना ही उचित समझा गया। रात के समय इम्फाल नगर पर आक्रमण कर दिया गया। नगर में सेना तो काफी थी, परन्तु भाड़े के टट्टू पंजाबी, मुसलमान सिपाही अधिक काल तक मुकाबला नहीं कर सके और दिन निकलने से पूर्व ही नगर के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए।

उसी दिन दोपहर को इम्फाल के हवाई मैदान में विजयी सेना की परेड हुई और नगर की जनता को इस परेड को देखने का अवसर दिया गया। यह एक नवीन

घटना और परिस्थिति थी। आज से पहले हिन्दुस्तानी सेना ने हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र करने के लिए बाहर से हिन्दुस्तान पर आक्रमण नहीं किया था। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में हुमायूँ ने ईरानी फौज लेकर पठानों से राज्य छीनने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। परन्तु उस घटना की इससे कुछ भी तुलना नहीं हो सकती थी। विदेशी लोग तो अपना राज्य जमाने के लिए हिन्दुस्तान पर कई बार चढ़कर आए हैं, परन्तु हिन्दुस्तान के अपने रहने वालों ने हिन्दुस्तान की बफादारी की कसम खाकर, हिन्दुस्तानियों की भलाई के लिए, देश के बाहर से हिन्दुस्तान पर पहले कभी आक्रमण नहीं किया था।

इस विचित्र परिस्थिति को इस समारोह में उपस्थित गण जानते थे और प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति अपने मन में अनेक प्रकार के उठते हुए उद्गारों को अनुभव कर रहा था।

अब एक ओर खड़े हुए एक फौजी दस्ते ने भारत-माता की जय का गीत आरम्भ कर दिया—

जन गण मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता,

पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग,
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधितरंग।

तेरे नित गुण गावें

तुझसे जीवन पावें

सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम मुभागा

जय हे जय हे जय हे, जय जय जय जय जय हे

भारत भाग्य है जागा।

जन गण.....भारत भाग्य विधाता

सबके दिल में प्रीति बसे तेरी मीठी बाणी

हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी ॥

सब मन के फरक मिटा के

सब गोद में तेरी आ के

गूँथें प्रेम की माला

सूरज बनकर जग में चमके भारत नाम मुभागा

जय हे जय हे, जय हे, जय जय जय जय जय हे।

भारत भाग्य है जागा

जन गण.....भारत भाग्य विधाता

सुबह सवेरे पंख पखेरू तेरे ही गुण गावें

बास भरी भरपूर हवाएँ जीवन में रत लावें

सब मिलकर हिन्द पुकारें
जय जय हिन्द के नारे
प्यारा देश हमारा
सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभारा
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय जय हे ।
भारत भाग्य है जागा
जन गण...भारत भाग्य विधाता ।

इसके बाद राष्ट्रीय सेना के अधिनायक ने अपना भाषण आरम्भ किया—
“भगवान् की असीम कृपा से हम आज भारत-भूमि पर स्वतन्त्र सरकार के अधीन खड़े हैं। सैंकड़ों वर्षों की दामता, हमसे दूर भागती जा रही है,” ऐसा कहते हुए वक्ता ने पश्चिम की ओर संकेत किया, “और हमें इस दासता को धकेलकर अरब सागर में डुबो देना है। मेरे जबान दोस्तो, यह तो अभी [आरम्भ है। हमें दिल्ली पहुँचना है जो यहाँ से दो हजार मील दूर है। हम दिल्ली पहुँचेंगे। लाल किले पर कौमी झण्डा फहराएंगे। क्या हुआ यदि हमारे पास हवाई जहाज और बन्दूकों कम हैं, क्या हुआ यदि हमारे पास खाने को मक्खन, अण्डे और डबल रोटियाँ नहीं हैं, क्या हुआ यदि हमारे कपड़े फट रहे हैं, हम गुलामी के घी की अपेक्षा आजादी की घास खाना अधिक पसन्द करेंगे।

“आज हमने अंग्रेजी राज्य के मजबूत किले में सुराख कर दिया है और माँ के आशीर्वाद से यह सुराख इतना बड़ा हो जाएगा और इसमें से राष्ट्रीय सैनिक उमंगों से भरे हुए इतनी भारी संख्या में भारतवर्ष में घुस जाएँगे कि अंग्रेजों को दुम दबाकर भाग जाने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रहेगा।”

एक फौजी बोला, “कौमी नारा !”

सारा मैदान जो फौजियों और नगर के लोगों में भरा हुआ था एक स्वर से गूँज उठा, “जय हिन्द ।”

वक्ता ने कहा, “हम दिल्ली चलेंगे ।”

सब बोल उठे, “दिल्ली चलो ।”

: ३ :

जब कैप्टन अजीज के साथी नाहर्सिंह को पेड़ के साथ बँधा छोड़कर चले गए तो वह बहुत घबराया। पिछली रात जंगल में रहने के कारण और दिन-भर चलते रहने के कारण, वह भूखा और थका हुआ था। जब वह इम्फाल से चला था, तो उसने अपनी जेबों में कुछ रोटी के टुकड़े खाने के लिए रखे हुए थे, परन्तु राष्ट्रीय सेना के सिपाहियों ने, उसकी तलाशी लेते समय, ये टुकड़े निकाल लिये थे। राष्ट्रीय सेना के लोगों के पास पर्याप्त राशन नहीं था, इस कारण जाते समय उसे खाने को कुछ नहीं दे गए।

नाहरसिंह को भूख लग रही थी और थकावट भी थी, परन्तु वह बहुत जीवट का आदमी था। मुसीबत के साथ विचार-शक्ति को न खोना ही बहादुरी के लक्षण हैं और नाहरसिंह को 'विक्टोरिया क्रॉस' वास्तविक बहादुरी के उपलक्ष में ही मिला था।

वह कुछ काल तक विचार कर अपने को छुड़ाने का यत्न करने लगा। उसने अपनी कलाई पर बाँधी रस्सी को पेड़ से रगड़ना आरम्भ कर दिया। उस रस्सी को घिसकर तोड़ने में आधे घंटे से ऊपर लगा। जब हाथ खुल गए तो पाँव खोलने में कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही वह बन्धनों से मुक्त हो अपने स्थान पर खड़ा हो आगे के लिए विचार करने लगा।

वह कुछ खाने और आराम करने के लिए स्थान की खोज में था। विवश अपने चारों ओर जंगल और पहाड़ों को देख रहा था। दूर-दूर तक कहीं किसी के रहने का चिह्न दिखलाई नहीं देता था। आगे जाने का मार्ग उसे मालूम नहीं था और पीछे उन्हीं लोगों की ओर जाने को चित्त नहीं करता था, जो उसे पेड़ के साथ बाँधकर जंगली जानवरों की दया पर छोड़ गए थे। जब कुछ सूझ नहीं पड़ा तो वह एक पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर रहकर वह रात को जानवरों से सुरक्षित रह सके। पेड़ पर अभी कुछ ऊपर ही चढ़ा था कि उसे थोड़ी दूर जंगल में एक दीपक टिमटिमाता दिखाई दिया। उसके मन में सभ्यता का यह चिह्न देख कुछ आशा पैदा हो गई और वह पेड़ से नीचे उतर उस दीपक की ओर चल पड़ा।

लगभग आधा फलांग झाड़ियों के बीच में से जाने पर उसे एक झोंपड़ी मिली, जिसमें वह दीपक जल रहा था। झोंपड़ी में तीन प्राणी बैठे थे जो दीपक के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तीनों किसी चिन्ता में प्रतीत होते थे। एक पुरुष था और दो स्त्रियाँ। नाहरसिंह के पाँव की आहट सुन पुरुष ने आवाज दी, "कौन है?" नाहरसिंह ने एक फौजी की भाँति उत्तर दिया, "एक मित्र।"

पुरुष झोंपड़ी के कोने से तीर-कमान उठा, तीर चढ़ा, नाहरसिंह की ओर तानकर बोला, "वहीं खड़े रहो।"

नाहरसिंह खड़ा हो गया। जब वह पुरुष खड़ा हुआ तो नाहरसिंह समझ गया कि किसी जंगली जाति का आदमी है। उसके बदन के ऊपर का भाग नंगा था। शरीर हूँट-पूँट प्रतीत होता था। उसने नाहरसिंह से कहा, "हाथ ऊँचे करो।"

नाहरसिंह समझ गया कि यद्यपि कोई जंगली है तो भी सभ्यता के तरीकों से परिचित है। वह हिन्दुस्तानी भी बोल सकता है। नाहरसिंह ने अपने स्थान पर खड़े-खड़े हाथ ऊँचे कर दिये।

उस जंगली ने पूछा, "कितने आदमी हो?"

"अकेला हूँ।"

"तो आगे चले आओ। देखो, यदि कोई और भी निकला तो तीर का निशाना

बना दूंगा।”

नाहरसिंह हाथ ऊँचे किए हुए झोंपड़ी के समीप, प्रकाश में आकर खड़ा हो गया। उस जंगली ने पूछा, “तुम अंग्रेज फौजी हो?”

“नहीं। यह बर्दा तो उनसे बचने के लिए पहनी है।”

“तो तुम कौन हो?”

“यह एक लम्बी बात है। कुछ खाने को दो तो सब बात बता दूंगा। भूख से मरा जाता हूँ।”

उस पुरुष ने एक स्त्री की ओर देखकर अपनी भाषा में कुछ कहा। दोनों में से बड़ी आयु की स्त्री उठी और नाहरसिंह के समीप पहुँच उसकी तलाशी लेने लगी। नाहरसिंह ने आपत्ति नहीं उठाई।

नाहरसिंह के पास इम्फाल से चलने के समय एक पिस्तौल तो था, परन्तु राष्ट्रीय सेना के लोगों ने उसकी तलाशी लेते समय निकाल लिया था। उस स्त्री ने नाहरसिंह की जेबों में जब कुछ नहीं पाया तो पुरुष को अपनी भाषा में बताया। पुरुष के कहने पर स्त्री अपने स्थान पर लौट आई। जंगली ने नाहरसिंह को कहा, “आ सकते हो।”

वह झोंपड़ी में चला आया। यह जंगल की लकड़ियाँ गाड़कर बनाई गई थी। छत पर भी लकड़ियाँ और सूखे पत्ते डाले हुए थे। एक टूटे हुए मिट्टी के ठीकड़े में, सूखी घास की बटकर बनी बत्ती और कोई तेल की भाँति गाढ़ा पदार्थ, दीये का काम दे रहा था। दोनों स्त्रियाँ कमर पर अति मँले कम्बल की भाँति मोटे कपड़े का लहंगा सा पहने थीं। कमर से ऊपर का शरीर नंगा था। गले में भाँति-भाँति के पत्थरों की मालाएँ थीं। कानों में और सिर के बालों में भी कुछ श्वेत-सी वस्तु टँगी थी। वह स्त्री जिसने नाहरसिंह की तलाशी ली थी कुछ बड़ी उमर की प्रतीत होती थी। दूसरी तो अभी लड़की ही प्रतीत होती थी। रूप-रेखा भी कुछ अच्छी थी। यद्यपि रंग गोरा था, परन्तु धूप-आँधी में नंगा रहने से भूरा-सा हो गया प्रतीत होता था।

नाहरसिंह ने झोंपड़ी में पहुँच जब किसी खाने-योग्य पदार्थ का चिह्न भी नहीं देखा तो निराश हो गया। जंगली यह सब नाहरसिंह के मुख पर देख मुस्कराकर पूछने लगा, “बहुत भूख लगी है?”

“हाँ।”

“हमारे पास लोमड़ी का भुना मांस है। खाओगे?”

नाहरसिंह ने भूख का ध्यान कर कहा, “देखता हूँ। खा सका तो खाऊँगा।”

बड़ी आयु की स्त्री उठी और झोंपड़ी के बाहर निकल गई। पुरुष ने नाहरसिंह को बैठने को कहा। वह एक कोने में रखे कुछ सूखे पत्तों पर बैठ गया। स्त्री घास की बनी रस्सी से बँधी लोमड़ी की एक टाँग, जो धुएँ में काली हो गई थी, हाथ में

लटकाए आ गई। पुरुष ने टांग पकड़ रस्सी खोल दी और नाहरसिंह को देकर बोला, “बस, यही है। खा सकते हो तो खा लो। दोपहर को दो लोमड़ियाँ मारी थीं और उनको आग पर भूनकर खाया था। एक टांग बच गई थी सो तुम ले सकते हो।”

उस मांस की शक्ल देखकर तो नाहरसिंह की खाने को रुचि नहीं होती थी, परन्तु भूख से उसका पेट बिलबिला रहा था। इससे उसने सोचा कि जरा चखकर देखूँ। उसने उस पर अँगुली रगड़कर जबान पर लगाई तो उसे प्रतीत हुआ कि नमक लगा है। उसने जंगली की ओर देखकर कहा, “नमक लगा है?”

“हाँ, वह हमें मिल जाता है।”

अब नाहरसिंह ने नाक के समीप ले जाकर सूँघा। गंध भुने मांस की-सी थी। अब उसने मुख लगाया और पश्चात् चबा-चबाकर खाने लगा। खाते हुए नाहरसिंह ने पूछा, “तुम कौन हो और यहाँ अकेले कैसे रहते हो?”

“हम नागपाल हैं। नाग की उपासना करते हैं। मैं छोटी उमर में अपने माँ-बाप को छोड़ एक साहब की नौकरी करने चला गया था। उसके साथ दस वर्ष कलकत्ते में रहा हूँ। फिर वह साहब चाय के खेतों में अफसर बनकर चला आया। मैं भी उसके साथ चला आया। ये स्त्रियाँ चाय के खेतों में काम करती थीं। मैंने इससे,” बड़ी आयु वाली की ओर संकेत कर कहा, “विवाह कर लिया। यह दूसरी इसकी छोटी बहन है।

“छः मास हुए अंग्रेजी फीज आसाम में पहुँच गई तो उसमें के गोरे सिपाहियों ने चाय के खेतों में काम करने वाली स्त्रियों के साथ दुराचार करना आरम्भ कर दिया। एक दिन इसको (छोटी की ओर संकेत कर) एक गोरा सिपाही पकड़कर ले गया। यह बहुत रोई, छटपटाई और छूटने का यत्न करती रही। खेत में सब स्त्रियाँ ही थीं। वे भागकर साहब के पास आईं और रोने-गाने लगीं। मैं समीप खड़ा था। एक ने बताया कि एक गोरा कानू को पकड़कर खेत के एक कोने में ले गया है।

“साहब ने कहा, ‘चुप रहो। अपना-अपना काम करो।’ मेरी स्त्री की आँखों से आँसू निकल आए। यह मुझसे देखा नहीं गया। मेरी अंटी में एक चाकू था जिससे जानवरों की खाल उतारी जाती है। मैंने उस चाकू को टटोलकर देखा। वह अपने स्थान पर था। मैं बिना किसी को कुछ भी कहे, खेत के उस कोने की ओर चल पड़ा जिधर स्त्रियों ने गोरे को कानू को ले जाते देखा था।

“मैं जब वहाँ पहुँचा तो वह इससे दुराचार कर रहा था। यह भूमि पर उसके नीचे बेबस पड़ी थी। मैंने अंटी से चाकू निकाल उसकी पसली में घोंप दिया। वह आह कर लोट-पोट होने लगा। मैंने कानू को उठाया और अपनी स्त्री को आवाज दे बुलाया। वह भागती हुई मेरे पीछे-पीछे आ रही थी और पूर्व इसके कि अन्य

लोग हमारे समीप आते, मैं इनको साथ लेकर भाग गया। हमने उस रात तो समीप के जंगल में छिपकर जान बचाई और अगले दिन भागकर बर्मा की सरहद में घुस आए। यह स्थान अंग्रेजों के अधीन नहीं है। इस कारण यह झोंपड़ी बना ली है और अब यहाँ रहता हूँ। हमारे पास इन कपड़ों के अतिरिक्त और कपड़े नहीं हैं। हमारे पास खाना पकाने को बर्तन नहीं हैं। यह ठीकरा, जिससे दीपक बनाया है, यहीं पड़ा मिल गया था। इसमें जानवरों की चर्बी डालकर जलाते हैं। जानवरों का मांस और कंद-मूल खाकर निर्वाह करते हैं।

“आज सुबह बहुत से फौजी बर्मा की ओर से आसाम की सरहद की ओर जाते दिखाई दिए हैं। इससे मैं यह समझा हूँ कि इस जंगल में भी गोरे सिपाहियों से बचना कठिन हो जाएगा। ये (औरतें) इस समाचार से सहमी हुई हैं और तुम्हारे आने से पूर्व हम सोच रहे थे कि और घने जंगल में चले जाएँ, परन्तु अब वर्षा आरम्भ होने वाली है और यह झोंपड़ी, जो छः मास के कठोर परिश्रम से तैयार की है, छोड़ने को मन नहीं मानता।”

नाहरसिंह ने लोमड़ी की टाँग का आधा मांस धीरे-धीरे खा लिया था। इससे उसकी भूख कुछ-कुछ मिट गई और उसकी और अधिक मांस खाने में रुचि नहीं रही। इस समय उसने देखा कि कानू होंठों पर जबान फेर रही है, इससे उसने शेष मांस का टुकड़ा कानू की ओर बढ़ाकर कहा, “तुम खा लो।”

कानू ने अपने जीजा की ओर देखा। वह हँस पड़ा। कानू ने इसे स्वीकृति मान खाना आरम्भ कर दिया।

नाहरसिंह ने उस जंगली आदमी से उसका नाम पूछा। उसने उत्तर दिया, “अम्बर।”

नाहरसिंह ने कहा, “मैं बर्मा जा रहा हूँ। मैं भी अंग्रेजी राज्य से भागकर आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो।”

अम्बर ने प्रश्न-भरी दृष्टि से स्त्रियों की ओर देखा और अपनी भाषा में कुछ पूछा। कानू ने तुरन्त सिर हिला दिया। प्रतीत होता था कि वह अपने इस जीवन से सर्वथा ऊब गई है। कुटिया के एक कोने में सूखे पत्तों को बिछाकर सोने का स्थान बना था। कानू का स्थान नाहरसिंह को सोने के लिए दिया गया। वह थका होने से लेटते ही सो गया।

: ४ :

इधर इम्फाल पर राष्ट्रीय सेना का अधिकार हुआ तो उधर कोहीमा पर आक्रमण कर दिया गया। यदि ऋतु अनुकूल होती और जापानी थोड़े से हवाई जहाजों से हिन्दुस्तानी राष्ट्रीय सेना की सहायता करते तो राष्ट्रीय सेना, जिस तेजी से इम्फाल तक आई थी, उसी वेग से आसाम पार कर जाती। युद्ध-विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एक बार राष्ट्रीय सेना बंगाल के मैदानों में आ जाती तो

बंगाल में विप्लव खड़ा हो जाता।

यह ठीक था कि सन् १९४२ का समय नहीं था। उस वर्ष के आरम्भ में अंग्रेजों के पास रक्षा का प्रबन्ध बिलकुल नहीं था। परन्तु अब सन् १९४४ का मध्य था। अंग्रेजों ने बहुत तैयारी कर ली थी। साथ ही लाखों अमेरिकन सिपाही अरबों रुपए की लागत का लड़ाई का सामान साथ लेकर हिन्दुस्तान में स्थान-स्थान पर छाव-नियाँ डाले हुए थे। फिर भी जन-साधारण के सम्मुख यह सब कुछ विफल जाता। देश-भर में इतना असन्तोष था कि किञ्चित्मात्र भी विद्रोह की सफलता की आशा होने पर, सूखे घास में चिंगारी की भाँति, पूरा देश विद्रोह से सजग हो उठता।

परन्तु ऐसा होना नहीं था।

धीरेन्द्र ने यह देखने के लिए कि नाहरसिंह सही-सलामत बर्मा में चला जाता; है या मार्ग में रोक लिया जाता है, एक और आदमी उसके पीछे भेज दिया। वह जामूस नाहरसिंह को तार की हरबंदी पार करते देख आया था। अब धीरेन्द्र यह आशा लगाए हुए था कि शीघ्र ही कोई सूचना प्राप्त होगी।

: ५ :

नाहरसिंह के जाने के दो मास उपरान्त, एक दिन एक पंजाबी सिख युवक धीरेन्द्र से मिलने आया। धीरेन्द्र लिखने का काम कर रहा था कि मोहन कमरे में आकर बोला, “गुरुजी, एक पंजाबी सिख आपसे मिलने आया है।”

“क्या कहता है?”

“मुझे पूछता था, ‘तुम मोहन हो?’ अब मैंने हाँ कहा तो बोला, ‘गुरुजी से कहो कि मैं बर्मा से आया हूँ।’”

धीरेन्द्र ने उसे तुरन्त बुला लिया और बैठकर कमरा बन्द कर लिया, ताकि गिर्विघ्न बातें हो सकें। वह सिख युवक साधारण नागरिकों का पहरावा पहने हुए था, परन्तु कमरे में प्रवेश करते ही उसने फौजी ढंग से सलाम कर ‘जय हिन्द’ कहा था। धीरेन्द्र ने ‘जय हिन्द’ का उत्तर दे पूछा, “क्या काम है?”

“मुझे नेताजी ने भेजा है।”

“प्रमाण?”

सिख युवक ने कोट के अन्दर की जेब में से एक अँगूठी निकालकर दिखाई और कहा, “संकेत पर संकेत कहूँगा।”

गुरुजी ने देखा कि अँगूठी नाहरसिंह की है। उसे पहचान धीरेन्द्र ने संकेत दिया, “भुवनेश्वर।”

सिख युवक ने उत्तर में कहा, “जय शंकर।”

गुरुजी ने कहा, “हाँ, अब बताइए। कैसे आना हुआ है?”

“मुझे कल रंगून में एक गोरखा अफसर के पास भेजा गया था। उस अफसर ने मुझे आपसे मिलने का पता बता और यह अँगूठी संकेत के लिए देकर एक चिट्ठी

दी है। मुझे आज्ञा है कि वह चिट्ठी केवल आपके हाथ में दूँ। उस गोरखा अफसर का नाम नाहरसिंह है। नेताजी की आज्ञा है कि यदि कहीं पकड़ा जाऊँ तो विष, जो मैं अपने पास लिये हूँ, खाकर मर जाऊँ। कल सायंकाल मैं एक जापानी हवाई जहाज में सवार होकर रंगून से चला था और रात के बारह बजे के लगभग कलकत्ते में दस मील उत्तर की ओर पैराशूट बाँधकर कूद पड़ा।

एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में विष लेकर मैं घटाटोप अँधेरे में कूदा था। जब भूमि पर पहुँचा तो मुझे प्रतीत हुआ कि मैं एक खेत में ग्राण्ड ट्रंक रोड के समीप हूँ। मैंने पैराशूट खोल डाला और उसे लपेटकर एक पुल के नीचे छिपा दिया। मुझे मालूम था कि कलकत्ता दक्षिण की ओर है। अतएव सड़क पर पहुँच मैं दक्षिण की ओर चल पड़ा। दिन निकलने तक कलकत्ते पहुँच गया और दूँढ़ता हुआ आपके पास आ पहुँचा हूँ।”

इतना कह उसने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर गुरुजी को दे दिया। धीरेन्द्र ने पत्र लेकर पूछा, “आपका नाम क्या है?”

“कृपालसिंह।”

“कहाँ के रहने वाले हैं?”

“पंजाब जिला गुजरात का हूँ।”

धीरेन्द्र ने आवाज दे मोहन को बुलाया और सिख युवक को दूसरे कमरे में ले जाकर स्नान तथा भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करने को कहा। उसके वहाँ से चले जाने पर धीरेन्द्र ने पत्र खोलकर पढ़ना आरम्भ किया। लिफाफे में एक पत्र बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था और दो और पत्र थे। इनमें एक नेताजी का अपने हाथ का लिखा था। धीरेन्द्र ने नेताजी का पत्र पहले पढ़ा। लिखा था—

“भाई, आपका दूत मिला। जिस जीवट का वह आदमी है उससे तो वह ठीक ही विक्टोरिया क्रॉस का अधिकारी सिद्ध होता है। उसने स्वराज्य-संस्थापन-समिति का परिचय दिया है। यह जानकर मेरा मन आनन्द से बल्लियों उछल रहा है। भारतवर्ष पर भगवान् की असीम कृपा प्रतीत होती है जो आप लोग हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात को भलीभाँति समझ रहा हूँ कि बंगाल में विप्लव खड़ा करने का समय तब आवेगा जब हम बंगाल के मैदान में उतर आवेंगे। मैं तो समझता था कि अब तक हमें कलकत्ते पहुँच जाना चाहिए था। हमारे बहादुर सिपाही तो इतने वेग से आगे बढ़े थे कि एक समय तो अंग्रेजी फौज के छक्के छूट गए थे, परन्तु मुझे जापानियों की ओर से धोखा हुआ है। वहाँ से मुझे हवाई जहाजों की सहायता का वचन मिला था। उस सहायता की चार मास से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और इस समय मेरे पास दस-बीस भी लड़ने वाले हवाई जहाज होते तो उनकी सहायता से हमारे बहादुर सिपाही बंगाल के हरे-भरे मैदान में पहुँच चुके होते।

“अब वर्षा आरम्भ हो गई है। हमारे पास न तो मोटर-ट्रक है, न ही बारबर-दारी के लिए खच्चर। हम अपने उन सिपाहियों को, जो आगे की पंक्ति में खड़े अमेरिकन और अंग्रेजी फौजों का और उनके पूर्ण अस्त्र-शस्त्रों का दृढ़ता और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, खाने का सामान और दारू-बारूद भी नहीं भेज सकते।

“जापान ने सहायता का वचन दिया था। वह वचन पूरा नहीं हुआ, इस कारण हमारे सिपाहियों को कुछ पीछे हटना पड़ा है। अब पुनः जनवरी के महीने में आक्रमण करेंगे। ईश्वर की कृपा से, इस बार हम पूरी तैयारी से आगे बढ़ेंगे। सब प्रकार का अपना प्रबन्ध हम स्वयं कर रहे हैं।

“मैं चाहता हूँ कि जनवरी तक आप योजना बनाकर अपने पूरे बल से चोट करने के लिए तैयार रहें। फरवरी में हम बंगाल के मैदानों में कूद पड़ेंगे। आप हमारे प्राइवेट ब्रॉडकास्ट को सुना करें।

—सुभाष”

नाहरसिंह की दो चिट्ठियाँ थीं। एक इस प्रकार थी—

“गुरुवर, चिट्ठियाँ लिखना भयरहित नहीं, परन्तु इसके बिना दूसरा उपाय भी नहीं है। अतएव लिखता हूँ। पत्र-वाहक कृपालसिंह बहुत विश्वासी आदमी है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि वह जीवित शत्रु के हाथ में न पहुँच सके। पत्र में किसी का नाम तथा पता नहीं लिखा और कृपालसिंह को इस प्रकार समझा दिया गया है कि वह आपको पहचानने में धोखा न खाए।

—नाहर”

तीसरा पत्र लम्बा था। यह एक प्रकार का नाहरसिंह का रोजनामचा था। इसमें उसने कलकत्ते से विदा होने के समय से लेकर रंगून में पहुँचने तक का वृत्तान्त और फिर नेताजी से भेंट और जनता के विचारों की पूर्ण कथा लिखी थी। अम्बर से मिलने तक की बात लिख, उसने लिखा—

“अगले दिन हम तीनों दक्षिण की ओर चल पड़े। उनको साथ रखने से मुझे यह लाभ हुआ कि जंगल में बिना खाने-पीने और ठिकाने के भी शिकार से निर्वाह होता गया। रात को किसी-न-किसी जानवर का भुना हुआ मांस मिल जाता था। अम्बर का पूरा सामान तीरकमान, एक तेज चाकू, चकमक पत्थर तथा कपड़े की पोटली में बँधा थोड़ा नमक था।

“दो दिन चलने के पश्चात् वर्षा आरम्भ हो गई। इस समय हम एक गाँव में जा पहुँचे थे जहाँ राष्ट्रीय सेना के लोग घेरा डाले हुए थे। उनके अफसर से मिलकर मैंने अपना वृत्तान्त और आशय प्रकट किया। तत्पश्चात् हमें एक मोटर-ट्रक में बैठाकर रंगून भेज दिया गया। यहाँ जो कुछ मैंने देखा वह एक मृत यव में भी जीवन-संचार कर देने वाला है। पूर्ण हिन्दुस्तानी समाज राष्ट्रीय सेना को सहयोग

दे रहा है। नेताजी यहाँ देवता के समान पूजे जाते हैं। लोग अपनी प्रत्येक वस्तु को उन पर न्योछावर करने के लिए तैयार हैं।

“मैंने अभी उस दिन नेताजी की वर्ष-गाँठ का उत्सव देखा था। लोगों का प्रेम देखा तो मेरे आँसू निकल आए थे। नेताजी का तुलादान किया जा रहा था। सब जानते थे कि यह सोना-भूषण इत्यादि राष्ट्रीय सेना के काम आवेगा और स्त्री-पुरुष एक न समाप्त होने वाली पंक्ति में तराजू के दूसरे पलड़े में अपने भूषण और सोने के टुकड़े डालने के लिए उमड़े चले आते थे। प्रत्येक आगे निकलकर अपनी भेंट अर्पण करना चाहता था। लोगों को सन्देह था कि कहीं उनकी बारी आने से पूर्व तुला पूरी हो गई तो इस पुण्य-कार्य के भागी न हो सकेंगे। देखते-देखते पलड़ा भूषणों से भरता जाता था। एक-एक कर लोग आते थे और अपनी भेंट पलड़े में डाल, नेताजी को केसर का तिलक लगा विदा होते जाते थे। नेताजी के स्थान के बाहर लोग लाखों की संख्या में नेताजी के दर्शन को खड़े थे।

“देखते-देखते भूषणों से लदा पलड़ा झुक गया। सबके मुख से जय-जयकार के शब्द निकल पड़े। वास्तव में ही हृदय को आन्दोलित कर देने वाला दृश्य था। स्त्रियाँ अपने हाथों की चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ अथवा गले का हार निकाल-निकाल ऐसे दे रही थीं मानो राँगा-लोहे के बने हों।

“एक दिन एक मुसलमान खोजा आया और एक करोड़ रुपए की पूर्ण सम्पत्ति नेताजी को दे गया। ऐसी घटनाएँ नित्य होती रहती थीं। उस दिन मैं फौजी परेड देखने गया था। पंजाबी, गोरखे, बंगाली, मद्रासी, बच्चे, पुरुष, स्त्रियाँ सब इस सेना में हैं। हिन्दुस्तान के लिए गौरव की बात है कि एक वर्ष के भीतर पचास हजार से अधिक आदमी फौजी शिक्षा पाकर सेना में भरती हो चुके हैं।

“हिन्द राष्ट्रीय सेना के साथ सहानुभूति और सहायता का जहाँ तक सम्बन्ध है वह बर्मा, सिंगापुर, थाईलैण्ड और फ्रेंच इण्डो-चाइना में रहने वाले हिन्दुस्तानियों का पूर्ण रूप में प्राप्त है। सिंगापुर में एक सभा में एक लाख के लगभग लोग उपस्थित थे। नेताजी जब पहुँचे तो लोगों ने फूलों की माला पहनाई। नेताजी ने वह माला अपने सम्मुख रख भाषण दिया। पश्चात् इस माला को नीलाम किया गया। एक हजार से बोली आरम्भ हुई। बढ़ती-बढ़ती एक लाख तक पहुँच गई। एक लाख की बोली एक पंजाबी युवक की थी। एक और ने डेढ़ लाख कह दिया। इस पर उस पंजाबी युवक ने दो लाख कहे। दूसरे ने तीन लाख कह दिया। इस पर पंजाबी युवक बोल उठा, “मेरी सारी सम्पत्ति और साथ ही मैं भी।” अगले दिन उस पंजाबी ने साढ़े चार लाख की सम्पत्ति नेताजी को देकर अपना नाम सेना में लिखा दिया।

“इस प्रकार की घटनाएँ वहाँ नित्य होती रहती हैं। इस पर भी मुझे एक वस्तु का अभाव प्रतीत होता है। वह है फौजी सामान का। बर्मा, मलाया और थाईलैण्ड में

बन्दूकों, कारतूसों, बमों, हवाई जहाजों के बनाने अथवा मरम्मत करने का एक भी कारखाना नहीं। इस समय जो मुहिम आसाम में चल रही है उसके लिए दाख्-बाख्, मोटर-गाड़ियाँ और हवाई जहाजों की कमी है।

“लोगों के त्याग और उत्साह को देखकर तो मन गद्गद हो जाता है, परन्तु सामान का अभाव देखकर हृदय डर से काँप जाता है। नेताजी का व्यक्तित्व तो जादू का असर दिखा रहा है, परन्तु बिना सरो-सामान के तो भगवान् भी असफल रह जाएँगे।

“जापानियों ने हवाई जहाज और ट्रक देने का वचन दिया है, परन्तु वह शरद् ऋतु के पूर्व नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण स्थगित करना पड़ रहा है।

“मुगल राज्य के विरुद्ध राजपूताना और विशेष रूप में उदयपुर ने विद्रोह का झण्डा ऊँचा किया था। वहाँ लगन, त्याग और बहादुरी की कमी नहीं थी। कमी थी तो फौजी सामान की। अकबर के पास तोपें थीं और जयमलसिंह और फतह सिंह के पास तीर-कमान। वही बात मुझे अब मालूम हो रही है। हिन्दुस्तानी राष्ट्रीय सैनिक फटी हुई बर्दी पहने, टूटे हुए जूतों से, जंगल के घास और पत्ते खाते हुए अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा रहे हैं। परन्तु यह कब तक चल पाएगा। अंग्रेजों और अमेरिकनों के पास फौजी सामान असीम है।

—नाहर”

: ६ :

इस चिट्ठी ने धीरेन्द्र के जोश पर ठण्डा पानी डाल दिया। उसने कृपालसिंह से और विषयों में भी परिचय प्राप्त करने का यत्न किया। जो कुछ उसे मालूम हुआ उससे वह इस परिणाम पर पहुँचा था कि इस युद्ध में अंग्रेजों और अमेरिकनों की जीत होगी। अंग्रेजों की जीत और जर्मन तथा जापानियों की हार का कारण यह नहीं था कि अंग्रेज न्याय और दया के पक्ष में थे और जर्मन अन्याय और निर्दयता के पक्ष में। वास्तविक बात यह थी कि अंग्रेजों के साथ रूस और अमेरिका का शामिल हो जाना ही उनकी जीत का कारण बन गया। रूस और अमेरिका की अस्त्र-शस्त्र और जन-शक्ति अतुल थी। जापान, जर्मनी और इटली इनके मुकाबले में न तो अस्त्र-शस्त्र बना सके और न ही फौजी भरती कर सके। दुर्भाग्य से बोस बाबू जापानियों और जर्मनी की सहायता पर भरोसा कर रहे थे, अतः असफलता अनिवार्य थी।

इतना विचार कर धीरेन्द्र ने बोस बाबू के आन्दोलन से अपना ध्यान हटाकर हिन्दुस्तान के भीतर अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया। इस समय स्वराज्य-संस्थापन-समिति की शक्ति की परीक्षा की गई। सबसे दुःखद बात जो धीरेन्द्र को प्रतीत हुई वह इस समिति में मुसलमानों का अभाव था। क्षत्रिय वर्ग में तो एक भी मुसलमान नहीं

था और कर्मचारी वर्ग में कहीं दस हजार में दो-चार मुसलमान थे। धीरेन्द्र के मस्तिष्क में तो हिन्दुस्तानियों के स्वराज्य के चित्र में मुसलमानों का एक मानयुक्त स्थान था। शंकर पण्डित और नरेन्द्र स्वराज्य-संस्थापन-समिति में और स्वराज्य-प्राप्ति पर भारत सरकार में मुसलमानों के होने या न होने को किसी प्रकार का महत्त्व नहीं देते थे। इस विषय पर परस्पर मतभेद होते हुए भी काम चल रहा था। अभी इस पर सोचने का अवसर नहीं आया था, परन्तु अब ज्यों-ज्यों विप्लव खड़ा करने का समय समीप आता जाता था, मुसलमानों का समिति में अभाव अखरने लगा था।

धीरेन्द्र ने नरेन्द्र को और नवरत्न-मण्डल के अन्य सदस्यों को इसी विषय में प्रयत्न करने के लिए और प्रयत्न के ढंग पर विचार करने के लिए दिल्ली में आमन्त्रित किया। नरेन्द्र, बनारसीदास और शेखरानन्द की सम्मति यह थी कि यदि कोई मुसलमान समिति में सम्मिलित होने आता है तो आपत्ति नहीं उठानी चाहिए, परन्तु उनको सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयत्न करना और इसके लिए विशेष योजना बनानी अनुचित है। ऐसा करने का अभिप्राय यह होगा कि उनको विशेष सुविधाएँ दी जाएँ। यह स्वेच्छा से सम्मिलित रहने वालों के साथ अन्याय होगा।

इसके विपरीत धीरेन्द्र, सेठ कुंजबिहारी, नरोत्तम और नरहरिराव समझते थे कि समिति में बिना मुसलमानों को पर्याप्त संख्या में सम्मिलित किए विप्लव के समय मुसलमानों के मन में सन्देह बना रहेगा, अतः सम्भव है कि वे अंग्रेजों की सहायता करने और समिति का विरोध करने पर उतर आवें। यह एक भारी विघ्न और बाधा बन जाएगी। इस कारण मुसलमानों को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है।

शंकर पण्डित हिमालय से लौटा नहीं था और नाहरसिंह वर्मा में था। इस प्रकार तीन के मुकाबले में चार सम्मितियों से धीरेन्द्र की योजना स्वीकार हो गई। मुसलमानों को समिति में सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयत्न-स्वरूप विशेष धन की स्वीकृति दी गई।

धीरेन्द्र ने क्षत्रिय वर्ग के और कर्मचारी वर्ग के उप-नेताओं को इस विषय में प्रयत्न करने का आदेश दे दिया। इसमें भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कई स्थानों पर मुसलमानों को मण्डलियों में लाने के लिए कहा गया। इस विषय में सिर-तोड़ यत्न होने लगा।

कुछ मण्डलियों के हिन्दू-सदस्यों को मुसलमानों से सम्पर्क उत्पन्न करने के लिए कहा गया। इनमें एक चूनीलाल था। यह अमृतसर बीविंग मिल्ज में काम करता था। इसके विभाग में बीस आदमी थे जिनमें पन्द्रह मुसलमान थे और पाँच हिन्दू। इस विभाग का फोरमैन अब्दुल करीम था।

चूनीलाल ने अब्दुल करीम को अपने घर चाय-पार्टी दी। इस पार्टी में उसने अपने एक और मित्र अमरनाथ को भी बुलाया था। नगर के बाहर, लोहगढ़ दर-वाजे से कुछ दूर एक छोटे-से मकान में, जहाँ चूनीलाल रहता था, यह चाय-पार्टी हो रही थी। तीनों एक मेज के आसपास लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे बातें करते हुए चाय की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूनीलाल ने कहा, “मिस्त्री जी, गाँव से बढ़िया घी आया था। मैंने सोचा, कुछ दोस्त मिलकर खाएँगे तो बहुत मजा रहेगा। वस, यह आज की चाय-पार्टी का कारण है। घी के साग वाले पकौड़े और चाय, वस इतना ही है।”

अमरनाथ ने कहा, “परन्तु ऐसे अवसरों पर खाने से अधिक मेल-मुलाकात की बात होती है।”

“हाँ,” चूनीलाल का उत्तर था, “देखिए, यह मिस्त्री अब्दुल करीम हैं। कारखाने में हमारे विभाग के फोरमैन हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इनका हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े से कोई सरोकार नहीं। इनकी मुझपर तो बहुत ही कृपा है।”

अब्दुल करीम अपनी प्रशंसा सुन जेंप रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि उसने चूनीलाल की तरक्की का विरोध कर मुहम्मद असलम की सिफारिश की थी। यद्यपि तरक्की चूनीलाल की ही हुई थी फिर भी अब्दुल करीम का विचार था कि यह पार्टी उसकी खुशामद करने के लिए दी गई है। चूनीलाल ने अब्दुल करीम को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और अपने मित्र अमरनाथ का परिचय कराते हुए कहा, “ये हैं मेरे गहरे दोस्त अमरनाथ जी। पंजाब नेशनल बैंक की हॉल बाजार की ब्रांच में क्लर्क हैं। हम जब तक एक-दूसरे को रात तक देख नहीं लेते हमें नींद नहीं आती। यह हॉल बाजार में ही रहते हैं।”

अब अमरनाथ की बारी थी। उसने अब्दुल करीम की ओर देखकर कहा, “मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपने गहरे दोस्तों में गिन सकूँगा।”

“हाँ, हाँ। क्यों नहीं। इन्शा अल्ला, मैं आपकी खिदमत के लायक बन सकूँ तो मुझे अजहद खुशी होगी।”

इस समय चूनीलाल की बहन हाथ में पकौड़ों का थाल लिये हुए कमरे में दाखिल हुई। अमरनाथ ने उसे देखकर कहा, “ओह... इन्द्रा... तुम गाँव से कब आई हो?”

“यही तो घी लेकर आई है,” चूनीलाल ने उत्तर दिया। “माँ आजकल बीमार रहती है। मैं परसों गया था और इसे ले आया हूँ।”

इन्द्रा पन्द्रह वर्ष की लड़की थी, परन्तु देहात में पली होने के कारण उन्नीस-बीस वर्ष की प्रतीत होती थी। एक युवा लड़की को सम्मुख देख अब्दुल करीम

उसका मुख देखता रह गया। इन्द्रा पकौड़े रख रसोईघर में चली गई। अब्दुल करीम ने बात आरम्भ कर दी, "आप मुसलमानों के साथ खाने को बुरा नहीं मानते न?"

"नहीं," चूनीलाल का कहना था, "आओ, खाना शुरू करें।"

इस समय एक बड़े काँच के प्याले में चटनी लेकर इन्द्रा फिर आई। अब्दुल करीम एक पकौड़ा उठाकर खाने लगा था, कि इन्द्रा को सम्मुख देख खाना भूल गया। इन्द्रा ने पूछा, "अभी पानी लाऊँ या एकदम चाय ले आऊँ?"

अब्दुल करीम ने एकदम कह दिया, "पहले पानी। चाय पीछे लेंगे।"

इन्द्रा मुस्कराकर चली गई। अब्दुल करीम ने कहा, "देहात की होने पर भी बातें तो शहर वालों की-सी करती है।"

"मेरे भाई जंझियाला में दूकान करते हैं। उनके कोई सन्तान नहीं और इस लड़की से उनका बहुत स्नेह है। इसे अक्सर अपने घर रखते हैं। इस पर भी यह यहाँ आती रहती है।"

तीनों एक ही प्याली में रखी चटनी से लगा-लगाकर पकौड़े खा रहे थे। अब्दुल करीम ने फिर कहा, "आप लोग मुझसे परहेज नहीं करते?"

अमरनाथ ने कहा, "आप हिन्दुस्तानी जो हैं। हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी से परहेज नहीं कर सकता।"

"मगर पहले तो हिन्दू लोग मुसलमानों से छूकर भी खाना नहीं खा सकते थे।"

"ठीक है। पहले-पहल जो मुसलमान यहाँ आए थे वे अपने आपको ईरान और गजनी का रहने वाला कहते थे। उस समय के हिन्दू विदेशियों से घृणा करते थे। इसलिए यह नफरत की रिवाज चल गई थी। मगर अब तो तुम लोग अपने को हिन्दुस्तानी ही मानते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ खाने में परहेज नहीं करते।"

अब्दुल करीम मन में सोच रहा था कि वह तो मुसलमान है, हिन्दुस्तानी नहीं। फिर भी अपनी ओर से वह उनसे विवाद में पड़ना नहीं चाहता था। फिर भी उस ने पूछा, "विवाह के विषय में आपका क्या विचार है? क्या यह भी आप मुसलमानों से कर सकते हैं?"

"मैं समझता हूँ कि यह परहेज भी नहीं रहेगा, मगर इससे पहले एक-आध बात का और विश्वास कर लेना आवश्यक है। यदि मुसलमान गाय की कुरबानी देना और गोमांस खाना बन्द कर दें और पति पत्नी को अथवा पत्नी पति को मजहब की स्वतन्त्रता दे सके तो हिन्दू और मुसलमानों में विवाह का रिवाज भी चल सकेगा।"

"मगर," अब्दुल करीम का कहना था, "जब एक लड़की मुसलमान से विवाह करेगी तो वह खुद ही मुसलमान हो जाएगी। फिर उसे गोमांस से परहेज की

जरूरत नहीं रहेगी।”

“लेकिन अगर एक हिन्दू लड़की मुसलमान से विवाह करके भी हिन्दू रहना चाहती है तो वह आशा करेगी कि घर में गोमांस न बनाया जाय।”

अब्दुल करीम यह नहीं समझ सका कि हिन्दू लड़की मुसलमान की स्त्री बनकर भी कैसे हिन्दू रह सकेगी और फिर मुसलमान कैसे गाय की कुरबानी से अपना हक छोड़ देगा। परन्तु उसके मन में इन्द्रा के रूप ने हलचल मचा रखी थी। इस कारण वह अपने मन की बात कह नहीं सका। चुपचाप सुनता रहा।

अब इसी विषय को अमरनाथ ने आगे चलाया। उसने कहा, “हकीकत यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों में दोष हैं। मुसलमान जब किसी गैर-मुसलमान से विवाह करते हैं तो वे उसे इस्लाम स्वीकार करने पर विवश करते हैं और हिन्दू मुसलमानों से नफरत करते हैं। हम इन दोनों बातों को अनुचित समझते हैं। इस कारण हिन्दुस्तान में हमने एक नयी मजलिस बनाई है। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। हम दोनों की बुरी बातों को मिटाकर दोनों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहते हैं।”

अब्दुल करीम के मन में अभी भी इन्द्रा का रूप समा रहा था। इससे वह अमरनाथ की बात के अर्थ समझे बिना ही सिर हिला रहा था। जूनीलाल ने उसके मन के भावों को जानने के लिए कहा, “अगर हम अपनी इस मजलिस को काम-याव्र कर सके तो हिन्दुस्तान में कितना सुख और शान्ति होगी। सब लोग बिना भेद-भाव के, बिना खानपान और विवाह-शादियों के बन्धनों के भाई-भाई की भाँति रह सकेंगे। मजहब हर एक शब्द की अपनी-अपनी बात रह जायगी। जैसे एक दावत में जिसका मन चाहे मिठाई खाता है और जिसका मन चाहे नमकीन, कोई किसी को नमकीन या मिठाई खाने पर विवश नहीं कर सकता, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारी इस मजलिस में लोग भी, जो चाहें मुसलमान बनें और जो चाहें हिन्दू। कोई किसी दूसरे को मजबूर नहीं करेगा।”

“आपकी यह मजलिस कहाँ है?”

“यहाँ अमृतसर में भी है।”

“उसमें क्या मुसलमान भी हैं?”

“कम हैं।”

“मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल है। हम यह समझते हैं कि एक परिवार में, एक मुहल्ले में, एक नगर में और एक देश में एक मजहब के मानने वाले ही होने चाहिए। अगर कुछ गैर-मुस्लिम देश, नगर या मुहल्ले में रह जाते हैं तो यह हमारी मजबूरी की वजह से है। परिवार में तो गैर-मजहब के लोग हम कभी भी दाखिल नहीं करेंगे।”

“तो इसका मतलब यह है कि गैर-मजहब वाले मुसलमानों से शादी या रिश्ता

पसन्द नहीं करेंगे।”

इस बात ने अब्दुल करीम पर घड़ों पानी डाल दिया। वह कुछ उत्तर नहीं दे सका। इस समय इन्द्रा चाय का सामान ले आई। वह प्याले और चायदानी इत्यादि मेज पर रखने लगी थी। अब्दुल करीम सोच रहा था कि चूनीलाल की आर्थिक स्थिति का आदमी इस सब सामान और दावत पर इतना व्यय कैसे कर सकता है। परन्तु इन भावों को इन्द्रा की सूरत-शकल देख वह प्रकट नहीं कर सका। उस का विचार फिर विवाह के विषय की ओर चला गया। उसने अपने प्याले में चाय डालते हुए कहा, “परन्तु तुम हिन्दू लोग भी तो यह पसन्द नहीं करोगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री कुरान पढ़े, नमाज अदा करे और ईद के दिन कुरबानी दे।”

इन्द्रा खड़ी अमरनाथ के लिए चाय बना रही थी और अमरनाथ अब्दुल करीम की बात सुन रहा था। चूनीलाल ने इस बात का उत्तर दिया, “यह ठीक है कि हिन्दू इसे पसन्द नहीं करते और यही वजह है कि हमें एक नयी समाज यानी सुसाइटी बनाने की जरूरत महसूस हुई है। हमारी इस सोसायटी के लोग यह चाहते हैं कि जैसे एक देश, सूबा या नगर में मुख्तलिफ मजहबों के लोम अपना-अपना मजहब रखते हुए गैर-मजहब वालों से व्यापार, लेन-देन और व्यवहार रखते हैं वैसे ही एक परिवार के लोग भी करें। हर एक अपना-अपना मजहब रखने में आजाद हो। फिर भी अपनी-अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ सब निभाते रहें।”

अब्दुल करीम कुछ क्षण बात को समझने लगा था। इसमें इन्द्रा की उपस्थिति, उसका रूप-यौवन ही मुख्य कारण था। उसने कहा, “यह बहुत अच्छी बात है। मगर क्या यह हो सकेगी?”

चूनीलाल का कहना था, “कुछ हद तक तो हम हिन्दू पहले ही ऐसा व्यवहार रखते हैं। मैं अपनी ही बात बनाता हूँ। मेरे भाई मूर्ति-पूजा करते हैं और मैं आर्य-समाजी हूँ। मेरी माँ मांस नहीं खाती। वह इसे खाना पाप समझती है और मैं अण्डा-मुर्गी सब खा जाता हूँ। मेरी जहाँ सगाई हुई है वहाँ परमात्मा की हस्ती को नहीं माना जाता और मैं आर्यसमाजी होने से निराकार ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। देखो, कौसा गजब का मेल होगा। माँ ठाकुर की आरती उतारेंगी। मैं पालथी मार, आँखें मूँद, सन्ध्या करूँगा और मेरी बीबी ‘कार्ल मार्क्स’ पढ़ा करेगी।”

“और आपकी आपस में लड़ाई नहीं होगी?” अब्दुल करीम ने अचम्भे में पूछा।

“इस बात पर नहीं। हाँ, यदि मैं झूठ बोलूँगा या पर-स्त्री गमन करूँगा या चोरी-डाका डालूँगा तो जरूर झगड़ा होगा। परन्तु मजहब की बातें तो अपनी आत्मा से सम्बन्ध रखती हैं। इनका दूसरों से कोई सम्बन्ध नहीं।”

“मान लो,” अब्दुल करीम ने झिझकते-झिझकते पूछा, “कि आपकी बहन का विवाह किसी मुसलमान के साथ हो जाए, और जब आपकी माँ ठाकुर की आरती

कर रही हो और उसका दामाद नमाज पढ़ने लगे तो फिर भी क्या झगड़ा नहीं होगा ?”

“नहीं होना चाहिए। नमाज और पूजा का वक्त आगे-पीछे कर लिया जाएगा। झगड़ा तो तब होता है जब झगड़ा करने की नीयत हो।”

अब्दुल करीम बात समझ रहा था। इन्द्रा उसकी परेशानी देख मुस्करा रही थी। इस समय वह अपने भाई के लिए चाय बना रही थी। अब्दुल करीम समझ रहा था कि जो बात उसे कठिनाई से समझ में आ रही थी इनको अत्यन्त सरल प्रतीत होती थी। इसी से इन्द्रा उस पर मुस्करा रही थी। इससे उसे लज्जा अनुभव हो रही थी। उसने चाय के प्याले की ओर देखते हुए कहा, “आपकी सोसायटी का नाम क्या है ?”

“स्वराज्य-संस्थापन-समिति।”

“क्या मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ ?”

“क्यों नहीं ?”

“तो मेरे साथ खान-पान और रिश्तेदारी कर सकेंगे आप ?”

“हाँ, हाँ ! क्यों नहीं।”

: ७ :

चाय-पार्टी समाप्त हुई। अब्दुल करीम, चूनीलाल धौर अमरनाथ ने एक नयी मण्डली की नींव रख दी। अमृतसर वीविंग मिल्ज के कुछ और मुसलमान भी इस मण्डली में सम्मिलित हो गए। पन्द्रह के लगभग सदस्य हो गए थे। सब परस्पर सायंकाल मिलते थे। कही शहर के बाहर किसी खुले मैदान में जा वर्जिश करते थे। फिर एक स्थान पर एकत्रित हो परस्पर विचार-विनिमय किया करते थे। ये विचार-विनिमय की सभाएँ बारी-बारी से सदस्यों के घर पर होती थीं। मुसलमान सदस्यों के घरों में तो स्त्रियाँ परदों में रहती थीं, परन्तु हिन्दू सदस्यों की स्त्रियाँ और लड़कियाँ इन सदस्यों से परदा नहीं करती थीं। प्रायः मुसलमान सदस्यों के लिए ये आकर्षण बनी रहती थीं। चूनीलाल के घर जब भी सभा होती थी अब्दुल करीम की आँखें इन्द्रा को देखने के लिए लालायित रहती थीं। वह इन्द्रा से और अधिक मेल-जोल पैदा करने का यत्न भी करता रहता था।

परन्तु इस प्रकार का मेल-जोल अधिक काल तक नहीं चल सका। जितना हृदयों को समीप लाने का प्रभाव इन सभाओं से होता था उतना ही, प्रत्युत उससे भी अधिक उलटा प्रभाव होता था मुस्लिम लीग के प्रचार का।

नवाब इरशादअली संयुक्त प्रान्त के रहने वाले थे। वे अमृतसर में मुस्लिम लीग की ओर से प्रचार-कार्य के लिए आए हुए थे। उनका व्याख्यान था। मुसलमानों को वे मुस्लिम लीग के उद्देश्य समझा रहे थे। अब्दुल करीम और कुछ और मुसलमान सदस्य भी उनका व्याख्यान सुन रहे थे। इरशादअली साहब ने साफ-

साफ कह दिया था कि हिन्दुओं के साथ शामिल होकर बहिश्त भी मिलता हो तो नहीं लेना चाहिए, स्वराज्य तो बहुत छोटी-सी वस्तु है।

जिन्हा साहब दिन-रात मुसलमानों के संगठन करने में लीन थे। दूसरी ओर मिस्टर एमरी, 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया,' ने यह कह दिया था कि जब तक मुसलमानों को उनकी रक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हिन्दुस्तान के शासन में सुधार नहीं किया जा सकता।

इससे महात्मा गांधी घबड़ा उठे। महात्माजी ने समझा कि जिन्हा को समझाया जाय तो वह समझ जाएगा। इस कारण वे उससे बातचीत करने के लिए बम्बई पहुँच गए। कई दिन तक वार्तालाप होता रहा परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। जिन्हा इस बात पर डटा रहा कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाएँ और एक भाग में मुसलमानों की मजहबी हुकूमत कायम करने का वचन दे दिया जाए। तब वह हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलने में आपत्ति नहीं करेगा।

महात्मा गांधी को जिन्हा को राजी न कर सकने का भारी दुःख था। वह समझते थे कि वास्तव में हिन्दुस्तान को स्वराज्य का मिलना जिन्हा ने रोका हुआ है। गांधी-जिन्हा सम्मेलन का एक परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों को जिन्हा का यह कहना, कि हिन्दू मुसलमानों के शत्रु हैं, सत्य प्रतीत होने लगा। अमृतसर की हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त स्वराज्य-संस्थापन-समिति की मंडली भी इस विषयक वातावरण के प्रभाव से बच नहीं सकी। नित्य प्रति की सभाओं में इन बातों पर चर्चा होने लगी थी। कोई दिन खाली नहीं जाता था जब मिस्टर जिन्हा अथवा महात्मा गांधी के किसी-न-किसी वक्तव्य पर चर्चा न होती हो। आखिर एक दिन बात बढ़ गई। शेखरानन्द जो हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त मंडलियों पर विशेष ध्यान दे रहा था, अमृतसर आया हुआ था। उसने इस मंडली की विशेष बैठक दोपहर के दो बजे चूनीलाल के घर पर बुलाई। चूनीलाल ने, जो इस मंडली का मंडलीक था, मंडली के सदस्यों को सूचना भेज दी। मंडली के अधिकांश सदस्य अमृतसर वीविंग मिलज में नीकर थे। वे छुट्टी माँगने मैनेजर के पास गए। वह इतने आदमियों को एकदम छुट्टी माँगते देख छटपटा उठा।

अब्दुल करीम को छुट्टी मिलनी असम्भव थी। फिर भी जब चूनीलाल के घर जाने की बात थी तो वह अपने को रोक नहीं सका। वह अन्य सदस्यों के साथ मैनेजर को यह कह कि 'हमें बहुत आवश्यक काम है और हम जा रहे हैं' चला गया।

मार्ग में मुहम्मद इसहाक ने, जो अब्दुल करीम के अधीन काम करता था और स्वराज्य-संस्थापन-समिति का सदस्य केवल उसे खुश करने के लिए बना था, कहा, "उस्ताद, मैनेजर बहुत नाराज मालूम होता था।"

"तो फिर क्या होगा?"

“नौकरी भी छूट सकती है।”

“मगर हमारी सुसायटी का तो यह मकसद है कि हममें से सब एक के लिए हैं और एक सबके लिए है। ऐसी हालत में नौकरी से जरूरी लीडर का कहना मानना है।”

“मगर मैं तो इस सुसायटी से इस्तीफा दे रहा हूँ।”

“क्यों?”

“भाई, हमें हिन्दुओं के सुराज से क्या मतलब?”

अब्दुल करीम भी यही समझता था, परन्तु उसका इस समिति में शामिल होने का कारण कुछ और था और वह इस कारण को दूसरों पर प्रकट करना नहीं चाहता था। इसलिए वह चुप रहा।

चूनीलाल के घर पहुँचने पर उन्होंने अमरनाथ को भी आते देखा। अब्दुल करीम ने उससे पूछा, “तो आपको छुट्टी मिल गई है?”

“बहुत बहाना करना पड़ा है। बैंक में छुट्टी बहुत कठिनाई से मिलती है। इस कारण एक बजे मैं अपनी कुर्सी से उठा और बैंच पर जाकर लेट गया और हाय-हाय करने लगा। मैनेजर भागा आया और पूछने लगा, ‘क्या बात है, अमरनाथ?’

“मैंने कहा, ‘पंडितजी, पेट में गूल हो रहा है,’ और फिर हाय-हाय करने लगा। बैंक के सामने डाक्टर चोपड़ा रहते हैं। मैनेजर ने उसे बुला लिया। वह देखकर बोला, ‘रीनल कॉलिक है’। मुझे तांगे में बैठाकर घर भेज दिया गया।”

अब्दुल करीम हँस पड़ा, परन्तु मुहम्मद इसहाक को नौकरी छूटने की चिन्ता लग रही थी। उसने कहा, “हमें तो ऐसा बहाना करना नहीं आता और मुझे डर है कि मेरी तो नौकरी छूट जाएगी। मैनेजर पहले ही मुझसे नाराज रहता है।”

अमरनाथ ने कहा, “तो इसमें डरने की क्या बात है। जब एक शरूस हमारी समिति में शामिल होता है तो फिर उसे अपनी नौकरी की परवाह नहीं करनी चाहिए।”

मुहम्मद इसहाक कहने लगा था कि वह समिति को छोड़ने वाला है, परन्तु -इस समय शेखरानन्द वहाँ पहुँच गया और बात वहीं रुक गई।

शेखरानन्द के आते ही सभा की कार्यवाही आरम्भ हो गई। आज इन्द्रा की सहायता के लिए अमरनाथ की स्त्री रक्मिणी भी आई थी और शेखरानन्द के आते ही दोनों चाय और खाने का सामान परसने लगीं। जब सब लोग चाय पी रहे थे तो चूनीलाल ने परस्पर परिचय कराया। सबसे पूर्व शेखरानन्द का परिचय कराते हुए कहने लगा, “मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारी संस्था एक महान् संस्था है। इसकी शाखाएँ हिन्दुस्तान-भर में फैली हुई हैं। इसकी एक केन्द्रीय सभा भी है। उस केन्द्रीय सभा के आप सदस्य हैं। आप है मिस्टर आनन्द, दिल्ली के एक प्रसिद्ध वकील। आप आज हमसे मिलने यहाँ अमृतसर में आए हैं। हमारी

मंडली में विशेष दिलचस्पी रखते हैं।”

इसके पश्चात् चूनीलाल ने मंडली के पंद्रह सदस्यों का परिचय कराया। इसमें पाँच हिन्दू और दस मुसलमान थे। सबका परिचय हो जाने पर शेखरानन्द ने कहना आरम्भ किया, “मुझे आप लोगों से मिलकर अति प्रसन्नता हुई है। आपकी इस मंडली में पन्द्रह सदस्य हैं और आपने परस्पर एक-दूसरे की सहायता का वचन दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अमृतसर में ही इस समय पाँच सौ के लगभग मंडलियाँ हैं। उन सबमें सदस्यों ने परस्पर सहायता का प्रण किया हुआ है। उन पाँच सौ मंडलियों से ऊपर मंडलियों के नेताओं की एक सभा है और नेताओं के ऊपर नगर का एक मुखिया है। और इस प्रकार उन पाँच सौ मंडलियों के दस हजार सदस्य हैं जो एक जान और एक रूप होकर रहते हैं। इतनी बड़ी संस्था के सदस्य होकर आपको अपने खाने-पहरने की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। सब-के-सब सदस्य सबकी प्रत्येक प्रकार की सहायता के लिए वचनबद्ध हैं।

“अमृतसर की तरह अन्य नगरों और ग्रामों में भी इसकी संस्थाएँ हैं। पंजाब प्रान्त के सब नगरों और जिलों के मुखिया भी एक शृंखला में बँधे हुए हैं और फिर प्रान्तों के नेता केन्द्रीय सभा के अधीन हैं। इस प्रकार हमारी यह महान् समिति भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित करने के लिए यत्न कर रही है। अब युद्ध का अन्त समीप आता जाता है और हम स्वराज्य स्थापित करने के लिए एक महान् यत्न करने वाले हैं। इससे आप लोगों को उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए।”

स्वराज्य शब्द के प्रयोग से मुहम्मद इसहाक को जोश चढ़ आया। वह मिस्टर जिन्हा और मुहम्मद इकबाल के कलाम पढ़ने वाला था। इस कारण उसे स्वराज्य के शब्द से भय लगने लगा था। जब शेखरानन्द अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो मुहम्मद इसहाक ने अपनी बात कहनी आरम्भ कर दी। उसने कहा, “हम मुसलमान हिन्दुओं को स्वराज्य लेने नहीं देना चाहते। ये लोग हमसे नफरत करते रहे हैं। हम इनसे नफरत करते हैं। हमारे लीडर कायदे-आजम मिस्टर जिन्हा का कहना है कि हिन्दूबनिया धोखा देगा। उससे मिलकर काम नहीं करना चाहिए।”

शेखरानन्द ने कहा, “भगर मैं तो हिन्दुओं का स्वराज्य लाने को नहीं कह रहा। मेरा मतलब तो हिन्दुस्तानियों के राज्य से है।”

“भगर जिस देश में सड़सठ प्रति सैकड़ा हिन्दू हैं वहाँ स्वराज्य का मतलब होगा हिन्दुओं का राज्य। कांग्रेस वाले भी तो यही कहते हैं। हम हिन्दुओं के मात-हृत नहीं रह सकते।”

शेखरानन्द सोच रहा था कि कांग्रेस की नीति तो मुसलमानों के पक्ष में है और यदि इसे भी ये लोग मुसलमानों के विरुद्ध समझते हैं तो स्वराज्य-संस्थापन-समिति की नीति को ये क्यों पसन्द करेंगे। हम तो किसी भी जाति के पक्ष की बात नहीं करना चाहते। फिर भी उसने कहा, “स्वराज्य में कोई किसी के मातहत नहीं

होगा। सबके बराबर-बराबर के हकूक होंगे। जो दूसरे कर सकेंगे वही आप भी कर सकेंगे। जिस बात की आपको मनाही होगी उसी बात की दूसरों को भी मनाही होगी।”

इस पर एक और सदस्य पूछने लगा, “हम मजदूर लोगों ने अपनी-अपनी यूनियनें बनाई हुई हैं। हम जिस किस्म का राज्य चाहते हैं वह उन यूनियनों की मार्फत मिल जाएगा। इससे हमें आपकी समिति में शामिल होने की जरूरत नहीं।”

शेखरानन्द ने इसके उत्तर में बताया, “हम ट्रेड-यूनियनों के विरुद्ध नहीं हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि हर एक पेशे के लोग अलहदा-अलहदा यूनियन बनाने के बजाय सब जन-साधारण मिलकर एक बड़ी यूनियन बनाएँ। ऐसा करने से पूर्ण जाति अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बल इस्तेमाल कर सकेगी। पृथक्-पृथक् पेशे वालों की यूनियन होने से पूर्ण जाति के लाभ का ध्यान नहीं रह सकता। प्रत्येक यूनियन अपने सदस्यों के लाभ की बात ही सोच सकती है। उदाहरण के तौर पर रेल के मजदूरों का कपड़े के कारखानों अथवा कोयले की खानों की यूनियनों से कोई सम्बन्ध नहीं। अगर रेल के मजदूर हड़ताल कर देते हैं तो कपड़े के कारखानों के मजदूर भूखे मरने लगते हैं। कोयला न उठ सकने से कोयले की खानों का काम बन्द हो जाता है और मजदूर बेकार हो जाते हैं। केवल यही नहीं, समाज के दूसरे अंग भी बेकार हो जाते हैं। यह पृथक्-पृथक् यूनियनें बनाना और फिर उनका अपने ही मैम्बरो की भलाई देखना जहाँ मजदूरों के लिए हानिकर है वहाँ देश की पूर्ण जनता के लिए भी हानिकर है।

“इसलिए हमने पूर्ण जाति की एक समिति बनाई है जिसमें जाति का प्रत्येक अंग सम्मिलित है। सबकी भलाई करना इस समिति का उद्देश्य है। देश में आप जैसी लगभग एक लाख मंडलियाँ बन चुकी हैं। सब मंडलियाँ परस्पर सम्बन्ध रखती हैं। मतलब यह है कि ये बीस लाख के लगभग लोग परस्पर एक दूसरे के सुख-दुःख में साथी हैं। आप यहाँ पन्द्रह के लगभग हैं। आपके इस प्रकार इकट्ठे होने से आपमें साहस और अपने पर विश्वास बढ़ता है। अब विचार करें कि यदि आप तीस लाख लोगों से सम्बन्ध जोड़ लें जो सब एक दूसरे की प्रत्येक प्रकार से सहायता करने को तैयार हों तो आपमें कितना साहस और दृढ़ता आ सकती है। एक से जब दो भाई परस्पर सहायक होते हैं तो आदमी सिर ऊँचा करके चलता है। यदि आप हमारी समिति में शामिल हो जाएँ तो आपके लाखों भाई आपके साथी बन जायेंगे। फिर देखिएगा कि आपमें कितना उत्साह, बल और सफलता आती है।”

शेखरानन्द से मुहम्मद इसहाक ने फिर पूछा, “आप चन्दा क्या लेते हैं?”

“कुछ नहीं।”

“तो आपके साथ सम्बन्ध कैसे जुड़ सकता है ?”

“इस बात की कसम लेने से कि हम सब एक के लिए हैं और हर एक सबके लिए है।”

“मगर बिना पैसे के एक-दूसरे की मदद कैसे होगी ? मानो हममें से एक पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो कोई कैसे और कहाँ से किसी की मदद करेगा ?”

“कृपया हमारे पास बहुत है। आप लोगों को इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।”

अमरनाथ ने बातों के वहाव को बदल दिया। उसने पूछा, “हमें इस समिति में शामिल होकर करना क्या होगा ?”

“हाँ, यह बात जाननी बहुत जरूरी है,” शेखरानन्द ने उत्तर दिया, “आप इस मंडली में पन्द्रह मँबर हैं। आप सब दिन में कम-से-कम एक बार मिल लिया करें, जिससे हर एक के मुख-दुःख का पता सबको लगता रहे। दिन-भर में एक घंटा जरूर वजिह और खेल-कूद में खर्च करना चाहिए और फिर वर्ष में एक मास अपना काम-काज छोड़ ‘ट्रेनिंग’ लेने के लिए हमारे पास आना चाहिए।”

“और यदि नौकरी से छुट्टी न मिली तो ?” मुहम्मद इसहाक का प्रश्न था।

“तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हम नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे।”

“आप कहते तो ठीक हैं, मगर यह करना मुश्किल है। मैं अपने मँनजर से लड़कर आया हूँ और मुझे डर है कि कल बर्खास्त कर दिया जाऊँगा।”

शेखरानन्द ने तुरन्त उत्तर दिया, “इसीलिए तो कहता हूँ कि आप हमारी समिति में शामिल हो जाइए। मैं समझता हूँ कि बीस लाख लोगों के परिवार में किसी को काम न मिलने की फिकर नहीं करनी चाहिए। मान लें कि किसी को कुछ महीने काम न मिले तो क्या आपके बीस लाख भाई आपको या आपके परिवार वालों को भूखा मरने देंगे।”

“मगर आपकी सभा में दाखिल होने से लाभ क्या होगा ?”

“हमारी सभा का उद्देश्य है कि हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों का राज्य स्थापित करें।”

मुहम्मद इसहाक ने कहा, “हम तो हिन्दुस्तानियों की हुकूमत नहीं चाहते। हम पाकिस्तान में मुसलमानी हुकूमत चाहते हैं।”

“पाकिस्तान एक स्वप्न-मात्र है।”

“तो हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते।”

“बहुत अच्छी बात है। आप स्वराज्य हासिल करने की कोशिश करें तो हम आपके साथ शामिल हो जायेंगे।”

“हमारी कोशिश कायदे-आजम जिन्हा साहब कर रहे हैं, और उनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है।”

शेखरानन्द निराशा अनुभव कर रहा था। फिर भी उसने यत्न किया और कहा, "तो फिर क्या किया जाय?"

इसका उत्तर अब्दुल करीम ने दिया, "देखिए, पंडितजी, हम अपनी मंडली को आपकी समिति में शामिल नहीं करते। हमें इसमें कुछ भी लाभ मालूम नहीं होता। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए।"

"तुम्हें अपना राज्य नहीं चाहिए?"

"हमें मुसलमानी राज्य कायम करना है।"

इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह गया था। सब उपस्थित लोगों की सम्मति ली गई। ग्यारह मुसलमानों में से दस समिति में शामिल होने के विरुद्ध थे। चार हिन्दू इसके पक्ष में थे। एक मुसलमान, अब्दुल करीम, निष्पक्ष रहा।

शेखरानन्द ने कहा, "अच्छी बात है। आप हमारी समिति में शामिल नहीं होना चाहते तो न सही। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपको कभी किसी बात में सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं समिति से दिलवाने का यत्न करूँगा।"

सभा समाप्त हुई। सब लोग अपने-अपने घर चले गए। शेखरानन्द, अब्दुल-करीम, अमरनाथ और चूनीलाल रह गए थे। इस समय इन्द्रा और रुक्मिणी भी बाहर बैठक में आ गई। शेखरानन्द अब्दुलकरीम के सम्मुख सभा की कार्यवाही पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता था। इस कारण इन्द्रा ने जब अब्दुल करीम को कहा, "भाईजान, आप भी पाकिस्तान चाहते हैं क्या?" तो शेखरानन्द ने बात बदलने के लिए उसे कहा, "हमें तो कुछ खिलाया-पिलाया ही नहीं, इन्द्रा बहन।"

इन्द्रा उठकर भीतर चली गई और बाजार की बनी मिठाई तश्तरी में रख ले आई। इस बीच में अब्दुल करीम अपनी सफाई देने लगा था। वह कह रहा था, "हमने यह मित्रों में मेलजोल के लिए बनाई है। हमें सियासियात से कुछ भी सरोकार नहीं। क्या हम लोग सियासियात में मुद्दतलिफ विचार रखते हुए भी दोस्त नहीं रह सकते?"

इन्द्रा, जो मिठाई लेकर आ गई थी और जिसने अब्दुल करीम का अन्तिम वाक्य सुन लिया था, बोल उठी, "क्यों नहीं। मित्रता सियासियात से ऊँची वस्तु है।"

शेखरानन्द को इन्द्रा को डाँटना पड़ा। उसने कहा, "इन्द्रा, तुम इस विषय में कुछ नहीं समझतीं। देखो, मिस्टर अब्दुल करीम," उसने अब्दुल करीम की ओर घूमकर कहा, "राजनीति और मजहब में भेद है। मजहब एक व्यक्ति की अपनी वस्तु है। मजहब में मनुष्य की अपनी आत्मा से सम्बन्ध रखने की बातें हैं। इससे प्रत्येक मनुष्य अपना-अपना मजहब रखता हुआ भी परस्पर मित्रता का भाव रख सकता है। परन्तु राजनीति किसी की अपनी निज की अर्थात् अपनी आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली बात नहीं। राजनीति का अर्थ ही है एक देश में जनता के परस्पर

सम्बन्ध की बातें। इसमें हम भिन्न-भिन्न मत रखते हुए मित्र नहीं रह सकते। राजनीति में मूल आधार की बात एक देश के लोगों में एक होनी चाहिए। जब वह ही एक नहीं, तो मित्रता नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर जो मुसलमान हिन्दुस्तान के एक टुकड़े को पृथक् करना चाहते हैं और वहाँ मजहबी हुकूमत बनाना चाहते हैं वे उन लोगों के मित्र कैसे हो सकते हैं जो देश को एक सूत्र में बँधा हुआ देखना चाहते हैं। अस्थायी रूप में, ऊपर से मित्रता का भाव बनाया भी जा सकता है, परन्तु एक-न-एक दिन तो दोनों पक्ष के लोगों में युद्ध हो जाना निश्चित है। उस समय यह मित्रता का दिखावा टूट जाएगा। एक-दूसरे को ये लोग संदेह और शलु-भाव से देखने लगेंगे।”

यद्यपि बात अब्दुल करीम को सुनाई गई थी, परन्तु शेखरानन्द ने यह इन्द्रा तथा अमरनाथ आदि के लिए कही थी। और इन्द्रा ने ही इस पर प्रश्न पूछा, “क्या महात्मा गांधी मिस्टर जिन्हा से, यद्यपि इस विषय पर एकमत नहीं हो सके, मंत्री और मान-प्रतिष्ठा का जो भाव दिखाते हैं वह असत्य और प्रदर्शनमात्र के लिए है?”

“मैं महात्माजी को असत्यवादी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उनके मन, चिन्तन और कर्म में अन्तर नहीं है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ वह सोचते, कहते अथवा करते हैं उसमें भ्रम नहीं हो सकता। वह स्वप्नों के देखने वाले हैं। ये स्वप्न भंग होंगे, परन्तु कब, कहना कठिन है। कहीं उनके अपने जीवन में ही उनका स्वप्न भंग हुआ तो उनको अत्यन्त दुःख होगा। राजनीति में मतभेद रखने वाले मित्र नहीं हो सकते। वे सदैव एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहते हैं। हाँ, यह यत्न अहिंसात्मक उपायों से भी चल सकता है। इस पर भी यह मंत्री नहीं कही जा सकती।”

: ८ :

अगले दिन अब्दुल करीम कारखाने में हाजिर नहीं हुआ। दूसरे मुसलमान और हिन्दू लोग, जो पहले दिन सभा में उपस्थित थे, कारखाने में समय पर पहुँच गए थे। परन्तु केवल मुसलमान सदस्यों को कारखाने के मैनेजर ने बुलावाया और उनसे पहले दिन अनुपस्थित रहने का कारण पूछने लगा। सब लोगों ने बहाने बताये जिनको मैनेजर झूठे बताता था। इससे मुहम्मद इसहाक से नहीं रहा गया और बोला, “आपने हमें ही बुलाया है; चूनीलाल इत्यादि, जो हिन्दू गैरहाजिर थे, उन्हें क्यों नहीं बुलाकर पूछते?”

“चूनीलाल, गीरी और मोहन ने अपने गैरहाजिर रहने का कारण बताकर मुझे विश्वास दिला दिया है, मगर तुम लोग तो ऐसी बातें करते हो जिसका विश्वास और निश्चय हो ही नहीं सकता।”

“आप हिन्दुओं से रियायत करते हैं।”

“क्या कहा ? अच्छी बात है, तुम अपना आज तक का वेतन लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें ‘डिसमिस’ करता हूँ।” दूसरों को दो-दो रुपये जुर्माना कर छोड़ दिया।

मुहम्मद इसहाक को विश्वास था कि चूनीलाल इत्यादि से रियायत की गई है। वह कारखाने से जाने के पूर्व चूनीलाल से मिला और कहने लगा, “मिस्टर चूनीलाल, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है।”

“क्यों ?”

“मुझे कल गैरहाजिर होने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है।”

“मैंने तो अपनी माँ की बीमारी का डाक्टरी सर्टीफिकेट जमा करा दिया है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया ?”

“मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। तुम कल कहते थे कि मुझे नौकरी दिलवा दोगे। बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ ?”

“बात यह है, मुहम्मद इसहाक, कि मैं तो समिति के भरोसे ही तुम्हारी सहायता के लिए कह रहा था। जब तुम उसके सँभर ही नहीं बन रहे तो समिति तुम लोगों के लिए क्या और क्यों करे ?”

मुहम्मद इसहाक दाँत पीसता हुआ कारखाने से निकल गया। वह सोच रहा था कि अब्दुल करीम से मिलकर उसे अपनी बर्खास्तगी का समाचार बता दे और फिर अपनी नौकरी का प्रबन्ध करे। वह वहाँ से अब्दुल करीम के मकान पर पहुँचा। अब्दुल करीम का मकान मोरी दरवाजे के बाहर था। वहाँ पहुँच मकान के नीचे के दरवाजे का कुंडा खटखटाया। एक लड़की ने खिड़की में से झाँककर देखा और फिर पीछे हटकर पीछे छिड़े किसी आदमी से कुछ कहा। पश्चात् झाँककर बोली, “ठहरो, अब्बाजान आते हैं।”

एक मिनट के भीतर ही अब्दुल करीम ने मकान के नीचे का दरवाजा खोला और इसहाक से उसके बेवक्त आने का कारण पूछा। उसने उत्तर में अपने बरखास्त किये जाने का समाचार बताया और उससे आज भी कारखाने में हाजिर न होने का कारण पूछा।

अब्दुल करीम बोला, “मैं एक मुसीबत में फँस गया हूँ। मैंने समझा था कुछ, और हो गया कुछ और। चूनीलाल की बहन इन्द्रा को जानते हो न ? मैं उस पर आशिक हो गया हूँ। मेरा ख्याल था कि वह मुझसे मुहब्बत करती है। इसलिए आज जब तक चूनीलाल कारखाने गया तो एक मोटर टैक्सी ले उसको बरगलाकर यहाँ ले आया हूँ। मेरा ख्याल था कि आज इन्द्रा से निकाह पढ़ाकर अमृतसर से बाहर चला जाऊँगा, मगर तुम्हारी चाची (मुहम्मद इसहाक अब्दुल करीम को चाचा और उसकी बीबी को चाची कहकर पुकारा करता था) ने झगड़ा खड़ा कर दिया है और निकाह पढ़ाने में एतराज करती है। इन्द्रा का भी अब हौसला बड़ गया है।

“क्या कहा ? अच्छी बात है, तुम अपना आज तक का वेतन लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें ‘डिसमिस’ करता हूँ।” दूसरों को दो-दो रुपये जुमाना कर छोड़ दिया।

मुहम्मद इसहाक को विश्वास था कि चूनीलाल इत्यादि से रियायत की गई है। वह कारखाने से जाने के पूर्व चूनीलाल से मिला और कहने लगा, “मिस्टर चूनीलाल, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है।”

“क्यों ?”

“मुझे कल गैरहाजिर होने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है।”

“मैंने तो अपनी माँ की बीमारी का डाक्टरी सर्टीफिकेट जमा करा दिया है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया ?”

“मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। तुम कल कहते थे कि मुझे नौकरी दिलवा दोगे। बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ ?”

“बात यह है, मुहम्मद इसहाक, कि मैं तो समिति के भरोसे ही तुम्हारी सहायता के लिए कह रहा था। जब तुम उसके सँम्बर ही नहीं बन रहे तो समिति तुम लोगों के लिए क्या और क्यों करे ?”

मुहम्मद इसहाक दाँत पीसता हुआ कारखाने से निकल गया। वह सोच रहा था कि अब्दुल करीम से मिलकर उसे अपनी बर्खास्तगी का समाचार बता दे और फिर अपनी नौकरी का प्रबन्ध करे। वह वहाँ से अब्दुल करीम के मकान पर पहुँचा। अब्दुल करीम का मकान मोरी दरवाजे के बाहर था। वहाँ पहुँच मकान के नीचे के दरवाजे का कुंडा खटखटाया। एक लड़की ने खिड़की में से झाँककर देखा और फिर पीछे हटकर पीछे खड़े किसी आदमी से कुछ कहा। पश्चात् झाँककर बोली, “ठहरो, अब्बाजान आते हैं।”

एक मिनट के भीतर ही अब्दुल करीम ने मकान के नीचे का दरवाजा खोला और इसहाक से उसके बेवक्त आने का कारण पूछा। उसने उत्तर में अपने बरखास्त किये जाने का समाचार बताया और उससे आज भी कारखाने में हाजिर न होने का कारण पूछा।

अब्दुल करीम बोला, “मैं एक मुसीबत में फँस गया हूँ। मैंने समझा था कुछ, और हो गया कुछ और। चूनीलाल की बहन इन्द्रा को जानते हो न ? मैं उस पर आशिक हो गया हूँ। मेरा ख्याल था कि वह मुझसे मुहब्बत करती है। इसलिए आज जब तक चूनीलाल कारखाने गया तो एक मोटर टैक्सी ले उसको बरगलाकर यहाँ ले आया हूँ। मेरा ख्याल था कि आज इन्द्रा से निकाह पढ़ाकर अमृतसर से बाहर चला जाऊँगा, मगर तुम्हारी चाची (मुहम्मद इसहाक अब्दुल करीम को चाचा और उसकी बीबी को चाची कहकर पुकारा करता था) ने झगड़ा खड़ा कर दिया है और निकाह पढ़ाने में एतराज करती है। इन्द्रा का भी अब हौसला बढ़ गया है।

वह पहले सहम गई थी और मैं उसे डरा-धमकाकर निकाह के लिए तैयार कर रहा था। अब वे दोनों शोर मचाकर मुझे पकड़वा देने को कह रही हैं। भाई, इस मुसीबत से छूटने की कोई तरकीब बताओ।”

मुहम्मद इसहाक इस नयी उलझन में अपनी कठिनाई को भूल गया। कुछ सोचकर बोला, “चलो तो, मैं चाची को समझा देता हूँ।”

दोनों मकान के ऊपर चढ़ आये। अब्दुल करीम की स्त्री मुहम्मद इसहाक से पर्दा नहीं करती थी। जब वे ऊपर पहुँचे तो वह एक पीढ़े पर बैठी गम्भीर विचार में पड़ी हुई थी। समीप फर्श पर वह लड़की, जो खिड़की के नीचे झाँकी थी, बैठी थी। इन्द्रा वहाँ नहीं थी। इसहाक ने पहुँचते ही कहा, “चाची, सलामलेकुम।”

“आओ, बेटा,” अब्दुल करीम की स्त्री ने उत्तर में कहा, “बैठो। देखो, तुम्हारे चाचा की अकल खराब हो गई है। बूढ़े होकर एक नया शौक सवार हुआ है।”

“चाची,” इसहाक ने नरमी से कहा, “चाचा बूढ़ा हो गया है क्या? नहीं, चाची, अभी पैंतीस साल से ज्यादा उमर नहीं है और लोग तो पचास साल की उमर से भी ऊपर शादी करते हैं।”

“पर मैं पूछती हूँ कि इसकी जरूरत ही क्या है? क्या मैं मर गई हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ? और फिर पहले मेरी अकेली का तो खर्चा चलता नहीं, अब इसे कहाँ से खिलाएगा?”

अब्दुल करीम ने जोश में कह दिया, “तुम्हें तलाक दे दूँगा।”

“लाहौलबिला,” मुहम्मद इसहाक ने हैरानी से देखते हुए कहा, “इसकी क्या जरूरत है? हजरत सुलाहुल इस्लाम ने तो मर्द को चार औरतें एकदम रखने की इजाजत दी है। देखो, चाची, एक काफिर लड़की को इस्लाम के नूर से मुनव्वर करने की बात है। तुम अजीब मुसलमान औरत हो जो उस बेचारी मौसूम को इस्लाम की बरकतों से दूर रखने को कहती हो।”

अब्दुल करीम की बीबी इन्द्रा के सौन्दर्य और जवानी को देख चुकी थी और डर रही थी कि उससे विवाह कर अब्दुल करीम उसे भूल जाएगा। अपने निजी अधिकारों में कमी आ जाने के डर से उसे शरह और तबलीग की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा, “मैं इन बातों को नहीं जानती। मैं उस लड़की की इनसे शादी नहीं होने दूँगी, और चाहे किसी से हो जाए। मुझे इससे क्या?”

अब्दुल करीम ने यह झगड़ा किसी और का घर बसाने के लिए नहीं किया था। इस कारण वह अपनी स्त्री के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं था। परन्तु मुहम्मद इसहाक ने उसे आँख से संकेत कर चुप रहने को कहा और बोला, “ठीक है, चाची, मैं भी तो यही कहता हूँ। वह बेचारी अब यहाँ आ गई है। घर में बदनाम तो हो ही गई है और कौन हिन्दू अब उससे शादी करेगा? मैं समझता हूँ कि उसका निकाह किसी और नौजवान मुसलमान से पढ़ा दिया जाए। मेरी नजर में

एक लड़का है भी।”

अब्दुल करीम इससे इनकार करने वाला था, परन्तु मुहम्मद इसहाक के आँख से संकेत किये जाने पर चुप रहा। मुहम्मद इसहाक ने कहा, “चाचा, मान जाओ। चाची बहुत अच्छी हैं। आखिर इनको तंग करने से क्या फायदा होगा?”

अब्दुल करीम कुछ समझ नहीं सका था। इससे चुप रहा। मुहम्मद इसहाक ने अपना कहना जारी रखा, “इन्द्रा कहाँ है?”

अब्दुल करीम की औरत ने बताया कि उसके मुख पर कपड़ा बाँध और हाथ-पाँव बाँध उसे कोठरी में डाल रखा है।

“ठीक है। लड़का मनावीं में रहता है। चाचा, जाओ एक टैक्सी ले आओ। इसे अभी यहाँ से ले जाकर शाम से पहले इसका निकाह पढ़ा देंगे।”

अब्दुल करीम की बात समझ में आ गई। इससे उसने कुछ बहाना बनाने के लिए कहा, “तो तुम खुद ही टैक्सी ले आओ न। आखिर मैं उस पर पैसा क्यों खर्च करूँ?”

“पैसा सब मैं दूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि जिसकी शादी करने को कह रहा हूँ वह सब खर्चा दे देगा। इसके इलावा कुछ और भी दे देगा। एक अच्छे-खामे जमींदार का लड़का है। दौलत की कमी नहीं है।”

अब्दुल करीम की स्त्री इस प्रकार बला टलती देख खुश थी और बिना कुछ अधिक छानबीन किये इस योजना को सफल बनाने में राय देने लगी, “तो जल्दी करो। देरी करने से क्या फायदा?”

अब्दुल करीम गया और एक मोटर-टैक्सी ले आया। इसका ड्राइवर एक पठान था। गाड़ी मकान के दरवाजे के साथ लाकर खड़ी कर दी गई। इन्द्रा को, जिसके मुख पर पट्टी बँधी थी, एक बुर्का लाकर उससे ढाँप दिया। फिर उसे धकेलकर टैक्सी में बैठा दिया। इन्द्रा के एक तरफ अब्दुल करीम बैठ गया और दूसरी तरफ मुहम्मद इसहाक। गाड़ी भगा दी गई। मार्ग में ड्राइवर ने पूछा, “किधर चलना है?”

मुहम्मद इसहाक ने कहा, “लाहौर दाता गंदबखश की दरगाह पर। चाचा, अब घबराओ नहीं; सब ठीक है।”

: ६ :

चूनीलाल सायंकाल घर आया तो उसकी माँ ने उसे सब प्रकार से सही-सलामत देख अचम्भे में पूछा, “इन्द्रा मिली?”

“इन्द्रा!” अब हैरान होने की बारी चूनीलाल की थी। उसने पूछा, “कहाँ गई है?”

“तुम्हें अस्पताल में देखने। तुम्हें चोट लग गई थी न!”

“किसने कहा है?”

“वही तुम्हारी कमेटी का करीम मोटर लेकर आया था और कहता था तुम्हें चोट लग गई है। इन्द्रा घबराई हुई उसके साथ चली गई थी।”

“कब की बात है, माँ ?”

“सुबह आठ-नौ बजे का वक्त रहा होगा। मेरा माथा तो उस समय ही ठनका था, पर बेटा...” इसके आगे वह कुछ नहीं कह सकी और उसकी आँखों से आँसू निकलने लगे।

चूनीलाल भौंचक्का खड़ा रह गया। वह जानता था कि अब्दुल करीम उस दिन कारखाने में हाजिर नहीं था। वह यह भी जानता था कि उसे कहीं चोट नहीं लगी। इससे वह इस परिणाम पर पहुँच गया कि इन्द्रा के साथ धोखा किया गया है। अब्दुल करीम की नीयत में संदेह करने में कोई कसर नहीं रही; साथ ही उसने सुना कि यह घटना सुबह आठ-नौ बजे की है और इस समय शाम के छः बज रहे हैं। इतना शक होते ही वह खड़ा-खड़ा ही घर से बाहर निकल गया और अब्दुल करीम के घर जा पहुँचा। नीचे के दरवाजे का कुंडा खटखटाया तो अब्दुल करीम की लड़की ने खिड़की में से झाँककर कहा, “अब्बाजान घर पर नहीं हैं।”

चूनीलाल ने नीचे से आवाज दी, “फातिमा बेटी, नीचे आओ तो।”

फातिमा ने पीछे हट माँ की बात सुनकर उत्तर दिया, “अम्मा कहती हैं, नीचे मत जाओ।”

इस पर फातिमा को किसी ने खिड़की से पीछे खींच लिया और खिड़की बन्द कर दी। इससे चूनीलाल के मन में विश्वास बैठ गया कि दाल में कुछ काला है।

वह वहाँ से अमरनाथ के मकान पर पहुँचा। उसे पूर्ण वृत्तान्त सुनाकर उसकी राय लेने लगा। अमरनाथ की स्त्री रुक्मिणी वहीं बैठी थी। उसने कहा, “मुझे तो कल ही भय लग रहा था। यह अब्दुल करीम इन्द्रा की ओर घूर-घूरकर देख रहा था, और इन्द्रा उसकी ओर मुस्कराती हुई देखती रही थी।”

चूनीलाल यह बात सुन क्रोध से उतावला हो उठा, परन्तु अमरनाथ ने बात सँभाल ली। वह कहने लगा, “नहीं, इन्द्रा ऐसी लड़की नहीं हो सकती। छोड़ो, रुक्मिणी, तुम्हारे मन का संदेह झूठा है।”

अमरनाथ ने कपड़े पहन लिए और दोनों मकान से बाहर निकल आये। चूनीलाल के पाँव चलते नहीं थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके जूते लोहे के बने हैं, परन्तु अमरनाथ उसकी बाँह में बाँह डाले उसे घसीटता हुआ लिये जा रहा था। मार्ग में उसने चूनीलाल से कहा, “हमें अपने नगर के अगुआ को सूचना दे देनी चाहिए।”

“वह क्या करेगा ?”

“उसे इन्द्रा को ढूँढ़ने में सहायता देनी चाहिए।”

दोनों अगुआ कृष्णराव रानड़े के मकान पर पहुँचे। अमरनाथ अपनी मंडली का

मंडलीक होने से रानड़े से परिचित था।

रानड़े ने जब बात सुनी तो अमरनाथ और चूनीलाल को घर लौट जाने को कहा और बोला, "अब्दुल करीस का पता और हुलिया एक कागज पर लिखकर मुझे दे दो। मैं एक-दो दिन में सब कार्यवाही कर उसे उचित दण्ड दिलवाऊँगा।"

चूनीलाल ने पूछा, "क्या मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ?"

"नहीं।"

"क्या मैं उसे स्वयं ढूँढ़ने का यत्न करूँ?"

"नहीं।"

"तो फिर?"

"जब और जहाँ मैं बुलाऊँ, चले आना। देखो, चूनीलाल, मुझे उपनेता का आदेश है कि अमृतसर के दस सहस्र सदस्यों के माल और जान का मैं संरक्षक हूँ। मैं अमृतसर के पूर्ण सदस्यों को ढूँढ़ने में लगा दूँगा और आवश्यकता पर प्रान्त के बाहर से भी सहायता मिल सकती है। भला, एक सदस्य की बहन घोखा देकर भगाई जाय और हमारी शक्तिशाली समिति उसे छोड़ा न सके, यह हो नहीं सकता। तुम्हारी बहन को ढूँढ़ने के लिए बीस लाख सदस्य दिन-रात एक कर देंगे। तुम देखोगे कि इन्द्रा यदि जीवित है तो कल समयकाल तक तुम्हारे घर पहुँच जाएगी।"

चूनीलाल और अमरनाथ का धीरज बँध गया। वे शान्त-चित्त अपने-अपने घर लौट गए।

जब अमरनाथ और चूनीलाल आए थे तो रानड़े खाना खा रहा था। उसने खाना छोड़ दिया और दोनों के जाते ही अपने मकान की बैठक में आ अपने नौकर को बुलाया और आज्ञा दी, "भूपति, आज 'सुदर्शन' चलने की सूचना है।"

भूपति ने बिना एक भी प्रश्न किए बाइसिकल उठाई और मकान के बाहर निकल गया। उसे गए भी दस मिनट भी नहीं हुए थे कि एक आदमी आया। रानड़े ने उसे कहा, "श्रीकान्त, लोहगढ़ दरवाजे के बाहर हमारा एक सदस्य चूनीलाल है। वह अमृतसर वीविंग मिलज में काम करता है। उसकी बहन इन्द्रा को उसी कारखाने का एक और कारीगर अब्दुल करीम भगा ले गया है। वह मोरी दरवाजे के बाहर चंगर मौहल्ले में रहता है। वहाँ उसकी औरत और लड़की तो हैं, मगर अब्दुल करीम और इन्द्रा का पता नहीं चला। दोनों को ढूँढ़कर यहाँ लाना है।"

श्रीकान्त बिना कुछ कहे चला गया। मोरी दरवाजा उसी के विभाग में था। अब एक और व्यक्ति आया। नाम था मदन। वह अमृतसर के एक दूसरे विभाग का नायक था। रानड़े ने उसको भी सब वृत्तान्त बताया और लड़की का पता निकालने की आज्ञा दी। बारी-बारी से कई नायक आए और सबको इन्द्रा को ढूँढ़ने

का आदेश दिया गया ।

एक अगुआ रमेश था जिसका विभाग रेल के स्टेशन की ओर था । उसने बताया, "मैं समझता हूँ कि लड़की लाहौर पहुँच गई है । हमारे एक सदस्य ने एक बजे दोपहर के लगभग एक मोटर-गाड़ी को बेतहाशा ग्रांडट्रीक रोड पर लाहौर की ओर जाते देखा है । उसमें एक औरत बुर्के में और दो आदमी और बैठे थे ।"

रानड़े ने कुछ सोचकर कहा, "तुम स्वयं मेरा संदेशा लेकर लाहौर के अगुआ निर्मलराय के पास चले जाओ । हाल बाजार नम्बर तीस पर सुदर्शन संकेत देकर मोटर माँगना । वह मिल जाएगी । लाहौर मोहनी रोड पर इक्यावन नम्बर पर निर्मलराय रहते हैं । उन्हें सब बात बताकर लाहौर ढूँढ़ने को कहना ।"

रमेश तुरन्त रवाना हो गया ।

रमेश के जाने के पंद्रह मिनट पश्चात् एक और विभाग का अगुआ आया । "आनन्द," रानड़े ने कहा, "एक लड़की को ढूँढ़ने की आवश्यकता पड़ गई है । तुम दिल्ली जाओ । वहाँ चाँदनी चौक, कटरा नील में बृजबिहारी के पास जाकर उससे दिल्ली में ढूँढ़ने के लिए कहना । उसे कह देना कि यदि कल तक कुछ पता न चला तो टेलीफोन करूँगा । गाड़ी के वक्त में आधा घण्टा है । कोई अच्छा-सा ताँगा लो और गाड़ी पकड़ो ।"

रानड़े इतना कुछ कर उत्सुकता से अपनी कार्यवाही की प्रतीक्षा करने लगा । दस, ग्यारह, बारह और फिर एक बजा । वह नींद को रोकने के लिए उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा । उसी समय श्रीकान्त आ पहुँचा । वह मोटर में था । उसके साथ एक औरत बुर्के में और एक पाँच वर्ष की लड़की थी, जो बहुत सहमी हुई प्रतीत होती थी । उनके पीछे दो आदमी और थे । दरवाजा बन्द कर रानड़े ने प्रश्नभरी दृष्टि से श्रीकान्त की ओर देखा । श्रीकान्त ने कहा, "यह अब्दुल करीम की स्त्री है और यह उसकी लड़की है । मैं अपने अधीन मंडलीकों को ढूँढ़ने के लिए कह, इन दो को साथ ले, ठीक बारह बजे इनके मकान के नीचे जा पहुँचा । नीचे का दरवाजा खटखटाने के बजाय तोड़ डाला और हम तीनों ऊपर जा पहुँचे । यह औरत गम्भीर विचार में पड़ी थी और लड़की सो रही थी । हमें देख शोर करने ही लगी थी कि मैंने छुरी दिखा चुप कराया और अब्दुल करीम के विषय में पूछा । यह कहती है कि वह और मुहम्मद इसहाक एक पठान की मोटर टैक्सी में सवार हो कहीं बाहर गए हैं । मुझे इसके कहने पर विश्वास नहीं आया । इसलिए इसे मोटर टैक्सी में बैठाकर यहाँ ले आया हूँ । इस लड़की को वहाँ छोड़ आना उचित नहीं समझा ।"

रानड़े ने अब्दुल करीम की स्त्री को पर्दा उठाने को कहा । उसने बुर्का उठा लिया । उसके मुख पर पट्टी बँधी हुई थी । रानड़े ने अलमारी में से छुरी निकाल, मारने के लिए छुरी तैयार कर उस औरत की पट्टी खोलने को कहा । श्रीकान्त

के एक साथी ने पट्टी खोल दी। रानड़े ने कहा, “देख री, अगर शोर मचाया या झूठ बोला तो मार डालूंगा। बता, इन्द्रा तेरे घर किस वक्त आई थी?”

वह औरत बेहद डरी हुई थी। रानड़े की छुरी देख वह थरथर कांपने लगी। उसने रकती-रकती आवाज में कहा, “मैं सच कहती हूँ। वह मेरे घर वाले के साथ एक मोटर गाड़ी में साढ़े आठ बजे के करीब आई थी। इन्द्रा को घर पर लाकर मेरे घर वाले ने उससे शादी कर लेने को कहा। इन्द्रा इनकार कर रही थी। दोनों में झगड़ा हो गया। शोर सुन मैं चौंके से उठकर आई और इन्द्रा से डाँटकर पूछने लगी कि क्या माजरा है। इन्द्रा ने बताया कि वह उसे धोखा देकर वहाँ लाया था और अब शादी करने को कहता है। इससे मुझे क्रोध चढ़ आया और मैं अपने खाविन्द से लड़ने लगी। उसने इन्द्रा के मुख पर पट्टी बाँध दी और उसके हाथ-पाँव बाँध एक कोठरी में बन्द कर दिया। इसके बाद मेरे साथ बारह बजे तक झगड़ा करता रहा। मैं अपने पर सौतिन सहने को राजी नहीं थी। उसी समय मुहम्मद इसहाक हमारे घर आ पहुँचा। उसने मेरी बात मान ली और मनावाँ गाँव में अपने एक रिश्तेदार से इन्द्रा की शादी कराने के लिए एक मोटर गाड़ी में बैठाकर ले गया। मेरा खाविन्द साथ गया है। इससे और ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं उनके आने का इन्तजार कर रही थी, जब ये आपके आदमी वहाँ पहुँच गए और मुझे पकड़ लाए हैं।”

रानड़े ने कुछ सोचकर कहा, “अच्छी बात है। जब तक इन्द्रा मिल नहीं जाती तुम दोनों यहाँ कैद रहोगी।” फिर श्रीकान्त से बोला, “देखो, श्रीकान्त, इन दोनों के मुख पर पट्टी बाँध दो और इस साथ के कमरे में बन्द कर दो।”

इसके बाद श्रीकान्त ने कहा, “एक मंडली को हाल-नेट के बाहर मोटर-स्टैंड पर एक पठान ड्राइवर को पकड़ लाने के लिए भेजा है। वह आती ही होगी।”

रानड़े ने भूपति को बुलाकर कमरों की इयोड़ी में एक और अगुआ के पास यह संदेशा भेजा कि वह मनावाँ गाँव में मोटर ले जाकर पता करे कि इन्द्रा वहाँ तो नहीं गई और यदि मिले तो लाने का प्रबन्ध किया जाय।

भूपति चला गया और उसके जाने के कुछ ही बाद में समिति के कुछ सदस्य पुलिस की वर्दी पहने हुए, एक पठान को, हाथ-पाँव बाँधे हुए, लेकर आये। पठान को सदस्यों ने हाथ और पाँव पकड़कर लटकाया हुआ था। भीतर लाकर उसे फर्श पर लेटा दिया। रानड़े ने चिन्ता में पूछा, “मर गया है क्या?”

“नहीं, जीता है। इसकी इतनी मरम्मत की गई है कि केवल यह चल नहीं सकता।”

उसके मुख से पट्टी खोल दी गई। रानड़े ने छुरी हाथ में पकड़कर पूछा, “क्या नाम है?”

“शेरखाँ।”

“अब्दुल करीम ने तुम्हें लाहौर जाने के कितने रुपये दिए हैं?”

“कुछ नहीं।”

“क्यों?”

“यह दीन का काम था। इसमें हम एक पैसा लेना भी हराम समझते हैं।”

“कैसा दीन का काम? लड़की भगा ले जाना दीन का काम है?”

“काफिर की लड़की का मुसलमान ने निकाह पढ़ाना और इस काम में मदद देना दीन ही का काम है।”

“कहाँ निकाह पढ़ाया है?”

“मैं लाहौर में छोड़ आया हूँ।”

“कहाँ?”

“भाटी दरवाजे के बाहर दाता की दरगाह में। मैं तो वापस चला आया हूँ। वह लड़की अब तक दोनों में से एक की बीबी बन चुकी होगी। उनको वापस अमृतसर नहीं आना था, इस कारण मैं चला आया।”

“वे कहाँ जाने वाले थे?”

“मुझे मालूम नहीं।”

“अच्छी बात है,” रानड़े ने कहा, “जब तक लाहौर से समाचार नहीं आता तुम्हें हमारा कैदी बनकर रहना होगा।”

शेरखाँ इतना पीटा गया था कि उसमें किसी भी बात को छिपाने अथवा कुछ करने की शक्ति नहीं रही थी। वह चुप रहा। रानड़े के कहने पर उसके हाथ-पाँव बाँध और मुख पर पट्टी बाँधकर उसे एक और कोठरी में डाल बाहर से बन्द कर दिया गया।

उचित अज्ञाएँ देकर एक और आदमी को लाहौर भेज दिया गया। तब तक भूपति वापस आ गया था और उसने कर्मी की ड्योढ़ी में संदेशा पहुँचाने और वहाँ के अगुआ को मनावाँ भेजने की बात बताई। रानड़े ने इससे सन्तोष अनुभव किया। उसने भूपति से कहा, “भूपति, इस समय चाय बन जाय तो बहुत अच्छा हो।”

“जी, साहब।” भूपति ने आखिर अपना मुख खोला, “परन्तु दूध नहीं है और इस समय प्रातःकाल के तीन बज रहे हैं।”

“ओह! अच्छा, तो आज नमक डालकर बिना दूध के ही चाय पियूंगा। मैं लाहौर और मनावाँ से समाचार आये बिना सोना नहीं चाहता।”

“अच्छी बात है” कह भूपति रसोईघर में चला गया। रानड़े ने श्रीकान्त से कहा, “सब षड्यंत्र स्पष्ट होता जाता है। मैं समझता हूँ कि अमृतसर में खोज बन्द कर दी जाय।”

“हाँ, इसकी अब आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।” इतना कह श्रीकान्त ने इसी विषय की आज्ञा अपने साथी को देकर भेज दिया।

: १० :

दिन चढ़ने से पूर्व मुहम्मद इसहाक की बीवी भी पकड़कर लाई गई, परन्तु उससे कोई नयी बात पता नहीं लगी। दस बजे तक इन्द्रा, जिसके मुख पर कई घाव थे, रानड़े के सम्मुख लाकर उपस्थित की गई। उसको लाने वाले तीन आदमी थे, जो लाहौर से सीधे मोटर में आये थे। उनमें से एक से हाथ मिलाते हुए रानड़े ने कहा, “ओह ! निर्मलराय जी, आइये।”

निर्मलराय ने इन्द्रा की ओर संकेत कर कहा, “लीजिए, जीजी ही मिल गई है, मगर अब्दुल करीम मारा गया है और इसहाक खतरनाक हालत में दरगाह में पड़ा है।”

इन्द्रा बहुत थकी हुई थी और कमजोर हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वहाँ पहुँचते ही निर्मलराय से कहने लगी, “आपने तो मुझे मेरे भाई के पास ले चलने को कहा था।”

इसका उत्तर रानड़े ने दिया, “चूनीलाल को यहीं बुला देता हूँ।”

उसने एक आदमी को पता दे चूनीलाल को बुलाने के लिए मोटर में भेज दिया और भूपति को सबके लिए चाय लाने को कहा।

चाय पीते हुए निर्मलराय ने इन्द्रा को छुड़ाने का वृत्तान्त बताया। उसने कहा, “लाहौर की पन्द्रह चुंगियों पर मैंने अपने आदमी बैठाए हुए हैं जो लाहौर में होने वाले अनेक पाप-कर्मों का पता लेते रहते हैं। इन भेदियों में से एक ने, जो शीह की गाड़ी के पुल पर की चुंगी की देख-भाल करता है, मुझे कल सायंकाल बताया था कि उसने एक मोटर में एक औरत भगाकर लाहौर लाती हुई देखी है। चुंगी के मुन्शी को सन्देह हो गया था कि औरत बुर्के में कोई माल छुपाये हुए है। वह औरत की तलाशी लेना चाहता था परन्तु उस औरत के साथी तलाशी देने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने चुंगी के मुन्शी को पचास रुपए घूस भी दी थी। इससे हमारे भेदिए को संदेह हो गया। वह मोटर साइकल पर उनके साथ-साथ दरगाह तक पहुँचा था। रात जब आपका सन्देशा मिला तो मैं तुरन्त समझ गया था कि दरगाह में पहुँची लड़की के विषय में ही है। मैंने तुरन्त दो आदमी मुसलमानी पोशाक में वहाँ भेजे। वे समाचार लाए कि लड़की और उसके दोनों साथी सराय में पड़े हैं और लड़की का एक से निकाह पढ़ा दिया गया है।

“इस समाचार के पाते ही मैंने दस-दस आदमियों की पाँच टोलियों को दरगाह के भीतर और बाहर भेज दिया और मैं स्वयं मुसलमानी पोशाक पहन दरगाह में मुसाफिरों के रहने के कमरे में जा पहुँचा। लड़की कमरे के एक कोने में बैठी थी और दो पुरुष दूसरे कोने में। ये परस्पर काना-फूसी कर रहे थे। मुझे देख अब्दुल करीम ने अचम्भे में मेरी ओर देखा। मैंने वहाँ पहुँचने ही उनसे पूछा, ‘तुम में अब्दुल करीम कौन है?’

“मैं हूँ। क्या बात है?”

“मैंने कहा, ‘लड़की के अगवा की बात पुलिस में पहुँच गई है और पुलिस दरगाह की तलाशी के लिए यहाँ आ रही है। यहाँ से जल्दी इस लड़की को ले जाओ।’

“इस पर अब्दुल करीम ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने बताया, ‘मैं यहाँ का हिसाब रखने के लिए मुन्शी हूँ।’ इस पर वह घबड़ा उठा और बोला कि वह लाहौर में किसी को नहीं जानता। वह नहीं जानता कि कहाँ जाय।

“मैंने कहा, ‘यहाँ तो पुलिस आने वाली है। यहाँ से तो चले जाना ही ठीक है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ नहीं तो मेरे घर चलो। दिन निकलते ही वहाँ से चले जाना।’

“दोनों आदमी वहाँ से उठ खड़े हुए और लड़की से कहने लगे, ‘उठो, चलो।’

“इसने कहा, ‘मैं नहीं जाती। पुलिस आती है तो अच्छा है।’

“अब्दुल करीम ने इसका हाथ पकड़कर घसीटना चाहा। यह शोर मचाने लगी। मैंने अब्दुल करीम से कहा, ‘इसे छोड़ दो। इसे मैं लाता हूँ। यहाँ शोर मचाना ठीक नहीं है।’

“मैंने इसे गोदी में उठा लिया। यह मेरे मुख पर चाँटे मारने लगी और नाखूनों से नोचने लगी। मैंने इसके कान में कह दिया, ‘इन्द्रा, चुप रहो। मैं हिन्दू हूँ। भेष बदलकर तुम्हें छुड़ाने आया हूँ।’ यह शान्त हो गई। जब मैं दरगाह से बाहर आया तो हमारे आदमियों ने हमारे आगे और पीछे चलना आरम्भ कर दिया। इससे अब्दुल करीम को मुझ पर शक हो गया और छुरा निकाल मुझ पर हमला कर बैठा। मैं पैतरा बदलकर पीछे हट गया। फिर भी इसके मुख पर घाव लग गया। अब्दुल करीम और मुहम्मद इसहाक की हमारे आदमियों से लड़ाई हो गई। अब्दुल करीम मारा गया और मुहम्मद इसहाक बुरी तरह घायल हो गिर पड़ा। इसे घर ले जाकर मरहम-पट्टी करवाई और अब यहाँ ले आये हैं।”

रानड़े अपने सुदर्शन-चक्र के कार्य की सफलता पर संतोष प्रकट कर रहा था। इन्द्रा चूनीलाल के हवाले कर दी गई। अमरनाथ और जिस-जिसने स्वराज्य-संस्थापन-समिति के इस प्रकार मुस्तैदी से कार्यवाही करने का वृत्तान्त सुना, उसने समिति के संगठन की सराहना की। सायंकाल रानड़े ने बृजबिहारी को दिल्ली में टेलीफोन किया और बताया, “सुदर्शन सफल रहा। चिकित्सा लाहौर में हुई। रोगी ठीक है और घर आ गया है। एक और रोगी है। दिल्ली भेज रहा हूँ। उसकी बीमारी का हाल साथ आने वाला बतायेगा। किसी योग्य चिकित्सक से चिकित्सा करवानी चाहिए।”

बृजबिहारी ने पूछा, “रोगी स्त्री है या पुरुष?”

“स्त्री है। विधवा है। गरीब है।”

इसके पश्चात् अब्दुल करीम की स्त्री और लड़की को मोटर में लादकर दिल्ली भेज दिया गया। यह उचित समझा गया कि उसे अमृतसर में न रखा जाए और हो सके तो उसका किसी हिन्दू से विवाह कर दिया जाए। अब्दुल करीम की बीवी को अभी उसके पति के मर जाने का ज्ञान नहीं था और वह समझती थी कि इन्द्रा की खोज के सम्बन्ध में अमृतसर से बाहर ले जाया जा रहा है।

उसे दिल्ली पहुँचने पर बृजबिहारी के सामने उपस्थित किया गया। बृजबिहारी ने साथ आने वाले आदमी से सब वृत्तान्त जानकर अब्दुल करीम की बीवी से कहा, “तुम्हारे खाविन्द ने तो इन्द्रा से निकाह पढ़ा लिया।”

“ओह !” एकाएक औरत के मुख से निकल गया।

“परन्तु इन्द्रा को उससे छुड़ा लिया गया है। वह अपने भाई के पास पहुँचा दी गई है।”

“शुकर है खुदा का। मगर निकाह जो पढ़ा गया है ?”

“हाँ, निकाह का झगड़ा था। लेकिन एक बात और हो गई है। जब इन्द्रा को छुड़ाने के लिए हमारे आदमी गए तो अब्दुल करीम ने मुकाबला किया और इस झगड़े में वह मारा गया है।”

“मारा गया !” अब्दुल करीम की स्त्री के मुख से चीख-सी निकल गई। वह रोने लगी और कहने लगी, “मैं अब क्या करूँगी ? कहाँ जाऊँगी ? मेरा कौन है ?” इत्यादि।

बृजबिहारी ने अब्दुल करीम की बीवी के रहने का प्रबन्ध कर दिया। दो-तीन दिन के पश्चात् जब उसका शोक कुछ शान्त हुआ तो उसे दिल्ली के समीप एक गाँव में भेज दिया और उसे रहने को एक मकान तथा करने को काम दिलवा दिया। वह यदि चाहती तो वहाँ से जा सकती थी, परन्तु एक तो उसे इन्द्रा के छुड़ाने की पूरी कहानी सुनाकर डरा दिया गया था कि यदि उसने किसी को यह भेद बताया तो उसको और उसकी लड़की को मार डाला जाएगा। दूसरी बात यह थी कि उसके माँ-बाप नहीं थे जिनके पास जाकर वह रह सकती। आरम्भ में तो वह विवश होकर रहने लगी, परन्तु कुछ ही दिनों में गाँव के एक आदमी से मेल-मुलाकात हो गई और दोनों का विवाह हो गया।

: ११ :

धीरेन्द्र का स्वराज्य-संस्थापन-समिति में मुसलमानों को सम्मिलित करने का प्रयत्न निष्फल गया। जैसा अमृतसर में अब्दुल करीम इत्यादि ने किया, लगभग वैसा ही अन्य स्थानों पर मुसलमानों ने किया। वास्तव में जिन्हा और मुसलिम लीग के प्रचार का फल मुसलमानों में इतना व्यापक था कि ढूँढ़ने पर भी किसी शुद्ध राष्ट्रीय विचार वाले मुसलमान का मिलना प्रायः असम्भव हो गया था। धीरेन्द्र और नरेन्द्र में यह पहला मतभेद था जिसमें मत-समानता नहीं हो सकी।

धीरेन्द्र को जब इस बात में निष्फलता प्राप्त हुई तो स्वाभाविक रूप में नवरत्न-मंडल में नरेन्द्र की महिमा बढ़ गई। नवरत्न-मंडल के लोग नरेन्द्र की बातें अधिक ध्यान से सुनने लगे।

शंकर पंडित को मार्ग की खोज में गये एक वर्ष से ऊपर हो गया था और उसका कोई समाचार नहीं आ रहा था। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग की ओर से नरेन्द्र ही नवरत्न-मंडल में रह गया था। इससे भी उसके विचारों को प्रधानता मिल रही थी।

जब युद्ध में जर्मन पक्ष की हार होनी आरम्भ हुई तो नरेन्द्र ने धीरेन्द्र के पास कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव भेजा। उसका कहना था कि युद्ध समाप्त होने से पूर्व ही भारतवर्ष में लोकमत का इतना प्रभाव बढ़ जाना चाहिए कि उसके समाप्त होने पर अंग्रेज यहाँ अपने बाल-बच्चों को रखने में भय अनुभव करने लगे। इस कारण वह चाहता था कि आतंक पैदा करने के लिए कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। उसका विचार था कि प्रत्येक प्रान्त में एक या दो पुलिस अथवा सरकारी अफसर चुन लेने चाहिए जो जनता पर अत्याचार करने अथवा चोर बाजार में सहायता देने से बदनाम हो चुके हैं और मुकदमा कर उन्हें दंड देना चाहिए।

धीरेन्द्र इसमें कोई लाभ नहीं समझता था। नरेन्द्र का कहना था कि जैसे किसी देश पर आक्रमण करने से पूर्व हवाई जहाजों से उस देश पर बम बरसा-बरसाकर वहाँ के रहने वालों को भयभीत कर देना लाभकारी माना जाता है, वैसे ही हिन्दुस्तान में सरकारी अफसरों को भयभीत करने के लिए ये छोटे-मोटे कार्यक्रम आवश्यक हैं। इनसे अफसरों में ऐसा भय समा जाएगा कि वे पूरे आक्रमण के समय हतोत्साह होकर क्रान्ति में सम्मिलित हो जाएँगे।

धीरेन्द्र इस बात से मतभेद रखता हुआ भी, नवरत्न-मंडल में नरेन्द्र के साथ बहुमत होने से, आतंक का कार्यक्रम बनाने में लग गया और बम, पिस्तौल, डायनामाइट इत्यादि वस्तुएँ बनने लगीं।

प्रान्त-प्रान्त के अगुओं को कहा गया कि ऐसे अफसरों की सूचियाँ बनाएँ जिन्होंने अपने दुष्कर्मों से जनता में भारी बदनामी पैदा कर रखी है। नरेन्द्र का इस आतंक-चक्र से प्रयोजन जहाँ यह था कि सरकार का अजेय होने का विचार, जो जन-साधारण के हृदय में जमा हुआ था, विलीन हो जाए, वहाँ यह भी था कि अफसर लोग इतने भयभीत हो जाएँ कि वे विप्लव के समय सरकार का पक्ष ले ही न सकें।

इस सूचियों में नन्दलाल का नाम भी था। धीरेन्द्र जानता था कि नन्दलाल रेवतीदेवी का पति है, इस कारण उस पर मुकदमा चलाने के विषय पर दीर्घकाल तक निर्णय नहीं कर सका। अंत में उसने यह प्रश्न रेवतीदेवी के सम्मुख रखना ही उचित समझा। उसने दिल्ली प्रान्त के अगुआ का नन्दलाल के विरुद्ध दोपारोपण-

चिट्ठा अपने पत्र के साथ भेजा। रेवतीदेवी शंकरगढ़ में ही थी। वहाँ वह नरेन्द्र के कार्य में सहायता देती थी।

डाक पढ़ते-पढ़ते रेवतीदेवी के नाम का पत्र निकला तो नरेन्द्र ने उसे दे दिया। रेवतीदेवी ने लेते हुए पूछा, "किसका है?"

"क्या जाने।"

रेवतीदेवी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसके मुख का रंग विवर्ण हो गया। चिट्ठी में लिखा था—

श्रीमती रेवतीदेवी जी, नमस्ते।

आपको विदित होगा कि नवरत्न-मंडल का बहुमत से यह निर्णय है कि उन सरकारी अफसरों पर मुकदमे चलाये जाएँ जिन्होंने जनता को बहुत कष्ट दिया है। ये मुकदमे ब्राह्मण वर्ग के उपनेता करेंगे। ऐसे सरकारी अफसरों की एक सूची बनाई गई है। इसमें भारतवर्ष के दो सौ से अधिक अफसरों के नाम हैं। दिल्ली प्रान्त में एक सुपरिण्टेंडेंट पुलिस नन्दलाल का नाम है। उसके विरुद्ध दोषारोपण-चिट्ठा साथ है। नन्दलाल के विषय में, बहुत विचारोपरान्त, मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक आपकी सम्मति न ले लूँ तब तक मैं मुकदमा चलाने की अनुमति न दूँ। इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके विषय में क्या कहना चाहती हैं। एक-आध अफसर को छोड़ देने से हमारे इस आयोजन के प्रभाव में अन्तर नहीं पड़ेगा। इसी कारण मैंने इस विषय में आपकी सम्मति माँगी है। भली-भाँति विचारकर, शान्त मन से सब दृष्टिकोणों को समझकर अपनी सम्मति दें। आप अपना समय ले सकती हैं।

—धीरेन्द्र

चिट्ठी पढ़कर रेवतीदेवी के मुख पर उदासी छा गई। वह काफ़ी देर तक चिट्ठी और फिर दोषारोपण-चिट्ठे को पढ़ती और देखती रही।

नरेन्द्र ने उसकी परेशानी, जो उसके मुख पर स्पष्ट झलकने लगी थी, देखी तो पूछा, "रेवती, क्या है?"

"कुछ नहीं," इतना कह उसने चिट्ठी लपेट अपने ब्लाउज के भीतर रख ली।

इसने नरेन्द्र के मन में भारी उत्सुकता उत्पन्न कर दी। वह जानता था कि रेवती देवी ने, जबसे उनका मनो-मालिन्य मिटा था, उससे कभी कोई बात छिपाई नहीं थी, किन्तु आज उसने इस चिट्ठी को छिपाने का यत्न किया है। इससे उसके मन में सन्देह हो गया कि अवश्य ही इस पत्र का उसके पति से सम्बन्ध है। वह मन में सोचता था कि यह क्या हो सकता है। किसने उसके पति के विषय में और क्या लिखा होगा। डाक तो समिति के डाकियों द्वारा आई थी। इससे यदि उसके पति का संदेशा होगा तो अवश्य समिति के किसी कर्मचारी के द्वारा आया होगा।

रेवतीदेवी उस दिन काम पर नहीं बैठ सकी। वह यह कहकर कि उसका चित्त ठीक नहीं है, उठकर अपने कमरे में चली गई। पश्चात् कई दिन तक वह समिति

का काम करने में मन नहीं लगा सकी। गौरी ने एक-आध बार पूछा भी कि तबियत तो ठीक है। उसने ठीक कहकर टाल दिया। धीरेन्द्र की चिट्ठी आने के लगभग एक सप्ताह पश्चात् एक रात उसके कमरे का लैम्प रात-भर जलता रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल जागने के स्थान वह दस बजे तक सोई रही। गौरी ने जब उसे दस बजे भी सोया देखा तो उसके कमरे में जाकर उसे जगाने लगी। बोली, “रेवती, क्या बात है आज? उठी नहीं हो अभी। तबियत कैसी है?”

गौरी रेवती के माथे पर हाथ रखकर देखने लगी कि कहीं ज्वर तो नहीं है। इस विषय में निश्चिन्त हो उसे हिलाकर जगाने लगी। रेवती की आँख खुली तो वह अपने सामने गौरी को खड़ा देख घबराकर उठी और पूछने लगी, “कितने बज गए हैं?”

“दस।”

“ओह! बहुत देर हो गई है। नरेन्द्र बाबू कहाँ हैं? खड़गवहादुर को डाक देकर भेज दिया है क्या?”

“नहीं! क्या बात है, रेवती?”

“एक चिट्ठी भेजनी है।”

इतना कह वह खाट से नीचे उतरी और सामने मेज पर रखा एक बन्द लिफाफा उठा नरेन्द्र के कमरे में चली गई। गौरी अचम्भे में उसे जाते हुए देखती रह गई।

नरेन्द्र सब डाक एक थैले में डाल रहा था। रेवती ने वहाँ पहुँचकर कहा, “नरेन्द्र जी, यह चिट्ठी भी जाएगी।” इतना कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा थैले में डाल दिया। डालते हुए नरेन्द्र ने चिट्ठी पर का पता पढ़ लिया। चिट्ठी धीरेन्द्र को भेजी जा रही थी।

थैला बन्द कर नरेन्द्र ने रेवती के मुख की ओर देखा तो उसे सन्तोष और प्रसन्नता से प्रफुल्लित पाया। नरेन्द्र के मुख से अनायास ही निकल गया, “क्या बात है, रेवती? आज बहुत प्रसन्न प्रतीत होती हो।”

“हाँ,” रेवती ने केवल इतना ही कहा और वह नरेन्द्र के कमरे से बाहर आ गई। सायंकाल रेवती गौरी के छोटे बालक अक्षय को गोदी में और अजय को साथ लिये नदी के तट पर घूमने गई तो नरेन्द्र साथ था। सुबह की बात नरेन्द्र को भूली नहीं थी और वह देख रहा था कि रेवती कई दिन के पश्चात् उस दिन घूमने जा रही है। नरेन्द्र ने बात करने के लिए पूछ लिया, “आज कितने दिन के बाद घर से निकली हो, रेवती?”

“आठ दिन पश्चात्। इतने दिन मैं मन में एक समस्या पर विचार कर रही थी। इससे मुझे और किसी काम में न तो रुचि रही थी और न उसके करने की शक्ति।”

“इतनी विकट समस्या थी क्या?”

“हाँ, परन्तु इस विषय में अभी कुछ कहना नहीं चाहती। क्षमा करिए, नरेन्द्र बाबू, यह मेरी आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली बात है।”

इससे नरेन्द्र इस रहस्य को जानने की अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका।

: १२ :

जब से नन्दलाल की स्त्री, मनोरमा, घर से गई थी, नन्दलाल का स्वभाव और अधिक क्रूर होता जाता था। कभी-कभी तो वह ऐसे काम कर देता था कि उसके अपने महकमे के आदमी भी दाँतों तले अँगुली देने लगते थे। डिप्टी रघुवर-दयाल की नजरों में भी वह गिरता जाता था। दोनों में मेल-जोल कम होता जाता था।

नन्दलाल के व्यवहार के कारण ही डिप्टी साहब का हरवंशलाल के परिवार से मिलना-जुलना बन्द हो गया था। अब वे एक-दूसरे से मिलते नहीं थे। हरवंशलाल का दामाद इन्द्रजीत अभी तक जेल में था और उसकी लड़की कमला यह बात भली-भाँति जानती थी कि उसके पति को मनोरमा के भाग जाने के बदले में नन्दलाल ने पकड़वाया है। इसके अतिरिक्त यह बात विख्यात होती जाती थी कि राजनीतिक हलचल के बहाने नन्दलाल ने निरपराध लोगों को कष्ट दे-देकर लाखों रुपए रिश्वत में खाए थे।

ऐसी अवस्था में जब धीरेन्द्र ने चोटी के बदमाश सरकारी अफसरों की सूची माँगी और दिल्ली के अगुआ बृजबिहारी ने जब शेखरानन्द और बनारसीदास से राय की तो सबके मुख से नन्दलाल का नाम सबसे पहले निकला। दिल्ली के पाँच बदमाश अफसरों में नन्दलाल का नाम सबसे पहले था। इस कारण जब कार्यवाही करने का अवसर आया तो इस कार्यवाही का सबसे पहला शिकार नन्दलाल बना। शेखरानन्द ने दिल्ली के अफसरों को पकड़ मुकदमे चलाने की योजना बना डाली।

एक दिन नन्दलाल प्रातः सोकर उठा ही था कि उसके रसोइये ने सम्मुख उपस्थित हो कहा, “हुजूर, आपको बाहर बुलाते हैं।”

“कौन हैं?”

“मैं नहीं जानता। कोई साहब मोटर गाड़ी में आये हैं और कह रहे हैं कि आपसे जरूरी काम है।”

नन्दलाल ‘स्लीपिंग सूट’ में ही कोठी के बाहर जा पहुँचा। वहाँ एक मोटर और दो हैट-कोट पतलून पहने युवक खड़े थे। एक युवक ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और कहा, “हम एक जरूरी काम से आपके पास आए हैं।”

“हाँ, फरमाइये।”

“शाहदरे में कपड़े की पाँच सौ गँठें चोर बाजार में बिकने के लिए पहुँची हैं। इसमें काफी लाभ होगा। हम चाहते हैं कि हमारा भी भाग उस लाभ में रहे।

यह आपकी सहायता से ही हो सकता है।”

“मुझे क्या मिलेगा ?”

“देखिए, कपड़े का असली दाम पन्द्रह सौ रुपया प्रति गाँठ के हिसाब से साढ़े सात लाख के लगभग है, पर चोर बाजार में प्रति गाँठ का दाम तीन हजार से कम नहीं होगा। इस प्रकार नकद लाभ साढ़े सात लाख है। इसमें कई आदमी मिले हुए हैं। फिर भी एक पत्तीदार को एक लाख से कम का लाभ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सब मिलकर हम दोनों को दो लाख मिल जाए। यदि ऐसा हो जाए तो उस दो लाख में हम दो के स्थान पर तीन पत्तीदार बन जाएँगे।”

“यह तो कुछ नहीं,” नन्दलाल ने नाक-भौं चढ़ाकर कहा।

“तो आप ही बताइए कि उस दो लाख को हम कैसे बाँटें ?”

नन्दलाल ने सिर खुजाते हुए कहा, “मैं समझता हूँ कि एक लाख मेरा और एक लाख आप दोनों का।”

इसमें वे दोनों युवक कुछ उदास प्रतीत हुए। दूसरा युवक जो अभी तक बोला नहीं था अपने साथी से कहने लगा, “हमारी मेहनत की कीमत ठीक नहीं लग रही।”

“हाँ” उसके साथी ने कहा, “छः महीने से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। सैकड़ों रुपयों का तो पेट्रोल फूँक डाला है।”

“पर यह कैसे पकड़ा जाएगा और रुपया कैसे वसूल होगा ?” नन्दलाल ने पूछा।

“आप अपनी वर्दी पहन हमारे साथ चलिए। हम आपको उस गोदाम के सम्मुख ले चलेंगे जिसमें माल रखा है। आप उस माल का ‘परमिट’ (‘सप्लाइ’ विभाग की मंजूरी) देखिएगा। वह आपको नहीं दिखाया जाएगा। तब आप उनको धमकाइएगा। वे आपको कुछ देना चाहेंगे। आप तीन लाख माँगिएगा। उस समय हम पहुँच जावेंगे और आपका फँसला दो लाख पर करवा देंगे।”

“रुपया नकद मिलेगा ?”

“नहीं मिलेगा तो आप जाबते की कार्यवाही कर दीजिएगा और हम सरकारी गवाह बन जाएँगे।”

नन्दलाल ने सोचकर कहा, “ठीक है। मैं अभी वर्दी पहनकर तैयार हो जाता हूँ।”

ऐसे मुखबरी और इस प्रकार से रिश्वत का प्रबन्ध नन्दलाल के लिए नित्य प्रति की बात थी। इस कारण उसे इन लोगों के साथ जाने में किञ्चित्मात्र भी हिचकिचाहट नहीं हुई।

मोटर का ड्राइवर अकेला आगे की सीट पर बैठा था और दोनों युवक नन्दलाल के आसपास पीछे की सीट पर थे। नन्दलाल ने कहा भी कि एक आदमी आगे

झाड़वर के पास बँठ जावे, परन्तु एक युवक ने यह कहकर बात टाल दी कि एक और नौकर साथ जाने वाला है। वह आगे मिलेगा।

और ऐसा हुआ भी। शाहदरा से एक मील इधर ही एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, उसे बँठा लिया गया। झाड़वर ने शाहदरा के समीप पहुँच गाड़ी खड़ी करने के स्थान और भी तेजी से भगा दी। इस पर नन्दलाल ने कहा, “शाहदरा तो पीछे रह गया है।” यह सुनकर दोनों युवक अचम्भे में उसका मुख देखने लगे।

“क्या आपने शाहदरा में कपड़ा पकड़वाने को नहीं कहा था?”

“कैसा कपड़ा?” एक ने पूछा।

इसी समय दूसरे युवक ने जेब से पिस्तौल निकाल तानकर नन्दलाल को कहा, “हाथ उठा लो।”

नन्दलाल एक क्षण तक तो समझा ही नहीं कि क्या हो गया है। फिर तुरन्त जान का भय जान हाथ ऊपर कर पूछने लगा, “क्या है?”

“तुम हमारे कैदी हो।”

“क्यों? मैंने क्या किया है?”

“तुम्हारे विरुद्ध चोरी, डाका, कत्ल और देश-द्रोह का आरोप है।”

दूसरे युवक ने नन्दलाल का पिस्तौल उतारकर अपने अधिकार में कर लिया। उसकी जेब में से घड़ी और अन्य सब प्रकार का सामान निकाल लिया गया। इस प्रकार उसे निःशस्त्र कर युवक ने पिस्तौल नीचे कर कहा, “इन दोषों के आधार पर तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा।”

“मुकदमा कौन करेगा?”

“न्यायाधीश।”

“कौन न्यायाधीश? किसने उसे नियुक्त किया है? क्या अधिकार है उसका कि मुझे पकड़वा लिया है?”

“यह हम कुछ नहीं जानते। जब तुम उसके सम्मुख उपस्थित किए जाओगे तो उसी से पूछ लेना।”

मोटर भागी जा रही थी। शाहदरा से गाजियाबाद और वहाँ से अलीगढ़, कानपुर होते हुए दोपहर के बाद वे लखनऊ पहुँच गए। वहाँ एक उजाड़ स्थान में शौचादि से निवृत्त हो मोटर सीतापुर, गोरखपुर होती हुई नेपालगंज जा पहुँची। जहाँ से झरनों का मार्ग आरम्भ होता है मोटर छोड़ नन्दलाल को पैदल चलने के लिए कहा गया और आधे घण्टे में सब लोग झरनों पर जा पहुँचे। नन्दलाल के साथ वे तीनों युवक थे जो उसके साथ मोटर में बैठे थे। इनके अतिरिक्त एक और आदमी हाथ में ‘टिफिन-कैरियर’ लिये, सड़क से पगडंडी पर उतरते समय उनके साथ हो गया था।

झरने पर पहुँचकर सबने 'टिफिन-कैरियर' में उनके लिए आया खाना खाया। पश्चात् सब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे। तब तक अँधेरा हो गया था और मार्ग बिजली की टाँच जलाकर देखा जा रहा था। पहाड़ की चोटी पर पहुँच, वहाँ के सपाट पत्थर पर बैठ, कुछ आराम कर शंकरगढ़ से उलटी ओर अर्थात् पश्चिम को चल पड़े। मार्ग घने जंगल में से था। नन्दलाल दिन-भर की यात्रा और चिन्ता के कारण बेहद थक गया था। उसकी टाँगें लड़खड़ा रही थीं। हतोत्साह होकर उसने पूछा, "तुम लोग अभी थके नहीं? मैं और नहीं चल सकता।"

"एक फर्लांग तक तो और चलना ही होगा। आज की यात्रा का वहाँ अन्त होगा।"

इससे नन्दलाल का साहस बँध गया और वह कमर पर हाथ रखकर चलने लगा। यह मार्ग शंकरगढ़ वाले मार्ग की भाँति सुगम नहीं था। उधर भी जंगल तो इतना ही घना था, परन्तु ढलान इतनी तीखी नहीं थी जितनी इधर। पेड़ों और झाड़ियों को पकड़-पकड़कर चलना होता था। नन्दलाल के लिए इस प्रकार चलना अति कठिन था। उसके साथी तो बन्दरों की भाँति कूदते-फाँदते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मार्ग उनका देखा-भाला था।

दस मिनट और चलने पर वे पत्थरों से बनी कुटिया में जा पहुँचे। कुटिया में दो कमरे थे। कमरों के चारों ओर दस फीट ऊँची दीवार बनी थी। कहने को तो यह एक छोटा-सा बंगला कहा जा सकता था, परन्तु इसमें रहने वाले के लिए सुविधाएँ तो कुटिया से भी कम थीं। न कोई रसोईघर था, न टट्टी-पेशाब के लिए स्थान, न स्नानागार, न कमरों में किवाड़ थे। छत बेकायदा कटे हुए स्लेट के टुकड़ों से बनी थी। चहारदीवारी में कोई फाटक नहीं था। एक स्थान पर दीवार नहीं बनी थी। यह दीवार में फाटक का काम देता था जिसे पेड़ों के सूखे तने रखकर बन्द किया हुआ था।

नन्दलाल और उसके साथियों ने भीतर जाने के लिए इन तनों को हटाया नहीं, प्रत्युत उनके ऊपर चढ़, लाँघकर, भीतर चले गए। नन्दलाल के साथियों में से एक ने पुकारा, "रामेश्वर!"

"जी हाँ।"

"इसे लेट जाने दो," नन्दलाल की ओर संकेत कर कहा गया, "और इसकी पहरेदारी करनी है। कहीं इसे कोई बाघ इत्यादि न खा जाय।"

नन्दलाल वास्तव में ही बहुत थका हुआ था। एक कमरे में भूमि पर एक कम्बल बिछा दिया गया और उसे उस पर लेट जाने को कहा गया। उस पर लेटते ही वह सो गया।

: १३ :

चार आदमी नन्दलाल के साथ आए थे और एक रामेश्वर उस कुटिया में

उपस्थित था। इस प्रकार नन्दलाल के अतिरिक्त वहाँ पाँच आदमी थे। रामेश्वर ने सबके लिए खाना बना रखा था। नन्दलाल के सो जाने पर उन्होंने खाना खाया और रामेश्वर के अतिरिक्त सब सो गए। रामेश्वर हाथ में बंदूक ले, जो कुटिया के दूसरे कमरे में रखी थी, चौकीदारी करने लगा।

नन्दलाल भूखा सोया था, इस कारण उसकी नींद जल्दी खुल गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके साथी जो उसे वहाँ लाए थे उसके समीप ही लेटे सो रहे थे। हरिकेन लालटेन जल रही थी और उसके प्रकाश में उस मुनसान और वीरान स्थान में अपने को अकेला वहाँ देख वह काँप उठा। सर्दी काफी थी, इस कारण उसने अपने नीचे बिछे कम्बल को अपने पर लपेट लिया। अब वह जलती लालटेन की ओर देखते हुए अपनी अवस्था पर विचार करने लगा।

सबसे प्रथम विचार उसके मन में वहाँ से भाग जाने का उठा। इस विचार के आते ही उसने अपनी जेब टटोली, जहाँ वह अपनी पिस्तौल रखा करता था। जेब खाली देख उसे स्मरण हो आया कि वह उससे छीना जा चुका है। अब उसने अपने साथियों के पिस्तौल देखने के लिए इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई। सोये हुएों में से दो के पास पिस्तौल थे परन्तु वे भली-भाँति कम्बल लपेटे हुए थे, जिससे पिस्तौल बाहर दिखाई नहीं देते थे। उसने उनका कम्बल उठाकर पिस्तौल ढूँढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परन्तु उनको छूने से पहले ही रुक गया। वह डर गया था कि कहीं वे जाग न जाएँ। कुछ काल सोचकर वह उठ पड़ा और हरिकेन लालटेन उठा कमरे से बाहर निकल आया। वह पेड़ के तनों से बन्द फाटक के पास आकर रुक हो गया और उनपर से कूदकर बाहर होने के विषय में सोचने लगा। वह अभी तनों पर चढ़ने की सोच ही रहा था कि पीछे से जोर से हँसने का शब्द हुआ।

नन्दलाल ने घुमकर देखा। उसे दूसरे कमरे के दरवाजे में रामेश्वर, उसकी ओर बन्दूक ताते, खड़ा दिखाई दिया। वह डर गया और चुपचाप रामेश्वर की ओर देखते हुए खड़ा रहा। रामेश्वर ने उसे वहीं खड़ा देख आवाज दी, "भूख आदमी, तुम नहीं जानते कि सीधे मौत के मुख में जा रहे हो।"

नन्दलाल ने लालटेन भूमि पर रख दी और काँपती आवाज में पूछा, "वह कैसे?"

"तुम कैदी हो और कैद से भागे जा रहे हो।"

"किसका कैदी हूँ?"

"इस समय मेरा।"

"तुम कौन हो?"

"इस जेलखाने का दारोगा।"

"तुम्हें दारोगा किसने बनाया है?"

"जिसने तुम्हें पकड़कर मँगवाया है।"

“मैं उसे नहीं जानता। उसके अधिकार को नहीं मानता। मुझे जाने दो, वरना उसके साथ तुम भी अपराधी बन जाओगे।”

“मुझे आज्ञा है कि यदि तुम भागने का यत्न करो तो तुम्हें एक बार रोक दूँ। फिर भी तुम यदि न मानो तो गोली मारकर तुम्हें अपाहिज कर दूँ।”

नन्दलाल देख रहा था कि बन्दूक की नली उसकी टाँगों की ओर निशाना बाँधे हुए है। इमसे विवश हो, लालटेन उठा, वापस अपने सोने के स्थान पर जा बैठा। इस समय तक उसके समीप सोये हुए चारों आदमी जाग चुके थे। उसे चुपचाप आकर बैठता देख, वे मुस्कराए। नन्दलाल ने धीरे-धीरे अपने आप ही कहा, “कितना जुल्म है !”

यह बात दूसरे बैठे हुएों ने सुन ली थी, परन्तु कोई नहीं बोला। नन्दलाल इस चुप्पी से बहुत घबराया। उसने उकताकर पूछा, “क्यों, साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ?”

इस स्पष्ट प्रश्न का भी उत्तर जब उसे नहीं मिला तो उसने शोध में पूछा, “तुम लोग कौन हो ?”

एक हल्की-सी मुस्कराहट के अतिरिक्त और कुछ भी प्रभाव साथ के लोगों के मुख पर दिखाई नहीं दिया। इससे तो वह उतावला-सा हो गरजकर बोला, “मुझे भूख लगी है।”

साथ वालों में से एक ने अँगुली से कमरे के एक कोने में रखे कपड़े की ओर संकेत कर दिया। कपड़े में कुछ लिपटा रखा था। नन्दलाल ने वहाँ पहुँच उसे उठा लिया। उसे खोलकर देखा। एक कटोरे में भात और दाल रखा मिला। नन्दलाल ने कहा, “रात के इस समय दाल-भात ?”

इसका उत्तर भी केवल मुस्कराहट ही था। कुछ काल तक उसे देख नन्दलाल ने दाल-भात खाना आरम्भ कर दिया। कटोरा खाली कर उससे पानी माँगा। उस दूसरा कोना दिखा दिया गया। वहाँ एक बड़ा पानी से भरा रखा था। नन्दलाल ने खाली कटोरे को पानी से भरा और पी गया। पश्चात् कम्बल ओढ़ अपने स्थान पर जाकर लेट गया।

: १४ :

दूसरे दिन नन्दलाल की जाग दिन के दस बजे खुली। कुटिया के आँगन में धूप भर रही थी। नन्दलाल आँखें मलता हुआ जब आँगन में आया तो उसने दस-बारह आदमी खड़े देखे। वहाँ रामेश्वर भी खड़ा था। नन्दलाल ने उसके पास जाकर कहा कि उसे शौच जाना है। वह अपनी बन्दूक ले उसके साथ बाहर चला गया और उसे शौच के लिए कुटिया से कुछ दूर एक छोटे से नाले के किनारे ले गया।

नन्दलाल शौचादि से निवृत्त हो जब लौटा तो आँगन में और लोग इकट्ठे हो

गए थे। सब मिलकर बीस के लगभग थे। नन्दलाल ने सबको देखा। उनमें अपनी स्त्री मनोरमा को देख वह अवाक् भुङ्ग पत्थर की मूर्ति बन खड़ा रह गया। वह इस सब दृश्य का अर्थ समझने में अशक्त था। उसे अचम्भे में स्तब्ध खड़ा देख रामेश्वर ने उसके कान में कहा, “तुम्हारा मुकदमा आरम्भ होने वाला है।”

“मेरा?”

“हाँ।”

इस समय नरेन्द्र ने सब उपस्थित लोगों को सम्बोधन कर कहा, “मैं चाहता हूँ कि आज की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय।”

यह सुन सब लोग अर्ध-चन्द्राकार पंक्ति में खड़े हो गए। रामेश्वर ने नन्दलाल को बाँह में पकड़कर चन्द्राकार पंक्ति के खुली ओर ला खड़ा किया। नरेन्द्र उस पंक्ति के मध्य में खड़ा था। उसकी दाहिनी ओर रेवतीदेवी खड़ी थीं और बाईं ओर एक बंगाली नवयुवक। शेष लोग उनके आगे अर्ध चन्द्राकार पंक्ति को पूर्ण कर रहे थे।

जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर आ खड़े हुए तो नरेन्द्र ने जेब से एक कागज निकालकर पढ़ना आरम्भ किया। उसमें लिखा था—

“मैं, धीरेन्द्र, स्वराज्य संस्थापन-समिति का नेता, समिति के ब्राह्मण वर्ग के नेता, श्री नरेन्द्र कुमार, के सम्मुख, नन्दलाल, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, दिल्ली को न्यायार्थ भेजता हूँ। मुझे मालूम हुआ है और मैंने इसके प्रमाण भी एकत्रित किए हैं, कि नन्दलाल ने दिल्ली नगर में घोर अन्याय और अत्याचार मचा रखा है। हिन्दू-राष्ट्र के भले लोगों को इस अभियुक्त ने दारुण कष्ट दिए हैं। इसने वहाँ के लोगों से लाधों रुपए की रिश्वत ली है और इसने बीसियों निरपराध लोगों को जान से मार डाला है। इस कारण, मैं इस पर अन्याय, कल और लूटमार का आरोप लगाता हूँ।

“नन्दलाल को श्री नरेन्द्र जी के हवाले करते हुए सब गवाह और प्रमाण उपस्थित करने के लिए भेज रहा हूँ जो इसके विरुद्ध हस्तगत हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब इसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं और नन्दलाल को दण्ड दिया जा सकता है।

“नरेन्द्र जी की सहायता के लिए रेवतीदेवी तथा वसन्त कुमार दो सहायक नियुक्त कर रहा हूँ। इस न्याय-मण्डल के प्रधान नरेन्द्र जी होंगे।

“नरेन्द्र जी को स्वयं और मण्डल के सदस्यों से यह शपथ ले लेनी चाहिए कि वे अपनी बुद्धि के अनुसार पक्षपातरहित शुद्ध न्याय करेंगे। संस्था की ओर से नन्दलाल के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए उपनेता शेखरानन्द जी नियत किए गए हैं।

“न्याय-मण्डल जो कुछ निर्णय देगा वह मुझे मिल जाना चाहिए। ताकि मैं

उस निर्णय की पूर्ति का प्रबन्ध कर सकूँ।

नरेन्द्र ने इस पत्र को पढ़कर सब उपस्थित लोगों से कहा, “मैंने और न्याय-मण्डल के सदस्यों ने शपथ ले ली है और मैं नन्दलाल के मुकदमे को आरम्भ करने की आज्ञा देता हूँ।”

इतना कह वह आँगन में, जहाँ खड़ा था, बैठ गया और रेवती जो उसके दाहिनी ओर थी और बसन्तकुमार जो बाईं ओर था, बैठ गए। पश्चात् अर्धचन्द्राकार पंक्ति में अन्य लोग भी अपने-अपने स्थान पर बैठ गए। नन्दलाल अपने स्थान पर खड़ा रहा। रामेश्वर भी उसके पीछे खड़ा था।

जब सब लोग बैठ गए तो शेखरानन्द अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने अपने बस्ते में से कागजों का एक पुलिन्दा निकाल और उसमें से पढ़कर सुनाने के लिए कोई कागज ढूँढ़ने लगा। पूर्व इसके कि वह कुछ कहे, नन्दलाल ने कहा, “इस मुकदमे के आरम्भ होने से पूर्व मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस पत्र का, जो सुनाया गया है, लिखने वाला कौन है? उसको इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों को पकड़ने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार कहाँ से मिला है? मुझे पकड़कर यहाँ लाने वाले को ऐसा करने का क्या अधिकार था?”

नरेन्द्र ने इसका उत्तर दिया, “यों तो न्याययुक्त व्यवहार रखने का अधिकार ईश्वरप्रदत्त है। फिर भी संसार में अधिकार के दो स्रोत हैं। एक है शक्ति और दूसरा जनता की स्वीकृति। नेता धीरेन्द्र के अधिकार इन दोनों स्रोतों से उत्पन्न होते हैं।”

“आपमें ब्रिटिश राज्य से भी अधिक शक्ति है क्या?”

“ब्रिटिश शासन से भी अधिक सत्ता ईश्वर की है और नेता के अधिकार उसी से प्राप्त होते हैं। जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, हमारे नेता को इसका सहयोग प्राप्त है।”

“मैं ऐसा नहीं समझता। यदि आपमें सत्ता होती तो आप मुझे यहाँ छिपाकर न रखते और इस वीरान स्थान पर लाकर मुकदमा करने के बजाय दिल्ली में खुले में करते।”

“इस प्रकार की बातें तो ब्रिटिश सरकार बहुत कर चुकी है और करती रहती है। हम तो मुकदमा करेंगे, परन्तु ब्रिटिश सरकार तो अपने राजनीतिक कैंदियों को बिना मुकदमा किए बिना ही अज्ञात स्थानों पर अनिश्चित समय के लिए कैद करती रहती है। सन् १९४२ में महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों से जो किया गया था, वह किसको विदित नहीं है।”

“तो आप मुझपर मुकदमा करेंगे?”

“हाँ।”

“मुझे अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर मिलेगा?”

“हाँ।”

“परन्तु इस स्थान पर मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकूंगा।”

“तुम जो प्रमाण देना चाहो उनके विषय में उचित समय पर बताना। हम यदि उनको मुकदमे में उपस्थित करने के योग्य समझेंगे तो उनको लाने और उपस्थित करने के लिए सुविधा देंगे।”

“अच्छी बात है।”

अब नरेन्द्र ने शेखरानन्द को आज्ञा दी कि वह अभियोग उपस्थित करे। शेखरानन्द ने एक कागज में से पढ़ना आरम्भ किया, “नन्दलाल, सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ पुलिस दिल्ली, ने जब से अपनी पदवी का भार सँभाला है, दिल्ली नगर के लोगों पर घोर अत्याचार किए हैं। उन सबका उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं। वे इतने अधिक हैं कि उनको लिखने में तो महाभारत के बराबर ग्रन्थ बन जाएगा। इस कारण इस स्थान पर केवल तीन ऐसे अपराधों को उपस्थित करूँगा जिनके सिद्ध होने से इसको भारी-से-भारी दण्ड दिया जा सकेगा। वे तीन अपराध ये हैं। एक, मेरे घर पर डाका डालना; दूसरा, बनवारी लाल सौदागर, चाँदनी चौक, दिल्ली के सुपुत्र कुन्दनलाल की हत्या करना और तीसरा अपराध है, दिल्ली के एक रईस लाला बनारसीदास के सुपुत्र इन्द्रजीत के विपरीत झूठे दोष लगा उसे पकड़वाकर कैद करवाना। इन तीनों अपराधों की गम्भीरता अत्यन्त बढ़ जाती है जब यह देखा जाय कि ये उदाहरण उन सैकड़ों अपराधों में से लिये गए हैं जो अपराधी नन्दलाल ने अपने थोड़े से नौकरी के समय में किए हैं। मैं एक-एक कर तीनों अपराधों के प्रमाण उपस्थित करता हूँ।

“मैं राजपुर रोड नम्बर १०५ में रहता था। दिसम्बर १९४४ की पाँच तारीख को सायंकाल नन्दलाल अपनी मोटर साइकल पर सवार हो वहाँ पहुँचा। मैं अपनी स्त्री मिलिन्द के साथ कोठी के गोल कमरे में बैठा था कि इसने बिना मुझसे स्वीकृति माँगे मेरे सम्मुख उपस्थित हो मेरा नाम, मेरी स्त्री का नाम और अन्य अनावश्यक प्रश्न पूछने आरम्भ कर दिए। ये सब प्रश्न इस प्रकार पूछे जा रहे थे कि मैं डरकर दिल्ली छोड़ भाग जाऊँ। इसने पूछा कि क्या मैं जमुना के पुल पर बम रखने वालों को जानता हूँ? क्या मैं चन्द्रशेखर आजाद का सम्बन्धी हूँ? मैं कितना इनकम-टैक्स देता हूँ? मेरा यहाँ जामिन कौन है? इत्यादि।

“जब मैंने इन प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार किया तो बोला कि मैं इसका कैदी हूँ। मैंने इस बात से इनकार किया तो मुझे पकड़ने के लिए पुलिस का दस्ता लेकर पहुँच गया। परन्तु मैं और मेरी स्त्री वहाँ से दूर हट चुके थे। हमें वहाँ न देख इसने हमारी कोठी लूट ली। मेरी स्त्री के आभूषण भी इस लूट में ले लिये गए। कोठी का सब सामान, मेरी किताबें और हमारे कपड़े तक सब लूटकर ले जाए गए और फिर दूसरे दिन हमारी कोठी में एक और पुलिस-अफसर रख दिया

गया।

“मेरी इस कथा की सत्यता का प्रमाण मेरे पास एक चिट्ठी है। यह चिट्ठी नन्दलाल ने डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस दिल्ली, पं० रघुवरदयाल, के नाम लिखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्टी साहब को मेरी कोठी लूटने और उसमें जबरदस्ती एक दूसरे पुलिस अफसर को बसाने की बात विदित हो गई थी और उनको यह पसन्द नहीं था। उन्होंने नन्दलाल को डाँटा होगा और यह चिट्ठी उनकी डाँट के उत्तर में लिखी गई प्रतीत होती है। नन्दलाल इस चिट्ठी में लिखता है—

‘जनाब, मैं आपकी चिट्ठी (D. O.) के उत्तर में इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह जो कुछ मैंने किया है और जिसका प्रमाण, आपके कहने के अनुसार आपके पास मौजूद है, मैंने एक सरकारी अफसर के लिए कोठी खाली कराने के लिए किया है। हम पुलिस वाले अगर सरकारी अफसरों की इतनी सहायता नहीं कर सकते तो हम कैसे अपनी तनखाह और अपने ओहदे की कीमत अदा कर सकते हैं। पुलिस-अफसर का सबसे पहला फर्ज यह है कि वह सरकार के प्रबन्ध को ढीला न होने दे और अगर सरकार को मजबूत बनाना है तो सरकारी अफसरों को सब प्रकार की सुविधाएँ पहुँचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मैंने जो कुछ किया है सरकार की छिदमत के खयाल से किया है। रही बंगले को लूटने की बात। यह तो सिर्फ नीति की बात है। यदि शेखरानन्द का सामान वहाँ पड़ा रहता तो भला मेहरचन्द्र को वहाँ कैसे बसा सकता था? उसे वहाँ ले जाने से पूर्व बंगला बिलकुल खाली होना चाहिए था।

‘जनाब, मैं आपके सामने सब बात साफ-साफ कह देना चाहता हूँ। मैं थोड़ी-सी ईमानदारी की खातिर कानूनी-शिकंजे में फँस-जाने से बेईमानी कर कानून की नजर में ईमानदार बनना बेहतर समझता हूँ। हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कानून की नजर में ईमानदार बनना ही ईमानदारी है। जो बेईमानी पकड़ी नहीं जा सकती वही ईमानदारी है। सारा पुलिस का महकमा इस उसूल की बात को जानता है और मैंने भी इसके मुताबिक ही काम किया है— नन्दलाल।’

“यह चिट्ठी नन्दलाल ने जिस नौकर के हाथ डिप्टी साहब को भेजी थी, उसने इसे चुराकर हमारे पास पहुँचा दिया है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि अपराधी ने मेरे मकान को लूटा है।”

इतना कह शेखरानन्द ने वह पत्र न्यायाधीश नरेन्द्र को दे दिया। नरेन्द्र ने शेखरानन्द से पूछा, “इस प्रथम अभियोग के सम्बन्ध में आपको कुछ और कहना है?”

“नहीं। मैं समझता हूँ कि यह पत्र ऐसा प्रमाण है कि और अधिक प्रमाण देने

की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अभियोगों के विषय में मुझे अभी कुछ कहना है।”

“मैं चाहता हूँ कि पहले इतनी बात सिद्ध हो ले। शेष इसके पश्चात् देखा जाएगा।”

नरेन्द्र ने नन्दलाल को सम्बोधन कर पूछा, “तुमने यह पत्र सुना है?”

“हाँ।”

“इसके विषय में तुम कुछ कहना चाहते हो?”

“हाँ, यह पत्र मेरा लिखा नहीं है। मैं इसे नहीं जानता।”

नरेन्द्र ने वह पत्र रेवतीदेवी को दिखाकर पूछा, “आप इस पत्र की लिखावट को पहचानती हैं?”

“हाँ, यह बाबू नन्दलाल का लिखा है।”

नरेन्द्र ने नन्दलाल में पूछा, “देखो, नन्दलाल, जानते हो यह कौन बैठी हैं?”

“हाँ, किसी समय मेरी स्त्री थी, मगर...।”

नरेन्द्र ने बात बीच में काटकर पूछा, “मगर-वगर को छोड़ो। यह कहती हैं कि इस चिट्ठी के लिखने वाले तुम हो।”

“यह झूठ बोलती है।”

“यह कसम ले चुकी हैं कि इस मुकदमे में निष्पक्ष रहकर सत्य, न्याय और धर्म के अनुकूल निर्णय देंगी।”

“फिर भी यह झूठ कहती हैं।”

इस पर नरेन्द्र ने शेखरानन्द से कहा, “रेवतीदेवी के कथन का समर्थन किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी द्वारा होना चाहिए।”

शेखरानन्द इसके लिए तैयार था। उसने कहा, “मैं अपने साथ नन्दलाल के उस नौकर को लाया हूँ जिसे चिट्ठी देकर डिप्टी साहब के घर भेजा गया था।” शेखरानन्द ने अर्ध-चन्द्राकार पंक्ति के एक सिरे पर बैठे एक आदमी को सम्मुख उपस्थित होने को कहा। वह आदमी उठकर सम्मुख आ खड़ा हुआ।

वह गढ़वाल का रहने वाला प्रतीत होता था। पायजामा, कुर्ता और टोपी पहने था। शेखरानन्द ने उससे प्रश्न पूछने आरम्भ किए। उसने शपथ लेने के पश्चात् उत्तर देने आरम्भ किए। शेखरानन्द ने पूछा, “तुम्हारा क्या नाम है?”

“देवकीनन्दन।”

“क्या काम करते हो?”

“चपरासी का काम करता था।”

“कहाँ?”

“नन्दलाल, सुपरिण्टेंडेण्ड पुलिस दिल्ली के घर पर।”

“कब से वहाँ काम करते थे?”

“डेढ़ वर्ष से।”

“पंडित नन्दलाल को पहचान सकते हो ?”

“जी, वह सामने खड़े हैं।”

इस पर शेखरानन्द ने नरेन्द्र से चिट्ठी लेकर पूछा, “इस चिट्ठी को पहचानते हो ?”

“जी।”

“कैसे पहचानते हो ?”

“दो महीने के लगभग हुए हैं कि पंडित जी ने यह चिट्ठी देकर मुझे डिप्टी रघुवरदयाल जी के घर भेजा था।”

“यह चिट्ठी खुली थी ?”

“नहीं, एक लिफाफे में बन्द थी। उस पर मुहर लगी थी, परन्तु मैंने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ ली थी और पढ़कर डिप्टी साहब को उसकी नकल ही दी थी। असल बाबू बृजबिहारी को दे दी थी।”

“ऐसा क्यों और कैसे किया ?”

“बाबू बृजबिहारी भारत-स्वराज्य-संस्थापन-समिति के एक अधिकारी हैं और मैं उसका सदस्य हूँ। वास्तव में समिति ने मुझे पं० नन्दलाल पर जासूसी करने के लिए नियुक्त किया हुआ था। यह मेरा काम था कि प्रत्येक चिट्ठी जो उसकी आती थी या जो वह किसी को भेजता था स्वराज्य-संस्थापन-समिति के दफ्तर में ले जाऊँ। वहाँ वह खोलकर पढ़ ली जाती थी। कभी असली चिट्ठी, कभी उसकी नकल आगे भेजी जाती थी। समिति के कार्यालय में पं० नन्दलाल के हस्ताक्षर करने का अभ्यास किया गया था। इस चिट्ठी को भी मैं समिति के दफ्तर में ले गया था। वहाँ खोलकर पढ़ी गई थी। फिर मैंने इस चिट्ठी की नकल कराई थी। इससे मैं इसे पहचानता हूँ।”

“तुमने इस चिट्ठी को अब सुना है ?”

“जी।”

“तो यही चिट्ठी है जो पं० नन्दलाल ने डिप्टी साहब को भेजी थी ?”

“जी हाँ, मुझे भली-भाँति स्मरण है। यह वही चिट्ठी है।”

पश्चात् नरेन्द्र ने नन्दलाल को देवकीनन्दन पर जिरह करने के लिए स्वीकृति दे दी।

नन्दलाल ने देवकीनन्दन से पूछा, “तुम हर रोज कितनी चिट्ठियाँ चुराया करते थे ?”

“यों तो आपकी डाक काफी बड़ी होती थी, परन्तु मुझे यह आदेश था कि लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और कानपुर से आने वाले पत्र ही समिति के दफ्तर में ले जाऊँ। आपके लिखे तो प्रायः सब पत्र वहाँ जाते थे। वहाँ पर देख लिया जाता था कि कौन-सा पत्र खोलना है और कौन-सा नहीं खोलना।”

“इस काम में कितनी देरी लग जाती थी ?”

“आने-जाने का समय छोड़कर एक पत्र पढ़ने में दो-तीन मिनट से अधिक नहीं लगते थे । जो पत्र दस्ती जाते थे उनको सबसे पहले देखा जाता था । वे प्रायः वैसे ही बन्द कर वापस कर दिए जाते थे । जब किसी पत्र की नकल करनी होती थी तो कुछ समय अधिक लग जाता था और यह कभी-कभी होता था ।”

“तुम कुछ पढ़े-लिखे हो ?”

“जी हाँ । मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूँ ।”

“ग्रेजुएट ?”

“जी हाँ । आप समझते थे कि मैं अनपढ़ हूँ । वास्तव में ऐसा नहीं है । मैंने चंपरासी की नौकरी समिति के आदेश पर की थी ।”

“समिति तुमको क्या वेतन देती थी ?”

“कुछ नहीं । उसका काम अवैतनिक करता था ।”

नन्दलाल ने नरेन्द्र को सम्बोधन कर कहा, “देवकीनन्दन का कथन सर्वथा असत्य और अस्वाभाविक है । यह मेरा कभी नौकर नहीं रहा ।”

नरेन्द्र ने कुछ सोचकर स्वयं प्रश्न पूछने आरम्भ किये । उसने पूछा, “क्या यह असत्य है कि तुमने शेखरानन्द की कोठी पर अधिकार किया था ?”

“मैंने अधिकार नहीं किया था । कोठी नम्बर १०५ खाली पड़ी थी । उसे सरकार की ओर से ले लिया गया है और एक सरकारी अफसर को वहाँ ठहराया गया है ।”

“यह चिट्ठी जो शेखरानन्द ने पढ़कर सुनाई है तुम्हारी लिखी है या नहीं ?”

“नहीं ।”

: १५ :

अब नरेन्द्र ने शेखरानन्द को दूसरा अभियोग उपस्थित करने को कहा । शेखरानन्द ने कहा, “अब मैं माननीय न्यायाधीश के सम्मुख इन्द्रजीत, पुत्र लाला बनारसीदास, का मामला उपस्थित करना चाहता हूँ । २० जनवरी, १९४३ को हरिद्वार से डिप्टी रघुवरदयाल ने यह तार नन्दलाल को भेजा था । इसके ऊपर दिल्ली तार-घर की मुहर लगी है । तार में लिखा है—‘इन्द्रजीत और कमला को अकेले पाया । वे सब बातों से अनभिज्ञ हैं ।’ यह तार नन्दलाल के दफ्तर से मिली है । इस तार का इतिहास यह है—१९ जनवरी, १९४३ को नन्दलाल की स्त्री मनोरमा, जो अब रेवतीदेवी के नाम से प्रसिद्ध है, नन्दलाल का घर छोड़कर चली गई थी । नन्दलाल का विचार था कि इन्द्रजीत और कमला ने इन्हें छिपा रखा था । वे दोनों १९ तारीख को अपनी मोटर में सवार हो हरिद्वार गए थे । डिप्टी रघुवरदयाल भी उसी दिन सायंकाल इन्द्रजीत और कमला के पीछे हरिद्वार गए । उनका विचार भी यही था कि मनोरमा उनके साथ होगी । जब उन्होंने मनोरमा

को उनके साथ नहीं पाया तो यह तार हरिद्वार से इसे भेजा था। फिर भी नन्दलाल ने इन्द्रजीत को जब वह दिल्ली लौटा तो पकड़वा दिया। पहले 'डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल २६' के अधीन दो मास के लिए हवालात में रखा, उसके बाद रूल १२६ के अधीन अनिश्चित समय के लिए जेल भिजवा दिया। इन्द्रजीत की स्त्री कमला लाला हरवंशलाल की लड़की है। लाला हरवंशलाल डिप्टी रघुवर-दयाल के परम मित्र हैं। कमला की माँ ने मनोरमा की माँ अर्थात् डिप्टी साहब की स्त्री के सम्मुख रोया-गाया तो उसने कमला के पति इन्द्रजीत को छुड़ाने का वचन दे दिया, परन्तु वह सफल नहीं हुई। इस पर क्षमा माँगने के भाव में उसने अपनी सहेली, कमला की माँ, को चिट्ठी लिखी, जो यह है—

“बहन मोहिनी, मुझे लज्जा लग रही है। मैं अपने वचन के अनुसार इन्द्रजीत जी को छुड़ाने में सफल नहीं हो सकी। नन्दलाल को सन्देह है कि मनोरमा को छिपा रखने में इन्द्रजीत जी का हाथ अवश्य है। इससे वह हठ कर रहा है। उसने इन्द्रजीत जी के विरुद्ध मुकदमा इतना मजबूत बना दिया है कि कायदे से उनका छूट सकना प्रायः असम्भव है। मुझे क्षमा करना मैं कोई सेवा आपकी नहीं कर सकी। कमला मेरी लड़की के समान है, परन्तु डिप्टी साहब खुले तौर पर इन्द्रजीत जी की सहायता नहीं कर सकते। आप जानती हैं कि वह पुलिस-अफसर हैं और आज सरकार कितनी सतर्क है।—आपकी”

इस पत्र पर नन्दलाल ने आपत्ति उठाई। उसने कहा, “यह पत्र साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसका लिखने वाला जीता है और वह स्वयं न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है। इससे इस लिखित पत्र की पुष्टि लिखने वाले से करवानी चाहिए।”

शेखरानन्द ने इस विषय में कहा, “यह पत्र यदि अकेला ही प्रमाण होता तो पर्याप्त नहीं था, परन्तु मैं तो इस पत्र के साथ अन्य प्रमाण भी उपस्थित करने वाला हूँ। उनकी उपस्थिति में यह पत्र भी एक प्रमाण माना जा सकता है।”

शेखरानन्द ने अपने सम्मुख रखे कागजों के पुलिन्दे में से एक और कागज निकाला और उसे पढ़कर सुनाना आरम्भ किया। यह कागज नन्दलाल के अपने हाथ का लिखा हुआ था। इसमें नन्दलाल ने 'सेक्रेटरी टू दी चीफ कमिश्नर दिल्ली, के पास इन्द्रजीत के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी हुई थी। शेखरानन्द ने इस पर लिखी रिपोर्ट को पढ़कर बताया कि इन्द्रजीत को जब दो मास तक हवालात में रखा जा चुका था तो उसके विपरीत यह रिपोर्ट की गई थी। उसने कहा, “इस रिपोर्ट के पीछे चीफ कमिश्नर के सेक्रेटरी ने एक नोट लिखा है। वास्तव में वह नोट है जो सुनने-योग्य है। चीफ कमिश्नर के सेक्रेटरी मिस्टर शीन लिखते हैं, 'मिस्टर नन्दलाल ने यह दसवीं रिपोर्ट की है जिसमें किसी ठोस प्रमाण के बिना ही एक आदमी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रोक रखने की सिफारिश की है।

यद्यपि पहले लोगों के विषय में मैंने यह आपत्ति कभी नहीं उठाई तो भी यह ब्रेकायदगी अधिक देर तक चल नहीं सकती। मैं इसे अब और अधिक सहन नहीं कर सकता। मैं चीफ कमिश्नर साहब से सिफारिश करता हूँ कि इन्द्रजीत को छोड़ दिया जाए।’

“इस नोट के नीचे चीफ कमिश्नर ने अपनी आज्ञा लिखी है। ‘मिस्टर शीत का नोट ठीक होते हुए भी उचित नहीं है। आजकल के जमाने में जब एक ओर विश्व-व्यापी महान् युद्ध चल रहा है और दूसरी ओर विद्रोह की आग देश-भर में व्यापक हो रही है, पुलिस के अफसरों पर काम का बोझ बहुत अधिक है और उनसे योग्यतापूर्ण न्याय की उतनी आशा नहीं करनी चाहिए जितनी कि साधारण काल में की जाती है। मैं समझता हूँ कि किसी एक-आध निरपराध के पकड़े जाने में उतना नुकसान नहीं है, जितना सन्देह में किसी एक भी विद्रोही का जेल से बाहर रह जाना भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है। आखिर पुलिस-अफसरों पर इतना भरोसा करना ही होगा कि वे भली-भाँति विचार कर ही कार्य करते होंगे। इस कारण मैं इन्द्रजीत को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रोक रखने की आज्ञा देता हूँ।”

शेखरानन्द ने अब कहा, “मैं समझता हूँ कि यह प्रमाण जब डिप्टी रघुवर-दयाल के तार और डिप्टी साहब की स्त्री के पत्र के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो नन्दलाल का इन्द्रजीत का अकारण चालान करने में सन्देह ही नहीं रह जाता है।”

अब नरेन्द्र ने फिर नन्दलाल से पूछा, “इस विषय में तुम्हें कुछ कहना है?”

“नहीं।”

नरेन्द्र ने शेखरानन्द को आगे कहने की आज्ञा दे दी। उसने अब अर्ध-चन्द्राकार पंक्ति में बैठे एक और आदमी को सम्बोधन कर कहा, “लाला बनवारीलाल, अब आप आ जाइए।”

वह आदमी अपने स्थान से उठकर, नन्दलाल के समीप, सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसे देख नन्दलाल के शरीर में एक बार तो कँपकँपी उत्पन्न हो गई। शेखरानन्द ने बनवारीलाल पर प्रश्न करने आरम्भ कर दिए। उसने पूछा, “आपका क्या नाम है?”

“बनवारीलाल।”

“कहाँ के रहने वाले हैं?”

“गंदी गली दिल्ली में रहता हूँ।”

“क्या काम करते हैं?”

“चाँदनी चौक बाजार में बिसाती की दूकान करता हूँ।”

“आपके कितने लड़के हैं?”

“एक था। नाम चरणदास था।”

“उसका देहान्त कैसे हुआ था ?”

“इस वर्ष जनवरी मास की छठी तारीख की बात है। नन्दलाल हमारी दूकान पर मौजे खरीदने आया। इसने छः जोड़े मौजे चुन लिये। मैंने एक कागज में लपेट बाँध दिए, जिन्हें लेकर यह बिना मोल दिए चल पड़ा। मेरा लड़का चरणदास समीप ही बैठा था। उसने दूकान से उतरकर, इसको पकड़, दाम माँगे। इस पर यह लौटकर दूकान के सामने आ कहने लगा, ‘लाला, मैंने दस का नोट दिया है। ये तो साढ़े सात रुपये के हुए न, शेष दो रुपये आठ आने वापस करो।’ मैंने बहुत नम्रता से कहा, ‘आपने अभी कुछ नहीं दिया।’ इस पर तो नन्दलाल गाली देने लगा और कहने लगा कि मैंने हरामजदगी की है। मेरे लड़के को क्रोध चढ़ आया। उसने इसे पकड़कर कहा कि तह बिना दाम लिये छोड़ेगा नहीं। इस पर इसने दो कान्स्टेबलों को, जो वहाँ गश्त लगा रहे थे, बुलाकर चरणदास को पकड़वा थाने में भेज दिया। मैंने मजिस्ट्रेट के पास पहुँच जमानत लेने को कहा। वह जमानत नहीं ले सका। मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में बहुत काँट-छाँट की जा चुकी थी। मैंने लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन करने का निश्चय कर लिया था, परन्तु उसी रात के दो बजे के लगभग दो कान्स्टेबल और चार मजदूर चरणदास के शव को हमारी गली के बाहर रखकर चले गए।”

इसके पश्चात् शेखरानन्द ने एक और को जो पंक्ति में बैठा था; उठाकर उपस्थित किया। बनवारीलाल अपने स्थान पर जा बैठा।

शेखरानन्द ने इस आदमी से, जो अब आकर खड़ा हुआ था, पूछना आरम्भ कर दिया। वह बोला, “नाम क्या है तुम्हारा ?”

“बुधिया कहार।”

“क्या काम करते हो ?”

“चाँदनी चौक बाजार में झल्ली उठाता हूँ।”

“इस आदमी को पहचानते हो ?”

“जी हाँ। ये दिल्ली के थानेदार हैं।”

“इस वर्ष जनवरी के महीने में तुम्हें थाने में बुलाया गया था ?”

“जी हाँ, मुझे याद है। मैं और मेरे साथ तीन आदमी और पकड़कर बुलाए गए थे। दो सिपाही आए और हमें हथकड़ी लगाकर थाने में ले गए। हमें इनके सामने पेश किया गया। इन्होंने एक कागज उठा पढ़ना शुरू कर दिया। हम कुछ नहीं समझे। जब ये पढ़ चुके तो मैंने कहा, ‘हजूर, मैं नहीं समझा।’ इस पर आप बोले, ‘कह तो दिया कि तुम चोरी के मामले में पकड़े गए हो।’ मैंने कहा, ‘मैंने चोरी नहीं की।’ इस पर ये बोले, ‘साले, झूठ बोलता है।’

“हम सब चुप थे और नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। इस पर वह कान्स्टेबल, जो हमको पकड़कर लाया था, बोला, ‘देखो, मैं तुम्हें छूटने का एक

तरीका बताता हूँ।' हम सब उसकी तरफ देखने लगे। वह बोला, 'अगर आज रात तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँ तो कल तुम छोड़ दिए जाओगे। और अगर तुम इस विषय में चुप रहोगे तो फिर इस चोरी के मामले में तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा।'

"रात के दो बजे होंगे कि हमें एक लाश दिखाई गई और कहा गया कि इसे उठाकर चलो। हम मजबूर थे। उठाकर चल पड़े। वे दोनों कान्स्टेबल, जो हमें पकड़कर लाए थे, साथ थे। वह लाश फतहपुरी गंदी गली के बाहर लाकर रखवा दी गई और हमें यह धमकी देकर भगा दिया गया कि यदि यह घटना किसी को बताई तो चोरी के मामले में फिर पकड़ लिये जाओगे।"

इसके पश्चात् नन्दलाल को पहचानने वाले तथा बनवारीलाल के लड़के की मृत्यु के साक्षी बारी-बारी से उपस्थित हुए और अपनी-अपनी साक्षी देकर अपने स्थान पर जा बैठे। अब नरेन्द्र ने नन्दलाल को सम्बोधन कर पूछा, "तुम इन सबके विषय में क्या कहना चाहते हो?"

नन्दलाल इन सब साक्षियों तथा प्रमाणों के अपने विरुद्ध लाए जाने से भयभीत हो कांप उठा था। वह लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, "पर तुम मुझपर मुकदमा करने वाले कौन हो? तुम्हारा क्या अधिकार है कि एक सरकारी अफसर को इस प्रकार पकड़कर उसे कष्ट दो? मैं तुम सब लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि यह कार्यवाही सरकार से विद्रोह करना है और इसकी सजा फांसी तक हो सकती है।"

"हम यह जानते हैं," नरेन्द्र का उत्तर था, "परन्तु क्या तुम यह बता सकते हो कि ब्रिटिश सरकार का किसी हिन्दुस्तानी को पकड़कर बिना मुकदमा किए जेलखाने में बन्द कर रखने का अधिकार क्यों है? देखो, नन्दलाल, मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार बना लिया है। इस कारण नहीं कि यह न्याय के अनुकूल है, प्रत्युत इसलिए कि ब्रिटिश सरकार के पास इसको चलाने की शक्ति है। अंग्रेजों ने नेपोलियन को इस कारण कैद नहीं कर लिया था कि उसका कोई दोष सिद्ध हो गया था, प्रत्युत इस कारण कि युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई थी। तुम्हारे मालिक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए अधिकार बना लेते हैं, तो न्याय की विजय करने के लिए भला अधिकार क्यों नहीं बन सकते? तुम हमें अपनी सरकार से निर्बल समझते हो न? इसीलिए कहते हो हमारा अधिकार नहीं। मैं कहता हूँ कि न्याय के नाते तुम अपराधी हो और इस समय हम तुम सरीखे अपराधी को दण्ड देने की शक्ति भी रखते हैं। बाद में हमारी शक्ति तुम्हारी सरकार के समान होगी, अधिक होगी या कम होगी, परीक्षा से ही पता चलेगा। अभी तो मैंने तुम पर लगाए अभियोगों और उन पर प्रमाणों को सुना है। इनसे तो तुम अपराधी सिद्ध होते हो। यदि तुम अपने को अपराधी नहीं मानते तो इन अभियोगों का उत्तर

दे सकते हो। केवल यह कह देना कि मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। न ही तुम्हारी यह धमकी कि तुम्हारी सरकार मुझे फाँसी पर लटका देगी मुझे न्याय-संचालन से विचलित कर सकेगी। बताओ, तुम कुछ कहना चाहते हो?"

नन्दलाल अनिश्चित-सा खड़ा रह गया। नरेन्द्र ने उक्त प्रश्न तीन बार दोहराया। नन्दलाल ने तीसरी बार पूछे जाने पर कहा, "मैं तुमको मुझे दंड देने का अधिकारी नहीं मानता।"

इसके पश्चात् उसने कुछ अधिक नहीं कहा। नन्दलाल, जो अभी तक पंचायत के सम्मुख खड़ा था, अब बैठ गया। इस पर नरेन्द्र ने अपने दोनों मंत्रणा देने वाले सहायकों से कहा, "मैं समझता हूँ कि दोषी को कुछ नहीं कहना है। इस कारण मैं आपसे राय करने के लिए आपको पृथक् में आमंत्रित करता हूँ।"

: १६ :

तीनों उठकर उस कुटिया के अहाते से बाहर चले गए। नरेन्द्र की रेवती के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की बात आज प्रातः ही प्रतीत हुई थी, इस कारण वह इसका अभिप्राय नहीं समझ सका था। न ही वह इस विषय में रेवती के विचार जान सका था। रेवती के चुपचाप न्यायाधीश के पद पर आ बैठने से वह यह समझा था कि रेवती नन्दलाल को बचाने का यत्न करेगी। परन्तु सारी कार्य-वाही में उसने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया, प्रत्युत उसके विरुद्ध साक्षी दी थी। अब जब सब एकान्त में नाले के किनारे पर पहुँचे तो नरेन्द्र ने सबसे प्रथम रेवती से ही पूछा, "रेवतीदेवी, आप बाबू नन्दलाल के विषय में क्या समझती हैं?"

"मैं उन्हें अपराधी समझती हूँ, परन्तु अच्छा होता यदि पहले बाबू वसन्त-कुमार राय देते।"

वसन्तकुमार ने कहा, "अपराधी तो मैं उसे मानता ही हूँ, परन्तु यदि रेवती-देवी कहें तो साधारण-सा दंड देकर छोड़ा जा सकता है।"

"मेरे कहने से क्यों?" रेवतीदेवी ने कुछ उद्विग्न होकर पूछा।

"आपका उसके साथ रियायत करने को कहना स्वाभाविक ही है।"

इस पर नरेन्द्र ने पूछा, "आप उसके अपराध को कितने दण्ड के योग्य समझते हैं?"

वसन्तकुमार कहने लगा, "उसका अपराध तो उसे फाँसी पाने के योग्य बनाता है, परन्तु रेवतीदेवी से उसके सम्बन्ध का भी ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ कि यदि वह अपने पूर्ण पाप-कर्मों के लिए क्षमा माँगे और प्रायश्चित्त करने पर उद्यत हो तो उसे जीवित रहने देना चाहिए।"

"इस जीवन-दान पाने के लिए वह क्या प्रायश्चित्त करे?"

"यह रेवतीदेवी निश्चय कर दें।"

“परन्तु मैं तो उसका जीवित रहना उचित नहीं समझती। वह कभी भी समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकता,” रेवतीदेवी का उत्तर था।

“यह आप कैसे कह सकती हैं?” नरेन्द्र ने अचम्भे में पूछा। उसके विस्मय करने में कारण था। वह अपने पति को फाँसी का दण्ड देना चाहती थी।

रेवतीदेवी ने कुछ काल तक सोचकर कहा, “मैं अपने अनुभव से ही तो यह कह रही हूँ। उसकी आत्मा इतनी कलुषित है कि उससे कभी भी कोई भला उद्गार प्रादुर्भूत होने की आशा नहीं।”

“क्या यह सम्भव नहीं,” नरेन्द्र ने पूछा “कि उसकी आत्मा का मैल उस वातावरण के कारण हो जिसमें वह रहता था? यदि वह अपना काम, संगी-सार्थी और स्थान बदलने को तैयार हो जाए तो उसकी आत्मा भी निर्मल हो सकती है।”

“मुझे इसकी आशा नहीं।”

“फिर भी हमें उसे अवसर देना चाहिए। यदि वह अपने को सुमार्ग पर लाने के लिए मान जाए तो क्या उसे मंगोलिया में हवाई अड्डे पर भेज देने से कोई हानि होने का डर है?”

“वह अपने को शोषक श्रेणी में मानता है और दूसरों के शोषण को अपना अधिकार मानता है। मुझे उसके सुधरने की आशा नहीं। इसके अतिरिक्त वह हमारी समिति के मध्य में एक भयंकर भेदिया भी बन सकता है, और किसी समय समिति के विनाश का कारण बन सकता है।”

रेवतीदेवी को इस प्रकार युक्ति करते देख बसन्तकुमार ने कहा, “हाँ, यह बात तो विचारणीय है, उसे हमारे बहुत से भेद विदित हो चुके हैं।”

नरेन्द्र ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, “ये बातें सोचनी न्यायाधीश का काम नहीं। यह तो प्रबन्ध-कर्ता का काम है कि कोई व्यक्ति, जिसे हम जीवन-दान दे रहे हैं, कैसे हानि करने से रोका जा सकता है। हम यदि यह समझें कि कोई व्यक्ति यह अधिकार रखता है कि वह खुले बाजार दिल्ली में घूम सके तो हम इसकी घोषणा कर देंगे। प्रबन्ध-कर्ता उसके निर्विघ्न वहाँ घूमने का प्रबन्ध कर सकता है या नहीं, इसका विचार करना हमारा काम नहीं।”

रेवतीदेवी ने कहा, “इसी कारण तो मैं यह कह रही हूँ, कि न्याय तो न्याय के आधार पर करना चाहिए। मेरे उससे सम्बन्ध का आपके निर्णय पर प्रभाव नहीं होना चाहिए।”

“हाँ, नरेन्द्र का कहना था, “परन्तु न्याय क्या है, इसके निर्णय में यह तो देखना ही होगा कि न्याय कल्याण के लिए होता है। जो कल्याणकारी नहीं, वह न्याय नहीं।”

“किसका कल्याण?”

“समाज का कल्याण, या यों कहो कि अधिक लोगों का अधिक काल के लिए कल्याण। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि यदि नन्दलाल तुम्हें साथ लेकर कहीं विदेश में चला जाय तो उसके वहाँ रहने में उसके और अनेकों अन्य लोगों के कल्याण होने की आशा है।”

“मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी।”

“बात स्पष्ट है। मृत्यु-दंड तो केवल उस समय ही देना चाहिए जब उसके बिना और कोई उपाय ही न सूझता हो। जब तक मनुष्य जीता है तब तक उसके सुधरने की आशा की जा सकती है। जब तक सुधरने की आशा है तब तक उसे जीने का अधिकार है।”

“आप ठीक कहते हैं, परन्तु यह तो अपने-अपने अनुमान की बात है। मेरा पूर्व अनुभव है कि वह सुधर नहीं सकता। इसके अतिरिक्त मैं तो यह कहती हूँ कि मैं उसके साथ विदेश या और कहीं नहीं जाऊँगी। वह स्वयं भी आपकी आज्ञा से कहीं जाएगा या नहीं, मैं नहीं जानती। इस समय मृत्यु से बचने के लिए और बाद में हम सबको सरकार के हाथ में फँसा देने के लिए भले ही वह आपकी बात मान जाए। वास्तव में न तो उसे अपने किए पर पश्चात्ताप है और न ही वह अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित्त करने को तैयार है। मैं तो उसे प्राण-दण्ड दिए जाने की सिफारिश करती हूँ।”

“ठीक है। फिर भी अपनी आत्मा के सम्मुख सफाई के लिए मैं यह उचित समझता हूँ कि उसे अपने किए पर पश्चात्ताप करने के लिए अवसर दिया जाए। मैं स्वयं उसको कहता, पर शायद आपके कहने और समझाने का प्रभाव ठीक हो। इससे यदि आप उसके सम्मुख यह प्रस्ताव रखें कि वह एक पत्र में अपने किए हुए पाप-कर्मों को माने, उनके लिए पश्चात्ताप करे और फिर उनके बदले में प्रायश्चित्त करने के लिए रश्चि प्रकट करे, तो मैं उसे १० वर्ष के लिए किसी विदेश में वास करने के लिए भेज सकता हूँ।”

रेवतीदेवी इस प्रस्ताव से गम्भीर विचार में पड़ गई। नरेन्द्र ने समझा कि शायद वह नन्दलाल को जीवन बचाने का अवसर देना नहीं चाहती। इससे उसकी आत्मा की छिपी आवाज उसे कह रही थी कि उसके मार्ग का काँटा ही तो दूर हो रहा है। वह ऐसा समझने लगा था कि रेवतीदेवी नन्दलाल के जीवन-काल में उससे विवाह के लिए मान नहीं सकती और अब उसको दूर हटाने का अवसर पाकर इसे व्यर्थ गँवाना नहीं चाहती। इससे उसको भीतर-ही-भीतर प्रसन्नता हो रही थी, परन्तु वह इसे प्रकट नहीं होने देना चाहता था। साथ ही दया के भाव से प्रेरित हो वह किसी मनुष्य को जीने का पूरा अवसर देना चाहता था। अतएव, रेवती को चुप देख, बोला, “रेवतीदेवी, यदि आप स्वयं उससे बातचीत करना नहीं चाहती तो मैं ही जाकर कर लेता हूँ।”

“नहीं, नहीं ! यह बात नहीं। मुझे उससे भय नहीं लगता। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी।”

इतना कह वह कुटिया में, जहाँ शेष लोग खड़े थे, चली आई। नन्दलाल अभी भी भूमि पर बैठा था और रामेश्वर उसके पीछे बंदूक लिये खड़ा था। रेवतीदेवी ने वहाँ पहुँचकर कहा, “रामेश्वर भैया, इसे कमरे के भीतर ले आओ।”

रामेश्वर ने उसे बाँह से पकड़कर कहा, “नन्दलाल बाबू, उठो।” वह उसे रेवतीदेवी वाले कमरे में ले आया। नन्दलाल चुपचाप उसके सामने आ खड़ा हुआ। रेवतीदेवी ने रामेश्वर से कहा, “भैया, तनिक बाहर हो जाओ।”

रामेश्वर कमरे से बाहर कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। जब वह उनकी बातों की आवाज से दूर हट गया तो नन्दलाल ने पूछा, “क्या बात है, मनोरमा ?”

“मैं न्यायाधीश का एक सन्देश लेकर आई हूँ।”

“क्या ?”

“यदि तुम स्वीकार करो कि तुम, भारतवर्ष से बाहर, मंगोलिया में जाकर शेष जीवन व्यतीत करोगे तो न्यायाधीश तुम्हें जीवन-दान देने को तैयार है।”

“और यदि मैं न मानूँ तो ?”

“तो तुम्हें प्राण-दंड होगा।”

“मेरी क्या गारण्टी है कि मैं बाहर जाऊँगा ही और फिर जाकर वापस नहीं लौटूँगा ?”

“तुम्हारे बाहर जाने की गारण्टी तो यह है कि तुम हमारे कर्मचारियों की देखरेख में ही जाओगे और वहाँ से लौटने की बात असम्भव है क्योंकि वहाँ से वापस आने का मार्ग ही नहीं है। जिस स्थान पर हम तुम्हें भेजेंगे वहाँ पर हमारे लोग हैं। वे तुम्हारी पहरेदारी करेंगे।”

“तो इसका यह अर्थ हुआ कि तुम लोग मुझे जीवित ही कब्र में दबा देना चाहते हो।” फिर कुछ सोचकर बोला, “मैं इसके लिए तैयार हूँ, यदि तुम मेरे साथ चली चलो तो।”

“मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ ?”

“तुम मेरी स्त्री हो इसलिए।”

“मैं तुमसे सम्बन्ध-विच्छेद कर चुकी हूँ।”

“क्यों ?”

“तुम्हारा और मेरा विवाह भूल थी।”

“कुछ भी हो। कानून से तुम मेरी स्त्री हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए।”

“न्याय और धर्म के अनुसार मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी।”

“क्या मैं यह समझूँ कि तुमने किसी दूसरे से विवाह कर लिया है ?”

“यह पूछने का तुम्हारा अधिकार नहीं है।”

“तो मेरी धारणा सत्य है कि तुम नरेन्द्र की पत्नी बन गई हो ?”

“सदैव की भाँति तुम्हारी मति भ्रष्ट हो रही है।”

“और तुम्हारी मति शुद्ध है जो पर-पुरुष के साथ रहती हो ?”

“मैं तो यह कहने आई थी कि तुम गोली से मारे जाने के स्थान पर देश-निर्वासन को पसन्द करोगे या नहीं और तुम पूछने लगे मुझसे कि मैं तुम्हारी खातिर देश से निर्वासित होना पसन्द करती हूँ या नहीं। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।”

“पर, मनोरमा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए नरक में भी जाने को तैयार हूँ।”

“कितना झूठ है यह ! तुम मेरे लिए पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। नरक में जाने की बात तो बहुत दूर की है।”

“वह तो मैंने अभी भी नहीं छोड़ी और शायद कभी नहीं छोड़ूँगा।”

“तो तुम्हें प्राण-दंड मिलेगा।”

“परन्तु तुम्हें दंड देने से पूर्व नहीं। देखो, मनोरमा, जब से मैंने तुम्हें यहाँ देखा है, ईर्ष्या से जल रहा हूँ। मुझे अपने मरने का भय नहीं, परन्तु मैं तुम्हें किसी दूसरे की पत्नी बनी नहीं देख सकता। बताओ, तुम मेरे साथ मंगोलिया चलोगी या नहीं ? यदि चलो तो मैं अपने कर्मों पर पश्चात्ताप भी कर सकता हूँ। वहाँ तुम्हारे साथ में होने से मैं भागकर निकल जाने का साहस कर सकूँगा।”

“यह सब असम्भव है। ऐसा नहीं हो सकेगा।”

“क्यों ?”

“मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और फिर तुम...।”

इससे आगे वह नहीं कह सकी। नन्दलाल ने रेवतीदेवी को गर्दन से पकड़ लिया और उसका गला घोट देने के लिए जोर लगाने लगा। वह कह रहा था, “नहीं जाओगी तो लो...।”

रामेश्वर दूर खड़ा था, परन्तु वह दोनों को देख रहा था और ज्यों ही नन्दलाल के हाथ रेवतीदेवी के गले पर गए, उसने बंदूक उठाई, निशाना साधा और खट से फायर कर दिया। इसमें भी बीस सँकण्ड तक लभ गए और इतने में रेवतीदेवी अधगरी अवस्था में हो गई थी। ज्यों ही नन्दलाल भूमि पर गिरा, साथ ही रेवतीदेवी भी भूमि पर अचेत गिर पड़ी। नन्दलाल के सिर में गोली लगी थी और वह तुरन्त मर गया था। गोली चलने का शब्द सुनकर नरेन्द्र, बसन्तकुमार और अन्य लोग, जो कुटिया के बाहर खड़े वहाँ का दृश्य देख रहे थे, भागकर वहाँ पहुँचे। एक क्षण में ही सब बात स्पष्ट हो गई और नरेन्द्र तथा रामेश्वर रेवतीदेवी को होश में लाने का यत्न करने लगे।

: १७ :

उक्त घटना के तीन दिन पश्चात् की बात है कि दिल्ली में नन्दलाल के बँगले पर डाका पड़ा।

जब से नन्दलाल दिल्ली से लापता हुआ था तब से ही डिप्टी रघुवरदयाल उसकी खोज करवा रहा था। रघुवरदयाल को विश्वास हो रहा था कि वह अपनी इच्छा से नहीं प्रत्युत विवश हो कहीं रुका हुआ है। खुफिया पुलिस के लोग उसे ढूँढ़ने का अत्यन्त यत्न कर रहे थे। नन्दलाल के बँगले पर पुलिस और खुफिया पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। नन्दलाल के दो-एक सम्बन्धी भी वहाँ आ पहुँचे थे। वे, नन्दलाल की मृत्यु की अवस्था में, उसकी सम्पत्ति पर अधिकार करने के लिए आये थे। पुलिस के लोग यह देखने के लिए नियत हुए थे कि कहीं नन्दलाल की सम्पत्ति चोरी न हो जाय।

रात के एक बजे की बात है। एक आदमी आया और बँगले का दरवाजा खटखटाने लगा। दो पुलिस कान्स्टेबल बाहर बरामदे में सो रहे थे। वे जाग उठे। एक आदमी भीतर था। वह भी आवाज सुन बाहर निकल आया। आने वाला कहने लगा, "कई बार टेलीफोन किया है, परन्तु यहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। इस कारण मैं आया हूँ। डिप्टी साहब ने कहा है कि आज रात को सचेत रहना चाहिए। खतरे की सूचना मिली है। साथ ही वह चाहते हैं कि इधर से टेलीफोन कर बताते रहें कि सब ठीक है।"

सब लोग भीतर टेलीफोन देखने चले गए। जो सूचना देने आया था वह भी उनके साथ भीतर चला गया। एक ने टेलीफोन उठाकर कान से लगाया और उसे बिगड़ा हुआ जान निराश हो वापस रख दिया। जिसने कहा था कि वह डिप्टी साहब की कोठी से आया है, वह कहने लगा, "यों तो इस बँगले के चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए हैं, फिर भी आपको सचेत करना आवश्यक समझा गया है।"

कोठी पर ठहरे हुए आदमी और पुलिस कान्स्टेबल इस अपरिचित के चारों ओर खड़े हो उसकी बात सुन रहे थे। तभी एकाएक दस आदमी, हाथों में रिवाल्वर लिये, कोठी में घुस आये। एक-एक को दो-दो ने पकड़कर, उनके मुख में कपड़ा ठूस, उनके हाथ-पाँव रस्सियों से बाँध दिए। यह सब काम इतनी शीघ्रता और फुर्ती से किया गया था कि घर से बाहर तक शब्द नहीं गया।

नन्दलाल के घर का जो कुछ भी सामान था तोड़-फोड़ डाला गया। नकदी और आभूषण उठा लिये गए और फिर बाहर बरामदे में नन्दलाल का मृत शव उस खाट पर लिटा दिया गया जहाँ कान्स्टेबल लेट रहा था। समीप एक लिफाफे में रखा पत्र रख दिया गया। इसके बाद सब लोग जैसे चुपचाप आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए।

कोठी में रहने वाले इतनी दृढ़ता से बाँधे गए थे कि दिन चढ़ने पर भी वे वैसे ही वहाँ पड़े रहे। कोई खिसककर भी बाहर नहीं निकल सका।

दिन के दस बजे के लगभग रघुवरदयाल वहाँ पहुँचा। वह नित्य प्रातःकाल टेलीफोन कर पहरेदारों से पूछ लिया करता था। किन्तु आज फोन किया तो वह मिला नहीं। टेलीफोन के दफ्तर से पूछने पर पता चला कि तार टूटी हुई है। इससे उसे सन्देह हो गया और वह अपनी मोटर में सवार हो वहाँ आ पहुँचा। वह बरामदे में खड़ा पुकारने लगा, “कोई है। कोई है।”

जब कोई नहीं बोला तो वह इधर-उधर देखने लगा। उसने देखा कि कोई खाट पर लेटा है और चादर से सिर-पैर-मुख ढका हुआ है। रघुवरदयाल ने चादर उठाई तो उसे नन्दलाल का शव दिखाई दिया, जिसे देख उसका हृदय धकधक करने लगा। उसने फिर जोर-जोर से पुकारा। फिर भी कोई नहीं बोला। अतएव दरवाजा खोल भीतर घुस गया। भीतर पहुँचते ही उसने चारों व्यक्तियों को हाथ-पाँव बँधे लेटे देखा। सबके मुख में कपड़ा ठूँसा हुआ था। रघुवरदयाल ने एक के हाथ-पाँव खोले और मुख से कपड़ा निकाला। पश्चात् उस आदमी ने दूसरों को भी मुक्त कर दिया।

रघुवरदयाल उनसे रात की घटना की व्याख्या सुन चकित रह गया। बाहर आ उसने नन्दलाल के शव के समीप रखी चिट्ठी उठाई और पढ़ी। लिखा था, “उन सब लोगों को, जिनका नन्दलाल से सम्बन्ध है, सूचित किया जाता है कि स्वराज्य-संस्थापन-समिति के न्यायाधीश ने इसे निम्नलिखित अपराधों का दोषी पाया है और उन अपराधों के लिए उसे प्राण-दंड तथा उसकी सम्पत्ति जब्त कर लेने के दंड की आज्ञा दी है। साथ ही, लोगों को ऐसे कुकर्म करने से रोकने के लिए, इस शव को उसी के बँगले के बाहर बरामदे में रख देने की आज्ञा दी है।

“नन्दलाल के अपराध तो अनेक थे, परन्तु उनमें से केवल तीन की जाँच-पड़ताल की गई है। पहला, इसने श्री शेखरानन्द के बँगले पर डाका डाला और वहाँ का सामान लूटकर ले गया। दूसरा, इसने बनवारीलाल के लड़के को अकारण थाने में बुलाकर इतना पीटा कि वह मर गया। तीसरा, इसने लाला बनारसीदास के लड़के पर झूठे दोषारोपण कर उसे बंदी बनवा दिया। इन तीन अपराधों के अतिरिक्त इसने अपनी स्त्री मनोरमा को मार डालने का यत्न किया। इन सबके निर्विवाद प्रमाण मिल चुके हैं और इन अपराधों तथा उसके अन्य अत्याचारों की ओर ध्यान कर उसे इस जीवन से मुक्त कर देना ही उपयुक्त समझा गया है।

“ब्रिटिश सरकार के हिन्दुस्तान में काम करने वाले कर्मचारियों को सचेत किया जाता है कि वे नन्दलाल के उदाहरण से शिक्षा लें। प्रत्येक कर्मचारी जब तक समय के कानून के अनुसार व्यवहार रखता है तब तक वह कुछ अधिक दोषी नहीं होता। उसका दोष तो केवल मात्र इतना रह जाता है कि उसने असत्य,

अन्याय और अनधिकारियों के पास अपने को बेचा हुआ है। परन्तु यदि कोई कर्मचारी कानून की बुराई के ऊपर अपनी ओर से और अधिक अन्याययुक्त और असत्यतापूर्ण व्यवहार करता है तब तो वह पूर्णरूप से अपराधी बन जाता है और दण्ड पाने के योग्य हो जाता है। ऐसा ही नन्दलाल को पाया गया है और उसे दण्ड दिया गया है।

“कुछ लोग यह आपत्ति उठा सकते हैं कि स्वराज्य-संस्थापन-समिति को किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार नहीं हो सकता। नन्दलाल ने भी न्यायाधीश के सम्मुख यह आपत्ति उठाई थी, परन्तु यह आपत्ति युक्तियुक्त नहीं है। न्याय करने तथा अपराधी को दण्ड देने के अधिकारों के केवल दो स्रोत हैं। एक जन-बल और दूसरा ईश्वरीय सत्ता। ईश्वर की सत्ता के विषय में कहना तो ठीक नहीं, परन्तु जन-बल स्वराज्य-संस्थापन-समिति के साथ है। इसके विषय में कुछ भी संदेह नहीं कि नन्दलाल जैसे आदमी को दण्ड देने का अधिकार समिति को है।

“नन्दलाल की पूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। उसके घर का वह सामान जो समिति के मतलब का नहीं है तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया गया है। आभूषण और नकदी ले ली गई है, और बैंकों को, जहाँ उसका रुपया जमा है, नोटिस देकर रुपया किसी को भी न देने की आज्ञा दे दी गई है।”

रघुवरदयाल ने नन्दलाल के बँगले में ठहरे हुए लोगों से तथा पुलिस-कान्स्टेबलों से पूछगिछ की। वह उन लोगों की रूप-रेखा तथा वेष-भूषा के विषय में जानना चाहता था। जब उनसे कोई मतलब की बात विदित नहीं हुई तो उसने आस-पड़ोस के लोगों से प्रश्न करने आरम्भ कर दिये। अन्त में निराश हो मामला खुफिया-पुलिस में भेज दिया।

: १८ :

नरेन्द्र के मन में रेवती का व्यवहार पहेली ही बना रहा। नन्दलाल की मृत्यु के पश्चात् शंकरगढ़ में बहुत-से मेहमान आ ठहरे थे। उनके कारण उसे रेवतीदेवी से बातचीत करने का अवसर नहीं मिला था। गौरी और रेवती मेहमानों की सेवा-सुश्रूषा में लगी रहती थीं। नरेन्द्र, शेखरानन्द और धीरेन्द्र के साथ समिति के भविष्य के विषय में बातचीत तथा विचार-विनिमय करने में लगा रहता था। इस पर भी जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाता था तो रेवती के विषय में सोचने लगता था। रेवती ने नन्दलाल के लिए मृत्यु-दंड का प्रस्ताव किया था। क्या उसका ऐसा मत केवल न्याय के आधार पर था? या क्या इसमें रेवती के उससे प्रेम का भी हाथ था? यदि उसने नन्दलाल को मृत्यु-दंड प्रेम से प्रेरित होकर दिलवाया है तो अब उसे विवाह कर लेने में बाधा नहीं उठानी चाहिए। जितना वह इस विषय पर सोचता था उतना ही उसे विश्वास होता जाता था कि रेवती उससे विवाह की स्वीकृति दे देगी।

बसन्तकुमार, जो धीरेन्द्र के साथ राय करने के लिए आया तथा ठहरा हुआ था, दिन-प्रति-दिन रेवती से और अधिक मेलजोल उत्पन्न करता जाता था। साथ ही नरेन्द्र को कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसका समिति के कार्य के विषय में धीरेन्द्र से मतभेद होता जाता है और इस मतभेद में बसन्तकुमार मुख्य भाग ले रहा है।

सायंकाल प्रायः समिति के अगले पग पर बातचीत होती थी। बसन्तकुमार ऐसे अवसरों पर उपस्थित होता था। रेवती, गीरी आदि अन्य उपस्थित लोग, यद्यपि इस वाद-विवाद में भाग नहीं लेते थे तथापि सुनकर अपनी सम्मति बनाते रहते थे। नरेन्द्र को कुछ ऐसा भास हो रहा था कि बसन्तकुमार उसके कार्यक्रम का विरोध केवल इस कारण करता है कि वह उसे रेवती की दृष्टि में तुच्छ, अनुभवहीन और अदूरदर्शी सिद्ध कर दे। रेवती को, न जाने क्यों, बसन्तकुमार और धीरेन्द्र का मत अधिक युक्तियुक्त और लाभप्रद प्रतीत होता था।

नरेन्द्र का मत था कि हिन्दुस्तान की स्वराज्य-प्राप्ति में मुसलमान बाधा डाल रहे हैं। वे चाहते हैं कि जब तक उनका एक पृथक् राज्य न बना दिया जाय हिन्दुओं को स्वराज्य न दिया जाय, न कोई अन्य अधिकार। ऐसी परिस्थिति में अपने स्वराज्य की रूप-रेखा में मुसलमानों का स्थान नहीं हो सकता।

धीरेन्द्र तथा बसन्तकुमार इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो मुसलमान इस प्रकार की बाधा उपस्थित कर रहे हैं वे संख्या में बहुत कम हैं। वे देश के मुसलमानों के विचारों को प्रकट नहीं कर रहे। वास्तव में वे सरमायादार हैं, और अंग्रेजों के बल पर पाकिस्तान की माँग उपस्थित कर रहे हैं। अतएव देश के सब मुसलमानों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता।

नरेन्द्र का मत था कि इस्लाम में ही कुछ ऐसी बात है कि उसके अनुयायी हिन्दुस्तान को न तो अपना देश समझ सकते हैं और न ही वे अन्य धर्मावलम्बियों से मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं। बसन्तकुमार का कहना था कि यह उलटा मत अंग्रेजों ने फैलाया है। वास्तव में हिन्दू-मुसलमान एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही जल-वायु, अन्न और वातावरण में पले हैं। उनका एक ही राज्य में रहकर एक समान उन्नति करना स्वाभाविक ही है।

नरेन्द्र भी इतिहास पढ़ा था और शंकरगढ़ में शंकर पंडित ने एक बृहद् पुस्तकालय बना रखा था। इससे उक्त वाद-विवाद में प्रमाण भी दिये जाते थे। इस प्रकार यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चलता रहा।

इस समय में एक घटना और घटी। वह यह कि शंकर पंडित नेपाल-तिब्बत मार्ग की खोज से वापस आ गया था। शंकर पंडित के साथियों में दो की वृद्धि हो गई थी। उन पहाड़ियों के अतिरिक्त, जो शंकर पंडित के साथ गए थे, उसके साथ कर्मिष्ठ और गुरु व्यासदेव भी थे। दोनों सवा छः फीट ऊँचे कद वाले थे। चौड़ी

छातियाँ, लम्बी भुजाएँ और मुख अलौकिक ओज से देदीप्यमान था। वे नग्न नहीं थे। धोती, कुर्ता, जूता और टोपी पहने थे।

शंकर पंडित के आगमन से तो गौरी और रेवती के काम में और भी वृद्धि हो गई। वहाँ भारी समारोह हो गया। जब शंकर पंडित ने अपने कार्य की असफलता का वर्णन किया तो धीरेन्द्र तथा अन्य लोगों को भारी निराशा हुई, पर जब उनको गुरु व्यासदेव और कर्मिष्ठ का परिचय मिला तो सबके हृदय उत्साह और उद्गारों से बल्लियों उछलने लगे।

“तो आप तिब्बत नहीं पहुँच सके ?” धीरेन्द्र का प्रश्न था।

“मुझे इस मार्ग पर आगे जाने ही नहीं दिया गया। ये लोग मेरे उस मार्ग की खोज को पसन्द नहीं करते थे। इससे पूर्ण एक वर्ष भर की खोज के पश्चात् मुझे लौट आना पड़ा।”

“इन लोगों को क्यों आपत्ति थी ?”

“ये नहीं चाहते कि कोई अनार्य इस मार्ग का रहस्य जान सके। इनका आश्रम इसी मार्ग पर है और उसकी सुरक्षा ये लोग भारतवर्ष की स्वतंत्रता से भी अधिक मानते हैं। इनका कहना है कि आर्य लोगों के मस्तिष्क की पूर्ण उपज उस आश्रम में विद्यमान है। जब तक वह आश्रम सुरक्षित है तब तक आर्य-संस्कृति, आर्य-कला, ज्ञान तथा विज्ञान सुरक्षित हैं। किसी भौगोलिक भाग को स्वतन्त्र करा देने से आर्य-संस्कृति की समस्या नहीं सुलझ सकती। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है वैसे ही आर्य लोगों का मस्तिष्क, वह आश्रम, दुष्ट लोगों से बचाकर रखना परमावश्यक है।”

इस कथन की पुष्टि में शंकर पंडित ने हिमालय के उस आश्रम का वृत्तान्त सविस्तार बताया। पश्चात् गुरु व्यासदेव का यह मत भी बताया कि भारतवर्ष में आर्य-राज्य स्थापित करने में ही वे सहायता दे सकते हैं। जब इस बात में सहमत होने की स्वीकृति नहीं दी गई तो मार्ग का द्वार बताने से इनकार कर दिया गया।

शंकर पंडित ने आगे बताया, “मैंने इनकी सहायता के बिना मार्ग-द्वार ढूँढ़ने का यत्न किया। एक वर्ष के प्रयत्न के पश्चात् भी जब मैं कुछ नहीं पा सका तो हताश इनके आश्रम में जा बैठा और जो काम इनसे झगड़कर नहीं कर सका वह इनकी मिन्नत और खुशामद से करने का यत्न करने लगा। बहुत कठिनाई से ये लोग इस बात पर तैयार हुए कि मेरे साथ भारतवर्ष में आवें और स्वयं स्वराज्य-संस्थापन-समिति के सदस्यों से मिलकर अपना सन्देश दूर कर लें। इस कारण मैं इनको साथ ही ले आया हूँ।”

: १६ :

जब तक धीरेन्द्र आदि शंकरगढ़ में रहे नरेन्द्र और रेवती को परस्पर मिलने का अवसर नहीं मिला। शंकरपंडित के आ जाने से सगितिके भविष्य के कार्यक्रम

की बात और भी उग्र रूप धारण कर गई। गुरु व्यासदेव से जो कुछ विदित हुआ था उससे तो ऐसा प्रतीत होता था कि भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित करना अति सुगम है, परन्तु उसमें हिमालय-स्थित आश्रमवासियों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह सहायता वे केवल एक शर्त पर देने के लिए तैयार थे, वह यह कि भारतवर्ष में हिन्दू राज्य स्थापित किया जाए। इसके लिए धीरेन्द्र तैयार न हो सका। उसकी समस्त शिक्षा और जीवन का उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तान में हिन्दु-स्तानियों का असाम्प्रदायिक राज्य स्थापित किया जाएगा। अब वह केवल-मात्र हिन्दू-राज्य स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं दे सका। अतएव नवरत्न-मंडल की बैठक कलकत्ते में बुलाने का निश्चय हुआ। नरेन्द्र के पक्ष को गुरु व्यासदेव के आने से पुष्टि मिली थी और वह भी कलकत्ते जाकर अपने पक्ष को बलपूर्वक रखने का विचार कर रहा था।

परन्तु कलकत्ते के लिए रवाना होने से पूर्व वह रेवतीदेवी से बात कर लेना आवश्यक समझता था। इसके लिए अवसर उसे तब मिला जब शंकरगढ़ से सब मेहमान विदा हो गए। सब लोग गुप्त रूप से जाना चाहते थे। इस कारण एक-एक दो-दो कर जाना ठीक समझा गया। परिणाम यह हुआ कि मेहमानों को जाने में कई दिन लगे। सबसे अन्तिम जाने वाले धीरेन्द्र और बसन्तकुमार थे।

जाने से पूर्व बसन्तकुमार रेवतीदेवी से कितनी ही देर तक एकान्त में बातें करता रहा था। इस समय धीरेन्द्र शंकर पंडित और नरेन्द्र से बातें कर रहा था। जब धीरेन्द्र तैयार होकर घर के बाहर पहुँचा तब भी बसन्तकुमार रेवतीदेवी से बातें कर रहा था। जब उसे बुलाया तो रेवती भी उसके साथ चली आई। चलने के समय रेवती की इच्छा थी कि वह जाने वालों को कुछ दूर जंगल तक छोड़ आए। अतएव उसके साथ वापस आने के लिए नरेन्द्र को साथ चलने को कहा गया। पहले तो नरेन्द्र ने इनकार कर दिया, परन्तु फिर उसे रेवती से अपने विषय में बातचीत करने के लिए एकान्त पाने की आशा ने जाने को राजी कर दिया। वह साथ चल पड़ा। मार्ग में कोई विशेष बात नहीं हुई। केवल बसन्तकुमार अपने रूस में रहने की कथा बता रहा था। उसने कैसे सात वर्ष माँस्को, लेनिनग्राड, ओडीसा, स्टालिनग्राड इत्यादि नगरों में तथा युक्रेन के संयुक्त खेतों में व्यतीत किए थे, वह बता रहा था। रेवती इसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। धीरेन्द्र को यह पूर्ण कथा पहले ही विदित थी और नरेन्द्र को इसके सुनने में रुचि नहीं थी। इस कारण नरेन्द्र और धीरेन्द्र दूसरी बातों में लग गए।

नरेन्द्र कह रहा था कि सरकारी अफसरों पर अभी और आतंक डालना चाहिए। जितना उनको भयभीत किया जाएगा उतना ही, अवसर पड़ने पर, सरकार को शक्तिहीन करना सुगम हो जाएगा। धीरेन्द्र भी इस बात को मानता था; परन्तु वह कहता था कि इस आतंक से अपने में पतन आने की सम्भावना है ॥

नरेन्द्र इस दुष्परिणाम की आशंका नहीं करता था। वह कहता था कि जब आतंक का कार्यक्रम समिति चलाएगी, जिसमें किसी के स्वार्थ सिद्ध करने की बात नहीं होगी, तो इससे पतन आने की सम्भावना नहीं है।

जब सब लोग बिच्छू की पीठ जैसी चट्टान के समीप पहुँचे तो धीरेन्द्र ने नरेन्द्र और रेवती को लौट जाने को कहा। इस समय बसन्तकुमार ने रेवती को हाथ जोड़ नमस्कार करते समय कहा, “आप भी कलकत्ता आइएगा। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी।”

“यत्न करूँगी,” रेवती का उत्तर था। पश्चात् वे विदा हो गए। कुछ काल तक रेवती और नरेन्द्र उनको घने पेड़ों के जंगल में विलुप्त होते देखते रहे। जब वे आँखों से ओझल हो गए तो नरेन्द्र ने रेवती को, जो अभी भी उधर ही देख रही थी, कहा, “चलो चलें।”

“हाँ”, रेवती ने चौंककर कहा और वह लौट पड़ी। नरेन्द्र भी उसके साथ-साथ आ रहा था। नरेन्द्र सोच रहा था कि बात कैसे और कहाँ से आरम्भ करे। रेवती चुपचाप चली जा रही थी। कुछ दूर तक चले आने पर नरेन्द्र को यह चुप्पी असह्य हो उठी। इससे उसने कह ही दिया, “बहुत दिनों के पश्चात् तुमसे एकान्त में बातचीत करने का अवसर मिला है।”

“हाँ, परन्तु ये दिन बहुत आनन्द के थे। धीरेन्द्र दादा कितने हँसमुख हैं और उनकी बातों में कितना रस था।”

“हूँ ! परन्तु मुझे तुमसे कई आवश्यक बातें करनी थीं।”

“आवश्यक ! क्या हैं ?” रेवती ने प्रश्न-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा।

“प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है। व्यक्तित्व न हो तो व्यक्ति शब्द ही अनर्थक हो जाए। हम एक सार्वजनिक कार्य में लीन हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी व्यक्तिगत भावनाएँ और आकांक्षाएँ हैं ही नहीं। सो मैं कई दिन से अपने विषय में बातचीत करना चाहता था।”

“ओह ! मैं तो अपनी बात इन दिनों की व्यस्तता से भूल ही गई थी।”

“भूलना तो मैं भी चाहता था, परन्तु भूल नहीं सका। एक बात विशेष हो रही है। वह यह कि हमारी संस्था का कार्य मेरी धारणा तथा विचार के अनुकूल नहीं चल रहा। कुछ-कुछ विलक्षणता आती जा रही है। इससे इसके कार्य में वह शान्ति जो मैं पहले अनुभव करता था अब नहीं मिल रही। अतः मेरी दृष्टि अन्त-मुँखी हो गई है। मैं अपने विषय में अधिक विचार करने लगा हूँ और यह विचार करते समय मुझे अपने में कहीं शून्यता प्रतीत होती है।”

“परन्तु अब तो देशव्यापी आन्दोलन खड़ा होने वाला है। इस समय तो हमें अन्तर्मुखी होने के स्थान बाहर की ओर देखने की अधिक आवश्यकता पड़ेगी।”

“ठीक है, परन्तु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि भीतरी शून्यता को दूर किए बिना शायद बाहर की बात सोची नहीं जा सकती।”

“तो उस शून्यता को भर दीजिए।”

“वह तुम्हारे आधीन है, रेवती।”

“मेरे आधीन?” रेवती ने गम्भीर होकर पूछा।

“हाँ! एक समय था जब मैं दिल्ली में था और तुम प्रायः नित्य मुझसे मिलने आया करती थीं। तब नन्दलाल हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ था। उस समय संसार से असन्तोष होते हुए भी जीवन से संतोष अनुभव होता था। बीसियों प्रकार की चिन्ताओं के होते हुए भी अलौकिक आनन्द मिलता रहता था। वह आनन्द, वह उत्साह, वह कर्म में लीनता और सफलता में आशा अब दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूँ कि कहीं अपूर्णता है। उस अपूर्णता को भर देना तुम्हारे हाथ में है। क्या मैं तुमसे आशा कर सकता हूँ?”

रेवतीदेवी यह सब कुछ सुनते समय उसके साथ-साथ चल रही थी। वह सामने की ओर देख रही थी। जब नरेन्द्र ने बात समाप्त कर दी तो उसने उसके मुख की ओर देखा, परन्तु वह भूमि की ओर देख रहा था। इससे दोनों की आँखें नहीं मिलीं। रेवती ने फिर आगे की ओर देखते हुए कहा, “जो उस समय था वह अब भी हो सकता है।”

“सत्य?” नरेन्द्र ने खड़े हो प्रसन्नता से लाल होते हुए पूछा।

परन्तु रेवती ने बिना ठहरे ही अपनी बात का समर्थन करते हुए कहा, “हाँ, वह स्वप्न था। हम फिर स्वप्नों के संसार में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत आनन्द था। मैं अति प्रसन्न थी। दिन-रात मेरे मन में नयी-नयी भावनाएँ और योजनाएँ आती रहती थीं। परन्तु...”

“ओह! सत्य कहती हो, मनोरमा!” नरेन्द्र ने यह कहते हुए रेवती के कंधे पर हाथ रख उसे रोक लिया। वह आगे निकली जा रही थी।

मनोरमा ने खड़े हो नरेन्द्र की ओर घूमकर उसके मुख की ओर देखते हुए कहा “हाँ, हाँ, सत्य कहती हूँ। परन्तु...”

नरेन्द्र इस शुभ समाचार से अपने में समा नहीं सका। जैसे लोहा चुम्बक की ओर खिंच जाता है, वैसे ही नरेन्द्र रेवती की ओर खिंच गया और उसको गले लगाकर उसका मुख चूम लिया। यह सब इतना एकाएक हुआ कि वह इसे रोक नहीं सकी। वह यह नहीं चाहती थी। इससे उसकी प्रबल भुजाओं से छूटने का यत्न करने लगी। जब दूसरी बार मुख चूमने का उसने यत्न किया तो रेवती ने उसके मुख पर चाँटा दे मारा और कहा, “मूर्ख...पशु...छोड़ दो...मैं यह कुछ नहीं चाहती।”

नरेन्द्र का नशा उतर गया। उसे अपनी भूल का भास हो गया। उसने रेवती

को छोड़ दिया और वह छूटने ही दो पग पीछे हटकर खड़ी हो गई। नरेन्द्र ने देखा कि रेवती की आँखों में आँसू छलक रहे हैं। यह देख उसका मुख पीला पड़ गया और उसका पूर्ण शरीर कांप उठा। रेवती अपने ही मन के उद्गारों में लीन थी। वह नरेन्द्र की अवस्था को देख नहीं रही थी। उसने कहा, “बहुत नीच हैं आप। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी।”

नीच...पणु...मूर्ख विशेषण उसने अभी तक किसी से नहीं सुने थे। वह जहाँ अपनी भूल से लज्जित हो रहा था वहाँ इन दुर्वचनों से क्रुद्ध भी हो रहा था। मन की इस मिश्रित अवस्था से उसकी विचित्र दशा हो रही थी। एक बात उसके मन में सर्वोपरि थी। वह समझता था कि उसके व्यवहार से रेवती को दुःख हुआ है। इस कारण क्षमा माँगने के अतिरिक्त उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने आँखें नीचे किए हुए कहा, “मैं समझता था कि मेरा यह व्यवहार तुम्हें अप्रिय नहीं होगा, परन्तु अब देखता हूँ कि मेरा यह समझना भूल थी। इस कारण क्षमा प्रार्थी हूँ।”

इतना कह नरेन्द्र शंकरगढ़ की ओर चल पड़ा। वह गालियाँ सुन और मुख पर थप्पड़ खाकर अति विपाद से भरा हुआ था और उसका मन आत्म-ग्लानि से भर रहा था। रेवती इस घटना से इतनी उद्विग्न हो उठी थी कि वह समझ ही नहीं सकती थी कि उसके सम्मुख क्या हो रहा है। उसने नरेन्द्र की क्षमा-प्रार्थना सुनी, उसने उसका राख की भाँति मलिन मुख देखा, परन्तु वह इसका अर्थ नहीं समझ सकी। उसे नरेन्द्र के मन में उठी आत्मग्लानि का भास नहीं हुआ। नरेन्द्र के चले जाने पर भी होश नहीं आया। जब वह कुछ दूर निकल गया तो उसे अपने अकेले-पन का भास हुआ और इस समय तक नरेन्द्र आवाज की पहुँच से दूर हो चुका था।

: २० :

नरेन्द्र घर पहुँचा तो शंकर पंडित, गौरी, गुरु व्यासदेव तथा कर्मिष्ठ नदी के किनारे घूमने गए थे। घर में केवल भगवती और खड़गवहादुर थे। भगवती शाम का खाना बना रही थी और खड़गवहादुर मकान के दरवाजे पर बैठा अपनी दोनाली साफ कर रहा था। नरेन्द्र को देख खड़गवहादुर ने कहा, “गौरी बहन आपको तथा रेवतीदेवी को नदी-किनारे आने को कह गई हैं।”

यह नरेन्द्र ने सुना, परन्तु उस ओर ध्यान नहीं दिया। शायद उसे खड़गवहादुर की बात समझ में ही नहीं आई। उसका मन अपमान से गला जा रहा था। वह सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा भीतर से बन्द कर अपनी चार-पाई पर लेट गया। वह अपने भविष्य के विषय में एकान्त में मनन करना चाहता था।

जब रेवती आई तो खड़गवहादुर ने उसे भी गौरी का सन्देशा दिया; और वह भी नरेन्द्र की भाँति मुख उठाए, बिना किसी प्रकार का उत्तर दिए, अपने कमरे में

चली गई और उसने भीतर से किवाड़ बन्द कर लिये। खड़गबहादुर यह देख बहुत अचम्भा करने लगा, परन्तु इस विषय में पूछगीछ करना अपना काम न मान चुप रहा।

सायंकाल हो गया। पूर्णिमा थी। आभाहीन चाँदी का बड़ा-सा थाल पूर्ण की ओर से पहाड़ों के पीछे से एक गुब्बारे की भाँति आकाश में उठने लगा। इसका धीमा-सा प्रकाश अत्यन्त लुभायमान प्रतीत हो रहा था और नदी के किनारे गए हुए लोग घर से अधिक आनन्द वहाँ अनुभव कर रहे थे। नित्य प्रति से अधिक काल तक वे वहाँ बैठे रहे। वे रेवती और नरेन्द्र की प्रतीक्षा में थे। जब वे नहीं आए तो सब लोग उठकर घर को लौट पड़े।

रेवती जब जंगल में से अकेली आ रही थी तो उसे अपने किए पर विचार करने का अवसर मिला। उसे अपने को एकाएक नरेन्द्र की भुजाओं में पकड़ा देख क्रोध आ गया था और क्रोध से उतावलेपन में उसने नरेन्द्र के मुख पर थपपड़ मार दिया था। बाद में जब वह जंगल में अकेली रह गई तो अपने और नरेन्द्र के व्यवहार की विवेचना करने लगी। इसमें उसे नरेन्द्र का कुछ भारी दोष प्रतीत नहीं हुआ। उसके व्यवहार को ओछापन तो कहा जा सकता था, परन्तु वह इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसके लिए उसे मूर्ख और पशु कहा जाता और फिर मुख पर चाँटा भी लगाया जाता। रेवती को इस पर पश्चात्ताप होने लगा था। परन्तु इस सब घटना का एक दूसरा रूप भी था। रेवती ने नरेन्द्र की स्त्री बनने की अभी स्वीकृति नहीं दी थी। उसने तो केवल यह कहा था कि वैसा सम्बन्ध, जो दिल्ली में उनके परस्पर झगड़ा होने से पूर्व था, पैदा हो सकता है। वास्तव में वैसा सम्बन्ध तो था ही, परन्तु इसमें विवाह की बात नहीं थी। इस अवस्था में उसका व्यवहार रेवती का अपमान करना ही माना जा सकता था और उसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यदि एक चाँटा लगा भी दिया तो कोई अचम्भे की बात नहीं हो सकती।

इन्हीं परस्पर विरोधी विचारों में लीन वह घर पहुँची और कमरे को भीतर से बन्द कर अपने बिस्तर में लेट गई। इस समय भी उसके मस्तिष्क में बवंडर उठ रहा था। एक क्षण वह सोचती थी कि नरेन्द्र जैसे सभ्य, सुशील, पढ़े-लिखे विद्वान् और संयमी आदमी ने क्यों उसे आर्लिगन करने का साहस किया, जबकि उसने उसकी स्त्री बनने की स्वीकृति नहीं दी थी। दूसरे ही क्षण उसके मन में आता था कि इससे हो क्या गया। मन में तो वह उससे विवाह कर लेने का निश्चय कर चुकी थी। फिर वह सोचती थी कि उसने कभी भी तो अपनी वाणी अथवा व्यवहार से यह प्रकट नहीं किया था कि वह उससे विवाह करेगी।

परन्तु नरेन्द्र के प्रति दुर्वचन और कठोर व्यवहार उसे अपने को बहुत ही छोटा मानने पर विवश कर रहे थे और वह यह सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो

उसे उससे इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। साथ ही नरेन्द्र ने तो क्षमा माँग ली थी परन्तु उसने क्षमा भी नहीं माँगी, यह भी वह सोचती थी।

इससे वह उठकर नरेन्द्र के पास जाने को तैयार हो गई; परन्तु फिर उसे संकोच हुआ और वह सोचने लगी कि अभी उसको क्रोध अधिक होगा। इस समय कोई ऐसी बात करनी उसके क्रोध को अधिक करने वाली होगी। यह अच्छा होगा कि रात निकल जाने दी जाए। कल प्रातःकाल न केवल वह अपने कटु व्यवहार के लिए क्षमा माँग लेगी प्रत्युत विवाह की अनुमति देकर जीवन-भर का झगड़ा समाप्त कर देगी।

शायद उक्त विचारों के कारण उसकी अन्तरात्मा अपने व्यवहार को अनुचित मान उसे नरेन्द्र के सम्मुख होने में लज्जित भी कर रही थी। उसे अब नरेन्द्र के सम्मुख उपस्थित होने में भय-सा लग रहा था।

फिर भी वह सोचती थी कि शीघ्रातिशीघ्र नरेन्द्र से सुलह-सफाई कर लेनी चाहिए। उससे झगड़ा करने में उसे अनिष्ट ही प्रतीत होता था।

शंकर पंडित, गौरी इत्यादि घर लौटे तो रात के दस बज चुके थे। उन्होंने जाते ही पूछा कि नरेन्द्र कहाँ है? खड़गबहादुर ने उसके कमरे की ओर संकेत कर दिया। रेवती के विषय में पूछने पर भी वही संकेत मिला। इससे गौरी ने पूछा, "तुमने मेरा संदेशा दिया नहीं क्या?"

"दोनों को कह दिया था, परन्तु दोनों ने ध्यान नहीं दिया और अपने-अपने कमरे में चले गए।"

"खाना तैयार है?"

"जी।"

"तो नरेन्द्र को बुलाओ। कहो, भोजन तैयार है।"

खड़गबहादुर नरेन्द्र के कमरे की ओर चला गया और गौरी रेवती को बुलाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। रेवती ने दरवाजा खोला तो गौरी ने कहा, "गुरु व्यासदेवजी ने तुम्हें नदी के किनारे बुलाया था।"

"मुझे नहीं मालूम।"

"खड़गबहादुर तो कहता है कि उसने तुम्हें कहा था।"

"उसने कहा होगा, मैंने सुना नहीं!" रेवती ने अचम्भा प्रकट करते हुए कहा। गौरी ने विस्मय में कहा, "तुमने नहीं सुना! शायद नरेन्द्र ने भी नहीं सुना। बहुत अचम्भा है!"

नरेन्द्र के भी बुलाये जाने की बात सुन रेवती ने उत्सुकता से पूछा, "क्या काम था?"

गौरी रेवती के कमरे से नरेन्द्र के कमरे की ओर लौट पड़ी थी। रेवती उसके साथ-साथ थी। गौरी उसके प्रश्न का उत्तर देने ही वाली थी कि खड़गबहादुर

भयभीत नरेन्द्र के कमरे के बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाता दिखाई दिया। गौरी ने रेवती के प्रश्न का उत्तर देने के स्थान खड़गबहादुर से पूछ लिया, “क्या बात है?”

“दरवाजा भीतर से बन्द है, परन्तु कोई बोलता नहीं।”

“फिर खटखटाओ।”

खड़गबहादुर ने दरवाजा जोर-जोर से खटखटाना आरम्भ कर दिया। इस खटखटाने का शब्द सुन शंकर पण्डित, गुरु व्यासदेव और कर्मिष्ठ भी वहाँ आ पहुँचे। खड़गबहादुर, जो नरेन्द्र के मलिन मुख को जंगल से आते समय देखा चुका था, दरवाजा तोड़, भीतर घुसकर मालूम करने की स्वीकृति के लिए गौरी की ओर देखने लगा। शंकर पण्डित इस देखने का अभिप्राय समझ गया और बोला, “तोड़ डालो।”

गुरु व्यासदेव ने कहा, “व्यर्थ है।”

फिर भी दरवाजा तोड़ डाला गया। कमरे के पीछे की खिड़की खुली थी और नरेन्द्र भीतर नहीं था। लैम्प जल रहा था और मेज पर रखा था। मेज पर लैम्प के पास एक बन्द लिफाफा रखा था जिस पर शंकर पण्डित का नाम लिखा था। सब लोग कमरे के भीतर चले आये थे और मेज के समीप आ खड़े हुए थे। रेवती सबसे पीछे थी। नरेन्द्र को वहाँ न देख उसके मुख से निकल गया, “तो चले गए?”

“हाँ,” गौरी ने उत्तर दिया और मेज पर से लिफाफा उठा शंकर पण्डित के हाथ में देते हुए बोली, “और यह छोड़ गए हैं।”

शंकर पण्डित ने लिफाफा खोल पढ़ना आरम्भ कर दिया। आद्योपान्त पढ़, उसने चिट्ठी रेवती के हाथ में दे दी। गुरु व्यासदेव मुस्कराकर लौट गए। कर्मिष्ठ उनके पीछे-पीछे था। रेवती चिट्ठी को पढ़ते-पढ़ते अपने कमरे में जा पहुँची। शंकर पण्डित और गौरी उसके साथ-साथ थे। चिट्ठी में लिखा था :—

बहन गौरी तथा पूज्य पण्डित जी, नमस्ते।

आज मुझसे एक भूल हो गई है। इसको लिखने में भी मुझे लज्जा लगती है और इससे मैं पतित हो गया अनुभव करता हूँ। इसमें सब मेरा ही दोष है और मैं इसके लिए प्रायश्चित्त करने का निर्णय कर चुका हूँ। परन्तु प्रायश्चित्त करने में समिति का कार्य बाधा बन रहा है। जिस कार्य के करने को मैं जीवन का लक्ष्य बना चुका हूँ वही अब मेरे प्रायश्चित्त में बाधा बन रहा है। इस कारण यदि उस कार्य को करने का अवसर मिला तो प्रथम स्थान दूंगा, अन्यथा प्रायश्चित्त के लिए तैयार हूँ। इस बात का निर्णय दादा धीरेन्द्र ही कर सकते हैं। मैं उन्हें अपनी पूर्ण कथा बता देना चाहता हूँ और इसे सुनकर भी यदि वह मुझे समिति के कार्य के लिए अनिवार्य मानते रहे तो काम कहेगा; अन्यथा मेरी आज अन्तिम नमस्ते मानिये।

दादा धीरेन्द्र की सम्मति मैं यहाँ रहकर भी जान सकता था, परन्तु मैं ऐसी भूल कर चुका हूँ कि मेरे लिए यहाँ एक क्षण भी रहना असह्य हो उठा है। अतएव

मैं जा रहा हूँ। आपसे मिले बिना जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ।

यहाँ से दादा को स्टेशन पर मिलने का यत्न करूँगा। यदि मैं समिति के कार्य से स्वतन्त्र हो गया तो प्रायश्चित्त के लिए हिमालय में जा गल जाऊँगा। —नरेन्द्र

चिट्ठी पढ़ते-पढ़ते रेवती के आँसू टपकने लगे थे। इस समय वह अपने कमरे में पहुँच गई थी। उसे इस प्रकार अधीर देख गौरी ने पूछा, “रेवती, क्या हुआ है?”

रेवती ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भूमि की ओर देखती रही। शंकर पण्डित कमरे से बाहर निकल गया। गौरी ने रेवती को खाट पर बैठाया और स्वयं उसके पास बैठकर पुनः अपना प्रश्न दुहराया, “क्या सत्य ही उसने कोई भारी पाप किया है?”

गौरी के मन में कई प्रकार के संशय उठ रहे थे और वह पूर्ण बात शीघ्राति-शीघ्र जानना चाहती थी। उसने आग्रह से फिर पूछा, “क्या समझती हो कि उसने कोई संस्था के साथ दगा किया है?”

“नहीं। मैं ऐसा नहीं समझती। वास्तव में बात तो यह है कि मैंने आज उनका अपमान किया है।”

“क्यों?”

“इसके बताने से क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि स्वयं उनसे मिलकर अपनी सफाई दे सकूँ। परन्तु इस समय जंगल में जाना क्या जान-जोखम का काम नहीं है?”

“नरेन्द्र के लिए कोई भय की बात प्रतीत नहीं होती। वह मार्ग के एक-एक पग को जानता है और उसके लिए घटाटोप रात में भी सीधे मार्ग पर चलते जाना साधारण-सी बात है।”

“मेरी इच्छा उनके पीछे अभी जाने की है। मैं चाहती हूँ कि नेपालगंज स्टेशन पर पहुँचने से पूर्व ही उनसे मिल लूँ। इससे मैं समझती हूँ कि बहुत-सी बातों का भ्रम दूर हो जावेगा।”

“परन्तु तुम अकेली कैसे जाओगी?” गौरी ने गम्भीर हो कहा, “मैं समझती हूँ कि नरेन्द्र रात की गाड़ी पकड़ नहीं सकेगा और यदि पा गया तो तुम तो कभी भी उसके चलने से पूर्व वहाँ नहीं पहुँच सकतीं। इससे मेरी राय है कि तुम प्रातः-काल खड़गबहादुर के साथ चली जाना। कल दोपहर की गाड़ी के जाने से पहले ही वहाँ पहुँच सकोगी। यदि वह रात की गाड़ी पर गया तब तो तुम्हारा अब जाना और कल प्रातःकाल जाना एक समान ही होगा।”

रेवती यह बात समझ गई। यथार्थ बात यह थी कि रात के समय खड़गबहादुर को जंगल के मार्ग पर साथ ले जाना उचित न जान चुप हो गई थी।

अगले दिन प्रातःकाल रेवती खड़गबहादुर को साथ ले नेपालगंज को चल पड़ी। नेपालगंज से गाड़ी एक बजे दोपहर के समय चलती थी और वह वहाँ बारह बजे ही जा पहुँची, परन्तु नरेन्द्र वहाँ नहीं था। गाड़ी चलने से एक घण्टा पूर्व प्लेटफार्म पर आ खड़ी होती थी अतः रेवती ने एक-एक डिब्बा भली-भाँति देख डाला था। जब वह नहीं मिला तो उसने खड़गबहादुर को यह कहकर वापस कर दिया कि वह कलकत्ते जा रही है। स्वयं कलकत्ते का टिकट ले गाड़ी में बैठ गई।

प्राप्ति-उत्सव

रेवती नरेन्द्र को ढूँढ़ने इस कारण निकली थी कि उसे अपने व्यवहार पर खेद हो रहा था और वह नरेन्द्र को सुझा देना चाहती थी कि वह उससे प्रेम करती है तथा स्वराज्य-संस्थापन के पश्चात् उससे विवाह करने को तैयार है। इसके अतिरिक्त वह नरेन्द्र और दादा धीरेन्द्र में मतभेद देख चुकी थी और उनकी दिन-प्रतिदिन की वार्तालाप से यह समझ चुकी थी कि मतभेद और अधिक बढ़ता जाता है। इससे उसे भय लग रहा था कि यह मतभेद कहीं ऐसा न हो जाय कि नरेन्द्र अथवा धीरेन्द्र को पार्टी छोड़नी पड़े। इस अवस्था में नरेन्द्र क्या कर बैठे, यह जान वह काँप उठती थी। इसलिए धीरेन्द्र से नरेन्द्र का वार्तालाप होने के पूर्व ही वह उससे मिल लेना चाहती थी।

वह कलकत्ता पहुँची तो उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा। न तो धीरेन्द्र ही वहाँ पहुँचा था, और न नरेन्द्र ही। वह सेठ कुंजबिहारी के घर चली गई और धीरेन्द्र और नरेन्द्र का पता जानने के लिए वहाँ ठहर गई।

सेठ कुंजबिहारी और नरोत्तम धीरेन्द्र और नरेन्द्र का मतभेद जान चिन्तित प्रतीत होते थे और वे चाहते थे कि अभी हिन्दू-मुस्लिम समस्या को न उठाया जाय। इस कारण उन्होंने धीरेन्द्र को बुलाने के लिए कई आदमी भिन्न-भिन्न स्थानों पर भेज दिये।

एक सप्ताह पश्चात् दिल्ली से खबर मिली कि धीरेन्द्र वहाँ लाला बनारसीदास के मकान पर है, परन्तु नरेन्द्र का कुछ भी पता नहीं चला। नरेन्द्र के लापता होने की सूचना वापसी गाड़ी से दिल्ली भेज दी गई। रेवती इससे संतुष्ट नहीं थी। वह स्वयं दिल्ली जा नरेन्द्र के ढूँढ़ने के लिए धीरेन्द्र को आग्रह करने को तैयार हो गई।

धीरेन्द्र कलकत्ते में नवरत्न-मंडल की बैठक होने से पूर्व बनारसीदास से कई बातों में परामर्श करने के लिए दिल्ली गया था। इसके अतिरिक्त वह दिल्ली में राज्य-सत्ता के प्रपञ्च को समझ उस पर अधिकार पाने की योजना निर्माण करने के लिए वहाँ ठहर गया। इस बीच में कलकत्ता और शंकरगढ़ से सूचना मिली कि नरेन्द्र लापता है और फिर रेवती स्वयं वहाँ आ पहुँची। धीरेन्द्र ने नरेन्द्र को ढूँढ़ने का कार्य शेखरानन्द को सौंप दिया।

बनारसीदास का लड़का इन्द्रजीत छूट चुका था और वह नरेन्द्र का पता करने

के लिए बहुत उत्सुक था। इस प्रकार नरेन्द्र की टोह नियमपूर्वक ली जाने लगी।

रेवती, जो दिल्ली में पुनः मनोरमा के नाम से जानी जाने लगी थी, अपने माता-पिता से नहीं मिली थी और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि उसका दिल्ली में होना किसी को मालूम न हो। परन्तु जब यह पता चल गया कि नरेन्द्र पकड़ा गया है तो रेवती को प्रकट होने की आवश्यकता अनुभव हुई।

: २ :

नरेन्द्र जब शंकरगढ़ वाले मकान के पिछवाड़े की खिड़की में से निकल भागा था तो तब सायंकाल ही था। नेपालगंज से चलने वाली रात की गाड़ी में चार घण्टे शेष थे। इसी गाड़ी से धीरेन्द्र और बसन्तकुमार जा रहे थे। इस कारण उनको स्टेशन पर ही मिलने की इच्छा से नरेन्द्र भाग पड़ा। वह जंगल के मार्ग से पूरी तरह परिचित था और हृष्ट-पुष्ट, वरजिशी शरीर रखने के कारण भागता हुआ नेपालगंज जा पहुँचा और छूटती-छूटती गाड़ी में चढ़ गया। जिस डिब्बे में धीरेन्द्र बैठा था उसमें नेपालगंज से कुछ और लोग भी सवार हुए थे। इस कारण वहाँ उससे कोई बातचीत नहीं हुई। धीरेन्द्र भी पूछ नहीं सका कि वह कहाँ जा रहा है।

इलाहाबाद स्टेशन पर नरेन्द्र और धीरेन्द्र का साक्षात् चाय के स्टॉल पर हुआ। नरेन्द्र चाय का एक प्याला हाथ में लिये हुए अन्यमनस्क भाव से खड़ा था। धीरेन्द्र वहाँ पहुँच चाय वाले से बोला, “एक प्याला चाय देना।”

जब चाय वाला चाय बना रहा था तो उसने नरेन्द्र की ओर इस भाव से देखते हुए, कि मानो वे परस्पर अपरिचित हैं, पूछा, “क्यों, साहब, यह गाड़ी दिल्ली कब पहुँचेगी?”

“रात के दस बजे,” नरेन्द्र ने चाय की सुरकी लगाते हुए उत्तर दिया।

“आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या?”

“जी हाँ।”

“स्टेशन से बाराखम्भा रोड कितनी दूर है?”

“लगभग तीन मील।”

बस बात समाप्त हो गई। दोनों अपनी-अपनी चाय समाप्त कर गाड़ी में जा बैठे। इस वार्तालाप से नरेन्द्र तो जान गया कि धीरेन्द्र दिल्ली बाराखम्भा रोड पर जा रहा है, परन्तु धीरेन्द्र को नरेन्द्र के विषय में कुछ पता नहीं चल सका। धीरेन्द्र का विचार था कि किसी अगले स्टेशन पर जाकर उसके विषय में जानने का यत्न करेगा और यदि उसे भी दिल्ली जाना होगा तो फिर बातचीत वहीं जाकर होगी।

परन्तु नरेन्द्र इलाहाबाद स्टेशन के आगे कहीं दिखाई नहीं दिया। धीरेन्द्र ने समझा कि वह शायद इलाहाबाद तक ही आया था। जब दिल्ली में पहुँच कलकत्ते से सूचना मिली कि नरेन्द्र लापता है तो उसे अचम्भा हुआ और फिर रेवती ने पहुँच कर सब बात बता दी। इससे धीरेन्द्र को नरेन्द्र के विषय में चिन्ता लग गई।

शेखरानन्द ने एक सप्ताह के भीतर ही नरेन्द्र के लापता होने की कथा प्रतीत कर ली। इलाहाबाद स्टेशन पर जब वह एक डिब्बे में बैठा तो खुफिया पुलिस का एक आदमी उसको पहचान उसके पीछे लग गया। नरेन्द्र अपने विषय में सोचने में इतना लीन था कि उसे उस खुफिया पुलिस का उसके पीछे लगने का पता नहीं चला।

कानपुर पहुँचते ही नरेन्द्र पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वहाँ से उसे दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली के लाल किले में बन्द कर दिया गया। दिल्ली के लाल किले में दिये जाने वाले कष्ट भली-भाँति विदित होने पर मनोरमा को इसका अति दुःख हुआ। वह यह समझती थी कि नरेन्द्र के इस कष्ट में उसका कठोर व्यवहार ही कारण है। वह सोचती थी कि यदि नरेन्द्र से विवाह कर लेने का उसका विचार था तो फिर यह कठोर व्यवहार उसने क्यों किया। जब नरेन्द्र की भुजाओं में पकड़ी हुई वह छटपटा रही थी, उस समय के अपने मन के भावों का विश्लेषण करने में वह अपने को असमर्थ पाती थी। उसने इस घटना को, पूर्णरूप में, किसी से नहीं कहा था। इस कारण अपने मन के संशयों का निवारण नहीं कर सकी।

धीरेन्द्र को जब यह विश्वास हो गया कि नरेन्द्र दिल्ली के लाल किले में है तो उसने उसको छोड़ने की एक योजना बना दी और उसके अनुसार मनोरमा को अपने पिता के घर जाने का आदेश हो गया। नरेन्द्र को छोड़ने के काम पर नियुक्त हुआ अधिकारी शेखरानन्द तथा मनोरमा इस काम के लिए अवसर ढूँढ़ने लगे। देखभाल से यह पता लगा कि डिप्टी रघुवरदयाल नित्य लाल किले जाते हैं। इसके अर्थ यह लगाये गए कि डिप्टी साहब नरेन्द्र के मामले में विशेष रुचि प्रकट कर रहे हैं। इससे मनोरमा का पुनः पिता के घर में जाना जहाँ आवश्यक हो गया, वहाँ सुगम भी।

एक दिन मनोरमा, ठीक उस समय जब डिप्टी साहब लाल किले जाया करते थे, फ्रैंज बाजार की पटरी पर किले की ओर से दिल्ली गेट की ओर चल पड़ी। जैसा कि उसका अनुमान था, उसे डिप्टी साहब की मोटर दिल्ली गेट की तरफ से आती दिखाई दी। वह मुख दूसरी ओर किये चलती गई। उसका विचार था कि डिप्टी साहब उसे देख लेंगे और पहचान लेंगे। डिप्टी साहब ने तो नहीं देखा, परन्तु मोटर के ड्राइवर ने पहचानकर डिप्टी साहब से कहा, “हुजूर, मनोरमा बीबी जा रही हैं।”

“मनोरमा! कहाँ?” डिप्टी साहब ने, जो अखबार पढ़ रहे थे, चौंककर पूछा।

“बै पटरी पर पीछे को जा रही हैं।”

“लौटाओ गाड़ी। उसे रोको।”

ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी और पटरी के साथ, जहाँ मनोरमा धीरे-धीरे जा रही थी, लाकर खड़ी कर दी। डिप्टी साहब खिड़की में से झाँककर देख रहे थे।

गाड़ी खड़ी होते ही बोले, “मनोरमा !”

मनोरमा गाड़ी को लौटकर आती देख समझ गई थी कि योजना सफल हुई है। फिर भी वह ऐसे चली जा रही थी मानो उसे कुछ भी पता नहीं है। अपना नाम पुकारा जाता सुन, अचम्भे का भाव बना, खड़ी हो, डिप्टी साहब को मोटर से उतरते देख, भागने का बहाना करने लगी; परन्तु डिप्टी साहब ने लपककर बांह से पकड़कर कहा, “कहाँ भाग रही हो, मनोरमा ?”

सड़क पर चलने वाले वीसियों लोग इस भागने और पकड़ने का दृश्य देख खड़े हो गए। डिप्टी साहब ने वहाँ सड़क पर झगड़ा न कर उचित समझा कि मनोरमा को घर ले जाएँ। उन्होंने डाँटकर कहा, “घर चलो।”

“नहीं जाऊँगी।”

“तुम्हारी माँ तुम्हें मिलने के लिए व्याकुल हो रही है।”

“सत्य ?”

“हाँ, हाँ,” डिप्टी साहब ने उत्साहित होते हुए कहा।

“परन्तु...” मनोरमा ने जाने से झिझकते हुए कहा।

“घबराओ नहीं, मनोरमा। एक बार चलकर मिल जाओ, फिर तुम जहाँ चाहो चली जाना।”

वहाँ सड़क पर अधिक झगड़ा न करने के विचार से डिप्टी साहब ने मनोरमा को धकेलकर मोटर में बैठा लिया और ड्राइवर को मोटर घर ले चलने को कहा।

घर पर पहुँच डिप्टी साहब मनोरमा को उसकी माँ के पास ले गए। माँ और बेटी गले मिलीं। मनोरमा का हृदय माँ को देखकर द्रवित हो उठा था और उसके आँसू बहने लगे थे। उसने कहा, “माँ...” इसके आगे वह कुछ नहीं कह सकी। माँ भी उसे बार-बार गले लगाती थी और मिलने की प्रसन्नता में इतनी आपे से बाहर हो गई थी कि कोई सार्थक शब्द उसके मुख से निकल नहीं रहा था।

डिप्टी साहब खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ये स्त्रियों की बातें पसन्द नहीं थीं। वह मतलब की बात पूछने के लिए व्याकुल हो रहे थे। नरेन्द्र के पकड़े जाने से वह उसे दंड दिलवाने के लिए परेशान हो रहे थे। नरेन्द्र ने यह माना था कि नन्दलाल को मारने वाला वही है, परन्तु उसके इस कथन के साक्षी और अन्य प्रमाण नहीं मिल रहे थे। भारी यंत्रणा देने पर भी वह उक्त कथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बतलाता था। मनोरमा को देख डिप्टी साहब यह जानने की इच्छा रखते थे कि वह इस विषय में कुछ सहायता दे सकती है या नहीं। अतएव उन्होंने उसके मनोद्गारों के प्रदर्शन को बीच में ही रोककर कहा, “अब बस करो इस व्यर्थ के व्यवहार को। मुझे बताओ, मनोरमा, कहाँ रही हो इतने दिन ?”

“कलकत्ते में,” मनोरमा ने अपने को सावधान कर कहा।

“कलकत्ते में ! वहाँ क्या करती थीं तुम ?”

“बच्चों को पढ़ाकर जीवन-निर्वाह करती थी।”

“कितने बच्चों को पढ़ाती थी?”

“यह नहीं बताऊँगी।”

“मुझे, अपने पिता को भी नहीं?”

“आप पिता बनकर तो पूछ नहीं रहे। यह तो अफसरी ढंग है।”

“तुम्हारा पिता पुलिस-अफसर है।”

“जी, जानती हूँ। तभी तो उनका नाम, जिन्होंने मेरी सहायता की है, बताना नहीं चाहती। क्या जानें आप उनका कोई अनिष्ट कर बैठें।”

“हाँ, यदि उन्होंने तुम्हारा कोई अनिष्ट किया होगा तो उनको दंड दिलाना मेरा कर्तव्य है।”

“क्या मेरा यह कहना, कि उन्होंने मेरी सहायता की है, पर्याप्त नहीं है?”

“मुझे स्वयं अपनी राय बनानी होगी।”

“वह प्रायः मिथ्या होती है।”

“प्रायः मिथ्या? कब ऐसा हुआ है?”

“लाला हरवंशलाल आपके मित्र थे न? उनका लड़का विजय मेरा भाई बना हुआ था न? उसकी बहन कमला मेरी परम सखी थी? इस पर भी आपने विजय को अकारण बँत लगवाए और कमला के निर्दोष पति को डेढ़ वर्ष-भर कैद रखा।”

“देखो, मनोरमा, सरकार की नीति को निश्चित करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो मशीन के एक पुर्जे की भाँति आज्ञाएँ पालन करने वाला हूँ।”

“ठीक है। मैं यह मानती हूँ और इसी कारण मैं आपको किसी का नाम-धाम नहीं बता सकती। मैं मुखबिर बनना नहीं चाहती।”

“क्या मतलब?”

“मैं अब जाना चाहती हूँ,” इतना कह मनोरमा उठ खड़ी हुई।

“नहीं, मनोरमा,” मनोरमा की माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा “नहीं जाओ। तुम्हें अपनी माँ के दुःख का कुछ तो विचार करना चाहिए। क्या मुझसे कुछ भी प्रेम नहीं है तुम्हारा? तुम यहाँ रहो। अभी तो तुमसे मन भरकर बात भी नहीं कर पाई।”

“माँ, मैं तो नहीं जा रही। पिताजी की इच्छा भी तो मुझे यहाँ रखने की हो।”

“तो मेरा कुछ अधिकार नहीं क्या?” माँ ने अति विनीत भाव से डिप्टी साहब की ओर देखते हुए कहा।

“अच्छी बात है, रखें इसे। पर यह इतना तो बताए न कि इसका असबाब वगैरा कहाँ रखा है?” डिप्टी साहब ने कहा।

“मैं केवल एक धोती के साथ गई थी। मेरा अपना कुछ नहीं है।”

डिप्टी साहब के माथे पर त्योरी चढ़ गई, परन्तु कुछ सोच चुप रहे। माँ ने कहा, “छोड़ो भी इस बात को। बेटी घर आ गई है। क्या यह कम बात है?”

“अच्छी बात है। जो मन आए करो। इसे बता दो कि यह विधवा हो गई है और किस प्रकार हुई है।”

डिप्टी साहब का विचार था कि इस समाचार से मनोरमा को दुःख होगा; परन्तु यह देख कि, वह केवल भूमि की ओर देखती हुई खड़ी है, उन्होंने उत्सुकता से पूछा, “जानती हो, मनोरमा, यह किसने किया है?”

“जानती हूँ,” मनोरमा का गम्भीर उत्तर था।

“ओह !” डिप्टी साहब के मुख से अपने आप निकल गया। वह स्वयं कुर्सी पर बैठ गए और मनोरमा को बैठने को कहा। जब वह बैठ गई तो उसकी माँ ने याचना के भाव में डिप्टी साहब की ओर देखकर कहा, “आप सब बात अभी पूछेंगे क्या? इसे तनिक आराम तो कर लेने दें। आप अब जाइए। फिर फुरसतके समय बातें होंगी।”

डिप्टी साहब ने कुर्सी से उठ, खड़े होते हुए कहा, “बस, यह एक बात पूछकर चला जाऊँगा।” वह बोले, “मनोरमा, यदि मैं वचन दूँ कि तुम्हें साक्षी के रूप में अदालत में नहीं घसीटा जाएगा तो क्या तुम बता सकती हो कि नन्दलाल को किस ने मारा है?”

“हाँ।”

“वह कौन है?”

“परन्तु आप उसको तो पुलिस के हवाले कर देंगे?”

“केवल तुम्हारे बताने पर नहीं। तुम्हारे कथन के पश्चात् अन्य प्रमाण ढूँढ़ूँगा और उनके मिलने पर ही मुकदमा चलेगा। मैं तुम्हें साक्षी बना अदालत में नहीं भेजूँगा।”

“परन्तु मुझे दोषी मान तो अदालत में भेज सकते हैं?”

“दोषी! क्या मतलब?”

“मतलब स्पष्ट है। उनको मारने वाली मैं हूँ।”

“तुम !” डिप्टी साहब ने आँखें फाड़कर देखते हुए कहा।

“हाँ, सत्य कहती हूँ।”

“नहीं, मैं नहीं मान सकता।”

“तब अच्छा ही तो है। आप न मानिए।”

“तुम्हारी तरह एक और है जो अपने को उसका कातिल बताता है। वह भी सौगन्धपूर्वक कहता है। उसकी बात मानूँ या तुम्हारी?”

“मुझे आपके दामाद से नाराजगी थी। उन्होंने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार

किया था। इसी कारण मैं उन्हें छोड़ गई थी और अन्त में मैंने गोली मार उन्हें मार डाला।”

“तुम उन्हें अकेले कहाँ ले गई थीं, जहाँ गोली से मारा था, और फिर बंदूक कहाँ है जिससे मारा था ?”

“स्थान नहीं बताऊँगी। बंदूक यमुना में फेंक दी है।”

डिप्टी रघुवरदयाल गम्भीर विचार में पड़ गए। कितनी ही देर तक वह कुर्सी पर बैठे-बैठे सोचते रहे। पश्चात् अपने स्थान से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। दो-तीन मिनट के पश्चात् उनकी मोटर ‘स्टार्ट’ होने का शब्द हुआ और वह मोटर पर सवार हो चले गए।

: ३ :

धीरेन्द्र का दिल्ली में पाँच-छः दिन ठहरने का विचार था, परन्तु नरेन्द्र के लापता होने से उसके विषय में खोज करवाने में कई दिन लग गए। अब मनोरमा को अपने पिता के घर भेज उससे नरेन्द्र का हाल जानने की इच्छा से उसे दिल्ली में और भी ठहरने की आवश्यकता अनुभव हुई। इससे उसने नवरत्न-मंडल की बैठक कलकत्ते के बजाय दिल्ली में ही बुला ली।

इस समय तक देश की राजनीतिक परिस्थिति में बेहद परिवर्तन हो चुका था। महात्मा गांधी के जेल में रुग्ण हो जाने के कारण और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा के देहान्त हो जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। महात्मा गांधी मिस्टर जिन्हा से बम्बई में एक सप्ताह तक वार्तालाप कर हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य उत्पन्न करने में असफल हो चुके थे। देश में छिपे-छिपे सरकारी कामों में विघ्न डालने की नीति लुप्त हो चुकी थी। जर्मनी युद्ध में हार खा चुका था। जर्मनी पर तीन देशों की फौजों ने अधिकार कर लिया था और पोर्टस्डेम कान्फेन्स में तीनों मुख्य मित्र-राष्ट्रों के महा-नेता जर्मनी की लूट में समझौता कर चुके थे। इन सब परिवर्तनों का हिन्दुस्तान पर भी प्रभाव हुए बिना नहीं रहा। भारत के वाइसराय विलायत गए और वहाँ से एक योजना बना हिन्दुस्तान में उत्तरदायी सरकार बनाने के यत्न में शिमला में हिन्दू-मुसलमान-सिखों का सम्मेलन बुला असफलता प्रकट कर चुके थे। असफलता इस कारण हुई थी कि जिन्हा कांग्रेस को केवल-मात्र हिन्दुओं की संस्था मानता था और वह इसे वाइसराय की एकजीक्यूटिव कौंसिल में मुसलमान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं देता था। कांग्रेसी नेता मुस्लिम लीग को एकजीक्यूटिव कौंसिल के आधे सदस्य भेजने का अधिकार देकर हिन्दुओं के आधे भाग में से एक मुसलमान, जिसे वे राष्ट्रीय विचार का समझें, भेजने का अधिकार चाहते थे। मुस्लिम-लीग के सर्वेसर्वा इस बात पर भी राजी नहीं हुए तो सम्मेलन टूट गया और लॉर्ड वेवल, भारत के वाइसराय, ने हिन्दू-मुसलमानों में समझौता न हो सकने के कारण हिन्दुस्थानियों को अभी अधिकार न देने

की घोषणा कर दी थी।

इस परिस्थिति में नवरत्न-मण्डल की बैठक हुई थी। इस बैठक में विशेष निमन्त्रण से गुरु व्यासदेव और कर्मिष्ठ उपस्थित थे। नरेन्द्र पकड़ लिया गया था और लाल किले में कैद था। इस कारण नवरत्न-मंडल के नौ सदस्यों में से केवल आठ उपस्थित थे।

जो मुख्य बात इस बैठक में उपस्थित हुई वह स्वराज्य-संस्थापन-समिति की स्वराज्य-सम्बन्धी नीति थी। इस नीति की घोषणा होनी दो कारणों से आवश्यक हो गई। एक तो देश की बदलती हुई परिस्थिति। अंग्रेज राजनीतिज्ञ हिन्दू-मुस्लिम झगड़े को मुख्य रखकर विदेशी सरकारों के सम्मुख हिन्दुस्तान को बदनाम कर रहे थे और स्वराज्य-संस्थापन-समिति विदेशी सरकारों से हथियार तथा दारू-बारूद लेने का प्रबन्ध कर रही थी। इधर हिन्दुस्तान में मुसलमानों की माँगें दिन-प्रतिदिन कठोर होती जाती थीं। कांग्रेस इस समस्या को सुलझाने में असफल रहने पर भी अपनी नीति पर दृढ़ थी। दूसरा कारण, इस विषय पर विचार करने का यह था कि गुरु व्यासदेव जोर दे रहे थे कि हिन्दुस्तान में आर्य राज्य स्थापित किया जाए।

अतएव जब इस विषय पर साधारण चर्चा हो चुकी तो गुरु व्यासदेव को सभा में बुलाया गया और उनके विचार जानने के लिए चर्चा आरम्भ कर दी गई। शंकर पण्डित ने बात आरम्भ की। उसने कहा, “आप आश्रम के गुरु हैं। आपके साथी उस आश्रम में वैज्ञानिक हैं। आप प्रकृति के एक ऐसे रहस्य को जानते हैं जिससे प्रकृति की अतुल शक्ति को हम अपने लाभ के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यह शक्ति युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। आपका कहना है कि उस शक्ति के आश्रय से अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाला जा सकता है। परन्तु ये लोग उस शक्ति को मुसलमानों की प्रभुता रखने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहते। उस शक्ति को हमें देने से पूर्व केवल आर्य राज्य स्थापित करने के लिए यत्न करने का वचन हमसे लेना चाहते हैं।”

इस पर गुरु व्यासदेव से भिन्न-भिन्न प्रश्न पूछे जाने लगे। सबसे अधिक प्रश्न करने वाला धीरेन्द्र था। उसने पूछा, “आप आर्य किस को कहते हैं?”

“श्रेष्ठ विचार, आचार और व्यवहार रखने वाले व्यक्ति को।”

“मुसलमान भी तो श्रेष्ठ विचार, आचार और व्यवहार वाले हो सकते हैं।”

“व्यक्तिगत रूप में हो सकते हैं, परन्तु उनके समाज की बनावट ऐसी है कि उसमें श्रेष्ठता रह ही नहीं सकती। इससे मुसलमान सामूहिक रूप में श्रेष्ठ आचार-व्यवहार नहीं रख सकते। जिस-जिस मत में यह प्रबन्ध है कि मरने से पूर्व किसी परमात्मा के प्रतिनिधि पर विश्वास ले आने से पाप-कर्मों के फल से मुक्ति मिल सकती है, उस मत के मानने वाले सामूहिक रूप में कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते।

कर्म-फल को अटल मानने वाले ही अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रख सकते हैं।”

“हिन्दुओं में भी तो ऐसे लोग हैं जो दिन-भर झूठ, दगा, फरेब और अन्य पाप कर्म करते रहते हैं परन्तु अगले दिन प्रातःकाल भगवान् का भजन कर अपने को मुक्त समझ लेते हैं।”

“यह व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति पाप-कर्म कर, झूठ-मूठ मन को ढाढस बंधाने के लिए जो कुछ भी करे वह उसका निजी व्यवहार है। परन्तु हिन्दू समाज के नियम ऐसी कोई बात प्रतिपादित नहीं करते। यहाँ तो करनी और भरनी साथ-साथ ही चलती है। यही कारण है कि हिन्दू व्यक्तिगत रूप में चाहे कितने ही बुरे हों, परन्तु सामूहिक रूप में हिन्दू समाज सर्वश्रेष्ठ है। हम चाहते हैं कि ऐसे समाज का राज्य स्थापित करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए।”

“क्या आप समझते हैं कि संसार में हिन्दुओं के अतिरिक्त और कोई नहीं जो श्रेष्ठ हो सके?”

“हिन्दू समाज के अतिरिक्त और कोई समाज श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उसका कारण यह है कि हिन्दू समाज ही एक-ऐसा समाज है जो यह मानता है कि मनुष्य अपने इस जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेता है। इससे जितना नियन्त्रण अपने सदस्यों पर यह समाज रख सकता है और कोई समाज नहीं रख सकता।”

“यदि ईसाई भी ऐसा मानने लगें तो फिर क्या होगा?”

“तो उसे हम ईसाई न मानकर हिन्दू मानेंगे। ईसाई तो ईसा पर ईमान लाने वाले को ही कहते हैं न।”

“और यदि कोई हिन्दू पुनर्जन्म तथा कर्म-फल के सिद्धान्त को न माने तो?”

“तो वह हिन्दू समाज का अंग नहीं रह सकता।”

“भला, हिन्दू समाज में आप किन-किन को मानते हैं?”

“जितने मत-मतान्तर उक्त दोनों सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हों। अतएव हिन्दू समाज के अन्तर्गत जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि वे सब मत हैं जो भारतवर्ष में उपजे हैं। वे सब कर्म-सिद्धान्त को मानते हैं।”

“यदि मान भी लें कि हिन्दू भले आदमी हैं और मुसलमान बुरे तो भी जब तक कोई बुरा काम करता पकड़ा न जाए तब तक कैसे उसे दण्ड का भागी मान सकते हैं?”

“यदि महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक के इतिहास से आपको यह भी पता नहीं चला कि मुसलमान समाज कितना अन्याय और अत्याचार कर चुका है तो आपको कभी भी कुछ पता नहीं लग सकता। हिन्दुस्तान से बाहर भी मुसलमानों ने अपने समाज की वृद्धि के लिए जो-जो अत्याचार किए हैं क्या वे स्मरण नहीं रहे आपको?”

“यह ठीक है, परन्तु ये गुजरे जमाने की बातें हैं। अब तो तुर्की और रूस के कुछ प्रान्तों में मुसलमान शान्ति से रहते हैं।”

“यह केवल इसलिए है कि उन देशों में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बी नहीं रहे। अतः यह कहना कि वहाँ का समाज अब शुभ आचार-व्यवहार वाला हो गया है, कहना कठिन है। समाज का संघर्ष तो समाज से ही होता है। जब संघर्ष होगा तब ही विदित होगा।”

“हमें आपकी यह बात समझ नहीं आती कि व्यक्तियों से बना हुआ समाज कैसे व्यक्तियों से भिन्न भावों वाला हो सकता है। यदि समाज में बहुसंख्यक लोग श्रेष्ठ हैं तो समाज का श्रेष्ठ होना अनिवार्य ही है।”

“सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवहार में अन्तर तो सर्वत्र दिखाई देता है। आपको स्मरण होगा कि इंग्लैंड के सम्राट् किंग एडवर्ड आठवें को, एक ऐसे कार्य के लिए, जिसे व्यक्तिगत रूप में लोग अनुचित नहीं मानते, राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी। समाज के नियम व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न होने का प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमारे देश में भी महाराजा रामचन्द्र ने समाज के नियम और मर्यादा के लिए सीता को वनवास दे दिया था। समाज की गति भी व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न होती है। जो बात एक व्यक्ति व्यर्थ की मानता है समाज उसे अपनाने में लाभ समझ सकता है। एक व्यक्ति के लिए वैराग्य श्रेष्ठ कर्म है, परन्तु समाज के लिए वैराग्य घातक सिद्ध हो जाता है।”

धीरेन्द्र को ये सब बातें अयुक्तिसंगत प्रतीत होती थीं। वास्तव में जब से उसने राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया था तब से ही वह देश में रहने वालों को हिन्दुस्तानी समझ उनके स्वतन्त्र करने के लिए यत्नशील रहा था। उसके मन में हिन्दू-मुस्लिम समस्या निरर्थक और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती थी। वह समझता था कि गुरु व्यासदेव दो सहस्र वर्ष पुराने विचारों में पला नवीन युग की समस्याओं को समझ नहीं सकता। इस धारणा से उसने और अधिक बातचीत करनी उचित नहीं समझी। परन्तु इससे बनारसीदास को संतोष नहीं हुआ। इस कारण उसने बातों की शृंखला को जारी रखा। उसने पूछा, “आप क्या चाहते हैं? यहाँ किस प्रकार का राज्य हो, आप स्वयं ही बताएँ?”

“हम तो यह चाहते हैं कि भारतवर्ष में सहस्रों वर्षों तक सुख और शान्ति विराजमान रहे, परन्तु यह सुख और शान्ति शुभ विचारों और श्रेष्ठ संस्कृति के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। भारतवर्ष में ऐसे विचार और ऐसी संस्कृति रही है और वही पुनः लाई जा सकती है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान इस संस्कृति के विरोधी हैं। उनको भारतवर्ष के राज्य-कार्य में सम्मिलित करने से यहाँ सुख और शान्ति स्थापित नहीं होगी।

“हम चाहते हैं कि राज्य-कार्य में जन-साधारण की सम्मति न ली जाए।

राज्य-कार्य से हमारा प्रयोजन राज-नियम बनाने से है। राज-नियम लोगों के मत से नहीं, प्रत्युत लोगों की भलाई के लिए बनने चाहिए। राज-नियम बनाने वाले लोगों की नियुक्ति जन-साधारण की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कुछ-एक विद्वान् लोगों के हाथ में होनी चाहिए। राजा अथवा प्रबन्धकर्ता, चाहे तो वह जन्म से इस पद पर हो और चाहे योग्यता से, उन विद्वान् लोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा बनाए नियमों का पालन करे। राज-नियम बनाने वाला अर्थात् स्मृतिकार विद्वान्, स्वस्थ, सच्चरित्र और प्रलोभनों से परे होना चाहिए। जन-साधारण केवल एक बात कर सकता है। वह यह कि सुन्दर, सबल, सुढील और सुयोग्य व्यक्ति निर्माण करे। योग्यता का जितना ऊँचा माप-दण्ड जन-साधारण का होगा उसके अनुपात में ही राजा, महाराजा तथा स्मृतिकार योग्य होंगे। मूर्ख समाज में नेता भी मूर्ख ही होंगे।

“मुसलमानी मत का इतिहास इतना गन्दा और अन्याय तथा अत्याचारपूर्ण रहा है कि उस समाज में रहते हुए कोई श्रेष्ठ नेता बन सकेगा, सम्भव प्रतीत नहीं होता।”

“आपको मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों है?”

“उस समय का दृश्य मेरी आँखों के सामने अब भी नाच रहा है जब महमूद गजनवी के सिपाही भारतवर्ष की निरीह स्त्रियों और लड़कियों के गलों में रस्सी बाँधकर मीलों लम्बी पंक्तियों में लाखों की संख्या में साथ ले गए थे। फिर दिन-रात जो व्यभिचार उनसे किया गया था अभी भी स्मरण हो आता है तो क्रोध से रक्त उबलने लगता है। भारतवर्ष में स्त्रियों की मान-मर्यादा इतनी थी कि वे जंगलों में भी निधड़क घूम सकती थीं। परन्तु मुसलमानी राज्य में उन पर इतना अत्याचार किया गया कि यहाँ स्त्रियों का नगरों में भी अकेला न घूमना नियम बन गया। स्त्री-पुरुष इस देश में निर्भय घूमते थे। मुसलमानी राज्य में उनको इतना दबाया गया कि वे भीरु बन गए। दुष्ट राज्य से जनता का पतन हुआ और दुष्ट राज्य दूषित संस्कृति का ही परिणाम था। उस संस्कृति में पलने वाले लोगों को पुनः राज्य-अधिकार देना अनिष्टकारी ही होगा।”

“मगर अंग्रेजों के डेढ़ सौ वर्ष के राज्य ने मुसलमानों में परिवर्तन कर दिया है। संसार में हो रही बातों के ज्ञान से उनकी विचारधारा में अन्तर आ गया है। इस युग में हमें ऐसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती जिससे मुसलमानी काल की बातों की पुनरावृत्ति का भय हो।”

“मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, परन्तु पिछले अनुभवों के आधार पर इतना कहने का साहस करता हूँ कि अभी भारतवर्ष में मूर्खता भी विद्यमान है और पशुपन भी। इन दोनों के रहते हुए मुझे भारत का भविष्य अन्धकारमय ही प्रतीत होता है। इस देश के नेता महात्मा गांधी एक साधारण-सी बात भी तो समझ नहीं

सकते। मुसलमानों के नेता मिस्टर जिन्हा तो कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि मुसलमान और हिन्दू एक जाति है अर्थात् वे मुसलमानों को उनकी इच्छा के बिना हिन्दुओं के साथ रखना चाहते हैं। इसमें लाभ ही क्या है? यदि वे अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते तो हम देखते कि वे इस बात के योग्य भी हैं या नहीं। अब उनकी योग्यता देखनी तो दूर रही, उन अयोग्यों को ही अपने साथ रखना चाहते हैं। इसमें महात्मा जी को सफलता नहीं होगी और देश और जाति को इतनी भारी हानि होगी कि लोग सदियों तक भी भूल नहीं सकेंगे।”

“मान लीजिए कि हिन्दू सज्य स्थापित कर लिया जाए तो मुसलमानों का क्या होगा?” बनारसीदास का प्रश्न था।

“मुसलमान यहाँ रहेंगे, परन्तु उनको न तो कोई दायित्वपूर्ण पद दिया जाएगा, न ही किसी राज्य-कार्य में भाग। वे स्वतन्त्र रूप से अपने निर्वाह का प्रबन्ध कर सकेंगे। राज्य की ओर से जो-जो सुविधाएँ जन-साधारण को होंगी सो उनको भी होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।”

“तो वे यहाँ रहेंगे ही क्यों? उनके लिए केवल दो मार्ग खुले रह जाएँगे। एक तो यह कि वे देश छोड़ जाएँ और दूसरा यह कि वे यहाँ उपद्रव खड़ा कर दें और जब तक उनमें से एक भी जीता रहे हमारे साथ लड़ता रहे।”

“देश छोड़कर वे नहीं जाएँगे। सन् १९२१ में हिजरत कर वे कटु अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ उपद्रव तो वे अवश्य करेंगे। यदि उनको दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया तो उनके उपद्रव सफल होंगे और हिन्दुओं को पुनः दासता के पद पर ले जाएँगे। और यदि हमने उन्हें किसी आवश्यक पद पर न रखा तो उनके उपद्रव सफल नहीं हो सकते। साथ ही मेरा पक्का विश्वास है कि आधी शताब्दी के हिन्दू राज्य से भारतवर्ष में से मुसलमानी संस्कृति समूल नष्ट हो जाएगी। इन लोगों की सन्तान तो होंगी, परन्तु इस्लाम नहीं रहेगा।”

: ४ :

गुरु व्यासदेव से वार्तालाप के पश्चात् नवरत्न-मंडल स्वयं विचार करता रहा। इस प्रकार यह वार्तालाप कई दिन तक चलता रहा। नवरत्न-मंडल में, इन बातों के परिणामस्वरूप, दो पक्ष बनते जाते थे। एक इस बात को मानता था कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले लोगों से है और दूसरा पक्ष यह मानता था कि राष्ट्रीयता का अर्थ मनुष्यों के विचारों, उद्गारों और कर्तव्यों से अधिक सम्बन्ध रखता है। भौगोलिक सीमा गौण है, विचार-भेद मुख्य है। यदि गुरु व्यासदेव और कर्मिष्ठ की अस्त्र-शस्त्रों की योग्यता का प्रयोग सांस्कृतिक राज्य के पक्ष में न होता तो इतनी लम्बी बातचीत न चलती। सांस्कृतिक राज्य के विरोधी कभी-कभी यह सोचते थे कि इन लोगों की सहायता क्या इतनी

बड़ी है कि उसके सम्मुख सिद्धान्त का बलिदान कर दिया जाए। इसी निर्णय में देरी लग रही थी।

सांस्कृतिक आधार पर राज्य के पक्ष में केवल शंकर पंडित और बनारसीदास थे। इसके विरोध में शेष छः सदस्य थे। नरेन्द्र कौंद होने के कारण न तो सम्मति दे सका, न ही दूसरों की सम्मति पर प्रभाव डाल सका। नवरत्न-मंडल की अन्तिम बैठक होते-होते जापान पर 'एटामिक बम' गिराये गए और जापान को घुटनों के बल कर लिया गया। इंग्लैण्ड, अमेरिका और रूस की द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध में विजय हुई और संसार की सब जातियाँ 'एटामिक बम' के समाचार से थर्रा उठीं।

इस घटना का नवरत्न-मंडल के विचार-विनिमय पर भारी प्रभाव हुआ। धीरेन्द्र का दृढ़ मत हो गया कि परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति से जो लाभ उठाया जा सकता था वह अब नहीं उठाया जा सकेगा, कारण उसका भेद अमेरिका और इंग्लैड को मिल गया है। यदि भारतवर्ष की क्रान्ति में इस शक्ति का प्रयोग किया गया तो इंग्लैड भी एटामिक बम हिन्दुस्तान पर बरसाएगा। इसका परिणाम भारतवर्ष की तबाही होगी। अतएव नवरत्न-मंडल की इस बैठक में धीरेन्द्र ने कह दिया कि, हमें गुरु व्यासदेव तथा कर्मिष्ठ की परमाणु-अन्तर्गत-शक्ति की सहायता की अब आवश्यकता नहीं है और न हमें अपनी नीति बदलने की भी अब आवश्यकता है।

बनारसीदास ने कहा भी कि गुरु व्यासदेव आदि की सहायता की आवश्यकता के अतिरिक्त भी तो हमें सांस्कृतिक आधार पर राज्य स्थापित करने का यत्न करना चाहिए, परन्तु बहुमत धीरेन्द्र के साथ था।

नवरत्न-मंडल के इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि शंकर पण्डित ने ब्राह्मण विभाग के नेतापन से त्याग-पत्र दे दिया। बनारसीदास ने भी नवरत्न-मण्डल को छोड़ दिया। यह ठीक था कि आर्थिक सहायता देने का वचन बनारसी-दास ने वापस नहीं लिया।

ब्राह्मण विभाग का नेता बसन्तकुमार नियत किया गया और वैश्य विभाग में बनारसीदास के स्थान पर बम्बई का एक सेठ धनसुख नियत हुआ।

: ५ :

मनोरमा ने समिति के भेदिण द्वारा, जो डिप्टी साहब के घर के काम-काज के लिए नौकर था, अपने वहाँ पहुँचने का समाचार भेज दिया। इससे धीरेन्द्र और शेखरानन्द को भारी संतोष हुआ और वे अपनी योजना आगे चलाने लगे।

जिस दिन मनोरमा को डिप्टी साहब फँज बाज़ार से पकड़कर घर लाए थे उसी दिन सायंकाल की बात है कि मनोरमा की माँ ने उससे पूछा, "मनोरमा, अब नहीं जाओगी न?"

"मैं अपने आप नहीं गई थी। घर से निकाली गई थी।"

“तो तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था।”

“परन्तु पिताजी भी तो वही कुछ कर रहे थे।”

“क्या कर रहे थे?”

“भाई विजय को बेंत लगवाने और चाचाजी से रिश्वत लेने में वह भी तो सम्मिलित थे।”

“तुम कैसे जानती हो यह?”

“मुझे आपके दामाद ने बताया था। पुलिस के प्रायः सब लोग रिश्वत लेते हैं और मार-पिटार्ड करते हैं। शायद मैं घर से न जाती यदि वह अपने सम्बन्धियों को छोड़ देते।”

माँ कुछ देर तक चुप और गम्भीर विचार में मग्न रही। पश्चात् बोली, “परन्तु हम स्त्रियों को मर्दों की बातों में दखल देने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें और कुछ कष्ट तो नहीं था। खाने, पहनने, सोने और घूमने इत्यादि की तो छुट्टी थी?”

“खाने-पहरने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, माँ! समझो, मामाजी को दस बेंत लगवाकर पिताजी तुम्हें एक बड़िया साड़ी ला दें तो तुम प्रसन्न हो जाओगी क्या? विजय मेरा भाई बना हुआ था, फिर कमला के पति को अकारण पकड़ लिया और बीस हजार लिये बिना नहीं छोड़ा।”

इसके पश्चात् माँ को वहस करने का साहस नहीं हुआ। उसने केवल यह कहा, “कुछ भी हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। आखिर, मुझे इतना कष्ट क्यों दिया गया है? अब मैं कहती हूँ कि घर में रहो। कम-से-कम समाज में जो तुम्हारी निन्दा हो रही है वह तो बन्द हो जाएगी।”

मनोरमा ने घर से न जाने का वचन दे दिया और वह अपने कमरे में, जिसमें वह विवाह से पूर्व रहा करती थी, चली गई। सायंकाल जब डिप्टी साहब आए तो उसके कमरे में पहुँच पूछने लगे, “नरेन्द्र को तो जानती हो न?”

“जी हाँ, जानती हूँ,” मनोरमा का उत्तर था।

“तुम उसके पास रहती थीं क्या?”

“जी।”

“वह कहाँ रहता था?”

“कलकत्ते में।”

“तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो।”

“जी हाँ, इसलिए कि आप भी अपनी लड़की पर पुलिस-अफसरी करने लगे हैं।”

“तो मैं कैसे पुलिस-अफसरी छोड़ सकता हूँ?” डिप्टी साहब ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा।

“बहुत सीधी बात है, मुझे आप विश्वासपात्र मान बता दीजिए कि उसने कौन-सा स्थान बताया है। मैं आपको बता दूंगी कि ठीक बताया है या गलत। नहीं तो मुझे कुछ न पूछिए और मुझे बता दीजिए कि मैं यहाँ रहूँ या चली जाऊँ।”

“नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी,” माँ ने बीच में ही बात काटकर कहा, “यदि तुम्हारे पिता को अफसरी ही करनी है तो और लोग क्या सब मर गए हैं?”

डिप्टी साहब ने मनोरमा की माँ को डाँटना चाहा, परन्तु उसने उनके कुछ कहने से पूर्व ही कह दिया, “लड़की ठीक तो कहती है। यदि उसकी गवाही से मुकदमा चलाना है तो उसे हवालात में डाल दो। घर में तो बेटी बनकर रहेगी। अपराधी नहीं।”

“देखो जी,” डिप्टी साहब कुछ नरम हो कहने लगे, “यह मुआमला बहुत ही संगीन है। खून का मुआमला है और वह भी मेरे दामाद का। मैं जानना चाहता हूँ कि दोषी कौन है और यह लड़की उसे बचाना चाहती है।”

“खून हो, चाहे कुछ हो। मैं अपनी लड़की को फाँसी नहीं लगने दूंगी।”

“यदि यह सत्य बता दे तो फाँसी क्यों लगेगी? वह तब सरकारी गवाह बन जाएगी। देखो, मनोरमा, नरेन्द्र मान गया है कि नन्दलाल को उसने मारा है, परन्तु तुम कहती हो कि तुमने मारा है।”

“तो फिर दोनों को चढ़ा दो न फाँसी पर,” मनोरमा की माँ ने कहा, “इतने बड़े अफसर बने फिरते हो और अपनी लड़की को बचा नहीं सकते।”

“इसे बचाने के लिए ही तो नरेन्द्र को फाँसाना चाहता हूँ, परन्तु यह तो कुछ कहती ही नहीं।”

मनोरमा ने कहा, “पर मैं एक निर्दोष को फाँसाना नहीं चाहती। उनको मैंने मारा है।”

“परन्तु वह तो कहता है कि उसने मारा है।”

“वह मुझे बचाने के लिए ऐसा कहते हैं।”

“और अपना पता भी गलत बता रहा है, तुम्हें बचाने के लिए न?”

“जी।”

“और तुम झूठ बोल रही हो उसको बचाने के लिए।”

“जी।”

“इससे यह सिद्ध हुआ कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो किसी और को बचाने के लिए।”

“जी।”

“तो वह कौन है?”

“जी।”

“क्या मतलब ?”

“मतलब साफ है। आपके दामाद ने भारी अत्याचार किए थे। उनको संसार में रहने का अधिकार नहीं था। इस कारण उनको संसार से बाहर कर दिया गया है। यह कार्य मेरे विचार में ठीक है। आप इसे भारी अपराध समझते हैं और शक्तिशाली होने से इस कार्य के करने वाले को दण्ड देना चाहते हैं। मैं उसे दण्ड दिए जाने के योग्य नहीं समझती, इस कारण उसे बचाना चाहती हूँ।”

“तो तुम उसे जानती हो ?”

“जी।”

“तो बता दो न। यह देखना कि वह अपराधी है या नहीं, न तुम्हारा काम है, न मेरा।”

“तो यह किसका काम है ?”

“मैजिस्ट्रेट का।”

“जिसे बीस-तीस रुपए की वेतन-वृद्धि के लिए भी आपके महकमे की सिफारिश की आवश्यकता होती है। छिः, वे लोग क्या न्याय करेंगे ?”

“हाईकोर्ट के जज तो स्वतन्त्र हैं। मैजिस्ट्रेटों की भूल को वे सुधार सकते हैं।”

“यह बहुत लम्बा और महँगा उपाय है। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट के जजों को भी तो वे काले कानून मानने पड़ते हैं जो इस समय वाइसराय ने बनाए हैं। उसने पुलिस को इतने अधिकार दे दिए हैं कि उनसे किए गए अन्याय को हाईकोर्ट के जज भी नहीं रोक सकते।”

यह सुन डिप्टी साहब क्रोध से उबलते हुए उठकर कमरे के बाहर चले गए।

रात-भर मनोरमा की माँ ने डिप्टी साहब को बहुत समझाया, जिसके परिणामस्वरूप प्रातःकाल वह बहुत नरम हो गए और रात के झगड़े के लिए मनोरमा से क्षमा माँगने चले आये।

मनोरमा इससे बहुत लज्जित हुई। वृद्ध पिता को यह कहते सुन—मनोरमा, क्षमा करना। मैं अपनी अफसरी की जिम्मेदारी निभाने के विचार में भूल जाता हूँ कि मैं पिता भी हूँ और मेरी एक लड़की भी है। रात तुम्हारी माता ने समझाया है और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि शायद मेरा पूर्ण जीवन ही भूल में व्यतीत हो गया है। तुम क्या चाहती हो—मनोरमा के आँसू निकल गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, “मैं आपको अपना कर्तव्यपालन करने से मना नहीं करती। परन्तु मैं तो कहती हूँ कि उस सरकार की नौकरी ही क्या करनी, जो अन्याय और अत्याचार पर अत्रलम्बित हो। यदि आप किसी अच्छे काम करने वाले की सेवा करेंगे तो अच्छे काम करना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तब ये बुरे कार्य तो हो ही नहीं सकते।”

“कठिनाई यह है, मनोरमा, कि मैंने जीवन-भर पुलिस की ही नौकरी की है।”

पुलिस तो किसी सरकार की ही होती है न, और भारत की सरकार जैसी है तुम जानती हो।”

“परन्तु क्या आप नरेन्द्रजी को छोड़ नहीं सकते ? कल ही तो आपने कहा था कि उनके अपने कथन के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं मिल रहा।”

“ठीक है, परन्तु तुम यह नहीं जानतीं कि बुरे काम करना तो हमारे बस की बात है, परन्तु कोई भला काम हम कर ही नहीं सकते। सारा-का-सारा महकमा कहने लगता है कि रिश्तत खा गया है। अफसर भी दूसरों को कष्ट देने में खुश होते हैं। नरमी से व्यवहार करने को हमारी अयोग्यता मानते हैं। अब देखो, नरेन्द्र ने मैजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान दे दिया है कि अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के लिए एक भारी षड्यंत्र किया गया है। एक क्रांतिकारी दल बनाया गया है जिसमें लाखों सदस्य हैं। वह, तुम और अनेक अन्य उस दल में सम्मिलित हैं। इस दल की शाखाएँ विदेशों में भी हैं और यह दल भारत को विजय करने की फौजी तैयारी कर रहा है। ये सब बातें भारी अपराध हैं और बात महकमे के बड़े अफसरों तक पहुँच गई है। मेरा इसमें हस्तक्षेप नहीं चल सकता, पर मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ा सकता हूँ। यदि तुम चाहो तो वह तुमसे विवाह कर स्वतन्त्रता से विचर सकेगा। हाँ, उसे यह बताना पड़ेगा कि उस संस्था का दफतर कहाँ है, उसका नेता कौन है और उसको धन कहाँ से मिलता है।”

इन प्रश्नों से मनोरमा के मन को ढाढस बँध गया। अपने पिता के कथन के पूर्व भाग से तो उसे डर लग गया था कि नरेन्द्र सब कुछ बक गया है, परन्तु इन प्रश्नों से उसे विश्वास हो गया कि मतलब की कोई बात नहीं बताई गई।

डिप्टी साहब ने अपनी बात दुहराई और कहा, “मैं चाहता हूँ कि वह सरकारी गवाह बन जाए और तुम इसमें उसकी सहायता कर दो।”

“मैं कैसे सहायता कर सकती हूँ ?”

“उसे एक चिट्ठी लिखो कि तुम्हारे विचार बदल गए हैं। हिन्दुस्तान में युद्ध के पश्चात् स्वराज्य अवश्य मिल जाएगा। महात्मा गांधी और अन्य नेता छोड़ दिए गए हैं। अब शेष कैदियों को छोड़ने का प्रयत्न हो रहा है। केवल मुसलमानों से समझौता कर लेने की देरी है। वस हिन्दुस्तान आजाद हो जाएगा। इस कारण अब उस संस्था की आवश्यकता नहीं रही जो छिपे-छिपे अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी कर रही है। इस दल को बन्द कर देना ही ठीक है। अतएव वह उस दल के विषय में पूरी सूचना पुलिस वालों को देकर सरकारी गवाह बन जाय। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बात वह मान जाएगा। साथ ही तुम यह लिख सकती हो कि अब मुझे तुम्हारे उससे विवाह में आपत्ति नहीं रही और तुम दोनों के लिए मैं अमेरिका रहने का प्रबन्ध कर रहा हूँ।”

इस प्रस्ताव पर मनोरमा ने कहा, “मैं कुछ लिखकर नहीं देना चाहती। यदि

आप समझते हैं कि मैं उन्हें समझा-बुझा सकती हूँ तो मेरी उनसे पृथक् में मुलाकात करवा दीजिए। हम दोनों परस्पर विचार-विनिमय कर कोई ढंग निकालने का यत्न करेंगे।”

इसके विषय में डिप्टी साहब ने सोचने का वचन दे दिया।

: ६ :

इसके कई दिन बाद की बात है। एक दिन प्रातःकाल डिप्टी साहब मनोरमा के कमरे में आये और कहने लगे, “मनोरमा, तुम्हारी नरेन्द्र से मुलाकात की मंजूरी हो गई है।”

“तो इसके लिए भी आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है?”

“हाँ, मैंने यह स्वीकृति ले ली है। अब तुम्हें अवसर मिल गया है कि तुम उस पर प्रभाव डाल सको और जहाँ वह स्वयं फाँसी से छूट सकता है, वहाँ तुम्हारे साथ सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकता है।”

“मैं समझने और उनको समझाने का यत्न करूँगी।”

“क्या समझने का यत्न करोगी?”

“यही कि वह मुझसे विवाह करना स्वीकार करते हैं या नहीं।”

“तो क्या तुम दोनों परस्पर प्रेम नहीं करते?”

“करते थे, परन्तु अब नहीं जानती।”

“तो तुम इकट्ठे नहीं रहते रहे?”

“एक ही स्थान पर रहते अवश्य थे, परन्तु पुनर्विवाह की मेरी कुछ विशेष इच्छा नहीं थी।”

“तो फिर विवाह के विषय में पूछने की क्या आवश्यकता है?”

“यदि मेरे उनके साथ विवाह करने से उनकी जान बच सकती है तो मैं यह भी करने को तैयार हूँ।”

“तुम्हें उसकी जान बचाने की इतनी चिन्ता क्यों लग रही है?”

“यह मैं स्वयं नहीं समझ सकी।”

डिप्टी साहब का विचार था कि मनोरमा झूठ बोल रही है। यद्यपि वह कहती थी कि वह पुनर्विवाह की इच्छा नहीं रखती तथापि डिप्टी साहब को विश्वास होता जाता था कि मनोरमा का नरेन्द्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और वह दिल्ली, शायद, नरेन्द्र को छुड़ाने ही आई है। इस कारण डिप्टी साहब की विचारधारा यह बन रही थी कि यदि नरेन्द्र के दल के अस्तित्व का और उसके अन्य कर्मचारियों के नाम-धाम का पता चल जाए तो नरेन्द्र को छुड़ाने पर भी उसकी भारी नेकनामी होगी। इस कारण डिप्टी साहब मनोरमा को यह अवसर देना चाहते थे कि वह नरेन्द्र को सरकारी गवाह बनने में उत्साहित कर सके।

अतएव उसी दिन मनोरमा डिप्टी साहब की मोटर में सवार हो लाल किले

जा पहुँची। नरेन्द्र से मिलने का पास उसके पास था। लाल किले के अन्दर पुलिस बैरकों के नीचे तहखाने में वह कैद था। चौंसठ सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर एक सुरंग थी। उस सुरंग के एक तरफ कई कोठरियाँ थीं। उनमें से एक में वह था। कोठरी का दरवाज लोहे के सीखचों का बना था और दरवाजे को ताला लगा था। पुलिस का पहरेदार जो मनोरमा के साथ आया था, सुरंग में लगी बिजली के प्रकाश में चाबियों के गुच्छे में से चाबी निकाल ताला खोलने लगा। कोठरी में अँधेरा था। केवल सुरंग में, जो एक प्रकार का कोठरी के बाहर बरामदा मानना चाहिए, एक बिजली का हल्के प्रकाश वाला लेम्प लगा था। उसी का प्रकाश सीखचों में से कोठरी में जा रहा था। सीखचों का किवाड़ खुलने पर पत्थर के एक चौके पर एक आदमी बड़ी-बड़ी दाढ़ी-मूँछ और सिर के लम्बे बालों वाला बैठा दिखाई दिया। यह नरेन्द्र था। लोहे के किवाड़ खुलने के शब्द से (मानो कोई नींद से जाग उठा हो) सचेत हो आने वाले को अचम्भे में देखने लगा। मनोरमा दरवाजे में ही खड़ी नरेन्द्र को पहचानने का यत्न कर रही थी। नरेन्द्र ने उसे पहले पहचान लिया और कहा, “सो तुम आ गई हो?”

“जी।”

“क्यों?”

“मैं आजकल अपने पिता के घर रहती हूँ। उन्होंने ही इस मुलाकात का प्रबन्ध करवाया है।”

“तो तुम्हारे पिता, जो कुछ अत्यन्त कष्ट देकर भी नहीं जान सके, अब तुम्हारे प्रेम-प्रदर्शन से कहलवाना चाहते हैं?”

“मैं आपसे कुछ कहलवाने नहीं आई।”

“तो किसलिए आई हो?”

मनोरमा नरेन्द्र के सम्मुख खड़ी थी। नरेन्द्र वैसे ही चौके पर बैठा रहा। सुरंग की बत्ती का धीमा प्रकाश नरेन्द्र के रक्तहीन मुख पर पड़ रहा था। मनोरमा की पीठ कोठरी के दरवाजे की ओर थी इससे उसके मुख पर के भावों को नरेन्द्र देख नहीं सकता था।

मनोरमा ने चौके के नीचे फर्श पर बैठते हुए कहा, “मुझे आपको अपनी सफाई देनी है। मेरा व्यवहार आपके साथ अनुचित और अयुक्तिसंगत था। उसके लिए क्षमा माँगना चाहती थी।”

“न तो अब इसकी आवश्यकता है और न ही इसमें कुछ लाभ है। जीवन का दीपक बुझ गया है। इसमें तेल समाप्त हो गया है। बत्ती से थोड़ा-सा धुआँ निकल रहा है जो इस बात का सूचक है कि यह भी कभी देदीप्यमान था।”

“इसीलिए तो आई हूँ कि अपने प्रेमरूमी तेल को इस दीपक में भर दूँ; इसे पुनः प्रज्वलित कर जीवन-ज्योति से भरपूर कर दूँ।”

“मैं समझता हूँ कि इस जीवन में अब सम्भव नहीं होगा। यही कारण है कि जीवन को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ।”

मनोरमा जहाँ बैठी थी वह स्थान गंदा तो था ही, साथ ही सील से गीला हो रहा था। मनोरमा को ऐसा अनुभव हुआ कि सर्दी उसकी पीठ से सिर की ओर ऐसे रेंगती हुई चढ़ रही है जैसे चींटियाँ। उसका नीचे का भाग सर्दी से सुन्न हो रहा था। मनोरमा ने भूमि को हाथ लगाकर देखा। सील से भीगी हुई मिट्टी हाथ को लग गई। मनोरमा को ऐसा करते देख नरेन्द्र हँस पड़ा। उसकी हँसी में वह रस नहीं था जो पहले हुआ करता था। यह सर्वथा शुष्क थी। मनोरमा को यह नीरस हँसी बहुत ही भयंकर प्रतीत हुई। वह अवाक् मुख नरेन्द्र को देखती रह गई। नरेन्द्र उसको अचम्भा करते देख कहने लगा, “मनोरमा, यह तो कुछ भी नहीं। इससे कहीं अधिक यंत्रणा सहन कर चुका हूँ।”

इतना कह उसने अपना हाथ दिखाया। उस पर बहुत बड़ा-सा घाव बना था जो बहुत गन्दा हो रहा था। मनोरमा ने प्रश्न-भरी दृष्टि से देखा तो वह कहने लगा, “अनेक अन्य कष्टों से जब मैंने उनके कथनानुसार वक्तव्य नहीं दिया तो इस हाथ को इस लकड़ी के तख्ते पर रखकर उस पर एक कील गाड़ दी और दो घण्टे तक वहाँ गड़ा रहने दिया गया। उस काल में मुझसे बार-बार पूछा जा रहा था कि नन्दलाल को किसने मारा है, मेरे साथी कौन हैं, और नन्दलाल के घर डाका डालने वाले कौन-कौन थे? मेरा एक ही उत्तर था कि यह सब कुछ मैंने ही किया है।”

“इस घाव पर दवाई लगाई जाती है या नहीं?”

“लगाई जाती है, पर यह ब्रिगड़ता ही जाता है। न जाने क्या ओषधि लगाई जा रही है।”

भूमि पर सील इतनी थी कि मनोरमा की रीढ़ की हड्डी में अकड़ाव प्रतीत होने लगा। उसके सिर में चक्कर आने लगा था। वह उठ खड़ी हुई और कहने लगी, “मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?”

“मुझे फिर मिलने न आना। इसके लिए कृतज्ञ रहूँगा।”

“आपने बताया था कि आपकी संस्था स्वराज्य-स्थापित करना चाहती है?”

“यह तो डिप्टी साहब ने बताया था कि तुमने उनको कहा है। मुझे अब इसमें दिलचस्पी नहीं कि तुम क्या कहती हो और क्या करती हो।”

“नवरत्न-मण्डल में दादा का मत प्रबल रहा है।”

“मुझे इसके विषय में सोचने की फुरसत नहीं। न ही मस्तिष्क इस स्थान पर विचार कर सकता है। अब तो शीघ्र ही इस कलेवर को छोड़ने के लिए आत्मा छटपटा रही।”

मनोरमा के आँसू टप-टप गिर रहे थे। उसका मुख अभी भी दीवार की ओर था और नरेन्द्र उसके भाव को देख नहीं रहा था। उसे चुपचाप खड़ा देख नरेन्द्र ने

कहा, “अच्छा, अब तुम जा सकती हो। मैं न तो उठकर तुम्हारा स्वागत कर सका और न ही तुम्हें विदा कर सकता हूँ। मैं उठ ही नहीं सकता।”

मनोरमा के सिर में जोर का चक्कर आया और वह गिरने ही वाली थी कि उसने दरवाजे के सीखचों को पकड़कर अपने को सँभाला। उसने कारण जानने के लिए पूछा, “क्यों, क्या बात है नरेन्द्र जी?”

“मेरे शरीर के नीचे का भाग सुन्न हो गया है। मैं समझता हूँ कि मुझे पक्षाघात हो गया है। मैं अपने आप उठ नहीं सकता। किसी से आश्रय लेने की आवश्यकता रहती है।”

“यह कब से है?” हिचकियाँ लेते हुए मनोरमा ने पूछा।

“यों तो जब से यहाँ लाया गया हूँ तब से ही इसका श्रीगणेश हुआ है, परन्तु एक सप्ताह से यह भाग मर गया प्रतीत होता है।”

“तो ये लोग आपको मारना चाहते हैं?”

“मुझ पर भारी कृपा कर रहे हैं।”

मनोरमा और सहन नहीं कर सकी। वह यह कहती हुई कि, ‘अच्छी बात, शीघ्र ही मिलेंगे’, वहाँ से लुढ़कती हुई बाहर निकल गई।

: ७ :

मित्र-राष्ट्रों ने सानफ्रांसिस्को में एक सभा बुलाई और इसमें सम्मिलित होने के लिए भारतवर्ष के नाम पर ब्रिटिश सरकार के गुणानुवाद गाने वाले प्रतिनिधि भारत सरकार ने भेज दिए। इंग्लैंड के दुर्भाग से श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो किसी निजी कार्यवश अमेरिका गई हुई थी, वहाँ जा धमकी और उसने हिन्दुस्तान-सरकार और उसके भेजे हुए हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों की ऐसी पोल खोली कि संसार के प्रायः सब मुख्य राष्ट्रों में और विशेष रूप से अमेरिका में अंग्रेजों के झूठ और कुटिलता का भण्डा फूट गया। जिस बात के लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा की गई थी वही बात अंग्रेजों में भी बहुत भारी मात्रा में पाई गई।

इससे अंग्रेजों को अपनी नेकनीयती सिद्ध करने के लिए पहले तो भारतवर्ष में एक ‘गुडविल मिशन’ भेजना पड़ा और फिर राज्य-परिषद् के तीन मुख्य सदस्यों की एक समिति ‘कैबिनेट मिशन’ यहाँ आया। परिणामस्वरूप दुनिया-भर के देशों में वाहवाह होने लगी।

प्रकट रूप में तो यह प्रतीत होता था कि इंग्लैंड की राज्य-परिषद् के सदस्यों की समिति सब कुछ यहाँ की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की राय से कर रही है, परन्तु वास्तव में जो कुछ वे चाहते थे वे भारत की दोनों प्रमुख पार्टियाँ मानती जाती थीं। इंग्लैंड की घरेलू परिस्थिति इतनी दुर्बल थी कि वह हिन्दुस्तान जैसे देश को सँभालने में असमर्थ था। इस कारण हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने के साथ यहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रबन्ध कर दिया गया कि भविष्य में इंग्लैंड की

सहायता के बिना हिन्दुस्तान का जीवन दुर्भर हो जाय ।

स्वराज्य-संस्थान-समिति ने अपना आतंक जमाने तथा क्रान्ति उत्पन्न करने का कार्य आरम्भ कर दिया था । बर्मा से हिन्द राष्ट्रीय सेना के लोगों को सरकार ने कैद कर लिया था । इनकी संख्या पचास-साठ सहस्र के लगभग थी । इस सेना के प्रमुख नेताओं पर फौजी मुकदमे चलाने की योजना की गई । लोगों में इसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो गया और स्वराज्य-संस्थापन-समिति के नेता धीरेन्द्र ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर क्रान्ति का श्रीगणेश कर दिया ।

आरम्भ में कलकत्ता और बम्बई में बलवे हो गए । फिर समुद्री जहाजी बेड़ों में हिन्दुस्तानी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । साथ ही जबलपुर, ढाका इत्यादि स्थानों पर फौजों में हड़ताल और बलवे आरम्भ हो गए ।

परन्तु योजना के सब अंग पूर्ण नहीं हो सके । विदेशों से सहायता नहीं पहुँच सकी । सहायक देशों को विश्वास हो गया था कि अंग्रेज स्वयं ही भारतवर्ष को स्वतन्त्र कर रहे हैं । महात्मा गांधी और उनके साथियों ने विप्लव खड़ा करने वाले फौजियों और नागरिकों को आश्वासन दिला दिया कि देश को पूर्ण स्वराज्य मिल रहा है और इस समय हिंसात्मक आन्दोलन तथा विप्लव इस स्वराज्य को दूर कर देगा । दूसरी ओर धीरेन्द्र आदि नवरत्न-मण्डल के सदस्यों का विचार कि केवल देश-प्रेम से लोग मन लगाकर विप्लव खड़ा करेंगे, सर्वथा सत्य सिद्ध नहीं हुआ । ब्रिटिश सरकार ने और उसकी सहायता से मुस्लिम लीग के नेताओं ने भारतवर्ष के वातावरण को इतना विषाक्त कर रखा था कि लोगों का ध्यान हिन्दू-मुस्लिम समस्या की ओर पूर्णरूप से लग गया था । हिन्दुओं और मुसलमानों के साँझे राज्य-स्थापन के लिए प्रयत्न के स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े होने लगे ।

महात्मा गांधी और कांग्रेस मुसलमानों के सम्मुख झुकते जाते थे । इससे मुसलमान और अंग्रेज तो इनसे प्रसन्न थे ही, साथ ही हिन्दुत्व का दृष्टिकोण रखने वाले हिन्दू भी यह समझने लगे थे कि मुसलमानों को अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता देकर कांग्रेस हिन्दू-संस्कृति की रक्षा का भार अपने पर ले लेगी । इससे हिन्दुओं में कांग्रेस पर श्रद्धा बढ़ती गई । देश के उन नेताओं का मान, जो हिन्दुओं और मुसलमानों का साँझा स्वराज्य चाहते थे, घट गया । स्वराज्य-संस्थापन-समिति का नेता धीरेन्द्र भी अपना प्रभाव खो बैठा और उसकी विप्लव खड़ा करने की योजना बल नहीं पकड़ सकी ।

शंकर पंडित छः वर्ष तक स्वराज्य-संस्थापन-समिति का कार्य करने तथा उसकी नीति को निश्चय करने के काम के पश्चात् उदासीन हो लखनऊ में एक मकान लेकर रहने लगा ।

मनोरमा जो विशेष परिस्थितियों के कारण स्वराज्य-संस्थापन-समिति में कार्य कर रही थी अब उससे उदास हो घर पर रहने लगी थी । नरेन्द्र के विषय में

जो कुछ उसे पता चलता था, शेखरानन्द को लिख दिया करती थी।

: ८ :

नरेन्द्र से मिलकर मनोरमा जब किले से बाहर निकली तो उसे सब संसार रूखा प्रतीत होने लगा। वह समझती थी कि नरेन्द्र का पकड़ा जाना और उसको किले में इस प्रकार कष्ट दिया जाना सब उसी की भूल से हुआ है। यदि वह कुछ धैर्य और विचारशीलता से काम लेती तो बात इस सीमा तक न पहुँचती। उसके मन में बार-बार यही बात आ रही थी कि नरेन्द्र यदि मर गया तो उसकी हत्या का पाप उसी के सिर पर होगा। तो क्या अब वह बचाया जा सकता है? यदि जेल से छूट जाय तो उसे स्वस्थ करने का यत्न किया जा सकता है। इस विचार के आते ही वह उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगी।

जब वह घर पर पहुँची तो डिप्टी साहब उसकी प्रतीक्षा में उपस्थित थे। मनोरमा के पहुँचते ही डिप्टी साहब ने पूछा, “क्या निश्चय हुआ है, मनोरमा?”

मनोरमा ने आँखों में आँसू भरते हुए कहा, “पिताजी, उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊँगी।”

“मर जाओगी! भला क्यों?”

“आप उन्हें वहाँ रखकर मार डालेंगे और मैं यहाँ स्वयं ही प्राण दे दूँगी।”

“कैसे?”

“अनशन कर।”

“मैं उसे छुड़ा नहीं सकता।”

“तो आप मुझे भी उनके साथ ही जाती देखेंगे।”

डिप्टी साहब मन में सोचते थे कि सब महात्मा गांधी ही बनना चाहते हैं। भूखे रहकर मर जाना सुगम नहीं है। इतना सोच वह कमरे से बाहर निकल गए।

परन्तु मनोरमा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह नरेन्द्र को शीघ्र ही मिलने के लिए कह आई थी और उससे मिलने का केवल एक ही उपाय था। वह इस जीवन को समाप्त कर ही हो सकता था।

एक-दो दिन तक तो मनोरमा के अनशन पर डिप्टी साहब को विश्वास ही नहीं आया। मनोरमा की माँ ने जब कहा कि मनोरमा ने कुछ नहीं खाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिवा, “भूख लगेगी तो खा लेगी।”

परन्तु तीसरे दिन तो मनोरमा खाट पर लेट गई। सायंकाल जब डिप्टी साहब घर आये तो मनोरमा की माँ ने आँखों में आँसू भरकर कहा, “मनोरमा पेशाब जाते समय चक्कर खाकर गिर पड़ी थी।”

“तो मैं क्या करूँ? लड़की को तुमने हठी बना रखा है।”

“आप मर्दों की बातें मेरी समझ में नहीं आतीं। खुद तो बच्चों को कभी समझाते-बुझाते नहीं और जब कोई बात अरुचिकर हो जाती है तो दोष दूसरों को

देने लगते हैं।”

डिप्टी साहब मनोरमा के कमरे में गए तो मनोरमा की दुर्बल अवस्था देख घबरा उठे। तीन दिन में ही उसका रक्त सब सूख गया था। गालें अन्दर को घस गई थीं। उसे देख एकाएक डिप्टी साहब के मुख से निकल गया, “यह क्या है?”

मनोरमा ने आँखें मूंदकर मुख मोड़ लिया। मनोरमा की माँ, जो डिप्टी साहब के पीछे-पीछे कमरे में आ गई थी, कहने लगी, “बात क्या है। यह भूखी रहकर प्राण दे देना चाहती है।”

“यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों? उस कातिल नरेन्द्र के लिए?”

अब मनोरमा से रहा नहीं गया। वह दुर्बल हो चुकी थी। इस कारण बोलने में उसे यत्न करना पड़ा था, जिससे उसका मुख तमतमा उठा था। वह बोली, “यदि वह कातिल है तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? छः मास से तहखाने में बन्द कर उसे बिना मुकदमा किये ही मार डालने का यत्न क्यों किया जा रहा है?”

“खून का मुकदमा तो अभी नहीं चल सकता, मगर वह पकड़ा गया है डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट के अधीन। वह बहुत ही खतरनाक आदमी माना गया है।”

“यह मानने वाला कौन है? आप या आपके महकमे वाले ही तो हैं जिन्होंने झूठी रिपोर्टें करके उसे पकड़वाया है।”

“मैं पुलिस-अफसर जरूर हूँ, परन्तु पुलिस का महकमा नहीं हूँ।”

“कुछ भी हो। भारी अन्याय हो रहा है और मैं इस अन्यायपूर्ण वातावरण में जी नहीं सकती।”

“परन्तु, मनोरमा, जब महात्मा गांधी भी व्रत रखने थे तो नमकीन पानी पीते रहते थे। कभी ग्लूकोज भी पानी में मिलाकर ले लेते थे। परन्तु तुम तो जल भी नहीं ले रहीं,” हिचकियाँ भरते हुए मनोरमा की माँ ने कहा।

मनोरमा, जो उक्त दो बार बोलने से ही ह्राँफने लगी थी, बोली, “मुझे अपने व्रत से दूसरों पर दबाव नहीं डालना, जिससे इस यंत्रणा को लम्बा करती जाऊँ।”

“तो तुम क्या चाहती हो?”

“आप मेरे सामने से हट जायें जिससे मैं अपनी अन्तिम घड़ियाँ शान्ति से गुजार सकूँ।”

डिप्टी साहब और उनकी स्त्री दोनों कमरे से बाहर निकल आये। बाहर आकर मनोरमा की माँ ने डिप्टी साहब का मार्ग रोककर कहा, “लड़की की जान बचानी होगी। घर में एक ही तो है और वह भी इस तरह प्राण छोड़ दे तो धिक्कार है हमें।”

“मैं पूछता हूँ कि इसमें मेरा क्या दोष है?”

“नरेन्द्र को छोड़ाना होगा और वहभी शीघ्र। मनोरमा बता रही थी कि उसका

नीचे का भाग मारा गया है।”

“सो तो ठीक है। नरेन्द्र की बहन राधा ने उसके छोड़े जाने की प्रार्थना की थी। होम-मेम्बर ने डाक्टरी परीक्षा की आज्ञा दे दी। परन्तु डाक्टर ने लिखा है कि कोई चिन्ता की बात नहीं।”

“तो आप समझते हैं कि डाक्टर ने सत्य लिखा है?”

डिप्टी साहब चुप थे। यह उनके दफ्तर के रहस्य की बात थी। उन्हें चुप देख मनोरमा की माँ ने कहा, “मैं समझती हूँ कि किसी कारण से डाक्टर ने झूठी रिपोर्ट कर दी है। क्या आप उसके झूठ को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।”

“महकमे में बदनाम हो जाऊँगा।”

“सत्य को प्रकट करने के लिए?”

“हाँ।”

“भारी अचम्भा है। आप ऐसे दफ्तर में नौकरी ही क्यों करते हैं?”

डिप्टी साहब अब भी चुप थे। मनोरमा की माँ ने फिर कहा, “मनोरमा नरेन्द्र से प्रेम करती है और यदि नरेन्द्र को कुछ हो गया तो निस्सन्देह वह भी प्राणान्त कर लेगी। उस समय मैं क्या कहूँगी, नहीं जानती।”

डिप्टी साहब ने कुछ नरम होकर कहा, “मनोरमा के पेट में भोजन जाना चाहिए। इसके लिए डाक्टर से राय करता हूँ।”

डाक्टर की राय से फलों का रस बलपूर्वक रबड़ की नली से पेट में पहुँचाने का विचार हुआ। इसके लिए एक लेडी-डाक्टर की सहायता प्रस्तुत की गई। मनोरमा के विरोध पर विजय पाने के लिए उसके हाथ-पैर बाँध दिये गए और फिर नली उसके मुख से गले के नीचे उतार दी गई। मनोरमा इस सब कार्यवाही में विरोध करती रही और फलों का रस न पीने का यत्न करती रही। परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गई और उसकी नब्ज छूट गई। लेडी डाक्टर डर गई और उसने तुरन्त हाथ-पाँव खोल दिये और दिल को ताकत देने का एक इंजेक्शन लगा दिया।

डिप्टी साहब और उनकी स्त्री डाक्टर की घबराहट देख समझ गए थे कि अवस्था बिगड़ गई है। इससे उन्हें अपने किये पर पश्चात्ताप लगने लगा। जब इंजेक्शन के प्रभाव से पुनः होंठ फड़कने लगे तो फिर यह उपाय प्रयोग न करने का निर्णय कर लिया। मनोरमा की माँ ने कहा, “आखिर आपकी उससे इतनी दुश्मनी क्यों है कि उसे छुड़ाने का यत्न तक भी नहीं करना चाहते?”

डिप्टी साहब कमरे से बाहर आ गए और मनोरमा की माँ से, जो उनके साथ थी, बोले, “मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। बात यों हुई कि जब मैंने उससे मनोरमा के विवाह का प्रस्ताव किया था, तो उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर मेरा भारी अपमान किया था जो मैं भूल नहीं सका। उसके विरुद्ध मैंने और मेरी सम्मति से नन्दलाल ने एक लम्बा-चौड़ा मुकदमा तैयार किया था और अब मैं उसको रद्द

नहीं कर सकता। परन्तु अब मनोरमा की अवस्था देख मैं परेशान हूँ और समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। मैं जानता हूँ कि नरेन्द्र का शीघ्र ही प्राणान्त हो जाएगा। फिर भी मैं नहीं जानता कि किस बहाने से उसको छुड़ाने का यत्न करूँ।”

“बहुत समझदार बन रहे हैं आप ! बात बहुत सीधी है। डाक्टर को मिलकर कहो कि सत्य-सत्य रिपोर्ट कर दे। मैं समझती हूँ कि इससे उसे छोड़ने की आज्ञा हो जावेगी।”

“तुम नहीं जानतीं, रानी, मेरे ही कहने पर डाक्टर ने झूठी रिपोर्ट की थी।”

मनोरमा की माँ यह सुन अवाक् अपने पति का मुख देखती रह गई। वह नहीं समझ सकी कि इतना द्वेष क्यों उनके मन में भर रहा था। प्रत्येक स्त्री अपने पति के लिए मन में मान और प्रतिष्ठा रखती है। जब वह प्रतिष्ठा लुप्त हो जाय तो स्त्री अपने आपको निराधार आकाश में लटकती पाती है। यही अवस्था मनोरमा की माँ की हो गई। वह जानती थी कि महकमा-पुत्रिस में बहुत खराब आदमी भरे हुए हैं, परन्तु वह अपने पति को महकमे के लोगों से बहुत अच्छा मानती थी। आज यह जानकर कि, वह भी ऐसी कुटिलता करते हैं, उसके मन में ठेस लगी। इससे माथे पर त्योंरी चढ़ाकर कहने लगी, “आपने बहुत बुरा किया है।”

“मुझे क्या मालूम था कि मनोरमा का उससे इतना लगाव हो चुका है। नन्दलाल से विवाह के समय तो उसने कुछ भी एतराज नहीं किया था।”

“तो अब ही कुछ करो न। मैं समझती हूँ कि यदि एक-दो दिन में कुछ न किया गया तो इसका प्राणान्त हो जाएगा।”

“इतनी जल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता।”

“यदि तुम सत्य ही उसके छुड़ाने का वचन दो तो मैं मनोरमा को कह सकती हूँ और शायद वह व्रत तोड़ दे।”

“मैं यत्न करता हूँ।”

मनोरमा की माँ वह शुभ समाचार सुनाने के लिए भीतर चली गई। डिप्टी साहब के मन से नरेन्द्र द्वारा किये गए अपमान की याद नहीं भूली थी, परन्तु अपनी स्त्री के आग्रह तथा अपनी लड़की के जीवन जाने के भय से झुक गए। अपने दफ्तर में वह पत्थर की भाँति दृढ़ निश्चय वाले अफसर माने जाते थे। इसी नाम की रक्षा के लिए वह नम्रता प्रकट करने से डरते थे, परन्तु घर वालों का दबाव वह सहन नहीं कर सके।

: ६ :

मनोरमा को जब यह बताया गया कि उसके पिता ने वचन दिया है कि वह नरेन्द्र को छुड़ाने का पूरा यत्न करेंगे तो उसने कहा, “यत्न से क्या होता है, माँ। उनका जीवन, तेल समाप्त हुए दीये की भाँति, बुझने ही वाला है। मैं नहीं जानती कि अभी भी वह जीवित हैं या नहीं।”

“तुम्हारे पिता कहते थे कि आज डाक्टर उसकी परीक्षा के लिए गया था और उसने रिपोर्ट की है कि नरेन्द्र का स्वास्थ्य सुधर रहा है।”

“उस कोठरी में तो मौत के अतिरिक्त और कुछ परिणाम ही नहीं सकता। वहाँ अँधेरा है, सील है और हवा गन्दी है। टट्टी-पेशाब भी तो आठ वर्ग फीट कमरे के अन्दर ही करना पड़ता है। वहाँ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।”

“अब वह छूट ही जायगा और, जैसा तुम कहती हो कि उसे अर्धांग वात हो चुकी है, तो बाहर आने पर उसको राजी करना होगा। मैं समझती हूँ, मनोरमा, कि अब तुम्हें व्रत तोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो उसकी सेवा-शुश्रूषा कौन करेगा?”

मनोरमा ने सन्देह-भरी दृष्टि से माँ के मुख पर देखा। परन्तु जब उसमें सरलता देखी तो पूछने लगी, “माँ, मुझे धोखा तो नहीं देती हो?”

“नहीं, बेटी, सत्य कहती हूँ। यदि अब भी तुम्हारे पिता ने उसे न छोड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ भूखी रहकर मर जाऊँगी। तुम्हारे पिता ने आज तक कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया।”

“अच्छी बात है। मैं व्रत तोड़ती हूँ, परन्तु किञ्चित्-मात्र भी धोखा होने पर विष खाकर मर जाऊँगी।”

मनोरमा ने व्रत तोड़ दिया और डिप्टी साहब नरेन्द्र को छोड़ने का यत्न करने लगे। वह किले में कैदियों की देख-रेख करने वाले दारोगा से मिले। उसने रिपोर्ट करवाई कि नरेन्द्र की अवस्था एकदम बिगड़ गई है। इस रिपोर्ट पर पुनः होम-मेम्बर की आज्ञा हुई कि डाक्टरी-परीक्षा हो। दूसरी ओर डिप्टी साहब बनारसी-दास से मिले और उससे कहकर पुनः नरेन्द्र की बहन राधा से प्रार्थना-पत्र भिजवाया। महकमा पुलिस के लोग और डाक्टर यह समझते थे कि डिप्टी साहब के दामाद का कातिल है और वह उसके छोड़े जाने को पसन्द नहीं करते। इससे पुनः परीक्षा की रिपोर्ट भी मैडिकल अफसर ने वही लिखी जो पहले थी। इस पर डिप्टी साहब उसके पास पहुँचे। उससे कहने लगे, “डाक्टर साहब, नरेन्द्र क्या सत्य ही ठीक हो रहा है?”

डाक्टर साहब ने मुस्कराते हुए कहा, “डिप्टी साहब, चिन्ता की बात नहीं। एक-दो दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जायगा। उसके मुख और हाथों पर सूजन आ गई है।”

“मतलब?” डिप्टी साहब ने घबराकर पूछा।

डाक्टर ने गम्भीर होकर कहा, “बहुत होनहार लड़का था, परन्तु पुलिस बापों से दुश्मनी करना मामूली बात नहीं।”

डिप्टी साहब के माथे से पसीने की बूँदें टपकने लगीं। वह घबड़ाकर बोले, “मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट लिख दें कि उसके बचने की आशा नहीं।”

“तो आपका मतलब है कि अपनी पहली रिपोर्टों को रद्द कर दूँ?”

डिप्टी साहब ने आँखें लज्जा से नीचे कर कहा, “यह काम अब करना ही है। उसे जीता छुड़ाना चाहता हूँ।”

“ओह, यह बात है! राय साहब, अकेले-अकेले तो माल हजम नहीं होना चाहिए। सुना है लाला बनारसीदास इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उनके लड़के इन्द्रजीत का साला है न? कितना दाम लगाया है आपने उसकी जान का?”

ये बातें सर्वथा साधारण थीं। नित्य दफ्तर में हुआ करती थीं, परन्तु डिप्टी साहब ने जब अपने साथ ही यह होते देखा तो लज्जा से भूमि में गड़ गए। आज उनमें यह कहने का साहस नहीं हुआ कि रिश्वत लिये बिना केवल नेकी के विचार से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बात को सुलझाने के लिए कह दिया, “दस हजार।”

“बस?” डाक्टर ने अचम्भे में पूछा, “यह तो कुछ नहीं। बनारसीदास से तो एक लाख से कम माँगना ही नहीं चाहिए था।”

“उसके राजी हो जाने पर और मिलेगा।”

डाक्टर ने कंधों को झटका दे, असन्तोष प्रकट करते हुए, उठकर अलमारी में से फाइल निकाली और मेज पर रखकर उसमें से एक कागज ढूँढते हुए बोला, “तो मैं पहली रिपोर्ट फाइल फेंक देता हूँ और नयी रिपोर्ट लिख देता हूँ।”

डिप्टी साहब ने जेब में से सौ-सौ रुपये के बीस नोट निकाल मेज पर रखते हुए कहा, “यह आपका भाग है।” डाक्टर ने एक कागज निकाल टुकड़े-टुकड़े कर रही कागजों की टोकरी में डाल दिया और एक ताजा कागज ले नयी रिपोर्ट लिख डाली।

बात यहीं समाप्त नहीं हुई। यह रिपोर्ट दफ्तर में से होती हुई होम-डिपार्टमेंट में जानी थी और वहाँ होम-मेम्बर की आज्ञा से ही नरेन्द्र छूट सकता था।

नरेन्द्र को छुड़ाने का वचन दिये डिप्टी साहब को दो सप्ताह से ऊपर हो चुके थे और इस काल में मनोरमा दिन में एक समय खाकर निर्वाह कर रही थी।

: १० :

इस समय ब्रिटिश राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा निश्चित योजना के अनुसार हिन्दुस्तान की एक केन्द्रीय अन्तर्कालीन सरकार बन गई थी। इसके बनते ही मिस्टर सआदतहुसैन और वीणा के प्रयत्नों से, होम-मेम्बर के पास डाक्टर की रिपोर्ट पहुँचने के पूर्व ही, नरेन्द्र को छोड़ने की आज्ञा हो गई।

वह आज्ञा पुलिस के दफ्तर में आई तो डिप्टी साहब ने तुरन्त टेलीफोन से अपने घर मनोरमा को सूचना भेजी और कहा कि वह उसे निकालने के लिए लाल किले जा रहे हैं।

मनोरमा यद्यपि अभी दुर्बल थी तो भी स्वयं वहाँ पहुँच नरेन्द्र को आराम से लाने में सहायता देना चाहती थी। उसने पिता की मोटर निकलवाई और किले के फाटक पर जा पहुँची। डिप्टी साहब एम्बुलेन्स कार में सवार हो वहाँ जा पहुँचे। मनोरमा डिप्टी साहब के साथ जब सुरंग में पहुँची तो सुरंग के मुख पर खड़े

सिपाही ने हाथ के संकेत से उन्हें रोककर कहा, “वह अन्तिम श्वासों पर है।”

मनोरमा ने अधीर होकर कहा, “पर हम उन्हें लेने आये हैं।”

“व्यर्थ है,” सन्तरी का कहना था, “उसके खड़खड़ी चल रही है।”

मनोरमा उतावलों की भाँति सन्तरी को हाथ से एक ओर धकेलकर सुरंग में घुस गई और भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। डिप्टी साहब का अनुमान था कि उसका पाँव सीढ़ियों से फिसल जाएगा और वह सीढ़ियों से लुढ़क, गिरकर मर जाएगी। इससे अवाक् मुख-आँखें फाड़कर उसे सुरंग में दस-बत्ती के बिजली के लैम्प के प्रकाश में विलुप्त होते देखते रह गए।

मनोरमा अपने आप में नहीं थी। वह जोर-जोर से पुकारती हुई, ‘नरेन्द्र जी, मैं आ गई हूँ ! नरेन्द्र जी, मैं आ गई हूँ !’ सुरंग में भागती हुई वहाँ जा पहुँची।

सुरंग की बत्ती के धीमे प्रकाश में उसने देखा कि नरेन्द्र पत्थर के चौके पर लेटा हुआ है और खुर्र-खुर्र का शब्द उसके गले में से निकल रहा है।

सींखचे का दरवाजा बन्द था, परन्तु ताला खुला था। शायद सिपाही उसे देखने आया था और उसे मृत्यु के पंजे में देख, जीवनान्त का दृश्य देखने में अपने को अशक्त पा, घबराकर सुरंग के ऊपर चला गया था और जाते समय ताला लगाना अनावश्यक समझ या भूल से वहीं खुला छोड़ गया था।

मनोरमा ने दरवाजा खोलते हुए फिर जोर से कहा, “नरेन्द्र जी ! नरेन्द्र जी ! मैं आ गई हूँ। ठहरो, मैं आ गई हूँ।”

वह भीतर पहुँची और नरेन्द्र के सिरहाने बैठ, उसका सिर अपनी गोदी में रख, उसके मुख में अंगुली डाल गले से श्लेष्मा निकालने लगी। इससे श्वास कुछ सुगमता से निकलने लगी। उसने इससे कुछ आशा बाँध फिर पुकारा, ‘नरेन्द्र जी ! नरेन्द्र जी ! मैं मनोरमा हूँ।’

इतने में डिप्टी साहब एम्बुलेन्स-कार से स्ट्रेचर लिये आ पहुँचे। उनके साथियों ने स्ट्रेचर पर नरेन्द्र को डाल लिया और उठाकर बाहर को चल पड़े। स्ट्रेचर जब कोठरी से बाहर निकला तो सुरंग में लगे बिजली के लैम्प के प्रकाश में नरेन्द्र का नीला मुख देख मनोरमा चीख मारकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। यह एक नयी उलझन थी। डिप्टी साहब इससे बहुत घबराए। वह वहीं खड़े रहे जब तक कि स्ट्रेचर नरेन्द्र को बाहर छोड़ पुनः मनोरमा को लेने के लिए वापस नहीं आया। उन्होंने मनोरमा की नाड़ी देखी जो सर्वथा धीमी पड़ गई थी। इससे उनका अपना हृदय धक-धक करने लगा और पूर्ण शरीर काँपने लगा।

: ११ :

नरेन्द्र और मनोरमा दोनों डिप्टी साहब के मकान पर लाए गए। दोनों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी। नरेन्द्र के विषय में तो डाक्टर साहब कहते थे कि, यद्यपि रोग अत्यन्त भयानक है और शायद जीवन-भर खाट पर ही गुजारना होगा,

इस पर भी जीवन लम्बा हो सकता है। परन्तु मनोरमा की अवस्था आशारहित हो गई थी। हृदय की गति इतनी मंद हो गई थी कि उसका इतने काल तक जीते रहना अचम्भा प्रतीत होता था।

दोनों को दिन के ग्यारह बजे के लगभग घर पर लाया गया था। नरेन्द्र की शुद्ध वायु के प्रभाव से खड़खड़ी बन्द हो गई थी, परन्तु चेतनता नहीं आई थी। मनोरमा अचेत थी। उसकी नाड़ी नहीं चलती थी, केवल स्टेथस्कोप से हृदय की धड़कन अनुभव होती थी। दिल्ली के प्रसिद्ध डाक्टरों को एकत्रित कर लिया गया। बनारसीदास और हरवंशलाल के परिवार के लोगों को भी बुला लिया गया।

इस प्रकार दोनों में जीवन लाने का यत्न होने लगा। इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाने लगे। फिर भी मनोरमा के हृदय की गति मिनट में बीस से अधिक नहीं हुई।

इसमें पूर्ण दिन बीत गया। बनारसीदास की इच्छा थी कि नरेन्द्र को अपनी कोठी पर ले जाए, परन्तु मनोरमा की माँ ने कहा कि यदि लड़की चेतन हुई और नरेन्द्र दिग्बिंदी न दिया तो शायद वह जीवित न रह सके। डिप्टी साहब ने भी बहुत मिन्नत-खुशामद की और परिणाम यह हुआ कि दोनों की चिकित्सा एक ही छत के नीचे होने लगी।

मनोरमा को होश में लाने के लिए कई दिन लग गए। जब वह सचेत हुई तो पहला शब्द जो उसके मुख से निकला वह 'नरेन्द्र जी' था।

नरेन्द्र की चिकित्सा अधिक कठिन थी। यद्यपि वह मनोरमा से एक-दो दिन पूर्व ही होश में आ गया था, परन्तु खाट से उठने में उसे नौ मास से अधिक लग गए; और इस काल में मुख्य सेवा-शुश्रूषा करने वाली मनोरमा ही थी। कमला, विजय तथा विनय भी इसमें हाथ बँटाते रहते थे।

: १२ :

राजनीतिक अवस्था में भारी परिवर्तन हो रहे थे। अंग्रेज प्रकट रूप में हिन्दु-स्तानियों के साथ सहृदयता के व्यवहार का बहाना बना राज्य दे रहे थे। कांग्रेस संघ-राज्य प्रणाली को स्वीकार कर चुकी थी और मुसलमानों को साथ रखने के लिए इस सीमा तक तैयार थी कि प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जाए। केवल प्रान्तों में आने-जाने तथा डाक-तार के विषय, देश की रक्षा का विषय, और विदेशी मामलों की बातें केन्द्र के अधिकार में रखने के लिए वह कहती थी। कांग्रेस की इस उदारता से मुसलमान सन्तोष तो अनुभव करते थे, परन्तु कई कारणों से वे इतना भी सम्बन्ध हिन्दू-हिन्दुस्तान से नहीं रखना चाहते थे। अंग्रेज उनकी इस माँग को प्रोत्साहन देते थे।

देश को स्वराज्य तो अंग्रेजों की आन्तरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण मिल रहा था। देश की अपनी शक्ति के संचय के कारण नहीं। इस

कारण देश को तो जो कुछ और जैसे रूप में अंग्रेजों ने दिया, स्वीकार करना पड़ा। हाँ, कांग्रेस अपने बलिदानों के कारण हिन्दुओं के प्रतिनिधित्व के योग्य हो चुकी थी। अतएव जो कुछ हिन्दुओं को मिला वह कांग्रेस के हाथों में सौंपा गया।

इसके विपरीत मुसलमानों में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसने देश तथा अपनी जाति के लिए कुछ भी बलिदान किया हो। फिर भी मुस्लिम-लीग पार्टी को पाकिस्तान सौंपा गया।

नरेन्द्र देश की स्थिति की इस प्रगति को खाट पर पड़ा-पड़ा सुन और देख रहा था। इंग्लैंड की राज्य-परिषद् के सदस्यों (कैबिनेट मिशन) की योजना कांग्रेस ने स्वीकार की, परन्तु मिस्टर जिन्हा अथवा देश के मुसलमानों ने स्वीकार नहीं की। परिणामस्वरूप मुसलमानों ने लड़ाई-झगड़ा (सीधी-कार्रवाही) आरम्भ कर दी। कलकत्ता में सुहरावर्दी के प्रधानमंत्रित्व में जो कुछ हुआ वह देश को कम्पायमान कर देने वाला था। फिर नोआखाली का हत्याकाण्ड रचा गया। यह भी सुहरावर्दी के प्रधानमंत्रित्व में था।

कांग्रेस के प्रतिनिधियों की अन्तरिम सरकार बन जाने पर भी वह बंगाल में होने वाली दुर्घटनाओं को न तो होने से रोक सकी और न ही बंगाल सरकार को उसके अपराध का दण्ड दे सकी। बंगाल सरकार ने इन दोनों स्थानों पर हिन्दुओं पर वे अत्याचार किए जो महमूद गजनवी तथा मजहबी जनून रखने वाले अन्य मुसलमानों ने कभी किए थे। उसने अपराधियों को दण्ड भी नहीं दिया।

इन दो स्थानों पर होने वाले अत्याचारों को देख बिहार में हिन्दुओं ने मुसलमानों को मारना आरम्भ कर दिया, परन्तु यह दंगा शीघ्र ही शान्त कर दिया गया। कांग्रेस और अन्तरिम सरकार की पूर्ण शक्ति इसे शान्त करने में लगा दी गई।

इसके पश्चात् पंजाब में झगड़ा हुआ और अन्तरिम सरकार पुनः अकर्मण्य बन गई। पंजाब में मुसलमानों की संख्या अधिक अवश्य थी परन्तु हिन्दू कानून १९३५ की ६१ धारा के अनुसार राज्य प्रान्त के गवर्नर के अधीन था। फिर भी पंजाब में उपद्रव हुआ।

पेशावर, बन्नु, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, हजारा, एबटाबाद आदि स्थानों में भी हिन्दुओं के साथ भारी अन्याय और अत्याचार हुए। गाँव के गाँव जलाकर भस्म कर दिए गए और स्त्रियों का अपहरण किया गया। इन स्थानों पर न तो प्रान्त की कांग्रेसी सरकार किसी प्रकार हिन्दुओं को बचा सकी, न ही उन हिन्दुओं की रक्षा के लिए अन्तरिम सरकार कोई सहायता भेज सकी। जितनी सतर्कता और दृढ़ता बिहार के हिन्दू प्रान्त में दर्शाई गई थी उसका एक लेशमात्र भी सीमा प्रान्त के मुसलमानों को हिन्दुओं पर अत्याचार करने से रोकने के लिए नहीं किया गया।

लॉर्ड वेवल वाइसराय के पद से हटा दिए गए। इसलिए नहीं कि पंजाब के उपद्रवों में उन्होंने कोई रोक-थाम नहीं की, प्रत्युत इस कारण कि अंग्रेजों की पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से पृथक् करने की योजना को वह ठीक परिणाम तक नहीं ले जा सके। इनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नये वाइसराय आये।

उन्होंने तीन जून की घोषणा करवाई और इसमें पाकिस्तान बनाने की अन्तिम योजना पर कांग्रेस की स्वीकृति प्रकट की गई।

महात्मा गांधी ने एक दिन यह कहा भी कि श्री जवाहरलाल ने उपद्रवों में खून-खराबे से डरकर देश के विभाजन की इस योजना को स्वीकार कर लिया है, परन्तु वह भी देश के विभाजन की इस योजना का विरोध नहीं कर सके।

अंग्रेज राजनीतिज्ञों की योजना सफल हुई। हिन्दुस्तान को स्वराज्य तो दिया गया, परन्तु उसका विभाजन करके। फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब और सीमा प्रान्त के साठ लाख हिन्दुओं को अपने घर से धक्के खा-खाकर बाहर होना पड़ा। लाखों मारे गए। सहस्रों स्त्रियों का अपहरण किया गया और कई स्थानों पर तो ऐसा पैशाचिक नृत्य खेला गया कि संसार-भर की दैवी प्रवृत्तियाँ दार्तों-तले अँगुली दबाने लगीं।

: १३ :

१५ अगस्त, १९४७ का दिन था। भारत में अंग्रेजों के राज्य के अन्त हो जाने की खुशी मनाई जा रही थी। नरेन्द्र अब इस योग्य हो गया था कि उठकर कोठी के लॉन में टहल सके। वह बाहर लॉन में एक बेंच की कुर्सी पर बैठा डिप्टी साहब की कोठी पर की जा रही सजावट को देख मन-ही-मन गम्भीर विचार में पड़ा था। कुर्सी एक पेड़ के सायेतले रखी थी। कोठी के बाहर मोटरों की भों-भों के साथ झुंड के झुंड लोग, नये-नये कपड़े पहने, मुख से जय हिन्द के गीत गाते हुए कौंसिल-हॉल के बाहर वाइसराय का जुलूस देखने जा रहे थे।

नगर भर में भारी समारोह था। शहर में सजावट पर पूरा जोर लगाया गया था। परन्तु वह सब कुछ नरेन्द्र की दृष्टि के सम्मुख नहीं था। नरेन्द्र डिप्टी साहब का वह उत्साह देख रहा था जिससे वह कोठी की छत पर तिरंगे झंडे और तेल के दीए रात की दीपमाला के लिए लगवा रहे थे।

वह मन में सोच रहा था कि कितना परिवर्तन है। कल के अंग्रेजी राज्य के भक्त आज उनके विदा होने की खुशी मना रहे हैं। मनोरमा पिता की मोटर में बैठ शहर की सजावट देखने गई हुई थी। नरेन्द्र के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत सोचता था कि जो कुछ हो रहा है वह कहाँ तक और किन के लिए आनन्द का विषय है। अंग्रेजों का राज्य गया, बहुत अच्छी बात हुई है; परन्तु किन का राज्य आया है वह यह अभी समझ नहीं सका था। कांग्रेसी नेताओं के आश्वासन पर देश भर के लोग यह समझ रहे थे कि लोगों के

हित के लिए, लोगों के हाथ में, लोगों का राज्य है।

नरेन्द्र देख रहा था कि लॉर्ड माउण्टबेटन गवर्नर जनरल है। लॉर्ड आकनलेक फौजी सेनापति है। भारतीय सेना के कर्णधार अंग्रेज अफसर हैं और हिन्दुस्तान में सीमा निश्चित करने वाले कमीशन का प्रधान अंग्रेज है। अर्थात् जो कुछ मिल रहा है उनकी ही कृपा से मिल रहा है। यह कृपा कब तक रहेगी और इसका क्या परिणाम होगा, ये विचार उसके मस्तिष्क में उथल-पुथल मचा रहे थे।

इस समय मनोरमा, कमला और वीणा इन्द्रजीत के साथ बाहर से लौटी थीं। वे नरेन्द्र को लॉन में पेड़ के साये तले बैठा देख वहीं आ गए। कुसियाँ मँगवाकर बैठते हुए इन्द्रजीत ने कहा, “नरेन्द्र भैया, देश के लिए यह दिवस बहुत ही खुशी का है। आपको अब शीघ्र स्वस्थ होकर देश के भार को उठाने के योग्य हो जाना चाहिए।”

“देश के भार से पूर्व विवाह का भी तो सोचना है।” कमला ने कहा।

नरेन्द्र ने हँसते हुए कहा, “स्त्रियों को विवाह के अतिरिक्त कुछ और काम भी है ?”

“मनोरमा वहन, क्या यह सत्य है ?” कमला ने पूछा।

“डॉक्टर आपके हृदय के विषय में क्या कह गए हैं ? कल कार्डियोग्राफ लिया गया था त ?” इन्द्रजीत ने पूछा।

इसका उत्तर मनोरमा ने देते हुए कहा, “कहते थे अखरोट की भाँति दृढ़ है।”

“परन्तु मैं आज इसके विपरीत पाता हूँ,” नरेन्द्र ने सतर्क होकर कहा, “डिप्टी साहब को तिरंगे झण्डे इतने उत्साह में लगाते देख तो मुझे सन्देह हो रहा है कि इस तिरंगे की तह में यूनियन जैक ही छिपा है। जब भारत इण्डिया है, जब भाषा अंग्रेजी है, जब स्वाधीनता के उत्सव में जाने वाले नेक टाई-पतलून पहने हैं, जब देश के साथ द्रोह करने वाले अफसर चौधरी हैं,” नरेन्द्र की दृष्टि डिप्टी साहब की ओर थी जो बंगले की छत पर चढ़े हुए दीप-माला के लिए दीपों में तेल डलवा रहे थे, “तब तक वास्तविक स्वाधीनता मिली है ऐसा विश्वास नहीं होता। और यह सब कुछ देख दिल बैठ जाता है।”

“परन्तु नरेन्द्र जी,” वीणा, जो अब तक डिप्टी साहब को भी स्वाधीनता का उत्सव मनाने में लीन देख मन-ही-मन प्रसन्न हो रही थी, कहने लगी, “कुछ भी कहिए, महात्माजी के उपायों की जीत हुई है। उनका कहना है कि लड़कर सारा लेने के स्थान पर मुलह से आधा मिलना भी कल्याणकारी होगा।”

नरेन्द्र चिरकाल तक रोगी रहने से चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया था। इस कारण वह उन बातों को, जो अपने मन के विपरीत समझता था, सहन नहीं कर सकता था। अतः कुछ उत्तेजित हो कहने लगा, “कितनी अयुक्तिसंगत और अव्यावहारिक बात है यह। क्या यह उक्ति सदैव ही सत्य हो सकती है ? धन-

सम्पत्ति के विषय में तो यह बात ठीक हो सकती है। इसमें एक भाग दूसरे के अभाव की पूर्ति कर सकता है, परन्तु राजनीतिक अधिकारों में तथा देश और जातियों में यह सिद्धान्त कैसे चल सकता है? मनुष्य का विवाह ऐसी स्त्री से नहीं किया जा सकता जिसका सिर उसके किसी दूसरे प्रेमी को दे दिया जाय। जो वस्तु प्रकृति ने इकट्ठी रहने के लिए बनाई है वह कैसे बाँटी जा सकती है? फिर अभी तो जो कुछ अंग्रेजों ने दिया है और करने को कहा है कांग्रेस ने लिया है और किया है। सोच-विचारकर की गई इनकी एक भी माँग तो स्वीकार नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अभी तो केवल अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं। हमारी क्या स्थिति है यह अभी नहीं आँकी जा सकती।”

इस समय, बाहर सड़क पर, कुछ युवकों की एक टोली जा रही थी। वे चलते-चलते गा रहे थे—

जय हो, जय हो,
जय जय जय जय जय हो,
भारत भाग्य विधाता।

वीणा ने प्रफुल्लित होकर कहा, “मुनिए ! मुनिए ! लोग क्या कहते हैं।”
युवकों की मण्डली गा रही थी—

पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग।

नरेन्द्र ने उदासीनता का भाव दिखाते हुए कहा, “यह सब निरर्थक हो गया है। अब न बंगाल रहा है, न पंजाब।”

इस समय बंगले में एक मोटर आकर खड़ी हो गई। सबका ध्यान उस ओर चला गया। मोटर से शंकर पण्डित, गौरी, गुरु व्यासदेव तथा बनारसीदास उतर पड़े। लॉन में बैठे सब लोग उठ खड़े हुए। नरेन्द्र भी उठ पड़ा और सब मोटर में आए लोगों से मिलने के लिए मोटर के पास आ पहुँचे। डिप्टी साहब भी इनको आया देख बंगले से नीचे उतर वहीं आ गए।

शंकर पण्डित और गौरी को देख नरेन्द्र को बहुत ही प्रसन्नता हुई। डिप्टी साहब ने सबको बंगले के भीतर गोल कमरे में ले जाकर बिठाया और नौकर को बुलाकर शर्बत लाने को कहा। बनारसीदास ने कहा, “नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। हम सब दूध पीकर आये हैं।”

शंकर पण्डित नरेन्द्र के समीप कोच पर बैठा था। उसने कहा, “नरेन्द्र भैया, मैं और गौरी कितने ही दिनों से तुम्हें मिलने को आने का विचार रखते थे। कल व्यासदेवजी कलकत्ते से आपको देखने आ रहे थे तो सुअवसर जान हम भी चले आये हैं। बताओ, अब स्वास्थ्य कैसा है?”

“सुधर रहा है।”

“अब आगे क्या विचार है ?”

“किस विषय में ?”

“विवाह के विषय में ।”

“इतनी बीमारी के पश्चात् विवाह करना शायद हितकर नहीं होगा ।”

‘गुरु व्यासदेव तो तुम्हें ठीक करने ही यहाँ आये हैं ।’

“कैसे ?”

“उनका विचार तुम्हारे शरीर की शुद्धि करने का है । आयुर्वेद में लिखी पंच कर्म विधि करने से, वह कहते हैं कि, तुम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लोगे ।”

“जब होगा तब देखा जाएगा ।”

“रेवती का क्या विचार है ?”

रेवतीदेवी का नाम सुनने पर नरेन्द्र और शंकर पण्डित की दृष्टि उसकी ओर घूम गई । वह गोल कमरे के एक कोने में गौरी के समीप बैठी थी और गौरी उससे धीमी आवाज में बातें कर रही थी । नरेन्द्र को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वे दोनों उसी के विषय में बातें कर रही हैं । वे बातों-बातों में उसकी ओर देख रही थीं और मनोरमा का मुख देदीप्यमान हो रहा था ।

नरेन्द्र उठकर कमरे से बाहर जा, वरामदे में खड़ा हो, लॉन के किनारे लगे फूलों की ओर देखने लगा । मन-ही-मन वह सोच रहा था । वह मनोरमा से प्रेम करता था, परन्तु वह दो बार विवाह से अरुचि प्रकट कर चुकी थी । इससे नरेन्द्र आज पुनः विवाह का प्रश्न उठने पर गम्भीर विचार में पड़ गया । शंकर पण्डित उसके पीछे आ खड़ा हुआ और पूछने लगा, “क्या बात है नरेन्द्र !”

“मैं सोच रहा हूँ,” नरेन्द्र ने वैसे ही फूलों की ओर देखते हुए कहा, “देश की अवस्था इतनी अनिश्चित तथा अव्यवस्थित है कि विवाह और वह भी मनोरमा जैसी अस्थिर मन वाली स्त्री से ठीक भी रहेगा या नहीं ।”

“मनोरमा अपने किए का प्रायश्चित्त नहीं कर चुकी क्या ?”

“उसने कुछ पाप तो किया नहीं था, फिर प्रायश्चित्त की बात कहाँ से आ गई ? उसने मेरी सेवा तो बहुत की है किन्तु उसका बदला विवाह कैसे हो सकता है ? परमात्मा कोई अवसर पँदा करेगा तो इस सेवा का बदला चुका दूँगा ।”

शंकर पण्डित मुस्करा रहा था । जब नरेन्द्र बात समाप्त कर चुका तब भी वह चुपचाप खड़ा नरेन्द्र का मुख देखता रहा । नरेन्द्र अपने विचारों में लीन था, परन्तु जब शंकर पण्डित चुपचाप खड़ा रहा तो उसने अचम्भे में उसके मुख की ओर देखा और उसे अपनी ओर देखकर मुस्कराते पाया । इससे धवराकर उसने पूछा, “क्या है, दादा ?”

“देखता हूँ कि जहाँ राजनीति में वृद्धों से अधिक मेधा रखते हो, वहाँ सांसारिक बातों में सर्वथा वचपन प्रकट कर रहे हो ।”

“मैं तो समझता हूँ कि राजनीति में भी असफल सिद्ध हुआ हूँ और विवाह के सम्बन्ध में भी। स्वराज्य मिल गया है, पर मेरी भावना की पूर्ति कोसों दूर है। इसी प्रकार मनोरमा को पाकर भी मैंने उसे नहीं पाया है, ऐसा कह सकता हूँ।”

“और मैं समझता हूँ कि एक में हम बहुत दूर तक चले आए हैं और दूसरे में तुम पूर्ण सफल हो।”

“हाँ”, गौरी ने बीच में ही बात काटकर कहा।

गौरी और मनोरमा भी नरेन्द्र और शंकर पण्डित के पीछे-पीछे बाहर आ गई थीं और पीछे खड़ी हुई दोनों की बातें सुन रही थीं। गौरी ने मनोरमा का हाथ पकड़ रखा था, मानो वह उसे पकड़कर बाहर ले आई थी। गौरी ने कहा, “हाँ, इसमें क्या सन्देह है। देखो तो, यह क्या कह रही है।”

शंकर पण्डित और नरेन्द्र गौरी की आवाज सुन घूमकर उन दोनों की ओर देखने लगे। मनोरमा भूमि की ओर देख रही थी और उसका मुख लज्जा से लाल हो रहा था। शंकर पण्डित ने कहा, “देखो, मैं कहता न था।”

भीतर गुरु व्यासदेव स्वतन्त्रता-दिवस पर आलोचना कर रहे थे। बात डिप्टी साहब ने आरम्भ की थी। वीणादेवी का परिचय कराते हुए आपने कहा था, “यह अब यहाँ निघड़क आती हैं। पहले के शत्रु आज मित्र बन रहे हैं।”

गुरु व्यासदेव ने कहा, “मुझे यह सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है, परन्तु मेरा मन सुन्दर भविष्य की आशा नहीं कर रहा। जिसका आधार सुन्दर नहीं, वह परिणाम में भी सुन्दर नहीं होगा।”

“परन्तु, गुरुदेव,” वीणा ने नम्रता से कहा, “कुछ तो प्राप्त किया ही है न। आगे जो कुछ होगा हमारी इच्छा से होगा। क्या यह कम है?”

“हाँ कुछ तो है। पहले से अन्तर है और वह यह है कि अंग्रेज राज्य करते थे, परन्तु हृदय में अनुभव करते थे कि वे अन्याय कर रहे हैं और अब वर्तमान अधिकारी अन्याय करते हुए भी यह समझेंगे कि लोगों की अनुमति से करने के कारण न्याय ही कर रहे हैं। परन्तु मुख्य बात तो निर्माण-कार्य ही है। उसके लिए अथक प्रयत्न करना होगा, जो निरन्तर चलता रह सकता है। वह जन-साधारण की सम्मति से तथा महात्माजी के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। इसके लिए विद्वान्, चरित्रवान्, धीर, वीर और अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। जिन लोगों ने दंगा-फसाद करने वालों से भयभीत होकर उनकी अपमानजनक और अति हानिकर बातें भी मान ली हैं वे भविष्य में भी डराये-धमकाये जा सकते हैं?”

“तो आपको आपत्ति लोगों पर है न? सिद्धान्त रूप में जो कुछ हुआ है उस पर तो नहीं?”

“लोगों का क्या दोष है। वे बेचारे तो मिथ्या विचारों के शिकार हुए हैं। देश के नेता व्यक्तिगत रूप में भीरु नहीं हैं। उनकी संस्था, अर्थात् कांग्रेस, भ्रामक

सिद्धान्त पर निर्भर है। इस कारण सामाजिक रूप में वे भीरु बने हुए हैं; व्यक्तिगत रूप में बहुत बहादुरी करते हुए भी सामूहिक रूप में भीरुता ही करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही लोग यदि ठीक सिद्धान्तवादी बन जाएँगे तो जाति ठीक मार्ग पर चलने लगेगी।”

“हम लोग ऐसा नहीं मानते। जो कुछ मिल गया है वह बहुत ही सुन्दर, प्रिय और शिव है।”

इस समय डिप्टी साहब ने बात बढ़ती देख रेडियो चला दिया। रेडियो में लड़कियाँ गा रही थीं, ‘जय हो, जय हो जय हो, भारत भाग्य-विधाता।’

शंकर पण्डित और गौरी, नरेन्द्र और मनोरमा को बाहर लॉन में अपने विवाह के सम्बन्ध की बातें तय करने के लिए छोड़, भीतर आ गए थे। वीणा को यह कहते हुए सुन कि, जो कुछ मिला है सुन्दर, प्रिय और शिव है, शंकर पण्डित ने रेडियो के पास जा उसे बन्द कर कहा, “जय जय कहने से तो जय नहीं होती। मुझे तो जय जय करने में कुछ अधिक उत्साह नहीं होता। मैं तो कुछ ऐसा अनुभव करता हूँ—

कैसे तव जय मनाएँ,

दुखिया भारत माता!

तव दर्शन कहाँ पाएँ, हम तव गुण क्या गाएँ।
कैसे पहचानें हम हो घायल तुम माता ॥
पंचाल भाल विशाल, तव वाम अंग बंगाल।
रक्त रंजित बेहाल, विकराल राग गाता ॥
मुकुट करीट हिमाचल दो टूक हुआ तेरा।
हे घायल वक्षस्थल, मुख से है लहू आता ॥
तव वाणी भई मलिन, मुख हुआ ओज विहीन।
अब इण्डियन यूनियन, रहा न भारत जग-त्राता ॥
असुरों से मान गया; धन, जन, सम्मान गया।
इसको मानें सम्मान, समझ में नहीं आता।”

□ □ □

श्री गुरुदत्त की प्रतिनिधि रचनाएं

हिन्दी साहित्य को श्री गुरुदत्त ने अपनी सशक्त लेखनी से 250 के लगभग अनुपम रचनाएं दी हैं। इन रचनाओं में से चुन कर कुछ विशिष्ट रचनाएं दस खण्डों में प्रकाशित की गई हैं। सभी विशुद्ध भारतीय विचारधारा को दृष्टिकोण में रखकर लिखे गए सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, व पौराणिक उपन्यास हैं — उनका विवरण इस प्रकार है:-

- | | |
|--|----------------|
| 1 - मेघवाहन , सागर तरंग , विक्रमादित्य साहस्रक
(तीन ऐतिहासिक उपन्यास) | 150 00 |
| 2 - सहस्रबाहू , गगन के पार , अन्तरिक्ष में
(तीन वैज्ञानिक उपन्यास) | 150 00 |
| 3 - कला, कामना, अनदेखे बन्धन
(तीन सामाजिक उपन्यास) | 150 00 |
| 4 - एक और अनेक, मानव
(दो भावनाप्रधान सामाजिक उपन्यास) | 180 00 |
| 5 - परित्राणाय साधूनाम्
(सम्पूर्ण महाभारत कथा उपन्यास रूप में) | 550 00 |
| 6 - स्वाधीनता के पथ पर , पथिक
(राजनीतिक श्रृंखला के प्रथम दो उपन्यास) | 200 00 |
| 7 - स्वराज्यदान , दासता के नए रूप
(राजनीतिक श्रृंखला की दो कड़ियाँ) | 240 00 |
| 8 - देश की हत्या , विश्वासघात
(राजनीतिक श्रृंखला के अन्तिम उपन्यास) | 220 00 |
| 9 - प्रभातवेला , कुमार सम्भव , उमड़ती घटाएं
(तीन उपन्यास पौराणिक पृष्ठभूमि पर) | 280 00 |
| 10- गंगा की धारा (मुगल काल पर उपन्यास) | 280 00 |
| इस सेट (10 खण्ड)का कुल मूल्य | 2400 00 |

(Tele/Fax - 51545969, 23553624) E Mail - indiabooks@rediffmail.com

हिन्दी साहित्य सदन -

2 बी डी चैम्बर्स , 10/54 डी बी गुप्ता मार्ग , (समीप प्रह्लाद मार्केट) न0 दिल्ली-110005

श्री गुरुदत्त के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास

परित्राणाय साधूनाम् (महाभारत पर आधारित - अवतरण, सम्भवामि युगे युगे (2 भाग) व विनाशाय च दुष्कृताम् (2 भाग) का सम्पूर्ण संयुक्त संस्करण।)

वहती रेता

(भारत के प्रथम गणतन्त्र वैशाली पर आधारित उपन्यास)

लुढ़कते पत्थर

सागर तरंग

मेघवाहन

महाकाल

भैरवी चक्र

अस्ताचल की ओर (3 भाग)

उमड़ती घटाएं

(कश्मीर के इतिहास पर आधारित उपन्यास)

खण्डहर बोल रहे हैं (3 भाग)

(शाहजहाँ औरंगज़ेब व शिवाजी के संघर्ष पर आधारित उपन्यास)

दिग्विजय

(आदि शंकराचार्य के जीवन काल पर उपन्यास)

पत्रलता

(हर्षवर्धन के काल पर आधारित उपन्यास)

गंगा की धारा

(अकबर के जीवन काल पर एक रोचक उपन्यास)

वाम मार्ग

(वाम मार्गीय जीवन शैली पर ऐतिहासिक उपन्यास)

अमृत मन्थन , परन्परा , अग्नि परीक्षा

(राम कथा पर आधारित उपन्यास तीन खण्डों में)